लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)



LIBRARY
53 (1)3
11. 11. 83

(खंड 38 में अंक 41 से 48 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 47. सोमवार, 9 मई, 1983/19 वैशाख, 1905 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :

*तारांकित प्रश्न संख्या : 932, 937, 940 और 941 — 1-20

श्नों के लिखित उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या : 933 से 936,938,939,942 से 951 और 831 — 20-38

अतारांकित प्रश्न संख्या : 10610 से 10842 — 38-235

विशेषाधिकार के प्रश्न बारे में — 235-243

सभा पटल पर रखे गये पत्र — 244-252

अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिय नियमों के अंतर्गत दिया गया निदेश — 252

अधोनस्थ विधान संबंधी समिति

18वां प्रतिवेदन — 252

रेल अभि समय समिति

8वां प्रतिवेदन — 252-253

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

विदर्भ में पानी की कमी और पेड़ों को बीमारी से संतरे के पेड़ों के सूख जाने के कारण किसानों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयां — 253-274

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी — 253-258

श्री योगेन्द्र मकवाना — 258-260

श्री बालकृष्ण राम चन्द्र वासनिक — 260-265

श्री उत्तम राठौर — 265-267

प्रो० मधु दंडवते — 267-274

†किसी नाम पर अंकित †चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

(1) कुष्ठ रोगी (दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा चंडीगढ़ निरसन) विधेयक 274

(2) विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक 375

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) 'काखां' पत्रिका में "डिड द आर्मी चीफ ब्लैकमेल द प्राइमिनिस्टर" 275-276

शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित लेख

श्री आर० उस० स्पैरो 275-276

श्री आर० वेंकटरामन 276

(दो) स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित साहित्य को रखने हेतु संग्रहालय तथा ग्रन्थालय स्थापित करना

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर 276-277

(तीन) सिंचाई के लिए माही नदी के जल को राजस्थान के बाड़मेर तथा जालौर जिलों को देना

श्री वृद्धि चन्द्र जैन

(चार) कर्नाटक के बीदर जिले में रेल सुविधाओं की मांग 277

श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी 278

(पांच) विजय नगर, अरुणाचल प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों को बसाना

श्री माधवराव सिंधिया 278

(छः) संत कबीर के आदेशों का प्रचार करने की आवश्यकता

श्री बी० डी० सिंह 279

(सात) ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता

श्री हरिकेश बहादुर 279

(आठ) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची, के चेयरमैन तथा प्रबंध-निदेशक की शीघ्र नियुक्ति

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा 279-280

(नौ) दार्जिलिंग स्थित शरीर-विज्ञान अनुसंधान एकक को समाप्त करने का समाचार

श्री आनन्द पाठक 280-281

(दस) दिल्ली में टैक्सी-स्कूटरों की सेवाओं में सुधार करने की आवश्यकता

श्री ए0 के0 राय 280-281

छावनी (संशोधन) विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव

श्री के० पी० सिंह देव 282

खंड 2 से 168 और ।

पास करने का प्रस्ताव

श्री अमल दत्त 304

श्री रामावतार शास्त्री 305

श्री आर० वेंकटरामन 306

2 मई, 1983 को पटियाला में हुई घटना के बारे में 4-5-83 को गृह मंत्री द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य पर चर्चा

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी 307

श्रीमती गरब्रिन्दर कौर बरार 323

श्री सत्यासाधन चक्रवर्ती 328

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर 332

श्री कृष्ण कुमार गोयल 336

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया 340

स्वामी इन्द्रवेश 343

श्री चन्द्रजीत यादव 347

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 351

श्री आर० एस स्पैरो 353

श्री चित्त बसु 361

आचार्य भगवान देव 363

श्रीमती गीता मुखर्जी 367

श्री केयर भूषण 371

श्री हरिकेश बहादुर 373

श्री ए० के० राय 376

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी 380

आधे घंटे की चर्चा

कारों के मूल्यों में वृद्धि

श्री के० लक्प्पा 389

श्री नारायण दत्त तिवारी 393

श्री हरीश कुमार गंगवार 397

लोक सभा

सोमवार, 9 मई, 1983/19 वैशाख, 1905 (शक)
लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।
(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*932. श्री नवल किशोर शर्मा
श्री नवीन रावणी } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1983 के महीने में देश के कई भागों में हुई असामान्य वर्षा से रबी की खड़ी फसल को भारी नुकसान हुआ है,

(ख) प्रत्येक राज्य में इस वर्षा से रबी की खड़ी फसल को कितना नुकसान हुआ है, और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है तथा कटी हुई फसल की सुरक्षा के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) देश के कुछ क्षेत्रों विशेषतः उत्तर-पश्चिमी क्षेत्रों में इस वर्ष अप्रैल, में हुई वर्षा, ओलावृष्टि तथा तेज हवाओं के कारण कुछ क्षति हुई है।

(ख) वर्षा के कारण रबी फसलों को हुई क्षति का राज्य-वार सही अनुमान लगाना अभी संभव नहीं है। तथापि, इस वर्ष रबी की फसल का रिकार्ड उत्पादन होने की आशा है।

(ग) राज्यों को सलाह दी गई है कि वे कम से कम संभव समय में किसानों को फसलों की कटाई और गहाई के लिए सभी संभव सहायता दें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि वे गहाई सम्बन्धी कार्यकलापों के दौरान बिजली और डीजल की लगातार सप्लाई सुनिश्चित करें। मौसम सम्बन्धी परिस्थितियों को लगातार प्रबोधन किया जाता है ताकि किसानों को समय पर सचेत किया जा सके।

श्री नवल किशोर शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस साल खरीफ की फसल में तो दुर्भाग्य से वर्षा नहीं हुई जिसके कारण देश के विभिन्न प्रान्तों में भयंकर अकाल की स्थिति बनी हुई है और उसके बाद रबी की फसल के सिंचित क्षेत्र में अप्रैल में हुई बारिश से काफी बड़ी तादाद में किसानों की खड़ी हुई फसल को बारिश और ओलों से क्षति हुई है ।

मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा है कि कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन नहीं किया जा सका । लेकिन यह बात सही है कि उत्तरी भारत के अनेक राज्यों—राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यू पी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार—में इस बारिश से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और किसानों को फसल की प्राप्ति की जो थोड़ी बहुत आशा थी, वह कहीं फसल को ओलों से क्षति होने और कहीं कटी हुई फसल के भीग जाने से पूरी नहीं हुई है । उस क्षति के लिए सहायता देने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने पार्ट (सी) में जो जवाब दिया है, वह जवाब मैं संतोषप्रद नहीं मानता । यह ठीक है कि सरकार ने बिजली और दूसरी सुविधाओं का इन्तजाम किया, ताकि किसानों का हारवेस्टिंग जल्दी हो जाए । लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसानों ने जो खेती की थी, वह बर्बाद हो गई और उनकी उपज कम हो गई, तो किसानों को राहत देने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है । हम चाहते हैं कि खेती का उत्पादन बढ़े, लेकिन किसान ने कोआपरेटिव सोसायटियों, बैंकों और दूसरी जगहों से कर्जा लेकर जो फसल पैदा की थी, जब वह नष्ट हो गई, या उसका अधिकांश भाग नष्ट हो गया, तो सरकार किसान को सहायता देने की दशा में क्या कदम उठा रही है । क्या सरकार उन किसानों के कर्जों को माफ करेगी या उनकी बसूली को स्थगित करने की कार्यवाही करेगी? क्या सरकार बैंकों को भी उनके कर्जों के बारे में निर्देश देगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कृषि मंत्री को इन सभी बातों के कहने का अधिकार है ?

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं यही पूछ रहा हूँ । क्या सरकार का कोई इरादा है कि किसानों का जो नुकसान हुआ है, उसके लिये वह उन्हें पर-हैक्टर या पर-बीघा कुछ सहायता दे ? क्या सरकार ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे ऐसी सहायता दें ।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकारों की अपनी वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है—खास तौर से मैं राजस्थान के संदर्भ में कह सकता हूं—कि वे कुछ सहायता कर सकें । उड़ीसा के बारे में भी समाचार आये हैं कि वहां 21,000 हैक्टर भूमि में डिफैक्टिव सीडलिंग्ज के कारण लगभग 37 क्विंटल पर हैक्टर के बजाये केवल 3 क्विंटल पर-हैक्टर उत्पादन हुआ है । इससे किसान बर्बाद हो गये है और तीन आदमियों ने आत्म-हत्या कर ली है । क्या केन्द्रीय सरकार किसानों की सहायता के लिये कोई कारगर कदम उठाएगी और केन्द्रीय कोष से कोई धनराशि आवंटित करेगी ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : सूखे से जितना नुकसान देश के अलग-अलग प्रान्तों में हुआ है, उनके लिये जो सहायता भारत सरकार ने दी है, उसका ब्यौरा बार-बार हाउस में दिया जा चुका है । काफी नुकसान हुआ है, लेकिन सूखे से परेशान लोगों को इस साल सहायता भी इतनी दी गई है, जितनी पहले कभी नहीं दी गई, मेरा अन्दाजा है कि 800 करोड़ रुपये की रकम से

ऊपर इस साल सूखे के कारक सहायता के लिये मन्जूर की गई है। अप्रैल के बीच जो बारिश हुई, वह बेवक्त थी, इसमें शक नहीं है। लेकिन मैं बार-बार बता चुका हूं—और मुझे उम्मीद है कि हाउस अब उससे एग्री करेगा—कि इतना नुकसान नहीं हुआ है, जिससे कोई घबराहट या परेशानी हो।

वही बात सिद्ध भी हो चुकी है और आज भी मैं यही बात कह रहा हूं कि गेहूं की फसल को जितना नुकसान हुआ है वह बहुत मामूली है। रंग खराब हो गया है या कहीं-कहीं किसी किसान की बद किस्मती से जहां अनाज कटा पड़ा था और उस खेत में पानी भर गया वहां अनाज उग भी गया है।

राजस्थान तो वैसे ही खुश्क इलाका है। वहां एक दो बार किसी-किसी जगह जैसे अलवर में, जोधपुर में, नागौर में या बीकानेर में बारिश ज्यादा हुई लेकिन वह बारिश वेलकम भी होनी चाहिए। लोगों को पीने को पानी मिल गया, मवेशियों के लिये घास का तिनका पैदा हो गया जो उनके लिये चारे के काम आ गया। उससे नुकसान बहुत ही कम हुआ है। राजस्थान जैसी जगह के अन्दर तो उससे फायदा पहुँचा है।

जहाँ ज्यादा गेहूं पैदा होता है वह इलाके हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यू० पी० तथा मध्य-प्रदेश के इलाके है। इन इलाकों में इस बेवक्त बारिश के बावजूद अब भी हम उम्मीद करते हैं कि गेहूं की फसल इतनी ज्यादा होगी कि जितनी इससे पहले कभी नहीं हुई थी। रेकार्ड-तोड़ गेहूं की फसल होगी। हमारा अन्दाजा है कि 40 मिलियन टन से ऊपर गेहूं अब भी पैदा होगा। जिस तेजी से गेहूं मंडियों में आ रहा है वह बहुत ज्यादा है। आज के दिन करीब-करीब 2 लाख टन गेहूं रोजाना मंडियों के अंदर आ रहा है। प्रोक्योरमेंट भी इस तेजी से चल रहा है कि पिछले साल इस दौरान जितना हुआ था उससे कहीं 5 लाख टन अधिक हो चुका है। अगर इस बारिश से ज्यादा नुकसान हुआ होता और फसल भीग गई होती या बरबाद हो गई होती तो इतनी जल्दी फसल निकलकर मंडियों में आने वाली नहीं थी। तो बड़ा मुश्किल है अन्दाज लगाना कि एक प्रतिशत नुकसान हुआ या दो प्रतिशत नुकशान हुआ, अनाज के वजन में नुकसान हुआ या सिर्फ उसके रंग में फर्क पड़ गया जिसकी वजह से वह खराब हो गया। यह परेशानी की कोई वजह नहीं है और मैं माननीय सदस्य से भी यही इल्तिजा करूंगा कि इस तरीके से वह परेशान न हों ताकि इनकी परेशानी देखकर कहीं और मंडियों के अन्दर भाव बढ़ने न शुरू हो जायें और देश को हानि पहुंचे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपका दूसरा अनुपूरक प्रश्न। एक संक्षिप्त अनुपूरक प्रश्न।

श्री नवल किशोर शर्मा : मेरा प्रश्न कुछ और था। मैं उत्पादन के गिरने से परेशान नहीं हूं न मैंने यह कहा था। मेरा तो निवेदन यह था कि किसानों को जो हानि हुई है उस हानि के लिए उनको कम्पेन्सेशन देने के बारें में क्या राज्य सरकारों को केन्द्रीय सरकार निर्देश देगी और आर्थिक सहायता करेगी, चाहे दस परसेंट हो, चाहे दो परसेंट हो या तीन परसेंट हो, उसके बारे में जवाब नही आया। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दूसरे सप्लीमेंट्री के उत्तर में इस बारे में कुछ

रोशनी डालें ।

दूसरा निवेदन मैं कर रहा था कि यह बात सही है, जैसा मंत्री जी ने स्वीकार किया कि फसल का रंग खराब हो गया, वह भीग गईं, उसकी क्वालिटी खराब हो गई, एक पार्ट में हो गई या कुछ किसानों की हो गई । मैं अभी आज ही राजस्थान के अपने ही निर्वाचन क्षेत्र से लौटा हूं । असल में जो खराब फसल हो गई है उसकी स्थिति यह है कि वह खराब फसल 80 रुपये और 90 रुपे क्विंटल के भाव से बाजार में बिक रही है । आप ने अभी सब जगह परचेज शुरू नहीं किया है और छोटे किसान की मजबूरी यह है कि उसको अपना गल्ला ज्यों ही तैयार होता है वैसे ही उसे बेचना पड़ता है । तो क्या वह एश्योर करेंगे कि उन सारे इलाकों के अन्दर जो उनकी परचेज की कार्यवाही है उसे जल्दी शुरू करेंगे और जो फसल खराब भी हुई है रंग के कारण या किसी दूसरे कारण से उस फसल को वह खरीदेंगे तथा उसको सपोर्ट प्राइस दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जो सुझाव श्री नवलकिशोर शर्मा जी ने दिया है उसको मेरे साथी फूड-मिनिस्टर सुन रहे हैं और जितनी उनसे सहायता हो सकती है—जैसे पिछले साल किया गया था खास तौर से किसानों की मदद के लिये हम ने कुछ भीगा हुआ अनाज, जिसका रंग खराब हो गया था, उसी भाव पर खरीदा था जो सरकार ने तय किया था, इस साल भी अगर कोई ऐसी समस्या होगी. तो उसके लिये सरकार गौर करेगी और फूड-मिनिस्ट्री की तरफ से इस बात के ऊपर पूरा ध्यान रखा जाता है ।

जहां तक सहायता की बात है—जहां किसानों के अलग-अलग इण्विजुअल लासेज हो जाते हैं, उसके लिये सहायता देना—भारत सरकार की न कोई ऐसी नीति हैं और न उसके लिये हमारी कोई स्कीम है । जहां तक मुझे मालूम है—अलग-अलग राज्यों में स्पेशल गिरदावरी कराने के लिये राज्य की सरकारों ने हुक्म दिये हैं और उम्मीद करता हूं जहाँ किसी का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा, वहां राज्य की सरकार की तरफ से सहायता देने के लिये अगर उन्होंने जरूरी समझा तो कोई स्कीम बनाई जायगी । वे दे सकते हैं—इसके लिये अलग-अलग मैनुअल्ज सहायता देने के लिये उनके रेवेन्यू कोड में हैं । भारत सरकार की तरफ से इस तरह का न कोई निर्देश दिया जा सकता है और न इससे पहले कभी दिया गया है । अगर किसी किसान का फर्दन-फर्दन नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को पूरा करने के लिये भारत सरकार ऐसी कोई जिम्मेदारी लेने के लिये असमर्थ है ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अचानक भारी वर्षा के कारण त्रिपुरा में विनाशकारी बाढ़ आई । वहां पहले ही 50 राहत शिविर हैं । अनेक लोग मर गए हैं । खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं । क्या केन्द्रीय सरकार को त्रिपुरा सरकार से को प्रारम्भिक रिपोर्ट मिली है ? यदि हां, तो क्या सरकार त्रिपुरा सरकार को वित्तीय और अन्य सहायता देने के बारे में विचार कर रही है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसे किसी भी ज्ञापन पर भारत सरकार द्वारा उसकी प्राप्ति के बाद ही विचार किया जाता है । हम सातवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों और नीति के अनुसार सहायता देते हैं । आठवां वित्त आयोग इस समस्या पर विचार करेगा । कृषि मंत्रालय

अपने और संसद सदस्यों के विचारों को, जब कभी उसके ध्यान में आते हैं, उनके समक्ष रखता है। हमें आशा है कि प्राप्त अनुभव के आधार पर नया वित्त आयोग इन सभी बातों पर विचार करेगा और सम्भवत नई नीति का निर्माण करेगा ताकि प्राकृतिक विपत्तियों के समय केन्द्रीय सरकार राज्यों को सहायता देना जारी रखे।

श्री जोवियर अराकल : देश के एक भाग में भारी वर्षा के कारण फसलें नष्ट हो जाती हैं जबकि देश के दूसरे भागों में पिछले कुछ दशकों से सूखे के कारण फसलें नष्ट होती रही हैं। समितियों ने अपने प्रतिवेदन दे दिए हैं। माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि यह सरकार और योजना आयोग के विचारधीन है। मेरे प्रश्न के दो पहलू हैं। यह वास्तविकता है कि राज्य किसानों की सहायता नहीं करते क्योंकि राज्यों की अपनी वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है। इन परिस्थितियों में योजना आयोग और अन्य मंत्रालयों द्वारा विचार किये जाने तक केन्द्रीय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है। मेरे प्रश्न का महत्त्वपूर्ण भाग वस्तु बोर्ड के संबंध में है। केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यों को दी गई सहायता बोर्ड को नहीं मिलती। उदाहण के लिए राज्य सरकार को जो आप सहायता देते हैं उसमें से इलायची बोर्ड को कुछ नहीं मिलता है। इस स्थिति में क्या करना होगा।

मंत्री महोदय कृपया धन के अभाव और इलायची बोर्ड की विषम स्थिति के संबंध में सकारात्मक उत्तर दें।

राव वीरेन्द्र सिंह : महोदय कृषि मंत्रालय के पास राज्यों के स्रोतों अथवा राजस्व में वृद्धि करने की कोई योजना नहीं है। योजना आयोग से बाहर, मैं कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूं। माननीय योजना मंत्री यहां उपस्थित है। यदि राज्यों को अपने वित्तीय स्थिति को सम्भालने में कोई कठिनाई है, तो उन्हें योजना आयोग से सम्पर्क करना चाहिए और मेरे विचार में इस प्रकार का प्रश्न योजना आयोग को संबोधित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आर० पी० गायकवाड़ — उपस्थित नहीं

श्री मती सुमति उरांव — उपस्थित नहीं

श्री रामावतार शास्त्री — उपस्थिति नहीं

श्री राम अवध — उपस्थित नहीं

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय से अलग से बात कर लें। मैं इस प्रकार की अनुमति नहीं दूंगा। मैं अगले प्रश्न पर आ गया हूं।

नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स के प्रशिक्षणार्थियों के खर्च में कटौती

937. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी**
श्री रतन सिंह राजदा : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इंस्टीट्यूट आफ स्पोर्ट्स में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे खिलाड़ियों के भोजन पर खर्च की जाने वाली राशि को कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो यह राशि पिछली बार कब बढ़ाई गई थी;

(ग) इस राशि को कब से कम कर दिया गया है; और

(घ) इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : महोदय, सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने कार्यकारी अध्यक्ष होने के नाते लोक सभा क्रिकेट टीम का राज्य सभा क्रिकेट टीम के विरुद्ध सफल नेतृत्व किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह चाहे कुछ भी कहते रहें मैं केवल सुस्पष्ट प्रश्नों को अनुमति दूंगा।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : महोदय, मैं अपनी बधाई वापस लेता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : वापस लेने के लिए उन्हें सभा की अनुमति लेनी होगी।

श्री के० मायाथेवर : अनुमति नहीं दी जाती है। अतः यह कार्यवाही वृतान्त में रहेगी।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : प्रश्न की नोक किधर होनी चाहिए सिर/दिमाग की तरफ या दिल की तरफ ?

क्या मन्त्री महोदय मुझे बता सकते हैं कि अधिकारियों को समाचार पत्रों में यह कहते हुए कैसे उद्धृत किया गया है कि एशियाई खेलों के दौरान खर्चा 26 रुपया प्रतिदिन से कम करके 16 रुपया प्रतिदिन किया जा रहा है। मंत्रालय ने कभी इसका खण्डन नहीं किया है। अतः क्या मंत्री महोदय सभा को सूचित कर सकते हैं कि सही स्थिति क्या है और यह भ्रान्ति कैसे उत्पन्न हुई है ?

श्री बूटा सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य के साथ न्याय करना चाहता हूं। उन्हें कल 'मेन आफ दी मैच' घोषित किए जाने पर मैं बधाई देता हूं। कल के मैच में वह शानदार खेले और मुझे आशा है भविष्य में भी वह ऐसे ही खेल का प्रदर्शन करते रहेंगे और वेस्ट इंडीज के विरुद्ध भारत का नेतृत्व संभालेंगे।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : और संसद छोड़ देंगे।

श्री बूटा सिंह : मुझे खेद है। मैं स्वयं को सही करता हूं मेरे मित्र कहते हैं जब वह भारत चीन के विरुद्ध के दौरे पर आएंगे।

महोदय, यह सच है कि नवम् एशियाई खेलों के दौरान भोजन भत्ते, भोजन और निवास भत्ते को 16 रुपए से बढ़ाकर 26 रुपए कर दिया गया था। और यह मार्च, 1983 के अन्त तक जारी रहना था। सामान्य तौर पर राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला को एक परिपत्र भेजा गया जिसमें कहा कहा गया था कि चूंकि जिस अवधि के लिए भत्ता मंजूर किया गया था वह समाप्त हो गई है, अब पुरानी दर पर भत्ता दिया जाना चाहिए। परन्तु जैसे ही हमारे ध्यान में यह बात आई कि राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला और वहां प्राशिक्षण प्राप्त कर रही टीमों ने यह महसूस किया कि इस कटौती से उनके प्राशिक्षण कार्यक्रम पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, वैसे ही परिपत्र वापस ले लिया गया और 26 रुपये के पुराने भत्ते को जारी रहने दिया गया एक दिन के लिए भी इसमें कटौती नहीं की गई। भत्ता उसी पुरानी दर पर दिया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में दूसरा अनुपूरक प्रश्न आकश्यक नहीं है।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : नहीं। जब तक आप इसे अस्वीकार न कर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में उन्होंने सही उत्तर दिया है।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : इसका यह अर्थ तो नहीं कि मेरे पास पूछने को कोई और प्रश्न नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप निसन्देह प्रश्न पूछिए।

डा० सुब्राह्मण्यम स्वामी : जितना अधिक सही उत्तर देंगे उतने ही अधिक प्रश्न पूछे जायेंगे।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय को यह जानकारी है कि हमारे खिलाड़ियों के बारे में एक शिकायत यह है कि निरन्तर चलने वाले खेल के लिए उनमें क्षमता की कमी है। उदाहरण के लिए यदि खेल एक समय विशेष के बाद भी खेला जाता है, हाकी की मिसाल ही लीजिए वे एक समय विशेष तक खेलें परन्तु बढ़े हुए समय में वे क्षमना खो बैठते हैं। क्या सरकार की यह सुनिश्चि करने कोई नीति है कि अन्य देशों की भांति, जैसे कि चीन में खिलाड़ियों की ओर अत्याधिक ध्यान दिया जाता है और इसी कारण वे इस देश में आकर इतने अच्छे खेल का प्रदर्शन करते हैं। जबकि हमारे खिलाड़ियों का यह अंश कालिन काम है। क्या सरकार की कोई ऐसी नीति है जिसके अन्तर्गत लोगों को भत्ते की बजाए पूरा वेतन दिया जा सके ताकि उन्हें अपनी दैनिक समस्याओं के लिए चिन्ता न करनी पड़े और भारतीय खिलाड़ियों के खेल में सुधार हो ?

श्री बूटा सिंह : देश के विभिन्न खेल महा संघों द्वारा चुने गए खिलाड़ियों को संस्थान, पटियाला में प्राशिक्षण दिया जाता है। वास्तव में, सभी खेलों की टीमें तैयार करने की जिम्मेवारी इन महासंघों की है जो कि राष्ट्रीय खेल समिति के अधीन हैं।

इसी अवस्था में ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य और इस सभा को सूचित करना चाहता हूं ; कि राष्ट्रीय खेल संस्थान, पटियाला में युवक और युवतियों के शारीरिक

प्राशिक्षण के लिए व्यापक और आधुनिक तरीके हैं। इसी प्राशिक्षण की वजह से ही खिलाड़ियों में शेष विश्व के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा की क्षमता पैदा की जाती है।

वास्तव में, नवम एशियाई खेलों के दौरान युवक और युवतियों को शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक रखने के लिए हमने आधुनिक उपकरण मंगाए हैं। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कि प्रारम्भ में जब युवक और युवतियों को चुना जाता है, जब प्रतिभा का पता लगाया जाता है, तब अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए और यदि हम भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की योजना में सफल होते हैं तो हम राज्य सरकारों के सहयोग से माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री रास बिहारी बहेरा : क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या खेलों के विकास के लिए राष्ट्रीय खेल नीति बनाने और विभिन्न चरणों पर राष्ट्रीय खेल परिषदों को पुनरुज्जीवित करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री बूटा सिंह : राष्ट्रीय खेल नीति पहले बनाई जा चुकी है जिसका खेल मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय खेल परिषद द्वारा अनुमोदन किया गया है। हम नीति की व्यापक जांच कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है जैसे ही हम भारतीय खेल प्राधिकारण की स्थापना करेंगे, ऐसा करना संभव होगा। हमने सभी राज्य सरकारों की राय जान ली है। उनमें से अधिकांश ने नीति के प्रारुप पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं। अब इससे भारत सरकार इस सभा में राष्ट्रीय खेल नीति प्रस्तुत कर सकेगी।

"हुडको" द्वारा नई आवास योजनाएं

****940. श्री रवीन्द्र वर्मा**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह] क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी आवास विकास निगम (हुडको) ने कुछ नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये हाल ही में 54 करोड़ रुपये की धनराशि का नियतन किया है;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं का पूर्ण ब्यौरा क्या है;

(ग) इन्हें पूरा करने हेतु कितना समय निर्धारित किया गया है; और

(घ) इन योजनाओं के क्रियान्वयन के बाद आवास समस्या के किस हद तक हल होने की सम्भावना है ?

निर्माण और आवास मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) आवास तथा नगर विकास निगम ने 30 मार्च, 1983 को हुई अपने बोर्ड की 74वीं बैठक में 54 करोड़

रुपये की ऋण बचनबद्धता सहित 129 नई योजनाओं की मंजूरी दी है।

(ख) स्वीकृत नई योजनाओं के ब्यौरों का एक,विवरण सभा पटल पर रखा है।

(ग) परियोजना कार्यान्वियन अवधि अलग-अलग योजनाओं के अनुसार अलग-अलग है जो स्थानीय परिस्थितियों एवं परियोजना के आकार पर निर्भर होती है।

(घ) आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा 54 करोड़ रुपये की ऋण वचनबद्धता सहित स्वीकृत 129 नई योजनाओं से 59459 रिहायशी एककों के निर्माणार्थ और 7747 प्लाटों के विकासार्थ निधियों की व्यवस्था की जाएगी।

आवास तथा नगर विकास निगम द्वारा स्वीकृत नई आवास योजनाएं

30 मार्च, 1983 को हुई बोर्ड की 74वीं बैठक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपयों में)	स्वीकृत ऋण	स्वीकृत रिहायशी एकक	स्वीकृत प्लाट	लाभान्वित कस्बे नगर
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	5	3.10.	2.26	1540	19	ओंगली, विशाखापटनम पारगी और हैदराबाद
गुजरात	15	10.19	5.49	19822	—	सूरत, सुरेन्द्र नगर, राजकोट, बड़ोदा, पालनपुर और राज्य के ग्रामीण क्षेत्र
हरियाणा	1	2.41	1.61	636	—	हिसार
जम्मू और कश्मीर	1	0.20	0.14	54	—	श्री नगर
कर्नाटक	1	0 81	0.54	129	120	मणिपुर
केरल	9	8.28	4 98	1258	226	कोट्टायाम, कालूर, त्रिवेष्टम, त्रिचूर और कन्नानूर
मध्य प्रदेश	6	2.15	1.42	1776	—	ईटारसी, रीवा, दमोह, और ग्वालियर और राज्य के ग्रामीण क्षेत्र
पंजाब	3	1,35	0.67	2261	—	राज्य के ग्रामीण क्षेत्र
महाराष्ट	20	10.12	6.67	4428	—	मालेगांव, येओला, नासिक और नई बम्बई
उड़ीसा	1	0 40	0.28	84	—	तालचर

	2	3	4	5	6	7
राजस्थान	36	21.07	15.50	18585	6808	कोटा, जोधपुर, सूरतगढ़, बीकानेर जयपुर, अलवर, भिवाड़ी, श्री गंगा-नगर और राज्य के ग्रामीण क्षेत्र
तमिलनाडु	18	7.54	5.11	2409	95	ओडांचतरम, मद्रास, वेल्लोर, सिरुवां-गोड़ी, मितुर, कन्नूर, धरमापुरी, टिंडिवनम, एरोडी, कोयम्बटूर, थिम्मपुरा जीपुरम और सेलम.
उत्तर प्रदेश	12	12.14	8.94	6381	479	इलाहाबाद, आगरा, कानपुर, लखनऊ, मिरजापुर और मुरादाबाद.
पश्चिम बंगाल	1	0.85	0.54	96	—	दुर्गापुर
योग :	129	80.62	54.15	28459	7747	

श्री सत्येन्द्रनारायण सिंह : महोदय, विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार उन राज्यों में से नहीं है जिन्हें आवास परियोजनाओं के लिए ऋण लिए गए हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को केवल थोड़ा ऋण दिया गया है। उड़ीसा को केवल 28 लाख रुपये का ऋण दिया गया है और पश्चिम बंगाल को 54 लाख रुपये का। क्या मैं जान सकता हूं कि इन राज्यों को आवास योजनाओं के लिए कम ऋण क्यों दिया गया है। दूसरे आवास की भारी कमी को दृष्टिगत रखते हुए क्या मैं, यह जान सकता हूं कि क्या 'हुडको' के सक्षम सहकारी क्षेत्र के अतिरिक्त निजी आवास समूहों की सहायता करने का कोई प्रस्ताव है जिससे अधिक मकान बनाए जा सकें। तीसरे क्या हुडको से विश्व बैंक के ऋण का एक भाग आवास उद्देश्यों हेतु प्रदान करने का वायदा किया गया है और हुडको के अध्यक्ष इस संबंध में बातचीत करने हेतु अमरीका गए थे।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य को मार्च, 1983 के अन्त तक निवास इकाइयों और फ्लैटों के लिए स्वीकृत ऋणों की स्थिति का ज्ञान होना चाहिए। बिहार में हमने 37 योजनाओं लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति को स्वीकृति प्रदान की और इनकी परियोजना लागत 4105.98 लाख रुपये थी। कुल 2430.99 दी गई और विभिन्न वर्गों में स्वीकृत योजनाओं की संख्या इस प्रकार की आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए 32,237, अल्प आय वर्ग 3270 मध्य आय वर्ग 2100 उच्च आय वर्ग 406 और अन्य 467 कुल 38480 यह कहना ठीक नहीं होगा कि बिहार के लिए कोई ऋण स्वीकार नहीं किया गया है।

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य के हाथ में जो योजना है वह 'हुडको' योजना है। हुडको के समक्ष सम्पूर्ण चित्र नहीं है। उनका दृष्टिकोण विभिन्न परियोजनाओं पर आधारित है। हुडको मुख्यतः शहरी आवास, प्लाट विकास, माननीय आवास तथा कुछ सहकारी आवास संस्थाओं, निर्माण सामग्री और अन्य चीजों को देख रहा है।

मैंने जो आंकड़े दिए हैं वे सम्पूर्ण देश के हैं

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या 'हुडको' निजी सहकारी ग्रुपों को मकानों के निर्माण में सहायता देगा ताकि मकानों के अभाव को दूर करने के उनके प्रयासों में सहातता प्रदान की जा सके।

श्री बूटा सिंह : हुडको के पास शहरी भूमि उच्चतम सीमा विनियम अधिनियम की धारा 20 और 21 के अधीन दी गई भूमि पर निजी निर्माताओं द्वारा मकानों के निर्माण में सहायता करने का कार्यक्रम है। परियोजना लागता का 50 प्रतिशत हुडको द्वारा दिया जाता है और जहां 50 प्रतिशत इकाइयों से कम न हों वहां 'हुडको' बैंक गारंटी पर वित्त पोषण भी करता है। इस श्रेणी में ब्याज की दर 15 प्रतिशत है। 'हुडको की निजी सामूहिक आवास और सहकारी संस्थाओं का वित्त पोषण करने की स्कीम भी है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हुडको को आवास हेतु विश्व बैंक से मिले ऋण का एक भाग देने का वायदा किया गया है। और क्या 'हुडको' के अध्यक्ष इस संबंध में बातचीत करने हेतु अमरीका गए थे।

श्री बूटा सिंह : इसके लिए मुझे एक पृथक नोटिस की आवश्यकता है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष जी, श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह जी ने अंग्रेजी में प्रश्न पूछा है, इस वास्ते मैं हिन्दी में प्रश्न पूछना चाहता हूं। उनकी मातृभाषा हिन्दी है और मेरी मातृभाषा तेलुगु है। (व्यवधान) मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि, आबादी बढ़ाते जाओ, मकान बनाते जाओ, यह तो हो रहा है, लेकिन जितनी जमीन पर हम काश्त करने वाले हैं, यदि वह पूरी जमीन मकानों में, मन्दिरों में और कब्रिस्तानों में चली जाएगी तो आखिर में खेती करने के लिए हमारे पास जमीन नहीं रह सकेगी. इसलिए आप यह हुडको की स्कीम कब तक चालू रखना चाहते हैं, इसपर कभी फुलस्टाप लगने वाला है या नहीं ?

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष जी, अगर किसी के पास रहने के लिए मकान नहीं होगा तो यह कृषि कैसे करेगा। सबसे पहले तो यह होना चाहिए कि हर इन्सान के लिए सिर ढकने के लिए थोड़ी सी छत होनी चाहिए। इस वक्त करोड़ों किसान, मजदूर, प्लांटेशन में लगे हुए श्रमिक।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृषि भूमि को ले सकते हैं। परन्तु आप उस कृषि भूमि को नहीं ले सकते जहां गन्ना पैदा किया जा रहा है।

श्री बूटा सिंह : ठीक है सर।

श्री रामस्वरूप राम : मंत्री जी का जवाब देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था, लेकिन बिहार के लिए उन्होंने अपने आपको करेक्ट कर लिया है, यह बहुत खुशी की बात है। हुडको स्कीम सारे देश में चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि हुडको स्कीम में गांवों में कमजोर वर्ग के लोगों की असुविधा को दूर करने के लिए क्या योजना है ?

श्री बूटा सिंह : प्रादेशिक स्तर पर हाउसिंग बोर्ड योजनाएं बनाते हैं। हुडको ने ग्रामीण क्षेत्र के लिए 15 प्रतिशत राशि रखी है। उसमें भी अधिक से अधिक कमजोर वर्ग के लिए, जिनके पास कोई हटमेंट नहीं है, उनके लिए रखा गया है। उनको यह राशि न्यूनतम दर पर दी जा रही है।

श्री बनवारीलाल बरुआ : बिफोर लास्ट इयर राजस्थान में बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कमजोर वर्ग के मकानों को जो क्षति हुई थी, उसके लिए हुडको ने लोन दिया था। उस समय साढ़े 5 प्रतिशत ब्याज की बात कही गई थी। क्या इसमें बढ़ोतरी करने का विचार है ?

श्री बूटा सिंह : बाढ़ग्रस्त इलाके के लिए विशेष रूप से स्कीम बनाई गई होगी। सारे देश के लिए हुडको का पैटर्न एक है। शतप्रतिशत लोन 5 प्रतिशत की दर से दिया जाता है। यह स्कीम चलती रहती है। बाढ़ या सूखे से इसका संबंध नहीं है।

श्री आर० आर० भोले : जहां तक सहकारी आवास संस्थाओं 'हुडको' द्वारा सहायता देने का सम्बन्ध है मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा है । हमने बम्बई में सहकारी आवास संस्था बनाई थी और हम 'हुडको' से सहायता चाहते थे । हमारा अनुभव यह रहा है कि सभी विवरण देने के बाद आवेदन-पत्र कागजों का एक बड़ा बण्डल बन गया और हमें इनमें इतना अधिक विवरण देना था कि हमें पता नहीं था कि हम क्या लिख रहे हैं और शायद कार्यालय को भी यह पता नहीं था कि उन्होंने क्या सूचना मांगी थी । उन्होंने इसकी एक या दो वर्षों तक जांच की और अन्ततः उन्होंने एक या दो आपत्तियां उठाई । मैं माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सहकारी आवास सोसाइटी अथवा अन्य किसी के आवेदन-पत्र को 'हुडको' द्वारा एक निर्धारित समय में निपटाया जाएगा—यह समय वर्ष के लगभग हो सकता है । यहां तक कि एक वर्ष भी बहुत अधिक है क्योंकि निर्माण सामग्री तब तक बहुत महंगी हो जाती है । आप छः महीनों में इस पर निर्णय लें तो बेहतर होगा ।

श्री बूटा सिंह : अधिकांश लोगों को शिकायत है । मैं निश्चय ही इसकी जांच करूंगा । परन्तु 'हुडको' के अन्तर्गत सम्पूर्ण योजना सम्पूर्ण कार्यक्रम समयबद्ध होता है । यह एक समय विशेष से दूसरे समय विशेष तक निर्धारित होता है । मैं माननीय सदस्य द्वारा दिए गए सुझाव की जांच करूंगा । यदि सहकारी संस्थओं के साथ सही सलूक नहीं किया जाता है तो हम निश्चय ही इसकी जांच करेंगे और यह ध्यान रखेंगे कि सहकारी संस्थओं को भी समय बद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाए ।

श्री हीरा लाल आर० परमार : उपाध्यक्ष महोदय, एक गम्भीर सवाल की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । गुजरात में महसाना जिले के कलोल स्थान पर इफको के सामने हुडको द्वारा 300 मकान बनाए गए हैं जो गरीबों का भी मजाक उड़ा रहे हैं । ऐसे मकानों में चार साल से कोई रहने के लिए नहीं आया है ।

हुडको का कम से कम एक छोटे मकान का अंदाजा क्या है और जो अंदाजा है, जो कीमतें चल रही हैं, उनको देखते हुए ठीक है या नहीं है ?

श्री बूटा सिंह : हमारे पास जो सूचना है उसके मुताबिक गुजरात में शायद सारे देश से ज्यादा स्कीम्ज सैंक्शन हुई हैं । हाउसिंग स्कीम्ज के मामले में शायद गुजरात सबसे आगे हैं । प्रादेशिक स्तर पर प्रान्तीय सरकारी के जो हाउसिंग बोर्ड हैं वे ही मकान बनाते है, हुडकों उनको लोन असिस्टेंस देता है । यदि उसके इम्प्लेमेंटेशन में किसी प्रकार की कमी है, उनकी क्वालिटी में किसी प्रकार की कमी है और मौके पर जो बैनिफिशरीज हैं उनको मकान नहीं दिए जाते हैं, तो ऐसी सूचना हमारे पास भेजेंगे तो हम जांच करवाएंगे ।

श्री हीरा लाल आर० परमार : सौ मकान तीन साल से खाली पड़े हुये हैं । कोई आता ही नहीं है । क्या मजाक है ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : हुडको ने 1977 में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक अत्यन्त आकर्षण योजना बनाई थी जिसके अन्तर्गत उन्होंने झुग्गी झोंपड़ी वालों के लिए 8000 रुपये की सस्ती लागत पर मकान उपलब्ध कराए थे जिनमें बिजली और पानी के नल लगे हुये थे । मैं यह जानना चाहता

हूं कि क्या उस योजना को छोड़ दिया गया है । मैं यह जानना चाहता हूं कि हुडको ने झुग्गी-झोंपड़ी वालों के लिये आवास योजना को छोड़ दिया है क्योंकि कोई नई परियोजना देखने में नहीं आती।

श्री बूटा सिंह : जी नहीं । वास्तव में हम इसका विस्तार कर रहे हैं । इसे छोड़ा नहीं गया है । केवल दृष्टिकोण में थोड़ा सा अन्तर आया है। पहले यह था झुग्गी झोंपड़ियों को हटाया जाता था, अब वहां के रहन सहन में सुधार किया जायेगा । अब झुग्गी-झोंपड़ियों में रहन सहन के स्तर में सुधार किया जायेगा । उनके लिए स्वच्छता और पेयजल, सड़कों आदि के विकास की भी व्यवस्था की जायेगी । पहले जो योजना प्रचलित थीं उसमें 4000 रुपये की उच्चतम सीमा थी । अब इसे बढ़ाकर 6000 कर दिया गया है । इस 6000 की सीमा में भूमि की लागत शामिल नहीं है । हुडको इस योजना का 5% की पर प्रतिशत वित्त पोषण करती है । इस प्रकार यह योजना जारी है ।

आदिवासियों से सम्बद्ध वन नीति के लक्ष्य/उद्देश्य

***941. श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1894 की पुरानी वन नीति और उनके मंत्रालय द्वारा 1952 में अपनाई गई नई वन नीति के लक्ष्य और उद्देश्य क्या है;

(ख) क्या 1952 की नीति में 1894 की नीति से कुछ अन्तर था जबकि यह दावा किया गया था कि 1952 की नीति आदिवासियों के वन सम्बन्धी अधिकारों से सम्बद्ध 1894 की नीति का अनुसरण है;

(ग) यदि हां, तो वनों में और वनों के आसपास रहने वाली आदिवासी जनसंख्या पर नई नीति का कितना प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या 1894 की नीति में आदिवासियों को वनों पर "अधिकार और विशेषाधिकार" प्राप्त थे और 1952 की नीति में वे "अधिकार और रियायतें" बन गये और बाद में केवल "रियायतें" बन गये और अब "रियायतों" को भी छीन लिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुये आदिवासियों के वनों पर "अधिकारों और विशेषाधिकारों" को बने रहने देने के लिए उनके मंत्रालय और राज्यों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1894 तथा 1952 में घोषित वन नीतियों के मुख्य उद्देश्य नीचे दिये गये हैं :—

1894 की नीति—

(1) देश के सामान्य कल्याण का सम्बर्धन करना ।

(2) देश की जलवायु एवं भौतिक अवस्थाओं का संरक्षण करना ।

(3) जनता की आवश्यकताओं को पूरा करना ।

(क) स्थायी काश्तकारी को वानिकी से अधिक महत्त्व दिया जाये।

(ख) स्थानीय जनता को वन उत्पाद और अन्य सुविधाएं, यदि मुफ्त नहीं तो कम मूल्य पर प्रदान करके सर्वप्रथम उनकी जरुरतें पूरी की जायें और उस सन्तुष्टि की तुलना में वनों से होने वाली आय को गौण समझा जाये।

1952 की नीति—

(1) सन्तुलित एवं पूरक भूमि उपयोग की पद्धति का विकास करना।

(2) मृक्षरण की रोकथाम करना।

(3) वृक्ष-भूमि की स्थापना करना।

(4) चराई, कृषि उपकरणों के लिये छोटी लकड़ी और जलवान की लकड़ी की सप्लाई में वृद्धि करना।

(5) राष्ट्रीय जरूरतों के लिए इमारती लकड़ी एवं अन्य वन उत्पादों की अनवरत सप्लाई करना।

(6) उपरोक्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिकतम वार्षिक राजस्व की उगाही करना।

इस नीति में यह भी व्यवस्था है कि :—

(क) उत्पादक एवं रक्षात्मक दोनों प्रकार की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में वानिकी की भूमिका को देखते हुए इसका भूमि पर मूलभूत अधिकार है, तथा

(ख) स्थानीय जनता की जरूरतें समुचित सीमा में अवश्य पूरी की जाएं, परन्तु न राष्ट्रीय हितों का त्याग किया जाना चाहिए और न ही विद्यमान पीढ़ी की असावधानी की वजह से भावी पीढ़ी के अधिकारों और हितों का हनन किया जाये।

(ख) से (ङ) इन दोनों नीतियों में वनों पर आदिवासियों के अधिकार के सम्बन्ध में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था। तथापि देश में वन प्रबन्ध में आदिवासियों के अधिकारों, सुविधाओं, रियायतों और हितों को बराबर ध्यान में रखा जाता है।

श्री गिरिधर गोमांगो : मंत्री महोदय, अपने इतने लम्बे वक्तव्य को सभापटल पर रख सकते थे; इससे हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिक समय मिल जाता।

यह प्रश्न ढेबर आयोग द्वारा 1960-61 में दी गई सिफारिश से पैदा होता है जिसमें स्पष्ट रूप से वन नीति शब्द का प्रयोग किया गया है जिसके आधार पर मैंने प्रश्न बनाया है। परन्तु उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उन्होंने आदि वासियों से संबंधित उत्तर क्यों नहीं दिया है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि 1894 में अथवा 1952 की नीति में आदि वासियों के अधिकारों आदि का कोई उल्लेख नहीं है। यह उत्तर मैं अपने जवाब में पहले ही दे चुका हूँ।

श्री गिरिधर गोमांगो : भाग (ख) से (ङ) में दिए गये उत्तर में यह कहा गया है । "इन दोनों ही नीतियों में वनों पर आदिवासियों के अधिकार के संबंध में कोई विशेष उल्लेख नहीं किया गया था ।" मैं यह जानना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय को यह जानकारी है अथवा वन विभाग के पास ऐसा कोई रिकार्ड है कि पशुओं, पौधो तथा अन्य चीजों को छोड़कर वनों में और उनके दूर्द-गिर्द कुल कितनी आबादी है । और क्या उन्होंने इसे वन पुस्तिका में दर्ज कर रखा है ।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यदि उन्होंने कोई रिकार्ड रखा हुआ है तो बचने और यह कहने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि आदिवासी इन दोनों नीतियों तथा आदिवासियों के लिए अपनाई गई अगामी वन नीति के अन्तर्गत नहीं आते । केवल दो दिन पूर्व प्रधान मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि आदिवासियों के वन अधिकारी को इस आधार पर मान्यता दी जाएगी । मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूँ कि क्या उनके पास ऐसा कोई रिकार्ड है कि वनों में और उनके आस पास कितने लोग रहते हैं और आदिवासियों के हितों की सुरक्षा हेतु उनके मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय द्वारा नहीं—कौन-कौन सी योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : सरकार को वनों में, वनों के बाहर तथा उनके आसपास रहने वाले लोगों की संख्या का पता है । यद्यपि 1894 और 1952 की दोनों ही नीतियों में आदिवासियों का कोई उल्लेख नहीं था परन्तु विभाग ने अनेक अवसरों पर राज्य सरकारों को लघु वन उत्पाद को, जिस पर हम एकमात्र आदिवासियों का अधिकार समझते हैं, प्राप्त करने के संबंध में आदिवासियों के हितों की सुरक्षा हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं । इसे स्वीकार कर लिया गया है । एक बार तो आदिवासियों की आवश्यकताओं के बारे में एक कार्य दल की नियुक्ति की गई थी और उसके बाद राज्य सरकारों को मार्ग दर्शी सिद्धान्त जारी किए गये थे । यहाँ तक कि नई नीति निर्धारित करने के लिए सचिवों की एक समिति इसकी जांच करा रही है और 'ईंधन की आवश्यकता, शीर्ष के अन्तर्गत बनाई जाने वाली नीति में हमने तीन बातों का उल्लेख किया है जिनका उल्लेख मैं यहां सदस्यों के लिए करना चाहता हूँ ।

(1) परम्परागत रूप से वन स्रोतों पर आधारित आदिवासियों की अर्थ-व्यवस्था को बनाए रखने और उसे प्रोत्साहन देने की आवश्यकता ।

2. ग्रामीण तथा जनजाति के लोगों के लिए छोटी मोटी लकड़ी, छोटे वन उत्पादन ईंधन की लकड़ी तथा चरागाह की आवश्यकताओं की व्यवस्था करने की आवश्यकता ।

3. वन रोपण तथा अन्य विकास कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार संभावना के सृजन तथा ग्रामीण दस्तकारों को वनों पर आधारित उद्योगों के माध्यम से रोजगार प्रदान करने की आवश्यकता ।

इसका वन नीति में उल्लेख किया गया है—जो कि हमारी प्रस्ताबित नीति है—क्योंकि हम जनजातियों तथा उनके हितों की रक्षा करना चाहते हैं । सरकार जनजातियों को रोजगार प्रदान करने तथा उनके हितों का ध्यान रखने के बारे में पूर्णत: जागरुक है ।

श्री माधवराव सिंधिया—जनजाति कार्यक्रम तथा जनजातियों के कल्याण के लिए बनायी गयी परियोजनायें केवल तभी सफल हो सकती हैं जबकि जिनके लिए वे बनायी गयी हैं वे ही उनमें सहयोग दें। सदियों के शोषण की बजह से जनजाति स्वाभाविक रूप से किसी भी नव रचित विचार या परियोजना के बारे में संदेह करेंगे और आप उनसे बिना पूछताछ किये अन्धानुकरण करने की उम्मीद नहीं कर सकते। अतः विचारों को ऊपर से थोपने के बजाय जनजातियों के साथ पारस्परिक कार्य करने का प्रयास किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय ने आगे यह उल्लेख किया है कि अब जनजाति नीति के द्वितीय चरण के बारे से निर्णय लेने के लिए सचिवों की एक समिति बैठ रही है। क्या इससे किसी जनजाति के सदस्य को सम्मिलित किया गया है। मैं सरकार से जो कुछ जानना चाहता हूं वह यह है : कि क्या आपने राष्ट्रीय नीतियों तथा निर्माण की अवस्था में शिक्षित जनजाति के लोगों तथा उनके प्रतिनिधियों को इसमें सम्मिलित करने के लिए कोई कदम उठाने के बारे में विचार किया है ताकि जब आप उसका कार्यान्वयन करें तो उसको अधिक स्वीकृति तथा अधिक सहयोग मिल सके ? इसे बनाने की अवस्था में जनजातियों तथा उनके प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के लिए आप कौन से कदम उठाने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं समझता हूं यह सचिवों की समिति की अवस्था में है, माननीय सदस्य ने मेरा अभिप्रायः समझ लिया था। मेरा तात्पर्य था कि विभाग इसकी जाँच कर रहा है। एक प्रक्रिया होती है : नीति का निर्धारण विभिन्न सभाओं में होता है।

(व्यवधान)

पहले केन्द्रीय वन बोर्ड ने नीति निर्धारण किया था। फिर इस पर संसद सदस्यों की सलाहाकार समिति में चर्चा की गयी जहाँ पर जनजातियों के सदस्य होते हैं। हमने सलाहाकार समिति की एक बैठक में संसद सदस्यों की राय प्राप्त की गयी थीं और जहां कहीं सम्भव हो सकता था, नयी नीति में उनके मतों का समावेश कर लिया गया। इसके बाद यह मंत्रिमंडल सचिवालय को गयी जहां पर विभिन्न मंत्रालयों के सचिव आये, चर्चा की तथा सुझाव दिये—क्योंकि जनजातियों के हितों के लिए ग्रन्थिल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। वहाँ पर सचिव आये और जनजातियों के हितों के लिए अपनी राय दी—कि नयी नीति के अर्न्तगत उनको किस प्रकार से संरक्षण दिया जाना चाहिए। इसीलिए इसको सचिवों की समिति के पास भेजा गया है; वहाँ से यह मत्रिमंडल में भेजी जायेगी जहाँ पर जनजाति के मंत्री भी हैं। कृषि मंत्री भी हैं। जब मैं गृह मंत्रालय में था तो मैंने भी अनुसूचित जाति तथा जनजातियों की जनजाति उपयोजना का अग्रेषण किया था। हम सभी यहाँ पर उनके हितों की देखभाल करने के लिए हैं। और इस सबके ऊपर, प्रधान मंत्री हैं, जो कि जनजातियों तथा गरीब लोगों के कल्याण में बहुत अधिक रुचि रखती हैं। अतः जनजातियों के हितों की उपेक्षा नहीं की जायेगी। महोदय आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य तथा समूचे सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि जनजातियों के हितों का ध्यान रखा जायेगा।

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात मंत्री जी के उत्तर से संबंधित है, वह मेरी बात को सूचना मानकर बतायें कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में, बावजूद आपकी इस नीति के कि आदिवासियों के बरसों से आबाद घर मकान कुएं खेत बगैरा का संरक्षण किया जायेगा,

इस समय वन विभाग तेजी से उनको विस्थापित कर रहा है ? यही नहीं वहां जंगल के अधिकारियों द्वारा उनको मारने-पीटने की भी शिकायतें हैं। मध्यप्रदेश, उड़ीसा सब जगहों में ऐसा ही हो रहा है।

क्या मंत्री जी इस नीति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स को निर्देश देंगे कि जो आदिवासियों के राइट, कन्सैशन्ज हैं उनको पूर्ववत जारी रखा जाये और उनको विस्थापित न किया जाये आजकल जो लैंड सैटिलमैंट की कार्यवाही चल रही है, उसमें सारे अधिकार धारा 20 में प्रकाशित होते हैं जो कि आदिवासियों को मालूम नहीं होते कि कब प्रकाशित हुए। आज उनके मकान, पेड़ वन आदि को उजाड़ा जा रहा है, क्या मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि आदिवासियों को संरक्षण देने के लिये वह कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह बात सवाल से ताल्लुक नहीं रखती है, पालिसी के बारे में है। लेकिन माननीय सदस्त ने जब यह सवाल उठाया है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई भी स्पैसेफिक कम्पलेंट यदि ऐसी है तो वह हमें लिखें हम उसके बारे में कार्यवाही करेंगे। गाइडलाइन्स जो स्टेट गवर्नमैंट्स को दी हैं, उसमें ट्राइबल्स के हित की ही बात है।

श्री वित्त बसु : क्या माननीय मंत्री सभा को बतायेंगे कि क्या यह बात सरकार के ध्यान में लायी गयी है कि कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से बिहार के संथाल और छोटा नागपुर परगनों में, सरकार की साल के पेड़ों को काटने तथा टीक के वृक्षों को लगाने की नीति है। साल के पेड़ संजालवासियों तथा अन्य आदिवासियों द्वारा बड़े ही उपयोगी माने जाते हैं। सरकार की साल के पेड़ों को काटने तथा उनके स्थान पर टीक के पेड़ लगाने की नीति से जंगल के लोगों में बड़ा असंतोष पैदा हो गया है। क्या सरकार कृपया यह सुनिश्चित करेगी कि साल के पेड़ों का काटा जाना रोका जाये ताकि आदिवासियों को इससे होने वाली तकलीफों की संभावना न रहे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : साल के वृक्षों का काटा जाना रोका जा चुका है। परन्तु पर्यावरण के रखरखाव के लिए कुछ स्थानों पर पेड़ों को काटना पड़ता है और उनके स्थान पर पुनः वृक्षा रोपण किया जाता है। परन्तु साल के पेड़ों को संरक्षण दिया जा रहा है।

श्री चित्त बसु : समस्या यह है कि साल के पेड़ों को काटा जा रहा है। क्या आपने इस सम्बन्ध में सकारात्मक अनुदेश जारी किये हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमने साल के पेड़ों को काटे जाने के लिए आदेश दिये हैं।

श्री बृज मोहन महन्ती : महोदय मैं समझता हूं कि सरकार वन अधिनियम का संशोधन करने जा रही है। यदि हां तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो विशेषाधिकार तथा अधिकार सरकार द्वारा मान्य हैं उनको वन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में सम्मिलित किया जायेगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, माननीय सदस्य ने एक उचित प्रश्न पूछा है। भारतीय वन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में हमने जन जातियों के हितों तथा उन्हें रोजगार प्रदान करने के लिए कुछ प्रावधान किये हैं।

श्री बृज मोहन महन्ती : महोदय मैं जानना चाहता हूं कि जो अधिकार विशेषाधिकार जन जातियों को प्राप्त हैं क्या उनको प्रस्तावित संशोधन में सम्मिलित किया जायेगा ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : जी हां, उनको सम्मिलित किया जायेगा । यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं और सभा मुझे अनुमति दे देती है तो हम जो कुछ संशोधन में सम्मिलित करने जा रहे हैं उसको बतला सकता हूं ।

श्री के० मायातेवर : महोदय हम उपनिवेशवादी नीति का अनुकरण कर रहे हैं जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा 1894 में बनाई गई थी । और स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद 35 वर्षों में भी, मैं दुख के साथ कहता हूं कि कोई आमूल परिवर्तन नहीं किये गये । 1954 के संशोधन में भी भारतीय वन अधिनियम में कोई व्यापक संशोधन या आधारभूत परिवर्तन नहीं किए गये । मैं माननीय तथा योग्य एवं कार्य कुशल मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की ऐसी कोई योजना है जिससे अधिनियम में संवैधानिक तथा आमूल परिवर्तन किये जा सकें जो वर्तमान वातावरण के अनुरूप हो और जन जातियों के हितों की रक्षा की जा सके तथा साथ ही साथ बादलों और वर्षा को भी आकर्षित कर सके । महोदय, एक कनाडा के पर्यावरण वैज्ञानिक के अनुसार जिसके विचार हाल ही में एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुए थे, केरल तथा तमिलनाडु दोनों राज्य शीघ्र ही मरुस्थल में परिवर्तित होने जा रहे हैं क्योंकि सभी—वृक्षों टीक वृक्ष, साल के वृक्षों तथा अन्य बहुत महत्वपूर्ण वृक्षों—को सरकार या किसी अन्य द्वारा चाहे वह सत्ता में हो या बाहर गिरा दिया गया है । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि सरकारद्वारा केरल तथा तमिलनाडु के जंगलों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजनायें बनायी हैं जिनके बारे में कनाडा के वैज्ञानिकों ने टिप्पणी की है कि वे रेगिस्तान में परिवर्तित होने जा रहे हैं ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय मैं माननीय सदस्य को सूचित कर सकता हूं कि भारत सरकार को इसके बारे में जानकारी है इसीलिए हमने उन्हीं आधारों पर जिनका अब वे सुझाव दे रहे हैं, संविधान का संशोधन किया है । एक संवैधानिक संशोधन किया गया है और वनों को समवर्ती सूची में रखा गया है । और केन्द्रीय कानून राज्य के कानूनों से ऊपर होते हैं । इसलिये वन संरक्षण तथा भारतीय वन अधिनियम का राज्य के कानूनों से अधिक महत्व है ।

अब हम वन अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव कर रहे हैं जिनमें हम कुछ ऐसी धाराओं की व्यवस्था कर रहे हैं जिनके द्वारा जन जातियों के हितों की रक्षा की जायेगी । वृक्षों को गिराया जाना सरकार को चिन्ता का विषय है और हमने पर्याप्त उपाय किये हैं और सरकार इस बात की निगरानी कर रही है कि कोई राज्य सरकार अथवा कोई भी एन्जेसी बनों में उन वृक्षों को न गिरायें ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

वर्ष 1992 के ओलम्पिक खेल कराने के लिए मत तैयार करने का निर्णय

933. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :** क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अन्ततः वर्ष 1992 के ओलम्पिक खेल कराने के लिये मत तैयार करने का निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बारे में तैयारी संबंधी कार्य शुरू हो गया है तथा सूचना-पुस्तिकाएं, फिल्में तथा भारत की राजधानी में उपलब्ध सुविधाओं सम्बन्धी आँकड़े प्रकाशित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) भारतीय ओलम्पिक संघ को देश में उपलब्ध सुविधाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिये किसी सरकारी निर्णय की आवश्यकता नहीं है । भारतीय ओलंपिक संघ के अनुसार औलम्पिक खेल, 1992 के आयोजन के लिये औपचारिक आवेदन-पत्र 1984 अथवा 1985 में अन्तराष्ट्रीय ओलम्पिक समिति द्वारा आमन्त्रित किए जाएंगे । अतः इस मामले में सरकार निर्णय लेने की स्थिति में नहीं आई है ।

(ख) और (ग) : अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने, जो ओलंपिक खेलों को किसी भी नगर को अन्तिम रूप से आबंटित करने से सम्बन्धित हैं, जब उन्होंने हाल ही में अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के 86 वें सत्र के समय नई दिल्ली का दौरा किया तब यहाँ उपलब्ध सुविधाओं को स्वयं देखा था ।

राज्य सरकारों के दिल्ली में तैनात कार्मिकों की रिहायशी आवास के लिए पात्रता

934. **श्रीमती सुमति उरांव :** क्या निर्माण और आवास मंत्री निम्नलिखित जानकारी वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों के दिल्ली में तैनात कार्मिक भी सम्पदा निदेशालय द्वारा दिल्ली में रिहायशी मकानों के आबंटन के पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अनेक क्वार्टर नियत किये जाते हैं;

(ग) ऐसे अधिकारियों का दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण हो जाने के बाद, ऐसे आबंटित आवास को नियमों के अधीन कितनी अधिकतम अवधि तक और किन विशिष्ट कारणों से रखा जा सकता है; और

(घ) क्या इन नियमों का कोई अपवाद है, यदि हाँ, को तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, राज्य सरकारों के अधिकारियों जो दिल्ली/नई दिल्ली में उनके सम्पर्क कार्यालयों में पदस्थ किए जाते हैं, को प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर निर्भर सीमित आधार पर राज्य सरकारों के साथ परस्पर वास प्रबन्ध के अन्तर्गत सामान्य पूल वास से आबंटन के लिए विचार किया जाता है ।

(क) जी, नहीं ।

(ग) दिल्ली से बाहर स्थानान्तरण होने पर आबंटी अधिकारी उसी लाइसेंस फीस के भुगतान पर जैसा कि वह अदा कर रहा था, दो महीने की अवधि के लिए सामान्य पूल वास रख सकता है । तत्पश्चात्, अधिकारी को विशेष मामले मे नियमों के अन्तर्गत यथा व्यवस्थित बढ़ाए गए लाइसेंस फीस के भुगतान पर 6 महीने की अधिकतम अवधि के लिए मकान रखने के लिए सम्पदा निदेशक द्वारा अनुमति दी जा सकती है । ऐसे मामलों पर सामान्यता चिकित्सा या शिक्षा के आधार पर विचार किया जाता है ।

बिहार में नहरों को नया रूप दिया जाना

***935. श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए राज्य में नहरों को नया रूप देने के लिए संशोधित परियोजना रिपोर्ट भेजी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

(घ) जी, नहीं ।

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) बिहार सरकार से प्राप्त काँची सिंचाई स्कीम के पुनर्रूपण के लिये आशोधित परियोजना रिपोर्ट योजना आयोग की सलाहकार समिति द्वारा 6-1-83 को स्वीकृत कर ली गई है । राज्य के वित्त विभाग की सहमति योजना आयोग को अभी प्रस्तुत की जानी है ।

इस स्कीम से, जिस पर 485 57 लाख रुपए लागत आने का अनुमान है, राँची जिले के 16190 हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा ।

कमला सिंचाई, सोन नहर, दुर्गावती और कर्मनासा नहर प्रणालियों और साथ ही, खुदिया जलाशय स्कीम के पुनर्रूपण के लिए केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुये आशोधित रिपोर्ट अभी तक बिहार सरकार से प्राप्त नहीं हुई हैं ।

उत्तर प्रदेश को खाद्यान्नों और खाद्य तेलों की सप्लाई

*936 **श्री राम अवध** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अधिक खाद्यान्न और खाद्य तेलों की सप्लाई के लिये उत्तर प्रदेश सरकार से कोई माँग प्राप्त हुई है ताकि राज्य सरकार राज्य में जनता की माँग पूरी कर सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) और (ख) : उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुरोध किया है कि उन्हें जून, 1983 मास के लिए 2,00,000 मीटरी टन खाद्यान्नों का आबंटन किया जाये जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 1,00,000 मीटरी टन चावल, 50,000 मीटरी टन गेहूं और रोलर फ्लोर मिलों के लिए 50,000 मीटरी टन गेहूं होना चाहिए । उन्होंने तेल वर्ष 1982-83 के लिए 42,000 मीटरी टन खाने के आयातित तेल और प्रति मास 50 मीटरी टन तोरिये का तेल आबंटित करने के लिए भी अनुरोध किया है ।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद गठित करना

938. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री बी० वी० देसाई] क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित करने और जल परियोजनाओं के बारे में अन्तर-राज्यीय विवादों को हल करने हेतु 41 सदस्यों की राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद गठित की गई;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या है और इसका कार्य क्षेत्र और कृत्य क्या होंगे; है और

(ग) क्या राज्य सरकारें भी इससे सम्बद्ध की गई हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) किसी नदी बेसिन का इष्टतम विकास करने के लिए जल संसोधनों के विकास की योजना बनाने के लिए सम्पूर्ण नदी बेसिन को यूनिट के रूप में समझा जाना अपेक्षित होता है। तथापि, भारत में बड़ी नदियों का स्वरूप अन्तर्राज्यिक होने के कारण, अलग-अलग राज्यों के लिए इन नदियों के संबंध में एकीकृत ढंग से व्यापक योजनाएं तैयार करना अभी तक संभव नहीं हो

सका है और इसलिए, यह महसूस किया गया है कि विभिन्न लाभकारी प्रयोगों के लिए जल संसाधनों का उपयोग करने के वास्ते राष्ट्रीय स्तर पर योजना बनाने का काम आरंभ किया जाना चाहिए ताकि उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम खुशहाली और इष्टतम लाभ प्राप्त किए जा सकें। तदनुसार, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में, हाल में, 26 मार्च, 1983 को राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का गठन किया गया है जो सर्वाधिक राष्ट्रीय हितों के अनुसार जल संसाधनों का विकास और उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने हेतु एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करेगी।

राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् का कार्यक्षेत्र और कार्य निम्नलिखित हैं :—

(1) राष्ट्रीय जल नीति निर्धारित करना तथा समय-समय पर इसकी पुनरीक्षा करना।

(2) राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण, नदी बेसिन आयोगों, आदि द्वारा इसे प्रस्तुत की गई जल विकास संबंधी योजनाओं (वैकल्पिक योजनाओं सहित) पर विचार करना तथा उनकी पुनरीक्षा करना।

(3) जल संबंधी योजनाओं की ऐसे आशोधनों के साथ, जो कि उपयुक्त और आवश्यक समझे जाएं, स्वीकृति की सिफारिश करना।

(4) ऐसे और आगे अध्ययन करने के लिए निर्देश देना जो योजनाओं अथवा उनके संघटकों पर सम्पूर्ण रूप से विचार करने के लिए आवश्यक हों।

(5) जल संबंधी योजनाओं के विशिष्ट तत्वों के संबंध में अन्तर्राज्यिक मतभेदों और ऐसे अन्य मामलों के संबंध में, जो परियोजनाओं के आयोजन अथवा क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न हो जायें, हल करने की पद्धतियों के बारे में परामर्श देना।

(6) इष्टतम विकास और जनता को प्राप्त होने वाले अधिकतम लाभों को ध्यान में रखते हुए, निभिन्न लाभभोगियों द्वारा जल संसाधनों के उचित वितरण तथा उपयोग के लिए प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों, प्रशासनिक प्रबंधों तथा विनियमनों के संबंध में परामर्श देना।

(7) ऐसी अन्य सिफारिशें करना जिनसे विभिन्न क्षेत्रों में जल संसाधनों के शीघ्रतापूर्वक तथा पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ और किफायती विकास को प्रोत्साहन मिले।

इस समय गठित की गई राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद् में 41 सदस्य हैं। प्रधान मंत्री तथा केन्द्रीय मंत्री और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मंत्री, संघ राज्य क्षेत्रों के उप-राज्यपाल/मुख्य आयुक्त/प्रशासक इस परिषद् के सदस्य हैं। परिषद् की बैठक, जब भी आवश्यक हो, और वर्ष में कम-से-कम एक बार आयोजित किये जाने की प्रत्याशा है।

वन क्षेत्रों में रह रहे आदिवासी लोगों का विकास

939. **श्री एन० ई० होरो**
श्री के० प्रधानी] क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने वन क्षेत्रों के बारे में कोई अध्ययन किया है जहां आदिवासी लोग

आरम्भ से ही वन उत्पादों, जैसे फल देने वाले पेड़ लगाने, शहद, लकड़ी आदि के द्वारा अपनी जविका•कमाते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के क्या नाम हैं, जहां इस प्रकार के आदिवासी लोग इस कार्य में लगे हैं; और

(ग) इन राज्यों में ऐसे आदिवासी लोगों के विकास के लिए यदि सरकार कोई वित्तीय सहायता देती है और इस संबंध में कोई योजनायें हैं, तो वह क्या हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) भारतीय प्रशासनिक कर्मचारी महाविद्यालय, हैदराबाद ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुरोध पर चार राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में आदिवासी विकास कार्यक्रमों के सन्दर्भ में लघु वन उत्पाद सम्बन्धी एक अध्ययन आयोजित किया।

(ख) आदिवासी सामान्यत: अपनी जीविका वनों से चलाते हैं और निम्नलिखित राज्यों। संघ शासित क्षेत्रों में रहते हैं :—

1. आन्ध्र प्रदेश
2. असम
3. बिहार
4. गुजरात
5. हिमाचल प्रदेश
6. कर्नाटक
7. कैरल
8. मध्य प्रदेश
9. महाराष्ट्र
10. मणिपुर
11. मेघालय
12. नागालैण्ड
13. उड़ीसा
14. राजस्थान
15. तमिलनाडु

16. त्रिपुरा

17. उत्तर प्रदेश

18. पश्चिम बंगाल

19. अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह

20. अरुणाचल प्रदेश

21. दादरा और नगर हवेली

12. गोवा, दमन और दीव

23. लक्ष्य द्वीप

24. मिजोरस

(ग) वानिकी क्षेत्र की निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्र की/केन्द्र द्वारा आयोजित योजनाओं में आदिवासियों के सम्बन्ध में धनराशि रिर्धारित की गई है :—

क्रम सं०	योजना का नाम	छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कुल परिव्यय (लाख रुपये)	आदिवासियों के लिए निर्धारित धनराशि
1.	लाख की खेती (केन्द्रीय क्षेत्र)	25.00	8.75
2.	काष्ठ निष्कासन प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना (केन्द्रीय क्षेत्र)	200.00	67.00
3.	ग्रामीण ईधन की लकड़ी के बागानों सहित सामाजिक वानिकी (केन्द्रीय प्रायोजित)	5000.00	850.00

4. हिमाचल क्षेत्र में मृदा, जल और वृक्ष संरक्षण (केन्द्रीय प्रायोजित)	1500.00	195.00
5. झूम खेती के नियंत्रण सम्बन्धी मार्गदर्शी परियोजना	99.410	99.410

यह योजना मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

उड़ीसा में धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए इटली की सहायता

*942. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इटली की सरकार ने उड़ीसा में धान का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम सहित कृषि परियोजनाओं के लिए अनुदान देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो अनुदान की शर्तें क्या हैं और फार्म परियोजनाओं का, विशेष रूप से उड़ीसा राज्य में, ब्यौरा क्या है;

कृषि मंत्री (राय बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) इटली की सरकार ने निम्नलिखित दो कृषि परियोजनाओं के लिए सहायता की पेसकश की है :—

1. उड़ीसा, मध्य प्रदेश और हरियाणा में समेकित विकास। इस परियोजना के अंतर्गत इन तीनों राज्यों में परियोजनाओं में उपयोग की जाने वाली सहायता की प्रस्तावित कुल धनराशि 130 लाख अमरीकी डालर है। यह अनुदान उर्वरक, ट्रक, ट्रैक्टर, फार्म मशीनरी, उपकरण तथा तकनीकी सहायता के रूप में होगी। प्रत्येक राज्य में मोटेतौर पर एक लाख हैक्टर क्षेत्र शामिल करने का विचार है और यह परियोजना वास्तविक रूप से शुरू होने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष तक की अवधि तक चलाई जाएगी।

2. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों में बादाम, जैतून और अन्य फसलों का वर्धित उत्पादन। इस परियोजना के लिए सहायता की प्रस्तावित धनराशि परियोजना की कुल लागत का 57 प्रतिशत अर्थात् 33 लाख अमरीकी डालर है। यह सहायता तीन उत्तरी राज्यों, अर्थात् उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एवं कश्मीर में समशीतोष्ण जलवायु के फलों की फसलों के विकास के लिए होगी, ताकि इन तीन राज्यों में फल वृक्ष उद्यान लगाए जा सकें, स्थानीय लोगों को प्रशिक्षप दिया जा सके और फल उत्पादन, परिसंस्करण और विपणन का विकास करने के लिए लघु कृषि उद्योग एककों की स्थापना की जा सकें।

आयातित खाद्य तेल

*943. **श्री भीकूराम जैन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु आयातित खाद्य तेलों का आवंटन बढ़ाने और उन्हें सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने तथा तत्संबंधी व्यवस्था में सुधार करने का सरकार का विचार है; और

(ख) क्या आयातित खाद्य तेलों का अन्य देशी तेलों के साथ मिलाया जाना रोकने के लिये सरकार ने कदम उठाये हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण के लिए आयातित खाद्य तेलों का आवंटन विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए प्रतिमाह किया जाता है, जैसे इनकी माँग, इनकी खपत का स्वरूप, राज्य अथवा क्षेत्र में देशी खाद्य तेलों की उपलब्धता, राज्य व्यापार निगम के पास उपलब्ध स्टाक, पहले किये गये आवंटनों को उठाने की गति, आयातित खाद्य तेलों के स्टाक की उपलब्धता आदि। अप्रैल, 1983 से राज्य सरकारों को किये जाने वाले आवंटन की मात्रा में वृद्धि की गयी है।

राज्यों को आयातित खाद्य तेल पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर दिये जाते हैं। राज्यों को सलाह दी गयी है कि वे वितरण संबंधी ऊपरी-खर्चों को कम-से-कम रखते हुए अन्तिम-खुदरा मूल्य नियत करें, ताकि उपभोक्ताओं को वे तेल उचित मूल्य पर उपलब्ध हो सके। यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है कि वे प्रत्येक कार्डधारी को प्रति मास देने के लिए यर्थाथपरक कोटा नियत करें, नागरिक पूर्ति विभाग के अधिकारियों द्वारा दुकानों का नियमित निरीक्षण करायें और इस प्रणाली को सुप्रवाही तथा कारगर बनाने के लिए सभी उपाय करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातित तेल राज्यों में उपभोक्ताओं के बीच उचित मात्रा में वितरित किये जायें। आयातित तेल उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को शीघ्र वितरित किये जाते हैं और राज्य सरकार के नागरिक पूर्ति कर्मचारी यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार निरीक्षण करते रहते हैं कि इसे दूसरे तेलों में न मिलाया जाए। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के तहत भी खाद्य तेलों का अधिमिश्रण निषिद्ध है।

राष्ट्रीय हाकी अकादमी की स्थापना

944. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या खेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन हाकी फैडरेशन ने नेशनल हाकी अकादमी की स्थापना करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था और उक्त खेल में सुधार करने के लिऐ अन्य सिफारिशें की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हैं; और

(घ) इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) :

भारतीय हाकी संघ ने अभी हाल ही में "भारतीय हाकी टीम के लिए शिक्षण नीति" नामक एक दस्तावेज (पेपर) प्रस्तुत किया है। उस दस्तावेज में की गई मुख्य सिफारिशें जिन पर सरकार को विचार करना है तथा जिनमें राष्ट्रीय हाकी अकादमी की स्थापना करना भी शामिल है, सभा पटल पर रखे गए विवरण में दी गई है।

(ग) : सरकार खेल के स्तर को बढ़ाने के लिए भारतीय हाकी संघ की चिन्ता की सराहना करती है।

(घ) : शिक्षण में विशेषज्ञ निकाय होने के नाते नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, से विशेषज्ञों के सेमिनार में उपर्युक्त (क) में संदर्भित दस्तावेज पर शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया गया है। इसी बीच, सरकार ने भारतीय हाकी संघ के सुझाव पर, संभावित खिलाड़ियों के लिए 16.5.83 से 10.7.83 तक शिक्षण शिविर पहले ही संस्वीकृत कर दिए हैं।

विवरण

भारतीय हाकी संघ से सम्बन्धित उप समिति की सिफारिशें

(1) 1984 ओलम्पिक तथा जूनियर वर्डकप के लिए यथा प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदित किए जाएं।

(2) बेहतर समन्वय, सूचना प्रसार, प्रतिभा का पता लगाने तथा प्रतियोगिता प्रशिक्षण शिविर/सेम्मिनार आयोजित करने के लिए जिला स्तर, राज्य स्तर, स्कूल स्तर तथा कालेज स्तर पर एक अधिक प्रभावी तथा, गतिशील संगठन का सृजन करने की आवश्यकता है।

(3) प्रशिक्षण शिविरों की अवधि के दौरान खिलाड़ियों, प्रशिक्षक, प्रबन्धक का दैनिक भत्ता बढ़ाकर क्रमश: 30/- रुपये तथा 50/- रुपये कर दिया जाए और प्रबन्धक को आकस्मिक व्यय के लिए 2000/- रुपये दिये जाने चाहिएं।

(4) विदेशों के दौरों में, प्रशिक्षक तथा प्रबन्धक के अलावा, एक तकनीकी पर्यवेक्षक अधिमानत: वीडो कैमरा मैन, खेल औषधि में विशेषज्ञ डाक्टर तथा सशहूर सहित एक्सोलीम्पियन तथा प्रशिक्षण समिति का सदस्य टीम के साथ जाने चाहिएं।

(5) जूनियर/वरिष्ठ राष्ट्रीय प्रतियोगिता के दौरान प्रशिक्षण तथा रैफरी सम्बन्धी सेमिनार आयोजित किए जाने चाहिएं।

(6) सरकार से अनुरोध किया जाये कि वे उद्दीयमान युवा खिलाड़ियों को जीविका के आश्वासन के साथ-साथ शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा संगठन प्रदान करने, अनुशासन की भावना भरने, चरित्र का निर्माण करने, हाकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय हाकी अकादमी एक ऐसे उपयुक्त स्थान पर स्थापित करें जिसका जलवायु एन०डी०ए०, खडकवासला, पूणे के जलवायु के अनुरूप हो।

(7) सारे देश में उपयुक्त स्थानों पर अधिक कृत्रिम घास लगाई जानी चाहिये तथा कोइर

टर्फ के उपयोग को पता लगाकर देशज कृत्रिम घास के लिए प्रयास किये जाने चाहिएं।

(8) धन/संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए प्रभावी कार्रवाई, समीक्षा प्रगति तथा बजट परिव्यय पर विचार-विमर्श की योजना बनाने के लिए, सरकार को भा०हा०सं० राज्य खेल परिषदों, अखिल भारतीय स्कूल बोर्डों, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय बोर्ड, रा०खे०सं० के प्रतिनिधियों के साथ प्रत्येक वर्ष बैठक आयोजित करनी चाहिये।

(9) भा०हा०सं० के एक वरिष्ठ सदस्य, जो एफ०आई०एच० से सुसम्बद्ध है तथा हाकी खेल खेला हुआ है को सभी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं देखनी चाहिये ताकि वह अन्तर्राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ मैदान की स्थिति के सम्बन्ध में कार्रवाई कर सके और उसे पर्याप्त विदेशी मुद्रा दी जानी चाहिये।

(10) जिन स्थानों पर कृत्रिम घास उगाई गई है वहां पर पुंज प्रकाश (फील्ड लिट) होना चाहिए ताकि वर्ष भर खेल-मैदानों का बेहतर उपयोग किया जा सके।

(11) अधिमानतः शारीरिक प्रशिक्षण के सैनिक स्कूल, पूण का एक शारीरिक प्रशिक्षक तथा कावलधाम योगा संस्थान लोनावाला का अनुसंधान डाक्टर प्रथम/द्वितीय अनुकूलन शिविर के लिए उपलब्ध किये जाने चाहिएं।

(12) दूरदर्शन से रविवार/छुट्टियों (सुबह) को हाकी की मूल बातों पर कम से कम एक घंटे प्रशिक्षण शृंखला शुरू करने तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं पर फिल्म दिखाने का अनुरोध किया जाना चाहिये।

पीने के पानी की कमी

945. **श्रीमती किशोरी सिन्हा**
श्री बापू साहिब पारलेकर] क्या **निर्माण और आवास** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में प्रकाशित इस आशय के समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि देश में विभिन्न भागों में पीने के पानी की भारी कमी हो गई है;

(क) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई तत्काल उपाय किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी, क्षेत्रवार, ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

सरकार इस बात से अवगत है कि सूखे के परिणामस्वरूप पीने के पानी की कमी निम्न-

लिखित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के विभिन्न भागों में अनुभव की जा रही है :—

1. आन्ध्र प्रदेश	2. बिहार
3. गुजरात	4. हरियाणा
5. केरल	6. कर्नाटक
7. मध्य प्रदेश	8. महाराष्ट्र
9. उड़ीसा	10. राजस्थान
11. पश्चिम बंगाल	12. उत्तर प्रदेश
13. पाण्डिचेरी	14. तमिलनाडू

इस विषय में सरकार ने निम्नलिखित तत्काल उपाय किए हैं :—

(क) राज्यों को प्रभावित क्षेत्रों में पेय जल पूर्ति की सुविधाएं मुहैया करने के लिए व्यय करने की स्वीकृति दी गई है। राज्य वार ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गये हैं।

(ख) सचिव (कृषि तथा सहकारिता) ने 16, 19 तथा 20 अप्रैल, 1983 को सूखे से प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ बैठकें की। इन बैठकों में पेयजल की कमी का सामना करने के लिए एक कार्यवाही योजना अपनाई गई। सुझाई गई कार्यवाहियों के बीच अधिकतम संख्या में ड्रिलिंग रिगों का उपयोग तथा उनका तीन शिफ्टों में प्रचलन, उन ग्रामों का पता लगाना जहाँ जल पहुंचाने के लिए संगठनात्मक प्रबन्ध हों को अन्तिम रूप देने के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए इन ग्रामों को निरन्तर जल पूर्ति की जाती है, ट्यूबवैलों तथा हैण्ड पम्पों आदि का उचित अनुरक्षण करना शामिल हैं।

(ग) कृषि विभाग में रिलीफ कमिश्नर की अध्यक्षता में एक अन्तरविभागीय समिति गठित की गई है जिसकी पाक्षिक एक बैठक होती है और यदि आवश्यक हो तो पेयजल की स्थिति का प्रबोधन करने के लिए कई बार होती है। राज्यों को भी ऐसी ही प्रबोधन समितियां गठित करने को कहा गया है।

(घ) यूनीसेफ से अनुरोध किया गया है तथा वे 8000 हैण्डपम्प सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में उपयोग के लिए देने को सहमत हो गये हैं।

(ङ) रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे के महाप्रबन्धकों को सूखे से प्रभावित राज्यों में पेयजल के परिवहन की सुविधाएं विस्तृत करने के अनुदेश जारी कर दिए हैं।

राज्यों ने विश्वास दिलाया है कि वे आगामी गर्मियों में पेयजल की समस्या की पूर्ति करने में समर्थ होंगे।

1982-83 तथा 1983-84 (जून 1983 तक) के दौरान जलपूर्ति क्षेत्र में सूखा सहायता के लिए व्यय की सीमा तथा नियतन प्रदर्शित करने वाला विवरण (करोड़ रुपयों में)

पेय जल पूर्ति

क्रम सं०	राज्य	योजना भिन्न सीमा		योजना सीमा	
		1982-83	1983-84	1982-83	1983-84
1.	आन्ध्र प्रदेश	1.25	—	17.75	—
2.	बिहार	0.70	—	0.69	0.60
3.	गुजरात	0.60	0.08	7.20	2.54
4.	हरियाणा	—	—	2.53	—
5.	केरल	—	—	0.60	0.6075
6.	कर्नाटक	0.10	0.40	7.46	5.13
7.	मध्य प्रदेश	0.32	—	9.42	—
8.	महाराष्ट्र	5.00	2.50	15.50	5.33
9.	उड़ीसा	—	0.30	1.80	3.47
10.	राजस्थान	0.69	0.93	24.26	—
11.	तमिलनाडू	0.52*	0.93	1.684	13.48
12.	पश्चिम बंगाल	1.00	—	7.00	—
13.	पाण्डिचेरी	—	—	0.30	0.02

* सितम्बर, 1983 तक

राजस्थान में आदिवासी क्षेत्रों के लिए कृषि विकास कार्यक्रम

946. **श्री जय नारायण रौत** : क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विकास के लिए क्रियान्वित किये जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में इस प्रयोजन के लिए राजस्थान सरकार को कितनी राशि की केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1983-84 के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए शुरू किये गये विशिष्ट कृषि विकास कार्यक्रम तथा उनकी उपलब्धियां सभा पटल पर रखे गये **विवरण** में दी गई हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी०—6670/83]

आदिवासी क्षेत्रों में कृषि विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा राजस्थान को नीचे लिखी विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई थी :—

वर्ष	विशेष केन्द्रीय सहायता (लाख रुपए में)
1980-81	7.27
1981-82	6.58
1982-82	8.00

(घ) 1983-84 के लिए राजस्थान को मंजूर की गई विशेष केन्द्रीय सहायता की धनराशि 8.15 लाख रुपए है।

आंध्र प्रदेश में लघु सिंचाई जलाशयों के लिए विश्व बैंक सहायता

947. **श्री पी० राजगोपालनायडू** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने लघु सिंचाई जलाशयों के निर्माण हेतु विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए एक परियोजना रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी है; और

(ख) क्या विश्व बैंक उससे सहमत हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने विश्व बैंक की सहायता प्राप्त करने के लिए लगभग 822.08 मिलियन रुपये की लागत वाली एक भूतल लघु सिंचाई परियोजना प्रस्तुत की है। तथापि, विश्व बैंक से अपर्याप्त उत्तर प्राप्त होने के कारण, यह परियोजना यूरोपीय आर्थिक समुदाय के समक्ष प्रस्तुत की गई है जो अपनी आरक्षित पाइप लाइन में इस परियोजना को सम्मिलित करने के लिए सिद्धांत रूप में सहमत हो गए हैं बशर्ते कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय के पास निधि उपलब्ध हो। राज्य सरकार ने व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का कार्य आरंभ कर दिया है।

नेपाल के साथ जल संसाधनों के संबंध में संयुक्त आयोग का गठन

*948. **श्री हरीश रावत**
श्री चिरंजी लाल शर्मा] क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार के साथ जल संसाधनों के उपयोग के प्रश्न को सुलझाने के लिए संयुक्त आयोग का गठन करने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि नहीं, तो नेपाल और भारत के प्रधान मंत्रियों के बीच इन संसाधनों के उपयोग के सम्बन्ध में हुए समझौते को कार्यान्वित करने के लिए अब तक की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ फरवरी, 1983 में नई दिल्ली में हुई वार्ता के दौरान, भारत और नेपाल के बीच आर्थिक सम्बन्धों के बारे में सभी मामलों को समन्वित करने तथा उनकी मानीटरिंग करने के लिए, मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त आयोग स्थापित करने पर सहमति हुई थी। भारत-नेपाल संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिए करार का प्रारूप नेपाल सरकार की टिप्पणियों के लिए उन्हें दिया गया है। यह परिकल्पना की गई है कि संयुक्त आयोग प्रत्येक विषय-समूह के लिए अलग-अलग उप-आयोग गठित करेगा और उनमें से एक उप-आयोग जल संसाधनों के विकास के संबंध में होगा।

नेपाल के विदेश मंत्री और हमारे विदेश मंत्री के बीच फरवरी, 1983 में हुए विचार-विमर्शों के दौरान, यह सहमति हुई थी कि दोनों देशों के सचिवों की एक बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक 19 से 24 अप्रैल, 1983 तक काठमाण्डु में हुई थी जब दोनों देशों की साझी नदियों से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। सचिवों के बीच वार्ता का एक अगला दौर परस्पर सम्मत किसी तारीख को शीघ्र ही आयोजित किया जायेगा।

"अकाल संहिता" (फेमिन कोड) में संशोधन

*949. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "अकाल संहिता" (फेमिन कोड) कब तैयार किया गया था,

(ख) क्या "अकाल संहिता" में जब से यह सर्वप्रथम तैयार किया गया तब से कोई परिवर्तन किये गये हैं,

(ग) क्या पिछले अनेक वर्षों में कई राज्यों में अकाल और सूखे के अनुभवों के आधार पर "अकाल संहिता" में किसी परिवर्तन की माँग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो वर्तमान "अकाल संहिता" में क्या परिवर्तन करने का सरकार का विचार है;

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) कोई केन्द्रीय अकाल संहिता नहीं है। तथापि, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में तत्कालीन भारत सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न जांच आयोगों के परिणामस्वरूप अनेक मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार हुए जिन्हें 1883 के अन्तर्गत संहिता के रूप में प्रान्तीय सरकारों को भेजा गया, जिन्होंने इन सिद्धान्तों की दृष्टि में अपनी संहिता/

नियमावलियां तैयार की । राज्य सरकारें समय-समय पर इन संहिताओं में उपयुक्त संशोधन करती रही हैं क्योंकि यह विषयवस्तु उनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं ।

(ग) और (घ) जी हां । भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के सम्बन्ध में राहत नियमावलियां तैयार करने और वर्तमान राहत नियमावलियों की समीक्षा करने/अद्यतन बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाये हैं जो फरवरी, 1980 में राज्य सरकारों को परिचालित किए गये हैं । इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में निम्नलिखित पर बल दिया गया है :—

1. प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए अपेक्षित आरम्भिक उपाय

2. प्राकृतिक आपदा से निसटने के लिए राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था करने की आवश्यकता

3. आवश्यक चेतावनी प्रणालियों का विकास करना

4. विभिन्न प्राकृतिक/आपदाओं के लिए राहत सम्बन्धी प्रशासन

5 विभिन्न स्तरों पर राहत व्यवस्था का प्रबोधन करने की आवश्यकता

6. होम गार्ड/नागरिक सुरक्षा और/सशस्त्र सेनाओं की भूमिका निर्धारित करने की आवश्यकता

7. सम्बन्धित विकास कार्यक्रमों को राहत कार्यों से जोड़ने की आवश्यकता ।

भारतीय खाद्य निगम में भण्डारण और लाने ले-जाने में हानि

*950. **श्री भीखा भाई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने भंडारण और लाने-ले-जाने में हुई हानियों, खाद्यान्नों की किस्म, रेलवे द्वारा विलम्ब शुल्क और भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों में बढ़ रही अनुशासनहीनता से सम्बन्ति मामलों पर बातचीत करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक दिनांक 12.4.1983 को बुलाई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यकरण को सुधारने के लिए क्या सुझाव दिए गये;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम भण्डारण हानियों को क्षेत्रीय/मंडल यूनिट के आधार पर बताता रहा है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे डिपुओं की संख्या जहां भण्डारण हानि 0.5 प्रतिशत से अधिक पाई गई, न बताने के क्या कारण हैं; और

(ङ.) उन डिपुओं की संख्या कितनी है जिनकी 5 हजार मीट्रिक टन से अधिक की क्षमता है और जिन्होंने 0,5 प्रतिशत से अधिक की भण्डारण हानि बताई है तथा भण्डारण की अधिक हानियों के लिए अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) : खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री ने भारतीय खाद्य निगम के कार्यपालन की समीक्षा करने के लिए 12.4.83 को एक बैठक बुलाई थी जिसमें भण्डारण और मार्गस्थ हानियों और क्वालिटी नियंत्रण से सम्बन्धित मसलों पर विचार-विमर्श हुआ था।

(ख) : ऐसी समस्याओं का पता लगाने का प्रयास किया गया था जोकि वर्तमान प्रणाली और कार्यविधि के अधीन पैदा होती हैं। अधिकारियों द्वारा जो विभिन्न सुझाव दिए गये उन पर विचार किया गया था। जो बहुत से निर्णय लिए गये उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :—

1. परिचालनों की उन प्रमुख अवस्थाओं का पता लगाया गया था जहां भण्डारण तथा मार्गस्थ हानियां हो सकती हैं ताकि ऐसी प्रत्येक अवस्था में स्टाक की मात्रा और वजन पर निगरानी रखी जा सके।

2. परिचालन की प्रत्येक अवस्था में बोरियों की 100 प्रतिशत गिनती की जानी चाहिए। खरीदारी करते समय और बाद में परिचालनों के दौरान उपयुक्त तरीके के साथ वजन करने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया था।

3. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निगम के तौल-पुल सामान्य रूप से कार्य करते हैं।

4. अचानक निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त संख्या में स्क्वाड होने चाहिए।

5. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा खरीद केन्द्रों/डिपुओं का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाना चाहिए।

6. समय-समय पर रिपोर्ट प्राप्त कर मार्गस्थ और भण्डारण हानियों पर उपयुक्त रूप से निगरानी रखी जानी चाहिए। यदि अनुचित कमियां पायी जाती हैं तो उस दशा में जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए आवश्यक कार्यवाई की जानी चाहिए।

(ग) और (घ) : भण्डारण और मार्गस्थ हानियों के बारे में सूचना देने के लिए भण्डारण डिपो एक यूनिट होता है। डिपुओं से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, जिला प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/जोनल प्रबन्धक अपनी मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं जिसमें जारी की गई मात्राओं के संदर्भ में हानि की प्रतिशतता का भी साथ-साथ उल्लेख किया जाता है। ऐसे मामलों सहित जहां भण्डारण विषयक हानि 0.5 प्रतिशत से अधिक होती है, हानियों पर निगरानी रखी जाती है।

(ङ.) : जनवरी, 1983 में ऐसे डिपुओं की कुल संख्या 820 थी जिनकी 5,000 मीटरी टन से अधिक क्षमता थी (इसमें केन्द्रीय भाण्डागार निगम और राज्य भाण्डागार निगम के यूनिट शामिल नहीं है)। ऐसे डिपुओं, जिनकी हानि 0.5 प्रतिशत से अधिक थी, उनके बारे में अलग-अलग सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

भण्डारण सम्बन्धी जिन हानियों को उपयुक्त अथवा स्वाभाविक नहीं समझा जाता ऐसे

सभी मामलों की हानियों की प्रतिशतता का लिहाज किए बिना, जाँच की जाती है और चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने सहित उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

पारम्परिक मछेरों के हितों की रक्षा

*951. **श्री उत्तम राठौर**
श्री मोहम्मद असरार अहमद] क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारम्परिक मछेरों (गैर-मशीनीकृत नावों का उपयोग करने वाले) से तटवर्ती क्षेत्रों में मशीनीकृत नावों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध तथा पर्याप्त सुरक्षा की मांग करते हुए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन्हें ऐसी सुरक्षा प्रदान करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) क्या मशीनीकृत नावों से मछली पकड़ने हेतु गहरे समुद्री क्षेत्र निर्धारित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) : एक बिवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

1. परम्परागत मछुओं के हितों की रक्षा करने के लियेभारत सरकार ने सभी समुद्र तटीय राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को समुद्री मत्स्यन विनियमन के सम्बन्ध में एक आदर्श विधेयक की सिफारिश की हैं, जिससे उनको परम्परागत मछुओं, यंत्रीकृत नौकाओं तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जलयानों के लिए प्रचालन क्षेत्रों का निर्धारण करने का अधिकार प्रदान होगा। इसके साथ-साथ केन्द्रीय सरकार ने राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य बातों के साथ-साथ यह सलाह दी है कि वे समुद्र तट से प्रथम पांच किलोमीटर जल क्षेत्र केवल गैर-यंत्रीकृत परम्परागत मत्स्यन नौकाओं के लिए ही निर्धारित करें। केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा तथा गोवा, दमन एवं दीव की सरकारों ने इस सम्बन्ध में पहले ही उपयुक्त कानून बना लिए हैं। पश्चिम बंगाल तथा गुजरात की सरकारों ने कानून का प्रारूप तैयार कर लिया है।

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को 31-12-1982 को नए मार्गदर्शन जारी किये हैं, जिनमें निम्नलिखित बातों की सिफारिश की गई है :—

(1) समुद्र तट से प्रथम दस किलोमीटर जल क्षेत्र को केवल गैर-यन्त्रीकृत परम्परागत मत्स्यन नौकाओं के लिए ही निर्धारित किया जाना चाहिये तथा उस जल क्षेत्र में किसी अन्य प्रकार के जलयान को कार्य करने की अनुमति न दी जाये।

(2) मछली पकड़ने वाले छोटे यन्त्रीकृत जलयानों को समुद्र तट से प्रतिबन्धित 10 किलोमीटर से आगे के जल क्षेत्र में कार्य करना चाहिये।

(3) बड़े यन्त्रीकृत जलयानों (20 किलो मीटर तथा उससे अधिक) को समुद्र तट से प्रतिबन्धित 23 किलोमीटर से आगे के जल क्षेत्र में कार्य करना चाहिये।

पश्चिम कोसी नहर के मार्ग को पुनः निर्धारित करना

***831. श्री भोगेन्द्र झा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम कोसी नहर के मार्ग को बिहार के मधुबनी जिले के अन्तर्गत भाकुआ गाँव के नजदीक से पुनः निर्धारित करने का सुझाव दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस सुझाव को कार्यान्वित करने से खर्च में लगभग 50 करोड़ रुपये और कम से कम दो वर्ष की बचत होगी तथा लगभग दो लाख एकड़ अतिरिक्त जमीन की सिंचाई होगी;

(घ) क्या दोनों भागों की विस्तृत अनुमानित लागत की गणना की गई है अथवा करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (ङ) माननीय सदस्य ने, सितम्बर, 1982 में परियोजना क्षेत्र के अपने दौरे के दौरान यह सुझाव दिया था कि पश्चिमी कोसी नहर को कमला नदी से परे तक ले जाने के बजाए, जयनगर वीयर के ऊपर जल को पम्प करके कमला नदी में डाला जाए और वर्तमान कमला सिंचाई प्रणाली का विस्तार किया जाये और उसे सुदृढ़ बनाया जाए। इस सुझाव की बिहार राज्य सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की गई थी और यह निर्णय किया गया था कि यह तकनीकी दृष्टि से व्यवहार्य नहीं होगा और जल को पम्प करने के लिए अनेक्षित विद्युत की व्यवस्था करना या इस प्रयोजन के लिए एक नए विद्युत केन्द्र का निर्माण करना भी सम्भव नहीं होगा।

पन बिजली के उत्पादन के लिए भीम नगर बराज का

दुबारा माडल बनाया जाना

10610. श्री भोगेन्द्र झा : क्या सिंचाई मंत्री तिरहुत नहर पर पन-बिजली परियोजना के बारे में 21 फरवरी, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 111 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी और पूर्वी कोसी नहरों से पन-बिजली के उत्पादन के लिये भीम नगर बराज का दुबारा माडल बनाये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक जांच कार्य और अध्ययन पूरा कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) और (ख) बिहार सरकार से ऐसा कोई परियोजना प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

'स्माल फार्म्स" शीर्षक समाचार

10611. श्री गदाधार साहा : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 3 मार्च, 1983 के इकनामिक टाइम्स में प्रकाशित "स्माल फार्मस" शीर्षक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(क) यदि हां, तो कुल भूमि क्षेत्रों और छोटी तथा सीमान्त जोत सहित कार्यरत जोतों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या वर्ष 1970-1976 और 1980-81 के दौरान छोटी और सीमान्त जोतों और भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या में कोई वृद्धि हुई है, यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) वे किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और उनकी सहायता में कौन-सी ऐजेन्सियां लगी हुई हैं; और

(ङ) उनके विकास के लिए तथा धीमी प्रगति के कारणों का पता लगाने के लिए अब तक क्या उपाय किये गये हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) वर्ष 1976-77 के लिये कृषि जनगणना के अन्तिम परिणामों के अनुसार, 1976-77 में प्रचलनात्मक जोतों की कुल संख्या 81.52 मिलियन थी जिसमें 163.14 मिलियन हैक्टेयर कुल प्रचालित क्षेत्र शामिल था । उसी अवधि में छोटी जोतों (1 से 2 हैक्टेयर के बीच) तथा सीमाँत जोतों (1 हैक्टेयर से नीचे) की कुल संख्या क्रमश: 14.70 मिलियन तथा 44.53 मिलियन थी जिसमें क्रमश: 20.86 मिलियन हैक्टेयर तथा 17.50 मिलियन हैक्टेयर भूमि का क्षेत्र शामिल था ।

(ग) 1970-71 से 1976-77 की अवधि के दौरान छोटी जोतो की संख्या 13.43 मिलियन से बढ़कर 14.70 मिलियन हो गई थीं और सीमांत जोतों की संख्या 36.20 मिलियन से 44.53 मिलियन हो गई थी । समरूप अवधि के दौरान भूमिहीन कृषि श्रमिकों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है । तथापि भारत की जनसंख्या की 1981 की जनगणना से सम्बन्धित अनन्तिम रिपोर्ट के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1971 में कृषि श्रमिक कुल मजदूरों के 31.42 प्रतिशत के बराबर थे जबकि यह समानुपात 1981 में कम होकर 31.12 प्रतिशत हो गया था जबकि इसी अवधि के दौरान कृषि श्रमिकों की संख्या 1971 में 45.14 मिलियन से बढ़कर 1981 में 52.57 मिलियन हो गई थी । वर्ष 1980-81 के लिये कृषि जनगणना के परिणाम अभी तक उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) व (ङ) लघु तथा सीमांत किसानों द्वारा महसूस की गई समस्याएं मुख्य रूप उर्वरकों सिंचाई, ऋण सुविधाओं आदि जैसे निवेशों के लिए कम पहुंच और विपणन सुविधाओं आदि जैसी सेवाओं के अभाव से सम्बन्धित हैं। चौथी योजना के दौरान लघु तथा सीमांत कृषक विकास एजेन्सी नामक कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल छोटे किसानों, सीमांत किसानों तथा कृषि श्रमिकों के लाभ के लिये विशेष योजनाएं शुरू की गई थीं। इसी तरह, परम्परागत रूप से सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण हालातों में सुधार करने तथा जनता के कमजोर वर्गों के रहन-सहन के स्तर में सुधार करने के लिये सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को शुरू किया गया था। सिंचाई परियोजनाओं द्वारा सृजित सिंचाई संभाव्यता को उपयोग में लाने के लिये कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम नामक एक अन्य कार्यक्रम शुरू किया गया था। तदुपरान्त, लघु कृषक विकास एजेन्सी कार्यक्रम को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जो एक नया तथा व्यापक कार्यक्रम है, में मिला दिया गया था। इस कार्यक्रम का कार्य क्षेत्र लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम की अपेक्षा अधिक व्यापक है जो केवल कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियों तक ही सीमित था। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लक्षित वर्ग के चुने परिवारों की उनकी आय में पर्याप्त रूप से वृद्धि करने हेतु सहायता सुलभ करना है। कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, कोश-कीट पालन, बागवानी, मछली पालन, लघु तथा कुटीर उद्योगों तथा सेवाओं के क्षेत्र में सभी सक्षम बैंक ग्राह्य योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता उपलब्ध है। 2 अक्तूबर, 1980 से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को देश के सभी विकास खंडों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक वास्तविक तथा वित्तीत लक्ष्यों की उपलब्धि को देखते हुए प्रगति को धीमी नहीं कहा जा सकता।

जल-प्रदाय कार्यालयों में ट्यूब-लाइटें, पंखे

और हीटर गायब होना

10612. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी संख्या में ऐसी ट्यूब-लाइटें, पंखे और हीटर, जो सरकार द्वारा जल प्रदाय कार्यालयों में और ट्यूबवैलों को चालू होने के समय वहां लगाये गये थे, गायब हैं; और

(ख) यदि हां तो गायब पाई वस्तु के नामों की संख्या क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) दिल्ली जल पूर्ति तथा मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि ट्यूब लाइटों, पंखों तथा हीटरों के बड़े पैमाने पर हाल ही में संस्थान के कार्यालयों तथा प्रतिस्ठानों से गायब होने का कोई मामला नहीं हुआ है तथा इसके अधीनस्थ कार्यालयों ने केवल दो छत के पंखों की चोरी सूचित की है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मेनटेनेन्स डिवीजन में श्रमिकों की नियुक्ति

10613. श्री राम प्रसाद अहिरवार
श्री के बी० एल० मणि : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की किसी भी निर्माण डिवीजन के कार्य को जब केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की मेनटेनेन्स डिवीजन को सौंपा जाता है, तब मेनटेनेन्स डिवीजन केवल उस कार्य की जिम्मेदारी लेती है तथा उन श्रमिकों की बजाय अपने श्रमिक नियुक्त करती है, उन्हें निर्माण डिवीजनों द्वारा उक्त कार्य के लिए पहले नियुक्त किया गया था ;

(ख) क्या मेनटेनेन्स डिवीजन को कार्य सौंपने के बाद निर्माण डिवीजन उन श्रमिकों को सेवा से हटा देता है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसी नीति बनाने का है कि मेनटेनेन्स डिवीजन केवल कार्य को ही अपने हाथ में न लें, बल्कि निर्माण डिवीजन से सम्बद्ध श्रमिकों को भी स्वीकार करे ; यदि हाँ, तो कब तक और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) फिलहाल सार्वजनिक निर्माण मण्डल नए निर्मित भवनों का कुछ समय से आंशिक रूप में ठेकेदार के मजदूरों तथा आंशिक रूप में दैनिक कामगारों से अनुरक्षण कर रहा है। सामान्यत: दैनिक कामगार निर्माण कार्यों के साथ अनुरक्षण मण्डलों को स्थानान्तरित नहीं किए जाते हैं। कभी-कभी,जब अनुरक्षण मण्डलों के पास अपना स्टाफ नहीं होता है, वे निर्माण कार्यों के साथ-साथ निर्माण मण्डल द्वारा लगाए गए दैनिक मजदूरों को भी ले लेते हैं।

(ख) निर्माण मण्डल के नियमित अथवा कार्यप्रभारित स्टाफ, यदि कोई हो, की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाता है। जहां तक दैनिक मजदूरों का संबंध है, उन्हें निर्माण मण्डल अथवा अनुरक्षण मण्डल, यदि उसे उनकी सेवाओं की अपेक्षा होती है तो उन्हें उसके अधीन अन्य निर्माण कार्यों पर लगा दिया जाता है अथवा उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं।

(ग) तथा (घ) : जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। मुख्यत: निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से किया जाता है तथा बहुत ही सीमित दैनिक कामगारों को निर्माण के तुरन्त बाद ही अनुरक्षण के लिए नियोजित किया जाता है। दूसरे, अनुरक्षण मण्डलों के पास अपनी स्वयं की स्थापनाएं तथा कर्मचारी अनुरक्षण कार्य के लिए होते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण और नई दिल्ली नगर पालिका में वे पद जिन पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग नियुक्त हैं

10614. **श्री बनवारी लाल**: क्या निर्माण और आवास मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण

और नई दिल्ली नगर पालिका के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक निकाय में 650-1200 तथा इससे अधिक वेतनमान में पदों की संख्या पृथक पृथक रेकवार, कितनी है ;

(ख) इन पदों पर कार्य कर रहे अनुसूचित जाति के अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनका प्रतिशत कितना हैं ;

(ग) क्या इन दोनों निकायों द्वारा रोस्टर प्रणाली का पालन किया जाता है यदि हां, तो अनुसूचित जाति के कितने अधिकारी इस प्रणाली से लाभान्वित हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है और वे किस वेतनमान में कार्य कर रहे हैं ;

(घ) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हितों की देखभाल करने के लिए प्रत्येक निकाय में अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ बनाया गया है, यदि हां, तो इसका अध्यक्ष अनुसूचित जाति का अधिकारी है अथवा गैर-अनुसूचित जाति का अधिकारी ; और

(ङ.) इन दोनों निकायों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों का प्रतिशत कितना है और इन समुदायों के श्रेणी दो और प्रथम के और अधिक अधिकारी भरने के लिए इन दोनों निकायों द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) से (ङ.) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

घटिया इस्पात ट्यूबों का उत्पादन और बिक्री

10615. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घटिया इस्पात ट्यूबों का उत्पादन किया जा रहा है और उन्हे बाजार में बेचा जाता है;

(ख) क्या ऐसी घटिया माइल्ड स्पात ट्यूबों के उत्पादन और बिक्री को रोकने के लिए भारतीय मानक संस्थान का हाल का उद्यम प्रभावी सिद्ध हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राजमंत्री (श्री भगवत झा आजाद) : (क) से (ग) : मृदु इस्पातट्यूब (ए० पी० टी० विशिस्टियों के अनुसार की सीवनहीन ट्यूबों तथा ट्यूबों के अलावा (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1978 के अनुसार, मृदु इस्पात ट्यूबों तथा नलिकाकारी (आई०एस० 1239-पाट-1 1973), संरचनात्मक प्रयोजनों की स्पात ट्यूबों (आई०एस० : 1161-1978) तथा पानी के कुओं के लिए प्रयुक्त की जाने वाली इस्पात ट्यूबों 200 मि०मी० व्यास तक) (आई एस : 4270-1967) के बारे में भारतीय मानक संस्था चिन्ह अनिवार्य किया गया है। इसी आदेश के के अनुसार, विक्रय के लिए किसी भी ऐसी मृदु इस्पात ट्यूब का विनिर्माण अथवा भण्डारन करना

उसे बेचना अथवा उसका वितरण करना अपराध है, जो इसके तहत आने वाले विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप न हों। साथ ही विक्रय हेतु रखी जाने वाली मृदु इस्पात ट्यूबें भारतीय मानक संस्था चिन्ह वाली होनी चाहिए। तथापि, यह निर्यात की जाने वाली उन मृदु इस्पात ट्यूबों को लागू नहीं होता है, जो विनिर्दिष्ट मानक के अनुरूप नही हैं, परन्तु विदेशी खरीदार की आवश्यकता के अनुसार किसी भी विशिष्ट के अनुरूप हैं। विनिर्माताओं/व्यापारियों के पास बची घटिया किस्म की अविशिष्ट पाइपों तथा ट्यूबों को 1·5 मीटर तक की लम्बाई के टुकड़ों में काटकर बाजार में बेचा जा सकता है।

अति हल्की मृदु इस्पात ट्यूबों के बेचे जाने की सूचना मिलने पर, भारतीय मानक संस्था ने संबधित बाजारों में अचानक दौरे आयोजित किये। भारतीय मानक संस्था चिन्ह वाली कोई अति हल्की तेज इस्पात ट्यूबें नहीं पाई गई और मृदु इस्पात ट्यूब (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 1978 का उल्लंघन देखने में नहीं आया।

भारतीय मानक संस्था की सलाह पर मृदु इस्पात ट्यूब विनिर्माता एसोसिएसन ने गुणवत्ता नियंत्रण आदेप में निहित बातों के प्रचार के लिए विज्ञापन दिये हैं, ताकि उपभोक्ता और विक्रेताओं को उनकी पूरी जानकारी हो सके।

जापानी-मत्स्य नौकाओं के माध्यम से मछली पकड़ना

10616. **श्री बृजमोहप महन्ती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य सरकार के साथ हुए सहयोग करार के अनुसार समुद्र तट क्षेत्र में जापानी मत्स्य नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने के कारण पारादीप पत्तन में मछली पकड़न वाली मत्स्य नौकाएं निष्क्रीय हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उड़ीसा के समुद्र तट क्षेत्र में जापानी मत्स्य नौकाओं के माध्यम से मछली पकड़ने के बारे में जापानी सरकार के साथ हुए करार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि पत्तन परिसरों में निजी खपत के लिए मछली पकड़ने हेतु किसी भी व्यक्ति को अब अनुमति नहीं दी जाती है ?

कृषि मंत्री (राव विरेन्द्र सिंह) : जापानी मत्स्य नौकाओं का संचालालन करने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ सहयोग का कोई करार नहीं हुआ है। यह भी सच नहीं है कि पारादीप पत्तन में जापानी मत्स्य नौकाओं के संचालन के कारण मछली पकड़ने वाले ट्रालर बेकार हो गए हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी हाँ।

आनन्द स्थित इंस्टिट्यूट आव रूरल मैनेजमेंट

10617. **श्री टी०एस० नेगी** क्या कृषि : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आनन्द में, इंस्टिट्यूट आफ रूरल मैनजमेंट स्विटजर सरकार, औद्योगिक विकास निगम और केन्द्रीय सरकार अनुदान सेके चालू किाय गया है।

(क) यदि हां, तो तत्संसंबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या विदेशी सहायता और सहैकारी निधि (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) से इस संस्थान को आरंभ करने के लिये सरकार की पूर्व-स्वीकृति ली गई थी।

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट के अध्ययन और बोर्ड का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या यह सच है कि इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट का अध्यक्ष स्व-नियुक्त अध्यक्ष है और यह स्व-नियुक्त अध्यक्ष निदेशक मंडल की नियुक्ति करता है; और

(छ) क्या सरकार की नीति एन०ओ०डी०बी, आई डी० सी०, आई, आर० एम०, जी० सी० एम० एफ० आदि में गैर सरकारी व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में रखना और अब के मामली जैसा असंतुलन पैदा करना है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) और (ख) : ग्रामीण प्रबंध संस्थान ने आपरेशन फ्लट-2 परियोजना के तहत उपलब्ध कराई गई निधि, स्विटजरलैंड सरकार से प्राप्त सहायता और फोर्ड फाउण्डेशन के अनुदान से 1980-81 से कार्य करना शुरू किया। भारत सरकार ने इस संस्थान को कोई अनुदान नहीं दिया है। धनराशि की व्यवस्था के प्रतिमान का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

	(लाख रुपए में)
1. आपरेशन फ्लड-2 के तहत उपलब्ध कराई गई निधि	50·00
2. स्विटजरलैंड सरकार से प्राप्त सहायता	397·00
3. फोर्ड फाऊण्डेशन से अनुदान	20.00
कुल	467.00

(ग) और (घ) सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात सरकार की स्वीकृति भेजी गई।

(ङ) जी नहीं।

(च) संस्थान के अध्यक्ष और शासी मंडल की नियुक्ति संस्थान की नियमावली तथा ज्ञापन के अनुसार दी गई हैं।

(छ) गुजरात सहकारी दुग्ध विपरण संघ और ग्रामीण प्रबंध संस्थान के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा नहीं की जाती है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड और भारतीय डेरी निगम का अध्यक्ष नियुक्म करना सरकार की नीति नहीं हैं।

हुडको योजना के अन्तर्गत एम० आई० जी० फ्लैटों का आबटन

10618. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास हुडको योजना के अन्तर्गत एम आई जी फ्लैटों के आबंटन संबंधी योजना वार और वर्षवार कुल कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं;

(ख) प्रतीक्षासूची में दर्ज इन आवेदकों को फ्लैटों का आबंटन कब तक हो जाएगा ।

(ग) मूल रूप से विज्ञापित और अब संभावित निर्माण लागत में वृद्धि हो जाने के कारण मूल्यों में अनुमानत: कितनी वृद्धि हो जाएगी तथा मूल्य वृद्धि को यथा संभव कम करने तथा इन फ्लैटों का शीघ्र निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इस वर्ष के दौरान अनुमानत: कितने फ्लैट किन-किन स्थानों पर आबंटित किए जायेंगे ।

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मौहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभापटल पर रख दी जाएगी ।

बुधना सिंचाई परियोजना को स्वीकृति

10619 **श्री मती ऊषा प्रकाश चौधरी**
श्री चिन्तामणि जैन : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने महाराष्ट्र की लोअर बुधना सिंचाई परियोजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी अनुमानित लागत क्या होगी उससे क्या-क्या लाभ होंगे तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) संभवत: महाराष्ट्र में लोअर बुधना सिंचाई परियोजना का जिक्र किया गया है । यह परियोजना योजना आयोग द्वारा मार्च, 1983 में अनुमोदित की गई है ।

(ख) लोअर दुधना परियोजना पर 53·21 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है और इससे महाराष्ट्र के परभानी जिले में प्रति वर्ष 36, 733 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई की व्यवस्था होगी । इस परियोजना के अन्तर्गत गोदावरी बेसिन में दुधना नदी पर एक ओगी-टाइप चिनाई उमड़मार्ग के साथ 4697·5 मीटर लम्बे और 24·72 मीटर ऊंचे मिट्टी के बांध और दो पक्की नहरों, एक बाएं तट पर 69 कि० मी० लम्बी तथा दूसरी दाएं तट पर 48 कि० मी० लम्बी के निर्माण की परिकल्पना की गई है ।

हाकी के स्तर और तकनीक में सुधार करने का कार्यक्रम

10620. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाकी के स्तर और तकनीक में सुधार लाने हेतु व्यापक कोचिंग कार्यक्रम तैयार करने के प्रयोजन से नियुक्त पाँच सदस्यों की उप समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है;

(ख) उक्त उप समिति की सिफारिशों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन सिफारिशों को कब क्रियान्वित किया जाएगा ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) हाकी के सुधार के लिए विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करने के प्रयोजनार्थ भारतीय हाकी संघ द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय उप-समिति की रिपोर्ट भारतीय हाकी संघ से हाल ही में प्राप्त हुई है ।

(ख) भारतीय हाकी संघ की उप समिति द्वारा की गई सिफारिशों में दो चरणों में भारतीय हाकी टीम का प्रशिक्षण शामिल है । प्रथम चरण के दौरान, जो मई, 1983 के मध्य से अक्तूबर 1983 के अंत तक रहेगा, चार महीने की कुल अवधि के चार शिविर आयोजित किए जायेंगे । द्वितीय चरण के दौरान, जो फ़रवरी, 1984 के शुरू से जून, 1984 तक रहेगा, चार महीने की कुल अवधि के तीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जायेंगे । प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी शारीरिक अवस्था, तकनीकों तथा नीतियों का प्रशिक्षण, सैद्धान्तिक अनुदेशतथा प्रमुख देशों के मुकाबले में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतियोगात्मक अनुभव शामिल है ।

(ग) सरकार ने पहले ही प्रथम दो प्रशिक्षण शिविर स्वीकृत कर दिए हैं ।

हिमाचल प्रदेश में पेय जल आपूर्ति योजनाओं के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता

10621. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से हिमाचल प्रदेशों में पेयजल आपूर्ति योजना का कार्यान्वयन के बारे में 11 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6548 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक जिले की उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें क्रियान्वित के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है तथा प्रत्येक की लागत क्या होंगी और वे अनुमानत: कब तक पूरी हो जायेगी;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : यह सूचना केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । हिमाचल प्रदेश सरकार को यूरोप आर्थिक समुदाय के साथ करार के ढाँचे के भीतर अपने कार्यान्वयन के लिए विस्तृत योजनाएं तैयार करनी हैं और लक्ष्य निर्धारित करने हैं । निर्माण और आवास मंत्रालय बाह्य सहायता के लिए केवल समग्र परियोजना का अनुमोदन करता है ।

वन क्षेत्र

10622. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में वनों से आच्छादित क्षेत्र के संबंध में राज्यवार कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में कोई कमी हुई है;

(ग) यदि हां, तो सभी प्रकार की वृक्ष कटाई से प्रतिवर्ष कितना क्षेत्र वन बाह्य होता है; और

(घ) प्रतिवर्ष कितने अतिरिक्त क्षेत्र में वनरोपण किया जाता है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) (क) राज्य सरकार अपने राज्यों में वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करती हैं ।

(ख) जी नहीं । राज्य में वन विभागों द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार 1981-82 में 750·06 लाख हैक्टेयर वन क्षेत्र था, जबकि 1979-80 में यह क्षेत्र 748·00 लाख हैक्टेयर और 1980 81 में 746·00 लाख हैक्टेयर था ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

(घ) गत तीन वर्षों में वन भूमि में तथा वन भूमि से बाहर लगाए गए वृक्षों का क्षेत्र निम्न प्रकार था—

वर्ष	लगाए गए वृक्षों का क्षेत्र (लाख हैक्टेयर)
1980 81	2·48
1981-82	4·15
1982-83	5·20 (अनुमानित)

गुजरात में वृक्षारोपण

10623. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का कार्यक्रम कब से शुरू किया गया है;

(ग) निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या उपलब्धियां हुई हैं; और

(घ) गुजरात में 3 मार्च, 1983 तक वृक्षारोपण कार्यक्रम पर कितनी धनराशि खर्च की गयी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हाँ ।

(ख) नये 20 सूत्री कार्यक्रम के शुरू होने से अर्थात 1982 से ।

(ग) गुजरात के लिए वनरोपण के तहत 1982-83 के लिए 2330 लाख पौधों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जब कि राज्य ने 2468 लाख पौधे लगाए ।

(घ) वृक्ष रोपण कार्यक्रम पर 31 मार्च, 1983 तक 2028·97 लाख रुपये की धनराशि खर्च की गई थी ।

वाणिज्यिक फसलों का विकास

10624 **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में वाणिज्यिक फसलों के विकास के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) उड़ीसा में कौन सी वाणिज्यिक फसलों का विकास किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह : (क) जी, हां ।

(ख) उड़ीसा में विकसित की जाने वाली वाणिज्यिक फसलें ये हैं— तिलहन, कपास, पटसन, काजू, नारियल आदि । इन वाणिज्यिक फसलों के विकास के लिये राज्य सरकार के प्रयासों में भारत सरकार छठी योजना अवधि के दौरान केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना के क्रियान्वयन करके सहायता देती है, जिसके अन्तर्गत बीज, वनस्पति रक्षण आदि बुनियादी आदानों पर राज-सहायता दी जाती है । उन्नत किस्मों तथा खेती के वैज्ञानिक तरीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए निःशुल्क मिनिकिट सप्लाई किए जाते हैं तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया जाता है ।

सोन बांध बाढ़ नियंत्रण योजना को स्वीकृति

10625. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने सोन बांध बाढ़ नियंत्रण योजना के लिए संशोधित प्राक्कलन स्वीकृत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) (ख) : जी, हां । 431.69 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर सोन तटबन्ध स्कीम के लिए संशोधन अनुमान योजना आयोग द्वारा स्वीकार्य पाया गया है । इस स्कीम में बिहार के भोजपुर और पटना जिलों में 0·30 लाख हैक्टेयर के क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान लगभग 89 किलोमीटर लम्बे

नहर तटबंधों को सुदृढ़ बनाने और सोन नदी के वाम तट पर 14-95 किलोमीटर तथा दक्षिण तट पर 9.15 किलोमीटर लम्बे नए तटबन्धों का निर्माण करने की व्यवस्था है।

यमुना नहर के आवासीय कालोनियों के बीच से गुजरने वाले क्षेत्र की फेंसिंग

10626. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि नई दिल्ली में यमुना नहर का एक भाग नई दिल्ली में वजीरपुर, अशोक बिहार, लारेंस रोड के बीच ये गुजरता है और इसकी कोई सुरक्षात्मक फेंसिंग नहीं है और हाल ही के वर्षों में डूबने की कुछ घटनाएं हुई हैं;

(ख) क्या सुरक्षात्मक उपाय के रूप में इसके दोनों ओर लोहे की फेंसिंग करने का विचार है;

(ग) क्या लारेंस रोड कालोनियों के आवासीय क्षेत्रों के सामने नहर के नीचे का क्षेत्र का दृश्य निर्माण करने और वहां बिजली की व्यवस्था करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तमिलनाडु में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का कार्यन्वियन

10627. **श्री एन० डेनिस :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर इस प्रकार का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है और क्या कन्याकुमारी जिले तक इसको बढ़ाया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो कन्याकुमारी जिले में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी, हां। तमिलनाडु में कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम तीन सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्र में क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजनाओं तथा उनके अन्तर्गत आने वाले जिलों के नाम इस प्रकार हैं—

परियोजना का नाम	जिला
1. कावेरी डेल्टा प्रणाली	थंजावूर

2. लोअर भवानी	(1) कोयम्बटूर
	(2) तिरुची
3. पैरियार वैगई	मदुरै

कन्याकुमारी जिला इन परियोजनाओं के अन्तर्गत नहीं आता है ।

(ग) कन्याकुमारी जिले में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

मौसम की स्थिति पर कृषि की निर्भरता धीरे-धीरे समाप्त होना

10628. **श्री ए० के० राय** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान किस वर्ग में देश में सामान्य मौसम रहा;

(ख) किस वर्ग में सूखे अथवा बाढ़ के कारण खराब मौसम रहा और इस अवधि में देश में खाद्यान्न का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या मौसम की बदलती हुई स्थितियों के कारण खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि अथवा कमी में अन्तर कम हुआ है देश में मौसम की स्थितियों पर कृषि की निर्भरता धीरे-धीरे समाप्त होने के बारे में बताएं;

(घ) यदि हां, तो विस्तृत तथ्य क्या है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह : (क) और (ख) भारत जैसे विशाल देश में एक जैसी सामान्य मौसम की परिस्थितियां बहुत कम होती है । अच्छे मौसम वाले वर्ष में भी कुछ क्षेत्र सूखे और बाढ़ से प्रभावित होते हैं । मौसम सम्बन्धी समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अच्छे अथवा खराब मौसम वाले वर्षों के रूप में गत 5 वर्षों का वर्गीकरण तथा इनमें से प्रत्येक वर्ष के दौरान खाद्यान्नों का वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है ।

फसल वर्ष	मौसम	उत्पादन (लाख मी. टन. में)	टिप्पणी
1	2	3	4
1978-79	उत्कृष्ट	131·9	बहुत अच्छी और भारी वर्षा हुई
1979-80	बहुत खराब	109.7	भयंकर और व्यापक सूखा पड़ा
1980-81	औसत	129.7	कुछ क्षेत्रों को छोड़कर आम-तौर पर सामान्य और अप्रैल
1981-82	औसत	133·1	और मई में बेमौसमी वर्षा हुई
1982-83	बहुत खराब	125-128	भयंकर और व्यापक सूखा और अप्रैल में बेमौसमी वर्षा

(ग) और (घ) गत 15 वर्षों के दौरान खाद्यान्न उत्पादन के विश्लेषण से पता चलता है कि गत वर्षों की तुलना में उत्पादन तालिका का स्तर सामान्यता अधिक रहा है जिससे यह पता चलता है कि मौसम पर कृषि की निर्भरता धीरे-धीरे कम हो रही है। 1982-83 के दौरान सूखे से बहुत अधिक क्षेत्र प्रभावित होने के बावजूद खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में केवल 50-80 लाख मीटरी टन ही कम होने की सम्भावना है, जबकि 1979-80 के सूखे वाले वर्ष के दौरान इसके पिछले वर्ष की अपेक्षा उत्पादन में 220 लाख मीटरी टन से भी अधिक की गिरावट आयी थी इसके अलावा 1982 में सूखा और अप्रैल 1983 में बेमौसमी वर्षा होने के बावजूद 1982 83 में 560-570 लाख मीटरी टन रबी की रिकार्ड फसल और 400 लाख मीटरी टन गेहूं की रिकार्ड फसल होने की सम्भावना है

(ङ.) प्रश्न ही नहीं होता।

गुजरात सरकार द्वारा सरदार सरोवर का निर्माण

10629. **श्री केयूर भूषण** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने नर्मदा परियोजना के विकास कार्यों के अंतर्गत सरदार सरोवर (जलाशय) का निर्माण शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका निर्माण शुरू करने के लिए योजना आयोग से परामर्श किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क(से (ग) : नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर परियोजना पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिए गए हैं और इन निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय प्रावधान योजना आयोग द्वारा वार्षिक योजना पर हुए विचार-विमर्शों के दौरान स्वीकार कर लिया गया है। योजना आयोग की सलाहकार समिति के कुछ स्पष्टीकरणों के अध्यधीन इस परियोजना को तकनीकी दृष्टि से स्वीकार्य पाया है। तथापि, योजना आयोग द्वारा इस परियोजना को अभी अनुमोदित किया जाना है।

विष के रुप में अल्म्यूनियम फास्टफेट का पता लगना

10630. **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उदयपुर में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा की गई एक जांच की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है कि कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया गवा अलम्यूनियम फासफेट, यदि संयोग से निगल लिया गया, तो विष सिद्ध हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में खतरे का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार को एल्मूनियम फास्फाइड के खाये जाने

से हुई मौतों के बारे में प्रैस रिपोर्ट की जानकारी है।

(ख) कृमिनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 5 के तहत गठित पंजीयन समिति के निर्णय के अनुसार, एल्यूनियम फास्फाइड का इस्तेमाल विशेष निगरानी में केवल सरकारी एजेंसियों सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों सरकारी अनुसंधान संस्थानों द्वारा ही किया जाना होता है। विनिर्माताओं को निर्देश है कि वे एल्यूनियम फास्फाइड की बिक्री केवल सरकार उन प्राधिकृत सरकारी एजेंसियों को करें जिनके पास विशेष निगरानी के साथ-साथ रक्षणात्मक उपायों की सुविधाएं हैं।

मस्टर रोल श्रमिकों, नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित किया जाना

10631. **श्री नगीना राय :** क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और ईसके विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नियुक्त किए नए मस्टर रोल श्रमिकों/नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित किये जाने के बारे में 1979 में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी किया गया कोई आदेश उनके मंत्रालय को मिला था;

(ख) क्या उनके मंत्रालय, विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा अब तक इन आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया गया है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन आदेशों को कार्यान्वित कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ग) : इस मंत्रालय को कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग का 21 मार्च 1979 का कार्यालय ज्ञापन प्राप्त हुआ था और उसमें दिए गए अनुदेशों को इस मंत्रालय द्वारा तथा इस मंत्रालय के सम्बद्ध कार्यालय विपणन तथा निरीक्षण निदेशालय द्वारा कार्यान्वित किया गया है। कार्यान्वित किया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अराजपत्रित कर्मचारियों का चिकित्सा खर्च

10632. **श्री निहाल सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए चिकित्सीय उपचार संबंधी खर्च हेतु प्रतिमाह कोई एक मुश्त धनराशि निर्धारित की है तथा इस प्रयोजन से अधिकारियों को मेडिकल बिल बुक जारी की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्थापित स्वास्थ्य केन्द्रों को बन्द कर दिया जाएगा अथवा क्या कर्मचारियों को इन स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाका लाभ उठाने की सलाह दी जाएगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसने अपने वर्ग "ग" तथा "घ" के कर्मचारियों के लिए मासिक चिकित्सा भत्ता नियत कर दिया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ग "क" तथा "ख" कर्मचारियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली के विभिन्न भागों के डाक्टर से तथा अन्तार सूचीबद्ध किए हैं। अधिकारीगण सूचीबद्ध डाक्टरों से परामर्श ले सकते हैं तथा सूचीबद्ध डाक्टरों द्वारा निर्धारित दवाएं सूचीबद्ध अन्तारों से खरीद सकते हैं। वर्ग "क" तथा "ख" के कर्मचारियों को नुसखा पैड जारी कर दिए गए हैं जिन्हें वे जब कभी उन्हें परामर्श/दवा की आवश्यकता होती है डाक्टरों तथा अन्तरों को पेश करते हैं। डाक्टरों तथा अन्तारों को प्रतिपूर्ति दिल्ली विकास प्राधिकरण सीधे ही करता है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधीकरण ने सूचित किया है कि इसने अपने कर्मचारियों के लिए कोई स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित नहीं किए हैं।

शुष्क भूमि विकास सम्बन्धी समिति

10633. **श्री अनन्त रामुलु मल्लू** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शुष्क भूमि विकास के बारे में सरकार का मार्ग दर्शन करने के लिए सरकार द्वारा एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी : और

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों और सुझावों एवं इसकी रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) : भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की राज्य सरकारों द्वारा तैयार की और विश्व बैंक की सहायता से क्रियान्वित की जाने वाली वर्षा-सिंचित कृषि परियोजनाओं की समीक्षा, प्रबोधन और देखभाल के लिए सचिव, कृषि और सहकारिता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। इन परियोजनाओं का हाल ही में विश्व बैंक के शिष्ट मण्डल द्वारा मूल्यांकन किया गया गया है। शिष्ट मण्डल की रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है।

भारत सरकार ने अर्द्ध शुष्क। वर्षा सिंचित क्षेत्रों की समस्याओं का पता लगाने और इन क्षेत्रों के विकास के लिए अपनाए जाने वाले नीति.विषयक दृष्टिकोण और नीति आदि का सुझाव देने के लिए नवम्बर, 1977 में भी एक कृतक दल गठित किया था। इस कृतक दल ने सघन कृषि पनघारा विकास कार्यक्रम सम्बन्धी नीति की सिफारिश की थी। भारत सरकार ने बारानी खेती वाले क्षेत्रों के लिए जल संरक्षण। कटाई प्राद्योगिकी के प्रचार-प्रसार सम्बन्धी योजना, एवं इस विषय पर अन्य कार्यक्रमों के निरूपण में इसे ध्यान में रखा है।

दिल्ली दुग्ध योजना संयंत्र के कर्मचारियों में अवरोध

10634 **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब से दिल्ली दुग्ध योजना संयंत्र चालू हुआ है तब से इसमें

इलेक्ट्रीकल फिटर, इलेक्ट्रीकल मेकेनिक एक चार्जमैन और एक सहायक इंजीनियर कार्यरत है ;

(ख) क्या राजधानी के दुग्ध संयन्त्र की क्षमता कई बार बढ़ी है परन्तु न तो उक्त इलेक्ट्रीकल मैकेनिकों के वेतनमानों और सेवा शर्तों में कोई सुधार किया गया है और न ही बढ़े हुए काम से निपटने के लिए इसकी संख्या में वृद्धि की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं ?

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त कर्मचारियों की सेवा शर्तों में अवरोध को दूर करने और उनके वेतन मानों और कार्य करने की शर्तों में सुधार करने का हैं ; और

(ड.) यदि यहा, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ग) जी, नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना की केन्द्रीय डेरी के बिजली अनुभाग के लिए शुरू में निम्नलिखित अमले की मंजूरी दी गई थी :—

क्रम सं०	पद का पदनाम	पदो की संख्या
1.	मैकेनिक	2
2.	फिटर	5
3.	अर्ध कुशल फिटर	2

केन्द्रीय डेरी की संभाल क्षमता में वृद्धि होने से बिजली अनुभाग की स्वीकृति संख्या में समय-समय पर भी वृद्धि की गई थी और वर्तमान स्वीकृत संख्या नीचे दी गई है :—

क्रम सं०	पदनाम	स्वीकृति किए गए पदों की संख्या
1.	सहायक इंजीनियर	1
2.	चार्ज मैन (बिजली)	1
3.	सहायक चार्जमेंन (बिजली)	1
4.	मैकेनिक	5
5.	फिटर	9
6.	अर्ध कुशल फिटर	6

(घ) तथा (ड·) इस समय एक फिटर के अतिरिक्त उपर्युक्त श्रेणियों में स्टाफ का कोई भी व्यक्ति अधिकतम वेतन मान में स्थिर नहीं है। सभी पद निचले संवर्ग से प्रोन्नति द्वारा ही भरे जाते हैं।

संयुक्त उद्यमोंके अन्तर्गत मछली पकड़वे की नौकाएं प्राप्त करना

10636. **श्री जनमोहन टुडु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त उद्यमों के अन्तर्गत मछली पकड़ने की नौकाएं प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या नीति अपनायी गयी है ;

(ख) क्या सरकार को इस बातकी जानकारी है कि मछली पकड़ने की नौकाएं प्राप्त करने की नीति अपनाने से पहले विशिष्ट आर्थिक जोन का पूरी तरह सर्वेक्षण नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हाँ, तो क्या पुनः इसका सर्वेक्षण किया जाएगा और मछली पकड़ने की नौकायें प्राप्त करने में आवश्यक परिवर्तन किए जायेंगे ; और

(घ) इसे कब परिवर्तित किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री राव विरेन्द्र सिंह : (क) सरकार की नीति गहरे सागर में मछली पकड़ने वाली नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने के संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन देने की है ।

एतत्सम्बन्धी विनियम अन्य बातों के साथ-साथ साम्य भागीदारी, तकनीकी सहयोग और कुछ रिआयतों से संबधित हैं,

(ख) भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र के लगभग 1/5 हिस्से का अब तक मात्स्यकी संसाधनों के लिए पूरी तरह या आँशिक रूप में सर्वेक्षण किया जा चुका है ।

(ग) और (घ) मात्स्यकी संसाधनों के लिए एकमात्र आर्थिक क्षेत्रों का सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है. जब भी आवश्यक होता है नीति में परिवर्तन करने के लिए सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग किया जाता है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा डिप्टी मैनेजर (जनरल) और ज्वाइंट मैनेजर (जनरल) के लिए निर्धारित अर्हता

10636. **हीरालाल आर० परमार** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के प्रबन्धकों ने ज्वाईंटमैनेजर (जनरल) की अर्हताओं की तुलना में डिप्टी मैनेजर (जनरल) के पद के लिए ऊंची अर्हताएं निर्धारित की हैं ;

(ख) क्या ज्वाइंट मैनेजर (जनरल) की जिम्मेदारियों की तुलना में कम है ;

(ग) यदि नहीं, तो किसी उच्च पद के लिए निम्न या कम अर्हताएं निर्धारित करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या मौजूदा भर्ती को अन्तिम रूप दिए जाने से पूर्व उपरोक्त अर्हताएं निर्धारित

करने की प्रक्रिया को दुरुस्त करने का भारतीय खाद्य निगम का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में लोक निर्माण विभाग में इंजीनियरों के स्थानान्तरण के बारे में नियम

10637. **श्री के. वी. एस मणि**
श्री राम प्रसाद अहिरवार } : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लोक निर्माण विभाग के विभिन्न डिवीजनों में कार्यरत जूनियर इंजीनियर/असिस्टेंट इंजीनियरों और एक्जक्यूटिव इंजीनियरों का तीन/पांच वर्षों के कार्यकाल पूरा होने के बाद स्थानान्तरण के बारे में नियमों का अनुपालन किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या लोक निर्माण का इलैक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्शन डिवीजन 4 इन नियमों का पालन नहीं कर रहा है, यदि हा तो इसके क्या कारण हैं और 13 मार्च, 1983 को वास्तविक स्थिति क्या थी ;

(ग) क्या चीफ इंजीनियर/सुपररिटेंजिंग इंजीनियर इन नियमों का उल्लंन करते हुये कुछ इंजीनियरों का स्थानान्तरण करते रहे हैं और कुछ का स्थानान्तरण नहीं कर रहे हैं ; और

(घ) इस बारे में उनके मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) कनिष्ठ इंजीनियरों के स्थानान्तरण के संबंध में नियमों अर्थात विशिष्ट मण्डल में 5 वर्षों के बाद स्थानान्तरण, आमतौर पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विभिन्न मण्डलों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं । जहां तक सहायक इंजीनियरों/कार्यपालक इंजीनियरों का संबंध है, एक स्थान पर 4 वर्ष की अवधि (3 वर्षों के लिए कठिन स्थानों में) निर्धारित की गई हैं । परन्तु उन्हें एक ही स्थान में एक मण्डल से दूसरे मण्डल में स्थानान्तरण के कोई नियम नहीं हैं । केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में ये नियम आमतौर पर लागू किए जा रहे हैं ।

(ख) जहां तक कनिष्ठ इंजीनियरों का संबंध है कुछ मामलों में महत्वपूर्ण निर्माण कार्यक्रमों के हित को ध्यान में रखते हुए स्थानान्तरण नियमों को अस्थायी तौर पर स्थगित कर दिया गया था । जहां तक सहायक इंजीनियरों और कार्यपालक इंजीनियरों का सम्बन्ध है, 31.3.83 को 4 सहायक इंजीनियर (विद्युत) थे जिनमें से 3 ने अपनी सामान्य अवधि पूर्ण कर ली है । उनमें सबसे अधिक समय तक एक जगह रह रहे अधिकारी के स्थानान्तरण के आदेश

पहले ही जारी कर दिए हैं और शेष अधिकारियों के आदेश बाद में जारी होंगे।

(ग) जी, नहीं। वास्तव में आवर्तन स्थानान्तरण करने की शक्तियां मुख्य इंजीनियर/अधीक्षक इंजीनियरों को नहीं दी गई है और इसलिए उनके द्वारा कुछ अधिकारियों के स्थानान्तरित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

मछली पकड़ने पर कानून बनाना

10638. **श्री भीम सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1897 के बाद ताजे पानी में मछली पकड़ने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर लागू होने वाले कानून नहीं बनाए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान दबाव के अन्तर्गत मत्स्य स्रोतों के समुचित संरक्षण हेतु इस समय क्या उपाय किये जाने हैं ; और

(ग) वर्तमान परिस्थितियों में इन लक्ष्यों से प्राप्त करने हेतु मत्स्य पालन विभाग में इन कानूनों को बनाने हेतु किस प्रकार समन्वय स्थापित किया जा रहा है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) :(क) जी, नहीं। भारतीय मात्स्यकी अधिनियम, 1897 को 1897 में लागू किया गया था। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को धारा (6) के तहत शक्तियां प्रदान की गई हैं कि वे इस के अन्तर्गत नियम बना सकें। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्थानीय स्थितियों के अनुरूप समय पर नियम बनाते रहे हैं।

(ख) कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अन्तर्देशीय मत्स्यन के संरक्षण और विकास के लिए कानून बनाए हैं।

(ग) कृषि मंत्रालय का मात्स्यकी प्रभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यावरण विभाग के समन्यवय से चलते पानी में मछलियों के संरक्षण तथा विकास के लिए विधि तथा कानून बनाने की सलाह दे रहा है। जल प्रदूषण के संरक्षण और नियंत्रण सम्बन्धी केन्द्रीय और राज्य बोर्ड मत्स्यन और मत्स्यनों के आश्रय-स्थलों में सुधार करने के विचार से स्थापित किए गए हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में विस्तार हेतु हुडको का प्रस्ताव

10639. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम का पूर्वोत्तर राज्यों में आवास विकास हेतु अपनी गतिविधियां बढ़ाने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा

(ख) हुडको उत्तर पूर्व राज्यों संघ क्षेत्रों में आवास तथा नगर विकास योजनाओं के लिए विभिन्न अभिकरणों को तकनीकी वित्तीय सहायता देने के लिए अनुकूल प्रयास कर रहा है। कलकत्ता में स्थित हुडको का एक क्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्र की आवश्कताओं की पूर्ति करता है। परामर्श-दात्री सेवा भी उपलब्ध कर रखी है। निदेशकों तथा हुडको के अधिकारियों ने इन राज्यों के दौरे के किए तथा विचार विमर्श किया। अब तक हुडको ने असम, मणिपुर तथा नागालैण्ड राज्यों में 23 4 रिहायशी एककों के निर्माण के लिए 7.73 करोड़ रुपये की ऋण सहायता से 12 योजनाएं स्वीकृत की हैं।

रोम में परामर्शदाता (कृषि) का पद बनाना

10640. **श्री हरीश कुमार गंगवार :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में रोम में परामर्शदाता (कृषि) का एक पद बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस पद पर किसी व्यवसीय तकनीकी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, जैसा कि वैज्ञानिक पदों के मामले में किया जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस तैनाती से उत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी व्यवसायी व्यक्ति को तैनात करना राष्ट्रीय हित में नहीं होगा ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) खाद्य एवं कृषि संगठन के रोम स्थित मुख्यालय के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखने तथा विभिन्न विषयों पर होने वाली बैठकों के लिए रोम का दौरा करने वाले भारतीय शिष्टमंडलों की सहायता करने की दृष्टि से 1966 में रोम स्थित भारतीय दूतावास में परामर्शदाता (कृषि) का एक पद सृजित किया गया था। 1966 से पहले वहां कृषि अताँश का एक पद था, जो 1956 में पहली बार सृजित किया गया था। खाद्य एवं कृषि संगठन के कार्यकलापो में हुई वृद्धि तथा भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा निभायी जाने वाली उच्च जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए परामर्शदाता (कृषि) के पद का दर्जा 10 अगस्त, 1982 से बढ़ाकर मंत्री (कृषि) कर दिया गया है जो भारत सरकार में संयुक्त सचिव के पद के बराबर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पहले परामर्शदाता का यह पद भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भरा जाता था। मंत्री (कृषि) का बढ़ाया गया पद भारत सरकार के संयुक्त सचिव के बराबर है जिस पर नियुक्ति के लिए अखिल भारतीय सेवाओ तथा केन्द्रीय सेवाओं (वर्ग क) के अधिकारियों के नामों पर विचार किया जा सकता है, जैसा कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित वरिष्ठ कर्मचारी योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सचिवालय में उस स्तर के अन्य तदनुरूपी पदों के मामले में होता है।

(घ) इस पद की अपेक्षायें कूटनीतिक और सम्पर्क कार्य सहित प्रतिनिधित्व करने की हैं। इस काम के लिए किसी प्रकार के तकनीकी और वैज्ञानिक अनुभव की आवश्यकता नहीं है। कृषि एक व्यापक क्षेत्र है जिसमें फसल उत्पादन, मात्स्यकी, जल अनुसंधान, सिचाई, मरू टिड्डी नियन्त्रण, कृषि अनुसधान और सिचाई, वानिकी पशुपालन, डेरी, सख्त रेशें, तिलहन, बागवानी आदि अनेक क्षेत्र शामिल हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति, जिसको कृषि के किसी एक विशेष क्षेत्र का तकनीकी ज्ञान हैं, से उत्तम परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सकते हैं। तथापि ऐसे अधिकारियों जिन्हें कृषि के बारे में जानकारी है तथा जिन्हें अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का अनुभव है, को उपयुक्त पद पर नियुक्त करने के लिए वरीयता दी जाती है।

फरवरी, 1983 में डी० डी० ए० के मकानों के ड्रा में विकलांगों को दिया गया विकल्प

10641. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1983 में निकाले गये मकानों के ड्रा के लाट के मूल्यों के भुगतान के संबंध में विकलांगों को कोई विकल्प दिया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या डी० डी० ए० उक्त मकानों के मूल्य के भुगतान की शर्तों में छूट देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मौहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि भुगतान के तरीके के संबंध में पंजीयकों को कोई पूर्व विकल्प नहीं दिया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले

10642. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री दिल्ली उच्च न्यायालयों में लम्बित मामले के बारे में 19 अप्रैल, 1982 और 28 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8362 और 4828 के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों में मामले कब से लम्बित हैं और उन्हें निपटाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) कितने मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश ले लिए गए हैं और कब से तथा इन मामलों को निपटाने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) मामलों को निपटाने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं और क्या सरकार ने दिल्ली

न्यायालय को सुनवाई करने और मामलों को निपटाने के लिए आवेदन किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) : दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, दिल्ली उच्च न्यायालय में लम्बित पड़े ऐसे मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 19.4.82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 8362 के उत्तर में दिल्ली के न्यायालयों में लम्बित बताये गये 4 मामलों में से, 3 मामलों का निपटारा हो चुका है। इस समय 8 मामले ऐसे हैं, जिनमें दिल्ली उच्च न्यायालयों से स्थगन आदेश लिये गये हैं। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन 8 मामलों में से, दो मामलों के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन को सरकारी वकील द्वारा यह सलाह दी गई है कि स्थगन आदेशों को रद्द कराने के लिए आवेदन दायर करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं। एक मामले के संबंध में, दिल्ली प्रशासन ने स्थगन आदेश रद्द कराने के लिए सरकारी वकील से आवेदन दाखिल करने का अनुरोध किया है। अन्य 5 मामलों के बारे में, प्रदान किये गये अंतरिम स्थगन का शीघ्र ही उच्च न्यायालय द्वारा निपटान किए जाने की संभावना है। अन्य मामलों के संबंध में, उच्च न्यायालय स्वयं, अपने द्वारा निर्धारित की गई प्राथमिकताओं के अनुसार कार्रवाई करेगा।

विवरण

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के पास लम्बित पड़े मामलों का ब्यौरा

मामला संख्या	दायर करने की तारीख	उच्च न्यायालय के नोटिस की तारीख	मामले की विषय-वस्तु	स्थगन की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.सी. डब्ल्यू. संख्या 3780/82 दिल्ली सीमेंट स्टाकिस्ट्स एसोसिएशन बनाम यूनियन आफ इंडिया	18.11.82	24.1.83	सीमेंट नियंत्रण आदेश को चुनौती दी गई है	7.12.82	स्वीकृत
2. सी. डब्ल्यू. सं. 27 1707/79 मैसर्स लखीराम सागर चन्द्र बनाम उपराज्यपाल दिल्ली	29.11.79	6.12.79	मिट्टी के तेल के लाइसेंस सं० 1502/79 को रद्द करने के आदेश के विरुद्ध अपील	6.12.79	यथोपरि

1	2	3	4	5
3. सी. डब्ल्यू. सं० 899/82 मैसर्स दीदार सिंह बनाम उपराज्यपाल दिल्ली	29.3.82 29.4.82	डी. सी/सी. एफ. एस. द्वारा जारी उचित दर की दुकान सं० 2299 को रद्द करने संबंधी आदेश के विरुद्ध अपील	27.5.82	-यथोपरि-
4. सी. डब्ल्यू. सं० 360/82 मैसर्स राजाराम बनाम श्री एस. के. बतरा, उपायुक्त (दक्षिण)	30.7.82 10.8.82	पुलिस स्टेशन कालका जी प्रथम सूचना रिपोर्ट मामला सं० 434/81 तारीख 9.4.81 के बारे में अपील	—	-यथोपरि-
5. जी. आर. संख्या 89/82 प्रीत कंस कं० बनाम राज्य एवं अन्य	23.3.82 5.4.82	सी. एफ. एस. तथा अतिरिक्त जिला सब जज के आदेशों के विरुद्ध जी. अपील	—	-यथोपरि-
6. सी. डब्ल्यू. सं० से 2856/82 से 10. सी. डब्ल्यू. सं० 2860/62 पांच रोलर फ्लोर मिल्स मैसर्स दुर्गा ट्रेडिंग कं० मैसर्स ज्वाला फ्लोर मिल्स मैसर्स राजधानी फ्लोर मिल्स मैसर्स (पी) सरप्रोस सिरीयल्स पी लि० और देहली फ्लोर मिल्स बनाम आयुक्त, खाद्य तथा आपूर्ति, दिल्ली	27.8.82 31.8.82	अन्तर की राशि की वसूली को चुनौती दी गई है	31.8.82	-यथोपरि
11. सी. डब्ल्यू. सं० 1639/81 मैसर्स अमीर चन्द केशर चन्द	तुरन्त उपलब्ध नहीं है	तुरन्त उपलब्ध नहीं है	सी. एफ. एस. के आदेश और अतिरिक्त जिला	— स्वीकृत

1	2		3	4	4
बनाम श्री एल. डी. गुप्त तथा अन्य			तथा सब जज द्वारा अपील पर निर्णय के विरुद्ध अपील		
12. सी. डब्लू. सं० 2030/82 श्री अमरनाथ बनाम यूनियन आफ इंडिया	11.8.82	13.10.82	दिल्ली ब्रीक्स कंट्रोल आर्डर को चुनौती दी गई है।	—	अभी तक स्वीकृत नहीं हुई है।
13. सी. डब्लू. सं० 60/81 दिल्ली प्रशासन बनाम मुंशीराम राम निवास	23.9.81	29.4 81	अतिरिक्त जिला सब जज के आदेश के विरुद्ध दिल्ली प्रशासन द्वारा दायर अपील	—	स्वीकृत
14. सी. डब्लू. सं० 265/83 टीकम चन्द एंड सस बनाम राज्य	26·3.83	12.4.83	खाद्य तेल (लाइसेंसिंग एवं नियंत्रण) आदेश, 1977 को चुनौती दी गई है	—	—

नेशनल एग्रो-इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन स्थापित करना

10643. **श्री एम० सत्यनारायण राव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पर आधारित उद्योगों को सहायता प्रदान करने हेतु एक नेशनल एग्रो-इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) भारत सरकार राज्य कृषि उद्योग निगमों को, जो 18 राज्यों में विद्यमान है, तकनीकी तथा परामर्शदात्री सेवाएं और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कृषि उद्योग निगम स्थापित करने की आवश्यकता की जांच कर रही है। इस संबंध में अभी तक कोई प्रस्ताव/योजना तैयार नहीं की गई है।

दालों के उत्पादन के बारे में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का दावा

10644 **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक माइकोप्लाज्मा के अतिरिक्त वाइरस, बैक्टिरिया, मोल्ड आदि अन्य जीवाणुओं के उपस्थिति के बारे में कहा है; और यदि हाँ ; तो सुपरिचित पास्चर्स पोस्टुलेट्स के साथ माइकोप्लाज्मा में परीक्षण के बिना इसको सम्बद्ध करने के क्या कारण है ;

(ख) क्या सरकार कुछ वर्ष पूर्व आई० वी० आर० आई० में किए गए झूठे दावों के बाद इस वैज्ञानिक खोज के बारे में एक उच्च अधिकार प्राप्त जांच के आदेश देगी ; और

(ग) क्या सरकार भारतीय कृषि अनुसंधान के द्वारा दालों के उत्पादन में मिली सफलता के दावों के बारे में भी जांच करेगी और ए० सी० सी० से सार्वजनिक विषय पर सुनवाई आयोजित करने के लिए अनुरोध करेगी ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) जी हां; श्री मान। सही है कि हाल ही में जड़ मुरझान रोग से ग्रस्त नारियल के पेड़ों में ऊतकों में पाये जाने वाले माइकोप्लाज्मा जैसे जीवों के बारे में हुए प्रदर्शनों से पहले वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया था कि कुछ और जीव जैसे कवक, विषाणु जीवाणु और गोलकृमि आदि इस रोग के संम्भावित कारण हो सकते हैं। चूकि, माइकोप्लाज्मा जैसे जीवों को हाल ही केवल नारियल के रोगग्रस्त पेड़ों में ही पाया गया है और रोग मुक्त क्षेत्रों के स्वस्थ्य पेड़ों में इन्हें नहीं पाया गया हैं। माइकोप्लाज्मा जैसे जीवों का इस रोग में आलिप्त पाया गया है। वैज्ञानिकों ने यह दावा नहीं किया हैं कि माइकोप्लाज्मा ही इस रोग को पैदा करने वाला अन्तिम कारक है।

जहां तक हमें जानकारी है, जीवित परपोषी से अलग कृत्रिम माध्यम में पौध माइकोप्लाजमा का ऐसा कोई प्रामाणिक मामला कल्चर में लाया जा रहा है इसलिए कोच की अभिधारणा को पूरा करने वाले (जैसा कि इस प्रश्न में पैंशचुर की अभिधारणा का हवाला दिया गया है) इस मामले में सही मत प्रकट करना संभव नहीं है। फिर भी अन्य माइकोप्लाज्मा जैसे जीवो के पौध रोग जनकों की तरह वैज्ञानिक इस कीट अथवा इस रोग को संचारित करने में सम्मिलित अन्य रोगवाहक का पता लगाने और उस पर परिक्षण करने का प्रयास कर रहें हैं। जिससे इस रोग को पैदा करने वाले मूल अनियमित कारकका पता लगाया जा सके।

(ख) भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान द्वारा कोई गलत (कपट पूर्ण) दावे नहीं किये गये हैं ; इसलिए एक उच्च अधिकार प्राप्त जांच की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं ; श्री मान। भा०कृ० अ० प० ने कभी भी दलहनीं फसलों के उत्पादन में विशेष-प्रगति का दावा नहीं किया है जैसा कि गेहूं और चावल जैसी अन्य फसलों में किया गया है। भा० कृ० अ० प० का यह दावा है कि दालों की उन्नत किस्में और प्रौद्योगिकीं जो अब हमें उपलब्ध है, अधिक उत्पादन देने में सक्षम हैं। दालों की उन्नत किस्मों के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी का किसानों के खेतों में परीक्षण किया गया जो राष्ट्रीय औसत की तुलना में काफी अधिक उपज देती है और दालों की राष्ट्रीय उपज में सुधार का मुख्य कारण हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए दलहनी फसलों के उत्पादन में विशेष-प्रगति के दावे की जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों की खपत

10645. **श्री विलास पासवान** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान उर्वरक की प्रति हैक्टेयर औसतन खपत

31 किलोग्राम से बढ़कर 35 किलोग्राम हो गई है अर्थात 13 प्रतिशत बढ़ गई है ;

(ख) यदि हाँ तो उर्वरक संबंधी परिव्यय और लागत में कुल कितनी राष्ट्रीय वृद्धि हुई ;

(ग) क्या सरकार यह समझती है कि गत 5 वर्षों की वर्ष-वार उर्वरक खपत में हुई वृद्धि प्रति हैक्टेयर उत्पादकता में हुई वृद्धि के अनुकूल है ; और

(घ) यदि हां, तों तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) उर्वरक पोषक तत्वों की प्रति हैक्टार औसत खपत 1980-81 में 31 .5 कि. ग्रा. से बढ़ाकर 1981-82 में 34. 82 कि. ग्रा. हो गई। खपत विकास दर में वृद्धि 1980-81 की तुलना में 1981-82 में 9.9 प्रतिशत रही।

(ख) योजना आयोग के दस्तावेज के अनुमार केन्द्रीय क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन के लिए पांचवी पयोजना के 1533 करो रु० की तुलना में छठी योजना विधि के दौरान 2367करोड़ रुपये केपरिव्यय की व्यवस्था की गई है। छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र सार्वजनिक और सहकारी) द्वारा किया गया व्यय 1021. 54 करोड़ रुपये आंका गया है।

(ग) और (घ) उत्पादकता में वृद्धि उर्वरकों, उपयोग सहित कई बातों पर निर्भर करती है। उत्पदाकता में वृद्धि पर अकेले उर्वरक के प्रभाव को अलग करना संभव नहीं है। तथापि, यह उल्लेख कर दिया जाए कि विभिन्न आदानों जैसे सिंचाई, बीज, उर्वरक, कृमिनाशी औषधियाँ, उचित प्रबन्ध आदि के मिले-जुले प्रभाव के परिणाम स्वरूप पिछले वर्षों में उत्पादकता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

भिवंडी में बूचड़खाना बनाने की अनुमति

10646. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने थाने जिले के भिवंडी में प्रस्तावित बूचड़खाना बनाने की स्वीकृति दे दी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) तथा (ख) : उद्योग मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मैसर्स अलकाबीर एक्सपोर्ट प्रा० लिमिटेड को महाराष्ट्र राज्य में जिला थाने स्थित भीलवंडी में 15000 मीटरी टन हिमित मांस एवं 1015 मीटरी टन हिमित छीछड़ों के विनिर्माता हेतु 8.1.81 को डी० जी० टी० डी० द्वारा इस शर्त पर पंजीकृत किया गया है कि मांस का सम्पूर्ण उत्पादन 10 वर्षों की अवधि के लिए निर्यात किया जाएगा।

गैर-आवासीय भारतीयों को ऐशियाड गांव के फ्लैटों की बिक्री

10647. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास एशियाड गाँव के फ्लैटों को गैर आवासीय भारतीयों को विदेशी मुद्रा का भुगतान करने पर बेचने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) ऐसे कितने फ्लैट हैं जिनको बेचने का विचार है ; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जाएगा ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री श्री (मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) से (ग) : एशियाई खेल ग्राम के फ्लैटों को बेचने संबंधी मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

टोडापुर गाँव, नई दिल्ली में भूमि अधिग्रहण

10648. **स्वामी इन्द्रवेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने टोडापुर गांव, नई दिल्ली–12 की सभी भूमि अधिग्रहण कर ली थी और मलिकों को मुआवजे का भुगतान कर दिया था ; और यदि हाँ, तो कब और मुआवजे की अदायगी कितने किस्तों में की गई थी और इसकी राशि कितनी थी ;

(ख) क्या इस गांव के लोगों को अधिग्रहण की गई भूमि के स्थान पर कोई भूमि आबंटित की गई है और यदि हाँ तो यह कहां आबंटित की गई है ;

(ग) क्या इन लोगों ने लाल-डोरा के बाहर की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है और यदि हाँ, तो तथ्य क्या है ; और

(घ) इस गाँव में सरकारी जमीन के अवैध कब्जे को हटाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही करने पर विचार किया है।

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दावे

10649. **श्री हरिकेष बहादुर** : क्या कृषि मंत्री माइकोप्लाज्मा, नारियल में "विल्ट" रोग को एक कारण के बारे में 18 अप्रैल, 1983 के तारांकित प्रश्न संख्या 676 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निदेशक सी. पी. आर. आई. त्रिवेन्दम ने शताब्दि पुराने नारियल में "विल्ट" रोग के एक कारण के रूप में माइकोप्लाज्मा का पता लगाने में सफलता प्राप्त करने का ब्यौरा दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा इन दावों से मुकरने के कारण क्या हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान के निदेशक द्वारा 16 मार्च, 1983 को त्रिवेन्द्रम में नारियल के जड़ मुरझान रोग से सम्बन्धित हाल ही की उपलब्धियों पर दिए गये वक्तव्य का सार इस प्रकार है :

"इलेक्ट्रोन सूक्ष्मदर्शी परीक्षण के माध्यम से जड़ मुरझान रोग के कारकों के सम्बन्ध में विशेष प्रगति हुई है। केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान के वैज्ञानियों ने परिणामों से इस बात की पुष्टि की है कि जड़ मुरझान से प्रभावित नारियल के पेड़ो में पाये जाने वाले उतकों में माइको-प्लाज्मा कारक होते हैं। रोग मुक्त पेड़ों में इस प्रकार के जीवाणु नहीं पाये गये।"

न तो उपर्युक्त विवरण में और न ही भा. कृ. अ. प. द्वारा लोक सभा को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 676 दिनांक 18 अप्रैल, 1983 के उत्तर मे इस तरह का दावा किया गया है कि माइकोप्लाज्मा (जीवाणु) को अन्तिम रूप में इस रोग का कारण माना जाए। प्रश्न संख्या 676 के पहले के उत्तर में यह बताया गया था कि यह अवलोकन बहुत ही उपयोगी था। केन्द्रीय बागानी फसल अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस उपलब्धि को इस क्षेत्र में एक विशेष प्रगति माना है। परिषद को इस राय पर असहमति नहीं है।

(ख) ऊपर (क) में दिये गये स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न के इस भाग का उत्तर देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों को प्राकृतिक प्रकोपों के लिए दी गई धनराशि

10650. **श्री ए. नीलालो हिथादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह है कि 1982-83 में राज्यों को प्राकृतिक प्रकोपों के लिए 436 करोड़ रुपये दिए गए 1979-80 में केवल 193 करोड़ रुपये दिए गए थे ;

(ख) क्या 1979-80 से पहले भी इसी प्रकार के प्रकोप हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन वर्षों के दौरान 1979 से प्रतिवर्ष कितनी धनराशि वितरित की गई ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं। सभी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए 1982-83 में मंजूर की गई सहायता की कुल अधिकतम सीमा 781.21 करोड़ थी, जब कि 1979-80 में यह रकम 359 करोड़ रुपए थी।

(ख) जी हां।

(ग)

वर्ष	करोड़ रुपये
1970-71	88.03
1971-72	102.48

1972-73	49 38
1973-74	302.10
1974-75	50.04
1975-76	35.88
1976-77	76.56
1977-78	153.71
1978-79	323.82
1979-80	359.45
1980-81	494.10
1981-82	320.17
1982-83	781.21

बाढ़ और समुद्री तूफान के लिए वितरित की गई राशि

10651 **प्रो० अजीत कुमार मेहता** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 में सरकार ने बाढ़ तथा समुद्री तूफानों के लिए 345 करोड़ रु. की राशि वितरित की जबकि वर्ष 1978-79 के दौरान केवल 311 करोड़ रु. की राशि दी गई थी ; और

(ख) वर्ष 1970 से लेकर वर्ष 1978-79 तक की अवधि के दौरान ऐसी आपदाओं के लिए क्या राशि दी गई थी ?

कृषि मन्त्री (राव विरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां ।

(ख)

वर्ष	करोड़ रुपए में
1970-71	52.30
1971-72	41.95
1972-73	39.23
1973-74	44.48
1974-75	6.00
1975-76	35.15
1976-77	40.38
1977-78	044.09

भारतीय महिलाओं पर बायोमास" ईंधनों का प्रभाव

10652. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विशेषज्ञों द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से पता चला है कि भारत में जो महिलाएं लकड़ी या गोबर जैसा "बायोमास ईंधन जला कर भोजन पकाती हैं उनके प्रदूषक तत्वों (पोल्यूटैंट्स) से अत्याधिक मात्रा में प्रभावित होने का खतरा रहता है और साथ ही एक घातक रसायन, बेंजो-ए-पाइर्र न जिस से कैंसर होने का संदेह है, से प्रभावित होने का भी खतरा रहता है ;

(ख) क्या सरकार ने इस मामले की विशेषज्ञों द्वारा जांच कराई, और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या निवारक उपाय करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : स्वास्थ्य मंत्रालय जो इस विषय को देखता है, द्वारा भेजी गई सूचना के आधार पर उत्तर निम्न प्रकार हैं : —

(क) विदेशी विशेषज्ञों द्वारा किया गया ऐसा कोई अध्ययन सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ख) स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है तथापि, राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, अहमदाबाद द्वारा किए गए अध्ययनों में यह सुझाव दिया गया है कि जब ईंधन के रूप में लकड़ी तथा गोबर का प्रयोग किया जाता है तो घर के आस-पास बेंजों-ए-पाइरीन के तत्व अधिक होते हैं। बेंजों-ए-पाइरीन एक ज्ञात कैन्सरजन है लेकिन महिलाओं पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया है कि ईंधन के जलाने से उन्हें कैंसर होने का खतरा रहता है।

(ग) सरकार को गांव में धुंआरहित चूल्हों की शुरूआत करने तथा उन्हें विकसित करने के लिये किए जा रहे प्रयासों की जानकारी है। अन्धेपन की रोकथाम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है तथा नेत्र विकार का शीघ्र उपचार किया जा रहा है।

चीड़ के पेड़ों का समाप्त होना

10653. **श्री अनादि चरण दास** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में तेजी से समाप्त हो रहे चीड़ के पेड़ों की जानकारी है,

(ख) यदि हां, तो चीड़ के पेड़ों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या योजना आरम्भ करने का विचार है, और

(ग) चीड़ के पेडों के विकास के लिए यदि पहले कोई केन्द्रीय योजना आरम्भ की गई है तो उसका ब्यौरा क्या है ;

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) पांचवी योजना अवधि के दौरान उष्णकटिबंधीय चीड़ संबंधी अनुसंधान के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना आरम्भ की गई थी और यह योजना छठी योजना में भी जारी रखी गई है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की मृदा और जल वायु संबंधी परिस्थितियों के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय चीड़ को भारी पैमाने पर लगाने संबंधी कार्यक्रमों को तेज करना है। इस प्रयोजन के लिए कोरापुट (उड़ीसा) और कोडाइकनाल (तमिल नाडु) में दो क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्रों की स्थापना की गई है। ये केन्द्र विस्तार कार्य करते हैं, उपयुक्त उद्गमों के बीजों की भारी मात्रा में सप्लाई करने की व्यवस्था करते हैं और क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी मार्ग दर्शन उपलब्ध कराते हैं।

सहकारी गृह निर्माण समितियों के आवंटियों से वसूल किये जाने वाले परिधि प्रभार

10654: **श्री कमल नाथ :** क्या निर्माण और अवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) परिधि सेवा के रूप में कहलाई जाने वाली विशिष्ट सेवाएं कौन-कौन सी हैं। जिन के लिए डी० डी० ए० द्वारा पूर्व दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितयों द्वारा बनाई गई कालोनियों में प्लाटों के आवंटियों से प्रति वर्ग मीटर 10 रुपये दर से अतिरिक्त प्रभार वसूल किया जा रहा है ;

(ख) क्या दक्षिण दिल्ली में विकास सभी गृह निर्माण समितियों से ये प्रभार वसूल किव जा रहे हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण और अवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ (क) दिल्ली-विकास प्रधिकरण ने बताया है कि परिधीय सेवाओं में (i) उपरि टैंकों से मुख्य लाईन से जल पूर्ति का वितरण और (ii) 60" व्यास से कम की सीवर लाइनें शामिल हैं। सहकारी गृह निर्माण समितियों के मामले में जहां दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा परिधीय सेवाएं मुहैया की जाती हैं, उसकी लागत लाभ-भोगी सदस्यों से परिधीय प्रभारो के रूप में वसूल की जाती है। इस प्रकार की समितियों के एक सदस्य सेकुल प्लाट क्षेत्र का 16/-रुपये प्रति वर्ग मीटर किश्तों में वसूल किया जाता है। 6/-रुपये प्रति वर्ग मीटर पहली किश्त भवन नक्शों की मंजूरी के समय ली जाती हैं और शेष 10/-रुपये प्रति वर्गमोटर बाद में वसूल किया जाता है।

(ख) तथा (ग) :- दिल्ली विकास प्रधिकरण ने बताया है कि परिधीय प्रभार सहकारी गृह निर्माण समितियों से लिये जा रहें हैं जहां उनके द्वारा परिधीय सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। दक्षिण दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों के मामले में, दिल्ली विकास प्रधिकरण ने वह परिधीय प्रभार वसूल नहीं किया है जहां उन्होंने ऐसी सेवायें मुहैया नहीं की हैं।

बकरियों आदि का आयात

10655. **श्री के० ए० राजन** : क्या कृषि मंत्री पशुओं की खरीद के लिए एक दल के पश्चिमी देशों के दौरे के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1192 के उत्तर के बारे में यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) भाग (ख) में उल्लिखित बकरियों, भेड़ों तथा खरगोशों की प्रत्येक किस्म के कितने कितने नर तथा मादा पशुओं का पहला आयात किया गया था, किस तारीख को एवं किस कीमत पर आयात किया गया था;

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/संस्थान के पास 1 अप्रैल, 1983 के दिन प्रत्येक किस्म के लिंग एवं आयुवार कितने पशु थे,

(ग) प्रत्येक केन्द्र में प्रत्येक जाति के लिए मंजूर किया गया समागम कार्यक्रम क्या है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा भी इसे किस तारीख को मजूर किया गया था;

(घ) वर्ष संकर जातियों के प्रयोजन के लिए 1 अप्रैल 1983 के दिन केन्द्र वार तथा जाति-वार कितने स्थानीय मादा पशु थे और संकरण प्रयोजन के लिए प्रति नर पशु के लिए कितनी संख्या की सिफारिश की गई थी;

(ङ) क्या सरकार ने प्रस्तावित आयात के लिए विदेशी मुद्रा मंजूर करने से पूर्व इन ब्यौरों की जांच की थी; और

(च) यदि नहीं, तो उसका औचित्य क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) और (च) : इन प्रश्नों से संबंधित सूचना बहुत विशाल (भारी-भरकम) है। इसे विभिन्न अनुसंधान संस्थानों से एकत्र किया जा रहा है और उपलब्ध हो जाने पर उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में तदर्थ अनुसंधान योजनाएं

10656. **श्री राम किंकर** : क्या कृषि मंत्री भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में तदर्थ अनुसंधान योजनाओं के बारे में 11 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1130 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से 1 अप्रैल, 1983 तक के पशु प्रजनन पाठ्यक्रम के लिए योजना का नाम वैज्ञानिकों का नाम, विश्वविद्यालय/संस्थान, प्रस्तुत करने की तारीख और वह तारीख कौन सी है जिसका विज्ञान संबंधी पेनल द्वारा विचार किया गया तथा किस तारीख का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा मंजूरी दी गई, स्वीकृति तारीख अवधि और मंजूरी की गई धनराशि कितनी है;

(ख) विज्ञान संबंधी पेनल ने 1980 से 1 अप्रैल, 1983 तक के बीच हुई प्रत्येक बैठक

में पशु प्रजनन की कितनी अतिरिक्त योजनाओं पर विचार किया गया लेकिन मंजूरी नहीं दी तथा साथ ही योजना-वार मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस अवधि में इस पैनल के अध्यक्ष, सदस्य-सचिव और प्रत्येक पैनल सदस्य के क्या-क्या नाम थे ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) (क) से (ग) : इन प्रश्नों के सम्बन्ध में मांगी गयी सूचना बहुत विशाल (भारी-भरकम) है। इसे एकत्र किया जा रहा है और उपलब्ध हो जाने पर उसे लोक सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1983-84 के दौरान किया जाने वाला नियतन।

10657. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्त वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार प्रस्तावित नियतन कितना-कितना है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) से (ग) वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय अंश के रूप में 200 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। राज्य सरकारों से अपने अंश के रूप में इसके बराबर की धनराशि उपलब्ध करने की अपेक्षा की गई है। वर्ष 1983-84 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित केन्द्रीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधनों के अन्तिम आबंटन को दर्शाने वाला विवरण।

क्र० सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	नकद निधियां (खाद्यान्नों के मूल्य सहित) (लाख रुपये में)
1.	2.	3.
1.	आंध्र प्रदेश	1990·00
2.	असम	438·00
3.	बिहार	2872·00
4.	गुजरात	650·00

1	2	3
	5. हरियाणा	170 00
	6. हिमाचल प्रदेश	80.00
	7. जम्मू और कश्मीर	150.00
	8. कर्नाटक	950·00
	9. केरल	930.00
	10. मध्य प्रदेश	1470·00
	11. महाराष्ट्र	1600-00
	12. मणिपुर	22·00
	13. मेघालय	30.00
	14. नागालैंड	10·00
	15. उड़ीसा	910·00
	16. पंजाब	275·00
	17. राजस्थान	480·00
	18. सिक्किम	6·00
	19. तमिलनाडु	1800·00
	20. त्रिपुरा	66·00
	21- उत्तर प्रदेश	3440·00
	22. पश्चिम बंगाल	1555·00
	योग : राज्य	19894·00
	23. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3·00
	24. अरुणाचल प्रदेश	12·00
	25. चंडीगढ़	1·30
	26. दादरा और नगर हवेली	4·60
	27· दिल्ली	13·80
	28. गोवा दमन और द्वीव	36·80
	29. लक्ष्यद्वीप	1·70
	30. मिजोरम	7·50
	31 पांडेचेरी	25·30
	योग केन्द्र शासित क्षेत्र	106·00
	कुल योग:	20000.00

कर्नाटक राज्य में ग्रामीण विकास कार्य

10658. **श्री एस० वी० सिदनाल** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक राज्य में बड़े ग्रामीण विकास कार्य ठप्प पड़े हैं; अनेक सूखाग्रस्त जिलों में कोई राहत कार्य नहीं किया जा रहा है और गावों में पेय जल समस्या गम्भीर बनी हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि काम की तलाश में राज्य के लोग गोवा चले गये हैं; और

(ग) क्या कर्नाटक में की स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक केन्द्रीय दल भेजने का प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) कृषि मन्त्रालय को कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुए ज्ञापन के अनुसार राज्य में 19 जिलों में से 16 जिले सूखे से प्रभावित हुए हैं जिनके फलस्वरूप पेय जल आपूर्ति तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में गम्भीर समस्याएं उत्पन्न हुए थीं। तथापि, ग्रामीण विकास मंत्रालय को इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि सूखे के कारण मंत्रालय के कार्यक्रम बन्द पड़े हुए हैं।

(ख) इस पहलू के बारे में मन्त्रालय में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) एक अन्तर-मन्त्रालय केन्द्रीय दल ने 17 से 23 फरवरी, 1983 तक राज्य में सूखे की स्थिति का अध्ययन करने के लिए कर्नाटक का दौरा किया था। इस दल की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, भारत सरकार ने 1982-83 के दौरान राज्य सरकार को सूखा राहत के लिए 8·81 करोड़ रुपये तथा 1983-84 के दौरान 13·14 करोड़ रुपये के व्यय की सीमा संस्वीकृत की है।

गुजरात में केन्द्रीय सरकार के आवास के निर्माण की योजना

10659. **श्री रामजी भई मावणि** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों तथा केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिए कई केन्द्रीय सरकार के विभागों के आवास गृहों और भवनों के निर्माण हेतु कई परियोजनाएं और योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो 1977 से 1979 और 1 जनवरी, 1980 से 31 जनवरी, 1983 के दौरान इसके लिए प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और कितनों में निर्माण प्रारम्भ हो चुका है तथा कितनी पूरी हो गई हैं;

(घ) प्रत्येक पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ङ) कितनी परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और पूरी हो जाएंगी और

(च) 1983 और 1984 के दौरान प्रारम्भ किए जाने वाले निर्माण का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) जी हां।

(ख) से (ङ) एक विवरण से संलग्न है।

(च) विवरण दो संलग्न है।

क्रम सं०	**परियोजना का नाम**	**परियोजना पर पूर्णतया किया गया व्यय**	**निर्माणाधीन**

I-1977-79 के दौरान विभिन्न केन्द्रीय सरकारी विभागों द्वारा स्वीकृत योजनाएं

1	2	3	4
		(लाख रु० में)	
1.	वरवल में मन्त्रिमण्डल सचिवालय भवन का निर्माण	2·94	पूर्ण हो गया है
2.	अहमदाबाद में आयकर विभाग भवन में एनेक्सी ब्लाक का निर्माण		निर्माण कार्य और अभी आरम्भ नहीं किया गया है।
3.	लोथल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए स्टाफ क्वाटरों का निर्माण	12·22	पूर्ण हो गया है।
4.	भुज में सीमा सुरक्षा बल के लिए बैरक्स, किचन तथा डाइनिंग हाल तथा शौचालय का निर्माण	10·53	— वही—
5.	अहमदाबाद में आयकर विभाग के लिए बने बनाये फ्लैटों की खरीद	9·90	— वही—
6.	भुज में सीमा सुरक्षा बल के लिए अधीनस्थ आफिसर्स मैस का निर्माण	1·20	—वही—
7.	अहमदाबाद में केन्द्रीय लोक निर्माण		

1	2	3	4
	विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण	4·68	कार्य प्रगति पर है।
8.	भुज में सीमा सुरक्षा बल काम्प्लैक्स में टाइप-बी के 16 क्वाटरों का निर्माण	6·61	पूर्ण हो गया है।
9.	सी० ए० भाव नगर में टाइप के 12, टाइप बी के 8, टाइप सी के 2 क्वार्टरों का निर्माण	8·37	कार्य प्रगति पर है।
10.	गांधी नगर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के लिए आवास का निर्माण	301·00	पूर्ण हो गया है।
11.	सूरत में राजस्व विभाग में रिहायशी वास का निर्माण	49·18	—वही—
12.	वसाद में भूमि रक्षण अनुसंधान प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण के लिए रिहायशी वास का निर्माण	2·72	पूर्ण हो गया है।
13,	गांधी नगर में भारतीय भू सर्वेक्षण के लिए कार्यालय तथा प्रयोगशाला भवन का निर्माण	25·74	कार्य प्रगति पर है
14.	वापी में आय कर तथा सीमाशुल्क के लिए रिहायशी वास का निर्माण	7.15	कार्य पूर्ण हो गया है।

11—1 जनवरी. 1980 से 23 जनवरी, 1983 के दौरान विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों द्वारा स्वीकृत योजनाएं

1.	अहमदाबाद में मौसम विज्ञान विभाग के लिए टाइप-11 के 12 और टाइप-111 के 4 अतिरिक्त रिहायशी क्वार्टरों का निर्माण	4·03	कार्य प्रगति पर है।
2.	राजकोट में महालेखाकार के कर्मचारियों के लिए 300 क्वाटरों का निर्माण	—	कार्य हाल ही में शुरू किया गवा है।
3.	बड़ौदा में केन्द्रीय आबकारी विभाग कार्यालय के भवन का निर्माण	44·76	कार्य प्रगति पर है।
4.	बड़ौदा में आयकर विभाग के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	25·21	—वही—

1	2	3	4
5.	बड़ौदा में केन्द्रीय आबकारी विभाग के लिए 80 क्वार्टरों का निर्माण	3·17	—वही—
6.	अहमदाबाद में जंक्सन पर 2 मीटिंग स्टेशन बिल्डिग का निर्माण	1 02	—वही—
7.	गाँधी नगर में चाहरदीवारी, सुरक्षा बाड़ा और चौकीदार शेड सहित रिसीविंग स्टेशन का निर्माण	—	—वही—

विवरण-2

क्रम संख्या परियोजा का नाम

1983 तथा 1984 के दौरान केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा आरम्भ की जाने वाली परियोजना

1. आनन्द में केन्द्रीय आबकारी विभाग के लिए कार्यालय भवन का निर्माण
2. आनन्द में केन्द्रीय आबकारी विभाग के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण
3. सूरत में केन्द्रीय आबकारी विभाग के लिए अतिरिक्त कार्यालय वास का निर्माण
4. बड़ौदा में भारतीय पुरात्व सर्वेक्षण के लिए कार्यालल भवन का निर्माण
5. दमरौदा में केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म के लिए भवन का निर्माण

औद्योगिक गृहों द्वारा गावों में शुरु किए गए दीर्घावधि कार्यक्रम

10660. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **ग्रामीण विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक कम्पनियों ने कर में उस छूट से प्रोत्साहित होकर जिस छूट के वे अधिकारी थे, गांवों में दीर्घावधि कार्यक्रम शुरू किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन औद्योगिक गृहों द्वारा शुरू किए गए ऐसे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये कार्यक्रम सरकार द्वारा जारी रखे जाएंगे; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) से (घ) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड जो आयकर अधिनियम की धारा 35 ग. ग तथा 35 ग. ग, क के अधीन कम्पनियों तथा सहकारी सोसायटियों को उपलब्ध रियायतों को लागू करता है, द्वारा भेजी गई सूचना

के अनुसार, केन्द्रीय निर्धारित प्राधिकरण ने मई 1979 तक 71 कम्पनियों तथा 13 एसोसिएशनों/संस्थाओं का ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को अनुमोदित किया है। जून, 1979 से ऐसे प्रस्तावों को संस्वीकृति देने का प्राधिकार राज्य स्तरीय समितियों को दे दिया गया था जिन्होंने जून, 1979 से लेकर अक्तूबर-नवम्बर 1982 तक 263 कम्पनियों तथा 320 एसोसिएशनों/संस्थाओं के कार्यक्रमों को अनुमोदित किया है। यह निर्णय लिया गया है कि ग्रामीण विकास के अनुमोदित कार्यक्रमों पर कम्पनियों तथा सहकारी सोसायटियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किए गए व्यय के सम्बन्ध में छटौती से सम्बन्धित आयकर अधिनियम की धारा 35 ग, ग में मौजूद प्रावधानों को जारी रखा जाए। तथापि, यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि कर की छूट की अनुमति केवल उच्च प्राथमिकता वाले ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में ही दी जाए, निर्धारित प्राधिकरण द्वारा किसी भी कार्यक्रम को अनुमोदन तभी दिया जाएगा यदि ग्रामीण विकास कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में दर्शाये गए कार्यक्रमों की श्रेणी अथवा वर्ग में आता हो। वित्त विधेयक 1983 के प्रावधानों में तदनुसार संशोधन कर दिया गया है और विधेयक अब राज्य सभा के समक्ष है।

जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के सहयोग से मुद्रणालयों की स्थापना

10661. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के पोलीग्राफ के सहयोग से कितने मुद्रणालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) प्रत्येक यूनिट की क्षमता कितनी है; और

(ग) क्या इनमें से किसी यूनिट की क्षमता बढ़ाने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

निर्माण और आवास मन्त्रालय के उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) : मेरा मन्त्रालय मात्र केन्द्रीय सरकार के मुद्रण कार्य के लिए उत्तरदायी है न कि सम्पूर्ण देश में मुद्रणालय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है। जर्मन डैमोक्रेटिक रिपब्लिक के पोलीग्राफ के सहयोग से मेरे मंत्रालय के अधीन कोई मुद्रणालय स्थापित नहीं किया गया है।

पंजाब में खाद्यान्नों की कमी

10662. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में भण्डार किए गए 28 लाख टन खाद्यान्न में से लगभग 8 लाख टन खाद्यान्न पहले से ही सड़ गया है और शेष खाद्यान्न भी खराब हो रहा है; और

(ख) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सूखे से 484 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि

प्रभावित हुई है और खाद्यान्नों के उत्पादन लक्ष्य में 110 लाख टन की गिरावट आने की संभावना है और कई राज्यों में सूखे की स्थिति होने के कारण वहां खाद्यान्नों की भारी कमी है, सरकार का पंजाब के गोदामों में खाद्यान्नों के सड़ने के परिणामस्वरूप खाद्यान्नों के बेकार जाने से रोकने हेतु कदम उठाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) : जी नहीं। खाद्यान्नों, मुख्यतया धान, को कुछ क्षति पहुंची है जोकि पंजाब में "कवर तथा प्लिंथ भण्डारण में रखा हुआ था। 1979-80 से 1982-83 के दौरान वसूल की गई धान की कुल मात्रा में से लगभग 79,000 मीटरी टन धान (जोकि 1·14 प्रतिशत बैठता है) इन वर्षों के दौरान क्षतिग्रस्त हुआ था।

(ख) : ऐसी क्षति कम से कम हो, इसके लिए बहुत से पग उठाए गए हैं। इनमें ये पग शामिल हैं —शीघ्र कुटाई करवाने के लिए धान को अन्य जिलों/राज्यों को भेजना, जहाँ सम्भव हो वहाँ धान को खुले भण्डारण से ढके भण्डारण में भेजना, जहां कहीं भी अतिरिक्त ढकी भण्डारण क्षमता उपलब्ध हो, वहां उसे किराए पर लेना और भण्डारण में कीड़े लगने आदि के कारण होने वाली हानियों को रोकने के लिए सभी सावधानियां भी बरतना।

कनाट प्लेस, दिल्ली में एक उद्योगपति को भूमि की बिक्री

10663. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कनाट प्लेस में आपातकाल के दौरान जिस भूमि को एक उद्योगपति को अवैध रूप में बेच दिया गया था और बाद में अवैधता की बात प्रकाश में आ जाने से वह उद्योगपति अपने पैसे वापस ले गया था, उसे फिर उस भूमि को बेच दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी औचित्य क्या है;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों का केन्द्रीयकृत विपणन

10664. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरकों का केन्द्रीय कृत विपणन आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीयकृत विपणन के घटक क्या-क्या हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

20 सूत्री कार्यक्रम के अधीन सहकारी बैंकों द्वारा दिए गए ऋण

10665. श्री नरसिंह मकवाना : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की कुल राशि कितनी है और उसका राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के लिये सहकारी बैंकों के माध्यम से कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई हैं; और

(ग) यदि कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई है तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) (क) से (ग) 20 सूत्री कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के राज्यवार कोई विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। राष्ट्रीय कृषि और विकास बैंक ने लघु सिंचाई, मुर्गी भेड़ प्रजन, सूअर पालन, मत्स्यकी डेरी, गोबर गैस संयंत्र और आई०आर०डी०पी० जैसे विभिन्न प्रयोजनों, जो नए 20 सूत्री कार्यक्रम में शामिल हैं, के लिए राज्य सहकारी बैंकों तथा राज्य भूमि विकास बैंकों को पुनर्वित्त के रूप में फरवरी, 1983 तक 1244.97 करोड़ रुपए की कुल राशि वितरित की है।

नए 20 सूत्री कार्यक्रम के सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकों को सूचित किया है कि वह सहकारी बैंकों को ऋण की सीमायें स्वीकृत करते समय नीचे लिखे विशेष कार्यक्रमों की ऋण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखेगा। लघु सिंचाई, दलहनों और वनस्पति तिलहनों का अधिक उत्पादन, आई०आर०डी०पी० और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाना तथा इसका विस्तार करना, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कार्यक्रम, ग्रामीण परिवारों के लिए मकान स्थलों की व्यवस्था, बायो गैस का विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार तथा उपयुक्त विकास के लिए हस्तकला और हथकरघा छोटे और ग्रामीण उद्योगों को सुविधाएं देना। बैंकों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे राज्य विकास एजेन्सियों के परामर्श से विशेष व्यवहार्य योजनाएं भी तैयार करना शुरू करें। भारतीय रिजर्व बैंक ने यह भी बताया है कि जहां भी उससे रियायती पुनर्वित्त उपलब्ध हो वहाँ अगर इन योजनाओं के लिए वाँछित ऋण सहायता देने में सहकारी बैंकों के पास संसाधनों की उपलब्धि की कठिनाई हो तो सहकारी बैंकों को इसे प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसे विशेष कार्यक्रमों के अन्तर्गत सहायता के लिए आवेदन-पत्रों पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक द्वारा विशेष प्रोत्साहन और ध्यान दिया जायेगा।

प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानियों की यादगार बनाए रखने के लिए योजना

10666. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को विभिन्न राज्यों/क्षेत्रों में स्वतन्त्रता सेनानियों, क्रान्तिकारियों और भूतपूर्व आई०एन०ए० कर्मचारियों सहित, के उचित स्मारक स्थापित करके प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानियों की यादगार बनाये रखने के लिए सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है और प्रस्ताव पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नही, तो क्या सरकार राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्रशासन के साथ परामर्श करके ऐसी योजना बनायेगी;

(घ) यदि हां, तो योजना कितनी जल्दी तैयार की जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और स्वतन्त्रता सेनानियों की यादगार बनाए रखने के लिए सरकार का क्या वैकल्पिक कदम उठाने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) से (घ) सन् 1857 से 1947 तक स्वतन्त्रता संग्राम में सहीद स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्मान में केन्द्रीय सरकार ने विलिंगडन क्रेसेन्ट तथा सरदार पटेल मार्ग, नई दिल्ली के चौराहे पर पहले ही एक शहीद स्मारक स्थापित कर दिया है । केन्द्रीय सरकार की लागत पर नई दिल्ली में महात्मा गांधी तथा स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद की प्रतिमायें स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है । संसद भवन कम्पलैक्स में स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू की एक प्रतिमा स्थापित करने का एक अन्य प्रस्ताव है । केन्द्रीय सरकार ने क्रान्तिकारियों तथा भूतपूर्व आई०एन०ए० के सैनिकों सहित स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्मान में स्मारक स्थापित करने की कोई देशव्यापी योजना नहीं बनाई है।

(घ) तथा (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम तथा नगर आयोजन संगठन में नियुक्तियां

10667. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय, ग्राम तथा नगर आयोजन संगठन में गत एक वर्ष के दौरान नियमित या तदर्थ आधार पर अपर श्रेणी लिपिकों, सहायकों तथा अनुसंधान सहायकों की कितनी नियुक्तियां की गई;

(ख) उनके मंत्रालय ने ऐसी नियुक्तियों के मामले में क्या-क्या मानदण्ड अपनाये;

(ग) क्या कुछ तदर्थ नियुक्तियां ऐसे व्यक्तियों को भी दी गई हैं, जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं और जिनके पास उक्त पदों के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हतायें भी नहीं हैं ।

(घ) यदि हां, तो ये नियुक्तियां कैसे की गई हैं और इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी

है; और

(ङ) ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने तथा सरकार द्वारा अदा की गई बकाया राशियाँ वसूल करने तथा दोषी अधिकारियों के बिरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के लिये उनके मंत्रालय का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) गत एक वर्ष के दौरान अपर श्रेणी लिपिक, उच्च श्रेणी लिपिक तथा अनुसंधान सहायक के ग्रेड में 8 नियुक्तियां की गई।

(ख) से (घ) नियुक्तियां परियोजना कार्य के लिये या तो तदर्थ या अनुबन्ध आधार पर की गई थी। ऐसे मामलों में रिक्तियाँ, रोजगार कार्यालय/या सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से भरी जाती हैं। विभागीय अभ्यार्थी अन्य अभ्यार्थियों के साथ प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं। तथापि, एक मामले में पति की मृत्यु के पश्चात एक महिला को अनुकम्पा आधार पर सरकार के विद्यमान अनुदेशों में यथा अनुमेय के अनुसार नियुक्त किया गया था। एक दूसरे मामले में एक शैक्षिक अर्हता प्राप्त व्यक्ति को थोड़े समय के लिये अनुबन्ध आधार पर नियुक्त किया गया था लेकिन बाद में यह मालूम हुआ कि वह कम उम्र की थी और उसकी सेवायें समाप्त कर दी गई थी। ये नियुक्तियाँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई थीं।

(ङ) ये कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये हैं तथा जितने समय उन्होंने काम किया उसका उन्हें भुगतान किया गया उनसे कोई वसूली करने का प्रस्ताव नहीं है। जहाँ तक कम उम्र के कर्मचारी की उचित जांच किए बिना नियुक्ति का सम्बन्ध है यह मामला जांचाधीन है और भविष्य में ऐसा मामला फिर न होने देने को सुनिश्चित करने के लिये अब कदम उठाये गये हैं।

कच्छ वनस्पति के संसाधनों का क्षय होना

10668. **श्री सुधीर गिरि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारी परिस्थितियों में कच्छ वनस्पतियों का क्या महत्त्व है;

(ख) क्या यह सच है कि हमारे तटवर्ती क्षेत्रों के कच्छ बनस्पति संसाधनों का क्षय हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कच्छ वनस्पति के और क्षय की रोकथाम तथा कच्छ वनस्पति के संसाधनों में वृद्धि के लिये कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि नहीं तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) (क) कच्छ बनस्पतियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों के किनारे होती है। कच्छ वनस्पतियां इन क्षेत्रों को कटाव से बचाती हैं। ये पक्षियों और समुद्री जानवरों सहित जीव-तन्तुओं की अनेक किस्म के लिये

उपयुक्त पर्यावरण भी उपलब्ध कराती है ।

(ख) कच्छ वनस्पतियों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का सही-सही अनुमान उपलब्ध नहीं है । तथापि, हाल के अनुमानों से पता चलता है कि कच्छ वनस्पति के अधीन क्षेत्र में कुछ कमी हुई है जिसके परिणामस्वरूप कच्छ वनस्पति संसाधनों में भी कमी आयी है ।

(ग) कच्छ वनस्पति वनों का प्रबन्ध सम्बन्धित राज्य/संघ शासित सरकारों के पास है जिन्होंने कच्छ वनस्पति की समाप्ति को रोकने और कच्छ वनस्पति संसाधनों में वृद्धि करने के लिये कदम उठाये हैं जैसे कुछ क्षेत्रों को राष्ट्रीय पार्क/प्राकृतिक आरक्षित स्थल/वन्य प्राणी आश्रय स्थल के रूप में घोषित करना, कच्छ वनस्पति के अन्तर्गत भूमि को तिर्मुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाना, कच्छ वनस्पति को समाप्त होने से बचाने के लिये वनस्पति आदि लगा कर क्षेत्रों में फिर से पौधे उगाना ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

डी०डी०ए० और सी०पी०डब्ल्यू०डी० में

दैनिक मजदूरी के/अस्थाई कर्मचारी

10669. **श्री बाबू राव परांजपे**
श्री अटल बिहारी बाजपेयी
श्री अमर राय प्रधान } क्या **निर्माण और आवास** मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सी०पी०डब्ल्यू०डी०, डी०डी०ए० तथा उनके मंत्रालय के अन्य विभागों में ऐसे कितने कर्मचारी हैं;

(एक) जो दैनिक मजदूरी पर हैं; और

(दो) जिनकी सेवा अस्थायी है ?

(ख) उनको स्थायी करने सम्बन्धी नीति क्या है; और

(ग) डी०डी०ए०, सी०पी०डब्ल्यू०डी तथा उनके मंत्रालय के अधीन अन्य विभागों में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने कर्मचारियों को स्थाई किया गया है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा

10670. **श्री मनोहरलाल सैनी** : क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय तथा उसके अधीनस्थ एवं सम्बद्ध कार्यालयों के कुछ कर्मचारियों को पिछले पांच वर्षों के दौरान छुट्टी यात्रा रियायत का दुरुपयोग करते पाया गया

और उनको भारी दण्ड की सजा दी गई;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं और उनको दी गई सजा के ब्यौरे क्या हैं और क्या दी गई सजा अपराध की गम्भीरता के अनुरूप है; और

(ग) क्या इस प्रकार के मामले भी लम्बित हे ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) इस मन्त्रालय के एक सम्बद्ध कार्यालय के एक समूह ख' के अधिकारी को एक वर्ष की अवधि के लिए समय-मान में वेतन को 3 दर्जे घटा कर बड़ा दण्ड दिया गया है। इसके अतिरिक्त, सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के तीन अन्य अधिकारियों को लघु दण्ड दिए गए हैं। ये दण्ड सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुपालन किए जाने के पश्चात् और इस मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

राजभाषा से सम्बन्धित खाली तथा भरे हुए पदों का ब्यौरा

10671. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय/सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में राज-भाषा से सम्बन्धित खाली तथा भरे हुए पदों का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खाली पदों को भरने के लिए "फीडर चैनल" में आदमी उपलब्ध होते हैं;

(ग) यदि हां, तो कितनी श्रेणियों में;

(घ) हिन्दी के पदों को करने में विलम्ब जरने तथा इन पदों की ओर उदासीनता दिखाने के क्या कारण हैं;

(ङ) कार्यवाही कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निलास मिर्धा) : (क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बूचड़खानों की स्थापना के विरोध में अभ्यावेदन

10672. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सहित देश में स्थापित किए जा रहे बूचड़खानों और पशुओं पर अत्याचार की प्रवृति में वृद्धि के विरोध में हिंसा विरोधी समिति, उज्जैन, मध्य प्रदेश और अन्य संगठनों ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) उक्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में सरकार की नीति तथा निर्णय क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार मांस खाने वाली आबादी के लिए स्वच्छ और पौष्टिक मांसक का उत्पादन करना चाहती है। बूचड़खानों का निर्माण और उनका रखरखाव करना राज्यों का विषय है और कुछ एक बूचड़खानों को छोड़कर देश में अधिकांश बूचड़खानों में मांस का सफाई से उत्पादन करने और उसकी संभाल करने के लिए प्रारम्भिक सुविधाओं तक का अभाव है। अतः स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में पौष्टिक मांस का उत्पादन करने और पशु उपोत्पादों के इस्तेमाल करने के लिए सहायक परिस्थितियों का सृजन करने की दृष्टि से कुछ राज्यों ने आधुनिक बूचड़खानों का निर्माण करना प्रारम्भ कर दिया है, जिससे पशुओं पर की जाने वाली क्रूरता भी कम हो जाएगी।

सेवा निवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों के

आश्रितों को आवास का आबंटन

10673. **श्री सूरज भान** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेवा निवृत्त/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को कुछ स्थितियों में सरकारी आवासीय मकानों के आबंटन के लिये सरकार के स्थायी आदेश हैं;

(ख) क्या नई दिल्ली/दिल्ली में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिनमें आश्रित आवेदकों को पिछले दो वर्षों से आबंटन नहीं किये जा रहे हैं और जिन क्वार्टरों में वे अपने माता पिता के साथ रह रहे हैं उन्हें खाली करने पर मजबूर किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो मामलों को लंबित रखने के क्या कारण हैं;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी हां।

(ख) ऐसा कोई मामला दो वर्ष से लम्बित नहीं है, जो ऐसे आबंटन के विद्यमान आदेशों की शर्तों को पूरा करता हो।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

गणेश फलोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड

10674. **श्री अनवर अहमद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गणेश फ्लोर मिल्स कम्पनी लिमिटेड के भावी ढांचे का प्रश्न सरकार के सक्रिय विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कोई निर्णय न किये जाने के क्या कारण है; और

(ग) अंतिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

खाद्य और नागरिक मन्त्रालय के राज्य पूर्ति मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) : गणेश फ्लोर मिल्स कं० लि० के भावी ढांचे के बारे में सरकार द्वारा अभी निर्णय किया जाना है, क्योंकि इस मामले में विभिन्न संबंधित मन्त्रालयों के परामर्श से विचार होना है।

नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम, 1976

की उपलब्धियां औरइसमें संशोधन

10575. **श्री० वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगरभूमि अधिकतम सीना और विनियमन अधिनियम, 1976 को अधिनियमित करने का उद्देश्य क्या था और इस उद्देश्य को अब तक कितना प्राप्त कर लिया गया है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें यह अधिनियम लागू है और किस तारीख से लागू है; और

(ग) उपरोक्त अधिनियम के अधीन राज्यों के विभिन्न नगरों में अब तक कितनी नगरीय भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) नगर भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 का लक्ष्य कुछ लोगों के हाथों में शहरी भूमि के संग्रहण एवं उसमें सट्टेबाजी तथा मुनाफाखोरी को रोकने की दृष्टि से तथा सर्वहित के लिए नगर संघटीकरणों में भूमि का लगभग समान वितरण करने की दृष्टि से अधिकतम सीमा से अधिक ऐसी भूमि के अर्जन के लिए, ऐसी भूमि पर भवनों के निर्माण को नियमित करने के लिए तथा उससे सम्बन्धित मामलों के लिए नगर संघटीकरणों में खाली भूमि पर अधिकतम सीमा लाग् करने की व्यवस्था करना है। इस अधिनियम के अन्तर्गत 5123.63 हैक्टेयर रिक्त भूमि अब तक अर्जित की गई है और राज्य सरकारों के पास निहित हैं तथा उसकी धारा 21 के अन्तर्गत 1257 योजनाओं का अनुमोदन कर दिया गया है जिसमें 2203.08 हैक्टेयर भूमि सम्मिलित है तथा 166725 रिहायशी एककों के निर्माण पर विचार किया गया है। यद्यपि, अधिनियम का कार्यान्वयन मुकदमेबाजी का आश्रय लेने वाले-भू-स्वामियों सहित कई कारणों से धीमा रहा है, इसलिए यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि यह अधिनियम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में असफल रहा है। भूमि कानून आमतौर से जटिल हैं और परिणाम निकलने में समय लगता है।

(ख) यह अधिनियम आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल एवं सभी संघ राज्य क्षेत्रों में 17 फरवरी, 1976 से लागू हुआ था। बाद में जिन राज्यों ने इस अधिनियम को अपनाया, वे निम्नलिखित है :

राज्य	अपनाने की तारीख
असम	25 मार्च, 1976

बिहार	1, अप्रैल, 1976
मध्य प्रदेश	9, सितम्बर, 1976
मणिपुर	12 मार्च, 1976
मेघालय	7 अप्रैल, 1976
राजस्थान	9 मार्च, 1976

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, अब तक 5123.63 हैक्टेयर रिक्त भूमि अर्जित की गई है और उन विभिन्न नम-संघटीकरणों में राज्य सरकारों के पास निहित है जिनमें यह अधिनियम लागू है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए "हुडकों" द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

10676. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए हुडकों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष, 1979-80 1980-81 और 1981-82 के वितरण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या हुडकों द्वारा अलग-अलग किसानों को ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाती है और यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि दी गई; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) हुडकों ने वर्ष 1979-80 के दौरान ग्रामीण आवास के लिए कोई निधियां उद्दिष्ट नहीं की है। वर्ष 1980-81 से ग्रामीण आवास के लिए न्यूनतम नियतन कुल मंजूरी का 10% निर्धारित किया गया था । जिसको बाद में 1981-82 से बढ़ा कर 15 प्रतिशत कर दिया गया था। 1979-80 से 1981-82 तक के दौरान विभिन्न राज्यों में हुडको द्वारा ग्रामीण आवास के लिए स्वीकृत ऋण इस प्रकार है :—

वर्ष	स्वीकृति ऋण (करोड़ रुपयों में)
1979-80	14.62
1980-81	23.47
1981-82	31.94

(ग) जी, नहीं

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन नहीं है ।

दिल्ली में उद्योगों के लिए अनुपयुक्त क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के बारे में जांच करने संमंधी लोक लेखा समिति की सिफारिश

10677. **डा० ए० यू० आजमी**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उद्योगों के लिये अनुपयुक्त क्षेत्रों में ऐसे उद्योगों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हो रही है जो बिना लाइसेंस के चल रहे हैं तथा लोक लेखा समिति में निम्नलिखित मुद्दों पर बारीकी से जांच करने की सिफारिश की है;

(1) उद्योगों के लिए अनुपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाने में असफलता के कारण;

(2) उद्योगों के लिये अनुपयुक्त क्षेत्रों में किन परिस्थितियों में नये एककों को उभरने दिया गया;

(3) मास्टर प्लान में निर्धारित नये औद्योगिक स्थलों का विकास करने में असफलता;

(4) पूर्व निर्धारित दरों पर उद्योगों के लिए अनुपयुक्त क्षेत्रों के विद्यमान उद्योगों को भूमि अपेक्षित प्रोत्साहन और अन्य सुविधाएं प्रदान करने में असफलता;

(5) दिल्ली में सभी उद्योगों को जब तक इन्हें वैकल्पिक स्थल नहीं दिये जाते तदर्थ लाइसेंस प्रदान करने के बारे में नियमित और स्पष्ट नीति तैयार करने में असफलता; और

(6) मास्टर प्लान में उल्लिखित आधार पर दिल्ली नगर का विकास करने में असफलता; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या अब तक जांच कर ली गई है; यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कमान एरिया विकास कार्यक्रम के लिए राज्यों को धनराशि का आवंटन

10678. **श्री के मालन्ना** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने अभी हाल ही में कमान एरिया विकास कार्यक्रम चलाने के लिये विभिन्न राज्यों को कुछ अनुदान तथा ऋण का आबंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो बड़ी तथा मध्यम श्रेणी की परियोजनाओं के लिये दिये गये अनुदान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे क्षेत्रों के चयन के लिये क्या मानदण्ड अपनाया गया है और केन्द्रीय सरकार ने कितनी वित्तीय सहायता दी है ।

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (ग) बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में सृजित की गई क्षमता का पूर्णत: उपयोग करने और ऐसे क्षेत्रों का एकीकृत विकास करने के उद्देश्य से, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में आरम्भ किया गया था । राज्य सरकारों ने, समय-समय पर, विभिन्न परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव किया था और इस समय यह कार्यक्रम 16 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में स्थित 76 परियोजनाओं के कमान क्षेत्रों में चलाया जा रहा है ।

इस कार्यक्रम का प्रबन्ध एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में किया जा रहा है और कतिपत अनुज्ञेय मदों के लिये केन्द्र द्वारा बराबर-बराबर की राशि के अनुदान/ऋण दिये जाते है । वर्ष 1982-83 के दौरान केन्द्र द्वारा कुल 35·3179 करोड़ रुपये की राशि के अनुदान और कुल 9.9835 करोड़ रुपये की राशि के ऋण संवितरित किये गये थे ।

चने की खरीद

10679. **श्री चतुर्भुज** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकरों ने 1 जनवरी, 1983 से 12 अप्रैल, 1983 तक की अवधि में अलग-अलग कुल कितने चने की खरीद की है, और उसकी राज्यवार कितनी खरीद की गई है; और

(ख) यदि इस अवधि में कोई खरीद नई की गई है तो उसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) तथा (ख) अब तक मिली जानकारी के अनुसार ।

1 जनवरी, 1983 से 30 अप्रैल, 1983 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार की ऐजेंसियों द्वारा मूल्य समर्थन कार्यों के तहत मध्य प्रदेश में खरीदे गये चने की कुल मात्रा 4281 मीटरी टन थी।

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा मूल्य समर्थन कार्यों के तहत मध्य प्रदेश में 10,000 मीटरी टन के लगभग चने की खरीद किये जाने की रिपोर्ट है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि० ने भी वाणिज्यिक आधार पर 5692 मीटरी टन (अर्थात् मध्य प्रदेश में 4115 मीटरी टन, राजस्थान में 1033 मीटरी टन, उत्तर प्रदेश में 194 मीटरी टन तथा गुजरात में 350 मीटरी टन) की खरीद की है।

खाद्य सामग्री का निर्यात

10680. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 की अवधि में कुल कितनी खाद्य सामग्री का निर्यात किया गया और उन देशों के नाम क्या हैं जिनको यह निर्यात किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि किस्म का स्तर गिर जाने से खाद्य सामग्री के निर्यात में कमी हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) सोवियत रूस, खाड़ी के देशों, पश्चिमी योरुप, मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मध्य पूर्व देशों आदि जैसे प्रमुख गंतव्य स्थानों को अप्रैल-नवम्बर, 1982 की अवधि के उपलब्ध अनन्तिम आँकड़ों के अनुसार निर्यात की गई प्रमुख खाद्य वस्तुओं की मात्रा 557.1 हजार मीटरी टन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अण्डमान और निकोबार वन विकास तथा रोपण निगम

10681. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अण्डमान और निकोबार वन विकास रोपण निगम की स्थापना कब हुई थी और किस हद तक इसके लक्ष्यों की प्राप्ति हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि पी०आई०बी० ने निगम को दो वर्ष की स्वीकृति प्रदान की थी और दो वर्ष समाप्त होने पर इसके कार्यकाल में वृद्धि नही की गई और इस समय निगम का कार्य-करण अवैध है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है;

(घ) क्या सरकार ने लिटिल अण्डमान और निकोबार दिगलीपुर लकड़ी पर आधारित उद्योगों के निगम के प्रस्तावित प्रस्ताव का विचार छोड़ दिया है और केवल द्वीप समूह में रोजगार क्षमता को बनाये रखने के लिये पेड़ काटने लांगीग ड्रेडिंग बिक्री आदि का बढ़ावा दिया जाता है; और

(ड.) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री राव बीरेन्द्र सिंह) (क) अण्डमान और निकोबार वन और बागान विकास निगम कम्पनी पंजीकरण अधिनियम, 1956 के तहत 21.14977 को निगमित किया गया और उसने 1-4-1977 से कार्य करना प्रारम्भ किया ।

निगम ने अपने उद्देश्यों के अनुसरण में प्रारम्भ से 1981-82 तक लगभग 1,18976 घन मीटर इमारती लकड़ी निकाली तथा इसने आवश्यक सड़कों और भवनों का भी विकास किया है और कटाई और सड़क कार्य के लिये संयंत्र और मशीनरी खरीदी है । निगम ने 480 हैक्टार रेडआयल पाम बागान का सृजन किया है तथा वन विभाग से 160 हैक्टार के रेड आयल पाम बागान लिए हैं । निगम ने 20 हैक्टार में मसाले के बागान भी उगाये हैं । निगम ने छोटे अण्डमान और मायाबुन्दर में माचिस की तिल्ली और वेनियर के कारखानों का भी संवर्धन किया है ।

(ख) और (ग) सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने अण्डमान और निकोबार वन और बागान विकास निगम में दो वर्ष में खर्च की जाने वाली 1.70 करोड़ रुपये की राशि के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी । सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने निगम के जीवनकाल को निर्धारित नहीं किया । सार्वजनिक निवेश बोर्ड निवेश प्रस्ताव की सिफारिश करता है तथा यह निर्णय नहीं करता कि कम्पनी को कब तक जारी रहना चाहिये । निगम वैधानिक राय से कार्य कर रहा है ।

(घ) जी नहीं ।

(ड) प्रश्न ही नहीं होता ।

बुंदेलखंड क्षेत्र में दाल अनुसंधान परियोजना

10682. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा बुन्देलखंड क्षेत्र के लिये हाल में अनुसंधान परियोजना प्रारम्भ की गई है;

(ख) क्या बुन्देलखंड के विधायकों ने दिनाँक 22 मार्च, 1982 को इस परियोजना को बुन्देलखंड मुख्यालय झांसी में स्थापित करने के लिये एक ज्ञापन भी दिया है; और

(ग) यदि हाँ; तो सरकार इसे झांसी में कब स्थापित करेगी ?

कृषि मंत्री राव वीरेन्द्र सिंह : (क) जी हाँ श्रीमान् ।

(ख) जी हां श्रीमान् ।

(ग) अखिल भारतीय समन्वित दाल प्रायोजना के अन्तर्गत कार्य करने वाले प्रमुख केन्द्रों में से एक केन्द्र बुन्देलखंड प्रक्षेत्र के लिए है जो चन्द्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्यौगिकी विश्व-विद्यालय, कानपुर में कार्यकर रहा है । विश्वविद्यालय को बुन्देलखंड प्रक्षेत्र में दालों पर अनुसंधान कार्य क्रम शुरू करने के लिए कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है । विश्वविद्यालय को आश्वासन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को जब कभी भी भूमि की सुविधा प्रदान कर दी जाती है तो वे प्रस्तावित केन्द्र को शीघ्र ही उस प्रक्षेत्र में स्थानान्तरित कर देंगे । यह समझा जाता हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार झाँसी स्थित गवर्नमेंट लाइवस्टोक फार्म भेरारी से 200 एकड़ भूमि लेकर चन्द्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को दे दिया है ताकि बुन्देलखंड प्रक्षेत्र के लिए अनुसंधान कार्यक्रम आयोजित किया जा सके । कानपुर के अन्तर्गत चलाया जा रहा दालें अनुसंधान केन्द्र झांसी में स्थानान्तरित कर दिया जाएगा ।

पंजाब के किसानों द्वारा आंदोलन :

10683 : **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ट्यूबवैलों के लिये बिजली के कनेक्शन में कटौती कृषि उत्पादों पर 1 प्रतिशत के बाजार कर को वापस लेने और निष्क्रांत भूमि की नीलामी की मांग पर पंजाब के किसानों द्वारा विरोध आंदोलन की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इन माँगों को मानने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री : श्री आरिफ मौहम्मद खान : (क) सरकार को पंजाब के किसानों द्वारा इस प्रकार का कोई विरोध आन्दोलन किए जाने की जानकारी नहीं है; ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में कृषि विस्तार कार्य क्रम की धीमी प्रगति

10684 : **श्री रासबिहारी बहेरा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में कृषि विस्तार कार्यक्रम में विश्व बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के संबंध में बहुत कम प्रगति हुइ है । जो कि स्तर के बराबर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दोषों को दूर करने के प्रयत्न किये हैं;

(ग) इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री : राव वीरेन्द्र सिंह : (क) जी नहीं। उड़ीसा कृषि विकास परियोजना (कृषि विस्तार कार्यक्रम) ने अच्छी प्रगति की है। विश्व बैंक की 20 करोड़ रुपये की सहायता इस परियोजना के लिए आवंटित की गई। 6 करोड़ रुपये की कुल रकम लगभग उपयोग में लाई जा चुकी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राज्यों में स्टेडियमों का निर्माण करने की योजनायें

10685 : **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने ऐसी कोई योजना शुरू की है जिसके अन्तर्गत राज्यों का जिला स्तर पर स्टेडियमों का निर्माण करने हेतु आर्थिक सहायता मंजूर की गई है;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्हें केन्द्र ने उपरोक्त काम के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान आर्थिक सहायता दी है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) खेल विभाग राज्य खेल परिषदों को अनुदान की योजना कार्यान्वित कर रहा है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों को उपयोगिता स्टेडियमों के निर्माण सहित खेलकूद के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रत्येक मामले में कुछ निर्धारित सीमाओं के अनुसार साझेदारी के आधार पर (अखिल भारतीय खेल परिषद् की सलाह पर) दी जाती है। स्टेडियमों का स्थान निर्धारण (चाहे प्रत्येक जिले में हो अथवा अन्य किसी स्थान पर हों) राज्य सरकारों द्वारा इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के लिए अपने प्रस्ताव भेजते समय, उनके विवेक पर छोड़ दिया जाता है।

(ख) और (ग) : वर्ष 1983-84 के लिए 80 लाख रुपते का निम्नलिखित बजट प्रावधान रखा गया है :—

(1) राज्यों के लिए	70 लाख रुपये
(2) उन संघ शासित क्षेत्रों के लिए जिनमें विधान मंडल है।	7 लाख रुपये
(3) उन शासित क्षेत्रों के लिए जिनमें विधान मंडल नहीं हैं।	3 लाख रुपये

इस योजना के अन्तर्गत कोई राज्य वार आवंटन नहीं किया जाता है । योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा कर लेने वाली ऐसी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्रत्येक वित्तीय वर्ष में सब प्रकार से पूर्ण किए हुए आवेदन पत्रों की, अखिल भारतीय खेल परिषद के परामर्श से जांच की जाती है और इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धन की सीमा तक अनुदान स्वीकार किए जाते हैं ।

राष्ट्रीय डेरी विकास निगम के माध्यम से सब्जियों और फलों का विपणन

10686. **डा० कृपा सिंधु भोई** :क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास निगम के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में उचित मूल्य पर सब्जियों और फलों के विपणन की योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस प्रयोजन से आबंटन सहित कौन-से क्षेत्रों का चयन किया गया है; और

(ग) इसे सफल बनाने के लिये क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के माध्यम से सब्जियों तथा फलों का उचित मूल्य विपणन करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में सिंचाई के अन्तर्गत भूमि का क्षेत्र

10687. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 मार्च, 1980 को उड़ीसा सिंचाई के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ भूमि लाई गई;

(ख) उपर्युक्त राज्य में 31 मार्च, 1980 से 31 मार्च, 1983 तक भूमि के अधिक क्षेत्र को सिंचाई के अंतर्गत लाने में क्या प्रगति हुई; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) : सृजित की गई सिंचाई क्षमता की गिनती प्रत्येक वर्ष में 30 जून तक की जाती है । 1980 और 1983 तक सृजित की गई संचयी क्षमता इस प्रकार है :—

(हजार हैक्टेयर)

	जून 1980 (वास्तविक)	जून 1983 (प्रत्याशित)
बृहद तथा मध्यम	1427	1521
लघु	665	856
जोड़	2092	2377

पट्टे पर दिए गए आवासीय मकानों दुरुपयोग

शुल्क का भुगतान

10688. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या **निर्माण आवास** मंत्री पट्टे पर दिए गए आवासीय मकानों के दुरुपयोग शुल्क के भुगतान के बारे में 26 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9 44 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यालय आदेश संख्या 23/ 1976 दिनांक 31 मार्च, 1976 के खण्ड (7) के अनुसार पट्टे पर आवासीय मकानों से पट्टे की आय के भीतर दुरुपयोग शुल्क की अदायगी के मानदंड क्या हैं;

(ख) क्या डिप्लोमोटिक एन्कलेव, डिफेंस कालोनी, गोल्फ लिंक्स, जोर बाग, सुन्दर नगर बाजार/बाबर रोड, जंगपुरा, कीलिंग रोड, हनुमान रोड, जनपथ लाजपत नगर, पटेल नगर जैन मंदिर के क्षेत्रों में किसी पट्टेधारी ने उपरोक्त मानदंडों को पूरा किया है और इस आदेश की तारीख से अब तक दुरुपयोग शुल्क का भुगतान करने की अनुमति दी गई है, : यदि हां तो उनके क्या नाम हैं; और

(ग) 1967-68 के कार्यालय आदेश (पी०सेल/एल०ओ०)(13बी०/67) में पुनः प्रवेश पर रोक लगाने और संतोषजनक निश्चय के सम्बन्ध में कि एक पट्टाधारी यह स्थापित करे कि वह मकान खाली कराने के लिए किराएदार के खिलाफ परिश्रम से कार्यवाही कर रहा, क्या मान-दण्ड है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) सन्दर्भित कार्यालय आदेश में विभागीय प्रशासनिक अनुदेश हैं तथा एतद् विषयक सरकारी अनुदेशों के अनुसार पट्टाधारी की आय को शामिल करके दुरुपयोग प्रभार नियत करते समय सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है ।

(ख) भूमि तथा विकास कार्यालय की सूचना अनुसार, कोई सांख्यकीय रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

(ग) पट्टाधारियों तथा उनके किराएदारों के बीच बने सम्बन्धों से पट्टाकर्ता सम्बन्धित नहीं है। इस आशय के कागजात, जो भी उसके पास हों, प्रस्तुत करना पट्टाधारी का काम है कि वह किराएदारों द्वारा किए गए अतिक्रमणों को खाली कराने के लिए उनके विरुद्ध तत्परता से कार्यवाही करता रहा है। जहां कहीं इन शहादतों को सन्तोषप्रद समझा जाता है, सक्षम प्राधिकारी मामले को इस विषय पर सरकारी अनुदेशों के अनुसार तय करता है।

मत्स्यन नौकाओं की खरीदने की नीति

10689. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 अप्रैल, 1983 के "इकानामिक टाइम्स" में "ट्रालर परचेज पालिसी फ्लेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मत्स्य नौकाओं को किराये पर लेने की नीति को नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा आलोचना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या ऐसी आलोचना को ध्यान में रखते हुये सरकार का भारतीय मत्स्य उद्योग और छोटे मछेरों के हित में वर्तमान नीति की पुनरीक्षा करने का विचार है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) (क) जी हां।

(ख) भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां वर्ष 1981-82 के लिए भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में दी गई हैं और ये उस चार्टर नीति से सम्बन्धित हैं जो 1977-80 में चालू थी। तब से अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारित समय के अन्तर्गत अनिवार्य खरीद करने तथा मत्स्यन उद्योग और छोटे प्रचालकों के हित को दृष्टि में रखते हुए अन्य शर्तों के सम्बन्ध में चार्टर नीति में जनवरी, 1981 में संशोधन किया गया था।

(ग) चार्टर नीति के क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा की गई है और आवश्यकतानुसार उसमें परिवर्तन किए गये हैं।

भगीरथ पत्रिकाएं

10690. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या सिंचाई मंत्री भगीरथ पत्रिकाओं के बारे में 12 अप्रैल, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7445 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पत्रिका के सम्पादक मंडल की 1981-82 में कितनी बैठकें हुई और क्या उनमें किए गये निर्णयों पर कार्रवाई में विलम्ब हुआ है और सम्पादक मंडल की बैठकों को किन कारणों से स्थापित किया जा रहा है; और

(ख) पत्रिका का मासिक प्रकाशन आरम्भ करने तथा और अधिक विलम्ब के बिना अपेक्षित कर्मचारी एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्रवाई की गई है और इस बारे में प्रगति

करने में विलम्ब के क्या कारण है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) हिन्दी और अंग्रेजी भगीरथ दोनों पत्रिकाओं के सम्पादक मंडल की एक संयुक्त बैठक अगस्त, 1981 में हुई थी। इस मंडल को पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है और जैसे ही इस मंडल का पुनर्गठन हो जाएगा, इसकी एक और बैठक आयोजित की जाएगी।

बोर्ड द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णय प्राय: कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) हिन्दी और अंग्रेजी भगीरथ का मासिक प्रकाशन आरम्भ करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

सराय रोहिल्ला पुनर्विकास योजना

1069. **श्री त्रिलोक चन्द्र :** क्या **आवास और निर्माण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (स्लम) की सराय रोहिल्ला डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत कौन-कौन सी बस्तियाँ हैं और उनके क्या नाम हैं;

(ख) उन बस्तियों में से अब तक किन बस्तियों की पुनर्विकास योजना स्वीकृत हो चुकी हैं और किन बस्तियों की स्वीकृति हेतु तैयार किया जा रहा है; और

(ग) इस क्षेत्र की किन बस्तियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पिछले तीन वर्षों में क्या-क्या सुधार किए हैं तथा नगर निगम आदि संस्थानों ने किन कार्यों के लिए राशि दी है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सराय रोहिल्ला पुनर्विकास योजना के अन्तर्गत पूर्वी मोती बाग, पश्चिमी मोती बाग, नई बस्ती, चिस्ती चमन, राम पार्क एक्सटेंशन, सराय बस्ती, बाग कड़े खां, पदम नगर और कश्मीरी बाग कालोनियां हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि पदम नगर, बाग कड़ेखा कश्मीरी बाग और सराय बस्ती के पुनर्विकास नक्शे तैयार किये गये थे और उनका अनुमोदन कर दिया गया था तथा अधिकाँश निर्माण कार्य किया जा चुका है या निष्पादनाधीन है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के अनुसार, शेष कालोनियों में मुहैया की जाने वाली आवश्यक सेवाओं का सर्वेक्षण किया गया है और पुनर्विकास नक्शे अनुमोदनार्थ तैयार किए गए हैं।

(ग) दिल्ली जलपूर्ति एवं मल-व्ययन संस्थान द्वारा यथा प्रस्तुत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सराय रोहिल्ला पुनर्विकास योजना

कालोनी का नाम	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विगत 3 वर्षों में किए गये सुधार कार्यों के बस्तीवार ब्यौरे	व्यय	दिल्ली नगर निगम आदि को दी गई निधियों की कार्यवार राशि
		(लाख रुपयों में)	
सराय बस्ती			मुख्य सीवर लाइन बिछाने के लिए 10 लाख रुपए
	1. सराय बस्ती (मुख्य पार्क) में पार्क का निर्माण 2. मिल्क बूथ के निकट पार्क का निर्माण 3. पुरानी पुलिस चौकी के निकट पार्क का निर्माण 4. बस्ती में दो छोटे पार्कों का निर्माण 5. बड़े पार्क के साथ सड़क का निर्माण	.247	
	6. सराय बस्ती में समाज सदन का निर्माण	3.04	
पदम नगर	1. सीवर लाइन बिछाना	4.00	
कश्मीरी बाग	1. दूरदर्शन केन्द्र	0.30	
बाग कड़े खाँ	2. लैनों का सीमेंट कंक्रीट	3.60	
नई बस्ती	नई बस्ती में सीवर लाइन बिछाना	0.50	

चिस्ती चमन	चिस्ती चमन में सीवर लाइन बिछाना	0.50
बाग कड़े खां	सात पार्कों का विकास	2.00
कश्मीरी बाग और पदम नगर		

रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री इम्पलाईज को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी को आवंटित की गई भूमि पर अवैध कब्जा

1 692. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या आवास और निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०डी०ए० ने रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री इम्पलाईज कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी, को कुल कितनी भूमि दी थी;

(ख) क्या उपरोक्त सोसायटी को आवंटित की गई भूमि पर किसी व्यक्ति/व्यक्तियों ने अवैध कब्जा कर रखा है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अवैध कब्जे के अन्तर्गत कितनी भूमि है; और

(घ) भूमि के अवैध कब्जे को खाली कराने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस सोसाइटी को कोई भूमि आवंटित नहीं की है। पुनर्वास विभाग द्वारा पुनर्वास कर्मचारी सहकारी भवन निर्माण समिति को 45 एकड़ भूमि आवंटित की गई है।

(ख) तथा (ग) पुनर्वास विभाग द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर यह पाया गया है कि लगभग सौ व्यक्ति लगभग 85,400 वर्गवज के क्षेत्र के अनधिकृत एवं अवैध दखल में है।

(घ) पुनर्वास विभाग ने अतिक्रमण को हटाने एवं बेदखल की कार्रवाई आरम्भ कर दी है।

केन्द्रीय सरकार की निगरीनी में चीनी मिलों द्वारा पेरा गया गन्ना

10693. **श्री अशफाक हुसेन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 31 मार्च, 1983 तक केन्द्रीय सरकार की निगरानी में चलने वाली गन्ना मिलों ने चालू मौसम में कितने मूल्य के गणने की पेराई की और निगमों अथवा राज्य

सरकार के रिसीवरों के अधीन गन्ना मिलों एवं सहकारिता और निजी क्षेत्र की गन्ना मिलों ने कितने मूल्य के गन्ने की पेराई की;

(ख) क्या सरकार सीधे अथवा राज्य सरकारों के माध्यम से मिल मालिकों और चीनी एककों को गन्ना उत्पादकों को गन्ने की सप्लाई करने के 14 दिन के भीतर भुगतान करने के लिए बाध्य करेगी और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो उन्हें गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 के अन्तर्गत 14% ब्याज दर की अदायगी करनी चाहिए; और

(ग) क्या यह केन्द्र सरकार का दायित्व नहीं है आवश्यक वस्तु अधिनियम और तत्संबंधी बनाए गए आदेशों को राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित करवाया जाये ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) केंद्रीय सरकार के पास पेरे गए गन्ने के मिलवार मूल्य के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, एक विवरण संलग्न है जिसमें चीनी फैक्ट्रियों द्वारा भेजी गई सूचनानुसार पिराई मौसम 1982-83 के दौरान 31.3.83 तक फैक्ट्रियों द्वारा विभिन्न-क्षेत्रों में खरीदे गए गन्ने के मूल्य का मिलवार ब्यौरा दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल टी०-6671-83]

(ख) गन्ने के बकायों तथा उन पर ब्याज का भुगतान करवाने की जिम्मेदारी सीधी राज्य सरकारों की होती हैं जिनके पास इनका भुगतान करवाने के लिए आवश्यक फील्ड संगठन और शक्तियां हैं। केन्द्रीय सरकार गन्ने के मूल्य के बकायों का तुरन्त भुगतान करवाने के लिए यथावश्यक और समय-समय पर अनुदेश जारी करती हैं। प्रभावकारी उपाय करने के बारे में राज्य सरकारों को परामर्श देने के अलावा, केन्द्रीय सरकार ने मिलों को अतिरिक्त बैंक-उधार की सुविधाएं सुलभ की हैं ताकि उनकी गन्ने के मूल्य के बकायों का भुगतान करवाने में मदद की जा सके।

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को कुछेक शर्तों को पूरा करने पर सभी आवश्यक वस्तुओं के बारे में आदेश अथवा अधिसूचनाएं जारी करने विषयक शक्तियाँ दे दी हैं और राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेशों को अधिनियम के उपबंधों और उसके अन्तर्गत बने नियमों का उल्लघंन करने के मामले में कार्रवाई करने की पूरी शक्तियां दी गई हैं। क्योंकि राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश इस सम्बन्ध में प्रवर्तन प्राधिकारी हैं, उन्होंने अपनी स्वयं की प्रवर्तन एजेंसियां स्थापित कर ली हैं और केन्द्रीय सरकार उनको समय-समय पर परामर्श देती रहती हैं कि वे उनके पास उपलब्ध शक्तियों का अधिकतम इस्तेमाल करें और अधिनियम के उपबंधों तथा उसके अन्तर्गत जारी किए गए आदेशों को सख्ती के साथ लागू करें।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा दिये गये ऋण

10694. **श्री शांतुभाई पटेल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय

सहकारी विकास निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न प्रयोजना के लिए राज्य-वार कितने ऋण दिए गये हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार विभिन्न प्रयोजनों के लिए राज्यों को दिए गए ऋणों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलान है ।

विवरण

1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के वर्षों के दौरान राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा निर्मुक्त किये गये ऋणों की स्थिति प्रदर्शित करने वाला विवरण ।

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष		
		1980-81	1981-82	1982-83
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आन्ध्र प्रदेश	406.058	480.290	239.095
2.	असम	205.619	169.120	257.486
3.	बिहार	96.204	370.942	484.259
4.	गुजरात	243.248	354.153	323.022
5.	हरियाणा	316.297	245.968	195.313
6.	हिमाचल प्रदेश	139.377	105.994	86.422
7.	जम्मू व कश्मीर	8.485	—	—
8.	कर्नाटक	321.501	564.668	449.093
9.	केरल	386.739	136.037	236.568
10.	मध्य प्रदेश	731.700	1061.020	976.183
11.	महाराष्ट्र	361.284	639.001	992.022
12.	मणिपुर	11.030	4.250	—
13.	मेघालय	37.872	1.320	7.993
14.	नागालैंड	1.200	5.000	0.375

15. उड़ीसा	455.772	763.568	625.369
16. पंजाब	274.305	1027.279	869.616
17. राजस्थान	393.849	593.967	475.830
18. तमिलनाडू	365.179	324.902	696.901
19. त्रिपुरा	25.488	42.150	11.252
20. उत्तर प्रदेश	1129.711	1554.604	2065.596
21. पश्चिम बंगाल	276.024	406.425	258.217
22. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	0.610	0.375	—
23. पांडिचेरी	—	—	0.950
24. लक्ष्यद्वीप	—	1.500	—
योग	6187.552	8252.533	9251.262

डी० डी० ए० के ठेकेदारों द्वारा घटिया स्तर के मकानों का पुनर्निर्माण

10695. **श्री जो० नर सिम्हा रेड्डी**
श्रीमती किशोरी सिन्हा] क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ठेकेदारों को कहा कि जो मकान निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गये हैं उन्हें गिराकर फिर बनाया जाए;

(ख) कितने मामलों में मकान मानक स्तर से घटिया पाये गये हैं;

(ग) क्या ठेकेदार उन्हें दोबारा बनाने के लिए सहमत हो गए हैं; और

(घ) क्या सरकार ने इन फ्लैटों को फिर से बनाने का निर्णय किया है?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि मकानों को गिराने तथा उन्हें पुनर्निर्मित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसने यह भी सूचित किया है कि यदि जांच से विशिष्टियों के अनुसार निर्माण नहीं पाया जाता है तो उसे ठेकेदार की लागत पर सुधरवाया जाता है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत आए राज्य और ब्लाक

10696. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उसके शुरू होने से अब तक कितने और कौन-कौन से राज्य और प्रत्येक राज्य के कितने ब्लाक आ गए हैं;

(ख) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक केन्द्रीय सहायता सहित प्रत्येक राज्य द्वारा वहन की गई कुल धनराशि और इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक राज्य में लाभान्वित होने वाले व्यक्तितों की संख्या के बारे में क्या ब्यौरा है ।

(ग) क्या अपेक्षित मात्रा में सीमेंट उपलब्ध न होंने के कारण इससे कार्यक्रम में आशा के अनुरूप प्रगति नहीं हो रही है, और विशेष रूप से कर्नाटक राज्य के बारे में तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि हां, तो 1981-82 में राज्य की आवश्यकता कितनी थी और केन्द्र द्वारा कितनी मात्रा में आवंटन किया गया और क्या कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य को और सीमेंट आवंटित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्णय लिया गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) विवरण 1 से 5 संलग्न हैं । यह कार्यक्रम 2 अक्तूबर, 1980 से देश में 5011 खण्डों में कार्यान्वित किया जा रहा है । तथापि, खण्डों के नाम नहीं दिए गये है क्योंकि 5011 खण्डों की सूची संकलित करना काफी कठिन होगा ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एलरी—6672-83]

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम मूलरूप से एक लाभभोगी-उन्मुख कार्यक्रम है अतः सीमेन्ट की अनुपलब्धता एक मुख्य अड़चन नहीं है । कर्नाटक से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

तटवर्ती मत्स्य उद्योग को बिजली की सप्लाई

10697. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तटवर्ती क्षेत्रों, खासकर तमिलनाडु में बिजली सप्लाई की स्थिति पूरी तरह से इतनी अधिक बिगड़ गई हैं कि समुद्र तटीय राज्यों में तटवर्ती मत्स्य उद्योग अपनी एककों को बन्द करने के लिए बाध्य हो गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि मत्स्य

उद्योग को इसे पुनः शुरू करने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिजली मिले ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) तमिलनाडु सरकार द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार तमिलनाडू मात्स्यिकी विकास निगम के स्वामित्व के इन्नोर. तूतीकोरिन तथा मंडायम स्थित तीन मत्स्य परिसंस्करण एककें बिजली की कटौती के कारण बन्द नहीं हुए हैं, बल्कि वे संचालन सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। राज्य में लगभग 28 निर्यातउन्मुखी समुद्री खाद्य परिसंस्करण एकक, जिनमें एल०टी० तथा एच०टी० कनेक्शन हैं, इस परिस्थिति का सामना करने के लिए समर्थ हैं, क्योंकि इन एककों को राज्य बिजली बोर्ड ने विशेष कोटा आवंटित किया है। इस समय अन्य तटीय राज्यों से जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पौध संरक्षण, संगरोधन और भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद में

विभागाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें

10698. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पौध-संरक्षण, संगरोधन और भण्डारण निदेशालय, फरीदाबाद में विभागाध्यक्ष के विरुद्ध कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) क्या विभागाध्यक्ष डी०सी०सी०क्यू० के कर्मचारियों के बीच सदभावना और सहयोग की कमी के कारण फसलों के संरक्षण कीट और महामारी के नियन्त्रण और उससे हानि के क्षेत्र में नुकसान हो रहा है;

(ग) इस महत्त्वपूर्ण विभाग के कार्य-करण को ठीक करने और इसके सुचारू कार्यकलापों के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या सरकार ने शिकायतों की कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें कुछ फर्जी अथवा गुमनाम हैं।

(ख) जी नहीं। वनस्पति संरक्षण संगरोध तथा संचयन निदेशालय के विभागाध्यक्ष और कर्मचारियों के बीच सामन्जस्य और सहयोग के सभाव की कोई शिकायत नहीं मिली है और काम पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ने दिया जाता है।

(ग) ऊपर (ख) को देखते हुए कोई कार्रवाई करने की आवश्यतका नहीं हैं। तथापि, कार्यालय की कार्यपद्धति की लगातार समीक्षा की जाती हैं और आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं।

(घ) तथा (ङ) सही शिकायतों की विधिवत जांच की जाती है और आवश्यकता पड़ने

पर सरकारी नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है ।

भारतीय हाकी टीम का कार्यनिष्पादन

10699. **श्री सुभाष यादव**
श्री मूल चन्द डागा
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी
श्री सत्यनारायण जटिया
श्री अर्जुन सेठी
श्री रामावतार शास्त्री
} क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम् एशियाई खेलों के दौरान भारतीय हाकी टीम का कार्य-निष्पादन बहुत असंतोषजनक था;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) भारत सरकार द्वारा भारतीय हाकी टीम के बढ़िया कार्यनिष्पादन के लिए,क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाए जाने हैं और यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन हेतु कोई विशेष धनराशि दी गई है ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी. नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार, चेम्पियन ट्राफी (पाकिस्तान) जो इस वर्ष के अन्त में होगी तथा 1984 के ओलम्पिक जैसी आने वाली प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय हाकी प्रतियोगिताओं के लिए, राष्ट्रीय हाकी टीम के शिक्षण और प्रशिक्षण के लिए भारतीय हाकी संघ को सभी आवश्यक सहायता पहले से प्रदान कर रही है । 1984 के ओलम्पिक के लिए हाकी टीम सहित भारतीय दलों को तैयार करने के लिए 10.00 लाख रुपए के बजट प्रावधान का प्रस्ताव है । यह खेलों के विकास के लिए (भारतीय हाकी संघ सहित) राष्ट्रीय खेल संघों को उपलब्ध कराई गई सामान्य वित्तीय सहायता के अति-रिक्त है ।

नवम् एशियाई खेलों का आयोजन करने की सेवाओं के लिए पुरुस्कार

10700. **श्री सुभास चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने नवम् एशियाई खेलों का आयोजन करने में जिन लोगों ने विशिष्ट सेवाएं दी थीं, उन्हें पुरुस्कार देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी. हां ।

(ख) ब्यौरे विचाराधीन हैं ।

तिमारपुर में आधे गिराए गए क्वार्टरों

पर अनधिकृत कब्जा

10701. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिमारपुर, नई दिल्ली में, आधे गिराए गए क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जे के कारण बहुत से नए क्वार्टरों का निर्माण नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो यह अवैध कब्जा कब से चल रहा है;

(ग) इतने अनेक वर्षों में उन क्वार्टरों को खाली कराने के लिए कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार इन अनधिकृत क्वार्टरों को कब खाली करायेगी और नये क्वार्टरों का निर्माण कार्य कब शुरू होगा;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) समाज सदन के निर्माणार्थ तथा पार्क के पुनर्विकास के लिए ये क्वार्टर गिराये जाने हैं।

(ख) 1979 में ये क्वार्टर अनधिकृत दखल में थे।

(ग) तथा (घ) अनधिकृत दखलकारों की बेदखली के लिए कानूनी औपचारिकतायें पूर्णकर दी गई हैं तथा उनको हटाने, क्वार्टरों को गिराने इत्यादि के लिये, रूपात्मकतायें तैयार की जा रही हैं। इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

सहकारी आवास सोसाइटियों को दिए गए

ऋणों पर ब्याज

10702. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह**
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति] क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय शहरी विकास और स्थानीय शासन परिषद् ने अपनी बैठक में सरकार से आग्रह किया है कि वह जीवन बीमा निगम जैसे वित्तीय संस्थानों को निर्देश दें कि सहकारी आवास सोसायटियों को दिये गये ऋणों पर ब्याज की दर घटाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त ऋण पर ब्याज की दर घटाने के लिये क्या उपाय किये गये;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) स्थानीय शासन तथा नगर विकास की केन्द्रीय परिषद् ने 17 और 18 जनवरी, 1983 को नई दिल्ली में

हुई अपनी 20वी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह संकल्प पारित किया कि आवास सहकारी समितियों को दिये गये ऋणों के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दरों को कम करने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाये।

(ख) सहकारी समितियों को जीवन बीमा निगम द्वारा ऋणदेने की वर्तमान दर 12 प्रतिशत है जो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की मूलभूत दीर्घ कालीन ऋण की ब्याज दर से कम है। ब्याज की दर निर्धारित करते समय, जीवन बीमा निगम के पालिसी धातूकों के हितों तथा सरकार के सामाजिक लक्ष्यों को ध्यान में रखा जाता है।

केन्द्रीय दल का मध्य प्रदेश के जिलों का दौरा

10703. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक उच्च शक्ति प्राप्त केन्द्रीय दल ने हाल ही में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों का दौरा किया था यदि हां, तो उसका उद्देश्य क्या था;

(ख) उसने कितने जिलों का दौरा किया; और

(ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धन जुटाने के बारे में उक्त दल की क्या टिप्पणिाँ हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम हेतु ऋण जुटाने के बारे में अध्ययन करने के लिये जनवरी, 1983 में मध्य प्रदेश का दौरा किया था।

(ख) दल ने भोपाल, रायसेन तथा विदिशा जिलों के कुछ गांवों का दौरा किया था।

(ग) दल की मुख्य टिप्पणी, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता के सम्बन्ध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की कुछ बैंकों द्वारा अनुपालन न किए जाने से सम्बन्धित हैं।

पकड़ी जाने वाली टूना मछलियां

10704. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समुद्र से कुल कितनी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं और उनमें टूना मछलियों की संख्या कितनी हैं;

(ख) क्या यह सच हैं कि टूना मछलियों की विशाल सम्भावना की तुलना में इस समय पकड़ी जाने वाली टूना मछलियों की संख्या बहुत कम है; और

(ग) उन्नत टैक्नालाजी की सहायता से टूना मछली का वाणिज्यिक उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आँकड़ों के

अनुसार वर्ष 1980 के दौरान लगभग 15.5 लाख मीटरी टन मछली समुद्र से पकड़ी गई थीं। टयूना तथा टयूना जैसी मछलियाँ इसमें लगभग 2 प्रतिशत थी ।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार के पास पहले से उपलब्ध दो टयूना जलयान इस समय टयूना के स्रोती और टयूना मत्स्यन की कार्य पद्धतियों के प्रशिक्षण के सर्वेक्षण में लगी हैं। सरकार ने विदेशी मत्स्यन जलयानों को किराए पर लेने, संयुक्त उद्यम और टयूना जलयानों सहित मत्स्यन जलयानों के आयात सम्बन्धी नीति भी घोषित की है। भारतीय नौवहन कर्मचारियों को टयूना मत्स्यन में प्रशिक्षण देने के लिये भी प्रयास किये गये हैं ।

पहाड़ी क्षेत्रों में पेय जल सप्लाई योजनाओं को क्रियान्वित किया जाना

10705. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों/राज्यों में पेय जल सप्लाई योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए धन के प्रावधान में वृद्धि करने का निर्णय किया हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पहाड़ी राज्य क्षेत्र के लिए वर्ष 1983-84 और 1984-85 के लिए कितनी निश्चित राशि बढ़ाई गई है ; और

(ग) पहाड़ी राज्यों के सभी गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों की समूची जनता को किस तिथि तक सुरक्षित पेय जल की सप्लाई की जायेगी ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) तथा (ख) : पेय जलपूर्ति राज्य का विषय है तथा योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा राज्य बजटों में किए गए प्रावधानों से बनाई तथा कार्यान्वित की जाती है। केन्द्र राज्य सरकारों के प्रयासों की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत पर्वतीय क्षेत्रों सहित पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जलपूर्ति करने के लिए अनुदान देकर सहायता करता है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल पर्वतीय क्षेत्रों के लिए ही केन्द्र द्वारा साहायियत कोई प्रथक घटक नहीं है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना परिव्यय 600 करोड़ रुपये है तथा इस परिव्यय को अभी तक बढ़ाया नहीं गया है ।

(ग) 1981 से 1991 तक संयुक्त राष्ट्र पेय जलपूर्ति तथा स्वच्छता का दर्शक है जिसमें भारत भी भाग ले रहा है। दर्शक के लक्ष्यों में से एक लक्ष्य मार्च 1991 तक स्वरूछ जल सुविधाओं से सम्पूर्ण जनसंख्या को लाभान्वित करना है ।

वानिकी का विकास

10706. **प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 आयामी वानिकी को बढ़ावा

देने के लिए कोई व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो उस व्यवस्था की मुख्य बातें क्या हैं और छठी पंचवर्षीय योजना के प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में उसे कैसे कार्यान्वित किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या ऐसी कोई योजना बनाई जायेगी ?

कृषि मंत्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में सामाजिक वानिकी को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था की गई है। यह कार्यक्रम बहु-आयामी है, यदि इसमें व्यापक पर्यावरण/परिस्थिकी लाभों के अतिरिक्त, ईधन, चारा, फलों, रेशों आदि की व्यवस्था हो।

(ख) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. सरकारी बंजर भूमि, उजाड़े गए वनों, ग्राम की सामलात भूमि, सड़कों के किनारों, नहरों के किनारों तथा रेलवे लाईन के किनारों में वृक्षारोपण

2. गैर-सरकारी भूमि, स्कूल परिसरों आदि में तथा उसके आस-पास वृक्षारोपण करने के लिए किसानों तथा बच्चों सहित जनता पौधों का वितरण करना।

वर्ष वार तथा राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों के तहत राज्यवार उपलब्धियां

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980-81x		1981-82		1982-83	
	वृक्षारोपित क्षेत्र (हैक्टार में)	वृक्षारोपित क्षेत्र (हैक्टार में)	वितरित किए गए पौधे (लाख में)	वृक्षारोपित क्षेत्र (हैक्टार में)	वितरित किए गए पौधे (लाख में)	
1	2	3	4	5	6	
1. आन्ध्र प्रदेश	8765	12380	190	28388	782	
2. असम	1000	5860	8	4200	17	
3. बिहार	5453	13000	85	18100	200	
4. गुजरात	15200	20200	998	25143	1592	
5. हरियाणा	6147	12300	400	17000	512	
6. हिमाचल प्रदेश	4200	3000	432	11133	57,42	

1	2	3	4	5	6
7. जम्मू तथा कश्मीर	3800	3000	20	540	84
8. कर्नाटक	4500	2900	567	20728	970
9. केरल	2775	1167	34	3877	511
10. मध्य प्रदेश	5800	34000	1000	60517	1010
11. महाराष्ट्र	5600	24307	138	33270	996
12. मणिपुर	350	295	545	870	7·30
13. मेघालय	800	1900	0.39	2330	7.20
14. नागालैण्ड	2766	2769	9.80	3647	44
15. उड़ीसा	20700	11839	29,17	17394	173.07
16. पंजाब	3300	11400	200	10220	304
17. राजस्थान	16050	12500	39	11300	113
18. सिक्किम	161	60	—	1639	4
19. तामिलनाडु	21400	32050	60	36555	23
20. त्रिपुरा	5	1201	2 75	1392	3
21. उत्तर प्रदेश	9200	34442	407	39316	1207
22. प० बंगाल	9731	12700	180	16450	300
23. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	100	—	—	269	0.31
24. अरुणाचल प्रदेश	4444	220	1.00	1648	1.84
25. चण्डीगढ़	200	—	—	—	—
26. दादर तथा नगर हवेली	150	—	—	481	7.30
27. दिल्ली	100	—	—	28	0·40
28. गोवा, दमन तथा दीव	15	—	—	220	9.24
29. मिजोरम	100	600	4 00	4155	4.00
30. पांडिचेरी	—	—	—	206	0.30
योग	152811	254090	4410.56	370815	8940 86

X पौधों के वितरण के लिए कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे गए।

बिहार सरकार से प्राप्त ग्रामीण विकास योजनाएं

10707. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1983-84 में बिहार सरकार से ग्रामीण विकास के लिए कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए किसी प्रकार की सहायता मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (ङ) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास के मुख्य कार्यक्रमों को बिहार में 1983-84 में भी कार्यान्वित किया जायेगा। इन कार्यक्रमों पर होने वाले व्यय का 50 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

उड़ीसा में शुष्क भूमि के विकास के लिए निधि :

10708. **श्री के० प्रधानी** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि के विकास कार्यक्रम के लिए लगाई गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या उड़ीसा राज्य में इस कार्यक्रम के लिए किए गए धन के नियतन से सरकार संतुष्ट है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) शुष्क भूमि खेती सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है और इसमें सुधरी कृषि पद्धतियों, फसल प्रदर्शनों और भूमि तथा नमी-संरक्षण उपायों आदि को शामिल किया गया है। सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में पुलबेनी, कालाहांडी, बोलागीर तथा सम्बलपुर जिलों को लिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत इन जिलों में छठी योजना (दिसम्बर, 1982 तक) के दौरान भूमि तथा जल-संरक्षण उपायों तथा फसल पालन पर किया गया व्यय 149·67 लाख रुपये था। छठी योजना (मार्च, 1982 तक) के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्रों में 1.83 लाख हैक्टेयर भूमि खेती पर शुष्क भूमि खेती की सुधरी पद्धतियाँ अपनाई गई हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की शुष्क भूमि कृषि के लिए भारतीय समन्वित परियोजना तथा राज्यमें कृषि विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के सहयोग से भूमि तथा जल-संरक्षण एवं शुष्क

भूमि खेती का एक समन्वित कार्यक्रम शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि वहां के कृषि-जलवायु हालातों के अन्तर्गत प्रति हेक्टेयर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके।

किसानों की समस्याएं

10709. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में किसानों से जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर विचार और अध्ययन किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने देश में किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है ; और

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह :) (क) केन्द्रीय सरकार देश के किसानों की समस्याओं की निरन्तर समीक्षा करती रहती है। विभिन्न समस्याओं की एक विस्तृत समीक्षा राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट 1976 में प्रस्तुत की। किसानों के सामने आने समस्याओं के विशिष्ट पहलुओं, जैसे आदानों का प्रावधान अर्थात उन्नत बीजों, उर्वरक, कीटनाशी, औषधियां, डीजल तेल, बिजली, संस्थागत ऋण, उनके उत्पादों के लिए लाभकर मूल्यों पर सरकार का लगातार ध्यान रखा जा रहा है और इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार द्वारा उपयुक्त उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में जैसाकि सुविदित है, कृषि क्षेत्र के उपक्रमों के लिए 12539 करोड़ रुपए और सिचाई के विकास के लिए 12160 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्नत बीजों, उर्वरकों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन और वितरण सम्बन्धी कार्यक्रमों का लगातार विस्तार किया जा रहा है। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि अनुसंधान और विस्तार को तेजी से बढ़ाया जा रहा है। मूल्य नीति के प्रतिपादन में विशेष ध्यान इस बात को सुनिश्चित करने पर दिया जा रहा है। विभिन्न जिसों के लिए निर्धारित किए गए अधिप्राप्ति समर्थन मूल्य लाभकारी हो और अनुमानित उत्पादन लागत के अलावा लाभ का कुछ मार्जिन भी रहे। छोटे और सीमान्त किसानों को विशेष सहायता सुलभ करायी जा रही है, जिसमें सिचाई के विकास के लिए और उर्वरकों जैसे आदानों पर राजसहायता भी शामिल है। चालू वर्ष के दौरान छोटे और सीमान्त किसानों के लाभ के लिए 250 करोड़ रु० के परिव्यय का (जिसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने बराबर-बराबर अंशदान किया है) एक विशेष कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। दलहन और तिलहनो के विकास और बारानी खेती के अन्तर्गत उत्पादकता बढ़ाने के कार्यक्रमों के लिए विशेष सहायता सुलभ कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त, समूचे देश के किसानों के लाभ के लिए उर्वरकों पर कई करोड़ रुपये सालाना की सामान्य राजसहयाता भी प्रदान की जा रही है।

एशियाई खेलों को आयोजित करने पर हुआ खर्च

10710. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष राजधानी में आयोजित एशियाई खेलों पर हुए खर्च के अंतिम लेखों का आंकलन करना अब सम्भव है,

(ख) यदि हां, तो उन पर लगभग कितना खर्च हुआ है, क्या इसकी लेखा परीक्षा होनी थी अथवा अभी इसकी लेखा परीक्षा होनी है,

(ग) विजेताओं को प्रदान करने के लिए मेडल निर्माण हेतु रिजर्व बैंक आफ इंडिया से लगभग कितने मूल्य का कितना सोना और चांदी लिया गया था, और

(घ) क्या इसका कोई समुचित लेखा रखा गया है और सांविधिक लेखा परीक्षक से लेखा परीक्षा कराई गई है, यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) वर्तमान संकेतों के अनुसार, एशियाई खेलों पर कुल व्यय संभवत: 67 करोड़ रुपये है। लेखा परीक्षा के सम्बन्ध में, एशियाड परियोजनाएं निष्पादित करने से सम्बन्धित कई एजेंसियों अपनी सामान्य पद्धति को अपना रही हैं, जिनमें कुछ मामलों में पूर्व लेखा-परीक्षा तथा अन्यों में बाद में लेखा परीक्षा, अपेक्षित है।

(ग) और (घ) नवें एशियाई खेलों के लिए, प्रतियोगी तथा स्मारक, दोनों प्रकार के पदक विशेष आयोजन समिति के अनुरोध पर, इण्डिया गवर्नमेंट मिनट, बम्बई में बनाये गए थे। विशेष आयोजन समिति द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से कोई सोना अथवा चांदी नहीं ली गयी थी।

एशियाई खेलों में भाग लेने वाले व्यक्तियों की पोशाकों पर किया गया व्यय

10711 **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के एशियाई खेलों के दौरान ध्वजधारियों तथा विभिन्न समारोहों के लिए लगाई गई अन्य महिलाओं को सप्लाई की गई साड़ियों आदि सहित भारतीय टीमों तथा होस्टलों को सप्लाई की गई विभिन्न प्रकार की वर्दियों पर कुल कितना व्यय किया गया,

(ख) क्या उन्होंने ये वर्दियां/साड़ियां लौटा दी थीं या उनको ये वस्तुएं मुफ्त में या निशानी के रूप में दे दी गई, और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) भारतीय दल की समारोह किट पर भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा किया गया कुल खर्च 6.16 लाख रु० थी, जबकि सत्कारिणियों (होस्टेसिज) ध्वजधारियों अन्य महिलाओं और कर्मचारियों के अन्य श्रेणियों

सहित कार्मिकों की पात्र श्रेणियों की वर्दियों पर नवें एशियाई खेल की विशेष आयोजन समिति द्वारा किया गया कुल खर्च 62.52 लाख रुपये था।

(ख) और (ग) एशियाई खेलों जैसी अन्तर्राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में, कार्मिकों की विभिन्न श्रेणियों के लिए विशेष प्रकार की वर्दियां उपलब्ध कराना, आयोजन समिति की प्रथा है ताकि कार्मिक अनुशासित कार्य दल के रूप में अपने कर्तव्यों को समुचित रूप से निभा सकें तथा उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। खेलों में कार्मिकों के भाग लेने की निशानी के रूप में, उनके पास इन वर्दियों को छोड़ना भी एक प्रथा है। तदनुसार, वर्दियों की वापसी की आशा नहीं की जा सकती।

आर० के० पुरम में टाईप-चार क्वार्टरों में किचक-सिंक बदलना

10712. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आर० के० पुरम, सेक्टर-12 के टाईप-चार क्वार्टरों में रसोई घर में लगाए गए सिंक सामान्यत: कितने समय बाद बदले जाते हैं ;

(ख) इन घिसे-पिटे सिंक्स को बदलने संबंधी कितने अनुरोध विचाराधीन है ; और

(ग) उन्हें कब तक बदल दिया जायेगा ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दस वर्ष

(ख) सत्ताईस

(ग) लगभग कुछ महीनों में।

दिल्ली में नकली कालोनाइजर

10713. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे कुछ मामले आये हैं जहां जहां कुछ नकली कालोनाइज़रों ने अपने आपको डी० डी० ए० का कर्मचारी बताकर कार्यालय खोलकर और लोगों को रोजगार का प्रस्ताव देकर दिल्ली के आसपास गरीब लोगों से धन एकत्रित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि ऐसा कोई मामला ध्यान में नहीं आया है।

उचित मूल्य की दुकानों की संख्या

10714. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान (राज्यवार) उचित मूल्य की कुल कितनी दुकानें खोली गई हैं ; और

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान (राज्यवार) उचित मूल्य की कुल कितनी दुकानें खोली जाएंगी ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) राज्यों तथा केन्द्र शासित क्षेत्रों से समय-समय पर मिली रिपोर्टों के अनुसार, 1982-83 के दौरान खोली गयीं उचित दर की दुकानों का राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उचित दर की दुकानें खोलने का निर्णय संबंधित राज्य सरकारों को करना होता है, जो अपने-अपने इलाकों के भीतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। इस प्रकार, वर्ष 1983-84 के दौरान खोली जाने वाली इन दुकानों की संख्या, अपने-अपने क्षेत्रों की मांग, इस प्रणाली के अन्तर्गत लायी जाने वाली आबादी, आदि जैसी बातों पर विचारकरते हुए संबंधित राज्य सरकारों पर निर्भर करेगी। राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे वर्तमान स्थिति की समीक्षा करें और इस बारे में अपने-अपने लक्ष्य निर्धारित करें।

विवरण

क्र०सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	उचित दर की दुकानों की संख्या	
		17-4-82 को	19-4-83 को
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	28743	30686
2.	असम	15199	16540
3.	बिहार	37142	37142
4.	गुजरात	9968	10386
5.	हरियाणा	5343	5590
6.	हिमाचल प्रदेश	2748	2728
7.	जम्मू और कश्मीर	2162	2162
8.	कर्नाटक	14230	14814
9.	केरल	11635	11856
10.	मध्य प्रदेश	16481	17069
11.	महाराष्ट्र	29315	29136
12.	मनीपुर	1077	1149
13.	मेघालय	1719	1773
14.	नागालैंड	172	107

1	2	3	4
15.	उड़ीसा	17056	18492
16.	पंजाब	10329	10801
17.	राजस्थान	10057	11275
18.	सिक्किम	926	926
19.	तमिलनाडु	17583	17796
20.	त्रिपुरा	823	891
21-	उत्तर प्रदेश	20001	20909
22.	पश्चिमी बंगाल	18496	18525
23.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	193	202
24.	अरुणाचल प्रदेश	187	243
25.	चंडीगढ़	200	208
26.	दादरा नगर हवेली	40	40
27.	दिल्ली	2868	2869
28.	गोवा, दमन और दीव	386	396
29.	लक्षद्वीप	24	24
30.	मिजोरम	382	441
31.	पांडिचेरी	178	178
	योग	275663	285354

लारेंस रोड़ के नजदीक डी. डी. ए. कालियों में दिल्ली दुग्ध योजना का बूथ खोलना

10715. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डेय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि लारेंस रोड क्षेत्र में डी. डी. ए. कालोनियों में ब्लाक बी-2 और बी-3 और उसके नजदीक के निवासियों के लिए दिल्ली दुग्ध योजना का कोई नियमित बूथ नहीं है;

(ख) क्या उन्हें इस बात की भी जानकारी है कि दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा एक स्कूटर गेराज से सुबह के समय इन निवासियों को दूध बहुत कम मात्रा में वितरण किया जाता है और वह दूध निवासियों की आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त है;

(ग) क्या उस क्षेत्र में प्रातः और सांय समय डी, एम. एस. का नियमित बूथ खोलने का सरकार का विचार है;

(घ) क्या इस क्षेत्र में मदर डेरी का एक बूथ खोलने का भी विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी, हां। तथापि, एक अस्थायी दुग्ध बूथ संख्या 1449 बी-3 ब्लाक, लारेंस रोड में स्थित है।

(ख) इस दुग्ध बूथ से इस समय सुबह 880 बोतल दूध सप्लाई किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अधिक से अधिक संख्या में उपभोक्ताओं को दूध मिल सके डिपू के स्टाफ को अनुदेश दिए गए हैं कि वे प्रत्येक उपभोक्ता को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर चार बोतल से अधिक दूध सप्लाई न करें।

(ग) भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा मिल्क बूथ के लिए चुने गए स्थान के बारे में स्वीकृति मिलने के पश्चात नियमित मिल्क बूथ का निर्माण किया जाएगा। उस बूथ से सांयकाल दूध की सप्लाई दूध की उपलब्धि पर निर्भर करती है।

(घ) तथा (ङ) मदर डेरी के दो बूथ संख्या 506 तथा 528 ब्लाक बी-2 तथा बी-3 के समीप कार्य कर रहे हैं। इस क्षेत्र में और अधिक बूथ खोलने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है।

मदर डेरी की विद्यमान क्षमता को देखते हुए 300 बल्क मिल्क वैंडिंग बूथों तथा 300 इन्सुलेटिड कन्टेनर्स के माध्यम से दूध के विपणन की योजना है। उक्त संख्या में बूथों तथा इन्सुलेटिड कन्टेनर्स ने कार्य करना शुरू कर दिया है, अत: मदर डेरी ऐसे और अधिक केन्द्र खोलने की स्थिति में नहीं है।

महाराष्ट्र में भीम सिंचाई परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि द्वारा दी गई सहायता

10716. **श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से महाराष्ट्र में भीम सिंचाई परियोजना के लिए सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) सितम्बर, 1979 में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि के साथ हस्ताक्षरित करार के अनुसार, महाराष्ट्र में भीम परियोजना को 50 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता प्राप्त हो रही है। परियोजना में 2 घटक सम्मिलित हैं, (1) पवाना संघटक जिसमें, पवाना नदी पर एक बांध और 30 लिफ्ट स्कीमों का निर्माण, और (2) मुख्य भीम परियोजना अथवा उज्जैनी घटक जिसमें भीम नदी पर उज्जैनी में एक संचयन बांध और दोनों किनारों पर नहर प्रणाली का निर्माण शामिल है। इस परियोजना की 1980 में संशोधित की गई अनुमानित लागत ₹35 लाख

रुपये है । ऋण सम्बन्धी करार मार्च, 1958 तक प्रभावी होगा ।

सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों का सरकारी आवासों में रहना

10717. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी सेवा से निवृत्त होने के बाद सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी अधिकतम कितने समय तक सरकारी आवास में रह सकता है;

(ख) ऐसे सरकारी कर्मचारी कितने हैं जिनके सेवा से निवृत्त होने के बाद उपरोक्त अवधि के बाद भी सरकारी आवास उनके कब्जे में हैं;

(ग) जब वे सरकारी कर्मचारी नहीं रहे तो सरकारी आवास में उनके अधिक समय तक ठहरे रहने के क्या विशेष कारण हैं; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों से सरकारी आवास खाली कराने तथा लम्बे अर्से से सरकारी आवास के आबंटन की प्रतिक्षा कर रहे और उन्हें जरूरत मन्द अन्य सरकारी कर्मचारियों को आबंटित करने के लिए क्या कारगर कदम उठाये गए हैं;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्ति के बाद सेवा निवृत्ति की तारीख से दो महीने की अवधि तक अपने दखल के सामान्य पूलवास को सामान्य लाइस सेंफीस पर रख सकता है । उसके बाद कर्मचारी के विशेष अनुरोन पर शिक्षा और परिवार में बीमारी के आधार पर बढ़ी हुई लाइरेंस फीस पर रखने की अनुमति दी जा कसती है जिसकी अवधि छः महीने से अधिक नहीं होगी ।

(ख) 551

(ग) लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनिय 1897 के उपबन्धों के अन्तर्गत अनधिकृत दखलकारों की बेदखली के लिए कार्रवाई में कुछ समय लगता है । इसके अतिरिक्त, कुछ सेवा निवृत्ति सरकारी कर्मचारी जिनके विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित है, अपनी बेदखली के स्थगन के लिए न्यायालय से रोकादेश प्राप्त कर लेते हैं । जब तक न्यायालय द्वारा स्वीकृत रोकादेश रद्द नहीं किया जाता तब तक ऐसे मामलों को आस्थगित रखना होता है ।

(घ) लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेखली) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत शीघ्र बेदखल करने की कार्रवाई आरम्भ करने के सभी सम्भव उपाय किए जाते हैं ।

डी० आई० जैड० क्षेत्र के मकानों का मानक किराया और उसमें द गई सुविधाएं

10718. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सैक्टर "डी", डी० आई० जैड क्षेत्र में सरकारी मकानों का मानक किराया कितनी

बार पुनरीक्षित किया गया है और इसका पुनरीक्षण करने का आधार क्या है;

(ख) किराये का प्रत्येक बार पुनरींक्षण करने के उपरान्त अलाटियों को क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(ग) सैक्टर "डी" डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में टाईप II और टाईप– III के मकानों का मानक और बाजार किराया क्या है;

(घ) वहां टाईप II और टाईप-III के मकानों के प्रत्येक अलाटी से जीने की बत्ती और पानी की सप्लाई के लिए कितना धन लिया जाता है।

(ङ) क्या अधिकांश अवसरों पर जीने की बत्तियां बंद रहती हैं;

(च) वहां टाईप-II और टाईप-III के निवासियों को पेय जल की सप्लाई का समय क्या है; और

(छ) उक्त क्षेत्र में सफाई, जीने की बत्तियों और पानी की सप्लाई की स्थिति सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) इन क्वार्टरों के बारे में एफ० आर० 45-क के अन्तर्गत मानक पूलित लाइसेन्स फीस सम्पदा निदेशालय को उनका कब्जा सौंपे जाने से अर्थात 1.4.75 1.4.78 और 1.4.81 से तीन बार पुनरीक्षित किया गया था। 1.4.75 और 1.4.81 से पुनरीक्षण दरों का पंचवर्षीय पुनरीक्षण के कारण था। लाइसेन्स फीस की दरों का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ भवन की लागत में भूमि की कीमत शामिल करने के लिए 1.4.78 से पुनरीक्षण एफ० आर० 45-क में संशोधन करने के कारण किया गया था।

(ख) प्रत्येक पुनरीक्षण के पश्चात कोई अतिरिक्त सुविधाए नहीं दी गई हैं क्योंकि लाइसेन्स फीस का पुनरीक्षण एस. आर. 324 (2) के उपबन्ध के अन्तर्गत नियमित अन्तराल पर किया जाता है।

(ग) सैक्टर "डो", डी० आई० जेड० क्षेत्र में टाइप "बी" और "सी" क्वार्टरों के लिए मानक तथा मार्किट लाइसेन्स फीस की विद्यमान दरें विवरण में दी गई हैं।

(घ) टाइप "बी" और टाइप "सी" के लिए जीने की बत्तियों के प्रभारों के लिए विद्यमान दर 2.75 रुपये है और टाइप "बी" और "सी" के क्वाटरों के लिए जल प्रभार क्रमश: 10/-रुपये और 15 रुपये प्रति क्वार्टर है।

(ङ) जी, नहीं। अधिकांश समय, जीने की बत्तियां जलती रहतीं हैं। जब भी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय में फ्यूज्बलबों/बत्तियों की सूचना प्राप्त होती है, उन्हें तत्काल बदल दिया जाता है।

(च) निवासियों को पेयजल की सप्लाई का समय इस प्रकार है—

प्रातः	6.00 से 9.00 बजे तक
दोपहर	12.00 से 1.00 बजे तक
सायं	6.00 से 9.00 बजे तक

(छ) इस क्षेत्र में बरसाती नालियों और सड़कों की देखभाल नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा की जाती है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मकानों के सामने ब्लाकों और पथों के बीच के लानों की सफाई करता है, जिसकी सफाई की जा रही है। पानी की सप्लाई इसकी उच्चलता के अनुसार की जा रही है और जी जीनों के प्रकाश की सन्तोषजनक रूप से व्यवस्था करने के लिए सभी सभव प्रयास किए जा रहे हैं।

सैक्टर "डी", डी आई. जेड. क्षेत्र, नई दिल्ली में टाइप "बी" तथा "सी" के के क्वार्टरों के लिए मानक तथा मार्किट लाइन्सेस फीस की दरें

इप	एफ. आर. 45-क के अन्तर्गत पूलित लाइसेन्स फीस	एफ. आर. 45-क के अन्तर्गत लाइसेन्स फीस	एफ. आर. 45-ख के अन्तर्गत डी. सी. के बिना लाइन्सेस फीस	एफ. आर. 45-ख के अन्तर्गत डी. सी. सहित लाइसेंस फीस	पूलित मार्कीट लाइसेन्स फीस
1	2	3	4	5	6
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
"बी"	54 रु०	85 रु०	227/-	262/-	208/-
"सी"	68/-से 73/-	104/-	285/-	318/-	259/- से 378/-

डी० आई० जैड० क्षेत्र में सरकारी मकानों के ग्राउंड फ्लौर के अलाटियों द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा

10719. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेक्टर "डी" डी० आई० जैड० क्षेत्र, नई दिल्ली में टाईप-11 और टाईप-111

के सरकारी मकानों के ग्राउंड फ्लोर के अनेक आलाटियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके उस पर बगीचा बना लिया है ;

(ख) क्या ग्राउंड फ्लोर में रहने वाले कुछ निवासियों ने बरसाती पानी के नालों तक को बंद कर दिया है जिसके कारण बरसाती पानी रुक जाता है और इससे अनेक बीमारियां फैल सकती हैं और

(ग) अवैध कब्जों को खाली कराने और बरसाती पानी के नालों को साफ कराने के लिए ऐसे बेईमान अलाटियों के विरुद्ध क्या कदम उठाए गये हैं ;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क), से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पनई ताड़ अंश निष्कासन व्यवसाय

10720. **श्री एन० डेनिस** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने पनई ताड़ अंश निष्कासन व्यवसाय को समाप्त होने से बचाने और ताड़ गुड़ उत्पादन और इससे संबंधित सहायक व्यवसायों में लगे बड़ी संख्या में व्यक्तियों के हितों की रक्षा करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ; और

(ख) क्या सरकार गुड तैयार करने हेतु बर्तन और जलाने की लकड़ी खरीदने तथा इससे सम्बन्धित सहायक उद्योगों का सेवन करने हेतु राज सहायता तथा ऋण देकर उनको संरक्षण देगी ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह : भाग (क) व (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पनई ताड़ निष्कासकों के हितों की रक्षा करने तथा ताड़ और गुड़ बनाने वाले उद्योग के लिए ताड़ निष्कासन करने के लिए सहायता के उपयुक्त स्वरूप संबंधी विशिष्ट विकासात्मक योजनाएं तैयार की हैं । ताड़ी और गुड़ तैयार करने के लिए पनई ताड़ निष्कासन में लगी समितियों और संस्थाओं को ताड़ वाली भूमि खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके लिए उन्हें रियायती वित्त प्रदान किया जाता है । वैज्ञानिक परीक्षणों के फलस्वरूप ताड़ी एकत्र करने की उन्नत प्रोद्योगिकी शुरू की गई है, जिनसे ताड़ के पेड़ों पर चढ़ना और स्पेटल के टुकड़े करना आसान हो गया है । ताड़ निष्कासन, जैसे ताड़ के पत्तों से वस्तुएं बनाना, ताड़ के रेशे से वस्तुएं बनाना आदि से सम्बन्धित गौण उद्योगों का भी अध्ययन किया गया है तथा अधिक उत्पादकता और अच्छी किस्म के उत्पाद प्राप्त करने के लिए विकसित किए गए तरीकों का प्रचार किया जा रहा है । कारीगरों की दशा सुधारने और उनके द्वारा विनिर्मित उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न कार्यों में प्रशिक्षण तथा प्रयोगात्मक प्रदर्शन और विस्तार सहित संवर्धनात्मक गतिविधियों को शुरू किया गया है ।

देश में वर्ष 1981-82 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्राधिकार में ताड़ गुड़ और अन्य ताड़ उत्पादकों का कुल उत्पादन 2,457,57 लाख रुपये था । इससे 4,34,301 व्यक्तियों को

रोजगार मिला था। केवल तमिलनाडु में ही खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से वर्ष 1981-82 के दौरान 1612 सहकारी समितियों की सहायता की है तथा इस समय राज्य में 49 50 लाख ताड़ के पेड़ शामिल किए जाने की जानकारी मिली है. जो 1,755.53 लाख रुपये का ताड़ का गुड और अन्य उत्पाद तैयार करते हैं और 3,01,000 व्यक्तियों को रोजगार देते हैं। तमिलनाडु सरकार ने ताड़ निष्कासकों को ग्रुप बीमा और दुर्घटना लाभ जैसी सुविधाएं भी प्रदान की हैं।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ताड़ से गुड़ बनाने में लगे कारीगरों को उनकी समितियों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सहायता दे रहा है। कारीगर उपस्करों के लिए पूंजी व्यय हेतु 50 प्रतिशत अनुदान और 50 प्रतिशत ऋण के साथ कार्यकारी पूंजी सम्बन्धी सहायता प्राप्त करते हैं। समितियों को गुड़ और अन्य उत्पादकों के भण्डारण तथा उन्हें बेचने के लिए कार्यकारी पूंजी की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ऋण 4 प्रतिशत की दर से प्रदान किए जाते हैं। इस योजना के अन्तर्गत लगभग 6000 कारीगरों के प्रति वर्ष सहायता दी जाती है। कारीगरों को कार्य करने के स्थान के लिए शैडों, गोदामों आदि सामुदायिक उपयोग के लिए भी सहायता दी जाती है।

बिहार के धनबाद जिले के चंदन कियारी ग्रामीण क्षेत्र की सिचाई

10721, **श्री ए० के० राय** : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के धनबाद जिले के चन्दनकियारी ग्रामीण क्षेत्र की तासेर खाँ नदी से सिचाई करने का प्रस्ताव वर्ष 1982 में प्राप्त हुआ था ;

(ख) क्या यह सच है कि यह योजना बिहार सरकार को उसकी राय के लिए भेजी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) माननीय सदस्य ने जनवरी, 1983 में तसरकूया नदी पर एक सिचाई परियोजना के निर्माण के सम्बन्ध में धनबाद जिले के चन्दनकियारी थाने के अन्तर्गत कोरिया तथा अमई नगर के ग्रामवासियों का एक अभ्यावेदन भेजा था। सिचाई एक राज्य-विषय होने के कारण, माननील संसद सदस्य का सुझाव विचार और उपयुक्त कार्यवाई करने के लिए बिहार सरकार को भेज दिया गया है।

राज्यों में लघु (माइनर) सिचाई योजनाओं का विकास

10722. **श्री नवीन रावणी** : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं, जिनमें 1982-83 वर्ष के दौरान लघु सिचाई योजनाओं का विकास किया गया था ;

(ख) उन राज्यों में किए गए कार्य और वर्ष 1982-83 के दौरान कृषि के अन्तर्गत लाये

गये अतिरिक्त क्षेत्र का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) लघु (माइनर) सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने और अधिक क्षेत्र को कृषि के अन्तर्गत लाने के लिए अन्य राज्यों में भी क्या अतिरिक्त उपाय किये जा रहे हैं।

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में सभी राज्यों द्वारा लघु सिंचाई कार्यक्रम, जिसमें भूतल जल और भूमिगत जल, दोनों प्रकार की स्कीमें शामिल होती हैं, 1982-83 के दौरान कार्यान्वित किया गया था।

(ख) 1982-83 के दौरान लघु सिंचाई स्कीमों से 1·44 मिलियन हैक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित किए जाने की संभावना है। राज्यवार क्षेत्र का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विवरण

1982-83 के दौरान लघु सिंचाई स्कीमों से सृजित की जाने वाली संभावित अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का राज्यवार विवरण।

राज्य का नाम		यूनिट (हजार हैक्टेयर)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	55
2.	असम	23
3.	बिहार	205
4.	गुजरात	38
5.	हरियाणा	29
6.	हिमाचल प्रदेश	5.20
7.	जम्मू व कश्मीर	4.18
8.	कर्णाटक	30.00
9.	केरल	17.40
10.	मध्य प्रदेश	59.00
11.	महाराष्ट्र	43.00
12.	मणिपुर	2.00
13.	मेघालय	2.90

1	2	3
14.	नागालैण्ड	2.82
15.	उड़ीसा	102
16.	पंजाब	33
17.	राजस्थान	39
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	29.53
20.	त्रिपुरा	1.20
21.	उत्तर प्रदेश	659
22.	पश्चिमी बंगाल	53.25
	जोड़ : राज्य	1434.48
	जोड़ : संघ राज्य क्षेत्र	7.21
	जोड़ : अखिल भारत	1441.69

अर्थात् 1.44 मिलियन हैक्टेयर

गुड़ और खांडसारी एककों को गन्ना दिया जाना

10723. **श्री अन्नत रामुलु मल्लु :** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि देश में गुड़ और खांडसारी एककों को बड़े पैमाने पर गन्ना दिया जाना चीनी उत्पादन लक्ष्यों को खतरा पैदा कर रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो बड़े पैमाने पर इस तरह गन्ना दिये जाने के लिए जिम्मेदार मुख्य कारण क्या हैं तथा चीनी उत्पादन में अनुमानत: कितनी कमी आई जबकि उसके परिणामस्वरूप चालू वर्ष के दौरान इसको संतोषजनक नहीं माना गया है ; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) गुड़ और खण्डसारी का उत्पादन करने के बावजूद इस वर्ष 22 अप्रैल तक चीनी का उत्पादन 71.12 लाख मीटरी टन हुआ है जबकि पिछले वर्ष उसी तारीख तक 68.36 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था । इस वर्ष चीन का अत्याधिक स्तर पर उत्पादन होने की प्रत्याशा में तथा वर्तमान चीनी मौसम के प्रारम्भ में लगभग 33 लाख मीटरी टन का पिछला बचा स्टाक उपलब्ध होने से चीनी की कमी होने का कोई भय नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

वर्ष 1983-84 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत आवन्टित की गई राज्यवार राशि

10724. **श्री हरीश रावत** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के लिए वर्ष 1983-84 के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अलग-अलग कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ;

(ख) क्या 1982-83 के लिये इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को राज्यों द्वारा पूरा कर लिया गया है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में पूरा ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रीय अंश के रूप में 200 करोड़ रुपये की धनराशि सुलभ की गई है । राज्य सरकारों से अपने अंश के रूप में इतनी ही धनराशि उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है । वर्ष 1983-84 के दौरान कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार आबंटित केन्द्रीय सहायता की धनराशि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) व (ग) कार्यक्रम के अन्तर्गत 300 से 400 से मिलियन श्रम दिनों के अतिरिक्त सृजन के वार्षिक लक्ष्य, जैसा कि छठी पंचवर्षीय योजना में परिकल्पना की गई थी, के मुकाबले में राज्यों द्वारा अब तक दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1982-83 के दौरान 337.83 मिलियन श्रम दिनों का रोजगार सृजित हुआ है ।

विवरण

1933-84 के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत संसाधनों के अन्नतिम आबंटन को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	नकद निधियां (खाद्यान्नों के मूल्य सहित) (लाख रुपये में)
1.	2.	3.
1.	आन्ध्र प्रदेश	1990.00
2.	असम	438.00
3.	बिहार	2872.00
4.	गुजरात	650.00
5.	हरियाणा	170.00

1	2		3
6.	हिमाचल प्रदेश		80.00
7.	जम्मू तथा काश्मीर		150.00
8.	कर्नाटक		950.00
9.	केरल		930.00
10.	मध्य प्रदेश		1470.00
11.	महाराष्ट्र		1600.00
12.	मणिपुर		22.00
13.	मेघालय		30.00
14.	नागालैण्ड		10.00
15.	उड़ीसा		910.00
16.	पंजाब		275.00
17.	राजस्थान		480.00
18.	सिक्किम		6.00
19.	तमिलनाडु		1800.00
20.	त्रिपुरा		66.00
21.	उत्तर प्रदेश		3440.00
22.	पश्चिमी बंगाल		1555.00
		योग: राज्य	19894.00
केन्द्र शासित क्षेत्र			
23.	अण्डेमान तथा निकोबार द्वीप समूह		3.00
24.	अरुणाचल प्रदेश		12.00
25.	चंडीगढ़		1.30
26.	दादरा तथा नगर हवेली		4.60
27.	दिल्ली		13.80
28.	गोवा दमन तथा दीव		13.80
29.	लक्षद्वीप		1.70
30.	मिजोरम		7.50
31.	पाण्डिचेरी		25.30
		योग: केन्द्र शासित क्षेत्र	106.00
		कुल योग:	20000.00

दिल्ली समाज कल्याण और सलाहकार बोर्ड के कर्मचारियों की क्वार्टरों का आवंटन

10725. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सम्पदा निदेशालय के दिल्ली समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, 6, भगवानदास रोड, नई दिल्ली के कुछ कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उनसे वरिष्ठ व्यक्तियों को क्वार्टर आवंटित न करने के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या यह सच भी है कि ये क्वार्टर उन कर्मचारियों को आवंटिक किये गये हैं, जिनके पास पहले ही से डी० डी० ए० फ्लैट हैं;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली समाज कल्याण तथा सलाहकार बोर्ड के कर्मचारी पूल में वास के पात्र नहीं हैं। तथापि सम्पदा निदेशालय ने सामान्य पूल का एक क्वार्टर दिल्ली प्रशासन को उनके पूल के एक क्वार्टर के बदले में दिल्ली समाज कल्याण तथा सलाहकार बोर्ड के एक कर्मचारी को आवंटित करने के लिए सौंप दिया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित कारणों से निर्माण और आवास मंत्रालय यह सूचना एकत्र नहीं करता है। तथापि, अपना स्वयं का मकान रखने वाले सरकारी कर्मचारी भी सामान्य पूल वास के लिए पात्र हैं।

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा रासायनिक उर्वरकों आदि की खोज/उत्पादन

10726. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अनुसंधान परिषद् तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (सी० एस० आई० आर० एण्ड आई० सी० ए० आर०) के अन्तर्गत 100 राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के हमारे तन्त्र सहित रसायन आर० क्षेत्र में अनुसंधान में भारत में एक सुदृढ़ आधार और संगठन है;

(ख) क्या भारतीय कि वैज्ञानिक कृषि रसायनिक उर्वरकों, कीठनाशकों, पेस्टीसाइड तथा संबद्ध मदों की खोज/उत्पादन में सफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में औसत वार्षिक उत्पादन सहित कितना उत्पादन हुआ ?

कृषि मंत्री (राव विरेन्द्रसिंह) (क) कृषि मन्त्रालय के अन्तर्गत, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पास रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय प्रयोगशाला नहीं है। फिर भी, परिषद

के अन्तर्गत 22 संस्थान और 10 समन्वित प्रायोजनाएं काम कर रही हैं, जिनमें रसायन विज्ञान में अनुसंधान संरचना के संघटक हैं, जो कृषि के लिए व्यावहारिक रूप में कार्य करते हैं।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा कृषि-रसायन विकसित किये गये हैं और इन रसायनों की वर्तमान व्यावसायिक स्थिति नीचे दी गयी है।

क्र०सं०	रसायन के नाम	प्रयोग	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	बेरियम पोलिसूल-फाइड	फफूंदनाशी	अभी बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है।
2.	थेनाइट (आइसोबोनाईल थाईओसाइएनाएसेटेट)	कीटनाशी	बिक्री के लिए रिलीज की जा चुकी है।
3.	डाइकोफाल (कालथीन)	एकारिसाइड	बिक्री के लिए रिलीज की गयी
4.	ईथाइल क्लोरोबेंजिलेट	एकारिसाइड	,,
5.	एंडिफेनफॉस (हिनोसन)	फफूंदनाशी	,,
6.	एसीफेट	कीटनाशी	अभी इसे बेचा नहीं जा रहा।
7.	सैनथेटिक पाइन आयल्स	कीटनाशी के लिए सहयोगिता	बिक्री के लिए रिलीज की गयी।
8.	डिल्लापीयो (पाइपरोन्यल बटोक्साइड के लिए अनुकल्प)	पायरेथ्रोइड के लिए सहयोगिता	बिक्री के लिए रिलीज की गयी।
9.	डायराइल डीक्लोरोमेथाइल फास्फोनेट (एडीफेनफोस के लिए स्थानापन्न)	फफूंदनाशी	अभी इसे बेचा नहीं जा रहा।
10.	फूरापीओले, डिल्लापायोले (पी बी ओ का अनुकल्प) का सेनथेटिक एनालोगू	पायरेथ्रूम के लिए सहयोगिता	अभी इसे बेचा नहीं जा रहा

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

जंगली वृक्षों के पोधों का रोपण

10727. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि 266 करोड़ से अधिक जंगली वृक्षों के पौधे लगाये गये है जो

100 प्रतिशत के लक्ष्य की तुलना में 3.7 लाख हैक्टर भूमि पर लक्ष्य का 105 प्रतिशत भाग पूरा कर लिया गया है ;

(ख) क्या उत्तर जीविता की दर पर निगरानी रखी गई है और उसका अनुमान 70 प्रतिशत है; और

(ग) क्या सरकार अपनी निगरानी प्रणाली से सन्तुष्ट है और क्या इस मामले के राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए वे स्वतंत्र रूप से स्थल पर जाँच और मूल्याकन करेंगे ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1982-83 के दौरान 206.15 करोड़ पौधे लगाए गए थे, जो वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य का 105 प्रतिशत था। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत 3.7 लाख हैक्टार क्षेत्र पर पौधे लगाए गए, जो कि वर्ष के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य का 109 प्रतिशत था।

(ख) उत्तर जीविका की दर की यदा-कदा जांच की गई है। इसमें 69 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक भिन्नता आई है।

(ग) राज्यों से उत्तर जीविका प्रतिशतता की निगरानी करने और परिणामों से केन्द्रीय सरकार को सूचित करने के लिए कहा गया है। राज्यों को स्वतंत्र जांच करने की व्यवस्था करने की सलाह भी दी गई है। केन्द्रीय सरकार के दलों द्वारा भी यदा-कदा जांच की जाती है।

डी० आई० जैड० एरिया टाईप—11 क्वार्टरों का आवंटन

10728. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० आई० जैड० एरिया, नई दिल्ली में टाईप-11 क्वार्टरों का आबंटन केवल उन्हीं कर्मचारियों को किया जाता है जो क्वार्टर बदलना चाहते हैं और इस प्रयोजन के लिए एक प्रतीक्षा सूची बनाई जाती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले 6 महीनों के दौरान सम्पदा कार्यालय में क्वार्टर बदलने के लिए मास-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या जनवरी के महीने में पचकुइयां रोड के लिए बनाई गई प्रतीक्षा सूची में पहले और दूसरे स्थान के कर्मचारियों को अभी तक क्वार्टर नहीं आबंटित किए गए हैं जबकि प्रत्येक ब्लाक और सैक्टर में प्रतिमास 10 से 15 क्वार्टर खाली होते हैं, और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और और प्रतिक्षा सूची में जिन कर्मचारियों के नाम हैं उन्हें कब तक क्वार्टर आबंटित कर दिए जाएंगे;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) विगत छ, महीनों के दौरान डी० आई० जैड० क्षेत्र में मकान बदली के लिए प्राप्त

आवेदन-पत्रों की मास वार संख्या निम्नलिखित है :—

नवम्बर, 1982	— 8
दिसम्बर, 1982	—12
जनवरी, 1983	— 9
फरवरी, 1983	—16
मार्च, 1983	—30
अप्रैल, 1983	—34

(ग) पचकुइयां रोड में कोई 'बी' 11-टाईप क्वार्टर नहीं है। अतः पंचकुइयां रोड में उस टाईप के लिए कोई प्रतीक्षा सूची नहीं रखी जाती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों और अनधिकृत निर्माण कार्यों में काले धन का निवेश

10729. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरकारी भूमि पर अनधिकृत कालोनियां और अनधिकृत निर्माण कार्यों की बाढ़ की ओर सरकार का ध्यान गया है;

(ख) यदि हां, तो इस भरमार तथा इस प्रकार के अनधिकृत निर्माण कार्यों में काले धन की बड़ी धनराशि के निवेश को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन अनधिकृत कालोनियों और वाणिज्यिक परिसरों सहित भवनों में काले धन का निवेश करने वालों को दण्ड देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां।

(ख) तथा, (ग) :—यह देखते हुए कि दिल्ली में समय-समय पर बड़ी संख्या अनधिकृत कालोनियों का निर्माण हो गया है।

सरकार ने यह निर्णय लिया कि 30-6-77 तथा 16-2-77 तक बनी क्रमशः रिहायशी तथा वाणिज्यिक संरचनाओं को नियमित कर दिया जाए। उसी समय ये अनुदेश जारी कर दिए गए थे कि सरकार दिल्ली की नगरीय सीमाओं के भीतर अथवा बाहर वर्तमान अनधिकृत कालोनियों अथवा किसी अन्य क्षेत्र में नई संरचनाएं बनाने के किसी व्यक्ति अथवा निकाय की किसी गतिविधि अथवा कार्यवाही का समर्थन नहीं करेगी।

तथा इस दिशा में किसी भी प्रयास को गंभीरता से लिया जाएगा तथा दोषी व्यक्तियों के साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध संगत अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

सरकार दिल्ली में सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमणों तथा अनधिकृत निर्माणों की समस्या से अधिक प्रभावी रूप में निपटने के लिए संगत कानूनों को संशोधित करने के लिए विधान पेश करने का भी प्रस्ताव कर रही है।

2. जहा तक अनधिकृत कालोनियों तथा अनधिकृत निर्माणों में काले धन के निवेश के विरुद्ध कार्यवाही का सम्बन्ध है, वित्त मंत्रालय ने सूचित किया है कि आयकर विभाग घर-घर जाकर सर्वेक्षण में अन्य बातों के साथ साथ, नए वाणिज्यिक कम्पलैक्सों, नई ओद्योगिक सम्पदाओं तथा भवनों के आदि नवनिर्माणों का सर्वेक्षण करता है।

तथा एकत्रित सूचना प्रत्यक्ष कर अधिनियम के अन्तर्गत उचित कार्यवाही करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि मूल्यांकन प्रकिया के दौरान, यदि कोई अस्पष्टीकृत निवेश पाया जाता है, इस पर कर लगाया जाता है तथा आगे उचित कार्यवाही की जाती है।

किसानों द्वारा किए गए ऋणों की वापसी और उन पर लिया जाने वाला ब्याज

10730. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान छोटे किसानों पर विश्लेषणात्मक समाचार (इकानामिक टाइम्स-3 मार्च, 1983) की ओर दिलाया गया है, यदि हा, तो कौन उपचारी कदम उडाये जाने का विचार है,

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार एस० एफ० डी० ए० आदि के अन्तर्गत काफी संख्या में लाभार्थी छोटे किसान नहीं हैं,

(ग) क्या सरकार प्रौद्योगिकी अन्तराल के लिए विभिन्न नामों से चल रहे अपने सभी बहुमुखी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करेगी और उनमें तेजी लाएगी और उन्हें एक प्राधिकरण के अधीन रखेगी,

(घ) प्रौद्योगिकी अन्तराल के विभिन्न कार्यकमों और उनके प्राधिकरणों के नाम क्या है ओर पिछले तीन वर्षों के लिए उनके बजट प्रावधानों और व्यय का ब्यौरा क्या है, और

(ड) क्या इनका क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों के अलावा स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया है और विभिन्न नामों और बैनरों के अन्तर्गत समान उद्देश्यो और लक्ष्यों वाले इतने अधिक कार्यक्रमों के कारण क्या हैं जिससे प्रयासों और व्यय व्यर्थ हो जाते हैं और उनकी पुनरावृत्ति हो जाती है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क)जी हां। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में सुधार करने हेतु अनेक उपचारी उपाय किए गए हैं जैसे—लघु किसान विकास एजेंसी कार्यक्रम तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे लाभ-भोगी उन्मुख कार्यक्रमों का समन्वय करना।

और जिला स्तर पर जिला ग्रामीण विकास का एजेंसी का सृजन करना जो न केवल समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगी सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा विशेष पशुधस संवर्धन कार्यक्रम का कार्यान्वित करेगी ।

(ख) जी हां । भारतीय रिजर्व बैंक के अध्ययन जिसका शीर्षक 'लघु किसान विकास एजेंसियां—एक क्षेत्रीय अध्ययन-1972-73' हैं, के अनुसार भूमि जोतो के आकार के अनुसार चुने किसानों के विभाजन से मालूम हुआ है कि अधिकांश चुने कृषकों के पास जोते निर्धारित सीमाओं के अन्दर ही थी ।

(ग) से (ख) ग्रामीण विकास के विभिन्न चल रहे कार्यक्रमों का लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है तथा उन्हें कारगर बनाया जा रहा है । लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम जो एक लाभ भोगी कार्यक्रम था, को पहले ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में मिला दिया गया है । इसी प्रकार, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम जो मुख्य रूप से एक क्षेत्र विकास कार्यक्रम है के लाभ भोगी उन्मुख घटक को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम में पहले ही मिला दिया गया है । सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा विशेष पशुधन विकास संवर्धन कार्यक्रम को जिला स्तर पर एक ही प्राधिकारी के अन्तर्गत लाया गया है ।

गत तीन वर्षो के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, संखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट प्रावधान तथा किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है.।

विवरण

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम तथा विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत बजट प्रावधान तथा व्यय

(करोड रुपये में)

	1980-81		1981-82	1982-83		
	बजट प्रावधान (केन्द्रीय) संशोधित अनुमान	व्यय	बजट प्रावधान (केन्द्रीय) संशोधित अनुमान		बजट प्रावधान (केन्द्रीय) संशोधित अनुमान	व्यय
1	2	3	4	5	6	7
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	80.00	156.24 (अनन्तिम)	125.00	262.59 (अनन्तिम)	170.00	311.82 (अनन्तिम)
2. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	35.00	73.14	35.00	73.19	37.82	23.41 (दिसम्बर, 82 तक)
3. मरुभूमि विकास कार्यक्रम	7.00	14.49	8.00	15.47	10.00	4.84 (सितम्बर, 82 तक)
4. विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम	6.00	5.52	6.50	5.77	6.00	3.97

नोट :—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम में केन्द्रीय तथा राज्यों के अंश में से व्यय की गई धनराशि शामिल है। विशेष पशुधन संवर्धन कार्यक्रम के मामले में केवल केन्द्र द्वारा वंटित निधियों में से किया गया व्यय शामिल है।

पुष्प विहार में सी० पी० डब्ल्यू० डी० के इलैक्ट्रिकल पूछताछ कार्यालय में अनियमितताएं

10731 : **श्री राम प्रसाद अहिरवार**
श्री के० बी० एस० मणि] : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सतर्कता विभाग ने 1 जनवरी 1980 से 31 जनवरी, 1983 तक की अवधि के दौरान पुष्प विहार में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अनेक इलैक्ट्रिकल पूछताछ कार्यालयों में छापे मारे थे; यदि हां, तो प्रत्येक बार छापा मारने की तारीख का उद्देश्य क्या था : और

(ख) क्या सतर्कता विभाग द्वारा वहां किसी तरह की अनियमिताएं पाई और यदि हां, तो इन अनियमितताओं के लिए उत्तरदायी कर्मचारियों/इंजीनियरों के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां। विद्युत निर्माण मण्डल सं० IV के सहायक कार्यपालक इंजीनियर के विरुद्ध शिकायत की जांच के सम्बन्ध में 1. 8. 80, 2.11.80 तथा 21-11-80 को पुष्प विहार के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय पर छापा मारा गया था।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के विद्युत मण्डल सं० XIII के कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) के विरुद्ध शिकायत की जाँच के लिए 5-9-81, 6-1-82 तथा 18-3-82 को छापा मारा गया था।

(ख) तत्कालीन सहायक कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) जो इस समय कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत) हैं के विरुद्ध कतिपय अनियमितताएं/गलतियां ध्यान में आई तथा उसे निलम्बित कर दिया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित सरकारी निर्देशों का पालन न किया जाना

10732 : **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम पर्याप्त सहायक कर्मचारियों के साथ सम्पर्क कक्ष की स्थापना सहित अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण और अन्य सुविधाओं से संबंधित सरकारी निर्देशों का पालन कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय खाद्य निगम के प्रत्येक क्षेत्रीय, जोनल कार्यालय और मुख्य कार्यालय के सम्पर्क कक्ष में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) भारतीय

खाद्य निगम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण करने और उनको अन्य लाभ देने के बारे में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन कर रहा है और उसने लगभग सभी कार्यालयों में सम्पर्क सैल भी स्थापित किए हैं।

(ख) निगम के मुख्यालय के सम्पर्क सैल में एक सहायक ग्रेड-1 और एक सहायक ग्रेड-3 तैनात किया गया है और वे सहायक प्रबन्धक क्या उप-प्रबन्धक की देख-रेख में कार्य करते हैं। जिला/क्षेत्रीय तथा जोनल कार्यालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए खोले गए सम्पर्क सैलों में स्टाफ स्थिति के बारे में सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

आयातित तेल का मूल्य

10733 : **डा० सुब्रहमण्यम स्वामी**
श्री रतन सिंह राजदा
प्रो० अजित कुमार मेहता] : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1982-83 में आयातित तेल के मूल्य आशाओं के विपरीत बढ़ गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका अनुमानित मूल्य कितना है और 1982-83 में वास्तविक मूल्य कितना है

(ग) गलत अनुमान के कारण क्या है; और

(घ) मूल्य वृद्धि के कारण क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (घ) : जी नहीं। गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित, खाद्य तेलों के औसत यूनिट मूल्य में कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है।

राज्यों में काम काजी महिलाओं के लिए
छात्रावास

10734 : **श्री राम अवध**
श्री शिव शरण वर्मा] : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत एक वर्ष के दौरान, राज्य-वार किन-किन स्थानों पर काम काजी महिलाओं के लिए छात्रावासों का निर्माण किया गया; और

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान निर्मित किये जाने वाले छात्रावास संबंधी कार्यक्रम का पूर्ण ब्यौरा क्या है :

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) विगत एक वर्ष के दौरान "सामान्य पूल" में सेवारत महिलाओं के लिए कोई होस्टिल निर्मित नहीं किया गया है।

(ख) 1983-84 के दौरान ऐसे किसी होस्टिल के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम

10735 : **श्री गुलाम मोहम्मद खां** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास के लिए कार्यक्रम बनाया है और उसके जिलों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन जिलों के नाम क्या हैं और चयन का माप दण्ड क्या है और क्या विपक्षी दलों सहित जनता के प्रतिनिधियों से परामर्श किया गया था;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों को ग्रामीण विकास के लिए जिलों का चयन करने का है; और

(घ) योजना और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) से (घ) : छठी पंचवर्षीय योजना के गरीबी कम करने के मुख्य कार्यक्रमों को सभी राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लिए विशिष्ट रूप से कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है।

आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण

10736 : **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए ग्रामीण युवकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) : ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने की योजना (ट्राइसेम) जिसे आंध्र प्रदेश सहित सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है, के अन्तर्गत ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण युवाओं में व्याप्त बेरोजगारी को दूर करना है और इसमें मुख्य बल उन्हें आवश्यक कुशलताओं तथा प्रौद्योगिकी से सज्जित करने पर दिया जाता है ताकि वे स्वरोजगार वाला व्यवसाय शुरू करने योग्य बन सकें। योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रशिक्षण का लक्ष्य प्रतिवर्ष प्रति खंड 40 ग्रामीण युवाओं की दर से है। प्रशिक्षार्थियों को अपनी यूनिटें स्थापित करने हेतु हेतु वित्तीय सहायता छात्रवृतियों; औजार किट तथा उपदानों के रूप में दी

जाती है। इसके अलावा: प्रशिक्षण देने वाली प्रशिक्षण संस्थाओं को भी प्रशिक्षण व्यय, कच्चे माल आदि के खर्च को वहन करने हेतु सहायता दी जाती है।

जबलपुर में भारतीय खाद्य निगम के कतिपय अधिकारियों का निलम्बन

10737 : **श्री भीऊा भाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्यान्न/चीनी लक्ष्य स्थल पर न पहुंचने के आरोप पर जबलपुर में कार्यरत भारतीय खाद्य निगम के 10 अधिकारियों को 6 अगस्त, 1982 को निलम्बित कर दिया गया था और मामले में जांच के आदेश दिए गए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि जबलपुर से सामान ले जाने वाले ठेकेदार ने मात की रसीद दी थी, परन्तु माल लक्ष्य स्थल पर वहीं पहुंचाया था;

(ग) यदि हां, तो अधिकारियों को निलम्बित रखने के कारण क्या हैं और क्या मामले की जांच रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाएगी; और

(घ) यदि कर्मचारियों का कोई दोष था और ठेकेदार का नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) :(क) जी हां। लेकिन बाद में एक अधिकारी का निलम्बन आदेश रद्द कर दिया गया था।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) : निलम्बन के आदेश इसलिए दिए गये थे क्योंकि पुलिस की प्रारम्भिक रिपोर्ट में दुर्विनियोजन के मामले में अधिकारियों के अंतर्ग्रस्त होने से इन्कार नहीं किया गया था। इसके अलावा, यह सम्भावना थी कि कार्यालय में उनकी लगातार उपस्थिति से जांच-कार्य में बाधा पड़ सकती थी।

पुलिस ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

दिल्ली को हरियाणा से पानी की सप्लाई

10738 : **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी यमुना नहर बदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को पानी देती है, जहां से दिल्ली को स्वच्छ जल सप्लाई किया जाता है;

(ख) क्या हरियाणा ने पश्चिमी यमुना नहर में पानी की 50 क्यूसेक सप्लाई को कम कम करने की धमकी दी है;

(ग) क्या इससे दिल्ली में पानी की कमी हो जाएगी; और

(घ) हरियाणा को कटौती न करने को राजी करने और दिल्ली वासियों को पानी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने और दिल्ली वासियों को पानी की पर्याप्त सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं;

निर्माण और आवास मंत्रालय के राज्य उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) जी, हां . दिल्ली जलपूर्ति तथा मल-व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि हैदरपुर जल शोधन संयंत्र से दिल्ली के कुछ भागों को पानी पहुंचाया जाता है ।

(ख) तथा (ग) :...जी, हां ।

(घ) दिल्ली जलपूर्ति तथा मल-व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि यह मामला हरियाणा सरकार तथा भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड के साथ उठाया गया है ।

दिल्ली में तैनात राज सरकारी यकर्मचारियों की दिल्ली में सरकारी आवास सम्बन्धी हकदारी

10379 : **श्रीमती सुमति उराव** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

[क) क्या दिल्ली में तैनात राज्य सरकारों के कर्मचारी सरकारी आवासों के आबंटन के लिए हकदार है;

(ख) यदि हाँ तो केंन्द्रीय सरकार के पास प्रतिनियुक्ति पर आय राज्य सरकार के कर्मचारी यदि वापसी के बाद दिल्ली में ही तैनात रहते हैं, तो क्या वे पहले से आबंटित किया गया सरकारी आवास अपने कब्जे में रख सकते हैं; यदि हाँ, तो इस नियम का कोई अपवाद है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे कोई उदाहरण है जहां मन्त्रालय ने ऐसे अधिकारियों के लिए, जो केन्द्रीय सरकार के पास प्रतिनियुक्ति पूरी करके दिल्ली में ही राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं; केन्द्रीय मूल से राज्य सरकार मूल को उस मकान को अन्तरित करने अनुरोध को बिना कारण लम्बित रखा है; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो मन्त्रालय का विचार ऐसे मामलों को कैसे निपटाने का है ।

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, राज्य सरकारों के अधिकारियों जो दिल्ली । नई दिल्ली में उनके सम्पर्क कार्यालयों में पदस्थ किए जाते हैं, को प्रत्येक मामले के गुणावगुण पर निर्भर सीमित आधार पर राज्य सरकारों के साथ परस्पर वास प्रबन्ध के अन्तर्गत सामान्य पूल वास से आबंटन के लिए विचार किया जाता है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार से राज्य सरकारों को प्रत्यवर्तित राज्य सरकार के अधिकारी सामान्य पूल वास के लिए पात्र नहीं रहते हैं । तथापि, यदि ऐसे अधिकारी दिल्ली ही में राज्य सरकार के कार्यालयों में पद ग्रहण करते हैं तो परस्पर प्रबन्ध के अन्तर्गत गुणावगुण आधार पर

सामान्य पूल वास के रखे रहने के उनके अनुरोध पर तिचार किया जाता है ।

(ग) तथा (घ) : सूचरा एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों के आबटन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को दी गई प्राथमिकता

10740 : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विल्ली में तैनात अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के केन्द्रीय राज्य सरकार कर्मचारियों को दिल्ली में आवासों के आबंटन के मामले में सम्पदा निदेशालय द्वारा कोई विना पारी की प्राथमिकता अथवा अन्य कोई प्राथमिकता दी गई है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोई कोटा आबंटित किया गया है;

(ग) 1-4-1983 की स्थिति के अनुसार इस श्रेणी में आबंटित किये गये क्वार्टरों की कुल संख्या कितनी है; और

(घ) 1-4-1983 की स्थिति के अनुसार इस श्रेणी में लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है और यदि निकट भविष्य में ऐसे मामलों को निपटाने के कोई प्रस्ताव हों, तो वे क्या हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ख) : जहाँ तक अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के केन्द्रीय सरकारा कर्मचारियों का सम्बन्ध है, दिल्ली में सामान्य पूल में टाइप ए तथा बी में 10% रिक्तियाँ तथा टाइप सी तथा डी० में 5% रिक्तियाँ उनके लिए अपक्षित की जाती हैं । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियो को क्रमश: 2:1 के अनुपात में आबंटन किया जाता है ।

जहां तक दिल्ली में तैनात राज्य सरकार के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, सामान्य पूल वास के आबंटन के लिए कोई खास आरक्षण नहीं है । दिल्ली में तैनात राज्य सरकार के कर्मचारियों को सामान्य पूल वास का आबंटन सीमित है तथा इस पर पृथक-पृथक राज्य सरकारों से किए गए परस्पर प्रबन्धों के अन्तर्गत प्रत्येक मामले के गूणावगुण पर विचार किया जाता है ।

(ग) वर्तमान आबंटन वर्ष के दौरान (जो 1-4-1982 से आरम्भ हुआ) दिल्ली में सामान्य पूल के 435 क्वार्टर अनुसूचित जाति के कर्मचारियों को तथा 168 क्वार्टर अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को आबंटित किए गए हैं ।

(घ) सूचना आवधिक रूप से संकलित की जाती है तथा 1-2-83 को दिल्ली में सामान्य पल के बारे में उपलब्ध सूचना निम्नलिखित हैं : —

अनुसूचित जाति कर्मचारी	8375
अनुसूचित जनजाति कर्मचारी	826

दिल्ली में सामान्य पूल के क्वार्टरों के निर्माण का एक त्वरित कार्यक्रम पहले आरम्भ कर

दिया गया है तथा उसके पूर्ण हो जाने पर इन कर्मचारियों को मकान के लिए प्रतीक्षा अवधि कम हो जाएगी।

1983-84 के लिए वसूली योजना

10741. **श्री रामावतार शास्त्री** क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1983-84 के लिए गेहूं एवं दूसरे अनाजों की वसूली की योजनातैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) 30 अप्रैल, 1983 तक वसूल किये गये खाद्यान्नों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : रबी विपणन मौसम 1983-84 के लिए गेहूं की वसूली नीति पहले ही घोषित की जा चुकी है और राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों को उसकी सूचना दे दी गई है। इस नीति के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर गेहूं की वसूली की जानी है।

(ग) रबी विपणन मौसम 1983-84 के दौरान 30 अप्रैल, 1983 तक गेहूं की 1.82 लाख मीटरी टन वसूली हुई थी। राज्य-बार स्थिति इस प्रकार है :—

राज्य	गेहूं की वसुली (हजार मी० टन में)
हरियाणा	30
मध्यप्रदेश	2
पंजाब	119
उत्तर प्रदेश	31
	जोड़ 182

सिंचाई योजनाओं और बाँधों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव

10742 : **श्री राम अवध** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से विभिन्न सिंचाई योजनाओं और बांधो के बारे में कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई है और उसके क्या परिणाम हैं ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) अप्रैल, 1981 से मार्च

1983 की अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से तकनीकी जांच के लिए केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त सिंचाई परियोजनाओं की संख्या निम्नलिखित है :—

बृहद स्कीमें	9 संख्या
मध्यम स्कीमें	3 संख्या

(ख) बारह परियोजना रिपोर्टों की केन्द्रीय जल आयोग के विभिन्न विशेषीकृत निदेशालयों द्वारा जांच कर ली गई है और कुछ मुद्दों पर, राज्य सरकारों से स्पष्टीकरण मांगें गए हैं। इस कार्य को शीघ्र करने के लिए इन मुद्दों पर, राज्य सरकार के साथ विचार विमर्श भी किये गये हैं। एक बृहद परियोजना के लिये राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त हो गये हैं, जिन की जांच की जा रही है। अन्य बृहद परियोजनाओं में से एक परियोजना की, एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के सिफारिशों के आधार पर पुन: तैयार किया जाना है।

कृषि क्षेत्र के बारे में एफ० आई० सी० सी० आई० के चेयरमैन का वक्तव्य

10743. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी**
श्री रतन सिंह राजदा] : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कृषि क्षेत्र के बारे में पुन: विचार करने की तुरन्त आवश्यकता सम्बन्धी एफ० आई० सी० सी० आई० के चेयरमेन के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) : एफ० आई० सी० सी० आई० के अध्यक्ष का 9 अप्रैल, 1983 का प्रेस व्यक्तव्य देख लिया गया है ? यह व्यक्तव्य दालों, खाद्य तेलों और हाल में पैदा किए गए खाद्यान्नों में गिरावट की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इसमें कृषि विकास की नीति पर पुन: विचार करने के बारे में भी कहा गया है। इसमें ऐसा कोई रास्ता नहीं सुझाया गया हैं जिसे अंगीकृत किया जा सके। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है, मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों सहित कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं। वर्ष 1980-83 के दौरान कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां रिकार्ड की गई हैं। फसल वर्ष 1981-82 में खाद्यान्नों का उत्पादन 1331 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर पर था। वर्ष 1982-83 के दौरात वर्ष 1979-80 की तुलना में सूखे और बाढ़ से विशाल सस्यगत क्षेत्र के प्रभावित होने के बावजूद खाद्यान्नों के उत्पादन में 50 से 80 लाख मीटरी टन की कमी होने की संभावना है, जबकि वर्ष 1979-80 220 लाख मीटरी टन की हानि हुई थी। वर्ष 1982 में भयंकर सूखे और वर्ष 1983 में असामयिक वर्षा होने के बावजूद वर्ष 1982-83 की गेहूं की फसल का उत्पादन 400 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है और चालू वर्ष में कुल मिलाकर रबी खाद्यान्न का उत्पादन की 560 से 570 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर तक पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा, 1981-82 में तिलहनों का उत्पादन 120,6 लाख मीटरी टन के रिकार्ड स्तर पर था, जो पिछले वर्ष की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक था। सरकार द्वारा

किए जा रहे विशेष उपायों के फलस्वरूप दालों के उत्पादन में भी वृद्धि हो रही है। दालों का उत्पादन 1979-80 के 86 लाख मीटरी टन के स्तर से बढ़कर 1980-81 में 106.3 लाख मीटरी टन और 1981-82 में 113·5 लाख मीटरी टन हो गया। मौजूदा पूर्वानुमान के अनुसार 1982-83 के दौरान दालों का उत्पादन 5 से 6 प्रतिशत तक और बढ़ सकता है। जैसा कि सब जानते हैं, देश में गन्ना, कपास और पटसन के उत्पादन की स्थिति बहुत ही अच्छी हैं। यहां यह उल्लेखनीय है कि 1981-82 में गन्ने का रिकार्ड उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 9,6 प्रतिशत अधिक था। जहां तक कृषि उत्पादन की कुशलता का सम्बन्ध है, 1980 के दौरान धान गेहूं, और, तम्बाकू, पटसन मूंगफली, रामतिल, कुसुम तथा सभी प्रकार के मोटे अनाजों, खाद्यान्नों और तिलहनों के मामले में प्रति हैक्टार सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त किया गया है।

एफ० आई० सी० सी० आई० के अध्यक्ष ने सब्जियों, फलों और फूलों जैसी कृषि जिसों के निर्यात के विस्तार की आवश्यकता का भी उल्लेख किया है और सुझाव दिया है कि इस परिप्रेक्ष्य में सहकारी क्षेत्र भूमिका अदा कर सकता है। यहां पर उल्लेख किया जा सकता है कि सरकारी नीति में कृषि निर्यात को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। अप्रैल-सितम्बर, 1982 के दौरान, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, 866.27 करोड़ रुपये के मूल्य की कृषि जिसों का निर्यात किया गया जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के निर्यात की तुलना में 25,8 प्रतिशत अधिक है। निर्यात नीति पर निर्णय लेते समय सहकारी क्षेत्र के हितों की ओर भी पूरा ध्यान दिया जाता है।

सिंचाई क्षमता का उपयोग

10744 **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अब तक पैदा की गई सिंचाई क्षमता का उपयोग बढ़ाने हेतु विशेष कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में किए जा रहे उपायों पर ध्यान देने के लिए राज्य सरकारों से कहा गया है, ताकि 1976 से लम्बित 65 परियोजनाएं पूरी होना सुनिश्चित हो सके;

(ग) यदि हां, तो किन राज्यों ने सभी परियोजनाएं पूरी नहीं की हैं, और

(घ) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी, हां।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना का सूत्रीकरण करते समय, सिंचाई सेक्टर के वास्ते निधी की उपलब्धता और 1976 से पूर्व आरम्भ की गई निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं को आबंटित

की गई निधि को ध्यान में रखकर, 65 बृहद सिंचाई परियोजनाएं छठी योजना अवधि के दौरान पूर्ण किये जाने के लिये निर्धारित की गई थीं।

(ग) और (घ) इन 65 परियोजनाओं के लागत सम्बन्धी अनुमानों में वृद्धि होने के कारण संशोधन किये जाने पर, अब यह आशा है कि इन 65 परियोजनाओं में से केवल 26 परियोजनाओं के ही छठी योजना के दौरान पूर्ण होने की सम्भावना है। इन 65 परियोजनाओं में से जिन परियोजनाओं के छठी योजनावधि के दौरान पूर्ण हो जाने की संभावना है, उनकी सूची को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था पूर्णत: राज्य सरकारों द्वारा अपने बजटगत संसाधनों से की जाती है। इन परियोनाओं के लिए राज्यों द्वारा अपनी-अपनी वार्षिक योजनाओं के लिए प्रस्तावित पूर्ण परिव्ययों को योजना आयोग द्वारा सहमति दे दी गई है।

बृहद सिंचाई परियोजनाएं (1976 से पूर्व आरम्भ की गई 65 परियोजनाओं में) जिनके छठी योजनावधि में पूर्ण कर लिए जाने की सम्भावना है।

बिहार

1. राजपुर नहर
2. सोन उच्च स्तरीय नहर

गुजरात

3. माही चरण-1
4. उकई

हरियाणा

5. पश्चिमी यमुना नहर (पुनर्रपण)

कर्णाटक

6. तुंगभद्रा दक्षिण तथा वाम तट नहरें

केरल

7. पम्बा
8. कुट्टियाडी
9. चित्तुरपुझा
10. पझासी

मध्य प्रदेश

11. चम्बल
12. तवा

महाराष्ट्र

13. मूला
14. जायकवाड़ी चरण-I
15. अपर गोदावरी

उड़ीसा

16. महानदी डेल्टा

पंजाब

17. ब्यास यूनिट-एक
18. ब्यास यूनिट-दो

राजस्थान

19. राजस्थान नहर चरण-एक
20. जाखम

तमिलनाडु

21. परम्बी कुलम अलियार
22. बैगई नहर का आधुनिकीकरण

उत्तर प्रदेश

23. शारदा सहायक
14. कोसी सिंचाई

पश्चिमी बंगाल

25. दामोदर घाटी निगम प्रणाली
26. कांसवती

बंगाल में तूफान

10745. **श्री रवीन्द्र वर्मा :**
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :
श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे
श्री लक्ष्मण मलिक :
श्री अमर राय प्रधान :

कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में बंगाल में आए तूफान के परिणामस्वरूप जान-माल की हानि के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में तथ्य प्राप्त किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल सरकार से मिली जानकारी के अनुसार, 24-परगना जिले में गायघट्टा पी. एस. के कुछ क्षेत्रों में 12-4 1983 को सांय लगभग 7·30 बजे एक भयंकर समुद्री तूफान आया। इसमें 20 ग्रामों के 3500 परिवार प्रभावित हुए हैं।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 28 मनुष्यों की मौतें हुई और 697 व्यक्ति घायल हुए थे। बड़ी संख्या में पशुओं के मारे जाने की खबर है।

1600 घर तथा 7 विद्यालयों के भवन क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

राज्य सरकार ने राहत के उपाय और जिस के रूप में निःशुल्क राहत दी। जिला प्रशासन के चिकित्सा दल के साथ तत्काल राहत सम्बन्धी उपाय किए।

राष्ट्रीय स्तर पर "ट्राइफेड" बनाने का प्रस्ताव

10746. **श्री गिरधर गोमांगी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर ट्राइबल मार्केटिंग फेडरेशन "ट्राइफेड" बनाने के प्रस्ताव की जाच की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) क्या "नाफेड" ने देश में आदिवासी क्षेत्रों में विपणन की समस्या के सम्बन्ध में अध्ययन किया है;

(घ) क्या उनका मन्त्रालय प्रस्तावित "ट्राइफेड" के लम्बित निर्णय को विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों में विपणन समस्याओं के लिए "नाफेड" में एक यूनिट खोलने जा रहा है; और

(ङ) "नाफेड" द्वारा अब तक राज्य स्तरीय आदिवासी सहकारिता फेडरेशन को सभी कृषि और वन के छोटे उत्पादों के विपणन के लिए क्या सुविधाएं और बुनियादी आवश्यकताएं प्रदान की गई है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकारी विपणन संघ (नेफेड) इस समय आदिवासी क्षेत्रों में पैदा किए जाने वाले लघु वन उत्पादों और कृषि उत्पादों का विपणन कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी विपणन संघ की स्थापना करने का सुझाव दिया गया है। कोई ओपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि नेफेड इस समय आदिवासी क्षेत्रों के उत्पादों से सम्बन्धित काम भी देख रहा है और इसने आदिवासी सहकारी सैल स्थापित कर लिया है, अतः अलग से एक संगठन की जब जरूरत होगी जब यह

महसूस किया जाएगा कि नेफेड राज्यों में आदिवासी सहकारी समितियों को आवश्यक सहायता देने के लिए उनकी माँग पूरी करने में अक्षम है।

(ग) जी हाँ।

(घ) नेफेड ने राज्यों में आदिवासियों की, उनकी सहकारी समितियों के माध्यम से उनके उत्पादों के विपणन के लिए, सहायता करने हेतु पहले ही एक आदिवासी सहकारी सेल स्थापित कर दिया है।

(ङ) नेफेड की सारे देश में शाखाएं हैं जिनकी सेवाएं राज्यों में आदिवासी सहकारी समितियों को भी उपलब्ध हैं, नेफेड, राज्य आदिवासी विकास सहकारी समितियों को अंतिम विपणन में विभिन्न जिन्सों के मूल्यों के बारे में मंडी आसूचना प्रदान करता है। इसके अलावा, नेफेड, आदिवासियों को माल की अच्छी कीमत दिलाने के लिए रामतिल जैसी जिन्सों का निर्यात भी करता है।

कृतिक बल समितियों का गठन

10747. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि मंत्री, वनों के समाप्त होते जाने के कारण के बारे में 14 मार्च, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2523 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1952 में वन नीति अपनाने के 30 वर्ष बाद हाल ही में उनके मंत्रालय द्वारा कृतिक बल समितियों के गठन के क्या उद्देश्य और लक्ष्य हैं;

(ख) वनों में बदली (झूमिया) खेती और पर्वतीय क्षेत्रों में खेती को रोकने के लिए हस्तक्षेप करने हेतु कृतिक बल समितियों को क्या निदेश दिये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उन समस्याओं, जिनसे देश में अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में कठिनाइयां और विलम्ब हुआ है, का अध्ययन करने के लिए (संरक्षण) अधिनियम, 1980 को कृतिक बल समितियों के गठन से पहले लागू किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय संसद में नया वन विधेयक लाने से पूर्व संसद सदस्यों, विधानमण्डल सदस्यों तथा प्रभावित लोगों के नेताओं और आदिवासी लोगों के साथ परामर्श करेगा ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) (क) और (ख) : अतिक्रमण और झूम खेती पर दो कृतक दलों के लक्ष्यों और उद्देश्यों में सन्निहित विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

1. **वन क्षेत्रों में अतिक्रमण की समस्याओं का अध्ययन करने और ऐसे अतिक्रमणों को रोकने के उपाय सुझाने वाला कृतक दल।**

(क) निम्नानुसार सूचना एकत्रित करना।

1. 25.10.80 अर्थात् जिस तारीख को वन (संरक्षण) अधिनियम लागू हुआ था, को अतिक्रमण के बारे में सभी राज्यों और संघ शासित राज्यों से आरक्षित, संरक्षित और गैर वर्गीकृत वनों के बारे में अलग-अलग आंकड़े एकत्रित करना।

2. आरक्षित, संरक्षित और गैर वर्गीकृत वनों में अलग-अलग से 1980 के पश्चात और 1-1-83 तक हुए अतिक्रमण।

3. (1) और (2) के क्षेत्र, जिनके मामले अदालतों में लम्बित पड़े हैं।

4. उपर्युक्त (1) और (2) में से कितने क्षेत्र को सीमांकित किया गया और नक्शे में दिखाया गया।

5. अतिक्रमणों को रोकने के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों और संघ शासित राज्यों में सुरक्षा मशीनरी।

6. भिन्न-भिन्न राज्यों और संघ शासित राज्यों को होने वाली कठिनाईयाँ।

7. इस संबंध में विभिन्न सरकारों द्वारा किए गए वायदे।

(ख) अतिक्रमणों के लिए जिम्मेदार तत्वों का मूल्यांकन करना।

(ग) स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए उपचार सुझाना।

(घ) यह सुझाव देना कि किन अतिक्रमणों को नियमित किया जाए और किन को खाली कराया जाए।

(ङ) कानूनी पहलू।

(च) सूचना संबंधी अन्तराल।

2. झूम खेती की समस्या का अध्यन करने वाला कृतक दल

1. देश में झूम खेती की समस्या के परिणाम का अनुमान लगाना।

2. लोगों को इस प्रथा से छुटकारा दिलाने के लिए किए जा सकने वाले उपाय सुझाना, जिसमें कानूनी उपाय भी शामिल हैं।

3. योजनाएं सुझाना और प्रस्तावित उपायों के लिए वित्तीय आवश्यकताओं के प्रारम्भिक अनुमान लगाना। ये कृतक दल विशिष्ट समस्याओं के अध्ययन के लिए स्थापित किए गए हैं, ईसलिए उनकी स्थापना वन नीति को अपनाने से सम्बद्ध नहीं है।

(ग) वन (सरक्षण) अधिनियम 1980 को 1983 में कृतक दल के गठन से पूर्व बनाया गया था। कृतक दल की स्थापना का अधिनियम के कार्यान्वयन से कोई संबंध नहीं हैं।

(घ) वन विधेयक में संशोधन करने के मामले में सरकार ने केन्द्रीय वन बोर्ड, जिसमें

राज्यों और संघ शासित राज्यों के मंत्री हैं, ये परामर्श किया है। इसके अतिरिक्त, कृषि मंत्रालय से सम्बद्ध संसदीय सलाहकार समिति से भी परामर्श किया गया है। विभिन्न अन्य स्रोतों से प्राप्त सुझावों पर भी विचार किया गया है।

उड़ीसा में बाढ़ के लिए केन्द्रीय सहायता

10748. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में वर्ष 1980 में नदियों में बाढ़ आने से कौन-कौन से क्षेत्र प्रभावित हुए और किन नदियों में बाढ़ आई थी;

(ख) क्या बाढ़ के बाद क्षति और हानि का मूल्यांकन करने के लिए केन्द्रीय दल ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया था;

(ग) वर्ष 1980-81 में बाढ़ के लिए स्वीकृत 42 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता में से कोरापुट जिले में अब तक कितनी धनराशि खर्च हुई; और

(घ) क्या राज्य द्वारा केन्द्रीय सहायता का पुर्णतः उपयोग किया गया है, धनराशि किन मदों और किन क्षेत्रों पर खर्च की गई और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) वर्ष 1980 में 8 जिले अर्थात् बालासोर, बोलनगिर, कटक, डेनकानल, गंजम, कालाहांडी, कोरापुट, फलबानी, पुरी और सम्बलपुर बाढ़ों से प्रभावित हुए थे। बाढ़ें महानदी तथा उसकी सहायक वंसाधरा नदी तथा ऋषिकुका नदियों के कारण आई।

(ख) दल ने 8 से 10 नवम्बर, 1980 के बीच यथा सम्भव अधिक से अधिक क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरे में गुनुपुर (कोरापुट) तथा काशीनगर (गंजम जिला) भी शमिल है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(लाख रुपए)

मद	स्वीकृत व्यय की अधिकतम सीमा	राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया व्यव
1 2	3	4
राहत –	478.25	481.02
पुनर्वास		
(1) क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत		

1	2	3	4
	तथा पुनस्थर्पान के लिए सहायता, इसमें राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास कार्यक्रम शुरू करने के लिए संस्थागत वित्त स्वीकृत करने के लिए सीडमनी भीशामिल है।	410.00	410.00
	कृषि		
(1)	रेतीली भूमि के सुधार के लिए राज सहायता	79.62	79.62
(2)	छोटे तथा सीमान्त किसानों को कृषि आदानों के लिए राजसहायता, इसमें उगाऊ सिंचाई की सुविधाओं की राजसहायता भी शामिल है।	58.00	58.00
(3)	शिल्पि परिवारों तथा मछुवाओ के लिए सहायता।	6.26	6.26
	बाढ़ों से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्तियों की मरम्मत तथा उनका पुनर्स्थापन	3254.45	3254.45
		4286.58	4289.35

अपूर्ण सिंचाई योजनाओं की लागत वृद्धि

10749. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम तीन योजनाओं में चालू की गई उन सिंचाई परियोजनाओं का मूल अनुमानित व्यय और नवीनतम लागत व्यय क्या है जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं; और

(ख) इन सिंचाई परियोजनाओं को बिना विलम्ब और बिना लागत वृद्धि के किए पूरा करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

सिंचाई मंत्रालय के **राज्यमंत्री (श्री राम निवास मिर्धा)** : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) किए गए उपायों में से कुछ ये हैं :—

(1) नयी स्कीमें की तुलना में, निर्माणाधीन परियोजनाओं की अधिकतम संभव धन आबंटित करके उन्हें पूरा करने के लिए, प्राथमिकता दी जा रही है।

(2) परियोजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति की परियोजना स्तर, राज्य स्तर और केन्द्रीय स्तर पर मानटीरिंग की जा रही है।

(3) सिंचाई परियोजनाओं को कम प्राप्त होने वाली निर्माण सामग्रियों की पर्याप्त आपूर्ति करने और साथ ही इन सामग्रियों को परियोजना स्थलों तक ढलाई के लिए माल डिब्बों की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे है।

विवरण

प्रथम तीन योजनाओं के दौरान आरम्भ की गई और अभी तक पूरी नहीं की गई सिंचाई स्कीमें अर्थात् उनकी पूरी क्षमता अभी तक सृजित नहीं की जा सकी है।

क्रम सं०	परियोजना का नाम	मूल अनुमानित लागत	अद्यतन अनुमानित लागत
		(करोड़ रुपये)	
1	2	3	4
	आन्ध्र प्रदेश		
1.	नागार्जुनसागर	91.12	533.00
2.	श्रीराम सागर (पोचमपाद चरण-एक)	40.10	435.18
	बिहार		
3.	कोसी बराज तथा पूर्वी नहरें	24.81	149.70
4.	गंडक	36.56	415.81
5.	राजपुर नहर	4.67	25.17
6.	पश्चिमी कोसी नहर	13.49	161.80
	हरियाणा		
7.	गुड़गांव नहर	5.27	15.00
	कर्नाटक		
8.	मालाप्रभा	19.91	213.80
9.	अपर कृष्णा चरण-एक	58.20	759.00
	केरल		
10.	पेरियार घाटी	3.48	39.71
11.	पम्बा	3.83	43.00

1	2	3	4
12.	कुट्टियाडी	4.96	44.85
13.	पिलखुवा	0.99	15.50
14.	कन्हीखपुता	3.65	36.00
15.	कल्लाडा	13.28	163.57
16.	पज्ञासी	4.22	42.00
	मध्य प्रदेश		
17.	तवा	20.24	98.56
18.	बरना	5.56	15.27
	महाराष्ट्र		
19.	भीमा	42.58	230.00
20.	कृष्णा	27.66	114.96
21.	वरना	31.09	201.84
22.	खडकवासला चरण-एक	11.61	111.20
23.	अपर तापी	13.11	73.63
	राजस्थान		
24.	राजस्थान नहर चरण-एक	66.47	208.20
25.	गुड़गांव नहर	2.38	9.48
26.	चम्बल चरण-एक (राणाप्रताप सागर के शेष बचे निर्माण-कार्य)	4.70	18.20
27.	जाखम	2.33	31.84
	तमिलनाडु		
28.	परम्बीकुलम अलियार	24.87	66.72
	उत्तर प्रदेश		
29.	रामगगा (सिंचाई तथा विद्युत)	39.83	132.98
30.	गंडक	15.47	50.38
	पश्चिम बंगाल		
31.	कंरूबती	25.26	89.81

अखिल भारतीय लान टेनिस संघ की रिपोर्ट

10750. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अहमदाबाद में अखिल भारतीय लान टेनिस संघ आयोजित हुई नेशनल सब जूनियर टेनिस चैम्पियनशिप के गलत ढंग के बारे में रिपोर्ट अखिल भारतीय खेल परिषद की जानकारी में लाया गया है;

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय लान टेनिस संघ द्वारा जूनियरों के लिए टेनिस के विकास के लिए उचित ध्यान देने को सुनिश्चित करने हेतु अखिल भारतीय खेल परिषद ने क्या कदम उठाने है अथवा उठाये जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) (क) : अहमदाबाद में आयोजित राष्ट्रीय उप जूनियर टेनिस प्रतियोगिताओं में, जिस लड़की ने लड़कियों के बीच में अंतिम प्रतियोगिता जीती थी, वह बाद में अधिक आयु वाली पाई गई थी अत: अंतिम (फाइनल) में हारने वाले को प्रतियोगिता प्राधिकारियों द्वारा प्रतियोगिता का विजयी घोषित कर दिया गया था। यह बात अखिल भारतीय खेल परिषद के ध्यान में लाई गई है और अखिल भारतीय लान टेनिस संघ को उनकी ओर से एक पत्र भेजा गया जिसमें प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के अधिक आयु होने पर उनके द्वारा गहरी चिन्ता व्यक्त की गई है। अखिल भारतीय लान टेनिस संघ को यह सलाह दी गई है कि उनको निर्धारित आयु वर्गों की प्रतियोगिताओं में प्रतियोगियों को खेलने की अनुमति देने से पूर्व आयु की पूर्ण रूप से जाँच कर लेनी चाहिए।

(ख) और (ग) अखिल भारतीय परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रीय खेल संघों/महासंघों को जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाओं में संघों/महासंघों को जूनियर तथा उपजूनियर स्तरों पर निर्धारित आयु-वर्ग के लिए प्रत्येक वर्ष कम से कम दो प्रतियोगिताएं आयोजित करने के लिए कहा गया है। ताकि इन स्तरों पर सम्बन्धित खेलों को विकसित किया जा सके अखिल भारतीय लान टेनिस संघ इन मार्गदर्शी रूप रेखाओं से अवगत है।

मध्य प्रदेश में इटली की सहायता से धान का उत्पादन बढ़ाना

10751. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में इटली सरकार से अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त सहायता से धान की उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए परियोजना क्रियान्वित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) (क) और (ख) इटली की सरकार ने यूरिया, फार्म मशी-

नरी और तकनीकी सहायता के रूप में 130 लाख अमरीकी डालर की सहायता देने का प्रस्ताव किया है। इस सहायता का मध्य प्रदेश और उड़ीसा में धान और हरियाणा में पर्ल मिलेट सोरगम और बागवानी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि करने संबंधी समेकित कृषि विकास परियोजना में उपयोग किया जायेगा। परियोजना को अन्तिम रूप देने के पश्चात् मध्य प्रदेश में इस परियोजना को राज्य के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में लगभग 1 लाख हैक्टार क्षेत्र में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

राजस्थान के झुंझनू और सीकर जिलों में केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड द्वारा नलकूप लगाना

10752. **श्रीमती किशोरी सिन्हा**
श्री बापू साहिब परुलेकर
श्री भीम सिंह } क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के झुनझुनू और सीकर जिलों में नलकूप लगाने के लिये भूमिगत जल-संसाधनों की खोज के लिये केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने सर्वेक्षण के रूप में छिद्रण किये थे;

(ख) यदि हां, तो उन दो जिलों में किन-किन स्थानों पर छिद्रण किये थे;

(ग) इस सम्बन्ध में पूर्व ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की भावी योजना क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी हाँ, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ने, भूमिगत जल संसाधनों के मूल्यांकन के लिये अपने भूमिगत जल अन्वेषण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में, राजस्थान राज्य के झुनझुनू और सीकर जिलों में नलकूप प्रतिष्ठापित करने के लिए वेधन कार्य किया है।

(ख) और (ग) झुनझुनू और सीकर जिलों में जिन स्थानों पर वेधन कार्य किये गये हैं, उनके नाम ये हैं—झुनझुनू जिले में झुनझुनू, मुकुन्दगढ़, जोधपुर-चयोनरा क्षेत्र, उदयपुर वती, त्रिलवा, घूलाखेड़ा, सिंधना क्षेत्र और सीकर जिले में फतेहपुर, तालाब की धणी, लीखाल, सेतलाव, त्रिलोक पुरा, सीकर व दधिया। उपर्युक्त दोनों जिलों में किए गए वेधन छिद्रों का ब्यौरा उपाबन्ध एक तथा दो में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 6673/83]

(घ) फिलहाल, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड की उपर्युक्त जिलों में भूमिगत जल सम्बन्धी आगे समन्वेषण करने के लिए कोई स्कीम नहीं है।

विकास खण्डों को सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम के अधीन शामिल किया जाना

10753. **श्री हरीश रावत** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई इस आशय का अनुरोध भेजा गया है कि उनके राज्य में कुछ और विकास खण्डों को सूखा पीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम में शामिल किया जाए;

(ख) यदि हाँ, तो इन विकास खंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकार का अनुरोध स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंक्षी (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) व (ख) जी हाँ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 जिलों में 56 विकास खंडों को शामिल करने हेतु इस मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं। इनमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, टीहरी गढ़वाल तथा पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ी जिलों के 46 खंड, लखीमपूर खीरी तथा गोंडा जिलों के 7 खंड और इलाहाबाद जिले के 3 खंड शामिल हैं।

(ग) व (घ) राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से माँगी गई अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश में गावों को मुख्य पक्की सड़कों से जोड़ना

10754. **श्री हरीश रावत** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में कुल छोटे-बड़े राजस्व तथा गैर राजस्व वाले गाँवों की संख्या कितनी है तथा इसमें से कितने गाँवों को मुख्य पक्की सड़कों तथा सम्पर्क मोटर योग्य मार्गों से इस पंच-वर्षीय योजना के अन्त तक जोड़ने का विचार है;

(ख) क्या इस प्रदेश में 500 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक गाँव को सम्पर्क मार्ग से जोड़ दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो कब तक यह लक्ष्य प्राप्त हो जाने की सम्भावना है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) उत्तर प्रदेश के वार्षिक योजना प्रारूप 1983-84" के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल 112561 गांवों में से 12540 गाँवों को छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य है।

(ख) व (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में यह परिकल्पना की गई है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में 1500 से अधिक की जनसंख्या वाले सभी गाँवों तथा 1000 से 1500 के बीच की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गाँवों को 1990 तक सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों से जोड़ा जायेगा तथा इस कार्यक्रम का लगभग 50 प्रतिशत वास्तविक लक्ष्य 1985 तक पूरा हो जायेगा।

मछलियां पकड़ने के लिए विश्व बैंक सहायता ।

10755. **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों को मत्स्य परियोजनाओं के लिये प्राथमिकता के रूप में विश्व बैंक भारत में समुद्र तट पर मछलियां पकड़ने हेतु सहायता देने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो लघु क्षेत्र में तट दूर मत्स्य क्षेत्रों के उपयोग के लिए तैयार किए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी शर्तें क्या हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) इस समय इस क्षेत्र में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त दो परियोजनाएं एक आन्ध्र प्रदेश में लगभग 2380 लाख रुपये की कुल लागत से और दूसरी गुजरात में लगभग 2353 लाख रुपये की कुल लागत से कार्यान्वित की जा रही है। इन परियोजनाओं के मुख्य कार्य हैं :—मत्स्यन पत्तनों, ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना लघु/परम्परागत मछुओं द्वारा तटवर्ती इलाकों और तट से दूर मछली भण्डारों का उपयोग करने के लिए मंत्रीकृत मत्स्यन जलयान और आउट बोर्ड मोटरों और डोंगों से कार्य शुरू करना ।

(ग) सहायता की शर्तों का महत्वपूर्ण ब्यौरा इस प्रकार हैं :—

आन्ध्र प्रदेश में मात्स्यकी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से किये गए करार में सरकार को 175 लाख अमरीकी डालर का ऋण देने का प्रावधान है । ऋण में एक प्रतिशत वार्षिक के 3/4 के हिसाब से सेवा प्रभार शामिल है और मूलधन 40 वर्षों में लौटाया जाना है ।

गुजरात परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से किये गये करार में सरकार को 40 लाख अमरीकी डालर का ऋण और 140 लाख अमरीकी डालर उधार देने का प्रावधान है । ऋण में एक प्रतिशत के 3/4 के हिसाब से सेवा प्रभार शामिल है और मूलधन 40 वर्षों में लौटाया जाना है । अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के ऋण में वायदा प्रभार 1 प्रतिशत वार्षिक के 3/4 के हिसाब से और ब्याज $4\frac{1}{2}\%$ वार्षिक के हिसाब से है और ऋण चुकाने की अवधि के अनुसार 18 वर्षों में मूलधन को लौटाना होगा ।

आन्ध्र प्रदेश को चीनी की सप्लाई

10756. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों को चीनी का कोटा सप्लाई करते समय क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं;

(ख) चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य की चीनी की कितनी मांग है और केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे कितनी मात्रा सप्लाई की गई है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने, विशेषकर सूखा पीड़ित क्षेत्रों में, खपत को ध्यान में रखते हुए चीनी के अतिरिक्त कोटे की कोई मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) और (ख) विभिन्न राज्यों के लेवी चीनी के मासिक कोटे कुछेक समान मापदण्डों के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं और न कि राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर की गई मांगों के आधार पर निर्धारित किये जाते है । अप्रैल, 1982 से राज्यवार मासिक कोटे 1.3. 1981 को जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम की उपलब्धता के आधार पर पुनः निर्धारित किए गये थे । तद्नुसार आंध्र प्रदेश को अप्रैल, 1982 से सार्वजनिक वितरण के लिए 22,696 मीटरी टन प्रति मास की दर पर लेवीचीनी का कोटा आवंटित किया जा रहा है ।

(ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसी कोई मांग नहीं की है ।

(घ) ऊपर की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता ।

किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए कृषि आदानों के समर्थन मूल्य के पुनर्रिक्षण का प्रस्ताव

10757. **श्री अनन्त राम्लु मल्लु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीजल तथा उर्वरकों की कीमतों में हुई अत्यधिक वृद्धि से कृषि उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने तथा कीमतें और अधिक बढ़ने की संभावना है;

(ख) क्या किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित कराने के लिए कृषि आदानों तथा वस्तुओं के समर्थन मूल्य का पुनरीक्षण करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार समर्थन संगठनों को राज सहायता देना चाहेगी ताकि बढ़ी हुई कीमतों के अन्तर को समायोजित किया जा सके और उप-भोक्ता द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत में वृद्धि न हो ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है । डीजल के मूल्यों में फरवरी में घोषित मामूली वृद्धि का कृषि उत्पादन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । सरकार ने खरीद समर्थन मूल्यों को निर्धारण करने में डीजल मूल्यों में हुई वृद्धि पर ध्यान दिया है और किसानों को इसके लिये मुआवजा देने का प्रयास कर रही है । इसका मूल्यों के सामान्य स्तर पर नगण्य प्रभाव पड़ेगा ।

(ख) कृषि जिन्सों के मूल्यों की घोषणा करते समय सरकार आदान के मूल्यों में हुए परिवर्तनों पर पूरा ध्यान देती है तथा विभिन्न जिन्सों के साहायक मूल्यों में तदनुसार परिवर्तन किये जाते हैं। यह सरकार की सामान्य नीति है कि किसानों के लिए उचित मूल्यों पर आदानों की सप्लाई सुनिश्चित की जाये।

(ग) सरकार पहले ही सार्वजनिक वितरण पद्धति के जरिए सप्लाई किये जा रहे उर्वरकों जो कि महत्वपूर्व आदान हैं तथा खाद्यान्नों पर राजकीय सहायता दे रही है ताकि इनके मूल्य उपभोक्ताओं की पहुंच में रहें।

सिंचाई क्षमता में कमी

10758. **श्री गुलाम मुहम्मद खां** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंचाई योजनाओं की लागत में वृद्धि होने के परिणामस्वरूप देश में सिंचाई क्षमता पैदा करने में भारी कमी आई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) शीघ्र ही पूरी होने वाली बड़ी और मझौली सिंचाई की चालु योजनाओं के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही हैं; और

(घ) क्या सिंचाई योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्य और केन्द्रीय सरकार फिर घर से चरणबद्ध बनाया गया कोई कार्यक्रम विचाराधीन है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) सिंचाई परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने में राज्य सरकारों के असमर्थ होने से उनकी लागत बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण, वे उन परियोजनाओं का अनुसूची अनुसार पूर्ण नहीं कर सकी हैं।

(ख) 160 बृहद् निर्माणाधीन स्कीमों की मूल और अद्यतन अनुमानित लागत के बीच वृद्धि का अनुमान 7934 करोड़ रुपये हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को सलाह देती रही है कि वे निर्माणाधीन बृहद् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए प्रथम प्राथमिकता के रूप में पर्याप्त वित्तीय परिव्ययों की व्यवस्था करें। केन्द्र और राज्यों के बीच होने वाले योजना संबंधी बिचार-विमर्श के दौरान कार्यान्वयन की प्रगति की हर वर्ष पुनरीक्षा की जाती है और उपलब्ध वित्तीय साधनों की तंगी को ध्यान में रखते हुए, अगले वर्ष के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है।

रबी की संभावनाएं

10759. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्ष 1983-84 के दौरान रबी की क्या संभावनाएं हैं तथा उक्त अवधि के दौरान रबी की कुल पैदावार कितनी होने की आशा है;

(ख) क्या यह देश की मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त होगी; और

(ग) यदि नहीं, तो कमी पूरी करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) 1983-84 फसल वर्ष के लिये रबी की बुआई अक्तूबर से दिसम्बर, 1983 के दौरान होगी। आने वाले वर्ष 1983-84 में रबी के उत्पादन की संभावनाओं के बारे में अनुमान लगाना अभी कठिन है। तथापि, 1983-84 के रबी मौसम के दौरान 590 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों के उत्पादन स्तर को प्राप्त करने का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) यदि कुल खाद्यान्न उत्पादन में कोई बड़ी कमी नहीं होती है, तो, देश में उत्पादित गेहूँ आन्तरिक मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त है, 1982 में गेहूं का आयात करना आवश्यक हो गया था क्योंकि देश की फसल वर्ष 1982-83 के दौरान भंयकर सूखे का सामना करना पड़ा था। फसल उत्पादन अभियानों, उर्वरकों की पूर्ति, कृमिनाशी औषधियों, ऋण, सिंचाई, बीज आदि के माध्यम से और कृषि अनुसंधान और विस्तार तथा बारानी खेती के जरिए खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

वन अधिनियम में संशोधन के लिए हिमाचल प्रदेश का अनुरोध

10760. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार से इस आशय का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है कि वन अधिनियम में यथाशीघ्र संशोधन किया जाये ताकि इसके उपबन्धों का उल्लंघन करने वालों के लिये कड़े दण्ड की व्यवस्था की जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टाईप—चार क्वार्टर पाने के हकदार कर्मचारियों को दो टाइप—दो क्वार्टरों का आबंटन

10761. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाईप—डी (टाईप—4) पाने के हकदार कर्मचारियों को 2 टाईप—बी (टाईप 2) के क्वार्टरों के सेट आबंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उनके आबंटन का मानदण्ड क्या है;

(घ) क्या डी०आई०जेड० एरिया के कुछ टाईप—4—सी आबंटियों के डी०आई० जैड एरिया में; दो टाईप—बी क्वार्टरों के आबंटन के अनुरोध को सम्पदा कार्यालय ने नामंजूर कर दिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन्हें दो टाईप—बी क्वार्टर आबंटित न करने के क्या कारण हैं जबकि दूसरे व्यक्तियों को डी०आई०जेड० एरिया में दो टाइप—बी क्वार्टर आबंटित किये गये हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार उन आबंटियों से सभी टाइप—बी क्वार्टर वापस लेकर उन्हें अन्यत्र उनके हक के टाइप के क्वार्टर आबंटित करने का है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री० मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां ।

(ख)

क्र० सं० नाम	स्थादान्तरित		
1. डा० योगेश सक्सेना	30—डी०, जाफरी स्कवेयर	से 385—386	अलवर्ट स्कवेयर
2. श्री के०सी० सक्सेना	15—डी०, राजा बाजार	से 401—402	,, ,,
3. श्री एस०आर भाटिया	24—डी०, राजा बाजार	से 395—396	,, ,,
4. डा० सुरंजीत देव	30—डी०, राजा बाजार	से 433—434	,, ,,

(ग) उपर्युक्त आबंटन क्षेत्र का पुनर्विकास करने के लिए उनके कब्जे के क्वार्टरों को गिराने के लिए टाइप—1% के नियमित क्वार्टरों की कमी के कारण किये गये थे ।

(घ) तथा (ङ) : डी० आई० जेड० क्षेत्र में 'डी' टाइप के कुछ पुराने क्वार्टरों को उस क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए गिराना आपेक्षित था । टाइप 'डी' के क्वार्टर के बदले में दो टाइप 'बी' क्वार्टरों के आबंटनार्थ कुछ अनुरोधों सहित कई अनुरोध प्रभावित आबंटियों से प्राप्त हुए थे । उनकी मनपसन्द के क्षेत्रों में उन्हें वैकल्पिक आवास देने का प्रश्न सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है ।

(च) इस मामले की जांच की जा रही है ।

मक्का की उपज बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

10762. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुकूल भूमि तथा जलवायु के होते हुए भी देश में मक्का की

उपज बहुत ही कम है;

(ख) मक्का की उपज के बारे में वर्तमान आँकड़े क्या हैं, मक्का की खेती के अधीन कितना क्षेत्र है तथा सुधरी हुई किस्मों तथा उपज के लिए क्या अनुसंधान किया गया है; और

(ग) इस वर्सेटाइल फसल की विकास दर को बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) 1950-51 में मक्का की 547 किलोग्राम प्रति हैक्टार की पैदावार, 1981-82 में बढ़कर 1146 किलोग्राम प्रति हैक्टार हो गई है।

(ख) वर्ष 1981-82 में देश में मक्का की खेती के अन्तर्गतत 59 लाख हैक्टार क्षेत्र था और प्रति हैक्टार औसत पैदावार 1146 किलोग्राम थी। उन्नत संकर/किस्मों का विकास करने के लिये मक्का पर अखिल भारतीय समन्वित मक्का सुधार परियोजना के माध्यम से अनुसंधान किया जा रहा है। उन्नत संकर/किस्मों का विकास करने के लिए किये गए अनुसंधान के परिणामस्वरूप और अधिक पैदावार की क्षमता वाली 18 संकर और 36 मिश्रित किस्मों का विकास सम्भव हो सका है।

(ग) मक्का की विकास दर को और अधिक बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं—

(1) अधिक उत्पदनशील किस्म कार्यक्रम के अन्तर्गत 1980-81 के 15.80 लाख हैक्टार क्षेत्र को 1983-84 तक बढ़ाकर 18.00 लाख हैक्टार करना

(2) 1983-84 के दौरान मक्का की संकर/प्रजातियों के 10.000 मिनीकिटों का वितरण करना जबकि 1980-81 में इनकी संख्या 175 थी।

(3) आदिवासी क्षेत्रों में मक्का के प्रदर्शन;

(3) पैकेज प्रणाली को अपनाना और विस्तार कार्मिकों और किसानों को प्रशिक्षण देना।

चावल की उपज बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम

10763. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में प्रति हैक्टार चावल की उपज निम्नतम है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं;

(ख) क्या विभिन्न क्षेत्रों में चावल के उत्पादन में अनुसंधान आरम्भ करने, अधिक उपज वाली किस्मों का विकास करने और इसके उत्पादन बढ़ाने का विचार है; और

(ग) क्या केन्द्रीय चावल अनुसन्धान संस्थान का विचार वर्तमान निम्न उपज के कारणों

का पता लगाने और चावल की उत्पादकता बढ़ाने का है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं, महोदया। अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति हैक्टर पैदावार सबसे कम नहीं है। भारत में प्रति हैक्टर उत्पादकता ब्राजील, थाइलैंड और वियतनाम जैसे देशों से अधिक है। भारत में धान की पैदावार पड़ोसी देशों जैसे बंगला देश और पाकिस्तान के करीब-करीब बराबर है। भारत में भी कुछ राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब और तमिलनाडु में पैदावार का औसत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बराबर है और कुछ देशों ने इसका औसत पैदावार अधिक है। भारत में मुख्य रूप से उत्तरी पूर्वी क्षेत्र जो समस्याग्रस्त स्थितियों के अन्तर्गत हैं, वहां पैदावार कम होती है और जो धान की उत्पादकता के राष्ट्रीय औसत को कम कर देती है। भारत में धान की फसल 3-5 महीने में तैयार होती है और देश के अनेक भागों में वर्ष में दो से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, जबकि जापान, चीन आदि जैसे देशों में उत्पादकता का औसत अधिक है लेकिन वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। इस तरह भारत में प्रति हैक्टर उत्पादकता प्रति यूनिट समय में कम नहीं है जैसा कि यह प्रतीत होता है।

(ख) जी हां, महोदया। अखिल भारतीय चावल सुधार प्रायोजना जिसके 61 केन्द्र देश में स्थित है और केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक के अन्तर्गत गहन अनुसंधान के कार्य में पहले से ही प्रगति जारी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के संस्थान जैसे— भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली, विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा और कृषि विश्वविद्यालय भी चावल से सम्बन्धित अनुसंधान में व्यस्त है। इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर की 27 उन्नत किस्में तथा राज्य स्तर की 201 उन्नत किस्में रिलीज की गई हैं। इन उन्नत किस्मों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए उपयुक्त एक मुस्त कृषि क्रियाएं और पौध संरक्षण प्रौद्योगिकी भी विकसित की गई हैं।

पिछले कुछ वर्षों में अधिक पैदावार देने वाली किस्मों को पैदा करने के लिए काफी बल दिया गया है, इन किस्मों में कीट-व्याधियों के प्रति रोग रोधिता की शक्ति अधिक है। इन प्रयत्नों से काफी सफलता मिली है और अनेक उन्नत किस्में विकसित/पहचान की गई हैं जिनकी सूची नीचे दी गई है।

दबाव वाली स्थिति	किस्में
1. बारानी ऊंची भूमि	किरण, आकाशी, 143-2-2 तथा एम. डब्ल्यू-10, रासी, सत्तारी।
2. गहरे पानी वाले क्षेत्र	पानीधान-1, पानीधान 2, तथा जलमग्न
3. निचली भूमि के क्षेत्र	पंकज, जगन्नाथ, महासूरी, फाल्गुन विक्रम, स्वर्णधान तथा सावित्री।

4. लवणीय स्थितियां	सी. एस. एस.-1, सी.एस.एस.-2, सी.एस.एस.-3, सी. एस. एस.-4 तथा आई. ई. टी.-5571
5. कम तापमान वाले क्षेत्र	कलिंग-1, कलिंग-2, वी. एल. के.-39
6. रोग कीट महामारी वाले क्षेत्र—	
(क) तना बेधक :	रत्ना, आई. आर.-20, साकेत-4
(ख) गाल मक्खी :	काकटीय, सुरेखा, आर. पी. डब्ल्यू 6-12, विक्रम, फाल्गुन, शक्ति तथा सेमेली
(ग) भूरे पौधे वाला हापर :	आई. ई. टी. 6314
(घ) जीवाणु अंगमारी	आई. ई. टी. 4141, आई. ई. टी. 2815, आई. ई. टी. 4155
(ङ) टुंगरु विषाणु	आई. आर. 36, आई. ई. टी. 5642, आई. ई. टी. 6065, आई. ई. टी. 6262
(च) ब्लास्ट रोग	आई. ई. टी. 5609, आई. ई. टी. 3004, आई. ई. टी. 6055, आई. ई. टी. 5656

पहले से चल रहे कार्यक्रम के अतिरिक्त समस्याग्रस्त क्षेत्र में अनुसंधान तेज करने हेतु, नये अनुसंधान केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं जिसमें से एक वर्षा पर निर्भर ऊंची भूमि में बारानी चावल की खेती के लिए बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र के हजारीबाग नामक स्थान में और दूसरा पश्चिम बंगाल के निचली भूमि वाले क्षेत्र हेतु मिदनापुर जिले में पन्सकुरा नामक स्थान में छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया जा रहा है।

(ग) जी हां, महोदया। किसानों के खेतों में जिन कारणों से चावल की कम उपज होती है उन पर केन्द्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक पहले से ही अनुसंधान कार्य चला रहा है। चावल की कम उपज के प्रमुख कारण विशिष्ट स्थिति में अधिक उपज वाली किस्मों को न अपनाना, उर्वरकों तथा कीटनाशी जैसे—निवेशों का कम उपयोग तथा कम मात्रा में खरपतवार नियन्त्रण है। निचली भूमि में की जाने वाली चावल की खेती जहां निवेशों का पर्याप्त मात्रा में उपयोग नहीं किया जाता है, वहाँ वर्षा से भी पैदावार कम हो जाती है। उपलब्ध तथा अनुशासित प्रौद्योगिकी को अपनाकर बारानी उच्च भूमि के अन्तर्गत तीन टन तक तथा सिंचित दशाओं के अन्तर्गत 7 टन प्रति हैक्टेयर उपज पहले ही स्थानान्तरण प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत इस संस्थान द्वारा अपनाए गये गांवों में प्राप्त की जा चुकी है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता

10764. **श्री मोहनलाल पटेल**
श्री नवीन रावणी } क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक ने वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान भारत में सिंचाई परियोजनाओं के लिये सहायता की कितनी धनराशि दी है; और

(ख) विश्व बैंक द्वारा सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता मंजूर करने की शर्तें क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है—

वर्ष (विश्व बैंक का वित्तीय वर्ष— 1 जुलाई से 30 जून तक)	वर्ष के दौरान सम्मत ऋण सहायता की कुल राशि
1980	403
1981	277
1982	220
1983	489.3

(ख) विश्व बैंक के ऋणों के निबन्धन तथा शर्तें निम्न प्रकार हैं—

विश्व बैंक से ऋण सहायता दो प्रकार की होती है, एक अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ से, जिसकी शर्तें अपेक्षाकृत ढीली हैं, और दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से ।

अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ : अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ का ऋण, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ की साधारण शर्तों के अन्तर्गत है, अर्थात यह 50 वर्षों की अवधि के लिए है जिनमें 10 वर्षों की अनुग्रह अवधि शामिल है; इस पर कोई ब्याज देय नहीं है परन्तु इसमें ऋण की असंवितरित शेष राशि पर, प्रति वर्ष 0.5% का थोड़ा सा वचनबद्धता प्रभार और संवितरित शेष राषि पर 0.75% प्रतिवर्ष का सेवा प्रभार देय होता है

अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक : अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक से लिए जाने नाले ऋण की दर' विश्व के पूंजी बाजारों से उधार ली गई उसकी राशियों की लागत पर

0.5% का कीमत लागत अंतर (स्प्रेड) जोड़कर, समय-समय पर निर्धारित की जाती थी। यह दर किसी ऋण की पूर्ण अवधि के लिये वचनबद्धता में नियत की जाती थी।

1-7-1982 से, वचनबद्धता पर इस नियत प्रणाली को परिदाय नीति को एक ऐसी नीति में परिवर्तित कर दिया गया है जिसमें परिदाय दर वित्तीय वर्ष 1982 से आरम्भ करके उधार ली गई इसकी राशियों के पूल की भारित लागत (वेटिड कास्ट) से 0.5% अधिक होगी। यह परिदाय दर ऋण की पूर्ण अवधि के दौरान प्रत्येक छः महीनों में ऊर्ध्वमुखी या अधोमुखी रूप में समंजित की जाएगी। इस समय, 1-1-1983 से आरम्भ होने वाली 6 महीने की अवधि के लिये यह परिकलित किया गया है कि दर 10.97% होगी। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक के ऋणों पर, 0.75% का फ्रंट तथा शुल्क और असंवितरित भाग पर 0.75% वचनबद्धता शुल्क भी लगाया जाता है।

रेगिस्तान विकास कार्यक्रम का बनरोपण पर प्रभाव

10765. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वनरोपण, जल नियंत्रण, ग्रामीण विद्युतीकरण और पशु-पालन पर रेगिस्तान विकास कार्यक्रम का क्या प्रभाव पड़ा है और तत्सम्बन्धी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) कार्यक्रम कों सुदृढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं;

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : (क) मरुभूमि विकास कार्यक्रम की कुल वास्तवित उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न हैं। कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की गई अधिकांश योजनायें कार्यक्रम के अन्तर्गत लिए गये जिलों के विशिष्ट छोटे क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं। उनके अल्पकालीन प्रभाव का पता लगाए जाने की सम्भावना है और दीर्घकालीन प्रभाव काफी समय में महसूस किया जा सकेगा।

(ख) मरुभूमि विकास कार्यक्रम की पुनरीक्षा कुछ समय पहले योजना आयोग के सदस्य (कृषि) की अध्यक्षता में एक कार्यदल द्वारा की गई थी। कार्यदल की सिफारिश पर कार्यक्रम के लिए निधियां, जो पहले जिले में खंडों की संख्या के आधार पर दी जाती थीं, अब रेगिस्तानी हालातों से प्रभावित हुए क्षेत्र के आधार पर दी जाती हैं। इसके परिणाम स्वरूप अधिक प्रभावित रेगिस्तानी क्षेत्रों को अब पहले की अपेक्षा अधिक आबंटन प्राप्त होते हैं। राज्य सरकारों को इस कार्यक्रम की आयोजना, कार्यान्वियन प्रबोधन तथा मूल्यांकन के प्रबंधों को कारगर बनाने के लिए निर्देश भी दिए गये हैं।

1977-78 से लेकर 1982-83 (दिसम्बर, 1982) तक मरुभूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल वास्तविक उपलब्धियां।

क्षेत्र/मुख्य सूचक	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश	जम्मू तथा कश्मीर	राजस्थान	कुल
1	2	3	4	5	6	7
1. वनरोपण :						
1. जिसमें सड़कों के किनारे पौधरोपण चारागाह विकास, ईंधन तथा चारे के पौधे लगाना भी शामिल है (हेक्टेयर)	16295	6853	1312	—	20894	45354
2. वायुरोधी बाढ़ लगाना (कि०मी०)	600	22106	—	—	5582	28288
3. रेल के टीले जमाना (हैक्टेयर)	—	2737	206	—	6978	9921
4. सड़कों के किनारे पौध रोपण (कि०मी०)	—	—	—	—	422	422
2. सृजित सिंचाई सम्भाव्यता : (हैक्टेयर)	1020	—	365	—	2803	4188
3. जल संचयन ढांचों का : निर्माण (सं०)	—	—	—	7	51	58
4. ग्रामीण विद्युतीकरण :						
1. बिजली चालित नलकूप/ पम्प सेट (सं०)	59	70	—	—	1681	1810
2. विद्युतिकृत गांव (सं०)	—	—	—	—	488	488

1	2	3	4	5	6	7
5. कृषि :						
1. मिट्टी सर्वेक्षण (हैक्टेयर)	—	—	—	—	59831	59831
2. भूमि संरक्षण योजनाओं के अन्तर्गत सुधारा गया क्षेत्र (हैक्टेयर)	—	100	131	—	3321	3552
3. खादीनों का निर्माण (हैक्टेयर)	—	—	—	—	41	41
6. पशुपालन :						
1. नई पशुचिकित्सा डिस्पेंसरियां/केन्द्र (सं०)	—	2	—	—	139	141
2. स्थापित किए गए नये ऊन विस्तार केन्द्र (सं०)	2	10	—	—	—	12
3. स्थापित किये गये दुग्ध एकत्रीकरण केन्द्र (सं०)	—	586	—	—	118	704
4. कृत्रिम रूप से गर्भाधान किए पशुओं की संख्या	—	—	—	—	1066	1066
5. पैदा किए दोगली किस्म के मेमने (सं०)	—	—	—	—	1572	1572
6. कताईकार प्रशिक्षण केन्द्र (सं०)	—	—	—	4	—	4
7. सृजित रोजगार (हजार श्रम दिन)	2349	2266	708	26	2895	8244

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मस्टर रोल कर्मचारियों

को सेवा समाप्ति मुआवजा

10766. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** :क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान, पूछताछ कार्यालय-वार कितने मस्टर रोल कर्मचारी सेवा समाप्ति मुआवजे के पात्र पाए गए तथा प्रत्येक को कितना मुआवजा दिया गया;

(ख) 1 जनवरी, 1980 से 31 दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान, पूछताछ कार्यालय-वार, कितने मामलों में मस्टर रोल कर्मचारी कानून के उपबन्धों के अधीन इसके पात्र नहीं पाए गये; और

(ग) सेवा समाप्त किये गये ऐसे मस्टर रोल कर्मचारियों को सेवा समाप्ति मुआवजा देने के सम्बन्ध में इस प्रकार की असमानता के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

टाइप-II और III के सरकारी मकानों में वाश-बेसिन तथा किचन सिंक्स की व्यवस्था

10767. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में टाईप-11 के अनेक सरकारी मकानों में वाश-बेसिन और किचन सिंक की व्यवस्था की है;

(ख) तथा सरकार का न केवल रामकृष्णपुरम के बाकी टाइप-II मकानों में बल्कि अन्य सरकारी कालोनियों में भी उक्त दोनों सुविधाएं देने का विचार है;

(ग) क्या अनेक कालोनियों में ये दोनों सुविधाएं टाइप-III के सरकारी मकानों में भी अभी तक नहीं दी गई हैं; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का टाइप-II और टाइप-III के बाकी मकानों में ये सुविधाएं कब तक देने का विचार है तथा उन मकानों की अनुमानित संख्या कितनी है जिनमें ये सुविधाएं नहीं दी गई हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं । ये सुविधाएं टाइप-II के क्वार्टरों में अनुमेय नहीं हैं ।

(ग) तथा (घ) कुछ टाइप-III क्वार्टरों में ये सुविधाएं इस कारण से उपलब्ध नहीं हैं कि इन्हें इनके निर्माण के समय ऐसे क्वार्टरों के लिए सुविधाओं के अनुमोदित मापदण्डों के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था । अब उन क्वार्टरों में इन सुविधाओं का प्रावधान वित्तीत संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है । जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है ।

जिन टाइप-III के क्वार्टरों में ये सुविधाएं नहीं दी गई हैं, उनकी संख्या इस प्रकार है—

(1) जिन क्वार्टरों में वाश-बेसिनों की व्यवस्था नहीं है। 9334

(2) जिन क्वार्टरों में सिंक की व्यवस्था नहीं है। 9776

वन कर्मचारियों में निराशा

10768. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि वन रेंज अधिकारियों और भारतीय वन सेवा के अन्य अधिकारियों जैसे मंडलीय वन अधिकारियों में घोर निराशा और विरोधभाव फैल चुका है जिसके कारण उनमें से कुछ "नियमानुसार" पर तुल गये हैं और बाद में काम बन्द करके हड़ताल पर जाने का आशय रखते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उनमें फैली निराशा और विरोध के कारणों की जांच की है और सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श करके उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हाँ, तो समाधान सम्बन्धी योजना किस प्रकार की है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना शीघ्र ही बनायेगी, क्योंकि वन संवर्ती सूची के अंतर्गत आता है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) केन्द्र सरकार को किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि वन कर्मचारियों के एक वर्ग में निराशा और रोष व्याप्त है और उन्होंने नियमानुसार काम करने अथवा काम बन्द करने या हड़-ताल पर चले जाने की घोषणा की है।

(ख) से (घ) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यकीय वन कर्मचारियों की सेवा-सम्बन्धी संभावनाओं और कार्य स्थितियों में सुधार लाने सम्बन्धी मामला समय-समय पर राज्य सरकारों के साथ उठाया गया है। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न राज्यों में अनेक सुधार भी किये गये हैं। भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की सेवा-सम्भावनाओं में सुधार लाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पशु परियोजना

10769. **श्री राम किंकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की पशु परियोजनाओं में केन्द्र-वार, आयु तथा लिंग वार 1 अप्रैल, 1983 के दिन प्रत्येक जातीय समूह में कितने पशु थे और कुछ में अन्यों की अपेक्षा

कम पशुओं की संख्या के क्या कारण हैं;

(ख) प्रत्येक केन्द्र के प्रभारी वैज्ञानिकों तथा परियोजना समन्वय अधिकारी के ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या वैज्ञानिक और परियोजना समन्वय अधिकारी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की वैज्ञानिक पैनल के सदस्य हैं;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक को किस तारीख से पैनल का सदस्य नहीं बनाया गया और यदि उनको अभी तक सदस्य नहीं बनाया गया है तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) पशुपालन वैज्ञानिक पैनल के सदस्यों की सूची क्या है और उनमें से कौन-कौन पशु परियोजना केन्द्रों के प्रभारी वैज्ञानिक थे और कब से;

(च) क्या सरकार को पता है कि भारी व्यय के बावजूद पशु परियोजना केन्द्रों में पहले वर्षों की अपेक्षा 1981-82 से कम उत्पादन हुआ और स्थिति में गिरावट आई तथा इसके बावजूद वैज्ञानिकों को पैनल की सदस्यता का पुरस्कार दिया गया; और

(छ) यदि हां, तो सरकार का क्या सुधारात्मक कदम उठाने का बिचार है ;

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) से (छ) से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध हो जाने पर उसे सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

अस्टारंग में मत्स्य पत्तन

10770. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने उड़ीसा तट का सर्वेक्षण किया है और अस्टारंग को मत्स्य पत्तन की स्थापना के लिए चुना है;

(ख) क्या उड़ीसा में उपरोक्त स्थान पर मत्स्य पत्तन के निर्माण के लिये सरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो उस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(घ) उपरोक्त स्थान पर मत्स्य पत्तन के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) तथा (ख) जी हां ।

(ग) 1981 में परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 452 लाख रुपए थी ।

(घ) यह परियोजना यूनाइटेड किंगडम से द्विपक्षीय सहायता के लिये प्रस्तुत की गई है ।

उड़ीसा की मध्यम एवं प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं का निष्पादन

10771. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में मध्यम एवं प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा छठी योजना के लिये कितने परिव्यय की व्यवस्था की गई है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजनावधि में उड़ीसा में मध्यम एवं प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए कार्य दल द्वारा कितनी राशि की सिफारिश की गई है;

(ग) उन सिंचाई परियोजनाओं के लिए केन्द्र द्वारा कितना छठी योजना परिव्यय नियत किया गया है; और

(घ) उन सिंचाई परियोजनाओं के निष्पादन के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) छठी योजना में बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिए उड़ीसा द्वारा प्रस्तावित परिव्यय 800 करोड़ रुपये था।

(ख) कार्यकारी दल द्वारा 367 50 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की गई थी।

(ग) राज्य और केन्द्र के बीच अन्ततः सम्मत छठी योजना का परिव्यय 360 करोड़ रुपये है।

(घ) सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। केंन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिए अधिकतम सम्भव धन आबंटित करने की सलाह देती रही है। केन्द्रीय सरकार सीमेंट, इस्पात इत्यादि जैसी दुर्लभ सामग्रियों के आबंटन में भी राज्य सरकार की सहायता कर रही है। छठी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय निम्न प्रकार है :

1980-81	54.13 करोड़ रुपये
1981-82	51.36 करोड़ रुपये
1982-83	70.00 करोड़ रुपये (प्रत्याशित)

1983-84 के लिए 78.50 करोड़ रुपये परिव्यय पर सहमति हुई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नारियल के विकास के लिए तैयार किया गया "पैकेज" कार्यक्रम

10772. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नारियल के विकास के लिये 1982-83 में एक नई केन्द्र प्रायोजित योजना "पैकेज कार्यक्रम" लागू की गई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का उपरोक्त वर्ष नारियल के विकास में क्या कार्य निष्पादन था; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (ख) नारियल सम्बन्धी पैकेज कार्यक्रम की एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना केरल, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र गोवा में छठी योजना अवधि से चल रही है ।

(ख) तथा (ग) 1982-83 (फरवरी 1983 तक) के लिए राज्य वार उपलब्धियाँ नीचे दी गई है :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उपलब्धियां	
	वृक्षा रोपित क्षेत्र हैक्टार में	किए गए प्रदर्शनों की संख्या
1	2	3
1. केरल	1,11,500	3,500
2. कर्नाटक	10.000	400
3. तमिलनाडु	10,000	400
4. आन्ध्र प्रदेश	3,000	100
5. उड़ीसा	2,000	100
6. गोवा	1,000	40
7. महाराष्ट्र 8. प० बंगाल 9. असम	इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का कार्य निष्पादन उपलब्ध नहीं है ।	

सूखा पड़ने के कारण

10773. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान अभूतपूर्व सूखे के प्रसार के कारणों का पता लगाने के लिए पुनरीक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त वर्षों में उपरोक्त प्रत्येक राज्य सूखा पड़ने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) सूखे की स्थिति का सामना करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये हैं और उठाये जाने हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) (क) व (ख) मानसून न आने अथवा रुक-रुक कर मानसून आने और/अथवा मानसून के जल्दी चले जाने से देश के विभिन्न भागों में 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के वर्षों में सूखे की स्थिति में वृद्धि हुई है।

(ग) भारत सरकार द्वारा अल्पावधि उपाय के रूप में राज्य को सूखे जैसे प्रकोप से राहत देने के लिए व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी जा रही है।

दीर्घावधि उपाय के रूप में आपदाओं के प्रकोप को कम करने के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम' बारानी खेती कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

सहकारी समितियों की असफलता

10774. **श्री ए० नीलालो हिथादसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चार सरकारी समितियों की असफलता से संबंधित एन० ए० बी० ए० आर० डी० रिपोर्ट (बिजनेस स्टैण्डर्ड 20 मार्च, 1983) देखी है और यदि हाँ, तो क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार किया गया है;

(ख) क्या यह अनेक राज्यों में एन०डी०डी०बी० द्वारा गठित उस जाली दुग्ध उत्पादक सोसायटी का इसी प्रकार का अध्ययन कराएगी, जिसमें अधिकांशतः आई०ए०एस० अधिकारियों को चेयरमैन तैनात किया गया है;

(ग) क्या सरकार आनन्द कोआपरेटिव की बारीकी से जाँच करायेगी, जो उसी दिन ढह जायेगी, जिस दिन यह सस्ता आयातित वाणिज्यिक या गिफ्ट मिल्क-पावडर और बटर फैट प्रयोग करना बन्द कर देगी; और

(घ) अमूल द्वारा अपने प्रारम्भ से कुल कितनी धनराशि के आयातित उपहार/वाणिज्यिक सस्ते दुग्ध उत्पाद तथा अन्य सहायता और ऋण आदि प्राप्त किये गये हैं;

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) सरकार का ध्यान 20 मार्च, 1983 को "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में प्रकाशित एन०ए०बी०ए०आर०डी० की रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है। इस समाचार में डेरी सहकारी समितियों की असफलता के बारे में कोई उल्लेख नहीं है।

(ख) ग्राम दुग्ध सहकारी समितियाँ पंजीकृत समितियां हैं और ये आनन्द पद्धति वाली समितियों के लिये निर्धारित उपनियमों के अनुरूप हैं। सरकार के ध्यान में आपरेशन फ्लड परियोजनाओं के तहत किसी जाली समिति की स्थापना करने से संबंधित किसी घटना को नहीं लाया गया है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। डेरी सहकारी समितियों की उपयोगिता की संयुक्त राष्ट्र संघ, खाद्य एवं कृषि संगठन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा गठित अनेक मूल्यांकन मिशनों ने भी

सराहना की है। इस सफलता को देखते हुए आनन्द पद्धति को आपरेशन फ्लड परियोजनाओं के अन्तर्गत प्रतिवलित किया जा रहा है।

(घ) अमूल द्वारा प्राप्त कुल अनुदान 3.10 करोड़ रुपये तथा कुल ऋण 5.34 करोड़ रुपये है। अमूल की पूंजीगत परिसम्पत्तियों का मूल्य 13.07 करोड़ रुपये तथा अनुदान का अनुपात लगभग 24 प्रतिशत बैठता है, जिसमें से 11 प्रतिशत राजस्व अनुदान है तथा ऋण का अनुपात 41 प्रतिशत बैठता है। शेष धनराशि उसकी स्वयं की है। आपरेशन फ्लड-1 परियोजना के तहत उपहार में प्राप्त कुल जिंसों में से अमूल को लगभग 3.8 प्रतिशत स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा लगभग 4.6 प्रतिशत बटर आयल प्राप्त हुआ। आपरेशन फ्लड-2 के तहत 31 मार्च, 1982 तक उपहार में प्राप्त कुल जिंसों में से अमूल के हिस्से लगभग 2.6 प्रतिशत स्प्रेटा दुग्ध चूर्ण तथा लगभग 1.6 प्रतिशत बटर आयल आया। अमूल को उपहार जिंसों का आवंटन, डेरी सयंत्रों के लिए उपहार जिंसों के आवंटन के सम्बन्ध में निर्धारित की गई शर्तों के आधार पर किया गया था।

आनन्द में ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान खोलना

10775. **श्री ए० नीलालोहिथा दसन नाडार** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान, आनन्द को डेरी बोर्ड ने वित्त मंत्रालय योजना आयोग या ई०पी०सी० या पी०आई०बी० की पूर्वानुमति के बिना स्विस और फोर्ड फाऊंडेशन के 5 करोड़ रुपये के वित्त से शुरू किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि एन०डी०डी०बी० के चेयरमैन की इस प्रिय परियोजना के लिए एन०डी०डी०बी०/आई०डी०सी०/सरकारी धनराशि को मंजूरी लिए बिना ही खर्च कर दिया गया;

(ग) क्या अब इस समूची परियोजना का 1983-84 के लिए सरकार की 5 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि से नियमित किया जा रहा है;

(घ) क्या योजना आयोग के सचिव और आपरेशन फ्लड-I और II की कर्णधार समिति में अन्य व्यक्तियों ने इस परियोजना पर आपत्ति की थी; और

(ङ) क्या प्रबन्ध के लिये अहमदाबाद सहित अन्य संस्थान भी हैं और क्या 20-30 स्नातकों को प्रशिक्षण देने के लिये और संस्थान खोलना निष्फल तथा व्यर्थ होगा ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान ने आरम्भ में आपरेशन फ्लड-2 परियोजना के तहत उपलब्ध धनराशि से जुलाई 1980 से कार्य करना शुरू किया।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) सक्षम प्राधिकारी द्वारा आनन्द में ग्रामीण प्रबन्ध संस्थान की स्थापना की अनुमति देने से पहले ग्रामीण-प्रबन्ध के मौजूदा संस्थानों के कार्यक्षेत्र तथा कार्यकलापों पर विचार किया गया था।

वर्ष 1983-84 में फसल बीमा के अन्तर्गत क्षेत्र लाये जाने का लक्ष्य

10776. **श्री एस० बी० सिदनाल**
श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार
श्री अनादिचरण दास } क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 और छठी योजना की अवधि के लिए फसल बीमा के अन्तर्गत क्षेत्र लाने के बारे में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उक्त लक्ष्य का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में अब तक कार्यान्वित फसल बीमा योजना का कोई मूल्यांकन किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उक्त क्षेत्र को बढ़ाने का विचार है; और

(घ) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) फसल बीमा योजना के तहत छठी पंच वर्षीय योजना (1980-85) में सारे देश में 5 लाख हैक्टार क्षेत्र लाने का लक्ष्य रखा गया है। 12 राज्यों में, जो योजना में भाग लेंगे, 1983-84 के सम्बन्ध में बीमाकृत धनराशि के रूप में राज्य-वार लक्ष्यों को बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) तथा (घ) गत 3 वर्षों के दौरान योजना के अन्तर्गत सीमित क्षेत्र लाया जा सका। इसे देखते हुए यह प्रस्ताव किया गया है कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से आगामी दो वर्षों के दौरान योजना के अन्तर्गत लाया जाने वाला क्षेत्र बढ़ा दिया जाए।

बीमाकृत धनराशि के रूप में 1983-84 के लिए राज्यवार लक्ष्यों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	राज्य का नाम	1983-84 का लक्ष्य
1.	आन्ध्र प्रदेश	2.50

2.	बिहार	1.00
3.	हरियाणा	1.00
4.	कर्नाटक	1.10
5.	केरल	0.50
6.	मध्य प्रदेश	1.00
7.	महाराष्ट्र	0.80
8.	उड़ीसा	2.00
9.	राजस्थान	0.25
10.	तमिलनाडु	1.50
11.	उत्तर प्रदेश	1.50
12.	पश्चिम बंगाल	1.45
	योग	14.60

टूना मछली का विकास

10777. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा किये गये अध्ययन से पता चला था कि देश में टूना मत्स्य पालन का विकास करने की अत्यधिक संभावनाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या हिन्द महासागर में टूना संसाधनों और उसके वर्तमान उपयोग के बारे में कोई मूल्यांकन किया गया;

(घ) टूना के वाणिज्यिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) क्या टूना मछली पकड़ने में वृद्धि करने तथा उसकी डिब्बा बन्दी के लिए विदेशों से उन्नत प्रौद्योगिकी प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किये गये हैं;

कृषि मंत्री : राव बीरेन्द्र सिंह : (क) और (ख) : खाद्य और कृषि संगठन ने हिन्द महासागर, जिसमें भारतीय एकमात्र आर्थिक क्षेत्र भी शामिल है, में टूना मछली की संभाव्य क्षमता के सम्बन्ध में अध्ययन किए हैं ।

(ग) खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार हिन्द महासागर में टूना मछली की संभाव्य क्षमता 5 और 7 लाख मीटरी टन के बीच है । हिन्द महासागर जिसमें कई देश तथा द्वितीय राष्ट्र आते

हैं, में टूना मछलियों के उपयोग का वर्तमान स्तर, कुल सभाव्य क्षमता का 34 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के बीच है ।

(घ) सरकार के पास पहले ही से उपलब्ध दो टूना जलयान इस समय टूना संसाधनों के सर्वेक्षण और टूना मछली पकड़ने के कार्य में कामियों को प्रशिक्षण देने के कार्य में लगे हुए हैं । टूना के वाणिज्यिक उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने विदेशी मछली पकड़ने वाले जलयानों को किराये पर लेने, संयुक्त उद्यम और मछली पकड़ने के जलयानों का आयात करने, जिसमें टूना जलयान भी शामिल हैं, की एक नीति भी घोषित की हैं ।

(ङ) जी, हां ।

कृषि के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के नए केन्द्र की स्थापना करना

10778 **श्री सन्तोष मोहन देब** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने कृषि में उच्च अध्ययन के नए केन्द्र की स्थापना के लिये एक परियोजना तैयार की है;

(ख) क्या कुछ योजनाएं उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में आरम्भ की जायेंगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(घ) क्या चावल की नई किस्मों का विकास करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उसके ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) (क) जी हां, श्रीमान् भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू. एन. डी. पी.) की सहायता से कृषि में अग्रिम अध्ययनों वाले नये केन्द्रों की स्थापना के लिए एक परियोजना को सूत्रबद्ध किया है।

(ख) शीतोष्ण बागवानी पर अग्रिम अध्ययनों का पहले ही हिमाचल प्रदेश कृषि विश्व-विद्यालय के सोलन परिसर में एक केन्द्र स्थापित किया जा चुका है । उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों में किसी अन्य नये केन्द्र की स्थापना का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी हां, श्रीमान् ।

(ङ) इस क्षेत्र में किये गये अनुसंधान प्रयासों के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय स्तर पर धान की 27 नई किस्में और राज्य स्तर पर 150 से अधिक किस्में पहले ही विकसित की जा चुकी हैं । इसके अतिरिक्त, बिभिन्न दबाव वाले और कीट/व्याधि वाली स्थितियों में विशेष उपयुक्तता रखने वाली किस्मों का विकास भी किया गया है । ऐसी किस्मों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है । अच्छी उपज देने वाली, कीटों और रोगों के प्रति बहु-रोधिता वाली तथा वर्षा पर निर्भर ऊंची

भूमि की स्थितियों, नीची भूमियों, ऊंचे क्षेत्रों, लवणीय मृदाओं आदि जैसी स्थितियों के लिए उपयुक्त किस्मों के विकास के प्रयास किये जा रहे हैं।

विवरण

दबावग्रस्त क्षेत्रों की प्रतिरोधी चावल की कुछ नई किस्मों की सूची

दबावग्रस्त क्षेत्र	किस्में
1. वर्षा पर निर्भर ऊँची भूमि	किरण, आकाशी, 143-2-2 और एम० डब्ल्यू० -10.
2. गहरे जल वाले क्षेत्र	पानीधान-1, पानीधान-2 और जलमग्न
3. निचले क्षेत्र	पंकज, जगन्नाथ, महासुरी, फाल्गुन, विक्रम और स्वर्णधान नये संवर्ध : सी. आर. 1018, सी. आर. 1016 और सी. आर.-1030
4. लवणीय स्थितियां	सी. एस. एस.-1, सी. एस. एस.-2, सी. एस. एस.-3, सी. एस. एस.-4 और आई. ई. टी.-5571.
5. ठंडे क्षेत्र	कलिंग-1, कलिंग-2, वी. एल. के.-39
6. कीट-व्याधि महामारी प्रभावित क्षेत्र :	
(क) तना छेदक :	रत्ना, आई. आर.-20, साकेत-4
(ख) गॉलमिज	काकेतिया, सुरेखा, आर. पी. डब्ल्यू. 6-12, विक्रम फाल्गुन, शक्ति और सामेली
(ग) भूरा पौध फुदका।	आई. ई. टी. 6314. संवर्ध: सी. आर.-169-62-15, सी. आर. 190-62-13, सी. आर. 199-3.
(घ) जीवाणु झुलसा रोग :	आई. ई. टी. 4141, आई. ई. टी. 2815, आई. ई. टी. 4155.
(ङ) टूंग्रो विषाणु रोग :	आई. आर. 36, आई. ई. टी. 5642, आई. ई. टी. 6065, आई. ई. टी. 6262
(च) ब्लास्ट रोग :	आई. ई. टी. 5609, आई. ई. टी. 300,4 आई. ई. टी. 6055, आई. ई. टी. 5656

उड़ीसा के सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में किया गया राहत कार्य

10779. श्री अर्जुन सेठी
श्री के० प्रधानी } क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा राज्य की वर्तमान सूखा स्थिति को देखते हुए राज्य का दौरा करने वाले अध्ययन दल के प्रतिवेदन का पुनरीक्षण करने के उपरान्त कोई राहत कार्य आरम्भ किये हैं;

(ख) यदि हां, तो चलाये जा रहे राहत कार्यों के ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने योजना (कार्य) के समुचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए किसी अधीक्षण प्राधिकारी की भी नियुक्ति की है;

(क) यदि हां, तो जिला-वार उपलब्ध की गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे क्या हैं और केन्द्रीय वित्त पोषित योजना के समुचित उपयोग के लिए केन्द्र सरकार द्वारा यदि कोई परामर्शदात्री निकाय बनाया गया और केन्द्र द्वारा आयोजित किये जाने वाले राहत कार्य के ब्यौरे क्या हैं;

(ङ) क्या राहत कार्य योजना के अन्तर्गत लाये जाने वाले गांवों की जिला-वार जनसंख्या के बारे में कोई विचार किया गया है; और

(च) यदि हाँ, तो इस बारे में यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तो उनके ब्यौरे क्या हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) (क) तथा (ग) राज्य सरकार से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) से (च) भारत सरकार ने सूखा सम्बन्धी राहत उपायों के लिए 1982-83 में 1570 लाख रुपये और 1983-84 के दौरान 1764.50 लाख रुपये के अधिकतम व्यय की मंजूरी दी है। जिला वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। यह विभिन्न जिलों में सूखे की गम्भीरता के सम्बन्ध में दल के जायजे पर आधारित है। राज्यों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे सूखा सम्बन्धी राहत उपायों का समन्वय करने के लिए राज्यों के मुख्यालयों में अधिकारियों की समिति गठित करें।

विवरण

1982-83 तथा 1983-84 के लिए उड़ीसा को दी गई सूखा सम्बन्धी सहायता का जिलावार ब्यौरा

जिले का नाम	प्रभावित	आहार संबंधी	रोजगार	पीने का पानी

	जनसंख्या	कार्यक्रम (प्रतिदिन इसके तहत लाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या)	(रकम करोड़ रुपए में)	ग्रामीण क्षेत्रों में खोदे जाने वाले बंधन कुओं की संख्या	अधिसूचना क्षेत्रों में खोदे जाने वाले बंधन कुओं की संख्या
1. बौलनगिर	11.53	40,000	1.40	305	28
2. फुलबानी	1.41	25,000	.60	250	8
3. घनकनाल	14·69	50,000	2.00	300	12
4. कौरापुट	10.27	50,000	1.75	450	28
5. कालाहांडी	5.08	25,000	0.70	250	20
6. क्योंझार	8.76	65,000	2.35	400	8
7. सुन्दरगढ़	8·00	65,000	2.35	450	12
8. मयूरभंज	14.51	65,000	4.00	450	16
9. सम्बलपुर	12.73	65,000	2.00	400	12
		4,50,000	17.15+	3255	144+
		अन्य चार जिलों में+ प्रतिदिन 1,50,000 शेष।	4 जिलों के लिए+ 1 करोड़ रुपए बकाया।	+122 एन०ए०सी० इन जिलों में प्रति एन०ए० सी० 4 बेघन कुओं के हिसाब से 61 एन०ए०सीं० में 2 बेघन कुओं के हिसाब से	

आटा मिलों को लाइसेंस दिया जाना

10780. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आटा मिलों को लाइसेंस देने में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या सरकार ने केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े जिलों में आटा मिलों को लाइसेंस

गेने में प्राथमिकता देने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) पहले ही लाइसेंस शुदा पर्याप्त क्षमता की दृष्टि में, केन्द्रीय सरकार की सामान्य नीति, नई गेहूँ रोलर फ्लोर मिलें लगाने के लिए कोई नई अनुमति न देने की है। अत: जब तक वर्तमान नीति जारी रहती है तब तक आटा मिलों हेतु लाइसेंस देने के लिए केन्द्र द्वारा अधिसूचित पिछड़े जिलों को तरजीह देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सतही सिंचाई के अधीन बनाई गई मैदानी नहरें

10781. **श्री चित्त बसु** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सतही सिंचाई के अधीन 270 लाख हैक्टेयर क्षमता में से मार्च 1980 तक केवल 30 लाख हैक्टेयर में मैदानी नहरों का निर्माण किया गया है और 10 लाख हैक्टेयर में अन्य विकास कार्य किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की असन्तोषजनक स्थिति के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मार्च, 1980 के अन्त तक, देश में सभी बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से सृजित संचयी सिंचाई क्षमता 26.5 मिलियन हैक्टेयर है, जिसमें से कमान क्षेत्र विकास की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत आने वाली 76 बृहद तथा मध्यम परियोजनाओं से सृजित क्षमता 11.3 मिलियन हैक्टेयर है। 11.3 मिलियन हैक्टेयर के इस आंकड़े के प्रति, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित की गई खेत-नालियों के अन्तर्गत 2.98 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र तथा भूमि समतल न और आकृतीयण के अन्तर्गत 1.02 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र आता है। इस प्रकार, माननीय सदस्य द्वारा बताए गये आंकड़ों में केवल 11.3 मिलियन हैक्टेयर का ही उल्लेख किया गया है और इनमें 27 मिलियन हैक्टेयर की सिंचाई क्षमता का उल्लेख नहीं है।

(ख) जैसाकि उपर्युक्त (क) के उत्तर में बताया गया है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत खेत नालियों का निर्माण और भूमि समतलन का कार्य निराशाजनक नहीं है। इसके अलावा, खेत नालियों के निर्माण का कार्यक्रम छठी योजना में अधिक उत्साह के साथ जारी रखा गया है जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है—

(मिलियन हैक्टेयर)

क्र० सं०	मद	1979-80 तक प्रगति	छठी योजना का लक्ष्य	प्रगति 1980-81 में	1981-82 में	82-83 में संभावित	3/83 तक संचयी
1.	खेत नालियां का निर्माण	2.98	4.00	0.66	0.98	1.08	5.70
2.	भूमि समतल	1.02	1.00	0.09	0.08	0.10	1.29

तिलहन उत्पादन में स्थिरता

10782. **श्री चित्त बसु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिलहनों का उत्पादन प्रति वर्ष 12 से 13 मिलियन टन के बीच हो रहा है और इसमें स्थिरता के लक्ष्य दिखाई दे रहे हैं;

(क) यदि हां, तो सरकार द्वारा सभी किस्म के तिलहनों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के बावजूद स्थिरता आने के इस रुख के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू और कर्नाटक में सिंचित क्षेत्रों में गर्मी के मौसम की फसल के रूप में मूंगफली उगाने की और इस प्रकार प्रति एकड़ खाद्यान्नों की फसल में कमी आने की ओर दिलाया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार का विचार फसलों की समुचित पद्धति अपनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) जी नहीं। यह गत तीन वर्षों के दौरान तिलहन के उत्पादन के निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है—

वर्ष	उत्पादन (दस लाख मीटरी टन)
1979-80	8.74
1980-81	9.37
1981-82	12.07

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) सरकार मूंगफली की प्रति हैक्टर अधिक पैदावार से ग्रीष्म कालीन सिंचित मूंगफली की खेती, जो इस पद्धति को अपना कर प्राप्त की जा रही है, को प्रोत्साहित करती है। इसके अतिरिक्त, ग्रीष्मकालीन मूंगफली के लिए पानी की आवश्यकता भी अन्य प्रतिस्पर्धी फसलों की तुलना में कम होती है। आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू तथा कर्नाटक राज्यों में ग्रीष्मकालीन सिंचित मूंगफली के तहत कुल क्षेत्र केवल 6.6 लाख हैक्टार है, जो इन राज्यों में खाद्य फसलों के अन्तर्गत कुल क्षेत्र 206 लाख हैक्टार (1981-82) की तुलना में अधिक नहीं है।

(घ) फलीदार फसल होने के कारण, मूंगफली की खेती किसी अन्य धान्य फसल के बाद यन्धा फसल की तुलना में अधिक सन्तुलित सस्यगत पद्धति है।

पश्चिमी कोसी नहर के लिए पूरे वर्ष जल सप्लाई

10783. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई मंत्री बिहार में सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के बारे में 11 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6725 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस सिंचित भूमि का कुल क्षेत्रफल कितना है जिसे क्रमश: जून 1984, 1985 और 1987 तक पश्चिमी कोसी नहर; 1984-85 तक गण्डक परियोजना और कोसी बराज और पूर्वी कोसी नहर, सोन उच्च स्तरीय नहर, राजपुर नहर और बसना नहर से नये निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार पूरे वर्ष पानी की सप्लाई मिलेगी और इसके अन्तर्गत लाभान्वित होने वाले ब्लाकों तथा ग्राम पंचायतों के नाम क्या हैं;

(ख) भीम नगर बराज को नया रूप देने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं ताकि पश्चिमी कोसी नहर से पर्याप्त पन-बिजली उत्पन्न हो सके, 'सिल्ट इंजैक्टर" की समय पर स्थापना हो सके और निर्माण कार्यों का अनुसूची के अनुसार निर्माण हो सके; और

(ग) कमला पर साइफन का निर्माण आरम्भ करने और पूरा करने के लिए निर्धारित समय क्या है और निर्माण कार्यों और कमला के पश्चिम में भूमि की खुदाई आदि का पूरा ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) निम्नलिखित परियोजनाओं में बिहार सरकार द्वारा सिंचाई क्षमता सृजित किये जाने हेतु रखे गये लक्ष्य निम्न प्रकार हैं :—

(लाख हैक्टेयर में)

(1) पश्चिमी कोसी नहर—	
जून, 1984 तक	0.20
जून, 1985 तक	0.78 (संचयी)

तथा जून, 1987 तक	2.08 (संचयी)
(2) गंडक परियोजना—	
1984-85 तक	10.61 (बिहार भाग)
(3) कोसी बराज तथा पूर्वी कोसी नहर—	
1983-84 तक	3.88
(4) सोन उच्च स्तरीय नहर—	
1683-84 तक	1.604
(5) राजपुर नहर—	
1983-84 तक	1.25 (पूर्ण क्षमता)
(6) बसना नहर—	
बसना नहर परियोजना नाम की कोई परियोजना नहीं है। सम्भवत: यह बरनार परियोजना है।	
1983-84 तक	इस परियोजना से किसी क्षमता के सृजित होने की सम्भावना नहीं है।

खण्ड और ग्राम पंचायत के स्तर पर सृजित की गई सिंचाई क्षमता की सूचना केन्द्र में नहीं जाती है।

(ख) पश्चिमी कोसी नहर शीर्ष से पर्याप्त जल-विद्युत उत्पादन करने के वास्ते भीम नगर बराज का पुनर्रूपण करने के लिए कोई प्रस्ताव बिहार सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है।

जहां तक गाद निष्कासक का सम्बन्ध है, केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला, पूणे में किये गये जलीय माडल अध्ययनों के आधार पर अभिकल्पों तथा ड्राइंगों को संशोधित करने का कार्य प्रगति पर है। गाद निष्कासक के निर्माण के लिये निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और उन पर बिहार के सिंचाई विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

बिहार सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय कर रही है कि संरचनाओं का निर्माण, नियत समस्त लक्ष्यों के अनुसार किया जाए।

जनवरी, 1983 के अन्त में संरचनाओं की स्थिति निम्न प्रकार से है :

	नेपाल का भाग	भारत का भाग		
		नेपाल की सीमा से भूतही बालान तक	भूतही बालान से कमला क्रासिंग तक	कमला क्रासिंग से अन्तिम सिरे तक
कुल	65	23	42	कुल लगभग 200 संरचना निर्मित की जानी हैं । निर्माण-कार्य अभी आरम्भ किए जाने हैं ।
पूर्ण हो चुकी	32	7	शून्य	
निर्माण प्रगति पर है	24	5	7	
निविदाएं आमंत्रित की गई हैं	8	4	5	
अभिकल्प तैयार किए जा रहे हैं	1	7	30	

(ग) कमला साइफन और वाम तथा दक्षिण-गाइड तटों पर पहुंच सड़कों के लिए ड्राइंगों को अंतिम रूप दिया जा चुका है । गाइड तटों के लिए निविदाएं भी आमंत्रित की गई हैं ।

कमला क्रासिंग के परे पश्चिमी कोसी नहर पर संरचनाओं के ब्यौरे और मिट्टी के कार्य के ब्यौरे को राज्य द्वारा अभी अंतिम रूप दिया जाना है । तथापि, मुख्य नहर पर और कमला क्रासिंग के परे शाखाओं पर लगभग 200 संरचनाएं हैं ।

कमला के परे नहर पर निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही की जा रही है ।

मस्टर रोल श्रमिकों/नैमित्तिक मजदूरों का नियमित किया जाना

10784. **श्री नगीना राय** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और उसके विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नियुक्त किये मस्टर रोल श्रमिकों/नैमित्तिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने के बारे में कार्मिकों और प्रशासनिक सुधार विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा 1979 में जारी किया गया कोई आदेश उनके मंत्रालय को प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय, विभागों/अधीनस्थ कार्यालय ने अभी तक इन आदेशों को कार्यान्वित नहीं किया है; यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन्हें कार्यान्वित कराने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) जी हां ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मस्टर रोल/नैमित्तिक मजदूरों की सेवा को नियमित किया जाना

10785. **श्री नगीना राय** : क्या **खाद्य और रागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय और उसके विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा नियुक्त किये गये मस्टर रोल श्रमिकों/नैमित्तिक श्रमिकों की सेवाओं को नियमित करने के बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा 1979 में जारी किया गया कोई आदेश उनके मंत्रालय को प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय, विभाग, अधीनस्थ कार्यालयों ने इन आदेशों को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया है; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इनको कार्यान्वित कराने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ग) इस मंत्रालय के अधीन सभी कार्यालयों से कहा गया है कि वे इस सम्बन्ध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग से प्राप्त अनुदेशों को कार्यान्वित करें । उपलब्ध सूचना के अनुसार, अनुदेशों को कार्यान्वित किया जा रहा है ।

उड़ीसा के कालाहांडी जिले में वृक्षा रोपण कार्यक्रम

10786. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कालाहांडी जिले में चलाई गई तथा 1983 में चलाई जाने वाली वृक्षारोपण योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और वृक्षारोपण योजनाओं के अन्तर्गत लाये गये क्षेत्रों सहित तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बिना फल वाले वृक्ष लगाये जाने से इन क्षेत्रों में बड़ा रोष है और लगाये जा रहे वृक्षों के किस्मों से सम्बन्धित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय को पता है कि कालाहांड़ी की भूमि तथा स्थालाकृति आम और कसेरू के वृक्षारोपण के लिये उपयुक्त हैं जो भू-संरक्षण और वातावरण दोनों के लिये उपयोगी है तथा उड़ीसा के आदिवासियों के जीवन यापन का भी एक साधन है; और

(घ) यदि हां, तो कालाहांडी जिले में भारी तादाद में आम और काजू के वृक्ष लगाने के लिये क्या कदम उठाये गये और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

सभी मौसम में चालू रहने वाली सड़कों के साथ उड़ीसा के गांवों को जोड़ा जाना

10787. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या ग्रामीण विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कितने गांवों को सभी मौसम में चालू रहने वाली सड़कों के साथ जोड़ने सम्बन्धी योजना के लिये 1980-81 के दौरान मंजूरी दी गई थी और उसकी कुल लागत कितनी थीं;

(ख) इसे क्रियान्वित करने के लिये 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 में कितनी-कितनी राशि का नियतन किया गया था;

(ग) इस राशि में से प्रत्येक जिले के लिये कितनी राशि का नियतन किया गया था;

(घ) इन राशियों से अब तक कितनी परियोजनायें पूरी हो चुकी हैं और कितनी परियोजनायें निर्माणाधीन हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) उड़ीसा के वार्षिक योजना प्रारूप 1983-84 के अनुसार उड़ीसा में 1980-81 में 205 गांवों को सभी मौसमों में खुली रहने वाली सड़कों द्वारा जोड़ा गया था जिस पर कुल 619.76 लाख रुपये की लागत आई है ।

(ख) उड़ीसा के वार्षिक योजना प्रारूप 1983-84 के अनुसार, 1980-81 तथा 1981-82 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के भाग के रूप में ग्रामीण सड़कों के विकास पर हुए वास्तविक व्यय 1982-83 के दौरान सम्भावित व्यय तथा 1983-84 के लिये प्रस्तावित परिव्यय निम्न प्रकार है :—

	(लाख रुपये में)
1980-81	619.76
1981-82	507.30
1982-83	530.00
1983-84	650.00

(ग), (घ) व (ङ) : न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के विकास का विषय राज्य क्षेत्र में आता है। आवंटनों तथा परियोजना की प्रगति के बारे में जिला-वार सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

अफ्रीकी-एशियाई खेलों अथवा गुटनिरपेक्ष राष्ट्रीय खेल सम्मेलन के सम्बन्ध में उड़ीसा के बरबटी स्टेडियम का उपयोग

10788. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुटनिरपेक्ष राट्रीय खेल सम्मेलन के सम्बन्ध में अफ्रीकी-एशियाई खेलों के अवसर पर "बरबटी स्टेडियम", कटक, उड़ीसा का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और स्टैडियम के विकास की योजना तथा कार्यक्रम क्या है ?

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : इस समय भारत में न तो अफ्रीकी-एशियाई खेल अथवा गुट-निरपेक्ष राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है। अतः उपरोक्त खेलों के आयोजन के लिए बरबटी स्टेडियम, कटक का प्रयोग करने का प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में सार्वजनिक नलकूपों का निर्माण

10789. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में सार्वजनिक नलकूपों के निर्माण की एक अग्रिम परियोजना विश्व बैंक की सहायता से आरम्भ की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन नलकूपों की लागत कितनी है और इस राज्य में इस परियोजना के अधीन कितने नलकूपों को बिजली से चलाया जाने लगा है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता से कोई सरकारी नलकूप परियोजना हाथ में नहीं ली गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हल की गई सिंचाई समस्यायें

10790. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश और बिहार में 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने मिर्जापुर जैसे पहाड़ी जिले ओर गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी तथा बलिया जैसे मैदानी इलाकों में सिंचाई के साधनों में वृद्धि के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ग) यदि हां, तो इसका पूर्व विवरण क्या है; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार देश के जो सब से कमजोर और सुविधाहीन उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों तथा बिहार के पश्चिमी जिले हैं उन्हें सिंचाई के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिये राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में विशेष धनराशि देने की दशा में विचार करेगी ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में आरम्भ किये गये सिंचाई निर्माण-कार्य नीचे दिये गये हैं :—

		अनुमानित लागत
उत्तर प्रदेश		**(करोड़ रुपये)**
1.	किशाऊ बांध	187.10
2.	खपरार बांध	0.90
3.	पांच से लेकर आठ हैक्टेयर के खण्डों के लिए वारबन्दी, और संरचनात्मक सुधार तथा जलमार्ग और खेतनालियाँ	सूचित नहीं की गई है ।

		अनुमानित लागत
बिहार		**(करोड़ रुपये)**
1.	मसान बांध	34.73
2.	औरंगा जलाशय	125.40
3.	पुनासी	26.09
4.	दिवरनी जलाशय	4.45
5.	सोनुआ	8.92
6.	सुरु	3.12
7.	लटरातू	10.99

8.	तोरलो	5.74
9.	टपकारा	2.04
10.	नन्दिनी	4.48
11.	सोन नहर का आधुनिकीकरण	500.00
12.	कांची नहर	4.86

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के पहाड़ी जिलों में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए छः स्कीमों की (संलग्न विवरण के अनुसार) केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है।

(घ) सिंचाई परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने बजटगत साधनों से की जाती है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश तथा बिहार को विशेष धन देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, बलिया तथा आजमगढ़ जिलों को लाभ पहुंचाने वाली केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त हुई उत्तर प्रदेश की स्कीमें तथा उनकी जांच के सम्बन्ध में स्थिति।

परियोजना का नाम	बेसिन	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	लाभ (हजार हैक्टेयर)
1. कनहर सिंचाई स्कीम (मिर्जापुर)	सोन	8946.93	33.128
2. मेजा बांध को ऊंचा करना (इलाहाबार, मिर्जापुर)	टींस	787.00	40.00
3. ज्ञानपुर पम्प नहर (इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर)	घागरा	1786.00	5.451
4. बाणसागर परियोजना (इलाहाबाद, मिर्जापुर)	सोन	11794.60	134.188
5. घग्गर नहर प्रणाली का आधुनिकीकरण (मिर्जापुर)	गंगा	780.34	शून्य (अतिरिक्त)
6. जमानिया पम्प नहर की क्षमता को बढ़ाना (गाजीपुर)	गंगा	1949.00	50.07

अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन अथवा अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की सहायता से चलाई जा रही सिंचाई योजनाएं

10791. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में कुछ प्रमुख सिंचाई योजनायें अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि की सहायता से चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके लिए कुल अनुमानित बजट कितना है; और

(ग) ये योजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ	परियोजना की लागत मिलियन डालर)	ऋण की राशि करार की (मिलियन डालर)	प्रभावी तारीख	करार के समाप्त होने की तारीख
1.	राजस्थान नहर कमान क्षेत्र विकास प्रावस्था-एक	174.0	83.0	दिसम्बर, 74	जून, 83
2.	पैरियार-वैगई परियोजना (तमिलनाडु)	45.6	23.0	सितम्बर, 77	मार्च, 83
3.	जयकवाडी परियोजना (महाराष्ट्र)	140.0	70.0	जनवरी, 78	मार्च, 83
4.	उड़ीसा मध्यम परियोजना	116.0	70.0	जनवरी, 78	मार्च, 83
5.	अपर कृष्णा परियोजना (कर्णाटक)	258.4	117.0	अगस्त, 78	मार्च, 84
6.	गुजरात मध्यम सिंचाई परियोजना	215.0	85.0	अक्तूबर, 78	जून, 84
7.	हरियाणा सिंचाई परियोजना	222.0	111.0	दिसम्बर, 78	अगस्त, 83
8.	पंजाब सिंचाई परियोजना	257.0	129.0	जून, 79	जून, 85
9.	उत्तर प्रदेश सरकारी नलकूप परियोजना	37.7	18.0	मई, 80	मार्च, 83

10. महाराष्ट्र संयुक्त सिंचाई परियोजना	455.0	210.0	जून, 80	सितम्बर, 84
11. गुजरात संयुक्त सिंचाई परियोजना	350.0	175.0	जून, 80	अप्रैल, 86
12. महानदी बिरूपा बराज परियोजना (उड़ीसा)	110.3	83.0	मार्च, 81	मार्च, 87
13. मध्य प्रदेश मध्यम सिंचाई परियोजना	232.1	140.0	मई, 81	मार्च, 87
14. कर्णाटक टैंक परियोजना	111.6	54.0	मई, 81	मार्च, 86
15. मध्य प्रदेश बृहद सिंचाई परियोजना	439.2	220 0	फरवरी, 82	जून, 87
16. कल्लाडा सिंचाई तथा वृक्षफसल विकास परियोजना (केरल)	160 0	60.0	जुलाई, 82	मार्च, 87
17. चम्बल (मध्य प्रदेश) सिंचाई परियोजना	61.8	31.0	दिसम्बर, 82	दिसम्बर, 86
18. सुवर्ण रेखा सिंचाई परियोजना	182.0	127.0	जनवरी, 83	दिसम्बर, 87
19. हरियाणा सिंचाई परियोजना (प्रावस्था-II)	300.0	150.0	23-3 1983 को हस्ताक्षरित	
20. उत्तर प्रदेश सरकारी नलकूप परियोजना (प्रावस्था-II)	182.6	101.0	31-3-1983 को हस्ताक्षरित	
अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से सहायता				
1. भीमा सिंचाई यरियोजना, महाराष्ट्र	100.0	50.0	दिसम्बर, 79	दिसम्बर, 85
2. राजस्थान नहर चरण-1, प्रावस्था-II	110.6	55.0	मार्च, 80	मार्च, 86
3. मध्य प्रदेश मध्य सिंचाई परियोजना	442.7	25.0	दिसम्बर, 81	मार्च, 87

चिल्का झील, उड़ीसा में झींगा और समुद्री मछली की संभावनायें

10792. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा की चिल्का झील में झींगा और समुद्री मछली की वर्तमान संभावनाओं के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि चिल्का झील के समुद्र की ओर के भाग में मिट्टी जमा हो रही है जिससे चिल्का में मछली और झींगा नहीं पकड़े जा सकते; और

(ग) क्या चिल्का में मत्स्य का उत्पादन बढ़ाने के लिये कोई प्रस्ताव या कदम उठाये गए हैं ?

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां। केन्द्रीय अन्तर्देशीय मात्स्यकी अनुसंधान संस्थान द्वारा चिल्का झील में मत्स्य तथा मात्स्यकी के सम्बन्ध में अन्वेषण किये गये हैं। संस्थान ने सुझाव दिया है कि झील की उत्पादकता में और सुधार लाया जा सकता है।

(ख) चिल्का झील एक कटान द्वारा बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। समुद्री जल के अन्दर आ जाने और बाढ़ के मौसमों में ताजे जल की अधिकता हो जाने से इस कटान की चौड़ाई प्राकृतिक तरीके से या तो तंग हो जाती है और या बढ़ जाती है। उड़ीसा सरकार ने बताया है कि इस समय चिल्का और समुद्र के संगम स्थल के निकटवर्ती स्थान पर दो निकास-स्थल हैं। कुल मछली पकड़ने में कोई कमी नहीं आई है।

(ग) चिल्का झील में मत्स्यन और झींगा मछली पालन की गतिविधियों के माध्यम से उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उड़ीसा मेरी टाइम और चिल्का क्षेत्र विकास निगम लि० की स्थापना की गई है।

उड़ीसा सरकार मुगंर मुख और चैनल क्षेत्र को गहरा करने और पेरीफेरल तालाबों में झींगा मात्स्यकी विकास परियोजना शुरू कर रही है।

खारे पानी में मछली पालने के विकास की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत, उड़ीसा सरकार से पुरी जिले में चिल्का झील के ब्रह्म गिरि क्षेत्र में लगभग 12 लाख रुपए की लागत से योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। 1982-83 के दौरान, अभिज्ञात क्षेत्र में प्राथमिक कार्य शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये की धनराशि दी गई हैं।

विश्व बैंक द्वारा उड़ीसा की सिंचाई परियोजना

के लिए प्रदान की गई वित्तीय सहायता

10793. श्री बृज मोहन महन्ती : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की :

(क) उड़ीसा की कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से कार्यान्वित की जा रही है ; और प्रत्येक परियोजना के संबंध में हुई प्रगति और पूरे होने की निर्धारित अवधि का ब्यौरा क्या है ;

(ख) उड़ीसा को किन-किन परियोजनों के बारे में विश्व बैंक के साथ बात-चीत चल रही है ; और

(ग) विश्व बैंक की वित्तीय सहायता के संबंध में मुख्य मार्ग निर्देश क्या है और क्या राज्य के पिछड़नेपन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवाप मिर्धा) : (क) उड़ीसा की निम्नलिखित परियोजनाओं का विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करके क्रियान्वयन किया जा रहा है :—

क्रम सं०	परियोजना का नाम	परियोजना की लागत (मिलियन डालर)	ऋण की राशि (मिलयन डालर)	करार की प्रभावी/तारीख तारीख	करार के समाप्त होने को तारीख
1.	उड़ीसा मध्यम सिंचाई परियोजना	116.0	58 मि०	जनवरी, 78	अक्तूबर, 83
2.	महानदी	110.3	83 मि०	फरवरी, 81	मार्च, 87

इन दोनों परियोजनाओं के लिए क्रमश: 52 मिलियन डालर और 5.2 मिलियन डालर के मूल्य-निर्धारण के अनुमानों के प्रति, 31 दिसम्बर, 1982 की स्थिति के अनुसार संचयी संवितरण 51 मिलियन डालर और 5.9 मिलियन डालर है। इन दोनों परियोजनाओं के क्रियान्वयन में हुई प्रगति सन्तोषजनक है।

(ख) द्वितीय उड़ीसा मध्यम सिंचाई परियोजना के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ शीघ्र बातचीत किए जाने की संभावना है।

(ग) परियोजनाओं का चयन करने के लिए स्थूल मार्गदर्शी सिद्धान्तों में, पिछड़ेपन तथा अपेक्षाकृत गरीब वर्गों को होने वाले लाभों और सूखा-प्रवण क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने का भी ध्यान रखा जाता है कि परियोजनाओं का क्षेत्रीय विस्तार समान रूप से हो ताकि कुछ राज्य बड़े लाभों से अनुपातहीन रूप से वंचित न रह जाएं। इस प्रकार चुनी गई परियोजनाओं की योजनागत प्राथमिकताएं दी जानी चाहिएं, और उन्हें इस प्रकार निश्चित किया जाना चाहिए जिससे कि उनसे अपेक्षाकृत निर्धन वर्गों को लाभ पहुंचे, बेहतर रोजगार के अवसर पैदा हों और उत्पादन में वृद्धि हो। अन्तिम चरणों में चयन, परियोजना की तैयारी की सम्बद्ध अवस्थाओं, राज्य की संगठनात्म क्षमताओं और निधि की उपलब्धता, विश्व बैंक की परियोजना का मूल्यांकन करने और उस पर कार्रवाई करने की क्षमता पर निर्भर करता है।

उड़ीसा की सिंचाई क्षमता

10794. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न साधनों से उड़ीसा की सिंचाई क्षमता कितनी है और 3 मार्च, 1983 तक की क्या उपलब्धि है ;

(ख) कौन-कौन सी सिंचाई परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रहीं है और उसके क्या कारण है ; और

(ग) कार्य की गति तेज करने के लिए क्या कदम उठाये गये ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) उड़ीसा को अन्ततः सृजनीय सिंचाई क्षमता तथा जून, 1983 तक प्रत्याशित उपलब्धि निम्नानुसार है :—

(हजार हैक्टेयर)

	अन्ततः सृजनीय क्षमता	जून 1983 तक उपलब्धि (प्रत्याशित)
बृहद और मध्यम	3600	1521
लघु सिंचाई	2300	856
जोड़	5900	2377

(ख) और (ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बृहद सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में कम से कम लगभग 10 वर्ष का समय लगता है, दो परियोजनाएं, अर्थात् आनन्दपुर बराज तथा महानदी बिरूपा बराज, जो पांचवीं योजना में आरम्भ की गई थीं, अनुसूची से पिछड़ रही हैं। तथापि, आनन्दपुर बराज निर्माण की अग्रिम अवस्था में है और इसके 1983-84 के दौरान पूर्ण हो जाने की संभावना है। महानदी बिरुपा बराज को भी विश्व बैंक की सहायता से 1986 तक पूर्ण करने के लिए अब एक समय बद्ध कार्यक्रम बनाया गया है।

झींगा मछली के उत्पादन में कमी

10795. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1981 और 1982 में देश में झींगा मछली के उत्पादन में कोई कमी आई है और यदि हां, तो कितनी और किस झींगा मछली उत्पादक राज्य में आई है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या प्रत्येक ऐसे राज्य में झींगा मछली उत्पादन की अधिकतम क्षमता के बारे में कोई आकलन किया गया है और यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) छठी योजना के दौरान उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां। देश में वर्ष 1980 की तुलना में वर्ष 1981 में झींगा मछली के उत्पादन में कमी आई है। राज्यवर आंकड़े विवरण में दिए गए हैं। वर्ष 1982 में झींगा मछली के उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। झींगा मछली के उत्पादन में कमी, यदि कोई हो, के कारणों का पता लगाने के लिए कुछ और वर्षों के उत्पादन के आंकड़े आवश्यक होंगे।

(ख) जी नहीं।

(ग) योजना के अंतर्गत मछली उत्पादन के किस्सवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। देश में समुद्री मछली, जिसमें झीगा मछली का उत्पादन भी शामिल है, में वृद्धि करने के लिए अपनाए गए विभिन्न उपायों में से कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं :—

1. विदेशी मत्स्यन जलयानों का आयात और भाड़े पर लेने के माध्यम से गहरे समुद्र में मत्स्य बेड़े में वृद्धि करना।

2. तटवर्ती मात्स्यकी का उपयोग करने के लिए चुने हुए क्षेत्रों में अतिरिक्त छोटी यंत्रीकृत नौकाएं चलाना।

3. झींगा और अन्य मछलियों के पालन के लिए खारे पानी वाले फार्मों के विकास हेतु 10 करोड़ रुपए से अधिक के कुल परिव्यय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नई योजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें समुद्री राज्यों का 1400 हैक्टार क्षेत्र भी शामिल होगा।

विवरण

भारत में झींगा मछली का उत्पादन

(मीटरी टनों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1980	1981 (पी)
आन्ध्र प्रदेश	10006	8191
गुजरात	15618	15481
कर्नाटक	9626	4973
केरल	54375	22445
महाराष्ट्र	128008	88775
उड़ीसा	4118	3687
तमिलनाडु	12984	11113
प० बंगाल	12000	14500
अंदमान	54	26
गोवा	2676	3624
लक्षद्वीप	—	—
पांडिचेरी	849	1060
जोड़ :	250314	173875

पी=अनन्तिम

गेहूं और गेहूं उत्पादों का बाजार से गायब हो जाने का समाचार

10796. **श्री बी वी देसाई** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और आटा पीसने की मिलों के लिये गेहूं के नये मूल्यों की घोषणा के बाद से खुले बाजार से गेहूं और गेहूं उत्पाद गायब हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अनाज के व्यापारी या तो वर्तमान बाजार मूल्य से अधिक मूल्य बताते हैं अथवा यह कहते हैं कि उनके पास गेहूं अथवा गेहूं उत्पाद नहीं है : और

(ग) यदि हां, तो उन्हें बाजार में उपलब्ध कराने के लिये सरकार क्या कदम उठ रही है और उसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) : जी नहीं ।

(ख) : ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि जोतों की चकबन्दी का अध्ययन

10797. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि जोतों की चकबंदी के मामले में विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश के संदर्भ देश में विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश अध्ययन से यह पता चला है कि इससे कृषि लागत में भारी कमी हुई है, उपज बहुतायत से बढ़ी है और अधिक लाभप्रद कृषि पैटर्न आरम्भ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह अध्ययन केवल पंजाब और हरियाणा तक सीमित रखा गया था अन्य राज्यों में नहीं; और

(ग) यदि हां, तो उस अध्ययन की मुख्य बातें क्या हैं; और क्या अन्य राज्यों में भी अध्ययन किया जायेगा ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) व (ख) : राष्ट्रमंडल सचिवालय, लन्दन के अनुरोध पर पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में जोतों की चकबंदी का मूल्यांकन

करने हेतु एक मामला अध्ययन किया गया था। उड़ीसा तथा बिहार में जोतों, की चकबन्दी का मूल्यांकन करने हेतु एक अन्य अध्ययन अभी किया जा रहा है।

(ग) अध्ययन की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई है।

यह अध्ययन दो राज्यों के तीन-तीन जिलों अर्थात पंजाब में फिरोजपुर, लुधियाना तथा होशियारपुर और उत्तर प्रदेश में मुज्जफर नगर द्योरिया तथा झाँसी तक ही सीमित था।

चकबन्दी के परिणामस्वरूप, चकबन्दी से पहले रखे गए 1.9 प्रतिशत के मुकाबले में 80 प्रतिशत काश्तकारों के पास एक ही चक था। चकबन्दी के अन्य मुख्य लाभ इस प्रकार हैं—

काश्तकारी की लागत में पर्याप्त कमी, फसल संबंधी गहनता में वृद्धि, अधिक लाभकारी फसल प्रतिमान की शुरूआत, बटाईदारों पर निर्भरता में कमी, यन्त्रीकरण तथा लघु सिंचाई जैसे कृषि आधारभूत ढांचे के विकास पर अधिक निवेश। चकबन्दी से पहले, बिखरी जोतों के कारण कुछेक काश्तकार बटाई के आधार पर अपने प्लाट अन्य काश्तकारों के देने के लिए मजबूर हो जाते थे। चकबन्दी के परिणामस्वरूप बटाईदारी के प्रतिमान में काफी कमी हो गई है। चकबन्दी के कार्यक्रम से भूमि के विकास को काफी लाभ पहुंचा है।

95 प्रतिशत उत्तर देने वालों ने महसूस किया था कि भूमि, मशीनरी तथा अन्य परिसम्पत्तियों पर लगाये गये निवेश में चकबन्दी के बाद काफी वृद्धि हो गई थी ताकि इसके साथ उत्पादन में भी वृद्धि हो सके।

इस निवेश के परिणामस्वरूप पूंजी तथा आधारभूत सुविधाओं का सृजन हुआ है।

इससे बीज तथा कृषि फसलों के उत्पादन के परिवहन में लगने वाले समय तथा लागत में काफी कमी हुई है। कटाई तथा गाहने से सम्बन्धित कार्य भी काफी सरल बन गए हैं।

चकबन्दी के परिणामस्वरूप, सड़कों, सिंचाई की नालियों, चरागाहों, गृह-स्थलों जैसी-जनसुविधाओं, सेवाओं तथा अन्य सुविधाओं की भी सुनियोजित व्यवस्था हो गई है।

मुकदमेबाजी में कमी करके ग्रामीण समुदाय में सद्भावपूर्ण सम्बन्धों के विकास और भूमिहीन मजदूरों को सामान्य जनसुविधाएं तथा अच्छे गृहस्थल मुहैय्या करके एक समन्वित सामुदायिक जीवन की सामान्य भावना के रूप में सामाजिक लाभ, हालांकि इन लाभों की संक्षेप में गणना नहीं की जा सकती है। इनमें गांव को सुनियोजित ढंग से बसाना, चक तथा सम्पर्क सड़कों और सुचारु सिंचाई की नालियों जैसी संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना भी शामिल है।

प्रशासनिक पक्ष के बारे में, अन्वेक्षणों से मालूम हुआ था कि जहां चकबन्दी कार्य पूरा हो गया था वहां नवीनतम तथा सही गांव के नक्शे और अभिलेख तैयार करने के कारण राजस्व प्रशासन सरल बन गया है और उन्होंने अभिलेखों को स्वत: ही लगभग नवीनतम बनाने के लिए

सतत प्रक्रिया शुरु कर दी ; परिणामस्वरुप, कठिन तथा खर्चीले बन्दोबस्त कार्य सरल तथा किफायती बन गए हैं ।

इससे भूमि अभिलेखों को तैयार करने तथा उनके रख रखाव से सम्बन्धित ग्रामीण स्तरीय कर्मचारियों का सामान्य कार्यभार भी कम हो गया है ।

खाद्यान्नों की बढ़ती हुई निकासी

10798. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों के दौरान केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की निकासी तेजी से बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस वर्ष जनवरी से इसकी निकासी 12·82 लाख टन से बढ़कर 14.86 लाख टन हो गईहै;

(ग) क्या अंतिम उपलब्ध आकड़ों से पता चलता है कि 1982 के दौरान निकासी बढ़ी थी और इस वर्ष जनवरी में निकासी और भी अधिक बढ़ी है;

(घ) क्या बढ़ती हुई निकासी और राज्यों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए खाद्यान्नों की आवश्यकता को पूरा करना बहुत ही कठिन हो जायेगा;

(ङ) इस विकट स्थिति से निपटने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है;

(च) क्या मार्च, अप्रैल, 1983 के दौरान केन्द्र द्वारा दक्षिणी राज्यों को गेहूं की अधिक सप्लाई की गयी और मई, 1983 के दौरान इस बारे में क्या योजना है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) से (ङ) : जी हाँ । जनवरी, 1983 में केन्द्रीय पूल से 1289·4 हजार मीटरी टन खाद्यान्नों की मासिक निकासी हुई थी, जोकि मार्च, 1983 में बढ़कर 1446.6 हजार मीटरी टन हो गई थी। केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों की निकासी 1981 के 11,854.9 हजार मीटरी टन से बढ़कर 1982 में 13,040.4 हजार मीटरी टन हो गई थी ।

केन्द्रीय पूल से आबंटन केवल अनुपूरक स्वरुप के होते हैं और उनका उद्देश्य समस्त जनसंख्या की खपत सम्बन्धी कुल आवश्यकताओं को पूरा करना कदापि नहीं है । खाद्यान्नों की सूझ-बूझ के साथ निर्मुक्तियां विनियमित कर केन्द्रीय पूल में स्टाक की समूची उपलब्धता के अन्दर रहते हुए राज्यों की यथासम्भव अधिकतम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जाते हैं ।

(च) एक विवरण संलग्न है जिसमें दक्षिणी राज्यों को मार्च से मई, 1983 तक और पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान केन्द्रीय पूल से गेहूं के किए गए आवंटनों का ब्यौरा दिया गया है ।

विवरण

दक्षिणी राज्यों को मार्च से मई, 1982 और 1983 के दौरान गेहूं के किए गए आवंटन

(हजार मीटरी टन में)

राज्य	1983				1982			
	मार्च	अप्रैल	मई	जोड़	मार्च	अप्रैल	मई	जोड़
आन्ध्र प्रदेश	29.50	29.50	29.50	88.50	14.50	14.50	14.50	43.50
कर्नाटक	27.00	27.00	27.00	81.00	25,00	25.00	25.00	75.00
केरल	24.00	29 00	34.00	87.00	8.00	8.00	8 00	24.00
तमिलनाडु	34.00	45.00	50.00	129.00	34.00	34.00	34.00	102.00
पांडिचेरी	0.27	0.27	0.27	0.81	0.27	0.27	0.27	0.81
लक्षद्वीप	—	0.04	—	0.04	—	—	—	—

कृषि उत्पादकों के निर्यात में वृद्धि

10799. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के प्रेसिडेन्ट ने सुझाव दिया है कि कृषि उत्पादकों के निर्यात में वृद्धि लाने के लिए कृषि में नियमित क्षेत्र का सहयोग लिया जाये;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्होंने इस बारे में अनेक उपायों का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने सुझावों पर विचार कर लिया है और उनको किस सीमा तक मंजूर किया गया है ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल महासंघ के अध्यक्ष की दिनांक 9 अप्रैल, 1983 के प्रेस विज्ञप्ति के उद्धरण विवरण में दिये गए हैं ।

(ग) कृषि मन्त्रालय द्वारा अभी तक कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं किया गया है ।

कृषि विकास जनसमुदाय के खपत के स्तर को सुधारने के लिए ही नहीं बल्कि निर्यात के लिए अतिरिक्त सृजन करने के लिए भी अत्यावश्यक है । सब्जियों, फलों और फूलों के संदर्भ में दूसरी बात विशेष रुप से महत्वपूर्ण है । यदि सरकार द्वारा उपर्युक्त सुविधाएं सुलभ करा दी जाएं तो विशेष तौर से भूमि सीमा अधिनियम से ऐसे फार्मों को छूट दिया जाता जो केवल निर्यात की आवश्यकता को पूरा करते हैं, तो निगमित क्षेत्र इस कार्य को करने का प्रयास करेगा ।

उड़ीसा में गाँवों कस्बों को पाइप द्वारा पानी की पूर्ति

10800. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) उड़ीसा में अब तक कितने गांवों/कस्बों को पाइपों द्वारा पानी उपलब्ध कराया गया है;

(ख) राज्य में 1983-84 में कितने गांवों/कस्बों को पाइपों द्वारा पानी उपलब्ध कराया जाएगा; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) : पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और राज्य सरकारों द्वारा राज्य बजट में किए जाने वाले प्रावधानों से योजनाएं बनायी जाती हैं और उनका कार्यान्वियन किया जाता है। केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्र पता लगाए गए समस्याग्रस्त गाँवों को पेय जल सुविधाएं जुटाने में अनुदान देकर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती हैं। केन्द्रीय सरकार लाभान्वित समस्याग्रस्त गांवों की संख्या के बारे में कार्यक्रम का प्रबोधन करती है और न कि उन योजनाओं के किस्म के अनुसार जिनके माध्यम से उन्हें लाभान्वित किया गया है। छठी योजना के दौरान उड़ीसा राज्य में लाभान्वित समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या इस प्रकार है—

1980-81	1981-82	1982-83
1630	2447	2291 (अस्थायी)

वर्ष 1983-84 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम दोनों के अन्तर्गत आंशिक कवरेज सहित 5060 समस्याग्रस्त गांवों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है।

राज्यों को चीनी का आवंटन

10801. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में (महीने-वार) विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से कुल कितनी चीनी आवंटित की गई;

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1982-83 में उड़ीसा को पर्याप्त
गई;

(ग) क्या सरकार का विचार 1983-84 में उड़ीसा और अन्य राज्यों को चीनी का आवंटन और अधिक करने का है; और

(घ) यदि हां, तो 1983-84 के वित्त वर्ष में उड़ीसा राज्य तथा अन्य राज्यों को चीनी के प्रस्तावित आवंटन का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पुर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) : अप्रैल 1982 से 1.3.1981 को जनसंख्या के लिए प्रति व्यक्ति 425 ग्राम के आधार पर लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटों का पुनर्निर्धारण किया गया था। कुछेक ऐसे राज्यों/संघ शासित प्रदेशों, जिनके अतीत के कोटों के आधार पर उनकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता अधिक बैठती थी, के मामलों में उनके कोटे कम करने की बजाए उन्हें अतीत के अधिक स्तर पर बरकरार रखा गया था। अप्रैल, 1982 से मई, 1983 तक आवंटित किए गए लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उड़ीसा सरकार को ऊपर उल्लिखित मापदण्डों के अनुसार अप्रैल, 1982 से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 11,166 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा प्राप्त हो रहा है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) उपर्युक्त की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता।

1.3.1981 को जनसंख्या के आधार पर प्रति व्यक्ति 425 ग्राम उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए राज्यवार अप्रैल, 1982 से मई, 1983 के दौरान आवंटित किए गए लेवी चीनी के मासिक कोटे को बताने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	1.3.81 को जनसंख्या	प्रति व्यक्ति 425 ग्राम उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए कोटा (मीटरीटन)	उन राज्यों के नाम जिनकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता अतीत के कोटे से (425 ग्राम से अधिक है
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	53403619	22696	
2.	असम	19902826	8459	
3.	मिजोरम	487774	207	

1	2	3	4	5
4.	बिहार	69823154	29675	
5.	गुजरात	33960902	14433	
6.	हरियाणा	12850902	5462	
7.	हिमाचल प्रदेश	4247569	1801	
8.	जम्मू तथा कश्मीर	5981600	2542	
9.	केरल	25403217	10796	
10.	मध्य प्रदेश	52131717	22156	
11.	महाराष्ट्र	62693898	26645	
12.	कर्नाटक	37043451	15743	
13.	नागालैण्ड	773281	340	नागालैन्ड 440 ग्राम
14.	उड़ीसा	26272054	11166	
15.	पंजाब	16669755	7085	
16.	राजस्थान	34102912	14494	
17.	तमिलनाडु	48297456	20526	
18.	उत्तर प्रदेश	110858019	47111	
19.	पश्चिम बंगाल	54485560	23156	
20.	अण्डमान और निकोबार	188254	190	अण्डमान और निकोबार 1009 ग्राम
21.	चण्डीगढ़	450061	275	
22.	दादरा तथा नगर हवेली	103677	44	चण्डीगढ़ 611 ग्राम
23.	दिल्ली	6196414	6104	दिल्ली 985 ग्राम
24.	गोआ, दमन और दीव	1082117	470	गोआ, दमन और दीव 434 ग्राम
25.	लक्षद्वीप	40237	65	लक्षद्वीप 1615 ग्राम
26.	मणिपुर	1433691	609	
27.	मेघालय	1327874	564	

1	2	3	4	5
28.	अरुणाचल प्रदेश	628050	267	
29.	पांडिचेरी	604136	257	
30.	त्रिपुरा	2060189	876	
31.	सिक्किम	315682	134	
	जोड़	683810051	294348	

आदिवासी क्षेत्रों में काजू के पेड़ लगाना

10802. **श्री मन मोहन टुडु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी क्षेत्रों में काजू के पेड़ लगाने पर अधिक जोर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा के किन-किन जिलों को काजू वृक्ष रोपण योजना के अधीन लाया गया है; और

(ग) उड़ीसा में चालू की गई काजू-परियोजना के माध्य से मयूरभंज जिले में अब तक आरंभ किये गये वृक्षारोपण कार्य का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) काजू के विकास के लिए पैकेज कार्यक्रम सम्बन्धी एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना सभी प्रमुख काजू उत्पादक राज्यों में चल रही है। विश्व बैंक की सहायता से एक बहु राज्य काजू परियोजना 1980-81 से 38 36 करोड़ रुपये की कुल लागत से आंध्र प्रदेश उड़ीसा, केरल और कर्नाटक राज्यों में चल रही है। जनजातियां भी इसी योजना के अन्तर्गत आती है।

(ख) उपर्युक्त योजनाओं के अधीन लाए गये जिले कटक, पुरी, गंजम, कोरापुट, धेन्कानाल मयूरभंज, सुन्दरगढ़, क्योझर और बालासोर हैं;

(ग) मयूरभंज जिले में काजू परियोजना के अन्तर्गत अब तक 608.42 हैक्टार क्षेत्र काजू के अन्तर्गत लाया गया है।

उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्र में कृषि विकास योजना

10803. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्र में कौन-कौन-सी कृषि विकास योजनाएं कार्यान्वित की जायेंगी;

(ख) उड़ीसा में उन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये केन्द्र द्वारा क्या सहायता दी जायेगी; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) उड़ीसा में कार्यान्वित की जा रही कृषि विकास

योजनाएं योजना आयोग में हुई 1983-84 की राज्य वार्षिक योजनाओं पर विचार-विमर्श करते समय योजना आयोग द्वारा समग्र राज्य के लिये मंजूर की गई थी, न कि क्षेत्र वार आधार पर।

(ख) तथा (ग) राज्य योजना में शामिल किए गए कार्यक्रमों के लिये राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता समग्र राज्य योजना के लिए दी जाती है और क्षेत्रीय आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार कृषि सहित योजना के विभिन्न क्षेत्रों में इसका वितरण करना राज्य सरकार का कार्य है।

"इकानामिक्स आफ हाउसिंग" विषय पर कार्यशाला

10804. **श्री भीकू राम जैन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में इस वर्ष 18 अप्रैल, को "इकानामिक्स आफ हाउसिंग इन इण्डिया" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था; और

(ख) उस कार्यशाला के निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) तथा (ख) : दि टाइम्स रिसर्च फाउण्डेशन जो एक गैर-सरकारी संगठन है, ने 18 अप्रैल, 1983 को नई दिल्ली में 'इकनामिक्स आफ हाउसिंग इन इण्डिया' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया था। टाइम्स रिसर्च फाउण्डेशन द्वारा प्रवर्तित भारत में इकनामिक्स आफ हाउसिंग के कुछ पहलुओं पर राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान की रिपोर्ट पर विचार इस कार्यशाला में किया गया था। आवास समस्याओं पर आम बहस की गई थी। बहस के दौरान सम्मिलित महत्त्वपूर्ण मुद्दे इस प्रकार थे :—

(1) आवास में वित्तीय अन्तः मध्यस्थता को सुदृढ़ बनाना।

(2) आवास क्षेत्र और संगठित पूंजी बाजार के मध्य घनिष्ठ अन्तः कार्रवाही।

(3) जनसंख्या के निर्धनतम खण्ड की वित्तीय आवश्यकताएं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में और निम्न आय तथा मध्यम वर्गों की वित्तीय आवश्यकतायें भी शामिल है।

(4) आवासीय वित्त के लिए अनौपचारिक क्षेत्र की आवश्यकता।

(5) लोगों के लिए अर्ध-संरचना ग्रहण करने तथा जम्बो गैट्रोस के बनिस्पत अर्ध-शहरी क्षेत्रों का विकास करने की सम्भावना।

(6) स्थानीय तथा कम कीमत की भवन निर्माण सामग्रियों के उपयोग का विकास।

गरीबों के लिए आवासीय स्थलों और निर्माण सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था

10805. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में किये गये पुनरीक्षण से पता चला है कि गरीबों को आवासीय-स्थलों और निर्माण-सहायता उपलब्ध कराने के निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त लक्ष्यों में काफी अन्तराल है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अब तक क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उसे कहां तक प्राप्त किया गया और इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) : ग्रामीण भूमिहीन कामगारों के लिए आवास स्थल तथा निर्माण सहायता की योजना को राज्य सरकारों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा नये 20-सूत्री कार्यक्रम के एक भाग के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसकी प्रगति की निकटता से प्रबोधन किया जा रहा है। छठी पंच-वर्षीय योजना में राज्यों के लिए विचार किए गये लक्ष्यों को अधिकतर राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किए जाने की सम्भावना है।

2. छठी पंचवर्षीय योजना में 68 लाख परिवारों को आवास स्थल का आबंटन तथा 36 लाख परिवारों को निर्माण सहायता देने का विचार है। छठी योजना के पहले तीन वर्षों की उपलब्धि लगभग 31.73 लाख परिवारों को निर्माण सहायता देने की है।

3. राज्य सरकारों ने कार्यान्वयन तथा प्रबोधन अभिकरणों को और सुदृढ़ किया है। 1983-84 के लिए योजना नियतनों को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा रहा है।

निजी आवास निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कार्यदल की सिफारिशों का कार्यान्वयन

10806. **डा० कृपा सिन्धु भोई** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों से, यह कहा गया है कि वे निजी आवासों का निर्माण किये जाने को प्रोत्साहित करें और निजी आवासों की बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्यदल की सिफारिसों को बढ़ावा देने सम्बन्धी कार्यदल की सिफारिशों को कार्यान्वित करें;

(ख) यदि हां, तो कार्यदल द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव के प्रति कितनी रुचि दिखाई और इस दिशा में, अब तक, राज्य-वार क्या प्रयास किये गये हैं ?

निर्माण और आवास उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) (ख) तथा (ग) : निजी आवास पर कार्यकारी दल की सफारिशों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है नामतः 'भूमि', वित्तीय मामले', 'कानूनी मामले' 'सांस्थानिक मामले 'तथा 'भवन निर्माण सामग्री'। क्योंकि आवास राज्य का विषय है, राज्यों से संगत सिफारिशों पर उचित कार्यवाही आरम्भ करने का अनुरोध पहले ही कर दिया गया है जिसमें सहकारी आवास क्षेत्र में सामूहिक आवास गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए अपार्टमेन्ट स्वामित्वाधिकार अधिनियम उन राज्यों

में प्रवृत्त करना शामिल है जहां यह फिलहाल प्रचलित नहीं है। अभी तक प्राप्त सूचना के अनुसार, अपार्टमेन्ट स्वामित्वाधिकार अधिनियम 7 राज्यों अर्थात् गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा कर्नाटक में लागू किया गया है।

चूंकि निजी आवास के क्षेत्र में सहकारी आवास एक प्रमुख भूमिका अदा करता है, राज्यों से पूर्वनिर्धारित दरों पर सहकारी आवास समितियों को भूमि आबंटित करने को भी कहा गया है। जहाँ तक दिल्ली का सम्बन्ध है, पूर्व निर्धारित दरों पर सहकारी आवास समितियों को भूमि आबंटित करने के लिए भूमि का बड़े पैमानें पर अर्जन, विकास तथा विक्रय की योजना में पहले यह प्रावधान है। दिल्ली में सामूहिक आवास समितियों को 2 एकड़ भूमि के आबंटन की सीमा भी हाल ही में हटा दी गई है। आवास प्रतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्त अधिनियम, 1982 में आवास सम्पत्ति से आय की संगणना में बहुत सी रियायतें अनुमेय है।

उड़ीसा में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन लाभान्वित हुये अनुसूचित जातियों जनजातियों के लोगो की संख्या

10807. **श्री लक्ष्मण मल्लिक** : क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा में वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कुल कितने लोग लाभान्वित हुए :

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभान्वित हुए लोगो की जिला-वार संख्या कितनी है : और

(ग) तत्संबंन्धी ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री हरिनाथ मिश्र) (क) से (ग) : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अधीन रोजगार सृजन के बारे में सूचना श्रम दिवसों के रूप में एकत्र की जा रही और न कि लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या के बारे में एकत्र की जा रही है। उड़ीसा में, इस कार्यक्रम के अधीन वर्ष 1981-82 में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए पैदा किया गया रोजगार 82.53 लाख श्रम दिवस था। वर्ष 1982-83 (दिसम्बर, 1982 तक) के दौरान यह 70.47 लाख श्रम दिवस है। केन्द्रीय सरकार के स्तर पर जिला-वार आंकड़े एकत्र नहीं किए जा रहे हैं।

भुलसवा गांव, जहांगीरपुरी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण

10808. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अप्रैल, 1976 में दिल्ली विकास प्राधिकरण ग्राम भुलसवा, जहाँगीरपुरी, मानक शाहपुरा में कृषि और अन्य भूमि का अधिग्रहण किया था;

(ख) क्या निर्मित मकानों को तोड़कर भी भूमि का अधिग्रहण किया था और यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके कारण तथा जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था, कितने लोगों को परेशानी हुई;

(घ) तब से कितने लोगों को मुआवजा दिया गया है और उनमें से कितनों को उस दृष्टि से वैकल्पिक आवासीय अथवा वणिज्यिक भू खंड दिये गये हैं;

(ङ) उन व्यक्तियों अथवा मृतकों के मामले में उनके कानूनी उत्तराधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें आवासीय वाणिज्यिक भू-खंड उपलब्ध नहीं कराये गए हैं और जिनके आवेदन अभी तक लम्बित पड़े हैं और उनके क्या कारण हैं; और

(च) उन्हें भू-खंड प्राथमिकता के आधार पर देने के लिए क्या विशिष्ट उपाय किये जा रहे हैं ;

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

भूमि और विकास कार्यालय में राजस्व की चोरी

10809. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री भूमि और विकास कार्यालय में राजस्व की चोरी के बारे में 11 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न सख्या 6734 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सम्पतियों के नाम क्या हैं जिनकी सतर्कता पट्टा सम्बन्धी फाइलें गुम हो गई थीं और वे किन-किन तारीखों को गुम हुई थीं तथा उनके गुम होने का कब पता चला और क्या अनुबन्ध में क्रम संख्या 25 पर सम्पति से सम्बन्धित सतर्कता फाइल सही सलामत और उपलब्ध हैं;

(ख) अनुबन्ध में सूचीबद्ध किये गये 26 मामलों में से किन-किन मामलों में अधिकारियों को आरोप-पत्र जारी किये गये थे, उनको स्थायी करने के आदेश को सीलबन्द लिफाफे में रखे गये थे, या इस में, शुरू से, अन्तर्ग्रस्त दो सहायक इंजीनियरों ने त्यागपत्र दे दिया । सेवानिवृत्ति मांगी थी ?

(ग) उन 26 मामलों में से प्रत्येक में दिनांक 15 जनवरी, 1982 से 14 जनवरी, 1983 के बीच भूमि किराये के अतिरिक्त अन्य प्रभारी के सम्बन्ध में वास्तव में कितनी धनराशि बशूल की गई जैसा कि लेखा लेजर में प्रविष्टि मौजूद है; और

(घ) क्रम संख्या 1 के अन्तर्गत सम्पति किस तारीक को दिल्ली विकास प्राधिकरण को अन्तरित की गई, और यदि क्रम संख्या 14 के अन्तर्गत मामले से सम्पति की किसी हानि की सूचना दी गई थी तो उक्त सम्पति में उस समय क्या टूट फूट पाई गई थी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जारही है तथा सभा पटल पर रखदी जाएगी।

भूमि और विकास कार्यालय में राजस्व की चोरी

10810. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या निर्माण और आवास मंत्री भूमि और विकास कार्यालय में राजस्व की चोरी के बारे में 11 अप्रैल, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6734 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उपरोक्त प्रश्न के उत्तर के अनुबन्ध में उल्लिखित 26 मामलों में से किस मामले में निरीक्षण अधिकारियों द्वारा पेश की गई निरीक्षण रिपोर्ट, दोबारा जांच करने से गलत पाई गई और तत्सम्बन्धी ब्यौरा और तारीखें क्या हैं;

(ख) क्या आवास के लिए पट्टे पर दिए गए मकानों में अतिरिक्त निर्माण के बारे में भूतपूर्व निर्माण, उत्पादन और पूर्ति मन्त्रालय को दिनांक 31 मार्च, 1981 को पत्र संख्या 2405-डब्ल्यू० आई० 151 में लिया गया निर्णय अब भी लागू है और क्या उक्त अनुबन्ध में दिये गये क्रम संख्या 2, 3, 5 और 9 के मामलों पर इस समय, उस निर्णय को लागू किया गया था; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) हानि के पता लगने के समय भूमि और विकास कार्यालय में सतर्कता अधीक्षक कौन था और किसने इन 26 मामलों के बारे में रिपोर्ट की थी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क), से (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

रामाकृष्णापुरम के टाइप चार के मकानों में सिंक और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था

10811. **श्री अनवर अहमद** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामाकृष्णापुरम के सैक्टर चार में कितने टाईप चार के मकान हैं जिनमें सरकारी सिंक, कालबेल और जादुई आंख का प्रबन्ध है;

(ख) उक्त सेक्टर के शेष टाइप चार के मकानों में सिंक आदि का प्रबन्ध कराने के लिए कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त सेक्टर में टाइप चार के मकानों में गैस स्लाबों का तत्काल प्रबन्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है जिसमें यह सुविधा पहले नहीं थी; और

(घ) उक्त सेक्टर के टाइप-चार के मकानों की चिमनियों को सीमेन्ट आदि से बन्द करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ताकि भूमितल के मकानों में चिमनी के नीचे रखी गैस या खाद्यों पर धूल या कीड़े मकोड़े आदि न पड़ें ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भगीरथ पत्रिका के लिए मंजूर किये गये पद

10812. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या सिंचाई मंत्री भगीरथ पत्रिका के लिए बनाये गये प्रथम तथा द्वितीत श्रेणी के पदों को भरे जाने के बारे में 22 दिसम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न सं० 4762 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की । करेंगे कि :

(क) भगीरथ पत्रिका के लिए मंजूर किये गये पदों को 1.9 1981 से न भरे जाने और आश्वासन दिये जाने के बावजूद उनको रिक्त रखे जाने के क्या कारण हैं तथा इस लापरवाही के

लिए उत्तरदायी व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित अन्य पत्रिकाओं के सम्पादकीय कर्मचारियों की भांति केन्द्रीय सूचना संवर्ग में भगीरथ पत्रिका के कर्मचारियों को भी शामिल करने के लिए किए गये निर्णय के अनुसरण में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) भगीरथ पत्रिका के लिए बनाये गये सभी पद कब तक भर दिये जायेंगे तथा केन्द्रीय सूचना संवर्ग में शामिल किए जायेंगे और यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) सम्पादक तथा सहायक सम्पादक, हिन्दी भगीरथ के पदों और कलाकार के पद के लिए, जो हिन्दी तथा अंग्रेजी भगीरथ, दोनों के लिए सामान्य है, भर्ती नियमों को कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके अन्तिम रूप दिया जा रहा है । भर्ती नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद, ये पद उनके उपबन्धों के अनुसार भरे जाएंगे । विभिन्न विभागों के बीच परामर्श की प्रक्रिया में कुछ समय लगा है और इन नियमों को अन्तिम रूप दिए जाने में हुए विलम्ब के लिए कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है ।

(ख) भगीरथ पत्रिका के कर्मचारियों को केन्द्रीय सूचना संवर्ग में शामिल करने का कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

(ग) भगीरथ पत्रिका के लिए स्वीकृत, रिक्त पड़े पदों को शीघ्रता से भरने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं ।

टाइप चार के क्वार्टरों के बरांडों को कवर करना

10813. **श्री अनवर अहमद** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टाइप चार क्वाटरों के आबंटियों की, 'ग्लेज्ड पार्टिशन' से बरांडा को कवर करने अर्थात खिड़की, दरवाजे और ग्रिल से करने की, जैसा कि केवल एक दरवाजा, एक खिड़की को इससे कवर करने और बाकी को ईट गारे आदि से भरने के स्थान पर पहले किया जा रहा था, मांग स्वीकार करने में क्या परेशानी हैं;

(ख) बरांडा कवर करने की आबंटियों की मांग को स्वीकार करने में सरकार को एक या अधिक वर्ष क्यों लग रहे हैं और लक्ष्मी बाई नगर तथा आर० के० पुरम के सेक्टर 4 के टाइप चार के क्वार्टरों में बरांडों को 'ग्लेज्ड पार्टिशन' से कवर कराने में अथवा आबंटनी जैसे कवर कराना चाहता हो, यह कार्य को शीघ्रता से करने के लिये क्या कदम उठाये जाने हैं; और

(ग) बुरी तरह कमजोर पिछले दरवाजों और खिड़कियों के फ्रेमों, जिनमें इस समय जाली लगाकर कमजोर तार 'जैल' लगाये गये हैं; को मजबूत करने और उपरोक्त क्वार्टरों के पिछले बंरांडों में वर्षा का पानी घुसने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

निर्माण और आवास उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क), (ख) तथा (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

नाफेड द्वारा तिलों के बीजों का निर्यात

10814. श्री भीखा भाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाफेड ने मई से अगस्त, 1982 तक की अवधि में अमेरिका को जिन तिल के बीजों का निर्यात किया था वे अकास बेल के बीज (डाडर सीड) से प्रदूषित थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसके परिणामस्वरूप भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले तिल के बीजों की सभी खेपों को भेजने पर रोक लगा दी गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रदूषित माल के कारण नाफेड अमेरिका में एक भी टन आकाश बेल के बीज बेचने में असमर्थ रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या तिलों के इस लेन-देन के कारण सरकार की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है और कई करोड़ रुपये का घाटा हुआ है ?

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) (क) 31-3-82 से अमरीका द्वारा लगाये गये यह प्रतिबन्ध कि धान, चावल और छिलके की मिलावट वाले राम तिलों की खेप को अमरीका में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी, के परिणामस्वरूप, नाफेड के राम तिलों की खेप को अमरीका में भेजने सम्बन्धी समस्या का सामना करना पड़ा।

(ख) जी नहीं। भारत से अमरीका को राम तिलों की खेप भेजने सम्बन्धी कोई सामान्य प्रतिबन्ध नहीं है।

(ग) 1982-83 के दौरान नाफेड ने अमरीका को लगभग 3464 मीटरी टन राम तिलों का निर्यात किया है। 1983 के प्रारम्भ में अमरीका ने एक नया विनियमन लागू किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात की ओर ध्यान दिया गया है कि अमरीका को दिया जाने वाला रामतिलों का समूचा आयात 'आकाश' बीज से मुक्त होना चाहिये। 1983-84 में अभी तक अमरीका को रामतिलों का कोई निर्यात नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम के श्रेणी तीन कर्मचारियों को

अग्रिम वेतनवृद्धि

10815. **श्री भीखा भाई : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** भारतीय खाद्य निगम के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को अग्रिम वेतनवृद्धि के बारे में 16 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2534 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को 5 वर्ष की सेवा के बाद अग्रिम वेतनवृद्धि प्रदान करने और इस सम्बन्ध में उन्हें सहायक मैनेजर के बराबर लाने तथा श्रेणी चार में सभी ग्रेडों हेतु इसी योजना को लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भगवत झा आजाद) भारतीय खाद्य निगम में सहायक प्रबन्धकों को अतिरिक्त वेतन-वृद्धि देने की योजना शुरू की गई थी ताकि वरिष्ठ सहायक प्रबन्धक के पद को समाप्त होने के कारण पदोन्नति सम्बन्धी सम्भावनाओं की हानि की

उन्हें क्षतिपूर्ति की जा सके । श्रेणी 3/4 के कर्मचारियों से सम्बन्धित मामला इसके समान नहीं है ।

तथापि, निगम ने 8 वर्ष की सेवावधि पूरा करने के बाद श्रेणी 3 के कर्मचारियों को एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि देने का निर्णय किया है । कुछ शर्तें पूरी करने पर श्रेणी 4 के कर्मचारियों के लिए 1-1-1980 से सेलेक्शन ग्रेड शुरू किया जा चुका है ताकि उनमें से सभी इसके अन्तर्गत आ सकें ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के कल्याण

के लिए अध्ययन दल का गठन

10816. **श्री भीखा भाई : क्या संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कभी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच संकृतियों, बोलियों, लोक-संगीत, लोक-गाने, लोक-नृत्य, परिधानों, वनों में एकान्त जीवन-यापन के मूल अन्तरो को समझा है;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी समस्याएं जो एकदूसरे से भिन्न हैं, दूर करने की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस की जाती है; और

(ग) आदिवासियों के कार्यों की पृथक-पृथक देखभाल करने के लिए अध्ययन दल क्यों नहीं गठित किए जाते ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच साँस्कृतिक अन्तर से अवगत है;

(ख) दोनों समुदायों की समस्याओं का अध्ययन किया गया है और उपयुक्त समाधान प्रयुक्त किए जा रहे हैं; और

(ग) छठी योजना अवधि के दोरान जनजाति विकास के लिए कार्यकारी दल, इसी योजना अवधि के दौरान अनुसूचित जातियों के विकास पर कार्यकारी दल से भिन्न था । उन्होंने भिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं ।

राजस्थान में आदिवासियों तथा कमजोर वर्गों के लोगों

को अतिरिक्त भूमि का आवंटन

10817. **श्री जयनारायण रौत : क्या ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में, वर्ष 1982-83 में आदिवासियों /समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को अतिरिक्त भूमि के आवंटन का लक्ष्य क्या है;

(ख) क्या उक्त लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत, राजस्थान में वर्ष 1983-84 के लिए क्या लक्ष्य रखा गया है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मन्त्री(श्री हरिनाथ मिश्र)(क) व (ख) गाँव के भूमिहीन श्रमिकों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए फालतू भूमि के वितरण में प्राथमिकता देने हेतु राजस्थान में भूमि की अधिकतम सीमा कानून के तहत प्रावधान है । इस प्रकार, भूमिहीन श्रमिकों की इन श्रेणियों के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को इससे पहले वितरित की गई फालतू भूमि का काफी भाग प्राप्त हुआ है । इस प्रकार पहले बितरित किए गए कुल 1,32 000 एकड़ फालतू क्षेत्र में से अनुसूचित जातियों के सदस्यों को 45,000 एकड़ से अधिक और अनुसूचित जन-जातियों के सदस्यों को लगभग 17,000 एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी । इन वर्गों के लाभभोगियों के मुकाबले में क्रमश: 11,600 तथा 4,200 है । अप्रैल, 1982 तथा मार्च, 1983 के बीच 10,000 एकड़ के लक्ष्य के मुकाबले में 17,800 एकड़ फालतू भूमि वितरित की गई है ।

(ग) 1983-84 के दौरान वितरण के लिए 12,000 एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।

राजस्थान में सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम की क्रियान्विति

10818. **श्री जय नारायण रौत** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के उन जिलों के नाम क्या है जहाँ सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) उपरोक्त प्रयोजन के लिए केन्द्र द्वारा कितनी राशि मंजूर की गई है; और

(ग) उन जिलों में क्या-क्या राहत उपाय करने का विचार है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम को अजमेर बंसवाड़ा, डूंगरपुर तथा उदयपुर जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है ।

(ख) केन्द्र सरकार ने 1983-84 के लिए इन जिलों में इस कार्यक्रम हेतु 135 लाख रुपए का आबंटन किया है । राज्य सरकार द्वारा इतनी ही धनराशि दीं जानी है ।

(ग) राज्य में सूखे की स्थिति से निपटने के लिये भारत सरकार ने चालू वर्ष (जून, 1983 तक) के लिए 13.16 करोड़ रुपये के व्यय की अधिकतम सीमा संस्वीकृत की है । जब तक केन्द्रीय दल जो राज्य का शीघ्र ही दौरा करने वाला है, की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक राज्य में व्याप्त सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य को 11 करोड़ रुपये का अग्रिम भी दिया गया है । ये निधियां राज्य में सूखाग्रस्त क्षेत्रों के विकास के लिए किए गए साभान्य प्रावधानों के अतिरिक्त हैं ।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अनियमितताएं

10819. **श्री जय नारायण रौत** : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में अनियमितताएं की गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो सत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सही लाभार्थियों को इन कार्यक्रमों के लाभों से वंचित नहीं होना चाहिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

ग्रामीण विकास मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) (क) जी नहीं। राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यान्वियन में अनियमितताओं की कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

खेलो में राष्ट्रीय प्रतिभा

10820. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न खेलों में राष्ट्रीय प्रतिभा का पता लगाने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, इस पर प्रति वर्ष कितनी धनराशि खर्च होती है; और

(ग) प्रतिभाशाली युवा भारतीयों के प्रशिक्षण देने हेतु खेलो सम्बन्धी बजट व्यय का कितने प्रतिशत इसके लिए आवंटित किया जाता है ?

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) से (ग) विवरण संलग्न है।

विवरण

खेल एक राज्य विषय होने के नाते राज्य सरकारें और/अथवा राज्य खेल परिषदें खेल प्रतिभा मालूम करने और पोषित करने के लिए कदम उठाती हैं। तथापि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों के प्रयासों को अनुसरित करने के लिए कई योजयाएं शुरू की हुई है जिनका विशिष्ट लक्ष्य विभिन्न खेलों में खेल प्रतिभा मालूम करना है तथा उन्हें प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करना है। इस संबंध में निम्नलिखित योजनाएं उल्लेखनीय हैं :

(1) राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत राज्यों की राजधानियों और अन्य स्थानों पर 25 क्षेत्रीय खेल प्रशिक्षण केन्द्रों का एक जाल बिछा हुआ है जिसमें नौजवानों को खेल प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए 700 खेल प्रशिक्षकों का एक संवर्ग है।

(2) अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न खेलों में प्रतिभावान पुरुष तथा महिला खिलाड़ी मालूम करने की दृष्टि से विशेष प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए चुनिन्दा विश्वविद्यालय में "स्नापप्स के फील्ड स्टेशन्स" (राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थानों की सोसायटी) स्थापित करना;

(3) राज्य सरकारों द्वारा प्रयोजित स्कूली छात्रों को क्रमशः वार्षिक 600/-रु० और 900/-रु० मूल्य की 800 राज्य स्तर पर और 400 राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा खेल छात्र-वृत्तियां प्रति वर्ष दी जाती हैं ।

(4) प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालयों द्वारा प्रायोजित प्रतिभावान कालेज तथा विश्वविद्यालय छात्रों को प्रतिवर्ष प्रति छात्र 1200/-रु० मूल्य की 100 खेल प्रतिभा छात्रवृत्तियां दी जाती हैं ।

(5) कालेज और अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताएं विश्वविद्यालय छात्रों के लिए प्रशिक्षण-व-प्रतियोगिता शिविर आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता ।

(6) केन्द्रीय वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय स्तर पर वार्षिक ग्रामीण खेल प्रतियोगिता और इससे पूर्व खण्ड, जिला और राज्य स्तरों पर ऐसी प्रतियोगिताओं का आयोजन ।

(7) केन्द्रीय वित्तीय सहायया से महिलाओं के लिए वार्षिक राष्ट्रीय खेल समारोह और इससे पूर्व खण्ड, जिला और राज्य स्तरों पर समारोह का आयोजन ।

(8) उप जूनियर और जूनियर प्रतियोगिताओं के आयोजन के लिए राष्ट्रीय खेल संघों को वित्तीय सहायता ।

(9) होनहार युवकों के लिए प्रशिक्षण शिविरों के लिये राज्य सरकारी/राज्य खेल परिषदों के लिए वित्तीय सहायता ।

(10) अनुमोदित अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने से पूर्व भारतीय पुरुष तथा महिला खिलाड़ियों के लिए विशेष राष्ट्रीय स्तर प्रशिक्षण शिविर ।

1982-83 के दौरान उपरोक्त सूचीबद्ध कार्यक्रमों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल बजट का लगभग 27 प्रतिशत अर्थात् 125.85 लाख रुपये की राशि खर्च की गई थी । इसमें वह खर्च शामिल नहीं है जो 1982 में भारत द्वारा आतिथ्य IX एशियाई खेलों के लिए भारतीय प्रार्थियों के विशेष प्रशिक्षण और शिक्षण पर किया गया था ।

बिना पेय-जल सुविधा के गांव

10821. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री कि :

(क) देश में कुल कितने गांव हैं;

(ख) कितनों में अभी तक पीने के पानी की सुविधा नहीं है; और

(ग) सभी गांवों में पीने के पानी की सुविधा कब तक हो जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ (क) 1971 की जन गणना के अनुसार, देश में लगभग 5.76 लाख ग्राम हैं।

(ख) फरवरी, 1983 के अन्त तक अभी भी लाभान्वित किए जाने के लिए शेष ग्रामों की संख्या लगभग 1.39 लाख है।

(ग) छठी योजना के अन्त तक स्वच्छ पेय जल के कम से कम एक स्रोत सहित सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभान्वित करने का प्रयास है। ग्रामीण जनसंख्या को समग्र रूप से मार्च, 1991 तक लाभान्वित करने का विचार है।

उड़ीसा में मत्स्य बीज निगम

10822: **नित्यानन्द मिश्र: क्या कृषि मन्त्री तह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या उड़ीसा में विश्व बैंक की सहायता से एक मत्स्य बीज निगम, बीज उत्पादन केन्द्र और मत्स्य प्रजनन केन्द्र की स्थापना की जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्ससंम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह केन्द्र उत्पादन कब आरम्भ करेंगे ?

कृषि मन्त्री (श्री राव वीरेन्द्र सिंह) (क) जी हां

(ख) विश्व बैंक की सहायता से अन्तर्देशी मात्स्य की परियोजना केन्द्र अन्तर्गत डिम्पोना हैचरियों/फार्मों के निर्माण एवं प्रचालन के लिए उड़ीसा में एक डिम्पोना विकास निगम की स्थापना की गई है। उडीसा डिम्पोना विकास निगम ने उडीसा के बोलनगिरी जिले में बीनिका (10 हैक्टार के आकार) तथा सम्बलपुर जिले में चिपलीमा (10 हैक्टार के आकार) में डिम्पोना उत्पादन केन्द्र/मछली प्रजनन केन्द्रों के निर्माण का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है। बालासोर जिले में सारामंगा (14 हैक्टार के आकार) में तीसरे डिम्पोना उत्पादनकेन्द्र/मछली प्रजनन केन्द्र के निर्माण के लिए निविदाएं जारी की गई हैं। चौथे तथा पांचवें डिम्पोना उत्पादन केन्द्र/मछली प्रजनन केन्द्र के लिए स्थान का चयन करने, योजनाएं तैयार करने तथा प्राक्कलन लगाने संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। बीनिका तथा चिपलीमा स्थिति डिम्पोना उत्पादन केन्द्र/मछली प्रजनन केन्द्रों के जुलाई-अगस्त, 1983 के दौरान आगामी मछली प्रजनन मौसम में आंशिक रूप से उपयोग किए जाने की संभावना है।

बंधुआ सिंचाई परियोजना, उड़ीसा

10823 **श्री नित्यानन्द मिश्र**: क्या **सिंचाई** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उड़ीसा में बंधुआ सिंचाई परियोजना के संशोधित अनुमानों को अनुमोदित कर दिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) बधुआ सिंचाई परियोजना (चरण-I तथा II) का संशोधन अनुमान योजना आयोग द्वारा अप्रैल, 1983 में अनुमोदित किया जा चुका है ।

(ख) संशोधित परियोजना पर 6.35 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है और उस में 7440 हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की परिकल्पना की गई है । परियोजना के चरण-I में सुनेई पर एक व्यपवर्तन वीयर का निर्माण तथा बाएं तट पर लगभग 2790 हैक्टेयर क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधाओं की व्यवस्था करना शामिल है । परियोजना के चरण-II में, उड़ीसा के गंजम जिले में रुशिकुल्या नदी बेसिन में धनई नदी की एक सहायक नदी, बधुआ नदी पर मिट्टी के एक बांध का निर्माण परिकल्पित है। इस परियोजना से पहले ही पूर्ण किए जा चुके चरण-I के अन्तर्गत, बाएं तट पर लगभग 2790 हैक्टेयर क्षेत्र में वर्तमान सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने के अलावा, दाएं तट पर 4650 हैक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई की व्यवस्था होगी ।

दिसम्बर, 1981 में संयुक्त प्रबन्धक (सामान्य) के पद

10824. **श्री हीरा लाल आर० परमार:** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने दिसम्बर, 1981 में संयुक्त प्रबन्धक (सामान्य) के 4 पदों का विज्ञापन दिया था और उनमें से एक पद अनुसूचित जाति और एक पद अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित था;

(ख) क्या इन पदों को भरे जाने के लिए 1983 के शुरू में साक्षात्कार आयोजित किये गये थे;

(ग) यदि हां, तो इतने लम्बे समय बाद उम्मीदवारों को बुलाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या साक्षात्कार आयोजित करने के पश्चात् पदों की संख्या बढ़ाई गई है;

(ड.) यदि हां, तो कितने पदों के लिये पैनल पैयार किया गया था; और वर्ष-वार कितने पद खाली हुए/नए सृजित हुए ;

(छ) क्या पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है; और

(ज) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आज़ाद): (क): जी हां, यह विज्ञापन जनवरी, 1982 में प्रेस में छपा था ।

(ख) : जी हां।

(ग) : संयुक्त प्रबन्धक (सामान्य) के पदों के अलावा अन्य संवर्गों/ग्रेडों के विभिन्न पदों के लिए भी जनवरी, 1982 में साथ-साथ विज्ञापन दिए गये थे। आवेदन पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तारीख 6 मार्च, 1982 थी और लगभग 4,000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इतने अधिक आवेदन पत्रों पर विचार करने, जिनमें इन्हें अलग करने, डायरी करने, पोस्टल आर्डर को भुनाने के लिए अलग रखने और इस प्रयोजन के लिये नियुक्त जांच समिति द्वारा जांच करने का कार्य शामिल था; में काफी समय लग गया। इसके अलावा सैलेक्शन बोर्ड, जिनमें सीनियर इक्जेक्यूटिव और निदेशक बोर्ड के कुछ सदस्य और निगम से बाहर के एक्सपर्ट/विशेषज्ञ शामिल होते हैं, की बैठकों की उनकी सुविधानुसार व्यवस्था करनी पड़ी थी और इससे भी देर हुई थी।

(घ) जी नहीं।

(ङ.) प्रश्न ही नहीं उठता।

(च) सैलेक्शन बोर्ड की सिफारिशों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है क्योंकि इस समय यह मामला न्यायाधीन है।

(छ) जी नहीं।

(ज) प्रश्न ही नहीं उठता।

बाजरा, ज्वार, मक्का और रागी के उत्पादन में स्थिरता

10825. **श्री टी. एस. नेगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजरा, ज्वार और मक्का, रागी और छोटे बाजरे (मिलेट) का पिछली चार योजनाओं के दौरान प्रति हैक्टार सबसे अधिक उत्पादन किस वर्ष में हुआ था और यह प्रति हैक्टार उत्पादन कितना है तथा उत्पादन में इस गिरावट अथवा स्थिरता के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उत्पादन में यह गिरावट कृषि पर पिछले पैंतीस वर्षों से औसतन प्रति 100 करोड़ रुपये खर्च करने, और भारतीय कृषि अनुसंधान प्रणाली का संसार में दूसरा स्थान होने के बावजूद आई है,

(ग) क्या सरकार अत्यावश्यक राष्ट्रीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश के कृषि अनुसंधान पर पुनर्विचार करेगी और

(घ) क्या सरकार कृषि अनुसंधान का कार्य प्रतिभाशाली, समर्पित और प्रेरक नेतृत्व के सौंप कर भारत को वास्तविक विनाश से बचायेगी ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) बाजरा, ज्वार मक्का, रागी और छोटे कदन्नों के मामले में प्राप्त की गई उच्चतम उपज की दरें और इसकी उपलब्धि का वर्ष तथा इन फसलों के बारे में उपलब्ध उपज की नवीनतम दरें संलग्न **विवरण** में दी गई हैं। ये फसलें अधि-

कांशत. वर्षा सिंचित क्षेत्रों में बोई जाती हैं और हर वर्ष इनकी उपज में उल्लेखनीय उतार-चढ़ाव होता रहता है। 1980-83 के दौरान प्रति हैक्टार उच्चतम ऊपज चावल, गेहूं, जौ, तम्बाकू, पटसन. मूंगफली, रामतिल, कुसुम; धान्यों कुल खाद्यान्नों और कुल तिलहनों के मामले में प्राप्त की गई। इस अवधि के दौरान कुल धान्यों, कुल खाद्यान्नों, कुल तिलहनों, गेहूं गन्ना, सरसों, मूंगफली, अरहड़, पटसन आदि का भी रिकार्ड स्तर का उत्पादन हुआ। छोटे कदन्नों को छोड़कर उपरोक्त (क) में उल्लिखित फसलों के मामले में भी, 1950-51 की तुलना में 1981-82 के उत्पादन स्तर ज्यादा ऊंचे थे जैसाकि निम्नलिखित से स्पष्ट है :—

उत्पादन (दस लाख मीटरी टन)

फसल	1950-51	1981-82
बाजरा	2.60	5.32
ज्वार	5.50	11.57
मक्का	1.73	6.76
रागी	1.43	2.93
छोटे कदन्न	1.75	1.70

छोटे कदन्नों के मामले में 1950-51 की तुलना में 1981-82 के दौरान क्षेत्र में 15 प्रतिशत की कमी आई।

(ग) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये कृषि अनुसंधान की समीक्षा पंचवर्षीय समीक्षा दलों, समीक्षा समितियों, कार्यशालाओं, वैज्ञानिकों के पेनलों आदि के माध्यम से समय-समय पर पहले से ही की जा रही है।

(घ) जैसाकि भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तरों से स्पष्ट है कि भारतीय कृषि ने 1980-83 के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति की है। सरकार ने कृषि अनुसंधान का कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद समिति के अध्यक्ष जिसे विख्यात वैज्ञानिकों के समर्पित दल की सहायता प्राप्त है के, गतिशील नेतृत्व को पहले से ही सौंप रखा है। भारत के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किये गए कार्य और भारतीय कृषि द्वारा की गई प्रगति की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सराहना की गई है।

विवरण

धान्यों की उपज का स्तर

(उपज-किलोग्राम हैक्टार)

उपलब्ध की गई उच्चतम उपज

	फसल	वर्ष	प्राप्त की गई उपज	1981-82 की उपज
1.		2	3	4
1.	बाजरा	1970-71	622	456
2.	ज्वार	1977-78	739	716

1	2	3	4
3. मक्का	1970-71	1279	1146
4. रागी	1978-79	1183	1118
5. छोटे-कदन्न	1977-78	453	441

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों का अन्तरण

10826. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक केन्द्रों ओ० आर० पी०, के० वी० के० ए० टू० एल जैसे प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के, जोकि परस्पर काफी और एक जैसे हैं, का गहराई से पुनरीक्षण किए बिना नैमित्तिक रूप से अनेक अन्तरण कर रहा है ;

(ख) क्या प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अन्तरण कार्य का पुनर्गठन करने और इसे सुदृढ़ बनाने के लिए उच्च स्तरीय मूल्यांकन किया जाएगा ; और

(ग) क्या सरकार ऐसे कार्यों का कृषि विश्वविद्यालयों को अन्तरण करने पर विचार करेगी क्योंकि इनके पास इन कार्यों का सुदृढ़ आधार है और ऐसे कार्यों के लिए व्यापक व्यवस्था है ताकि व्यर्थ के दोहरेपन और सीमित संसाधनों की व्यर्थता से बचा सके ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं, श्रीमान्। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने प्रमुख विस्तार गतिविधियों के लिए कुछ प्रोद्योगिकी स्थानान्तरण की प्रायोजनायें प्रारम्भ की हैं जो उत्प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करती हैं। इन प्रयोजनाओं के उद्देश्य ये हैं।

(i) कृषकों और विस्तार कर्मचारियों को जानकारी देने के लिए नवीनतम कृषि और सम्बन्द्ध प्रौद्योगिकियों की अधिकतम उत्पादन क्षमता का प्रदर्शन करना (ii) शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्थानों के लिए ये क्षेत्र-प्रयोगशालाओं के रूप में कार्य करती हैं और (iii) वैज्ञानिकों के लिए पुनर्विवेशन यांत्रिकी प्रदान करना। इनमें से प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण की योजना एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए तैयार की जाती है। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय प्रदेर्शन-अधिकतम कृषि उत्पादकता के लिए और उन्नत प्रौद्योगिकियों के उत्पादन क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए गति प्रदान करता है। परिचालन अनुसंधान प्रयोजनायें जल विभाजक आधार पर विशिष्ट समस्याओं से सम्बन्धित उन्नत प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाती हैं। प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे और सीमान्त कृषकों और कृषि श्रमिकों की आर्थिक स्थिति सुधारना और कृषि विज्ञान केन्द्र कृषकों और मछुआरों के लिए व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान के रूप में कार्य करता है। इन प्रयोजनाओं का विशेषज्ञ दलों और समितियों द्वारा उपयुक्त अवसर पर मूल्यांकन और समीक्षा की जाती है जिससे कि उनकी प्रगति का मूल्यांकन किया जा सके,

उनके सम्मुख उपस्थित होने वाली कठिनाइयों को जाना जा सके और भविष्य के लिए नीतियाँ तैयार की जा सकें।

(ख) जी नहीं, श्रीमान। समीक्षा और मूल्यांकन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण प्रायोजनाओं की प्रमुख विशेषतायें हैं।

(ग) इसका प्रश्न ही नहीं उठता। सभी प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण प्रायोजनायें कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य के कृषि विभागों और प्रसिद्ध स्वैक्षिक संगनों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं।

महानगरों में जन परिवहन प्राणली के लिए एकल समेकित प्राधिकरण

10827. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटिक्चर द्वारा किए गए एक अध्ययन में सिफारिश की गई है कि महान नगरों में बसों और रेलवे सहित समस्त जन परिवहन प्रणाली को बेहतर सेवा के लिए एकल समेक्ति प्राधिकरण के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और प्रभावी योजना, प्रशासन और प्रणाली को वित्त प्रदान करने हेतु एकल प्राधिकरण के प्रस्ताव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या अध्ययन में यह भी दर्शाया गया है कि वर्तमान किराया ढ़ांचा प्रभावी नहीं क्योंकि प्रचालन लागत, शामिल नहीं है ;

(घ) यदि हाँ, तो इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा मामले के तथ्य क्या हैं ; और

(ड.) परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) दिल्ली स्कूल आफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर द्वारा इस प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया था। तथापि, स्कूल के दो विद्वानों द्वारा किए गए शोध कार्य में इस आशय से सिफारिश की गई थी कि दिल्ली में एक सामान एकीकृत परिवहन प्राधिकरण स्थापित करना आवश्यक था।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ड.) राष्ट्रीय परिवहननीति समिति ने महानगरों में एकल परिवहन प्राधिकरण स्थापित करने की सिफारिश की है। सरकार ने सिफारिश को इस संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया है कि इस प्रकार की शहरी रेल सेवाएं जो उन भागों में चलती हैं जहां ट्रंक रेलवे भी चलती है, वहां से सम्बन्धित रेलवे प्रशासन ही के अंग रहेंगी। राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया

जा रहा है क्योंकि नगर परिवहन राज्य का विषय है ।

उत्तर प्रदेश में सूखा

10828. **श्री जैनुल बशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सूखा से अधिक ग्रस्त है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त तथ्य के बावजूद उत्तर प्रदेश को सूखा राहत के लिए कोई धनराशि आबंटित नहीं की गई है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को सूखा राहत दिये जाने के बारे में विचार के लिए कोई अभ्यावेदन दिया है ;

कृषि मंत्री (राव धीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई, 1982 के अन्त में सूखा के संबंध में ज्ञापन प्रस्तुत किया था । उसके बाद राज्य के कई जिलों में व्यापक वर्षा हुई, जिससे सूखे की स्थिति से छुटकारा मिला । केन्द्रीय दल, जिसने सितम्बर, 1982 के अन्त में राज्य का दौरा किया, को पता चला कि राज्य सरकार द्वारा सूखा राहत के लिए कोई राहत कार्य नहीं किया गया तथा जिन क्षेत्रों में अगस्त/सितम्बर, 1982 में बर्षा हुई, उनका कोई जायजा नहीं लिया । अतः सूखे के लिए कोई केन्द्रीय सहायता मंजूर नहीं की गई थी ।

राज्य ने इस वर्ष के आरम्भ में सूखा राहत सहायता के लिए अनुरोध किया है, परन्तु आजतक कोई ज्ञापन प्रस्तुत नहीं किया है ।

केन्द्रीय जल आयोग में अधिकारियों को स्थानान्तरित किया जाना

10829. **श्री सोमजी भाई डामौर**
डा० वसंत कुमार पंडित] क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल आयोग के उप-निदेशकों, निदेशकों, कार्यकारी इंजीनियरों और सुपरिटेंडेंट इंजीनियरों का एक नगर से दूसरे नगर में स्थानान्तरण करने के लिए सरकार द्वारा यह मापदण्ड निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में अधिकारियों का स्थानान्तरण करते समय अनेक मामलों में उक्त मापदण्ड का पालन नहीं किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय जल आयोग के उप-निदेशकों, इंजीनियरों और सुपरिटेन्ड इंजीनियरों का ब्यौरा क्या है जो दिल्ली में उक्त भाग (क) में उल्लिखित निश्चित अवधि में अधिक तक ठहरे हुए है ; और

(घ) इन अधिकारियों को फील्ड अनुभव के लिए दिल्ली में बाहर स्थानान्तरित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ;

सिंचाई मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) केन्द्रीय जल आयोग में

समूह 'क' और समूह 'ख' के अधिकारियों को पदस्थापनाओं तथा स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में सामान्य सिद्धान्तों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) चूंकि केन्द्रीय जल आयोग एक इंजीनियरी परामर्शदाता संगठन है, अतः अधिकाँश स्थापना, जिसमें आयोग का अभिकल्प शामिल है, दिल्ली स्थित मुख्यालयों के कार्यालय में स्थित है। आयोग को क्षेत्रीय गतिविधियाँ अपेक्षाकृत कम हैं और उनमें अन्वेषण, जल-वैज्ञानिक प्रेक्षण तथा बाढ़ पूर्वानुमान का कार्य शामिल है। निदेशकों/अधीक्षक इंजीनियरों के 81 पदों तथा उप निदेशकों/कार्यकारी इंजीनियरों के 279 पदों में से, क्रमशः केवल 16 तथा 69 पद दिल्ली से बाहर हैं। अतः, अधिकाँश अधिकारियों का हर हालत में मुख्यालय में ही रहना अपेक्षित है। सरकारी सेवा और प्रशासनिक पहलुओं की अत्यावश्यकता के अध्यधीन, और इसलिए भी कि उच्चत्तर पदों पर प्रोन्नति के लिए पात्र होने के क्षेत्रीय सेवा आवश्य है आयोग द्वारा अपने अधिकारियों की समय-समय पर क्षेत्र में पदस्थापना करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) ऐसे उदाहरण रहे हैं जहां कई अवसरों पर केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारियों ने सच्चे व्यक्तिगत कारणों से कभी-कभी क्षेत्रीय नियुक्तियों पर जाने में अनिच्छा दिखाई है। तथापि इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं कि आयोग के पास उपलब्ध सीमित क्षेत्रीय पदस्थापनाओं के होने के बावजूद, अधिकारी विभिन्न ग्रेडों में अपेक्षित क्षेत्रीय अनुभव प्राप्त करें।

विवरण

केन्द्रीय जल आयोग

विषय :—केन्द्रीय जल आयोग में स्थानान्तरण संबंधी नीति। केन्द्रीय जल आयोग द्वारा राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित क्षेत्रों में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ सहायता दिए जाने की अपेक्षा की जाती है :—

(1) अभिकल्प तथा अनुसंधान,

(2) जल संसाधन (मूल्यांकन, आयोजन तथा उपयोग)

(3) परियोजना की संवीक्षा तथा आयोजन, जिसमें मानीटरिंग शामिल है, तथा

(4) बाढ़-नियंत्रण तथा बाढ़-पूर्वानुमान।

2. सरकारी सेवा की अत्यावश्यकता और प्रशासनिक सुविधा के अध्यधीन, समूह ख और समूह क अधिकारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापना में निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्तों का पालन किया जाएगा।

समूह ख सेवा

1. आयोग में समूह ख में कार्यालय में अतिरिक्त सहायक निदेशक तथा क्षेत्र में किसी

उप-मंडल के प्रभारी सहायक इंजीनियर समाविष्ट हैं। क्षेत्र में उपमंडलीय कार्यालयों का प्रधान सहायक कार्यकारी इंजीनियर-समूह क अवर भी हो सकता है। क्षेत्र के लिए समूह क के अधिकारियों की पदस्थापनाओं/स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में स्थिति पर अलग से, समूह क सेवा के अन्तर्गत चर्चा की गई है। अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर के पद पर्यवेक्षकों तथा अभिकल्प सहायकों और इंजीनियरी में उपाधि या डिप्लोमा धारण करने वाले हैड ड्राफ्टसमैनों में से शत-प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। आयोग द्वारा भर्ती किए जाने वाले पर्यवेक्षक या तो सिविल/यांत्रिक इंजीनियरी में स्नातक या डिप्लोमा धारी होते हैं जबकि अभिकल्प सहायक सिविल इंजीनियरी में स्नातक होते हैं।

2. मुख्यालयों से क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानान्तरण के प्रयोजनों के लिए अतिरिक्त सहायक निदेशकों का एक रोस्टर उन अधिकारियों के लिए रखा जाएगा जिन्होंने सहायक इंजीनियरों के रूप में क्षेत्रीय युनिटों में कार्य नहीं किया है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई अधिकारी पांच वर्ष से अधिक अवधि के लिए एक पद पर न बना रहे और ऐसे अतिरिक्त सहायक निदेशकों को, जिन्होंने क्षेत्र में सेवा नहीं की है, पहले स्थानान्तरित किया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर के रूप में प्रोन्नति होने पर अभिकल्प सहायकों को क्षेत्रीय नियुक्तियां दी जाएगी।

3. मुख्यालयों में उन विभिन्न निदेशालयों/यूनिटों में भी पद पृथग्रक्षित किए जाएंगे जहां सिविल/यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमाधारी सहायक इंजीनियरों के रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर, क्षेत्र में उनके स्थानान्तरण के बारे में विचार किया जा सकता है।

4. मुख्यालय में किसी भी निदेशालय में और क्षेत्र में किसी मंडल में कार्यरत कर्मचारिरियों में एक तिहाई से अधिक कर्मचारी किसी एक कैलेण्डर वर्ष में, स्थानान्तरित नहीं किए जाएंगे।

समूह क सेवाएं (प्रवर)

1. भर्ती नियमों के अनुसार, सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियरों के कुल पदों में से 60% पद संघ लोक सेवा आयोग के नामितियों से भरे जाते हैं और शेष पद अतिरिक्त सहायक निदेशक के ग्रेड से प्रोन्नति द्वारा या राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे जाते हैं।

2. सीधी भर्ती किए गए सहायक निदेशक अपनी परिवीक्षावधि के दौरान, अपनी सेवा के प्रथम 16 महीनों में दो-चरणों का प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्पन्न करेंगे, जो निम्नानुसार है :—

चरण-एक

केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय जल आयोग के संगठनात्मक ढ़ाँचे और कार्यों के सम्बन्ध में संक्षिप्त परिचय दिए जाने के पश्चात्, अधिकारी/अधिकारियों को बारी-

बारी से निम्न प्रकार से नियुक्त किया जाएगा :—

(1)	अकिल्प तथा अनुसंधान स्कंध, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का ताप — विद्युत स्कध या पी० पी० स्कंध	3 महीने
(2)	जल संसाधन स्कंध या बाढ़ स्कंध	2 महीने
(3)	केन्द्रीय मुद्रा एवं सामग्री अनुसंधानशाला या केन्द्रीय जल तथा विद्युत अनुसंधानशाला	2 महीने
(4)	लेखा और प्रशासन	2 महीने
(5)	निर्माणधीन/अन्वेषणाधीन परियोजना	3 महीने

चरण-दो

	लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी	4 महीने
	में आधारभूत पाठ्यक्रम जोड़	16 महीने

परिवीक्षा अवधि के शेष आठ महीनों के दौरान स्कंध के अधीन निदेशालयों/वृत्तों में आयोग के स्कंधों में से किसी एक स्कंध में परिवीक्षार्थी की अभिरुचि, इससे पहले की अवधि के दौरान उसके कार्य और आयोग की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए, गहन कार्य किया जाएगा।

3. दो वर्षों की उपर्युक्त अवधि के पूरा हो जाने पर, सहायक निदेशकों को उनकी अभिरुचि तथा आयोग की आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए, आयोग के किसी स्कंध में या तो मुख्यालय में या क्षेत्र में पदस्थापित किया जाएगा। उसके पश्चात, वे उसी स्कंध में सहायक निदेशक के रूप में कार्य करते रहेंगे ; तथापि, जहां तक संभव होगा, क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को मुख्यालय में लाया जाएगा और मुख्यालय में कार्यरत व्यक्तियों को क्षेत्र में भेजा जाएगा।

समूह 'क' सेवाएं (प्रवर)

उप निदेशक

(1) सहायक निदेशक, उप निदेशकों के रूप में प्रोन्नति होने पर, जहां तक संभव होगा, आयोग के उसी स्कंध में 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कार्य करते रहेंगे, जहां कि वे इससे पहले सहायक निदेशक के रूप में कार्य करते थे ताकि विशिष्ट विधा में विशेषज्ञता के विकास को प्रोत्साहित किया जा सके।

(2) उप निदेशक के रूप में सेवा की पाँच वर्ष से अनधिक अवधि के पूर्ण हो जाने पर, अधिकारी को न्यूनतम दो वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्र (फील्ड) में कार्य करना होता है। जहां तक संभव होगा, विशेषज्ञता के सम्बद्ध क्षेत्र में क्षेत्रीय अनुभव दिलाने के प्रयत्न किए जाएंगे। उपर्युक्त के बावजूद, अधिकारी क्षेत्रीय नियुक्ति के लिए इससे पहले भी विकल्प दे सकता है जिस

स्थिति में उसके पूरा हो जाने पर, अधिकारी को उसी स्कंध में वापस पदस्थापित किया जाएगा। क्षेत्र में तदर्थ क्षमता में अथवा देश में प्रतिनियुक्त के आधार पर की गई सेवा को क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के रूप में गिना जाएगा। विदेश के बाहर की गई सेवा को स्थानातरण के प्रयोजन के लिए क्षेत्र सेवा के रूप में नहीं गिना जायेगा।

(3) उप निदेशकों से यह विकल्प प्राप्त किया जायेगा कि वे उप निदेशक के रूप में सेवा के प्रथम 5 वर्षों के दौरान, न्यूनतम दो वर्षों के अवधि के लिए क्षेत्रीय नियुक्तियों पर कब जाना चाहेंगे। क्षेत्रीय नियुक्तियों के लिए विकल्पों में दो वर्षों का ब्लाक जब अधिकारी की क्षेत्रीय नियुक्त पर जाना सुविधाजनक होगा, अपनी पसन्द का भौगोलिक क्षेत्रऔर क्षेत्रीय कार्य के प्रकार, पसन्द के क्रम में निर्दिष्ट किया जाएगा। उप निदेशकों के क्षेत्र में स्थानान्तरण से संबंधित रोस्टर तदनुसार तैयार किया जायेगा और आयोग के विचार तथा सुविधा को ध्यान में रखते हुए, स्थानान्तरण किए जाएंगे।

(4) पांच वर्षों की सेवा पूर्ण हो जाने पर, उप निदेशक को उसकी विशेषज्ञता के क्षेत्र से किसी दूसरी विधा में स्थानातरित कर दिया जाएगा ताकि निदेशक के रूप में प्रोन्नति के लिए उसके पात्र हो जाने से पूर्व उसे एक और विधा में विशेषज्ञता प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हो सके। बारी-बारी से इन स्थानान्तरणों की योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि किसी विशिष्ट कैलेन्डर वर्ष में एक निदेशालय/यूनिट से 25% से अधिक अधिकारी बाहर न भेजे जायें।

निदेशक

(5) निदेशक रूप में प्रोन्नति होने पर, सभी अधिकारियों को अनिवार्य रूप से मुख्य इंजीनियर के रूप नियुक्ति के लिये पात्र होने से पहले निदेशक/अधीक्षक इंजीनियर के रूप में में कम से कम दो वर्षों के लिये क्षेत्र में सेवा करनी होती है देश के अन्दर अधीक्षक इंजीनियर के रूप में तदर्थ आधार पर अथवा नियमित क्षमता में की गई सेवा, चाहे यह संवर्ग पद में अथवा संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्त पर हो, क्षेत्रीय अनुभव की अपेक्षा के प्रति गिनी जाएगी।

(6) सभी निदेशकों से इस ग्रेड में प्रोन्नति होने पर और उन निदेशकों से भी, जिनकी अधीक्षक इंजीनियर के रूप में कभी क्षेत्रीय नियुक्ति न हुई हो, ये विकल्प प्राप्त किये जायेंगे कि वे ऐसी नियुक्ति पर कब जाना चाहेंगे। क्षेत्रीय नियुक्तियों के लिये विकल्पों में दो वर्षों का ब्लाक जब अधिकारी को क्षेत्रीय नियुक्ति पर जाना सुविधाजनक होगा, अपनी पसन्द का भौगोलिक क्षेत्र और क्षेत्रीय कार्य का प्रकार, पसन्द के क्रम में निर्दिष्ट किया जाएगा। निदेशकों के क्षेत्र में स्थानान्तरण से सम्बन्धित रोस्टर तदनुसार तैयार किया जाएगा। जहां तक संभव होगा, ऐसे निदेशकों को जिन्होंने अधीक्षक इंजीनियर के रूप में क्षेत्र में कार्य नहीं किया है और जो मुख्य इंजीनियर के अगले उच्चतर ग्रेड में प्रोन्नति क्षेत्र (जोन) में नहीं आते हैं, पहले स्थानान्तरित किया जाएगा।

(7) निदेशकों की प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि के पश्चात् विभिन्न निदेशालयों में बारी-बारी से नियुक्त किया जायेगा।

(8) जहां तक संभव होगा, स्थानान्तरण अधिकारी की विशेषज्ञता के विशिष्ट क्षेत्र और उसके प्रशिक्षण से सम्बन्धित पदों पर किये जायेंगे ।

(9) जिन स्थानान्तरणों में स्थान परिवर्तित अपेक्षित है वे साधारणतः शैक्षिक सत्र के समाप्त होने के बाद अथवा उसके प्रारम्भ होने से पहले किये जायें ताकि बच्चों की शिक्षा में अव्यवस्था न हो।

(10) केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधानशाला और केन्द्रीय और मुद्रा सामग्री अनुसंधानशाला के संबंध में स्थानान्तरणों/तैनातियों का पुनरीक्षा उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिये जाने के बाद की जायेगी ।

इफ्को द्वारा जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया था उन किसानों को रोजगार दिया जाना

10830. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इफ्को, फूलपुर द्वारा जिन किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था उनमें से अधिकतर किसानों को रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इफ्को फैक्ट्री के उद्घाटन के समय यह घोषणा की गई थी कि वहां एक सोडा ऐश फैक्ट्री स्थापित की जायेगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि उर्वरक फैक्ट्री को मलस्त्राव के कारण फसलों विशेषकर खरीफ की फसल को काफी नुकसान हो रहा है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या उपचरात्मक उपाय कर रही है ?

कृषि मंत्री (राव विरेन्द्र सिंह) : (क) फूलपुर संयंत्र की निर्माण अवधि के दौरान इफ्को ने जिलाधीश इलाहाबाद के परामर्श से इफ्को में, उन व्यक्तियों, जिनकी भूमि को उसने अपने अधिकार में ले लिया था, को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कुछ मानदण्डों का पता लगाया। उन व्यक्तियों, जो 30 प्रतिशत भूमि अथवा अपनी भूमि से अधिक की भूमि खो चुके हैं, और जो 30 प्रतिशत से कम भूमि अथवा कम से कम एक बीघा भूमि खो चुके हैं, को इफ्को ने रोजगार उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया था। 264 व्यक्तियों, जो भूमि खोने वालों के इस वर्ग के अन्तर्गत आते थे, में से भूमि खोने वाले 230 व्यक्तियों को पहले ही रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। भूमि खोने वाले शेष उपपुक्त व्यक्तियों को भी नामसूची में रखा गया है और जब कभी रिक्त स्थान होंगे, उन्हें रोजगार उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(ख) इफ्को फूलपुर फैक्ट्री के उद्घाटन के समय पर यह उल्लेख किया गया था कि फूलपुर में सोडा ऐस संयंत्र को स्थापित किये जाने का भी प्रस्ताव है। इस संबंध में इफ्को ने संभाव्यता रिपोर्ट और विपणन विश्लेषण रिपोर्ट तैयार की है।

(ग) जी नहीं। इफ्को ने सूचित किया है कि मलस्त्राव सतही नाली से किया जाता है

और यह मल खेतों में नहीं जाता।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता है।

तरल उर्वरकों का प्रायोगिक आधार पर विपणन

10831. **श्री गुलाम रसूल कोचक** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीय उर्वरक लि० को पंजाब और हरियाणा में प्रायोगिक आधार पर तरल उर्वरक का व्यापक विपणन करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड ने तरल उर्वरकों के उपयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम तैयार किया है और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग के साथ एक विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो तरल उर्वरक के प्रस्तावित प्रयोगों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इससे देश को कितना लाभ मिलेगा ?

कृषि मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां। राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, जो भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान है, को उनके ही द्वारा विनिर्मित "अकूंर" नामक तरल उर्वरक का पंजाब और हरियाणा के कुछ चुनींदा गाँवों में प्रयोगात्मक आधार पर विपणन करने की अनुमति दी गई है।

(ख) राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड पंजाब और हरियाणा की राज्य सरकारों और उनके सम्बन्धित कृषि विश्वविद्यालयों परामर्श से पंजाब के सामराला-मोरीण्डा क्षेत्र के 11 गाँवों के समूह और सरहिन्द-राजपुरा, पटियाला जिला, और हरियाणा के अम्बाला जिले में यमुनानगर के एक दूसरे समूह को चुना है। गन्ना, धान, मक्का और गेहूं की फसलों को इसमें शामिल किया गया है।

बारानी खेती की स्थितियों के अन्तर्गत गढ़शंकर पट्टी के गांवों को, जहाँ पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विभाग की बारानी परियोजना पहले से ही चल रही है, चुना जायेगा।

(ग) कुछ मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं :—

(1) अकूंर के साथ सूक्ष्म-पोषकों, खरपतवारनाशियों, कृमिनाशियों का आसानी से मिलाया जाना, इस प्रकार खरपतवार नाशियों, आदि का अलग से इस्तेमाल करने से बचा जा सकता है ;

(2) सस्यविज्ञान की दृष्टि से उपयुक्त और किफायती ;

(3) इस्तेमाल करने और रखने में एकरूपता ;

(4) ऊर्जा में बचत ;

(5) विभिन्न ग्रेड तैयार करने में आसानी ; और

(6) संभाल और इस्तेमाल करने में आसानी।

देश को "अकूर" के प्रयोग के लाभों का पता परीक्षणों के समाप्त होने के पश्चात ही चल सकता है।

गौतम नगर कालोनी में भूमि का अनधिकृत कब्जा

10832. **श्री रामसिंह शाक्य**
श्री निहालसिंह : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गौतम नगर कालोनी (दक्षिण दिल्ली) में सरकारी भूमि के एक बड़े क्षेत्र पर लोगों ने अनधिकृत कब्जा किया हुआ है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस अनधिकृत कब्जे को हटाने के लिए डी० डी० ए० द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ख) क्या कालोनी में अनेक सड़कों, गलियों की सरकारी भूमि पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है और उस पर वहां के कुछ निवासियों द्वारा डी० डी० ए० अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ करके निर्माण किया गया है जिससे कालोनी के अन्य निवासियों को भारी असुविधा हो रही है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकारी रास्तों पर अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है और किस तारीख तक; और

(ग) क्या सरकार का विचार सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा लापरवाही के मामले में जांच कराने और उसके लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया कि गौतम नगर ग्राम मस्जिद मोठ तथा युसुफ सराय की राजस्व सम्पदा के भागों में फैला हुआ है, यह कि निवासियों ने वर्तमान रिहायशी संरचनाओं का विकास करके रिक्त भूमि की बहुत सी छोटी-छोटी पाकिटों पर कब्जा कर रखा है तथा बहुत से ऐसे विस्तारित भागों को वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा रहा है, जब कि कुछ मामलों में रिहायशी मकानों के समीप छोटे-छोटे उद्यान में विकसित कर लिए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी कहा है कि कालोनी में विद्यमान निर्माणों में किए गए विस्तार निवासियों का स्वयं का सामूहिक अनधिवृत कृत्य है तथा इसे प्रत्यक्षत: दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की सांठ-गांठ नहीं कहा जा सकता है।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अवैध निर्माण के 120 मामलों में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 30 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई थी, 118 मामलों में गिरने के आदेश पारित किए गए हैं, 2 मामले प्रक्रियाधीन हैं तथा एक मामले में न्यायालय ने

गिरने के विरुद्ध निषेधालय जारी किया है। उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए कोई जाँच करना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

राशन कार्डों की संख्या

10833. **प्रो. अजित कुमार मेहता** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के लिए वर्ष 1880 से 1983 तक गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल आदि का कोटा एक समान रहा है जबकि राशन कार्ड धारकों की संख्या में कई लाख की वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या प्राय: राशन की दुकानों के खाली रहने का यह भी एक कारण है कि विशिष्ट खाद्यान्न को वे काले बाजार में बेच देते हैं जो या तो जाली राशन कार्ड में दर्ज किया जाता है अथवा बिक्री जाली दर्शायी जाती हैं ;

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) जी नहीं, 1980-83 की अवधि के दौरान दिल्ली में कार्डधारियों की संख्या में वृद्धि होने के साथ दिल्ली को विभिन्न आवश्यक वस्तुओं जैसे गेहूं, चावल, चीनी तथा मिट्टी के तेल के आवंटन में भी वृद्धि की गयी है।

(ख) दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देने के लिए आवश्यक वस्तुओं की कुल उपलभ्यता संतोषजनक है, यद्यपि इतने बड़े पैमाने की इस प्रणाली में कभी-कभी स्थानीय स्वरूप की कुछ अस्थायी कमियों से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें दिल्ली शामिल है, को आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलभ्यता, विभिन्न राज्यों की तुलानात्मक आवश्यकताओं, बाजार में इनकी उपलभ्यता और और अन्य सम्बद्ध बातों को ध्यान में रख कर किया जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली उपभोक्ताओं की सम्पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि यह खुले बाजार तंत्र की सहायता करने के लिए है। अपने-अपने इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार उन्हें पहले ही निर्देश जारी कर चुकी है कि वे यह सुनिश्चित करें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दी जाने वाली वस्तुयें वास्तविक उपभोक्ताओं को पूर्व-निर्धारित मूल्यों पर मिलें। दिल्ली में जहां-कहीं वितरण में अनियमिततायें नजर में आती हैं, दिल्ली प्रशासन द्वारा उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

लोक निर्माण विभाग में सफेदी-रंगाई के लिए निविदायें आमंत्रित करना

10834. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक निर्माण विभाग के विभिन्न डिवीजनों में सफेदी और

रंगाई आदि की निविदाएं इस बारे में निर्धारित आदेशों का उल्लंघन करते हुए आमन्त्रित की जाती हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकारी क्वार्टरों के सामने की सम्पर्क सड़कों को हाल में मन्जूरी दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो असन्तोषजनक कार्य और पर्यवेक्षण के लिए कौन उत्तरदायी है; और क्या तकनीकी विशेषज्ञ से इस बारे में रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) तथा (ग) : इस प्रकृति की कोई विशिष्ट शिकायत सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) तथा (घ) : प्रश्न नहीं उठते ;

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय खाद्य निगम को दिए गए ऋण

10835. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय खाद्य निगम को वर्ष 1982-83 के दौरान बिना लाभ की कितनी धनराशि दी थी तथा कितनी राशि का ऋण दिया था तथा इसे इस ऋण पर किस दर से ब्याज भुगतान करना था और निजी खाद्यान्न विक्रेताओं को किस दर पर ऋण मिलता है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जो खाद्यान्न की सरकारी खरीद पर खरीद कर और मण्डी भाड़ा लेते हैं और उसकी दर क्या है; और

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उचित दर दुकानों पर बिक्री के लिए दिए जाने वाले गेहूं और चावल की भारतीय खाद्य निगम के भन्डारों पर कितनी कीमत बढ़ाई गयी है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) : 1982-83 के दौरान, भारत सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को ब्याज मुक्त ईक्विटी पूंजी के रूप में 3.82 करोड़ रुपये की धनराशि दी थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय खाद्य निगम को 12.5 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से रबी मौसम 1982-83 के लिए 1800 करोड़ रुपये की ऋण-सीमा और खरीफ मौसम 1982-83 के लिए 2300 करोड़ रुपये की ऋण-सीमा के लिए प्राधिकृत किया था। निजी व्यापारियों को खाद्यान्नों के प्रति अग्रिमों पर न्यूनतम उधार दर पहली अप्रैल, 1983 से 18 प्रतिशत है। 5,000/-रुपये तक की धनराशि के लिए ग्रामीण भण्डागार रसीदों के प्रति अग्रिमों पर ब्याज की दर 2.5.81 से 13.5 प्रतिशत है।

(ख) ऐसे राज्यों, जिनमें केन्द्रीय सरकार की ओर से खाद्यान्नों की खरीद की जाती है,

के क्रय कर और मंडी फीस के ब्यौरे बताने वाले विवरण संलग्न हैं।

(विवरण 1 और 2)। (ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल टी-6674/83)

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में गेहूं और चावल के उपभोक्ताओं के लिए खुदरा निर्गम मूल्य का ब्यौरा दिया गया है

(विवरण-3)

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और अमृत वनस्पति लिमिटेड को दिया गया आयातित तेल

10836. **श्री अनवर अहमद** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और अमृत वनस्पति लिमिटेड, गाजियाबाद को गत तीन वर्षों के दौरान वनस्पति तेल के उत्पादन के लिए कितना टन आयातित तेल दिया गया; और

(ख) उत्पादन के लिए कितना आयातित तेल इस्तेमाल किया गया और शेष आयातित तेल को इस्तेमाल करने के बारे में ब्यौरा क्या है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) (क) और (ख) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड और अमृत वनस्पति, गाजियाबाद को पिछले तीन वर्षों के दौरान आयातित तेल की दी गई तथा उपयोग में लाई गई मात्रा नीचे दी गयी है -

मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि.	दिया गया आयातित तेल	उपयोग में लाया गया आयातित तेल
	(मीटरी टनों में)	
1980-81	17 398	16,003
1981-82	14,183	14,524
1982-83	12,884	12,695
1980.81	19,591	19,473
1981-82	19,010	18,181
1982-83	18,182	18,227

शेष मात्रा भावी उत्पादन में समायोजित की जायेगी।

दिल्ली की कालोनियों के लिए पेय जल

10837. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० ने दिल्ली के नियमित कालोनियों को पेय जल प्रदान करने और नालियों का निर्माण करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे कुल कितने लोगों के लाभान्वित होने की सम्भावना है, और

(ग) इस काम पर सरकार का विचार कुल कितनी धनराशि खर्च करने का है ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों के विकास की एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। उसमें दिए गए ब्यौरों की जांच की जा रही है। साथ ही, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम को ये अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई जाएं तथा ऐसी कालोनियों के निवासी जलपूर्ति, विद्युत आदि की सुविधाएं, नियत विकास प्रभार अदा करके एवं सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारियो द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करके उपलब्ध कर सकते हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नाज, मिलन दीप, और पायल सिनेमा-स्थलों की निलामी

10838. **श्री डा० ए० यू० आजमी** : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नाज, मिलन, दीप, और पायल सिनेमा-स्थलों की नीलामी करने की बजाय किसी लाभ के बिना और सूक्षम प्राधिकारी की उचित स्वीकृति प्राप्त किये बिना वार्षिक किराया आधार पर नीलामी द्वारा इन स्थलों का निपटान कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ये सिनेमा-स्थल वार्षिक किराए पर दिये गये थे;

(ग) क्या उत्तरदायित्व के स्पष्ट निर्धारण के लिए अनियमितताओं की जाँच की गई है, यदि हां, तो दोषी पाए गए अधिकारियों का ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन सिनेमा-घरों के विरुद्ध कितनी धनराशि बकाया है; यह कब से बकाया है तथ उनकी वसूली के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गेहूं का आयात

10839. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का लगातार तीसरे वर्ष के लिए गेहूं का आयात करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो कितना गेहूं किस कीमत पर आयात करने का विचार है;

(ग) देश में गेहूं के अनुमानित उत्पादन में कितनी कमी होने की आशा है; और

(घ) गेहूं के आयात से मूल्य ढाँचे पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और (ख) इस समय सरकार के पास गेहूं का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रारम्भिक मूल्यांकन के अनुसार, आशा है कि 1982-83 के दौरान गेहूं का लगभग 400 लाख मीटरी टन उत्पादन होगा।

(घ) आयात करने का एक उद्देश्य आन्तरिक मूल्यों को स्थिर रखना है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विपणन निगम

10840. **श्री अजय विश्वास** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विपणन निगम की स्थापना कर दी गई है;

(ख) यदि हां तो इस निगम की स्थापना का उद्देश्य क्या है; और

(ग) इस निगम ने भविष्य में क्रियान्वयन के लिए कौन से कार्यक्रम शुरू किए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : (क) और

(ख) : पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विपणन निगम पूर्वोत्तर क्षेत्र में उपलब्ध फलों और सब्जियों के विपणन और विधायन के लिए सुविधाएं सुलभ करने के उद्देश्य से हाल ही में स्थापित किया गया है ताकि उक्त क्षेत्र के आर्थिक विकास में सहायता की जा सके।

(ग) यह कम्पनी अपना संगठनात्मक इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाने की प्रक्रिया में है और इसका वर्तमान वर्ष में अनन्नास, संतरे और अदरख की वसूली और विपणन करने का प्रस्ताव है :

अनाधिकृत बूचड़खाने और अच्छी किस्म के मांस का बेचा जाना

10841. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झोंपड़ियों के भीतर पशुओं को मारा जाना गैर-कानूनी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं कि दिल्ली में बूचड़खाने के निकट झोंपड़ियों में पशुओं को कत्ल किया जाता है;

(ग) क्या दिल्ली में अथवा देश में अथवा अन्य स्थानों पर कत्ल ऐसे और अधिक क्षेत्र हैं जहां पर पशुओं को अनाधिकृत स्थानों पर कत्ल किया जाता है और यदि हाँ, तो इन गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है;

(घ) क्या भारी जनसंख्या में एक अथवा दूसरे कारण से मरने वाली भैंसो, बकरियों, आदि की खाल उतार ली जाती है और जनता के स्वास्थ्य की चिंता किए बिना उनको अच्छे मांस के रूप में बेच दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि ऐसा माँस बिल्कुल न बेचा जाये और कोई ऐसी प्रणाली निकाली जाये जिसके अनुसार डाक्टर द्वारा मानवीय खपत के उपर्युक्त प्रमाणीकृत मांस ही राजधानी में बेचा जाये और वह भी अत्यंत स्वास्थ्यकर परिस्थितियों में ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) से (ङ) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बूचड़खाने में लाये गए पशुओं का मरने से पहले और मरने के बाद परीक्षण

10842. **श्री ए० यू० आजमी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बूचड़खाने में लाये गये सभी पशुओं का मरने से पहले और मरने के बाद डाक्टर द्वारा परीक्षण किया जाना चाहिए परन्तु ऐसे बच्चे बूढ़े पशुओं को, जिनकी टाँगों से खून निकलता हो, या जिनके शरीर में गहरा घाव हो, भी काटने की अनुमति दी जाती है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि उक्त आदेशों का सख्ती से पालन हो, तथा जन स्वास्थ्य की देखभाल के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उटाये गये है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना : (क) बूचड़खाने में लाए जाने वाले सभी पशुओं की मरने से पहले और मरने के बाद पशुचिकित्सा/मांस निरीक्षकों द्वारा जाँच करनी जरूरी है। टागों से खून निकलने तथा शरीर पर गहरे घाव वाले पशुओं को माँस निरीक्षण प्रक्रिया के अनुसार काटने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) बूचड़खाना राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्रीय सरकार मांस निरीक्षण प्रक्रिया का सख्ती से पालन करने के लिए समय-समय पर आवश्यक अनुदेश तथा मार्ग दर्शन जारी करती है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप सब बैठने नहीं और सभी एक साथ इस प्रकार बोलेंगे, तो मैं किसी को भी बोलने के लिए नहीं बुला सकूंगा। मैं आपको एक-एक करके बुलाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा सुझाव यह है कि सबसे पहले अनिर्जीत मामलों पर अध्यक्ष महोदय के सभी विचार तथा विनिर्णयों को निपटा लिया जाए।

श्री भीकूराम जैन (चांदनी चौक) : मैं यह कह रहा था कि पिछले दो तीन दिन तमिलनाडु सरकार संसद और भारत सरकार की अवहेलना कर एक विधान बनाने का प्रयास कर रही है। जिसके अंतर्गत बिक्री कर के स्थान पर प्रवेश कर रखा जा रहा है यह संसद द्वारा 25 वर्ष पहले किए गए निर्णय के स्थान पर किया जा रहा है। इस पहलू पर संसद अपनी समिती के प्रतिवेदन के आधार पर इस समय भी विचार कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले पर ब्यौरेवार चर्चा की आवश्यकता है। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : प्रवेश कर के लागू होने के कारण तमिल नाडु में व्यापारी लोगों ने एक बंद आयोजित किया था। हजारों व्यापारी गिरफ्तार किये गये, अपमानित किये गये और जेल में डाले गये हैं। विधि और व्यवस्था की समस्या है। तामिल नाडू में आवश्यक वस्तुओं के बारे में कोई सुधार नहीं हुआ है। वहां आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है।

श्री रामस्वरूप राम (गया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान यहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि देश के अधिकाश मांग सूखे से पीड़त हैं, खास तौर से बिहार में पेय जल का बहुत संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीण लोग तीन तीन किलोमीटर दूर जा कर पानी ला रहे हैं। वाटर लेवेल बहुत नीचे चला गया है। यदि इस और तत्काल ध्यान सरकार ने नहीं दिया तो मैं समझता हूं कि तमिलनाडु बगैरह जो सूखे से पीड़ित प्रदेश हैं वहीं की जो स्थिति है उस से कम खराब स्थिति यहां की नहीं होने वाली है।... (व्यवधान)

इस पर आप की कुछ रूलिंग होनी चाहिए कि सरकार इस के लिए क्या व्यवस्था कर रही है? जहां पेय जल की कमी की वजह से लोग प्रभावित हैं। उन के लिए क्या व्यवस्था कर रही है?

संसदीय कार्य खेल, तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अधिवेशन के अन्तिम दिन आपने एक बहुत ही अच्छी प्रणाली लागू भी है कि आप सभी को एक-एक कर बुलायेंगे। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि अपनी बारी की प्रतीक्षा करे और जिस सदस्य का नाम बुलाया जाता हैं, उसे बोलने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यही बात कही है । कुछ माननीय सदस्य खड़े हैं । वास्तव में मुझे उन पर दया आती है । कृपया आप बैठ जाएं और एक-एक सदस्य का नाम पुकारूंगा । आपको इससे सन्तुष्ट होंनी चाहिए ।

श्री डी. बी- सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, तारापुर ऐटामिक पावर स्टेशन पर चर्चा कराई जाए । मैंने इस विषय पर आप को कार्यस्थगन तथा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भी दिया है, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है । इस समय तारापुर ऐटामिक पावर स्टेशन में रेडिएशन बहुत अधिक मात्रा में हो रहा है और वर्क्स के स्वास्थ्य पर उस का बहुत खराब असर पड़ रहा है । इस पर चर्चा होनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगा रहे है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं उत्तर देता हूं तो आपको उसे सुनना चाहिये । तब उसे कार्य-वाही वृतान्त में सम्मिलित किया जाएगा । श्री बी. डी. सिंह ने क्या कहा, मैंने क्या कहा, हम उसे देखेंगे । मैंने यही बात आपको कही है। आपको सन्तुष्ट हो जाना चाहिए ।

श्री ईरा अनवारासु (चिंगलापट) : तमिलनाडु सरकार आवश्यक वस्तुओं पर प्रवेश कर रही है । यह संविधान के साथ धोखा है, यह असंवैधानिक के विरुद्ध है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका उल्लेख श्री दण्डापाणि कर चुके हैं । यह राज्य का विषय है ।

(व्यवधान)

यह राज्य का विषय है। अब प्रो० मधु दण्डवते अपनी बात कहेंगे ।

श्री ईरा अनवारासु : यह लोगों के साथ धोखा है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसका उल्लेख कर चुके हैं। मैं भी इसका उल्लेख कर चुका हूं । यह राज्य का विषय है ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने मेरे कुछ नोटिस विचाराधीन रखे हैं । मैं केवल श्री गनी खान चौधरी के भाषण के बारे में श्री प्रकाश चन्द्र सेठी के विरुद्ध विशेषाधिकार के नोटिस के विषय में 12 अप्रैल, 83 को मैंने जो नोटिस दिया था उसके सम्बन्ध में याद दिलाना चाहता हूं । उसे विचाराधीन रखा गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने स्वयं कहा है कि वह विचाराधीन है । आपने कहा है कि उसे अध्यक्ष महोदय द्वारा विचाराधीन रखा गया है । उसके लिये आप मुझसे उत्तर की आशा कैसे करते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : जब भी आप यहां पीठासीन होते हैं तो आप अध्यक्ष होते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया है कि वह विचाराधीन है।

प्रो० मधु दंडवते : जब भी आप यहां होते हैं, आप अध्यक्ष महोदय के रूप में कार्य करते हैं। कृपया आप अपने इस दायित्व से मुंह मत मोडें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आपने एक बात उठाई है। मैं उसपर अपने विचार लक्ष्य करता हूं। मैं आपको उस सम्बन्ध में अपना निर्णय बताता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : एक ओर विशेषाधिकार नोटिस भी विचाराधीन है। वह श्री वीरेन्द्र पाटिल के विरुद्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं दूसरे नोटिस की बात में कुछ नहीं कर रहा हूं।

(व्यवधान)

मैं प्रो० मधु दण्डवते को यह स्पष्ट कर चुका हूं कि उनके द्वारा उठाया गया मामला विशेषाधिकार भंग की परिधि में नहीं आता और इसलिए नियम 222 के अन्तर्गत मेरी स्वीकृत देने का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु मैं इस आम राय से सहमत हूं कि हमें आज राजनीति के क्षेत्र में सूझबूझ और सहयोग की आवश्यकता है और हिंसा अथवा संघर्ष की बात असंगत है क्योंकि हमारे जीवन का आदर्श अनुनय-विनय है।

श्री महन्ती।

प्रो० मधु दण्डवते : यह श्री गनी खान चौधरी के भाषण के सम्बन्ध में था—

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : आप मुझे भूल गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : नही, मैं भूला नहीं, किन्तु अब श्री महन्ती बोलेंगे।

श्री ब्रजमोहन महन्ती (पुरी) : मुझे उड़ीसा के किसानों की विशेष परिस्थितियों के बारे में उल्लेख करना है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महन्ती, आप अपनी बात करें। सभी को अपनी बात करने का अवसर दिया जाएगा। यदि आप चाहे तो खड़े रहिये।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : मुझे उड़ीसा के किसानों द्वारा अनुभव की जा रही निराशापूर्ण स्थितियों का उल्लेख करना है; उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं। लाखों करोड़ों रुपयों की हानि हुई है और और यह हानि जन्तुओं द्वारा किए जा रहे नुकसान के कारण हुई है। जिन कीटनाशक दवाईयो का प्रयोग किया जाता है वे अप्रभावकार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : मैं उसका नोटिस दे चुका हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन होगा । अत: आप बैठ जायें ।

श्री के० मयातेश्वर (तिन्डीजल) महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं····· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको सबसे बाद में बुलाऊंगा ।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : मैं एक अन्य मामले का उल्लेख करना चाहता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, आप केवल एक मामला उठा सकते हैं, श्री महन्ती आपने उसे उठा दिया है ।

श्री ब्रजमोहन महन्ती : यदि एक डाक्टर गलत दवाई देता है तो उसे दंडित किया जा सकता है । यहां तक कि सरकार·····**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं । मैं पहले भी कह चुका हूं । आप क्या कह रहे है··· **(व्यवधान)**

श्री ब्रजमोहन महन्ती : राज्य सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । यदि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में कुछ कहने जा रहे हैं, तो मैंने इस सम्बन्ध में आपको अवसर दे चुका हूं । अब आप बैठ जाईये । हां, श्री सुब्रहमण्यम स्वामी ।

एक माननीय सदस्य : इस तरफ का क्या होगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी को बुलाऊंगा । मैं श्री ए० के० राय को भूलूंगा नहीं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं केवल एक मामला ही उठा रहा हूं । किन्तु उस मामले को उठाने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रवेश कर हमारी राष्ट्रीय अखण्डता की भावना के विरुद्ध है और आप इस मामले को यूं ही नहीं ले सकते हैं । आपको इस पर विचार करना होगा ।

मैं श्री सिंह द्वारा उठाये गये तारापुर के मामले के बारे में सरकार से एक वक्तव्य की मांग करता हूं । परमाणु ऊर्जा मन्त्री यह प्रधान मन्त्री होंगी—उन्हें वक्तव्य देना चाहिए । इस प्रकार की घटना ऐसे किस प्रकार हो सकती है ? हमारे पास केवल एक दिन ही शेष बचा हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब आप इस मामलें को उठा रहे है तो आप इस की आशा कैसे कर रहे हैं कि इस पर शीघ्र ही एक निर्णय दिया जाए ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी नहीं, इसके बारे में आज सुबह 6 बजे समाचार पत्रों में छपा था । अत: इस पर एक वक्तव्य दिया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । अब श्री सुदन्र राजन अपनी बात कहेंगे ।

श्री एन० सुन्दर राजन (शिवकाशी) : प्रवेश कर उनको राज्यों में लागू है । प्रवेश कर

कांग्रेस (आई०) दल द्वारा संचालित राज्यों में भी लागू है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

श्री के० मायातेवर (डिन्डीगल) : नहीं, किसी भी अन्य राज्य में प्रवेश कर लागू नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप क्या चाहते हैं ?

श्री एन० सुन्दर राजन : मैं यह नहीं जान सका कि माननीय सदस्य यह मामला क्यों उठा रहे हैं, यह राज्य का विषय है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री राजेज कुमार सिंह । अपनी बात कहेंगे ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : मान्यवर, जिला आगरा के शमशाबाद कस्बे में पूरी हरिजन बस्ती* मिलकर जला दी है ।* बस्ती जलाई गई है । सारे हरिजन घर छोड़कर बाहर पड़े हुए हैं । शमशाबाद कस्बा थाना के बगल में हरिजन बस्ती है । यह फोटो आप देख रहे हैं, पूरी हरिजन बस्ती जला दी गई है ।* यह सब हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप स्थगन प्रस्ताव के बारे में अथवा अन्य किसी बारे में कोई प्रश्न उठा रहे हैं ?

श्री राजेश कुमार सिंह : इस सत्र के केवल दो दिन ही शेष रह गए हैं । यहां पर पार्लमेन्टरी अफेयर्स मिनिस्टर बैठे हैं, क्या ये सरकार को सूचित नहीं कर सकते हैं ?

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्हें इस प्रकार के आरोप लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसका कोई प्रश्न ही नहीं है ।

मैं रिकार्ड देखूंगा । कृपया कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी शामिल न करें । अब श्री चिन्तामणि पाणिग्रही ···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आरोप सम्बन्धी बातों के बारे में मैं पहले रिकार्ड देखूंगा···

(व्यवधान)

यदि इसे संगठित ढंग से नहीं किया जाता, मुझे कार्य-सूची की अगली मद पर चर्चा के लिए कहना पड़ेगा । मैं एक साथ कितने माननीय सदस्यों की बात सुन सकता हूं । मेरे केवल दो काज हैं, मैं एक मानीय सदस्य की ही बात एक समय में सुन सकता हूं । मैंने श्री पाणिग्रही को बुलाया है···

*कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

(व्यवधान)

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि उड़ीसा में लौह आयस्क खानों में लगभग 50,000 श्रमिक, जिनमें से अधिकांश आदिवासी हैं, पूरी तरह बेरोजगार हो गये हैं क्योंकि खजिन एक धातु व्यापार निगम जोकि केन्द्र सरकार का एक उपक्रम है, लौह अयस्क खानों से एक टन लौह अयस्क नहीं उठा रहा है। इस मामले पर शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसकी ओर निश्चित ही ध्यान दिया जाएगा···

(व्यवधान)

आप चाहते हैं कि मैं इस मामले की ओर ध्यान दूं, इसकी ओर ध्यान दिया जाएगा···

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : दूसरी बात यह है कि वहां बिजली की कटौती को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा क्षेत्र में राष्ट्रीय ग्रिड द्वारा बिजली सप्लाई की जानी चाहिए ताकि उर्वरक एवं इस्पात सत्येन्द्र जैसे सरकारी उपक्रम चालू रखे जा सकें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : श्रीमन्, तारापुर से सम्बन्धित इस मामले को श्री अमलदत्त डा० सुब्रहमण्यम स्वामी आदि ने उठाया है। मैं बोलने का अवसर पाने के लिए आपकी दृष्टि मुझ पर पड़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। मैं अपील करता हूं सरकार तारापुर के बारे में आज कम से कम एक वक्तव्य दे या अगर दे ऐसा नही करता है तो हमें कल इस पर चर्चा करने की अनुमति दी जाये। आप सरकार को निदेश दे सकते हैं कि·····(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री सेबस्तियन (**व्यवधान**)।

यह मामला उठाया गया है और मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि मेरी शक्तियां क्या हैं। यह सरकार के लिए है, कि वह इसके बारे में क्या निर्णय लेती है। मैं सरकार को यह निदेश नहीं दे सकता कि वह कोई वक्तव्य जारी करे या सदन के समक्ष कोई विवरण रखे·····

(व्यवधान)

ठीक है जो कुछ आप कह रहे हैं, उसे सरकार भी नोट कर रही है।

श्री एस० ए० सेबिस्तियन (करूद) : श्रीमन्, मैंने इस बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी कि तमिलनाडु सरकार द्वारा 3,000 से अधिक व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें गैर कानूनी ढंग से कैद किया हुआ है और उस राज्य सरकार ने प्रवेश शुल्क लगा दिया है जो कि असंवैधानिक है और जिससे संविधान के अनुच्छेद 301 और 304 का उल्लंघन होता है, मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं इसको देखूंगा। अब श्री नायातेवर।

श्री के० मायातेवर (डिन्डिगल) : उपाध्यक्ष महोदय, सारा राष्ट्र जानता है कि आज कल

तमिलनाडु में पीने का पानी नहीं है। मैं भूख-हड़ताल पर था और··· (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम समस्या के बारे में जानते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा भी कुछ किया गया है। उन्होंने रेलगाड़ियों द्वारा पानी भेजा है।

श्री के० मायातेवर : तमिलनाडु में बिलकुल पानी नहीं है। मैं भारत सरकार, माननीय रक्षा मन्त्री और रेल मन्त्री का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तमिलनाडु को पीने का पानी सप्लाई किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप क्या चाहते हैं ? क्या आपने कोई स्थगन प्रस्ताव दिया है ?

श्री के० मायातेवर : मैंने कोई स्थान स्थगन प्रस्ताव नही दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आप इसे कैसे उठा सकते हैं ?

श्री के० मायातेवर : मैंने नियम 193 के अधीन सूचना दी है और उसका एक साम्यवादी संसद सदस्य श्री लारेंस और एक कांग्रेसी संसद सदस्य श्री इस अनवारासु ने समर्थन किया है।···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप क्या चाहते हैं ? आप चाहते हैं कि तमिलनाडु को पानी मिले, उस पर विचार किया जायेगा। अब श्री ए० के० राय···

(**व्यवधान**)

आप सिर्फ वही बातें कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित करें जो कि श्री ए० के० राय कहें आप सभी कृपया बैठ जायें···

(**व्यवधान**)

मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि इस मामले पर विचार किया जायेगा।

श्री के० मायातेवर : मैं नहीं बैठूगा।

उपाध्यक्ष महोदय : तो ठीक है, खड़े रहिए।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जब मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए कह रहा हूं, तो वह इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हैं कि वह अपने ही साथी को अपनी बात न कहने दें ? इसलिए जब मैं दूसरे सदस्य का नाम लूं तो शिष्टाचार और विनम्रता का यह तकाजा है कि पहले सदस्य को बैठ जाना चाहिए।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैंने श्री ए० के० राय को बोलने के लिए कहा है।

श्री ए० के० राय (धन्यवाद) : पिछले 10 दिनों से इस सदन के कई सदस्य कुमार दुबई इन्जीनियरिंग वर्क्स का मामला उठात रहे हैं जहां कि पिछले चार वर्षों से 4 000 मजदूर बेरोजगार हो गये [illegible] 200,00 पा[illegible]न भूखों मर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय ने वचन दिया है कि वे हमारे ध्यानाकर्षन प्रस्ताव पर विचार करेंगे। आज तक हमें कोई सूचना नहीं मिली है। क्योंकि कल इस अधिवेशन का अन्तिम दिन है, अत: मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप कल के लिए इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार कर लें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं एक समय में केवल एक ही माननीय सदस्य को बोलने के लिए कह सकता हूं। जब मैं एक माननीय सदस्य को बोलने के लिए कहता हूं तो बाकी के सभी सदस्यों को बैठ जाना चाहिए। मैं दोनों दलों को देख रहा हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : श्रीमन्, क्या हम इस सदन के सदस्य नहीं हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चित ही आप हैं, इस बारे में कोई एतराज नहीं कर सकता।

श्री बादुसाह पसलेकर (रत्नगिरि) : मैं दो मामले उठाना चाहता हूं। एक सारे देश में व्याप्त पानी की कमी के बारे में है। इस मामले पर कई एक सदस्यों ने रोष प्रकट किया है। इस पर एक प्रश्न भी था, परन्तु उस तक नहीं पहुचा जा सका। क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर कल आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार कर लें और उसके समय दें।

दूसरे, बम्बई शहर में सिक्कों की भारी कमी है। मैंने इस बारे में एक प्रस्ताव दिया है। जो यात्री बसों से यात्रा करते हैं, उनसे कहा जाता है कि वे नीचे उतर जायें क्योंकि कंडक्टर के पास सिक्के नहीं होते। लोग सिक्कों की कालाबाजारी कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप मेरे प्रस्ताव पर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक सिक्कों की कमी का संबंध है, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जो कि बम्बई से निर्वाचित होकर आये हैं, नियम 377 के अधीन एक वक्तव्य पढ़ेंगे।

श्री के० लप्पा (टुमुकर) : श्रीमन्, मैं एक बहुत ही गम्भीर मामला उठा रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : निश्चित ही जब आप इसे उठा रहे हैं तो यह एक गम्भीर मामला ही होगा।

श्री के० लप्पा : मैं आपका ध्यान इस बात की ओर उठाना चाहता हूं कि कर्नाटक की सूखे की स्थिति को देखते हुए, केन्द्र सरकार ने उस राज्य के लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर किए थे हो यह रहा हैं कि राज्य सरकार इस सारी राशि का दुरुपयोग कर रही है ओर कनकपुरा जहां कि चुनाव हो रहे है, वहां के चुनाव अभियान पर खर्च कर रही है, जो कि एक बहुत ही गम्भीर मामला है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप मुझसे क्या उत्तर चाहते हैं ? अपने दल के विधान सभा सदस्यों से रहें कि वे इस मामले को राज्त सरकार के साथ उटायें ।

श्री अमल दत्त । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी अवसर दूंगा । आप तभी बोलें जब आपका नाम लिया जाये ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हाबर्ट) : मैं भी उन सदस्यों के साथ हूं जिन्होंने सरकार से तारापुर परमाणु बिजली संयत्र के बारे में बक्तव देने के लिए रखा है । मैंचाहता हूं कि सरकार परमाणु ऊर्जा विभाग के बारे में इस प्रकार सारी बातें छिपा रही है ।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : जब श्री सत्य साधन चक्रवर्ती ने इसे उठाया था तो मैंने उस वक्त इसका उत्तर दे दिया था - मैं आपको भी वही जवाब दूंगा ।

श्री अमल दत्त : इस बारे में एक संसदीय समिति द्वारा जांच की जानी चाहिए···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही जवाब दे दिया है । अगर वह पुन: इसे उठाते हैं, तो क्या मैं अपना जवाब बदल दूंगा ?

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी लक्ष्मा जी ने सूखे सम्बन्धी बात की है और यह बात सही है कि भारत सरकार ने इस साल सूखे और बाढ़ के कारण हुई क्षति के लिए अधिकतम धन राशि सहायता के रूप में दी है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जबकि उत्तर प्रदेश देश सबसे ज्यादा सूखे और ओलों से प्रभावित हुआ है और लगातार 4-5 साल से प्रभावित है, उसको कोई सहायता नहीं मिली है । मैं आप के माध्यम से भारत सरकार से यह कहना चाहता हूं कि यदि उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई टेक्निकल गलती की है और समय से सहायता की मांग नहीं की है, तो उस पर ध्यान दिये बगैर उत्तर प्रदेश को भी सहायता दी जाए । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरीश कुमार गंगवार ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : उपाध्यक्ष जी, पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहता हूं । 29 और 6 तारीख को मेरा ब्लेक आउट किया गया है । अखबारों ने, खास तौर से हिन्दुस्तान टाइम्स ने किया है । इसलिए मैं अपना नाम बता रहा हूं, शायद मेरा नाम वे न जानते हों, इसलिए मेरा नाम अखबार में न आया हो । मेरा नाम हरीश कुमार गंगवार है और मैं डी० एस० पी० का हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विशेषाधिकार के प्रस्ताव का मामला नहीं है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : यह सब लोग जान लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप हर समय खड़े होकर बोल नहीं सकते । यह विशेषाधिकार का मामला नहीं है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं प्रिविलेज की बात नहीं कह रहा हूं । श्रीमन्,

अब मैं कहना चाहता हूं । यह एक बहुत बड़ी गंभीर मत है ।

(व्यवधान)

अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं । पहले तो मैंने जानकारी कराने के लिए कहा था । बात जो अब मैं कहने जा रहा हूं वह यह है कि जितने नेशनेलाइज्ड बैंक्स हैं, शेड्युल्ड बैंक्स हैं उनमें एक ट्रेड्स बैंक भी है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । प्रेस को अपनी स्वतन्त्रता है । आप उनके कार्य में कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्रीमन् इसमें··· **(व्यवधान)** रुपये का बंगलिंग हुआ है । यह अखबार में छपा है । इंडियन एक्सप्रेस में···

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री चन्द्रजीत यादव···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपसे कभी भी नहीं कहा कि आप बैंच पर खड़े हो जायें । आपको सदन की कार्यवाही को गम्भीरता से लेना चाहिए । यह उचित नहीं है । मैं चाहता हूं कि सभी सदस्य सदन की मर्यादा और शालीनता को बनाये रखें ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आप मेरी बात तो सुन लें ।

रक्षा मंत्री श्री आर० वैंकटराम : न श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । यह नियान्त अशोभनीय है कि···

(व्यवधान)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माम और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : इस तरह से सदन की कार्यवाही चलाना सम्भव नहीं है । अगर वे चाहें तो वेशक उल्टे खड़े हो जायें । वह मात्र यह चाहते हैं कि उनका नाम समाचारपत्रों में आये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अगली मद पर आ रहा हूं । मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं । अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

———

सभा पटल पर रखें गए पत्र

इन्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली केव र्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन एवं विलम्ब के कारण बनाने वाला विवरण, कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन एवं विलम्ब के कारण बनाने वाला विवरण, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली जा वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) (एक) इन्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथाअंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(2) इन्डियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 6598/83)

(3) (एक) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उलिलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में किए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी भंस्करण) ।

(ग्रंथालय,में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 6593/83

(5) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली, के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन भाग 2 (प्रशासन तथा वित्त) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल०टी० 6600/83)

राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदनऔर विलंब के कारण बताने वाला विवरण, राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल संस्थानों सबंधी सोसाइटी, पटियाला के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

संसदीय कार्य खेल और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल. टी. 6601/83)

(3) (एक) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद संस्थानों सम्बन्धी सोसाइटी; पटियाला, के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंगेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा तथा खेल-कूद संस्थानों संबंधी सोसाइटी, पटियाला, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण को सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 6602/83)

(5) (एक) नवम एशियाई खेल, 1982 संबंधी विशेष आयोजन समिति, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) नवम एशियाई खेल, 1982 सम्बन्धी विशेष आयोजन समिति, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6603/83)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हर चीज की एक सीमा होती है।

मोटर यान अधिनियम, 1939 तथा महा पत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) मोटर यान अधिनियम, 1939 की धारा 133 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 295(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 28 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल. टी. 6604/83

(2) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 724 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 12 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उक्त अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मद्रास पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनाये गये मद्रास पत्तन सुरक्षा विनियम, 1981 का अनुमोदन किया गया है।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 6605/83)

भारतीय वायु सेना में राडार फिटर ट्रेड के जूनियर वारंट अधिकारियों के रैंक में पदोन्नति के अवसर न होने के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के 16 जुलाई, 1982 को दिए गए उत्तर में वृद्धि करने वाला विवरण तथा बिलंब के कारण बताने वाला विवरण

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं भारतीय वायु सेना में राडार फिटर ट्रेड के जूनियर वारन्ट अधिकारियों के रैंक में पदोन्नति के अवसर न होने के बारे में प्रो० अजित कुमार मेहता के अतारांकित प्रश्न संख्या 1395 के 16 जुलाई, 1982 को दिये गये उत्तर

को शुद्ध करने और (दो) उत्तर को शुद्ध करने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं ।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल. टी. 6606/83)

पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 1977-78 तथा महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन एवं विलंब के कारण बताने वाले दो विवरण राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलंब के कारण बताने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं श्री आरिफ मोहम्मद खां की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण :—

(क) (एक) पंजाब कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड, चंडीगढ़, के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) पंजाब कृषि उद्योग निगम लिमिटेड, का वर्ष 1977-78 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल. टी. 6607/83)

(ख) (एक) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) महाराष्ट्र कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल. टी. 6608/83)

(3) (एक) राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 198 -82 के

कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6609/83)

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1982, राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन एवं विलंब के कारण बताने वाला विवरण

केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन एवं विलंब के कारण बताने वाला विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखती हूं।

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अन्तर्गत जारी किये गये केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 13 नवम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 689(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6610/83)

(1) (एक) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 6611/83)

(4) केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेद की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के

कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 6612/83)

(6) (क) (1) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1978-79 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे)।

(2) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ख) (1) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, का वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेतन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(2) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग) (1) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, का वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(2) केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुये विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 6613/83)

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया इसके अलावा कार्यवाही वृतांत में अन्य कुछ सम्मिलित मत कीजिये।

(व्यवधान)*

आयल पाम इंडिया लिमिटेड, कोट्टायम के वर्ष 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन एवं विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

*कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(क) (1) आयल पाम इंडिया लिमिटेड, कोट्टायम, के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) आयल पाम इंडिया लिमिटेड, कोट्टायम, का वर्ष 1977-78 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियत्रक महालेखापरीक्षिक की टिप्पणियां ।

(ख) (1) आयल पाम इंडिया, लिमिटेड, कोट्टायम, के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) आयल पाम इंडिया लिमिटेड, कोट्टायम, का वर्ष, 1978-79 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखें तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(ग) (1) आयल पाम इंडिया लिमिटेड, कोट्टायम, के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) आयल पाम इंडिया लिमिटेड, कोट्टायम, का वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(घ) (1) आयल पाम इंडिया लिमिटेड, कोट्टायम, के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) आयल पाम इंडिया लिमिटेड, कोट्टायम का वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6614/83)

नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण नई दिल्ली के 1.7.1980

30.6.1982 तक के वार्षिक प्रतिवेदन

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण की स्थापना संबंधी सांविधिक आदेश के खण्ड 10 के अन्तर्गत, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण नई दिल्ली के 1 जुलाई, 1980 से 30 जून, 1982 तक की अवधि सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), लेखे और उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 6615/83

सिल्क एंड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई के वर्ष 1981-82 के कार्यक्रम की सरकार द्वारा समीक्षा, वार्षिक प्रतिवेदन तथा विलंब के कारण बताने वाला विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(1) (एक) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई, के वर्ष 1981-82 सम्बधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिल्क एण्ड आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन, बम्बई, के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी. 6616/83)

जीवन बीमा निगम (तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) वेतन (संशोधन) नियम, 1983, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की वर्ष 1981-82 की वार्षिक प्रतिवेदन संघ सरकार (रेल), 1981-82 के विनियोग लेखों, रेल भाग-1, समीक्षा, विस्तृत विनियोग लेखे भाग-2

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं—

(1) जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) वेतन (संशोधन) नियम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 30 अप्रैल, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 360 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल. टी. 6617/83)

(2) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

के वर्ष 1981-82 सम्बन्धी प्रतिवेदन—संघ सरकार (रेल)--की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल. टी. 6618/83)

(3) वर्ष 1981-82 के विनियोग लेखाओं, रेल, भाग-1,—समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) वर्ष 1981-82 के विनियोग लेखाओं, रेल--भाग 2—विस्तृत विनियोग लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी सस्करण) ।

ग्रंथालय में रखे गए **देखिए** संख्या एल. ठी. 6619/83)

(5) वर्ष 1981-82 के ब्लाक लेखाओं (पूंजी विवरणों सहित, जिनमें ऋण लेखे हैं), संतुलन-पत्र और लाभ तथा हानि लेखे, रेल, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(ग्रंथालय में रखे गये **देखिये** संख्या एल. टी. 6620/83)

(6) 30 अप्रैल, 1983 की अधिसूचना संख्या 135/83*—के. उ. सा. का. नि. 371 (अ) में अन्तर्विष्ट कतिपय जानकारी को शुद्ध करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(ग्रंथालय में रखा गया **देखिये** संख्या एल. टी. 6621/83)

अध्यक्ष द्वारा प्रक्रिया नियमों कें अन्तर्गत दिया गया निदेश

सचिव : मैं लोक सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निदेश 118क की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रंखता हूं ।

*अधिसूचना 3 मई 1983 को सभा पटल पर रखी गयी थी।

अधीनस्थ विधायन सम्बन्धी समिति 18 वां प्रतिवेदन

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : महोदय, मैं अधीनस्थ विधायन समिति का अठाहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

रेलवे अभिसमय समिति 8वाँ प्रतिवेदन

श्री डूमर लाल बैठा (अरररिया) : महोदय, मैं रेलवे अभिसमय समिति का आठरवाँ प्रतिवेदन (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं जो 'पाचवी योजना अवधि (1974-78) के

*अधिसूचना 2 मई 1983 को सभापटल पर रखी गई ।

दौरान तथा 1978-80 के दौरान रेलवे के कार्यकरण तथा वित्तीय परिणामों एवं पांचवी योजना अवधि (1974-78) के दौरान तथा 1978-80 के दौरान माल और यात्री भाड़े से सम्बन्धित लक्ष्यों और उपलब्धियों की पुनरीक्षा करने के लिए गठित की गई समिति के पाँचवें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध' में है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैं केवल एक निवेदन करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी। कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलत नहीं किया जाएगा। मेरी अनुमति के बिना इस सदन में जो कुछ भी कहा जायगा, वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित किया जाएगा।

12-25 बजे — इसी समय श्री हरीश कुमार आगे आये और सभा पटल के निकट फर्श पर बैठ गये।

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना

विदर्भ में पानी की कमी और पेड़ों की बीमारी से संतरे में पेड़ों के सूख जाने के कारण किसानों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाइयाँ

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषिमन्त्री का ध्यान दिलाती हूं और प्रार्थना करतीं हूं कि वह इस बारे में वक्तव्य दें :—

"महाराष्ट्र के विदर्भ प्रदेश में पानी की कमी और पेड़ों की बीमारी से संतरे के पेड़ों के सूख जाने के कारण किसानों द्वारा अनुभव की जा रही कथित कठिनाइयां और इस मामले में उन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकतम सहायता दिये जाने की आवश्यकता"

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : गत वर्ष अनियमित मानसून के कारण महाराष्ट्र सहित देश के बहुत बड़े भाग को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राज्य के विशेष रूप से 21 जिलों में पानी अत्यधिक अभाव है। विदर्भ क्षेत्र में आने वाले नागपुर, अमरावती, बुलधाना, अकोला तथा योतमल जिले भी प्रभावित जिलों में से हैं।

2. महाराष्ट्र नीबू वर्गीय फलों की खेती करने वाला प्रमुख राज्य है तथा यहां नींबू वर्गीय फलों के अन्तर्गत लनभग 28,900 हैक्टार क्षेत्र है, जबकि समूचे देश में इसके अन्तर्गत कुल 2 08 लाख हैक्टार क्षेत्र बताया गया है। विदर्भ में संतरे की खेती के अन्तर्गत 20,200 हैक्टार क्षेत्र बताया गया है। राज्य सरकार ने सूचित किया हैं कि इस क्षेत्र में संतरे की खेती के अन्तर्गत का क्षेत्रों मोजुदा सूखे और पानी की कमी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तथापि, राज्य सरकार संतरे की खेती करने वाले किसानों को सहायता प्रदान कर रही है ताकि वे

कठिनाइयों का सामना कर सके । कुओं को गहरा करने के लिए किसानों को ऋण देने हेतु एक करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है । बागान विस्तार अधिकारियों सहित विशेषज्ञों के 25 दल प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गए है ताकि वे किसानों को मिटटी में नमी कायम रखने के उपाय अपनाने के लिए सलाह दे सके । परिसवण टैंकों का निर्माण कार्य भी हाथ में लिया गया है राज्य सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि इस क्षेत्र में किस प्रकार की मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं को आरम्भ किया जा सकता है ।

3. सूखे के अलावा इस क्षेत्र में एक रोग का भी प्रकोप जिसे आमतोर पर साइटस डिक्लाइन' कहा जाता है । इस रोग से वृक्ष काफी कमजोर हो गये है और वे सामान्य निरोग वृक्षों की अपेक्षा मौसम के प्रकोप की चपेट में जल्दी आ जाते है । इसके कारण ये हैं :

(1) घटिया रोपण सामग्री:

(2) मिटटी का अनुपयुक्त होना :

(3) घटिया पोषाहार तथा प्रबन्ध :

(4) सिंचाई की कमी : और

(5) संक्रामक, खुम्बी और जीवाणुयुक्त रोगों का होना । नीबू जातीय वृक्ष सफेद और काले कीटों के प्रकोप से भी प्रभावित है जिसके विरुद्ध राज्य सरकार छिड़काव की व्यवस्था करती आ रही है । इन कार्यो पर 1980-81 के दरौान 1.74 करोड़ रुपए तथा 1981-82 के दौरान 9.16 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई थी

4. 18 सितम्बर, 1982 को राज्य सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था जिसमें सूखे के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की गई है । केन्द्रीय दल की रिपोर्ट और तत्सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1982-83 के लिए 56.38 करोड़ रुपये तक के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी । व्यय की इस अधिकतर सीमा में पीने के पानी की समस्या हल करने के लिए 20.50 करोड़ रुपये की धनराशि शामिल है चालू वर्ष के लिए, राज्य योजना के प्रावधान और त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति सम्बन्धी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अतिरिक्त, इस प्रयोजन के लिये 7 83 करोड़ रुपए तक के व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी गई हैं । ''रोजगार सृजन'' शीर्षक के अन्तर्गत भी व्यय की अधिकतम सीमा की मंजूरी दी गई है ताकि प्रभावित क्षेत्रों मे लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की मदद हो सके । प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा चलायी जाने वाली रोजगार गारंटी योजना भी चल रही है ।

श्री मती ऊषा प्रकाश चौधरी : सब से पहले उपाध्यक्ष महोदय मैं आपका और यहां पर सभी का आभार मानती हूं कि विदर्भ के किसानों की समस्या की सैंट्रल लेवेल पर इस सदन में चर्चा करने का निर्णय लिया गया जिसके लिए मैं आप सब की बड़ी कृतज्ञ हूं ।

जिस विदर्भ रिजन का यहां जिक्र किया गया है जहां से मैं आयी हूं और यहां बैठेहुए मंत्री महोदय साठे साहब यहां नेतृत्व करते हैं। विदर्भ रिजन महाराष्ट्र का कपास और संतरों के लिए प्रसिद्ध है। पूरे देश में कपास का उत्पादन सब से अधिक विदभ में होता है। संतरों का जहां तक सम्बन्ध है उस इलाके को देश का केलिफोर्निया कहा जाता है। कुछ वर्षों से वहां की समस्या इस कद्र गम्भीर बनती जा रही है कि इस सदन में भी उसकी चर्चा हुई है। इन संतरों से शासन का काफी फारेन एक्सचेंज भी मिलता था और इससे हम में आर्थिक सबलता आई थी। विदर्भ का किसान जिसने लोकशाही तंत्र में बहुत बड़ा आर्थिक...योगदान दिया है, अपना उत्पादन उस क्षेत्र में बहुत अधिक बढ़ा कर योगदान दिया है, उसकी दर्दभरी पुकार मैं आज यहां आपके सामने रखना चाहती हूं। निसर्ग की जो उस पर अकृपा हुई है, वह चीज मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहती हूं। कौशली नामक बीमारी इन पेड़ों को लगी है जिस को ले कर हम लोगों ने पिछले सेशन में कई बार चर्चा उठाई है और यह विषय राज्य सभा में भी आया है। कौशली की बीमारी और पानी की कमी, दोनों के कारण वहां 1 करोड़ 40 लाख संतरों के पेड़ों को नुकसान हुआ है। आपने भी अपने वक्तव्य में आंकडे दिए है। मेरी अर्ज यह है कि आप आँकड़ों की दुबारा जाँच करें। अभी-अभी नागपुर में जो सम्मेलन हुआ था, परिषद हुई थी वहां हर जिले के बी० डी० ओ० तथा दूसरे अफसर आए थे, वहां किसानों के प्रतिनिधि भी आए थे, संघों के लोग आए थे और उन्होंने आकड़े वहां पेश किए वे अखबारों में भी छपे हैं। वे भी एक प्रकार से आफिशल आँकड़े हैं। उनको मैं यहाँ पर उद्धत करना चाहती हूं ताकि आपको समस्या की गम्भीरता का पता...चल सके। मेरी जान-के हिसाब से अमरावती, नागपुर और वर्धा इन मुख्य तीन जिलों में संतरों का उत्पादन कुल मिला कर 44138 हैक्टर में होता है। वहां पर 1 करोड़ 16 लाख 21 हजार 335 संतरों के पेड़ हैं। यह जानकारी उस सम्मेलन में अफसरों ने दी है। मैं नहीं कहती हूं कि ये बिल्कुल सही आंकड़े है। लेकिन आपने जो अपनी स्टेमेंट में आँकड़े दिए हैं वे भी सही मालूम नहीं देते हैं। मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि अकेले मेरे जिले अमरावती में 25919 हैक्टर जमीन में संतरों की पैदावार है। इसके अन्तर्गत 6 लाख 91 हजार 44 संतरों के पेड़ हैं। तीन चार साल से कालशी की बीमारी वहां फैल रही है। साथ ही पानी का सकट है। कालसी की बीमारी एक दम से उभर कर नहीं आई है चार साल से वहां पर हालत बिगड़ती जा रही है। आज बहुत ही भयग्रस्त स्वरूप उसने धारण कर लिया है। आपने अपने वक्तव्य में कहा है कि 25 दल प्रभावित क्षेत्रों में भेजे गए हैं। साथ ही परिस्रवण टैंकों का निर्माण कार्य भी हाथ में लिया गया है। मैं पूछना चाहती हूं कि कितने टैंकों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है और कितने टैंकों से आज तक दुखाग्रस्त भागों को पानी मिल सका है? जो मदद राज्य सरकार ने मांगी है क्या वह आपने दी है? किसानों की मांग यह है कि उनकी युद्ध स्तर पर मदद की जानी चाहिये।

आज उनके पेड़ सूख रहे हैं। टैंक या इरीगेशन की आगे की जो योजनायें हैं या उनका सर्वे करने का काम है इनमें तो समय लगता है और अभी 60 प्रतिशत पेड़ संतरे के खत्म हुए हैं, लेकिन जब तक सर्वे वगैरह होगा और आप पूरी जाँच करायेंगे तब तक वहां एक भी पेड़ नहीं बचेगा। इसलिये जो आपका स्टेटमेंट है उसके बारे में अपना असमाधान व्यक्त करना चाहती हूं। आपने राज्य सरकार पर सब छोड़ दिया है। 1 करोड़ रु० पानी के लिये उन्होंने रखा, लेकिन वह राशि कम

है इसलिए राज्य सरकार बराबर मांग कर रही है कि साधन और पैसे की दृष्टि से आप विदर्भ के किसानों की युद्ध स्तर पर मदद करें। अगर राज्य सरकार स्वयं ही कर सकती तो इतना नुकसान ही क्यों होता ? तीन साल से आप यही कहते रहे कि यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। मेरा निवेदन है कि आपका भी तो कोई फर्ज है कि आप भी इस बारे में कुछ सोचें और किसानों की सहायता करें।

विदर्भ के किसानों पर वैसे ही आरोप लगाया जाता है कि वह मेहनती नहीं हैं, इरिगेशन नहीं चाहते और वैस्टर्न महाराष्ट्र, हरियाणा पंजाब ने जैसी प्रगति की है वैसी विदर्भ के किसान क्यों नहीं कर सकते ? लेकिन सिंचाई के साधनों के अभाव में वहां के किसान कुछ नहीं कर सकते। वहाँ की हालत यह है कि विदर्भ की इरिगेशन कैपेसिटी 5..60 परसेंट है, और अभी तक जो इरिगेशन हुआ है वह बहुत कम है इसलिये इरिगेशन की पहले ही विदर्भ में कमी है। वहां के लोग पहले अनाज उगाते थे तो उसके दाम व्यापारी के पास जाने के बाद बढ़ते थे। कपास वहां का सबसे बड़ा उत्पादन था लेकिन उसकी कीमत भी समय पर उनको नहीं मिलती थी। इसीलिये वहां के किसान संतरे की फसल के पीछे पड़े। उन्होंने अपनी जिन्दगी भर की मेहनत और पैसा संतरे के बाग लगाने में खच किया। लेकिन आज हालत यह है कि जहां पहले 10, 20 फीट पर पानी था आज वहां 100 फीट तक पानी नहीं मिल रहा है और नीचे काला घना पत्थर है जिसको सरकार भी नहीं तोड़ सकती यही कारण है वहां के किसानों को कुओं से पानी नहीं मिल सकता है। 4, 5 साल से उनकी यह हालत देखते हुए भी आप युद्ध स्तर पर पैसा क्यों नहीं दे रहे हैं ? कभी राज्य सरकार और केन्द्र सरकार एक साथ बैठ कर वहां के किसानों के लिये क्यों नहीं सोचती जिससे हमें जो फौरन एक्सचेंज मिलता था उसका नुकसान न हो। इतनी बड़ी विदेशी मुद्रा न मिलने से हमारी अर्थ-व्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। इसलिये पूर्व नियोजित कार्यक्रम उस भाग के लिये बनाना चाहिये था। अभी उसकी आवश्यकता है। 5 साल तक पेड़ों को बच्चों की तरह वहां के किसान पालते हैं लेकिन जब फल लेने का मौसम आया तो पानी के अभाव और बीमारी के कारण वहां के किसान, 40 परसेंट किसान, ईंधन के रूप में व्यापारियों से सौदा कर रहे हैं क्योंकि पेड़ों पर फल नहीं लग रहे हैं। पानी के लिये लोग कुआ नहीं खोद पाते हैं, दवाई पर पैसा खर्च नहीं कर पाते है। पेड़ काटने के बाद वहां के किसान क्या उगायेंगे, समझ में नहीं आता क्यों कि जमीन में पानी नहीं है, उपर इरिगेशन की व्यवस्था नहीं है। तो कैसे वहां के किसान जी सकेंगे। यह एक बहुत बड़ी समस्या विदर्भ और महाराष्ट्र के किसानों की मैं आपके सामने रखना चाहती हूं।

आज जो नुकसान हुआ है, उसके आंकड़े मैं यहां पेश करना चाहती हूं। 800 करोड़ रु० का सन्तरे के उत्पादन में घाटा हुआ, और 4 लाख लोग बेकार हो गये जो कि सन्तरे के बागानों में काम करते थे या उस पर निर्भर थे, मजदूरी कर के अपना पेट भरते थे।

मेरे जिले अमरावती में स बसेड़ा मार्केट वरुड़ है जहां लाखों गाड़ियां या ट्रक संतरे के आते थे, वहां मेला सा लगता था, लेकिन आज वहां कोई दिखाई नहीं देता। वहां के व्यापारियों ने बोला है कि पिछले साल पांच लाख ट्रक संतरा मार्केट में आया था और इस साल सिर्फ 40 हजार

ट्रक संतरा मार्केट में आया है एक ही साल में इतना उत्पादन कम हो गया, इसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं

मंत्री जी किसानों के प्रतिनिधि हैं, नेता हैं। हमारा कृषि प्रधान देश है। जब तक हम किसानों की हालत ठीक नहीं कर सकते हैं तब तक हम प्रगति नहीं कर सकते। यह बात तो हमने मान ली है कि सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर ही हम अपनी तरक्की करेंगे, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि कृषि को वह उद्योग समझेंगे या नहीं किसानों को उनकी फसल की सुरक्षा, सुरक्षित दाम की गारन्टी देंगे या नहीं ? अगर हम उनके अनाज और फसल को दुर्लक्ष्य करेंगे, समय पर उनको पैसा नहीं देंगे तो वह उगाना बन्द करेंगे। हमारे देश को जिस चीज की जरूरत है, उसको अगर किसान न उगायें उसका बहिष्कार करें तो इससे हमारी हालत क्या होगी ?

मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि वह इस बारे में दिल से बात करें। वैसे ही हमारे विदर्भ का किसान और देश का किसान सीलिंग और अपने बढ़ते हुए परिवार से किसान से मजदूर बन गया है।

हमारे शासन ने और हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किसान को आवाहन किया और उसे जो विश्वास दिलाया उसके बारे में बहुत कुछ कहना चाहती हूं लेकिन मैं इस गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि उसका इम्पलीमैंटेशन करते समय जहां तक हमारी योजना युद्ध-स्तर तक जानी चाहिये, आज वह व्यवस्था ठीक नहीं है।

पिछले साल शासन ने निर्णय लिया था कि स्प्रे की व्यवस्था महाराष्ट्र गवर्नमेंट करेगी लेकिन जो नियम रहते हैं, उन पर सैक्रेटैरिएट में काफी विचार और चर्चा होती है कि किस ढंग से देना चाहिये। मेरा कहना यह है कि किस थाली में खाना है, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पेट भरना महत्वपूर्ण बात है। इस बात में ही कई दिन निकल गये कि जिला परिषद् की तरफ से स्प्रे हो जाये या मंत्रालय की तरफ से हो युद्ध स्तर पर किसानों की मदद करने के लिए चाहे वह व्यवस्था स्टेट गवर्नमेंट की हो या सैंट्रल गवर्नमेंट की हो वह अभी अच्छी नहीं है, इसमें सुधार की आवश्यकता है। इसलिये मैं कुछ डिमाडज करना चाहती हूं। यह हमारे क्षेत्र की समस्या है, इस पर जितना भी बोला जा सके, मेरा दिल बोलने के लिए करता है, लेकिन समय का अनुबन्ध है इसलिये आखिर में मैं मांग करती हूं।

आपने अपने स्टेटमेंट में बताया कि यह सैंट्रल समस्या नहीं राज्य की समस्या है। कुल कितना पैसा दिया गया, परसों राज्य-सभा में श्री मकवाना ने बताया है और कहा है कि हम काफी मदद कर रहे हैं, लेकिन 82-83 में जो आपने पीने के पानी के लिये मदद की है वह 1983-84 में अब तक बहुत कम की है। आपने 7 करोड़ 83 लाख की मदद की है और 29 करोड़ की मांग है। पानी की इतनी गंभीर समस्या होने के बावजूद इतनी कम राशि आपने वहां के लिये दी है। फसल और पीने के लिये पानी की आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। आप कहते हैं कि वह राज्य की बात है, फिर भी हमारी यह डिमांड है कि युद्ध-स्तर पर मदद करने के लिये आप आर्थिक उपलब्धि कीजिए और उसी के साथ-साथ वहां राज्य सरकार से जो डिमांड आई है कि वहां बोरिंग मशीन की आवश्यकता है, डीप बोरिंग मशीन की आप वहां के लिये व्यवस्था कीजिए।

जो छोटी मशीनें कुए में डालने के बाद बोरिंग का काम कर सकती है, राज्य सरकार के पास उनकी कमी है ; केन्द्र सरकार को इस बारे में उसकी मदद करनी चाहिए। पेस्टीसाइड पाउडर की भी काफी कमी है। राज्य सरकार वह नहीं खरीद सकती है। राज्य सरकार ने मांग की है कि केन्द्र शासन को उसके लिए 50 प्रतिशत सबसिडी देनी चाहिए। डेढ़ साल पहले यहां से जो टास्क फोर्स भेजी गई थी, उसने रिकमेंड किया था कि केन्द्र शासन को सबसिडी दे कर वहां पर ये दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय मशीनरी और दवाओं के लिए सबसिडी की व्यवस्था करेंगे।

गुस्से से बात करना राव साहब पसन्द नहीं करते। वह उस क्षेत्र का नेतृत्व करते हैं, जहां 80 से 90 प्रतिशत इरिगेशन है। वहां के किसानों के लिए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उनकी तरक्की के लिए प्रयास करते हैं। विदर्भ में बीस प्रतिशत इरिगेशन नहीं मुझे उम्मीद है कि किसानों के प्रतिनिधि होने के कारण मंत्री महोदय को वहां के किसानों के साथ भी सहानुभूति होगी। और वह उनके लिए शासन से ज्यादा राहत देने की कोशिश करेंगे।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने जो कुछ कहा है, वह हमारे दिमाग में भी है ; उनका कहना सही है कि वहां के किसानों को बहुत दिक्कत हुई है, क्योंकि उनकी आरेंज की फसल नष्ट हो गई है। महाराष्ट्र स्टेट में पूरे देश का 8.7 परसेंट साइट्रस होता है। ऐसा नहीं है कि सब साइट्रस वहां ही होता है, लेकिन वहां पहले से होता है और वहां का आरेंज अच्छा है। करीब 20 000 हैक्टर जमीन उसमें लगी हुई है, वहां के किसान ज्यादा संख्या में उसमें लगे हुए हैं और इस लिए उन्हें ज्यादा नुकसान हुआ है।

वहां की खास प्राबलम पानी की है। माननीय सदस्या ने टास्क फोर्स का जिक्र किया है। उस टास्क फोर्स ने हमें कुछ सुझाव दिए थे, जिनपर सरकार ने अब तक काफी काम किया है। जो टास्क फोर्स 1980 में एपायंट की गई थी, उसने कई शार्ट-टर्म और लांग टर्म मेजर्ज का सुझाव दिया था। खासकर एक सुझाव राइस की व्हाइट और ब्लेक पेस्ट के बारे में था।

जहां तक पानी का ताल्लुक है, मैंने इरिगेशन मिनिस्ट्री से जानकारी की है। सिचाई मंत्रालय ने मुझे यह बताया है कि महाराष्ट्र राज्य के विदर्भ क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाली 13 बड़ी और 35 मध्यम आकार की सिचाई परियोजनाओं को छठी योजना में शामिल कर लिया गया है। विदर्भ क्षेत्र की सिचाई क्षमता जो 1956 में 0.53 लाख हैक्टेयर की थी वह जून 1982 में बढ़कर 4.14 लाख हैक्टेयर की हो गइ थी। लेकिन यह सफिशेंट नहीं है। वहां पर पानी की जो कमी है, उसको पूरा करना बहूत जरूरी है। इसके पलावा हर साल पानी का लेवल पांच मीटर नीचे जा रहा तीन सालों में किसान भाइयों को करीब 15 मीटर नीचे तक जाना पड़ता है। फिर भी पानी की बहुत कमी है। इरिगेशन मिनिस्टरी ने बताया है कि पानी की पहले 20,25 मीटर के अलावा तीन साल में 15 मीटर और नीचे गया है। इसके परिणाम स्वरूप खुदाई व बेधक-कूपों से उत्पादन में 70 से 80 प्रतिशत की गिरावट आई जो पम्पिंग लिफ्ट में वृद्धि हो जाने के बावजूद है। वहां पर सब-सायल वाटर कम हुआ है। बारिश कम होना भी इसकी एक वजह है। वहां पर पानी की कमी ही मेन बात है। वहां ऐसी रिग चाहिए, जो कूंए में बहुत नीचे तक जा सके।

उसके लिए इरीगेशन मिनिस्ट्री के पास तो अभी तक चार ही रिग्स हैं। एक रिग वहां भेज भी दिया है, बाकी आन्ध्र स्टेट से काफी रिग्स वहां के लिए डाइवर्ट किए गए हैं। वह रिग्स पहुंच जाएंगे और उनकी उससे मदद होगी।

माननीय सदस्य ने यह जो कहा कि भारत सरकार कुछ कर नहीं रही है, टाल रही है, राज्य सरकारों के उपर जिम्मेदारी डाल रही है यह सही नहीं है। जितना हो सकता है वह करने की हम पूरी-पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए हरियाणा का किसान ही अकेले नहीं है। राव साहब चूंकि हरियाणा से आते हैं इसलिए वह हरियाणा का ही ख्याल करते हैं यह बात भी गलत है क्योंकि देश के सब किसानों को हम एक ही निगाह से देखते हैं और यही हमारा कर्तव्य है।

महाराष्ट्र की आज की जो हमारी समस्या है उसके लिए नान-प्लान में हमने बताया कि ग्रेचुट्स रिलीफ 0.20 करोड़ दिया गया है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए 5 करोड़ दिया गया है, कैटल कंजर्वेशन के लिये 1.60 करोड़ दिया गया है और दूसरे रिलीफ मेजर्स के लिए 0.20 करोड़ दिया है। सब मिलाकर 7 करोड़ रुपया तो नान-प्लान के अन्दर दिया है। उसके अलावा भी और योजनाएं हैं। जैसा मैंने कहा यह समस्या अकेले पानी की नहीं हैं। इसके साथ-साथ व्हाइट और ब्लैक जो फ्लाइज हैं उनका भी उसमें महत्त्व रहा है क्योंकि उससे काफी पेस्ट स्प्रेड होता है।

इसके लिये कुछ हमारे सैन्टर्स महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं। खास तौर से महाराष्ट्र गवर्नमेंट की महाराष्ट्र की जो यूनीवर्सिटी है उसमें महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहूरी, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, अकोला, कोंकण कृषि विद्यापीठ दातोड़ी और मराठबाड़ा कृषि विद्यापीठ, गर्भागी इसके लिए काम कर रहे हैं। इनके अलावा भारत सरकार के भी तीन सेंटर वहां हैं। ये तो सब स्टेट के हैं। भारत सरकार का एक सेंटर श्रीरामपुर में है जो नागपुर के बहुत ही नजदीक है, दूसरा अकोला में है और तीसरा एक न्यू एक्सपैरिमेंट स्टेशन आफ आई० सी० ए० आर०, प्रोपोज किया है छठी पचवर्षीय योजना के अन्दर वह बनेगा जिससे हमारे किसानों को काफी मदद रहेगी। वहां रिसर्च कर सकेंगे और यह जो समस्या है उसका हल निकाल सकेंगे।

खास तौर से हमारी बहन जो कह रही थीं कि भारत सरकार कोई मदद नहीं करती है, उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि अभी-अभी हम लोगों ने निर्णय लिया, कल तक नहीं था, अभी-अभी लिया है, उसमें ये जो बातें हैं उनको हम एन्डेमिक डिजीज डिक्लेयर करने वाले हैं जो सेंट्रली स्पोन्सर्ड प्रोग्राम होगा। उपमें पचास परसेंट भारत सरकार देगी और पचास परसेंट स्टेट गवर्नमेंट देगी। जो उसको पचास परसेंट सब्सिडी मिलेगी उसमें पच्चीस-पच्चीस परसेंट हमारे यहां से होगा, स्टेट और सेंटर को मिला करके। पचास परसेंट सब्सिडी किसानों को मिलेगी स्प्रे करने के लिए। जो पेस्टिसाइडस स्प्रे करने का काम है उसके लिए यह होगा जिससे जो कीड़े हैं वह मारे जा सकेंगे। जो कुएं हैं उनको ज्यादा नीचे ले जाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक करोड़ रुपये का लोन की डिक्लेयर किया है और जैसा मैंने कहा एक रिग वहां पहुंच भी गया है। 20 रिग्स वहाँ आन्ध्र प्रदेश से भेजना चाहते हैं, वह भी कुछ समय में वहाँ पहुंच जायेंगे।

इसके अलावा हमने 25 ग्रुपस एप्वाइंट किये हैं जिसमें अलग अलग डिसिप्लिन के कंसल्टेंट हैं जो वहां जायेंगे। उसमें एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आदमी होगा, हार्टीकल्चर डिपार्टमेंट का होगा,

ग्राउंड वाटर आर्गेनाइजेशन का होगा। इन सबके एक्सपर्टस को मिलाकर 25 ग्रुप्स बनेंगे। यह ग्रुप हर जगह जाएगा और किसानों को म्वायश्चर कंजर्वेशन के लिये सलाह देगा, ड्रिप इर्रीगेशन और वकेट इर्रीगेशन के लिए सलाह देगा क्योंकि आज जो समस्या है वहां वह पानी की कमी की है। उसके लिए हमें नये नये मेथडस एडाप्ट करने होंगे जैसे ड्रिप इर्रीगेशन और वकेट इर्रीगेशन जिससे पानी ज्यादा वेस्ट न हो। इससे हमारे किसानों की मदद होगी।

ये सारे मैसर्ज जब लिये जाएंगे तब इस समस्या को हल करने में काफी सुविधा रहेगी। लेकिन आज जो हालत है उसमें किसानों को ज्यादा नुकसान हुआ है। हम जानते हैं कि किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। उसके लिए भारत सरकार को जो करना है वह भारत सरकार ने किया है।

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : मन्त्री महोदय ने बताया कि कृषि विद्यापीठ कितने हैं, टेक्निकल हैंड्स कितने हैं और नये सेंटर्स कितने खोलना चाहते हैं। मैं यह जानना नहीं चाहती, मैं तो यह जानना चाहती हूं कि प्रैक्टिकल में क्या है ? यदि कृषि विद्यापीठ यह जिम्नेदारी लेती तो पिछले साल यह हालत नहीं होती।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने बताया है···

श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : जो कुछ भी व्यवस्था की गई हैं उसके वहां पहुंचने में देरी क्यों हो रही है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं इतना कहूंगा कि इंप्लीमेंटेशन का काम हमारा नहीं है। हम तो पैसा दे सकते हैं, इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट को ही करना है। यह सवाल वहाँ की असेम्बली में उठाना चाहिये या मुख्य मंत्री से मिलकर बात करनी चाहिये। हम तो पैसा दे सकते हैं, साइटिफिक मदद कर सकते हैं लेकिन इंप्लीमेंटशन स्टेट गवर्गमेंट ही करेगी।

श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक (बुलढ़ाना) : उपाध्यक्ष महोदय, अमरावती से निर्वाचित माननीय सदस्या श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी ने विदर्भ की स्थिति के बारे में बड़ी अच्छी तरह से बताया है वहाँ भयंकर सूखा पड़ा हुआ है और इससे वहां संतरे की फसल पर बुरा प्रभाव पड़ा है। आज के इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार का ध्यान दो मामलों की ओर आकर्षित करना है : एक तो है पानी की कमी और दूसरा है महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में पेड़ों की बीमारी।

माननीय मंत्री जी ने इस बारे में काफी कुछ कहा है। उन्होंने यह भी वताया है कि सरकार ने सहायता कार्यों के लिए कितना धन स्वीकार किया है। परन्तु वहाँ के लोग जो जानना चाहते हैं वह यह है कि : चूंकि यह समस्या तत्कालिक स्वरूप की है अत: इसके लिये आजकल क्या किया जा रहा है ? हमें इस बात की बहुत चिन्ता नहीं है कि कल क्या किया जायेगा, छठी पंचवर्षीय योजना में या भविष्य में कितना धन खर्च किया जाएगा। सवाल यह है कि इसके लिये अब क्या किया जा रहा है।

मंत्री महोदय ने कतिपय बातें यहां बताई हैं। कुछ धन दिया गया है। परन्तु वह धन किस काम के लिए स्वीकृत किया गया है ? महाराष्ट्र के लिये जो धन दिया गया है वह पेय जल योजनाओं के

लिये है । इतना-इतना धन दिया गया है । मैं इसके आंकड़े नहीं बताऊंगा । वे सब आंकड़े मौजूद हैं । जो धन स्वीकार किया गया है वह सूखाग्रस्त क्षेत्र में रोजगार देने के लिए है परन्तु विदर्भ में संतरों के पेड़ों की रक्षा के लिये कितना धन स्वीकृत किया गया है ? वहां संतरे की फसल को बचाने के लिए कितना धन स्वीकृत किया गया है ? यह जानकारी नहीं दी गई है । मैं नहीं समझता कि फसल को बचाने, वृक्षों की रक्षा करने और उन वृक्षों की सिचाई के लिए पानी सुलभ कराने के लिए कोई धन स्वीकृत किया गया है ।

तत्कालिक समस्या कुओं को खोदने की है तथा उनको और अधिक गहरा करने की है । परन्तु इस बारे में क्या किया जा रहा है ?

प्रकृति बहुत बेरहम रही है और हम यह नहीं चाहते कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार भी खेतिहरों और विदर्भ के लोगों के प्रति निर्दयी हो । वहाँ फसलों को बहुत नुकसान हुआ है, लोगों और खेतिहरों को बहुत नुकसान हुआ है । हम यह चाहते हैं कि मौखिक सहानुभूति के अलावा कुछ और भी किया जाना चाहिये ।

महाराष्ट्र सरकार भी केन्द्र सरकार से आग्रह करती रही है कि उसे और अधिक वित्तीय सहायता दी जाए । मुझे इस बात का पता नहीं है, हो सकता है कि केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र में विशेषज्ञ दल भेजा हो, और उसने वहाँ की आवश्यकता का अब मूल्यांकन किया है; और मैं समझता हूं कि उसी मूल्यांकन के आधार पर, 56.38 करोड़ रु० की राशि महाराष्ट्र के लिये स्वीकार की गई हैं।

वस्तुत: महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार से राहत कार्यों के लिये 131.14 करोड़ रु० स्वीकृत करने का आग्रह किया है। राज्य के लिए इसके आधे से भी कम राशि स्वीकृत की गई है । पता नहीं, राज्य सरकार ने किन कारणों से इतनी अधिक धनराशि अर्थात् 131.44 करोड़ रुपये की राशि माँगी थी और केन्द्र सरकार ने किन कारणों से केवल 56.38 करोड़ रु० ही स्वीकृत किये थे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय लेंगे ?

श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक : मैं कुछ समय लूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : तब फिर आप दोपहर के भोजन के बाद अपना भाषण जारी रख सकते हैं । सदन दो बजे अपराह्न समवेत होने तक के लिये स्थगित होता है ।

13.01 तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

14.07. मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोकसभा दो बजकर सात रिनट पर पुन: समवेत हुई :

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए 131.14 करोड़ रुपये मांगे थे परन्तु केन्द्र सरकार ने केवल

56.38 करोड़ रु० ही स्वीकृत किये। यह राशि बहुत कम है और मुझे स्वयं को भी 131-14 करोड़ रुपया माँगने और केवल 56.38 करोड़ रुपया स्वीकृत करने के बीच इतने बड़े अंतराल का कोई औचित्य दिखाई नहीं देता। या तो केंद्र सरकार ने बहुत कंजूसी बरती है या राज्य सरकार ने बढ़ा चढ़ा कर दावे भेजे हैं। इसका यही कारण होना चाहिये। परन्तु मैं समझता हूं कि राज्य को बहुत विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है और केंद्र सरकार को इस ओर अधिक ध्यान देना चाहिये ताकि राज्य सरकार लोगों की सहायता कर सके। यहां प्रश्न यह है कि केन्द्र सरकार यह कहती है कि यह राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार यह और भी कहती है कि जो कुछ किया जा रहा है वह राज्यों द्वारा किया जा रहा है। परन्तु जब हम राज्यों से कहते हैं तो वे कहते है कि वे पर्याप्त रूप से नहीं कर सकते क्योंकि केन्द्र उन्हें पर्याप्त धन नहीं दे रहा है। इसलिए, जब वे दो सरकारें दो प्रकार की बातें करती हैं, तो लोगों के लिए यह जानना बहुत कठिन हो जाता है कि इस बारे में वस्तुत: क्या स्थिति है और क्या किया जाना चाहिये।

मैं कहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकारों को परस्पर सहयोग करना चाहिए और स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक धन देना चाहिए।

इसके बाद मैं दूसरी बात पर आता हूं। यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा संतरों के बागों को बचाने के लिए वित्तीय सहायता और सुविधाएं दी जा रही हैं, परन्तु कई बार छोटे किसानों, या कमजोर वर्ग के लोगों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों या छोटे बागों वाले छोटे किसानों और अल्प साधन वाले लोगों के लिए इन योजनाओं से लाभ उठाना बहुत कठिन होता है। इसलिए, केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा यद्यपि धन स्वीकृत कर दिया जाता है, परन्तु फिर भी वह पैसा कमजोर वर्ग के लोगों या अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लोगों तक नहीं पहुंच पाता।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से सभी समस्याओं को हल करना चाहते हैं ? आप अपने विषय पर आइये और एक ही विषय पर बोलिये ताकि आपको कुछ मिल सके।

श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक : स्थिति बहुत गम्भीर है। जो भी सहायता दी जा रही है वह केवल धनी किसानों के हाथों में जा रही है, निर्धन किसानों तक नहीं पहुंच रही है। इसलिए, जब राज्य सरकार इस समस्या का समाधान करने के लिए, संतरे के पेड़ों की रक्षा करने के लिए सहायता दे रही है तो उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि यह सहायता केवल धनी किसानों तक ही न पहुंचे, बल्कि गरीब किसानों तक, जिनके पास 10, 20 या 25 वृक्ष हैं, उन लोगों तक जो कमजोर वर्गों के हैं, भी अवश्य पहुंचे। इसलिए, मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं वह ध्यानाकर्षण से असम्बद्ध नहीं हैं, यह इसी समस्या का हिस्सा है।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण में आपको एक प्रश्न पूछना चाहिए; यह चर्चा नहीं है।

श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक : क्या केंद्र सरकार इस मामले में और अधिक सहायता देने की जरूरत महसूस नहीं करती ? संतरे के पेड़ों और फसलों को बचाने के लिए तत्काल कितनी सहायता दी गई है ? अखबारों की खबरों के अनुसार, 800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है क्या

केंद्र सरकार को किसी ऐसी विशिष्ट योजना की जानकारी है जो इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही हो ? क्योंकि केन्द्र सरकार धन दे रही है इसलिए उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि कौन-सी विशेष योजना क्रियान्वित की जा रही हैं। महाराष्ट्र के सभी विश्वविद्यालयों का उल्लेख करना ही पर्याप्त नहीं है। मंत्री महोदय को महाराष्ट्र के सभी कृषि विश्वविद्यालयों और कुछ अन्य एजेंसियों का नाम लिया है। जहां तक मुझे जानकारी है नागपुर और अन्य निकटवर्ती स्थानों में, पंजाब राव कृषि विद्यापीठ कुछ कर रही है, परन्तु कोई और विश्वविद्यालय इस मामले में कुछ नहीं कर रहा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : वे अपने कर्मचारियों को भत्ते तो दे रहे हैं।

श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यदि कोई विशिष्ट योजना क्रियान्वित की जा रही है तो क्या···(व्यवधान) नहीं, नहीं। उन्होंने सभी कृषि विश्वविद्यालयों के नाम लिये हैं। विदर्भ में एक कृषि विश्वविद्यालय है, राहुरी में एक अन्य विश्वविद्यालय है, कोंकण में एक अन्य विश्वविद्यालय है, मराठवाड़ा में एक अन्य विश्वविद्यालय है, इस तरह से मंत्री जी ने सभी का नाम लिया है। इसलिए, यदि कोई विशेष योजना क्रियान्वित की गई है तो मैं यह जानना चाहूंगा कि (1) संतरे के पेड़ों को पानी की कमी से बचाने और (2) इन्हें कीड़ों के बचाने के लिए उसकी रूप रेखा क्या है। मैं समझता हूं कि ऐसे लगभग 1,40,00,000।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उत्तर भी स्वयं मत दीजिये। आप अपने प्रश्न पूछिये।

श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक : मैं तो केवल और अधिक सूचना दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : यही बात आप प्रश्न के रूप में कह सकते हैं। यदि आपने घर पर तैयारी की होती तो यही बात आप प्रश्नों के रूप में पूछ सकते थे। आप बहुत से प्रश्न पूछ सकते थे।

श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक : आगे, मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सहायता की मांग पूरी करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं, क्या केन्द्र सरकार नये सिरे से स्थिति का मूल्यांकन करने और समस्या की बढ़ती हुई गम्भीरता का पता लगाने के लिए कोई एक नया दल वहाँ भेजेगी ?

मैं एक बात और कहूंगा कि जब हमने महाराष्ट्र के उप मुख्य मन्त्री श्री आदिक का यह वक्तव्य समाचारपत्रों में पढ़ा कि उन्होंने यह कहा है कि प्रधान मन्त्री जी महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेगी, तो इस बात से हम बहुत खुश हुए थे। और हम चाहते हैं कि प्रधान मन्त्री जी यह दौरा जल्दी करें, क्योंकि ऐसा होता है प्रधान मंत्री या कोई अन्य महापुरुष राज्य का दौरा करता है, तो सारा तंत्र कुछ परिणाम दिखाने के लिए तीव्र गति से काम करने लगता है। इसलिये प्रधान मन्त्री के दौरे से राज्य को अनिवार्य रूप से लाभ होगा और मैं मन्त्री महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि वह भी प्रधान मन्त्री महोदया से यह अनुरोध करें कि वे स्थल पर जाकर स्थिति का अध्ययन करें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य को अच्छी तरह से नहीं सुना, क्योंकि मैंने केवल सभी विश्वविद्यालयों के बारे में ही नहीं कहा है, बल्कि मैंने सदन को भारत सरकार द्वारा खोले गये तीन केंद्रों के बारे में भी सूचित किया है। इसके साथ ही, मैंने केंद्र सरकार द्वारा दी गई सहायता के बारे में भी बताया है। मैंने कहा था कि केंद्र ने इसे स्थानिक बीमारी क्षेत्र घोषित कर दिया है। एक स्थानिक बीमारी तभी घोषित की जाती है यदि यह बीमारी देश भर में फैल गई हो और जैसाकि मैंने सदन को पहले बताया है कि महाराष्ट्र संतरों के अलावा केवल 8.7 प्रतिशत नीबू जाति के फल उगाता है।

संतरे लगभग 8 प्रतिशत से कम हो सकते हैं क्योंकि यह नीबू जाति के फलों के देश के कुल उत्पादन का केवल 8.7 प्रतिशत है जो महाराष्ट्र के कृषक कर रहे हैं। इसलिए यह बहुत छोटा क्षेत्र है और थोड़े से उत्पादन पर इसका असर पड़ा है पर इतना होते हुए भी सरकार ने इसे विशेष मामले के रूप में महामारी के रूप में घोषित किया है। अन्यथा किसी खास क्षेत्र को इस तरह घोषित किया जाना संभव नहीं है; आप ऐसा नहीं कर सकते, और ऐसी घोषणा करने के बाद हमें राज्य सरकार द्वारा कृषकों को दी जाने वाली सहायता का 50 प्रतिषत राज्य सरकार को प्रदान करना पड़ता है। अत: 50 प्रतिशत राज्य सहाया प्रदान की जायेगी जिसमें से 25 प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा दी जायेगी क्योंकि राज्य किसानों द्वारा लगाए गये धन का 50 प्रतिशत प्रदान करेगा, अर्थात केन्द्र तथा राज्य से आधे-आधे के आधार पर, केन्द्र सरकार द्वारा यह कार्य किया गया है। जहां तक राज्य का सम्बन्ध है, मैंने सदन को यह जानकारी भी दी है कि वह किसानों को ऋण के रूप में एक करोड़ रुपया प्रदान कर रहा है। उन्हें अपने कुओं को और गहरा करना है। सिंचाई मंत्रालय ने जो काम किया है वह भी मैं सदन को बता चुका हूं। छठी योजना में उन्होंने केवल विदर्भ क्षेत्र के लिए 13 बड़ी तथा 35 मझोली सिंचाई योजनाओं का प्रावधान किया है। मैंने सदन को यह सूचना भी दी है कि एक रिग पहले पहुंच चुका है तथा कुओं को और गहरा खोदने के लिये आन्ध्र प्रदेश से 20 रिग ओर लिये गये हैं।

जो विश्वविद्यालय इस सम्बन्ध में कार्य कर रहे हैं, मैं उनके बारे में पहले ही बता चुका हूं। वे संतरे की फसल वाले क्षेत्र के हानिकारक जन्तुओं तथा रोगों के बारे में अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय तथा केंद्र सरकार के केन्द्र इस बारे में कार्य कर रहे हैं।

माननीय सदस्य का कहना है कि राज्य सरकार ने 158.55 करोड़ रुपये प्रदान करने का अनुरोध किया है जबकि केन्द्र सरकार ने केवल 56.38 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को यह सूचना देना चाहूंगा कि केवल महाराष्ट्र ही नहीं, सभी राज्य भारी धनराशि की माँग कर रहे हैं। जब भी कोई विपदा आती है वे इससे दस पन्द्रह गुना राशि की माँग करने लगते हैं। केन्द्र सरकार इतनी बड़ी धनराशि कैसे दे सकती है? केन्द्रीय दल वहाँ जाता है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति भी वहाँ मौजूद है। दोरा करने के बाद वे सभी पहलुओं पर विचार करते हैं...

श्री मधुसूदन वैराले (अकोला) : 27 करोड़ रुपया पीने के पानी के लिए था।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने पीने के पानी का जिक्र नहीं किया । हम 50% राशि प्रदान कर रहे हैं । हमने अभी इसकी घोषणा की है ।

माननीय सदस्यों की जानकारी हेतु मैं एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहूंगा । 1982-83 के दौरान सभी राज्य सरकारों ने कुल मिलाकर 3000/करोड़ रुपये की मांग की । केंद्र सरकार के दल तथा उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने इसे लगभग 781 करोड़ रुपये निर्धारित किया । आप कल्पना कर सकते हैं —कि राज्यों की माँग 3000 करोड़ रुपये की थी जबकि केन्द्र ने इसे 781 करोड़ रुपये निर्धारित किया । उन्होंने जितनी राशि का अनुरोध किया है उतनी राशि प्रदान करना कैसे सम्भव है ? उनकी माँग बहुत अधिक है । महाराष्ट्र ने भी अधिक धनराशि की मांग की है ।

मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और समाज के निर्धन वर्ग की सहायता के लिए बड़ी दिलचस्पी दिखाई है कमजोर वर्गों के लिए हम पहले भी प्रावधान कर चुके हैं तथा अब हमने राज्य सरकारों को 1982-83 के लिए 167 करोड़ रुपये प्रदान किये हैं । वर्ष 1982-83 में छोटे तथा मझोले किसानों के लिये भी 180 करोड़ रुपये रखे गये हैं । मुझे पता नहीं कि राज्य सरकार इसका उपयोग कर रही है अथवा नहीं । मेरी जानकारी यह है कि राज्य सरकार ने इस राशि का उपयोग नहीं किया है । माननीय सदस्य को पहले राज्य सरकार से इस राशि का उपयोग करने को कहना चाहिए और तब हमारे पास आना चाहिए ।

श्री एन० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : पर उसे बरबाद नहीं करना है ।

श्री मधुसूदन वैराले : केन्द्र सरकार भी उनसे सीधे पूछ सकती है ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : केन्द्र सरकार पहले ही पूछ चुकी है । हम उनसे फिर पूछ रहे हैं । मानमीय सदस्य कृषि के लिए आबंटित राशि के बारे में जानना चाहते हैं । यह राज्य का विषय है । राज्य-बजट में सारी बातों का उल्लेख है ।

मुझे जो जानकारी मिली थी मेंने वह प्रस्तुत कर दी है । यदि वह इसके अलावा कोई जानकारी चाहते हैं तो राज्य सरकार से प्राप्त कर सकते हैं ।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : यह निधि की विडम्बना ही है कि मंत्रिमंडल में दो इन्द्र (राव वीरेन्द्र तथा योगेन्द्र) होते हुए, देश भारी सूखे का सामना कर रहा है । कृषि वैज्ञानिक सामान्यत: हमें यह बताते हैं कि, जिस क्षेत्रों में लोग वर्षा पर आश्रित रहते हैं वहां कृषकों को एक तिहाई क्षेत्र बागवानी का रखना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं जब एक-तिहाई क्षेत्र में बागवानी का रखना चाहिए । जैसा कि आप जानते हैं जब एक-तिहाई क्षेत्र में बागवानी हो तथा दो-तिहाई क्षेत्र मौसमो फसलों का हो तथा अगर मौसमी फसल खराब हो जाए तो बहुत अधिक नुकसान नही होगा ।

(व्यवधान)

पर जब बागवानी पर वह असर पड़ता है तो बड़ा होता है । जैसा कि आपको विदित है

नीबू वंश के वृक्ष के फल आने में 5 वर्ष लगते हैं तथा नीबू वंश के वृक्ष की आयु लगभग 25 वर्ष होती है। अगर इसके वृक्ष पर इस वर्ष असर पड़े तो कृषक को पूरी अवधि तक यह नुकसान होता है। इसलिए मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इस सरकार ने जो कि 30 वर्षों से भी अधिक समय से योजना बनाती रही है इस तरह की स्थिति पर विचार क्यों नहीं किया जिसमें कि बागवानी के संकट का सामना करना पड़े। माननीय सदस्य श्री एम० डब्ल्यू० धावे को राज्य सभा में जो उत्तर दिया गया उसे पढ़कर मुझे बड़ा आघात पहुंचा। भाग 'ग' में उत्तर में, वह कहते हैं कि "ऐसी कोई केन्द्रीय या केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं जिसके अन्तर्गत नींबू का उत्पादन करने वाले कृषकों की सहायता प्रदान की जा सकें। कृषि मंत्रालय वर्षा से सिंचाई करने वाले क्षेत्र के कृषकों से एक तिहाई क्षेत्र में बागवानी करने के लिए कैसे कहते हैं? उन्होंने ऐसी स्थिति पर विचार क्यों नहीं किया? क्या हमारी योजना इतनी असफल रही है।

मैं माननीय मंत्री से दूसरा स्पष्ट उत्तर जानना चाहूंगा कि भविष्य में होने वाली इस तरह की स्थितियों का सामना करने के लिए वह आगे क्या करेंगे? हम अभी घोषित योजना के लिए एक 'इन्द्र', माननीय मंत्री के आभारी हैं। पर आज दिए गए वक्तव्य को पढ़कर मुझे खेद हुआ है। इसमें कहा गया है कि कुओं को गहरा करने के लिए किसानों को ऋण के रूप में देने के लिए 1 करोड़ रुपया मंजूर किया गया है। एक करोड़ रु० बहुत कम राशि है विदर्भ क्षेत्र में एक ताल्लुक्कपोर्सी है और उसमें एक गांव वरुद है। वहां हजारों कुओं का पानी सूख गया है। महोदय आप कुए में छेद करने की दर जानते हैं। 4 इंच व्यास प्रति फुट पर यह 30 रु० 40 तक बैठती है। दर पर किसी कृषक या बागवानी पर पैसा लगाने वाले व्यक्ति का जो कि इस विपदा से पीड़ित है, जिंदा रहना क्या संभव है? मंजूर किया गया ऋण बहुत कम है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं क्या आप इन लोगों को राज सहायता देकर कुए खोदने में इनकी मदद कर सकते हैं?"

जहां तक कीटनाशक दवाओं का प्रश्न है, मैं भी सरकार का धन्यवाद करता हूं क्योंकि माननीय रसायन तथा उर्वरक मंत्री श्री साठे ने पिछले दिन यह घोषणा की थी कि उन्होंने ऐसी कीटनाशक दवा खोज निकाली है जो कि नींबू वंश के वृक्षों को नुकसान पहुंचाने वाले रोगों पर काबू पाने के लिए उपयोगी है। कृषकों का सब कुछ बरबाद हो रहा है। उसकी न केवल इस मौसम की फसल खराब हुई है बल्कि अगले वर्ष की फसल में भी खराब होगी। आप उसे केवल 50 प्रतिशत राज-सहायता क्यों देना चाहते हैं? आप कृपया उसे शत-प्रतिशत राज सहायता दें तथा उसे अपने पैरों पर खड़े होने दें। उसकी 60 प्रतिशत फसल पहले ही नष्ट हो चुकी है। केवल 40 प्रतिशत बची है। कम से कम उसकी उस सीमा तक तो मदद करें। आप इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकेंगे। आप निर्धन कृषकों को जिंदा रख सकेंगे। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे 50 प्रतिशत राजसहायता को बढ़ाकर शत प्रतिशत करें तथा उन्हें अपने कुओं को छेद करने वाले यंत्रों जिनका जिक्र मेरे माननीय मित्र कर चुके हैं के द्वारा और गहरा करने के लिए भी राजसहायता देकर मदद करें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्य का आभारी हूं। मैं केवल उन्हीं प्रश्नों पर

चर्चा करूंगा जिन पर मैंने पहले कुछ नहीं कहा है।

जहां तक कुओं को गहरा करने का प्रश्न है, सिंचाई मंत्रालय इस काम को कर रहा है, मेरा मंत्रालय नहीं कर रहा है।

श्री उत्तम राठौर : मुझे खेद है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। यह संयुक्त उत्तरदायित्व है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिंचाई मंत्रालय को लिख सकते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह संयुक्त उत्तरदायित्व है, पर मैं किसी अन्य मंत्रालय की ओर से कुछ नहीं कह सकता हूं। महोदय माननीय सदस्य को दूसरी चर्चा सिंचाई मंत्रालय से करनी चाहिए, मैं केवल प्राप्त जानकारी के अनुसार ही यह बता सकता हूं कि सिंचाई मंत्रालय कितनी मदद कर रहा है।

मैं सदन को 20 रिगों के बारे में पहले ही बता चुका हूं उन्होंने आंध्र प्रदेश को भेजे जाने वाले 20 रिग वहां भेज हैं तथा अन्य सहायता के लिए भी कहा है। मैं माननीय सदस्यों को इसकी सूचना पहले ही दे चुका हूं। पर जहां तक राज-सहायता या अन्य बातों का सवाल है, यह मेरे मंत्रालय का काम नहीं है। सिंचाई मंत्रालय इस कार्य कर को कर रहा है। मैं दूसरे मंत्रालय की ओर से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे उनके कार्यक्रम की कोई जानकारी नहीं है।

जहां तक राज्य सभा का प्रश्न है, मैंने श्री धावे को जो बताया था कि महाराष्ट्र के किसानों को हुए नुकसान की पूर्ति करने के लिए केन्द्र सरकार की राजसहायता की कोई योजना नहीं यह सच था कि जब तक इस स्थानिक रोग घोषित नहीं किया जाता, जैसा कि कल या परसों किया गया, हम ऐसी कोई योजना नहीं बना सकते। इसलिए, मैंने राज्य सभा में जब इस प्रश्न का उत्तर दिया, तब यह निर्णय नहीं लिया गया था। जब तक इसका पूरे देश पर असर न पड़ रहा हो तब तक हम ऐसा नहीं कह सकते। अतः राज्य सभा में दिए गए इस उत्तर की लोकसभा में दिए गए उत्तर से कोई संगति नहीं है क्योंकि स्थिति प्रतिदिन बदलती है; सरकार प्रतिदिन कोई नया निर्णय लेती है जब आज यहां कोई नया निर्णय लिया गया है तो यह कहना ठीक नहीं कि इसे कल राज्य सभा में क्यों नही बताया गया था।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठावाड़ा और कोंकण तीन पिछले क्षेत्र है और दुखद बात यह है कि वह प्रत्येक क्षेत्र जहां मीठे फलों की पैदावार होती है, पिछड़ा हुआ है। विदर्भ क्षेत्र में मीठे संतरों की पैदावार होती है और यह पिछड़ा हुआ है। कोंकण क्षेत्र में मीठे अन्नासों आमों की पैदावार होती है और वह भी पिछड़ा हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि कृषि और बागवानी के क्षेत्र में भी इन सभी पिछड़े क्षेत्रों की उपेक्षा की गई है।

मैं आधारभूत नीतियों में संबंध में कुछ प्रश्न उठाना चाहूंगा। मैं मन्त्री महोदय का समय उन सभी बातों को दोहराने में खराब नहीं करूंगा जिन पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है। इस

समस्या विशेष के संबंध में पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं वह कृषि और बागवानी से सबन्धित सामान्य समस्या है, जिसका सामना उन्हें रुग्णता के कारण करना पड़ता है यदि आप कृषि और बागवानी की रुग्णता की तुलना उद्योग की रुग्णता से करें तो आपको पता लगेगा कि रुग्ण उद्योग का उपचार करते समय जहाँ विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, रुग्ण कृषि और बागवानी का उपचार करते समय ऐसा नहीं किया जाता उदाहरण के लिए यदि कुछ उद्योगपति, उद्योग में सकट पैदा कर देते हैं और उद्योग रुग्ण बन जाते हैं तो सरकार उस उद्योग का अधिग्रहण कर लेती है और उस पर काफी धन व्यय करती है और इसे पुनः स्वस्थ करके इसके उद्यमियों को लौटा देती है और वह इससे लाभ कमाते हैं। इसके विपरीत जब बागवानी में बीमरी फैलती है, जैसा कि इस विशेष मामले में हुआ है, जो सूखे अथवा पानी की कमी के कारण नहीं हुआ बल्कि महामारी के कारण हुआ है और जिसके परिणाम स्वरूप संतरे की फसल को काफी नुकसान हुआ है, ऐसा कुछ नहीं किया गया।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो आकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, क्या वह विश्वनीय हैं। मैं कोई आरोप लगाना नहीं चाहता। शायद ऐसा हो कि वह किसी कम्यूटर मशीन पर काम कर रहे हो और कम्यूटर में किसी गलत खराबी के परिणाम स्वरूप सारी संगठना हो गई हो। दूसरी ओर शायद आकड़े राज्य भेजते समय सरकार से कोई चूक हो गई हो और जिसके परिणाम फलरूप वह वही गलत आँकड़े इस राष्ट्रीय वाद-विवाद इस सदन में दे रही हो और हमें वही आँकड़े प्राप्त हो रहे हो।

उपाध्यक्ष महोदय : त्रुटि स्वयं अपने आप में राष्ट्रीय वस्तु बन जाती है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपने बुद्धिमत्ता पूर्ण बात कही है। यह सही बात है।

मैं मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि इस विशेष क्षेत्र के कुछ विशेषज्ञ उत्पादकों ने मुझे और कुछ अन्य संसद सदस्यों को बताया है कि वास्तव में संतरे के 60 प्रतिशत वृक्षों को नुकसान पहुंचा दें और वृक्ष पूर्णतः नष्ट हो गए हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह जांच करे कि यह आंकड़े ठीक हैं अथवा नही।

उन्होंने यह भी कहा कि महाराष्ट्र एक नीबू जाति के फलों का उत्पादक महत्वपूर्ण राज्य है और सम्पूर्ण देश के कुल 2.08 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की तुलना में यहां पर 28,900 हैक्टेयर में नारंगी उगाई जाती हैं। यह आकड़े सही प्रतीत नहीं होते। इसलिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह पता लगाएं कि क्या यह आंकड़े भी सही हैं या नहीं।

इसका एक और पक्ष भी है। जहां तक कृषि तथा बागवानी की रुग्णता और उद्योग की रुग्णता के बीच भेद का सम्बन्ध है, जैसा कि मैंने कहा, उद्योग के मामले में काफी पूंजी निवेश किया जाता है और उसका उचित प्रकार से सुधार किया जाता है किन्तु कृषि अथवा बागवानी के सम्बन्ध में चाहे आर्थिक सहायता देने का प्रश्न हो अथवा उसका उस पर करने का हो, चाहे बेहतर जल सुविधाएं उपलब्ध कराने का हो, उस मामले में आप हमें नही बताते कि राज्यों की वास्तविक मांग और जो राशि मंजूर की गई उसके बीच क्या अन्तर है। यह सत्य है कि जब भी

कोई राज्य मांग करता है तो केन्द्रीय दल वहां जाकर स्थिति का अनुमान लगाता है और अन्त में उस दल की सिफारिशों के आधार पर आप सहायता की राशि मंजूर करते है। मैं जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा वास्तव में कितनी माँग की गई हैं और क्या उन्होंने ब्यौरे के लिए कहा है और उस स्थिति में विदर्भ क्षेत्र की तमाम रूग बागवानी के विकास के लिए कुल कितने धन की आवश्यकता होगी। जब वे केन्द्रीय पूल की मांग करते है वे पहले हमेशा ब्यौरा प्राप्त करने की सिफारिश करते है और तब उसके आधार पर आवश्यक और विशेष आबंटन करते हैं। इसलिए मैं, यह जानना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लिए और विशेषकर बागवानी के लिए उन्हें कुल कितने धन की आवश्यकता थी और कितना धन आपने उन्हें दिया है।

अपने उत्तर के पैरा 4 में केवल सामान्य सा उत्तर दिया है और कुछ आकड़े दिए है जो बहुत अधिक संगत नही हैं। उदाहरण के लिए आपने पेय जल और उसके लिए स्वीकृत की गई राशि का उल्लेख किया है। मैं नहीं जानता कि वृक्षों के विकास के लिए जिस पानी की आवश्कता होती है वह पीने का पानी होना चाहिए। नहीं तो आप उन्हें उसमें शामिल क्यों कर रहे हैं। आपने पेय जल के लिए जो भी राशि मंजूर की है वह निसन्देह गांवों के पीने के पानी की सुविधाओं के लिए उपयोगी है किन्तु वह पीने का पानी का कोइ भी अंश वृक्षों की पैदावार के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाता है।

दूसरे में पैरा 3 में आपने इस बात का उल्लेख किया है निम्न स्तर की पौधा लगाने की सामग्री भूमि की अनुपयुक्तता, खराब पोषादार, प्रबन्ध, सिचाई का अभाव वायरस, फुंगी तथा बैक्टीरियां सम्बन्धी रोगों के कारण उपज में कमी हुई है।

यह कुछ विभिन्न कारण और साधन है जिनका आपने स्पष्ट रूप से पता लगाया हैं और इन कारणों को दूर करने के लिये केंन्द्र द्वारा और राज्यों द्वारा कितना-कितना धन दिया गया है पैरा 3 में कुछ ऐसे कारणों का उल्लेख किया गया है जो इस प्रकार के रोगों के लिए दीर्घावधि कारण है और यदि ऐसा है तो सम्पूर्ण नीति को लेना होगा। कुल मिला कर हमारे देश में कृषि और बागवानी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमें उत्पादन के लिये वर्षा पर निर्भर रहना पड़ता है। उपब्ध करायी गयी सिचाई सुविधाओं का प्रतिशत बहुत कम है और यदि आप विदर्भ मराठबाड़ा और कोवण जैसे पिछड़े क्षेत्रों में जाएं तो आपको मालूम होगा कि राज्य द्वारा किया गया आबंटन और भी कम हैं। बडी परियोंजनाओं के सम्बन्ध में भी आप यह देखे कि जब भी किसी राज्य के पिछड़े क्षेत्र में कोई परियोजना आरम्भ की जाती है तो उसके लिए केन्द्रीय सहायता स्वयं उपलब्ध हो जाती है। यह केवल राज्य का ही दायित्व नहीं हैं। इसलिए यदि आप इन क्षेत्रों के लिए बड़ी सिचाई परियोजनाए आरम्भ करना चाहते है ताकि नीबू जाति के फलों के उत्पादन में वृद्धि की जा सके तो यह केवल राज्य सरकार का ही दायित्व नही होगा बल्कि अप्रत्यक्ष से यह केन्द्रीय सरकार का भी दायित्व होगा क्योंकि जब भी कोई बड़ी परियोजना आरम्भ की जाती है तो उस मामले में केन्द्र से एक निश्चित प्रतिशत में सहायता मिलती है इस बात को ध्यान में रखते हुए तथा इसके दीर्घविधिक महत्व को रखते हुए आप क्या आबंटन करने जा रहे है और इन सभी कारणों, जिन्हें आपने इन बीमारियों के आधारभूत कारण

बताये है के लिए अनुसंधान और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में क्या ठोस कदम उठाए गए है। मैं यह सब जानना चाहता हूं।

उन्होंने राज्य और केन्द्र के विषय का प्रश्न उठाया है। क्योंकि मूलत: राज्य और केन्द्र के विषयों का बटवारा किया हुआ है और इनसे आबटन संबंधी और समस्याए खड़ी होती हैं क्योंकि राज्यों की वित्तीय शक्तियां पर्याप्त नहीं है, और इसीलिए प्रधानमन्त्री ने राज्यों को अधिक वित्तीय शक्तियां और संसाधन देने के लिए तमाम ढांचे की पुन: जांच कराए जाने की मांग को स्वीकार कर लिया है। इसी कारण से, सरकारिया आयोग की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी हैं। है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय, विभिन्न आंकड़ों के आधार पर, जिनका सामना उन्हें उस समय करना पड़ता है जब राज्यो को केन्द्रीय सहायता दी जानी होती है और जब राज्यों के स्थानीय साधन पर्याप्त नहीं होते क्योंकि इनका एक बड़ा भाग केन्द्र को अन्तरित कर दिया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप उनके पास भी साधन थोड़े रह जाते हैं, इस आधारभूत मुद्दे की भी जांच की जानी चाहिए। और विभिन्न क्षेत्रों में आपके अनुभव के आधार पर आप कृषि तथा बागवानी के प्रभारी हैं।

आपको उन्हें बताना चाहिए कि यह विशिष्ट कठिनाईयाँ हैं। यदि बहुत अधिक केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा सकती तो कम से कम उन्हें राज्यों के अपने कुछ साधनों का उपयोग करने की अनुमति दे दी जानी चाहिए और उसे केन्द्र के लिए एक बड़े भाग के रूप में प्राप्त नहीं कर लिया जाना चाहिए। यदि यह कर दिया जाता है तो हमारे लिए इन कठिनाईयों को पूर्णत: समाप्त करना सम्भव हो पाएगा।

एक अन्य पहलू भी है। सूखे वाले क्षेत्रों के लिए आबंटन किया जाता है और पैरा 4 के आधार पर केन्द्रीय सहायता दी जाती है। मैं यहाँ आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब आप विभिन्न राज्यों को यह आबंटन करते हैं और केन्द्रीय सहायता देते हैं तो क्या इसके लिए कोई निश्चित मापदण्ड हैं। विशेष रूप से जब पिछड़े क्षेत्रों को सहायता देने का प्रश्न हो तो क्या आप केन्द्रीय सहायता देने के निर्धारित मापदण्डो से हटकर तरजीह के आधार पर सामान्य से कुछ अधिक सहायता देने का प्रयत्न नहीं करते। मैं यह विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं।

जहां तक नुकसान का संबंध है मैं समझता हूं कि अधिकाँश विशेषज्ञों ने यह कहा है कि 60 प्रतिशत से अधिक पेड़ों को नुकसान पहुंचा है, कुल 800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और इस काम में लगे हुए 4.5 लाख लोग पूर्णत: बेरोजगार हो गए हैं। इस विशेष समस्या पर पर ध्यान पाने के लिए···

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है।

प्रो० मधु दण्डवते : केवल चीनी उद्योग समृद्ध हो रहा है; नहीं तो अर्थव्यवस्था पूर्णत: नष्ट हो चुकी है। इस देश में यह सब हो रहा है।

इसलिए, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए क्या उपाय किए गए हैं। मैंने इस प्रक्रिया में 4.5 लाख लोगों के बेकार होने तथा बागवानी

का 800 करोड़ रुपए का नुकसान होने की बात की है। यदि राज्यों के संसाधन अपर्याप्त है तो उस मामले के केवल यह कहना कि राज्य हमेशा ही अपने दावे बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत करते हैं, ठीक नहीं है।

यहां पर मैं मन्त्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार की प्रवृति इस प्रकार की नहीं है कि यदि आप एक निश्चित मात्रा की मांग करते हैं तो वह हमेशा ही उसका कुछ प्रतिशत काट कर आबंटन करते हैं। इस स्थिति के कारण राज्य सरकारों की प्रवृति अधिक मांग करने की बन गई है। यदि किसी मजदूर संघ को चार माह का बोनस चाहिए होता है तो वह 6 मास के बोनस की मांग करते हैं और उन्हें 4-4 1/2 मास का बोनस मिल जाता है। राज्य सरकार भी उसी पद्धति पर कार्य कर रही है और इस बात में कोई शक नहीं है कि वह अधिक मांग करती है। किन्तु अन्त में तब केन्द्रीय दल जांच के लिए जाता है तो उसे पता चलता है कि वास्तव में दावे इतने बढ़ा चढ़ा कर नहीं किए गए है, जितने वह पहले से ही प्रतीत होते थे ? इस परिप्रेक्ष्य में, क्या आप किए गए आबंटन को नहीं बढ़ाते हैं, ताकि बागवानी को मजबूत आधार प्रदान किया जा सके।

एक प्रश्न मैं भूल गया हूं। मैं इसके बारे में बहुत चिन्तित था। सूखे की परिस्थिति से पैदा की गई समस्याओं के अलावा फलों के व्यापार में लगे किसानों तथा व्यापारियों को जिस समस्या का सामना करना पड़ता है वह परिवहन से संबंधित है। जहां तक देश का संबंध है वह हमेशा से ही कुछ रियायतों और सुविधाओं की मांग कर रहे हैं। केला उत्पादकों की यही समस्या है, संतरा उत्पादकों की भी यही समस्या है और आम उत्पादकों की भी यही समस्या है। आम उत्पादक मोटर-परिवहन को तरजीह देते हैं। किन्तु केला और संतरा उत्पादक लगातार यह माँग कर रहे हैं कि माल भाड़े में कुछ रियायतें की जानी चाहिए।

कुछ वर्ष पूर्व, 1978 में जब यह समस्या उठी—आरोप लगाये जाने के जोखिम के बावजूद में अपने अनुभव का उल्लेख करूंगा— जब केला उत्पादकों ने अपने उत्पाद के परिवहन के लिए कुछ रियायतों की माँग की तो हमने व्यापारियों के साथ कृषकों का सम्मेलन बुलाया और उन्हें चेतावनी दी थी कि 50 प्रतिशत छूट दी जाएगी बशर्ते कि उसका लाभ कृषकों को मिले और यदि व्यापारियों ने इसे हड़पने की कोशिश की तो यह रियायत समाप्त कर दी जाएगी। उस शर्त के साथ जब 1978 में 50 प्रतिशत की रियायत दी गई तो व्यापारियों ने उस छूट को स्वयं नहीं हड़पा और उत्पादकों को भी दिया जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादकों को फायदा हुआ। इसलिए क्या आप रेल मंत्रालय से सिफारिश नहीं करेंगे ? आप ऐसा न करिए कि आप रेल मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है।

भाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश आप उसी सरकार के अंग हैं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए रेल मंत्रालय से सिफारिश करें ताकि संतरों और केलों में माल भाड़े पर छूट दी जा सके और यदि संभव हो तो 50 प्रतिशत छूट दी जानी चाहिए कृषकों को इसका लाभ मिल सके और इसके परिणाम स्वरूप रेलवे को भी लाभ पहुंचेगा। मैं, उनसे इन प्रश्नों के उत्तर की माँग करता हूं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : क्या मैं एक और जोड़ सकता हूं ···

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं अनुमति नहीं दी जा सकती। अब हम यहाँ पर गन्ना नीति पर वाद-विवाद नहीं कर रहे हैं। यह संतरे के संबंध में है···आपको गलती हुई है।

श्री एम. राम गोपाल रेड्डी : मीठे संतरे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हमारा रवैया कृषकों के प्रति पक्षपात पूर्ण है और हम केवल बड़े उद्योगों की सहायता कर रहे हैं। यह बात नहीं है। वास्तव में सरकार किसानों के बारे में बहुत चिन्तित है और जब भी आवश्यकता होती है वह उनकी सहायता करती है।

जहां तक आकड़ों का संबंध है, जो भी आंकड़े मैंने इस सदन में प्रस्तुत किए हैं वे राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। मेरा एक मात्र स्रोत राज्य सरकार है और जो भी आंकड़े मुझे राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं वह मैं इस सदन में प्रस्तुत करता हूं। यदि माननीय सदस्य यह अनुभव करते हैं कि ये ठीक नहीं है तो मैं राज्य सरकार से पुनः अनुरोध करके पूछूंगा कि क्या वह अपने आंकड़े संशोधित करना चाहते हैं। तत्पश्चात मैं संशोधित आंकड़े प्रस्तुत करूंगा अन्यथा नहीं करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरे लिए अब केवल यही चारा है कि मैं महाराष्ट्र विधान सभा के के लिए चुना जाऊं और वहाँ पर यह मामला उठाऊं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं राज्य सरकार के साथ इसे उठा सकता हूं और इनसे अनुरोध करूंगा कि यह दावा किया गया है···

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपका उत्तर देने वहां पर भी आ सकते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : और यदि राज्य आंकड़ों में संशोधन करती है तो मैं माननीय सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा संशोधित किए गए आंकड़ों के संबध में बता दूंगा। इस समय मेरे पास जो भी आँकड़े मौजूद हैं वह मैंने माननीय सदस्यों को दे दिए हैं।

जहां तक आबंटन का संबंध है, इस समय मेरे पास पृथक आबंटन नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया है। जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार को सूखा राहत के रूप में दी जाने वाली सहायता का सम्बन्ध है, मेरे पास उसका विवरण मौजूद है और यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं केन्द्रीय सहायता के आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं।

पेय जल—1982-83—20,50 करोड़ रुपए

1983-84···

आपको यह नहीं चाहिए···

प्रो० मधु दण्डवते : इससे कोई मतलब हल नहीं होगा।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हमने राज्य को जो सहायता दी है, मेरे पास उसका ब्यौरा है। जहाँ तक राज्य सरकार का सम्बन्ध है मेरे पास कोई आंकड़े नहीं हैं। यह एक बात है।

माननीय सदस्य ने बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की बात की है। मैंने पहले ही बताया कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है नहीं तो मुझे सिंचाई मंत्रालय की ओर से भी देने में कोई झिझक नहीं थी। जो भी मुझे दिया गया वह मैं पहले ही माननीय सदस्यों को बता चुका हूं। जहाँ तक कुओं को गहरा करने तथा रिंग उपलब्ध कराने का सम्बन्ध है, सिंचाई मंत्रालय जो भी करने जा रहा है, वह मैं माननीय सदस्यों को बता चुका हूं। दूसरा सवाल अब जो कर रहे हैं उसकी मेरे पास जानकारी नहीं है क्योंकि यह सिंचाई मंत्रालय से संबद्ध है और मैं इस समय प्रस्तुत कर सकने की स्थिति में नहीं हूं।

माननीय सदस्य ने निर्धारित मापदण्डों का प्रश्न उठाया है। हां, निर्धारित मापदण्ड है। इसके बावजूद भी केन्द्रीय दल राज्यों को जाता है। वह स्थिति का आकलन करते हैं। तत्पश्चात एक उच्च स्तरीय समिति केन्द्रीय दल द्वारा प्रतिवेदित सभी पहलुओं पर विचार करती है और इनके परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेती है कि राज्य सरकार को राहत के रूप में कितनी राशि दी जानी चाहिए।

जहां तक पिछले क्षेत्रों और पिछड़े लोगों का सम्बन्ध है, राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता के बारे में निर्णय करते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है तथा भारत सरकार अब भी सहायता उपलब्ध करती हैं तो कमजोर वर्गों के लिए भी अलग आबंटन किया जाता है; अर्थात समाज के कमजोर वर्गों को तरजीह दी जाती है।

जहां तक परिवहन का सम्बन्ध है, यह संतरा तथा अन्य फल उत्पादकों के माग में एक बड़ी रुकावट है। यह रेल मंत्रालय का काम है, किन्तु मैं रेल मंत्रालय से सिफारिश कर सकता हूं। मैं रेल मंत्रालय तथा माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि मैं रेल मंत्रालय को, कृषकों को माल भाड़े आदि में छूट देने के सम्बन्ध में लिखूंगा। किन्तु में अपनी ओर से तथा अपने मंत्रालय की ओर से कह सकता हूं कि हम उत्पादकों की सहकारी समितियां बनाने की कोशिश करेंगे ताकि परिवहन और विपणन का काम इन सहकारी समितियों द्वारा किया जाए तथा किसान व्यक्तिगत रूप से अपने आपको असहाय महसूस न करे। किन्तु इसमें भी एक रुकावट है।

जहां तक दुग्ध उत्पादन का सम्बन्ध है, हमने सहकारी समितियां बनाई हुई है और दूध की पूर्ति भी कर रहे हैं। किन्तु, ऐसे सदस्य भी हैं जो अपने को समाजवादी और अपने दल को प्रजातान्त्रिक समाजवादी दल कहने पर वे लोग अकसर सरकारी समितियों के विरोध में लिखते रहते हैं। वह नहीं चाहते कि हम सहकारी समितियां बनाएं क्योंकि वह निजी रूप से दूध एकत्र करने वालों के प्रति अधिक चिन्तित है : उन्हें, उन लोगों की चिन्ता है जो किसानों का शोषण कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप प्रजातान्त्रिक समाजवादी पार्टी का जिक्र कर रहे हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : हाँ, प्रजातान्त्रिक समाजवादी दल के लगभग प्रत्येक सदस्य ने मुझे सहकारी समितियों के खिलाफ लिखा है। अब मैंने निश्चय किया है कि मैं उन्हें अपने खेड़ा जिले में ले जाकर दिखाऊं कि सहकारी समितियां क्या कर रही हैं। मैं उन्हें अमूल डेरी तथा अन्य चीजें भी दिखाऊंगा।

महोदय, किसानों की सहायता करने के उद्देश्य से हमने संतरों का विपणन आरम्भ किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने हमसे संतरों का विपणन करने के लिए कहा था तथा दार्जलिंग में पश्चिम बंगाल के संतरा उत्पादकों को पहली बार अपनी लागत का तीन गुणा मूल्य प्राप्त हुआ। जब हमने संतरों के विपणन में प्रवेश किया तो इसका काफी विरोध हुआ। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे साथ सहयोग करें ताकि हम किसानों और फल उत्पादकों की सहायता कर सकें। यदि वह महसे सहयोग करते हैं तो हम छोटे किसानों से सब्जियाँ एकत्र करके उन्हें दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा अन्य स्थानों के लोगों को भिजवाने का काम आरम्भ कर सकते हैं ताकि किसानों को अधिक धन प्राप्त हो सके।

इसी प्रकार हम संतरों तथा अन्य फलों का सहकारी विपणन भी आरम्भ कर सकते हैं। इसलिए, यदि वे हमसे सहयोग करते हैं तो हम प्रत्येक बात का सहकारीकरण कर दें। किन्तु समस्या यह है कि वह सहयोग नहीं करते। इस दिशा में उनके सहयोग की आवश्यकता है।

———

विधेयक

कुष्ट रोगी (दिल्ली, अंदमान और निकोबार, द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दरा और नागर हवेली तथा चण्डीगढ़ निरसन) विधेयक

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा चंडीगढ़ के संघ राज्यक्षेत्रों में यथाप्रवृत कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली, अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, दादरा और नागर हवेली तथा चण्डीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्रों में यथा प्रवृन्त कुष्ठ रोगी अधिनियम, 1898 के निरसन का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती मोहसिना किदवई : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं।

———

(2) विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य भन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

(प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री चन्द्र शेखर सिंह : महोदय मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

एक, कारवां' पत्रिका में "डिड द आर्मी चीफ ब्लैकमेल द प्राइम मिनिस्टर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित लेख

श्री आर० एस स्पैरो (जालन्धर) : महोदय, मुझे 'कारवां' पत्रिका के अप्रैल अंक में "डिड द आर्मी चीफ ब्लैकमेल द प्राइम मिनिस्टर क्या थल सेना अध्यक्ष ने प्रधान मन्त्री का भयादोहन किया।" शीर्षक से छपे लेख को पढ़कर बड़ा आघात पहुंचा है। सदन इस तथ्य से भली भांति परिचित है कि 25 जनवरी, 1983 को रक्षा मन्त्री महोदय ने सशस्त्र सेनाओं के लिए 30 करोड़ रुपए से अधिक की नई रियायतों की घोषणा की थी, विशेषकर, मुफ्त राशन, शैक्षिक सुविधाओं, युक्ति भत्ते आदि के संदर्भ में, जिनका सशस्त्र सेनाओं के कर्मिकों ने स्वागत किया है तथा सभी संसद सदस्यों ने भी रक्षा मन्त्रालय की अनुदान की मांगों की चर्चा के दौरान स्वागत किया है। कुछ भी हो सशस्त्र सेनाओं के कर्मिकों और जनता के प्रतिनिधियों की इस समस्त सराहना की पूर्ण उपेक्षा की गई है और पत्रिका ने अब एक लेख छाप दिया है। जिसमें थल सेना अध्यक्ष की छवि अत्याधिक धूमिल चिन्तित किया है, जैसा कि उसने दर्शाने का प्रयास किया है और इसमें यह उल्लेख किया गया है कि थल सेना अध्यक्ष 25 जनवरी, 1983 को प्रधान मन्त्री का भयादोहन करने गये थे। लेख में आगे कहा गया है कि थल सेनाध्यक्ष ने प्रधान मन्त्री को बताया, "यदि उन सभी मांगों को, जो पहले ही भेजी जा चुकी हैं, स्वीकार नहीं किया जाता है तो गणतन्त्र दिवस समारोह के बाद कृपया उनका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाए।"

भूतपूर्व जनरल पद का अधिकारी होने के नाते मैं बलपूर्वक कह सकता हूं कि कोई भी सेनाध्यक्ष इस प्रकार का गैर-देशभक्ति पूर्ण वक्तव्य देकर न तो अपनी प्रतिष्ठा को गिराएगा और न ही ससस्त सेनाओं की। मुझे प्रसन्नता होगी यदि माननीय रक्षा मन्त्री महोदय सदन को

और देश को विश्वास में लेकर हमें तथ्यों से अवगत कराएं ।

रक्षा मन्त्री (श्री आर० वेंकट रमन) : महोदय, क्या मैं हस्तक्षेप कर सकता हूं ?

माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित लेख की ओर मेरा ध्यान दिलाये जाने पर मैंने थल सेनाध्यक्ष से तथ्यों का पता लगाया है । जनरल ने मुझे सूचित किया है कि रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं है और लेख में दिया गया विवरण "कल्पना मात्र है ." थल सेनाध्यक्ष और रक्षा सेनाओं द्वारा प्रदर्शित सेवा भावना और अनुशासन को देखते हुए, रिपोर्ट हास्यास्पद लगती है ।

मैं तो केवल यह और जोड़ना चाहता हूं कि रिपोर्ट एकदम गैर-जिम्मेदाराना है।

श्री ए० के० राय (धनवाद) : उठ खड़े हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कोई बहस नहीं होगी । अब प्रोफेसर नारायण चन्द्र पाराशर बोलेंगे ।

श्री ए० के० राय : महोदय, एक मिनट ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नही दे रहा हूं और यही मैं आपको बता रहा हूं ।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : महोदय यह तो संगत बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कोई चर्चा नहीं होगी । श्रीमान राय जी मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय : केवल प्रो० पाराशर की ही बात कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित की जाए । श्रीमन राय जी बैठ जाइए ।

(दो) स्वतन्त्रता संग्राम से सम्बन्धित साहित्य को रखने हेतु संग्राहलय तथा ग्रंथालय स्थापित करना

प्रो० नारायन चन्द पाराशर (हमीरपुर) महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जैसे भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के वीरों के आह्वान पर राष्ट्र की जनता उमड़ पड़ती थी । देश के सभी क्षेत्रों से लाखों नर और नारियां ब्रिटिश जेलों को भरने के लिए निकल पड़े थे या आजाद हिन्द फौज में भर्ती हो गए थे और राष्ट्र के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था ।

इन स्वतन्त्रता सेनानियों में से अब बहुत से हमारे साथ नहीं हैं और जो जीवित हैं भी वे वृद्धावस्था में पहुंच गए हैं । अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इन वीरों के शानदार कार्यकलापों और अभिलेखों को देश के सभी भागों में उपयुक्त स्मारक, संग्राहलय और ऐसे पुस्तकालय खड़े

* कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया गया ।

करके जिनमें पुस्तकों, समाचार-पत्रों, पाण्डुलिपियों, फोटोग्राफों, शस्त्रों और हथियारों आदि जो कि स्वतन्त्रता सेनानियों से सम्बद्ध हों संजोकर रखा जा सके, भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए ।

अतः मैं गृह मन्त्रालय से अनुरोध करता हूं कि सम्बद्ध राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर ऐसे संग्राहलय और पुस्तकालय स्थापित किए जाएं ।

(तीन) सिंचाई के लिए माही नदी के जल को राजस्थान के बाडमेर तथा जालौर जिलों को देना

वृद्धि चन्द्र जैन (बाडमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, माही नदी के जल उपयोग के बारे में में राजस्थान एव गुजरात सरकारों के दरम्यान सन् 1966 में एक समझौता था जिसके अन्तर्गत कडारगा बांध 419 फीट की ऊचाई पर बनकर तैयार हुआ और उक्त बांध मे माही नदी का पानी गुजरात प्रान्त के खेड़े जिले को सिंचित करने के लिए लिया गया था । उक्त समझौते में यह शर्त थी कि नर्मदा के बारे में न्यायाधिकरण द्वारा फैसला करने के बाद खेड़ा जिला नर्मदा से सिंचित किया जाएगा और माही का पानी कडाना नहर से गुजरात के ऊपरी इलाके में तथा राजस्थान के सबसे सूखे इलाके बाडमेर एवं जालौर में काम आयेगा, जो लगातार पाँच वर्षों से अकाल से प्रभावित हैं ।

गुजरात में सन् 1980 में बनाए गए योजना में उक्त समझौते की अवहेलना करके खेड़े जिले को नर्मदा से सिंचित न करके माही नदी से ही सिंचित करना प्रस्तावित किया है । यदि गुजरात की यह योजना स्वीकृत हो जाती है तो माही का जल राजस्थान के सूखे इलाकों में उपलब्ध नहीं हो सकेगा । इस प्रकार की कार्रवाही 1966 में राज्यों के बीच हुए समझोते के विपरीत है ।

माही नदी का पानी रेगिस्तानी धार क्षेत्रों को बाडमेर एवं जालौर में पानी पहुंचाने के लिए ही राजस्थान सरकार ने 419 फीट की ऊंचाई कडारगा बांध बनाने की सहमति दी थी और अपने क्षेत्र का काफी हिस्सा डूब में डाल कर हजारों आदिवासियों को उखाड़ फेंका था ।

श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए

राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्रियों की बैठक इस विषय में दिनांक 6-4 83 को केन्द्रीय राज्य मंत्री की अध्यक्षता में हुई थी । परन्तु अभी तक कोई माकूल हल नहीं निकला ।

यह प्रश्न राजस्थान प्रान्त के विशेषतः थार रेगिस्तान के क्षेत्र बाडमेर एवं जालौर जिलों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है ।

अतः केन्द्रीय सिंचाई मंत्री से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि इस अविलम्बनीय प्रश्न को या तो खुद जल्दी से जल्दी हल करे या तुरन्त से तुरन्त जलस्रोत कौंसिल नेशनल वाटर रिसोर्सिज कांउसिल में रखा जावे और राजस्थान प्रांत के रेगिस्तानी बाडमेर एवं जालौर जिलों में माही नदी का पानी पहुंचाकर उक्त क्षेत्र को सिंचित कर हरा भरा किया जा सके ।

(चार) कर्नाटक के बीदर जिले में रेल सुविधाओं की माँग

श्री नरसिंह राव सूर्यवंशी (बीदर) : बीदर रेलवे स्टेशन में प्लेट फार्म नं० 1 से 2 पर जाने आने के लिए ओवर ब्रिज प्लेट फार्म नं० 2 पर छत तुरन्त करने की आवश्यकता है। साथ ही इस रेलवे बड़ी लाइन पर सिकंदरा-परली गाड़ी चलती है जो कि बहुत ही धीमी गति से चलती है है बीदर से हैदराबाद सिर्फ 130/150 किलोमीटर के भीतर है और पहुंचने में 6 घंटे से ज्यादा समय लगता है। बीदर में हवाई दल का का ट्रेनिंग स्कूल है। साथ ही व्यापार और धार्मिक पवित्र स्थल के कारण यात्रियों का आना जाना ज्यादा है। यात्रियों की जरूरत को ख्याल में रखते हुए एक जल्दी रेल सिकन्द्राबाद से बीदर जारी करने की बहुत आवश्यकता है। ऐसा करने से हैदराबाद, बंगलौर, दिल्ली, मद्रास तथा हिन्दुस्तान के हर कोने में आने जाने वालों को सुविधा होगी।

पाँच विजयनगर अरुणाचल प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों को बसाना

श्री माधव राव सिंधिया (गुना) : अरुणाचल प्रदेश के जिले टिप में विजय नगर के संवेदनशील क्षेत्र में चीनी मूल की लिसुस और यीबिन नाम की जातियों के रहने का पता चलने के बाद, विशेषकर चीन से 1962 की लड़ाई के बाद, सरकार इन विदेशी आदिवासियों की गहरी पैठ को निष्प्रभावित करने के लिए उस क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों के परिवारों को बसाने के लिए उत्सुक थी।। मोहनबाड़ी तक मुफ्त हवाई यात्रा सहित अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त खेती और बसने के लिए प्रति परिवार 50 एकड़ भूमि प्रदान करने जैसे सशक्त प्रलोभन भूतपूर्व सैनिकों को तदनुसार दिए गए थे और लगभग भूतपूर्व असम राईफल्स सैनिकों के 200 परिवार उस क्षेत्र में बस भी गए थे।

ये भूतपूर्व शस्त्र सेना कार्मिक तथापि अब बहुत अप्रसन्न हैं क्योंकि वे अपने को उपेक्षित अनुभव करते क्योंकि उनको केन्द्रीय एवं राज्य सरकार दोनों के ही द्वारा दिये गये आश्वासन पूरे नहीं किये गये हैं। जबकि विदेशी आदिवासी गांधीग्राम से कोई लगाव नहीं रखते हैं, फूल-फल रहे हैं और भूतपूर्व सैनिकों की भूमि पर उनके अवैध कब्जे बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि भूतपूर्व सैनिकों की भूमि का अभी सीमांकन और इन्दराज होना है। जबकि भूतपूर्व सैनिकों के पास बिजली भी और पानी भी नहीं है, विदेशियों को वे सुविधाएं पहले ही से मिली हुई हैं। मुफ्त हवाई सेवा भी वापस ले ली गई है।

तीन ओर से बर्मा की सीमाएं लगने के कारण विजयनगर एक बहुत ही संवेदनशील और सामरिक महत्व का क्षेत्र बन गया है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि उनको दिए गए आश्वासनों को पूरा करने के काम को सरकार को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, यथा:

(एक) पूरी तरह से सीमांकित और इन्दराज 50 एकड़ भूमि का आबंटन; और

(दो) सभी आधार भूतीय सुविधाओं के साथ विजयनगर का सभी प्रकार से विकास।

छ : संत कबीर के आदेशों का प्रचार करने की अवश्यकता

श्री बी. डी. (फूलपूर) : आज धर्म की आड़ में जो विध्वंस-त्रमन चल रहा है, वह समाज एव देश को दिन प्रति दिन विदीर्ण करता चला जा रहा है। धर्म के ठेकेदारों का उसकी वास्तविक मान्यताओं से दूर का भी वास्ता नहीं रहता। इस देश में धर्म की आड़ में मेहनतकशों की आज्ञनता का जितना शोषण किया गया, उतना और किसी तरह से शायद नही हुआ। रुढ़िवादिता, कर्मकाड पाखडं एवं अंधविश्वास आदि की संकुचित सीमाओं में जनसमान्य को जकड़ दिया गया। ऊपरी ढकोसलों से भेद एवं अंधकार की भावना जड़वती होती गई।

आज के संदर्भ में यह नितांत आवश्यक हो गया है कि इंसानों को समानता के धरातल पर लाकर उनके मन से धार्मिक विद्वेष कलह समाप्त की जाए। इस परिप्रैक्ष्य में हमें माहत्मा कबीर को याद करना होगा। लगभग दो महा पश्चात संत कबीर का जन्म दिवस (ज्येष्ठ पूर्णिमा भी आने वाला है। हमारा धर्म निरपेक्ष राष्ट्र हैं। संत कबीर प्रथम कवि थे जिन्होंने धर्म निरपेक्ष समाज की परिकल्पना की उनकी साधना का सामाजिक पक्ष था उन्होंने वास्तविक सुख पड़ोस के व्यवहार में माना। मानव सेवा उनके लिये सबसे बड़ी पूजा थी। अनुभूतियों पर अधारित उनका धर्म मानव धर्म था। उनकी सत्यवाणी चिरन्वीन एवं शास्वत है।

अतएव सरकार का परम कर्त्तव्य हैकि समाज में प्रचलित मिथ्याडंबरों से जन सामान्य की मुक्ति को के लिए संत कबीर की अभिव्ययितयों को विभिन्न प्रचार एवं प्रसार के माध्यमों से अधिक मात्रा में उपलब्ध कराएं तथा उनके विचारों के विस्तारण को प्रोत्साहिय करें धर्म निरपेक्ष समाज के निर्माण में यह बहुत बड़ा योगदान होगा। आज के संदर्भ में यह और भी अधिक समायिक है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता

श्री हरिकेश बहादूर (गोरख पुर) :- हमारे देश के विभिन्न राज्यों के गांवों में मिट्टी के तेल की अत्याधिक कमी है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों के लोगों को काफी कठनाई का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें पिचले 4 अथवा 5 महीनों के मिट्टी का तेल नही मिल रहा है। हमारे गांवों में मिट्टी का तेल ही रोशनी का एक मात्र साधन हो यह वास्तव में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मिट्टी के तेल जैसी अत्यन्त जरूरी वस्तु ही उन लोगों को नहीं मिलती जिन्हें इनकी जरूरत है। विशेषकर छात्रों को अत्याधिक कष्ट हो रहा है इसलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि वह लोगों को यताशीघ्र मिट्टी का तेल उपलब्ध कराये। वर्तमान वितरण प्रणाली ही इस कठिनाई के लिए मुख रूप से उत्तरादायी है। मैं सरकार को यह सलाह भी देना चाहता हूं कि वह वितरण प्रणाली को सुचारु बनाये।

हेवी इंजिनिरियग कारपोरेशन रांची के चेयरमेन तथा प्रबन्ध निदेशक की शीघ्र नियूक्ति

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : भारी इंजिनयरी निगम (एच० ०इ सी०) राँची

विगत नौ महीने से कोई अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक नहीं है। इस बहुत बड़े सरकारी उपक्रम की व्यवस्था चौपट हो गई है। नौमहीने पहले जो इसके अध्यक्ष थे, उनके हटाए जाने के बाद अभी तक किसी की नियुक्त नहीं हुई। स्मरणीय है कि मेकेनिकल फार पब्लिक इंटरप्राइज बोर्ड ने बहुत पहले नाम सिफारिश कर दी है।

इस बड़े भारी इंजीनियरी निगम की स्थापना 1957 में हुई थी भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने एक बड़े उद्देश्य से इसका निर्माण कराया था। उनके उद्देश्य थे : देश में स्टील प्लांटों के लिए यंत्रों भारी का मात्रा में निर्माण करना तथा देश की आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन होने पर उसका निर्यात करना भी।

लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि प्राय : हर वर्ष अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के बदलते रहने तथा गलत नीतियों के चलते यह निगम भारी घाटे में चल रहा है। 1957 से लेकर अब तक 12-13 अध्यक्ष बदल चुके है। जब कभी काम का सिलसिला प्रारम्भ होता है, तभी चेयरमेन या मैनेजिंग डायरेक्टर का स्थानान्तरण कर दिया जाता हैं

अत: सरकार से मेरा आग्रह है कि इस भारी इंजीनियरी निगम के अध्यक्ष की शीघ्र नियुक्त की जाए। अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक एक ही व्यक्ति को न बनाया जाए नियुक्त से पुर्व ऐसे पदाधिकारी की क्षमता एवं क्षमता जान ली जाए।

(नौ) दार्जिलिंग स्थित शरीर-विज्ञान अनुसंधान एकक को समाप्त करने का समाचार

श्री आनंद पाठक (दार्जिलिंग) : मुझे यह जानकर दु:ख हुआ कि दार्जिलिंग स्थित शारीरिक अनुसंधान सेल को बंद किया जा रहा है। महोदय इस सेल की स्थापना आम तौर पर अधिक ऊंचाई तथा ठंड में सबन्धित समस्याओं और शीत घाव, शीतदंश, उच्चरक्तचाप, फुफ्फस-ओडेमा, तीव्र पहाड़ी बुखार के शारीरिक पहलुओं पर अनुसंधान करने ओर इन बीमारियों की रोकथाम हेतु उपरात्मक सुझाव देने के उद्देश्य से स्वर्गीय पं० जवाहर लाल नेहरु तथा डा० बी० सी० राय के प्रयत्नों से हिमालयन मांऊटेनियरिंग संस्थान दार्जिलिंग के एक स्कंध के रूप में की गई थी।

चूंकि हिमालयन माउंटेनियरिंग द्वारा संस्थान बढ़ती हुई प्रयोगशाला की जरूरतें पूरी करना सम्भव नहीं हो रहा था अत: इसका नियंत्रण 1969 में शरीर विज्ञान तथा अन्य आनुषंगी विज्ञानों के रक्षा संस्थान का विज्ञानिक नियंत्रण के अन्तर्गत रक्षा मंत्रालय के अनुसंधान और विकास संगठन ने संभाल लिया। इस समय यह महानिदेशक, सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं के अधीन कार्य कर रहा है।

महोदय, 7000 फुट की ऊंचाई पर मानव जाति पर अधिक ऊंचाई और शीत के प्रत्यक्ष प्रभाव से सम्बन्धित अनुसंधान करने वाली भारत की यह एकमात्र प्रयोगशाला है। 1960 में भारत-चीन सीमा पर इतनी अधिक ऊंचाई पर हुए युद्ध के बाद इसकी उपयोगिता सिद्ध हुई है वैज्ञानिकों ने सराहनीय अनुसंधान कार्य किए हैं और मानवजाति तथा देश के लिए उपयोगी

अनुसंधान पेपर लिये हैं। हमारे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रशंसनीय कार्यों की सभी लोगों ने प्रशंसा की है।

इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इसे बन्द करने के निर्णय पर फिर से विचार करने तथा इसे दार्जिलिंग में ही रहने दें।

(दस) दिल्ली में टैक्सी-स्कूटरों की सेवाओं में सुधार करने की अवाश्यकता

श्री ए. के. राय (धनवाद) : महोदय, इसमें पहले कि मैं अपना 377 पढ़ना शुरू करूं मैं गणपूर्ति की मांग करता हूं। गणपूर्ति नहीं हैं। कृपया कुछ लोगों को आने दीजिए और जो हमारे 377 को सुनने दें।

सभापति महोदय : घण्टी बज रही है...अब गणपूर्ति हो गई है। माननीय सदस्य श्री ए. के. राय अपना भाषण जारी रखें।

श्री ए. के. राय : दिल्ली के स्टेशनों पर स्कूटर ड्राइवरों की मानमानी इतनी बढ़ गयी है कि इसकी ओर सदन का ध्यान दिलाया जाना जरूरी हो गया है। सम्बन्धित प्राधिकारियों के ध्यान में विशिष्ट मामले लाये जाने पर भी कोई सुधारात्मक कदम नहीं उठाये गए हैं।

4 मई, 1983 को मैं लगभग 10.15 बजे प्रात: 81 आप गाड़ी द्वारा धनबाद से दिल्ली पहुंचा और एक स्कूटर में बैठा। स्कूटर स्टार्ट करने के बाद जब उसे यह पता लगा कि मुझे केवल संसद भवन तक ही जाना है तो उसने यह कहते हुए स्कूटर रोक दिया कि स्कूटर खराब हो गया है वहां कोई पुलिसवाला नहीं था अत: मुझे पुलिस बूथ में जाना पड़ा। इन्चार्ज बाहर आये और मेरे लिए एक स्कूटर करवा दिया। उस स्कूटर वाले को भी जैसे ही यह पता चला कि मुझे संसद में क्षेत्र में जाना है तो उसने कह दिया कि उसके स्कूटर के ब्रेक खराब हैं। मुझे फिर उसी इन्चार्ज के पास जाना पड़ा जिसने तीसरा स्कूटर करके दिया और बो मुझे संसद तक लाया।

ऐसी स्थिति दिल्ली व नयी दिल्ली दोनों ही स्टेशनों पर हर बार होती है पिछले महीने ही सामना करना पड़ा और मैंने गृहमंत्री को सम्पूर्ण ब्यौरा देते हुए लिखा भी था। हर बार मुझे आश्वासन दिया गया कि सुधारात्मक कदम उठाये गए हैं तथा दिल्ली पुलिस को लिखे गए एक पत्र की प्रति भी मुझे भेजी गई। किन्तु इसके बाद भी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ व मुझे नई दिल्ली स्टेशन पर भी बदतर स्थिति का सामना करना पड़ा।

दिल्ली भारत की राजधानी है। यहां रोज देश के हर भाग से यहां तक कि विदेशों से भी लोग आते हैं। यदि एक संसद सदस्य की ही इस प्रकार बेज्जती की जाती है तथा तंत्र किया जाता है तो आम लोगों का क्या हाल होगा ? यह बहुत छोटी सी बात हो सकती है किन्तु इसे काफी चोट पहुंचती है और मैं इस स्थिति को ठीक करने की मांग करता हूं।

श्री पी. के. कोडियन अडूर :- यहां तक कि संसद के आस पास टैक्सी वाले भी आने से मना कर देते हैं

श्री ए. के. राय : गृह मंत्रालय इस स्थिति को ठीक करने में असफल रही है क्या रक्षा मंत्रालय कोइ कदम उठायेगा ?

सभापति महोदय : इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया जाएगा ।

छावनी (संशोसधन विधेय जारी

सभापति महोदय : अब मदन छावनी (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार करेगा । श्री के. पी सिंह देव अपना भाषण जारी रखेगें।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. पी सिंह देव) जब पिछली बार मैं बोल रहा तो मैं बात रहा था कि इन विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने की जरूरत क्यो नहीं है सरकार ने एक निर्णय यह लिया है कि 1962 के बाद से कोई नई छावनी नहीं बनेगी केवल स्टेशन ही बनाये जायेगें । दूसरे नागरिक क्षेत्र को अलग किया जायेगा तथा यदि राज्य सरकार सहमता हो तो उस क्षेत्र को किसी नगरपालिका में मिलाया जायेगा । मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसा हाल ही में हुंआ है।

कि रक्षा मंत्रालय मेरठ व अन्य छावनी क्षेत्रों में ने सिविल क्षेत्र को अलग करना चाहता किन्तु राज्य सरकारो ने इस पर अपनी स्वीकृति नहीं दी माननीय सदस्य जो यह मांग कर रहे थे कि नागरिक क्षेंत्रों को नगर पालिका के अधिकार दे दिये जांए वे राज्य सरकारों को कहें कि वे नागरिक क्षेत्रों को लेने तथा उन्हें पास की नगरपालिकाओं में मिलाने के लिए सहमत कराये ताकि तथापि वहां रहने वाले लोगों को लोकतांत्रिक व नगरपालिका अधिकार प्राप्त हो सके यह भी कहा गया कि छावनी क्षेत्रों में कुछ सेवाएं सन्तोषजनक नहीं हैं यह प्रश्न भी पूछा गया कि राजस्व का का स्त्रोत क्या होगा करो का स्त्रोह क्ता होगा क्या संसद उन्हें सहायता की मंजूरी जिनकी कहीं व्यवस्था नहीं है करने में गैर कानूनी कार्य तो नहीं कर रही क्योंकि यह रक्षा जेवाओं के अनुमानों में नहीं होते। मैं यह कहना चाहूंगा कि साधरण तथा विशेष अनुदान सहायक अनुदान शीर्षक अधीन मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक 269 लघू शीर्षक सख्या 11-ख बिविध ट के अन्तर्गत आते हों यह उन छक्कयिओं को दिया जाता है जों स्थानीय करों में होने वाली आय से नगरपालिका प्रशासन का उपयुक्त स्तर वनाये नहीं रखने सकते हैं ।इसके अन्तर्गत मुरकता: 4 मदें नामता जल आपूर्ति सफाई चिकत्सा और लोक स्वास्थ्य व विविध आते हैं ।

पिछले तीन वर्षो में बड़ी छावनियों को दिये गए विशेष सहायक अनुदान के बारे में भी प्रश्न पूछा गया था । यह अधिकतर जल आपूर्ति के लिए था । 1980-81 में 90,74,225 रु. की विशेष सहायता बेरकपुर, वेलिंगटन, फतेगढ़, शाहजहाँपुर और और गाबाद को दी गई थी । 1981-82 में 1,15,48,975 रु० अमदाबाद, इलाहाबाद, अम्बाला, फतेगढ़ जबलपुर, झांसी, मेरठ,

रुड़की को दिया गये । 1982-83 में 80 लाख रु० की सहायता आगरा वह सिकंदराबाद को दी गई । सिकंदराबाद के लिए 8,11,000 रु० विशेषरूप से दिये गये ।

सरकार की इस नीति का 1983 की प्राक्कलन समिति ने भी आवेदन किया है जिसका हवाला श्री अमल दत्त, श्री सत्यनारायण राव सहित बहुत से सदस्यों ने दिया है ।

मैं अपने चौथे मुद्दे पर आता हूं जो कि अधिकतर वक्ताओं का आम मुद्दा रहा है और वह यह है कि उप-प्रधान के कार्यकाल को 2 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष किया जाये क्योंकि बोर्ड की अवधि 3 वर्ष से 5 वर्ष तक बढ़ा दी गई है । और दूसरे, अनिवार्य कार्य जैसे स्वास्थ्य शिक्षा और सफाई को वैकल्पिक विषय बना दिया जाये । सदस्यों की इच्छाओं के अनुसरण में विशेषकर श्री हरीश रावत और आदरणीय सिपाही, मेजर जनरल स्पैरो, एम. वी. सी. आचार्य भगवान देव श्री बहुगुणा और श्री सत्यनारायण राव सदस्यों द्वारा की गई जोरदार दलीलों को ध्यान रखते हैं । सरकार इन दोनों सुझावों को मानती है और हमने इन दोनों मदों पर सदन की इच्छाओं को स्वीकार कर लिया है, यानी, उप-प्रधान के लिए पाँच वर्ष का कार्यकाल तथा स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई विषय अनिवार्य ही रहेंगे ।

पांचवा मुद्दा, जिस पर अधिकतर सदस्यों ने बोला है वह है भूमि का उपयोग संबंधी नीति उन्होंने कहा कि भूमि के उपयोग की हमारी कोई नीति नहीं है ।

लेकिन तथ्य यह है कि बदलते हुये राजनीतिक और सामाजिक परिवेश में सशस्त्र सेनाओं की रक्षा मन्त्रालय की एक-एक इंच भूमि की जरूरत हैं और इसलिये हम इस कार्य का उपयोग करेंगे । मुझे इस कार्य का उपयोग किसी और प्रयोजन के लिये नहीं किया जाएगा इसमें कोई दो राय नहीं है ।

जहां तक पुरानी जागीर को फ्रीहोल्ड में बदलने के प्रश्न का सम्बन्ध है, सरकार ने हाल ही में एक निर्णय किया है कि जब कभी ऐसे परिवर्तन किये जाएंगे तो बाजार की दर में वसूली की जाएगी ।

एक और महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका उल्लेख कई माननीय सदस्यों द्वारा और विशेष रूप से श्री वृद्धि चन्द जैन श्री सत्यनारायण और श्री बहुगुणा द्वारा किया गया था, वह पर्यावरण और छावनियों को आदर्श बनाने के बारे में और इसके लिये मास्टर प्लान बनाने की आवश्यकता के बारे में परिस्थिति विज्ञान पर्यावरण सम्बन्धी और किसी भी नगरपालिका के लिए छावनियों को आदर्श बनाने का कार्य ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम आज ही सोच रहे हों, परन्तु छावनियां कुछ भली भांति संरक्षित एवं सुरक्षित वनों को छोड़कर उन कुछ स्थानों में से एक है जहाँ पारिस्थित संतुलन बनाये रखा गया है, और इन छावनियों में रहने वाली समाज में सेनाओं ने वनारोपण वृक्ष तथा बागवानी लगाने के सम्बन्ध में एक योजना बनाई है और हम भी यह कोशिश कर रहे हैं कि हमें उन प्रशिक्षत कार्यक्रमों का एक अंग बनाया जाये जहाँ पर्याव्यय सम्बन्धी पहलु भी प्रशिक्षण का एक भाग हो ।

15.23 (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

आपको यह जानकरर प्रसन्नता होगी कि इसी सदन में हमारी माननीय प्रधानमन्त्री जी द्वारा प्रगतिस्थीतिक संतुलन बनाये रखने का आश्वासन दिया गया था। शिवालिक पहाड़ियों के लिये कार्यकारी दलों का गठन किया गया था, हम इस तथ्य का भी पता लगा रहे हैं कि क्या हम ऐसा ही पारिस्थीर्तक संतुलन जम्मू और कश्मीर में, हिमालय में, राजस्थान में और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र तथा भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी पट्टी जैसे देश के कुछ अन्य भागों में भी बना सकते हैं जहाँ परिस्थीर्तक क्रमसंतुलन बना हुआ है। मास्टर प्लान बनाने का विचार स्वागत योग्य है। हम इस विषय पर निश्चय ही विचार करेंगे और अपनी राय देगें।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये उन अधिकओं सामान प्रश्नों या मैंने उत्तर दे दिया है जिन्से उन्होंने इस विधेयक के बारे में गम्भीर शंकाये व्यत्त की थी।

अब मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गये कुछ खास प्रश्नों का उत्तर देना चाहुगा।

मैंने श्री अमल दत्त द्वारा उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। मैंने उनके इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है कि हम इसके लिये धन की व्यवस्था यहां से कर रहे है। इसके लिये धन राशी रूल सेवाओं के बजट अनुमानों से प्रप्त की जायेगी।

मैंने श्री हरीश रावत के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिये है।

मैंने आचार्य भगवान देव द्वारा किये गये खास और आम दोनो सभी तरह के प्रश्नों के उत्तर दे दिये है।

आचार्य भगवान देव : (अजमेर) : मत्रां जी एक बात जानना चाहूगा। दिल्ली में जो युनिवर्सीटी कैम्पस है बहाँ आपके राज्य मंत्रालय की जमीन है जिसका कोई उपयोग नही है। उसके सम्बंध में मैंने आपसे पुछा था। यहाँ पर तीन शासन इसमे इन्टर फीयर करते है रक्षा मंत्रालय, यूनिवर्सिटी कैम्पास गैर दिल्ली प्रशासन। तो जिस जमीन का कोई उपयोग नहीं है उसके संबंध में आप क्या कर रहे हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : हालांकि यह एक बात को दोहरानी ही होगा फिर भी मैं एक बार यह बताना चाहूंगा कि मैंने बताया था कि जिस तरह राजनैतिक मानचित्र और सामयिक मानचित्र बदल रहे हैं उसमें रक्षा मन्त्रालय को न केवल एक एक वर्ग सेंटीमीटर भूमि की जरूरत होगी बल्कि और भी जमीन अधिग्रहण करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसमें निहित आश्रय को समझ लिया होगा।

अब में अपने विशिष्ट सिपाही सांसद जनरल स्पेरो द्वारा उठाये गये प्रश्नों को लेता हूं। मैं उनके दो प्रश्नों को स्वीकार कर रहा हूं अर्थात नाहरू प्रेजीडेंट के कार्यकाल के बारे में दर्ज और उसके अनिवार्य कार्यों के बारे में।

श्री बहुगुणा ने कुछ बहुत ही महत्वपुर्ण मुद्दे उठाये है। दुर सफल उन्होंने छावनियों को

और छावनी की विचार अप्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा की है। उन्होने कुछ प्रश्न उठाये हैं। एक तो देहरादून जल पूर्ति के बारे में है। देहरादुन श्रेणी एक ही छावनी है। जिसकी आबादी 25000 की है और जो 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। एक प्रेमनगर कैम्प है जिसकी आवादी 6000 की है। यहां जल पुर्ति की स्थिति सन्तोष जनक है। दूसरा है गटीडाकरा क्षेत्र। वहां की आवादी 20,000 है। यहां पर कुछ ही स्थानों पर पानी की कमी है न कि सम्पूर्ण बस्ती में। छावसी बोर्ड ने 14 लाख रूपये की अनुमानित लगभग से ट्युबबैल लगाने वाली जल आपूर्ति योजना बनाई है। यह कार्य उ0 प्र0 जल निगम को सौप दिया गया है और 3.5 लाख रुपये की राशि दी भी जा चुकी है।

दूसरा प्रश्न बरेली छावनी में नर घटिया नाले पर पुल से सम्बाधित था। उसके पहले भी बरेली की संसद सदस्य श्री मती बेगम आबिदा इसके लिये सरकार पर दबाव कर रही है और सरकार ने इस पुल को बनाने का निश्चय कर लिया है हालांकि इससे छावनी के लोगों को कोई लाभ नही होगा लेकिन फिर भी यह सदर बाजार को छावनी से जोड़ता वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान यह कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

इलहाबाद छावनी की फालतु भूमि को अनुसूचित जातियों के लोगो को जमीन देने का प्रश्न एक माननीय सदस्य ने उठाया है। यह कार्य राज्य सरकारो के माध्यम से स्थानीय जिला दैनिक बोर्ड और रक्षा प्राधिकारीयों से अनुमति लेने बाद से एक बात में 2 वस्यों के लिये किया जाता है।

यह आबंटन एक बार में पांच वर्षो के लिये किया जाता है क्योंकि हमे भी जमीन की जरूरत पड़ सकती हैं और यह जमीन रक्षा मंत्रालय के लिये ही होती हैं।

श्री जयराम वर्मा धार्मिक नगरी अयोध्या का उल्लेख किया हैं जिसे फैजाबाद छावनी के नाम से जाना जाता हैं।

जहां तक गुप्तार घाट का सम्बंध है अभी तक इसकी जिम्मेदारी छावनी बार्ड की नही है। राज्य सरकार ने इसे अभी हमे नही सौपा है। जैसे ही यह छावनी बोर्ड को सौप दिया जायेगा वह इसकी देखभाल शुरु कर देगा।

इसके बाद यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्या श्रीमती गीता मुखर्जी ने धार्मिक संस्था काली बाड़ी के लिए मांग की है।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुटा) : वह सामाजिक संस्था है।

श्री के० पी० सिह देव : जो भी हो, चाहे सामाजिक हो या धार्मिक। इसका उल्लेख माननीय संचार मंत्री श्री वी० एन० गाडगिल द्वारा भी किया गया था। वहाँ ट्रस्ट और एक दूसरे निकाय में विवाद चल रहा है। हम न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बारे में कोई भी अन्तिम निर्णय करने से पहले हमें यह देखना है कि असली निकाय कौन सा है।

श्री नन्दी येल्लैया ने सिकन्दराबाद छावनी में कुछ चीजों का उल्लेख किया था उन्होंने

प्राक्कलन समिति द्वारा उस क्षेत्र के दौरे के भी उल्लेख किया था। सड़क का वह भाग अभी तक भी राष्ट्रीय राज मार्ग का अंश है और दुर्भाग्यवश न तो राज्य का लोक निर्माण विभाग और न राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग इसके अनुरक्षण की देखभाल कर रहा है। यदि यह नौवहन और परिवहन मन्त्रालय द्वारा एक बार छावनी बोर्ड को अन्तरित कर दिया जाये तो छावनी बोर्ड इसके अनुरूप पहलू की देखभाल कर सकता है।

इसके बाद श्री डागा ने भी बहुत से प्रभावी सुझाव दिये हैं जिनका इस विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह कोई नगरपालिका नहीं है इसलिए मुझे इनमें से किसी भी उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। श्री सत्य नारायण राव ने भी प्राक्कलन समिति का उल्लेख किया है। और उसमें इस विधेयक में दिये गये सिद्धान्तों के समर्थन में बहुत कुछ उद्धृत किया है। श्री वृद्धि चन्द्र जैन ने भी जेसलमेर के कुछ क्षेत्रों का उल्लेख किया है। श्री सूरज भान ने भी कुछ ऐसे स्थानों का उल्लेख किया है जो कोटा में रक्षा मन्त्रालय द्वारा लिये गये थे। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तक कोई अदायगी नहीं की गई है। राजस्थान सरकार इसका किराय निर्धारित करने की कोशिश कर रही है। एक बार राजस्थान सरकार इस पर अन्तिम निर्णय कर दे तो हम इस बारे में कुछ निर्णय कर सकेंगे।

मैं यह कहकर अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा कि छावनियां अब ब्रिटिश काल की परम्परा वाली नहीं रह गई हैं न तो यह ब्रिटिश प्रभाव में हैं और न ही इनमें बिटिश तरह का जीवन यापन है। दरअसल अब वे सुन्दर स्थान हैं जहां धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भक्ति कर्त्तव्य परायणता और राष्ट्रवाद अपने उच्चतम शिखर पर हैं। मैं माननीय रक्षा मंत्री द्वारा दिये गये हाल में कोटा के दौरे के दौरान दिया था :—

"इस समय जब देश के विभिन्न भागों में अनुशासन हीनता एवं निष्क्रियता वाली ताकतें अपना सिर उठा रही हैं वहां हम री सशस्त्र सेनायें हमारे लोगों में सहयोग और एकता का बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं।"

इसलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे इस पुस्तक के साथ अपने-अपने संशोधनों वापस कर लें कि सरकार माननीय जनरल स्पैर और श्री हरीश रावत द्वारा प्रस्तावित संशोधन संख्या 72 और 70, 93 से 97 और 82-87 को स्वीकार करेगी। तथा श्री जी० एल० डोगरा और श्री हरिकृष्ण शास्त्री द्वारा प्रस्तावित संशोधनो को भी स्वीकार करेगी।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि छावनी (संशोधन) विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि छावनी अधिनियम 1924 की और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खन्ड-2

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा उपस्थित नहीं है। प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खन्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खन्ड 3 से 5

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 से 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खन्ड 3 से 5 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खन्ड 6

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सूरजभान उपस्थित नहीं हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खन्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खन्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खन्ड 8

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 23 के पश्चात निम्नलिखित **अन्तः स्थापित किया जाए**—

(ग) उपधारा (5) के पश्चात, निम्नलिखित उपधारा अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"(6) बोर्ड निर्वाचित सदस्यों को ऐसा मानदेय या अन्य भत्ते देगा, जो बोर्ड के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित किए जाएं।"

[102]

बोर्ड के सदस्यों को मानदेय अथवा पराश्रमिक दिया जाना चाहिए ताकि वे प्रभावी ढंग से कार्य कर सके ओर रक्षा कार्मिकों तथा सिवलियन आबादी में बेहतर संबंध हों

श्री के० पी० सिंह देव : उद्देश्य सार्वजानिक ख्याल और सार्वजाकि भावना रखने वाले

लोगों को समाज की सेवा में समर्पित करने का अवसर प्रदान करना है। अधिकांश छावनियां केन्द्र सरकार के अनुदानों पर चल रही है। उनकी अपनी कोई आय नही है। अतः यह स्वीकार्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब श्री आनन्द पाठक द्वारा खण्ड 8 पर रखें गए संशोधन संख्या 102 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं

संशोधन सं० 102 को सभा के मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :प्रश्न यह है

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खन्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया

खन्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया

खन्ड 10

श्री आनन्द पाठक : महोदय में प्रस्ताव करता हू

पृष्ठ 5, पंक्ति 4,—

"रिक्त हो जाएंगे" के पश्चात,

"ओर नए निर्वाचन कराये जांएगे',

अन्त स्थापित किया जाए।

[103]

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 4 के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थपित किया जाए।

(क क) उपधारा (2) में, "कमान के मुख्य समादेशक अधिकारी से परामर्श करने के पश्चात केन्द्रीय सरकार नाम निर्देशन के जरिये" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार के पश्चात से बोर्ड प्रधान द्वारा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। [104]

मैं चाहता हूं कि नए चुनावों के आदेश दिए जाए। इसी उद्देश्य के लिए मैंने संशोधन रखा है।

श्री के० पी० सिंह देव : रिक्तियों को भरने की व्यवस्था भुल अधिनियय, जिसके संशोधन प्रस्तावित किया गया है कि धारा 17 (2) में है अतः इसे स्वीकार नही किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय - मैं श्री आनन्द पाठक द्वारा खन्ड 10 पर रखे गए संशोधन संख्या103 और 104 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं :

संशोधन सं० 103 और 104 के मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 10 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खन्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खन्ड 11 से 13 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खन्ड 14:

श्री आर० एस० स्पैरोजालन्धर: मैं प्रस्ताव करता हू

पृष्ट 6, पंक्ति 18 और 19,

"दो वर्ष और छह मास "**के स्थान पर पांच वर्ष प्रतिस्थापित किया जाए।**

(92)

मुझे केवल यही कहना है कि मैं मंत्री महोदय का धन्यवादी हूं कि उन्होने इस मुददे को देखा और यह घोषणा की कि वह इसे स्वीकार कर रहे हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हू।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 6, पंक्ति 18 और 19, —

"दो वर्ष और छह मास" **के स्थान पर** "पाच वर्ष" प्रति स्थापित किया जाये। (92)

(श्री आर. एस. स्पैरो)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड14, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 में संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 19 से 24 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 25 से 27 विधेयक में दिये गये ।

खण्ड 28 से 34 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 35 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 36 से 40 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 41 और 42 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 43

श्री आनन्द पाठक : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 16,—

पंक्ति 20 और 21 का **लोप किया जाए** । (105)

मैं देखता हूं कि कार्यकारी अधिकारी को उन्मुक्त अधिकार दिए गए हैं । मैं चाहता हू कि उस अधिकारी को ये अधिकार नहीं दिए जाने चाहिए । ये बोर्ड के लिए निरर्थक हैं ।

श्री के. पी. सिह देव : चूंकि यह केवल नेमी किस्म का प्रशासनिक कार्य है इसलिए कार्यकारी अधिकारी इसे कर सकता है और इसके लिए बोर्ड को बाधा डालने की आवश्यकता नहीं है इसीलिए यह उपबन्ध किया गया है अत: माननीय सदस्य द्वारा यथा स्थिति बनाए रखने के सशोधन को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अब खण्ड 43 में संशोधन लिए रखी गई संशोधन संख्या 105 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन सं 43 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि 200-43 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 43 विधेयक में जोड़ दिया गया,

खंड 44 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 45

उपाध्यक्ष महोदय : श्री आनन्द पाठक

श्री आनन्द पाठक : मैं पेश नहीं कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

'खण्ड 45 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 45 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 46 से 51 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 52 और 53 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 54 और 55 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 56 से 58 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 59 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 60 से 62 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 63 से 66 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 67 से 69 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 70 और 71

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रामवतार शास्त्री – उपस्थित नहीं है। श्री विजय कुमार यादव —उपस्थित नहीं है। श्री सूरजभान—उपस्थित नहीं है।

खंड 71 में कोई संशोधन नहीं हो।

अत: मैं दोनों खण्डों को एक साथ रखूंगा। प्रश्न यह है

"कि खण्ड 70 और 71 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 70 और 71 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 72 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 73 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 74

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल डोगरा—उपस्थित नहीं।

श्री हरि कृष्ण शास्त्री...उपस्थित नहीं।

श्री आर. एस. स्पैरो : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ 22,—

पंक्ति 29 का **लोप किया जाये।** (93)

पृष्ठ 22, पंक्ति 30, —

"(घ)के स्थान पर" (ग)

प्रतिस्थापित किया जाये। (94)

पृष्ठ 22, पंक्ति 31,—

"(ङ.)" के स्थान पर "(घ)"

प्रस्तावित किया जाये। (95)

श्री के. पी. सिंह देव : हम इन संशोधनों को स्वीकार करते हैं। स्वास्थ्य, सिचाई और शिक्षा के सम्बन्ध में ये अनिवार्य कार्य है और इन्हें स्वविवेक सूची में रखा जाना चाहिए। हम इस संशोधन को स्वीकार करते हैं कि यह अनिवार्य कार्य है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

पृष्ठ 22,—

पंक्ति 29 का लोप किया जाए। 93

पृष्ठ 22, पंक्ति 30—

"(घ)" के स्थान पर (ग)

प्रतिस्थापित किया जाये। (94)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पृष्ठ 22,, पंक्ति 31,—

"(ङ)" के स्थान पर "(घ)"

प्रतिस्थापित किया जाए। (95)

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है .

"कि खण्ड 74, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 74, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 75

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल डोगरा—उपस्थित नहीं

श्री हरिकृष्ण शास्त्री—उपस्थित नहीं।

श्री आर० एस० स्पैरो।

श्री आर एस स्पैरो : मैं प्रस्ताव करता हूं कि

पृष्ठ 22,—

पंक्ति 38 और 39 का लोप किया जाए। (96)

पृष्ठ 22, पंक्ति 40,—

"(ख)" के स्थान पर

"(क)" प्रतिस्थापित किया जाए । (97)

पृष्ठ 22, पंक्ति 43,—

"(ग)" के स्थान पर "(ख)"

प्रतिस्थापित किया जाए । (98)

पृष्ठ 23 पंक्ति 1,—

"(घ)" के स्थान पर

"(ग)" प्रतिस्थापित किाय जाए । (99)

रक्षा मंत्री श्री आर. वेंकटरामन : यह अनुवर्ती संशोधन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मूलचन्द डागा.. उपस्थित नहीं ।

श्री के. पी. सिंह देव : क्योंकि विधेयक में कुछ अनिवार्य कार्यों को बदल कर विवेकाधीन सूची कर दिये हैं, इसलिए हम इन अनुवर्ती संशोधनों को स्वीकार करते हैं।

उपाध्यय महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ 22,—

पंक्ति 38 और 39 का लोप किया जाए ।

पृष्ठ 22, पंक्ति 40—

(ख) के स्थान पर

(क) प्रतिस्थापित किया जाए । (97)

पृष्ठ 22, पंक्ति 43,—

"(ग)" के स्थान पर "(ख)"

प्रतिस्थापित किया जाए । (98)

पृष्ठ 23, पंक्ति 1,—

"(घ)" के स्थान पर

"(ग)" प्रतिस्थापित किया जाए । (99)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 75, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने' ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 75, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 76 से 86 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 87 से 90 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 91 और 92, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 91 और 92 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 93

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

कि खण्ड 92 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 93 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 94

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड पर कोई संशोधन नहीं है ।
प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 94 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 94 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 95

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 95 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 95 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड 96

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड पर कोई संशोधन नहीं है ।
प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 96 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 96, विधेयक में जोड़ दिया गया ।"

खंड 97, 98 और 99

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि

"खण्ड 97, 98 और 99 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 97-98 और 99 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 100

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड पर संशोधन हैं। श्री रामावतार शास्त्री और श्री विजय कुमार यादव उपस्थित नहीं है। श्री पाठक।

श्री आनन्द पाठक : मैं अपना संशोधन संख्या 111 पेश नहीं कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जग्गा और सूरज भान उपस्थित नहीं है।

मैं खण्ड 100 रखता हूं।

प्रश्न यह है

"कि खंड 100 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 100 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 101

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड पर संशोधन हैं। श्री आनन्द पाठक अपना संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं, जबकि अन्य उपस्थित नहीं हैं। मैं खण्ड 101 रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 101 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 101 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 102

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 102 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 102 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 103

उपाध्यक्ष महोदय : इस खंड पर संशोधन हैं।

श्री आनन्द पाठक अपना संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं। जबकि अन्य सदस्य उपस्थित नहीं हैं। मैं खण्ड 103 रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 103 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 103 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 104

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड पर संशोधन हैं।

श्री आनन्द पाठक अपना संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं। श्री सूरज भान उपस्थित नहीं हैं। मैं खण्ड 104 रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 104 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 104 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 105

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह :

"कि खण्ड 105 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 105 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 106

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 106 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 106 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 107

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड पर संशोधन हैं।

श्री पाठक अपना संशोधन पेश कर रहे हैं। श्री डागा उपस्थित नहीं हैं। मैं खण्ड 107 रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 107 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 107 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 108

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 108 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 108 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 109

उपाध्यक्ष महोदय : इस खण्ड के लिए कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

कि खण्ड 109 विधेयक का अंग बने।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 109 विधेयक में जोड़ दिया गया।

:उपाध्यक्ष महोदय : 4 बजे हमें नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करनी है। मैं समझता हूं कि 10 मिनट के अन्दर इस पर चर्चा समाप्त कर दी जाये।

रक्षा मंत्री (आर० वेंकटरामन) : मैं सदन से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक पर 10 मिनट में चर्चा समाप्त कर दें'

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपको विशेषकर मुझे अनुरोध करना चाहिए।

श्री आर० वेंकटरामन : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी 'श्रेष्ठ खिलाड़ी हैं। मैं इन्हें विशेष रूप से अनुरोध करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है। यह श्री वेंकटरामन जी के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक के पारित करने के पश्चात् हम नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 110 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 40 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 111 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 112 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 113 और 114 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 115 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 116 से 121 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 122 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 123 से 125 विधेयक में जोड दिये गये।

खण्ड 126

श्री आनन्द पाठक : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

"पृष्ठ 35—पंक्ति 20 और 2 का लोप करें।"

महोदय, छावनी बोर्ड को मूल अधिनियम में आदेश जारी करना था किन्तु संशोधि विधेयक में बोर्ड के स्थान कार्यकारी प्रतिस्थापित किया गया है।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, खण्ड 126 में कहा गया है :—

"मानव उपयोग के लिये उदिष्ट किसी पशु को अथवा ऐसे किसी पशु के मांस को जिसका छावनी के बाहर बध किया गया हो, आयात करने के लिये अधिनियम की धारा 216 के अधीन शक्ति को कार्यपालक अधिकारी में निहित करने का प्रस्ताव है।"

संशोधन में यथा स्थिति बनी रहने की बात कही गयी है और इसलिये उसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री आनंद पाठक द्वारा पेश किया संशोधन सं 11 मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा।

संशोधन संख्या 117 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 126 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 126 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 127 और 128 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 129 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 130 विधेयक में जोड दिया गया ।

खण्ड 131 विधेयक में जोड दिया गया ।

खण्ड 132 से 143 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 144

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 144 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 144 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 145 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 146 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 147 विधेयक में जोड दिया ।

खण्ड 148 से 155 तक विधेयक में जोड दिया गया ।

खण्ड 156 और 157 विधेयक में जोड दिये गये ।

खण्ड 158

संशोधन किया गया

पृष्ठ 42, पंक्ति 2···

"1982" के स्थान पर "1983" पुर:स्थापित करें (62)

(श्री के० पी० सिंह देव)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 158, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 158 संशोधित रुप में विधेयक में जोड दिया गया ।

खण्ड 159

संशोधन किया गया

पृष्ठ 43,

"पंक्ति 17 के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाये···

"(ञञ खन्ड 36 में ऐसा बिनियमन या प्रतिषेध, शब्दों के पश्चात् पारिस्थिक संतुलन बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने के लिए और शब्द अन्त: स्थापित किये जायेंगे (100)

पृष्ठ 43, उपखण्ड (ञञ) से (ड.) को क्रमश: उपखण्ड (ट) से (ढ) के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायगा । (101)

(श्री के० पी० सिंह देव)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह हैं :

"कि खण्ड 159, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 159 संशोधिध रूप में विधेक में जोड़ दिया गया।

"खण्ड 160 विधेयक में जोडा दिया गया।

नये खण्ड 160 के सम्बन्ध में

श्री आर० वेंकटरामन : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के निवम 80 के खण्ड (एक) को, जिसमें यह अपेक्षित है कि कोई भी संशोधन विधेयक के क्षेत्राधिकार में और इस खन्ड, जिससे यह सम्बन्धित है, कि विषयवस्तु से संगत होना चाहिए, जहां तक वह छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 284 में उप-नियमों कों संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष रखने का उपबन्ध करने हेतु इस धारा में संशोधन के लिए छावनी (संशोधन) विधेयक, के सरकारी संशोधन को लागू होता है, निलंम्बित करती है और कि यह संशोधन* पेश करने की अनुमति दी जाए।" (3)

मेरा संशोधन सं० 3 विधेयक के क्षेत्राधिकार से वाहर है। इसलिए मैं नियम 80 तथा इसमें लागू किये जाने वाला संशोधन सं० 1 को निलम्बित करने का प्रस्ताव रख रहा हूं जिसके अन्तर्गत हमें छावनी द्वारा बनाये गये नियमों और उपबन्धों को सभा पटल पर रखने का अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के निवम 80 के

*देखें 15.2.1983 को परिचालित संशोधन सूची 1 का क्रम सं 1.

खन्ड (एक) को, जिसमें यह अपेक्षित है कि कोई भी संशोधन विधेयक के क्षेत्राधिकार में और इस खंड, जिससे यह सम्बन्धित है, कि विषयवस्तु से संगत होना चाहिए, जहां तक वह छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 284 में उप-नियमों को संसद की प्रत्येक सभा के समक्ष रखने का उपबन्ध करने हेतु इस धारा में संशोधन के लिए छावनी (संशोधन) विधेयक, 1982 के सरकारी संशोधन को लागू होता है, निलम्बित करती है और कि यह संशोधन* पेश करने की अनुमति दी जाए।" (3)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री आर. वेंकटन राम : महोदय: जैसा कि मैं अभी स्पष्ट कर चुका हूं कि अधीनस्थ विधायी समिति की सिफारिश के अधीन सभा पटल पर विभिन्न उपबंध रखना हमारे लिए आवश्यक है। मूल अधिनियम में ऐसा प्राबधान नहीं था क्योंकि यह 1925 का पुराना अधिनियम था। हम लोग यहां संशोधन संख्या। पेश कर रहे हैं।

नया खण्ड 160 क

संशोधन किया गया।

'पृष्ठ 43, पंक्ति 44 के पश्चात निम्नलिखित अंत:स्थापित करें —

धारा 284 का संशोधन — 160क-मूल अधिनियम की धारा 284 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जायेगी; अर्थात —

"(4) इस अधिनियम के आधीन बनाई गई प्रत्येक उपविधि और उपधारा (3) के आधीन किया गया प्रत्येक आदेश बनाई और किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल बीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस उपविधि या आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा।

यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह उपविधि नहीं बनाई जानी चाहिये या वह आदेश नहीं किया जाना चाहिये तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जायेगा। किन्तु उपविधि या आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"[1]

(श्री आर० वेंकटरमण)

खण्ड 160 के को एक नया खण्ड माना जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"पृष्ठ 43, पंक्ति 44 के पश्चात् के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित करें —

धारा 284 का संशोधन"। 60क मूल अधिनियम की धारा 284 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्

(4) उस अधिनियम के अधीन बनाई गई प्रत्येक उपविधि और उपधारा (3) के अधीन गया प्रत्येक आदेश बनाई और किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुछ बीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस उपविधि या आदेश में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसी परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा।

यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह उपविधि नहीं बनाई जानी चाहिये या वह आदेश नहीं किया जाना चाहिये तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु उपविधि या आदेश के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके आधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।" (1)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि नया खण्ड 160क विधेयक में जोड़ा जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नया खण्ड 160 क विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 161—श्री मनीराम बागड़ी उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न है—

"कि खण्ड 161 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 161 विधेयक में जोड़ दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खंड 162 लिया जाये। श्री रामावतार शास्त्री।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं।

पृष्ठ 44, पंक्ति 17 और 18 का लोप करें (13)

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन के मतदान के लिये खण्ड 162 में किया जाने वाला संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करता हूं।

संशोधन संसकरण (33) प्रस्तुत किया गया और अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"कि खंड 162 विधेयक का अंए बनेगा ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 162 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 163 से 167 इनमें कोई संशोधन नहीं है ।

प्रश्न यह है—

"खन्ड 163 से 167 विधेयक के अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 163 से 167 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब परिणामी संशोधन प्रस्तुत किये जायें ।

श्री आर० वेंकटरमण : यह परिणामी संशोधन खण्डों के पुर्नसंख्याकन के लिये है । मैं संशोधन संख्या 2 और संख्या 67 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"पृष्ठ 44 और पृष्ठ 45 पर खंड 160क से खण्ड 167 को क्रमश: खण्ड 161 से खण्ड 168 के रूप में पुन: संख्याकित किया जायेगा ।" (2) और (67)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"पृष्ठ 44 और 45 पर खंड 160क से खंड 167 को क्रमश: खंड 161 से खंड 168 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जायेगा ।" (2) तथा (67)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड-1

संशोधन किया गया :

पृष्ट 1, पंक्ति 3,

"1982" के स्थान पर "1983" प्रतिस्थापित किया जाये । (61)

(श्री के. पी. सिंह देव)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है --

"कि खंड 1, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1 संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

अधिनियम सूत्र

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 1, पंक्ति । ---

"तेतीसवें" के स्थान पर "चौंतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाये । (60)

(श्री के. पी. सिंह देव)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है -

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

"विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री के. पी. सिंह देव : मैं प्रस्तुत करता हूं. -

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : विधेयक पर विचार करते समय मुझे बोलने का अवसर मिला था । मैंने दो मुद्दे प्रस्तुत किये थे ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं तो पहले ही वाचन पर बोलने वाला था, लेकिन यहां पर नहीं था, इसलिये बोल नहीं सका ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बहुत ही मुख्य पूर्ण चर्चा है । हमने सदस्यों से सहयोग देने का अनुरोध किया है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप इसे कल रखें ।

उपाध्यक्ष महोदय : हमें इसे पूरा करना है । तब मैं उन्हें बोलने से तथा विधेयक को अंतिम रूप देने से रोक सकता हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) मैं बोलना चाहता था।

श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर) पटना विधेयक की संवैधानिकता के बारे में मैंने दो बातें कही थी। मैंने कहा था कि संसद विधेयक के अधिनियमन के लिए विधायी रूप से सक्षम नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको पुरःस्थापना के समय ऐसा कहना चाहिए था।

श्री अमल दत्त : ऐसा नहीं किया गया। किन्तु इससे क्या होता है।

श्री आर० वेंकट रामन : क्या मैं स्पष्ट कर सकता हूं। मुझे आपके मुद्दे के बारे में पता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्होंने भी कुछ समय मांगा था।

उपाध्यक्ष महोदय : आधे घण्टे का समय दिया जाएगा। सरकार की ओर अनुरोध किया गया था। क्या आप सरकार को अनुगृहीत नहीं करना चाहते।

श्री अमल दत्त : सभापति जी ने उस समय मुझे यह आश्वासन दिया था कि मंत्री जी मेरी बातों का उत्तर देंगे। मंत्री ने केवल इतना कहा है कि संसद सही है अथवा नहीं, इस प्रश्न का निर्णय दूसरी प्रकार से अर्थात न्यायालय द्वारा किया जाएगा और यह कि यह मामला यहां उठाने या चर्चा करने योग्य नहीं है।

इसलिए, उन्होंने मेरी बातों का उत्तर नहीं दिया। मेरा मुद्दा यह है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे विधेयक के प्रथम वाचन अथवा विधेयक के द्वितीय वाचन अथवा विधेयक के तृतीया वाचन के समय उठाया जा सकता था। इसे विधेयक के द्वितीय वाचन के समय उठाया गया था किन्तु उत्तर नहीं दिया गया। अब, मैं पृष्ठ 469-काल और शकधर को उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें निम्नांकित बात कही गई है—

"यदि प्रस्ताव का विरोध इस आधार पर किया गया है कि सभा को उसकी विधायी क्षमता प्राप्त नहीं है तो उस पर पूरे वाद-विवाद की अनुमति दी जा सकती है।"

यह केवल यह दर्शाने के लिए है कि विधायन क्षमता एक विषय है जिसे··· (**व्यवधान**)। किन्तु उन्होंनेउसका उत्तर नहीं दिया है। मेरा यही मुद्दा है। मुझे आशा है कि सुविवेक से काम लिया जाएगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह सदन उस विधि को स्वीकृत करने में सक्षम नहीं है, वे इस विधेयक को वापिस ले लेंगे। (**व्यवधान**)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, मैं बिल के प्रथम-वाचन पर ही बोलना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश यहां नहीं था, इस लिए नहीं बोल सका। यह खुशी की बात है कि 1924 के बाद आप यह संशोधन लाये। लेकिन मेरा आब्जैक्शन यह है कि जिस रूप में आपने इस बिल को यहां पेश किया है उस से यह स्पष्ट है कि आप बोर्ड की पावर्स को कम करके एक्जिक्यूटिव आफिसर को ज्यादा से ज्यादा पावर्स दे रहे हैं जो हमारी जनतान्त्रिक प्रणाली के

खिलाफ है । आप की बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा पावर्स देनी चाहिये ।

आप ने बोर्ड की लाइफ को पांच साल तक के लिए बढ़ा दिया है, यह अच्छा काम किया है, यह पांच साल से कम नहीं होना चाहिए । एक टर्म में दो वाइस प्रेसिडेन्ट चुने जायेंगे लेकिन उनके अधिकारों को कम कर दिया गया है, यह उचित नहीं है उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने चाहिए । आप के एक्जीक्यूटिव आफिसर्स किस तरह से बिहेव करते हैं, सरकार इस बात को जानती है । मैंने तो दानापुर कैन्टूनमेंन्ट बोर्ड के कई एक्जीक्यूटिव आफिसर्ज के खिलाफ कई गम्भीर शिकायतें मन्त्री महोदय के पास भेजी हैं ।

उन्होंने कुछ के खिलाफ कार्यवाही भी की है, उसके बावजूद उनको इतने ज्यादा अधिकार देना मैं मुनासिब नहीं समझता । मैं तो यह चाहता हूं कि बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिये जाने चाहिये जो बोर्ड के सिविलियन इलाके हैं उन को कैन्टूनमेन्ट बोर्ड से हटा देना चाहिये, उन का एडमिनिस्ट्रेशन नगरपालिका के साथ रहना चाहिए । अभी तक आप ने इस बिल में उस की कोई व्यवस्था नहीं रखी है ।

तो मैं यह चाहूंगा कि इस व्यवस्था को देखिये और साथ ही उसके राइट्स को करटेल मत कीजिए बल्कि बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा राइट्स दीजिए और अधिकारियों के राइट्स को थोड़ा सीमित कीजिए । अधिकारी थोड़ा उच्छंखल हो जाते हैं और जो मन में आता है करते हैं । वे इलेटैक्ड रेप्रेजेन्टेटिव्ज की बात भी नहीं सुनते और बड़े घमंडी हो जाते हैं । इस चीज को रोकना चाहिए और बोर्ड को ज्यादा से ज्यादा पावर देनी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मन्त्री महोदय उत्तर देंगे ।

श्री आर. वेंकटरामन : संसद की विधान बनाने की क्षमता के बारे में, मैं माननीय सदस्य का ध्यान जो एक अच्छे वकील भी हैं-भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की ओर दिलाना चाहता हूं । सातवीं अनुसूची की रूची । में संसद को अधिकार दिया गया है। इस सूची की मदसंख्या 3 पर यह दिया गया है ।

> "करक-क्षेत्रों का परिसीमन, ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ऐसे क्षेत्रों के अंदर घटक-प्राधिकारियों का गठन और शक्तियां तथा ऐसे क्षेत्रों में गृह-वामन का विनियमन (जिसके अन्तर्गत किराये का नियंत्रण भी है) ।"

यह संसद के अधिकार क्षेत्र के भीतर है । इस संसद में यह सर्वविदित है कि किन्हीं उप-बन्धों से यदि संविधान का उल्लंघन होता है तो उन पर न्यायालय निर्णय दे सकता है । संसद को अधिकार है या नहीं ।

> इसका निर्णय सूची के अनुसार होना चाहिए । विधेयक अथवा अधिनियम को कोई विशेष उपबन्ध यदि संविधान के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करते हैं तो उस पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिया जाना चाहिए । इसलिए संविधान के बारे में कोई भी प्रश्न नींह उठता ।

श्री शास्त्री के प्रश्न के बारे में मेरे सहयोगी ने पहले ही उत्तर दे दिया है। पर श्री शास्त्री यहां नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है;

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

———

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेंगे। नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

2 मई 1983 को पटियाला में हुई घटनाओं के बारे में 4.5.83 का गृह मंत्री द्वारा सभा में दिए मए वक्तव्य पर चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी 2 मई, 1983 को पटियाला में हुई घटनाओं के बारे में गृह मन्त्री द्वारा 4 मई, 1983 को सदन में दिए गए वक्तव्य पर चर्चा आरम्भ करेंगे।

एक माननीय सदस्य : हम इसे 193 कहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां यह नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : में एक मर्यादा के मुद्दे से शुरू करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : दो घन्टे का समय नियत किया गया है।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : दो घण्टे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपके लिए नहीं, बहस के लिए।

डा० सुब्रसमण्यम स्वामी : मैं समझा शायद आपमें कुछ परिवर्तन आ गया है।

मैं मर्यादा के प्रश्न से शुरू करता हूं। मेरे विचार में बहस के दौरान प्रधान मन्त्री को यहां उपस्थित रहना चाहिए क्योंकि 7 मई के इण्डियन एक्सप्रैस हमारे सुविख्यात पत्रकार श्री जी. एम. चावला की रिपोर्ट प्रकाशित है, उसमें उन्होंने कहा है कि बताया गया है कि श्रीमती गांधी,

"यह महसूस करती हैं कि मन्त्रीमण्डलीय समिति के सदस्यों की स्थिति पर पकड़ नहीं है और उनकी पहुच भी संकीर्ण है। श्रीमती गाँधी को एक नेता द्वारा दिए गए हाल

ही के सुझाव पर उनकी टिप्पणी से स्पष्ट पता चलता है कि उनके गृह मन्त्री ने चण्डीगढ़ के विभाजन का सुझाव दिया था। बताया जाता है कि श्रीमती गांधी ने कहा "वे कुछ नहीं जानते। उनकी दृष्टि काफी संकीर्ण है।"

यदि मन्त्रीमण्डल के सभी मन्त्री जी हजूरी करने वाले हैं तो जब यह बहस चल रही है तब प्रधानमन्त्री का यहां रहना अत्यावश्यक व न्यायिक है क्योंकि पंजाब का मामला उन लोगों के लिए काफी गम्भीर है जो कुछ नहीं जानते और जिनकी दृष्टि संकीर्ण है तथा प्रधानमन्त्री को यहां आकर कहना चाहिए कि यह रिपोर्ट गलत है। कल के या आज के पत्रों में कोई खण्डन नहीं किया गया है अथवा उन्हें इस समय यहाँ हाजिर रहना चाहिए।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : मि० चावला मनमानी करके कोई अभिप्राय निकाल लें, तो हम उसको सत्य नहीं मानते। यह उनकी अपनी कल्पना है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, इस सदन में अध्यक्ष कौन है ? (व्यवधान)

क्या मैं जान सकता हूं कि इस सदन में अध्यक्ष कौन है ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। जब वह खड़े हुए थे, आपने स्वीकार कर लिया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं चुपचाप खड़ा था। मुझे क्या करना चाहिए था ? क्या मैं जाकर उसकी पिटाई करता ?

एक माननीय सदस्य : यहां की बात नहीं कीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : किन्तु महोदय आपका निर्णय क्या है ? क्या आप प्रधानमन्त्री को यहां उपस्थित रहने के लिए नहीं कह सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : आपने मेरे निर्णय के लिए कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया है।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : यह कहे जाने के बाद कि उसके सभी मंत्रियों की दृष्टि संकीर्ण है, उनकी यहाँ उपस्थिति जरूरी नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं किसी को निदेश नहीं दे सकता।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : ठीक हैं, क्या आप उन्हें मेरी ओर से अनुरोध कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार ने सुन लिया है। हमारे यहाँ मंत्रीमण्डल की संयुक्त उत्तर-दायित्व है। गृह मन्त्री यहां है।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : उनका कहना है कि उनके मन्त्रियों की दृष्टि संकीर्ण है। वह कहती है कि वे कुछ नहीं जानते।

आचार्य भगवान देव : इसका सम्बन्ध गृह मन्त्रालय से है।...

(व्यधान)

श्री रघुनन्दन भाटिया : (अमृतसर) कृपया उन्हें कहने दीजिए जो वह कह रहे हैं.

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, प्रेस रिपोर्ट प्रमाणित नहीं हुआ करती आपको यह पता होना चाहिए। वह प्रमाणित नहीं होतीं। किसी सदस्य की रिपोर्ट उसकी अपनी व्यक्तिगत राय होती है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : ठीक है, यह आपकी सद्भावना है, आपका निर्णय है कि उनकी दूरदृष्टि है और वे सब कुछ जानते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने कोई निर्णय नहीं दिया। आपने व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जी हां, अतः वहाँ कुछ न कुछ असाधारण है। पंजाब की स्थिति असाधारण है।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप अपने विषय पर आयें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपने स्वयं कहा है कि यह विषय काफी महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। यदि उनकी दृष्टि संकीर्ण है और वे कुछ नहीं जानते तो मैं किससे बात करूं ? जैसा कि आपने कहा है कि यह बहस पटियाला की स्थिति पर दिए गये श्री सेठी के वक्तव्य के फलस्वरूप की जा रही है और कि वहां काफी अशान्ति फैली हुई है। **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : यह बहस नियम 193 के अन्तर्गत है। आपको इससे अधिक नहीं जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका ध्यान मैं कर लूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय अध्यक्ष कौन है ?... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस के बाद आप भी एक वक्ता होंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं कुछ नहीं कर सकता मुझे टोका जा रहा है। श्री सेठी के अनुसार पटियाला में स्थिति बड़ी खराब है और वहां दंगे आगजनी आदि की घटनायें हो रही हैं।

उन्होंने इसे निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है :—

"पंजाब सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 2 मई, 1983 को पटियाला में लाउडस्पीकर के उपयोग के बारे में दो दुकानदारों में एक विवाद हुआ था। उनके समर्थक

भी वहां पहुंच गये, जिन्होंने स्थिति को बिगाड़ दिया। दोनों समूहों के व्यक्तियों में झगड़ा हुआ और उन्होंने आगजनी और पत्थर-बाजी की। यह सूचना दी गई है कि लगभग 28 दुकानों को आग लगा दी गई और कुछ स्कूटरों को क्षति पहुंचायी गयी।"

इस प्रकार से यह घटना पटियाला में शुरू हुई ; लेकिन दो दुकापदारों के बीच में विवाद क्या हुआ है, इसे श्री सेठी ने अपने बयान में प्रकट नहीं किया है। उस दिन मैंने वहां पर अपने दल के लोगों द्वारा कुछ पूछ-ताछ करवाई और मैं आपको बता सकता हूं कि यह विवाद केवल विवाद ही नहीं है बल्कि इसके बहुत भयंकर परिणाम हुए हैं। इसका आशय है कि इस सदन को इसके वास्तविकमहत्व का पता चलना चाहिए। शम्भू प्रसाद नाम का एक दुकानदार वहां था। जो भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष भी है और राज्य की कार्यकारणी सभा का सदस्य भी है... (**व्यवधान**) यह बहुत गंभीर मामला है।

एक माननीय सदस्य : आप सुनते क्यों हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वह पार्टी का पदाधिकारी होना चाहिए। आप उन्हें नियन्त्रण क्यों नहीं रखते...(**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें बोलने दीजिए ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : श्री शम्भू प्रसाद की एक दुकान है और उस दुकान के पास ही एक गुरुद्वारा है। पास ही दुकान में एक मोइक्रोफोन लगा हुआ था जिसका तार गुरुद्वारे से जुड़ा हुआ है। गुरु तेगबहादुर का वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा था और श्री शम्भूप्रसाद ने इस लाउडस्पीकर पर आपत्ति की लेकिन दूसरे दुकानदारों ने उसकी नहीं सुनी इसलिए उसने किसी को इस तार को काटने के लिए भेज दिया। इस तरह से यह सारी चीज शुरू हुई। यह बड़े दु:ख का विषय है कि हिन्दू साम्प्रदायिक झगड़ा हुआ क्योंकि एक हिन्दू श्री तेगबहादुर के बारे में उस गुरुद्वारे से प्रसारित की जाने वाली प्रार्थना और कीर्तन को बरदाश्त नहीं कर सका। हम हिन्दू लोग किस तरह से गुरु तेग बहादुर को भूल सकते हैं या कोई भी हिन्दू उन्हें कैसे भूल सकता है, आखिरकार उन्होंने अपना जीवन हिन्दुओं के लिये न्यौछावर किया था। एक कशमीरी पंडित उसके पास आया और उनसे कहा कि कश्मीर के गवर्नर ने उसे इस्लाम धर्म कबूल करने के लिये कहा है और उनसे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। बहुत विचार-विमर्श के बाद गुरु तेगबहादुर ने अपने जीवन का उच्चतम बलिदान दिया। और यहां हम देखते हैं कि श्री शम्भू प्रसाद गुरुद्वारे से प्रसारित की जाने वाली प्रार्थना पर आपत्ति करते हैं। यदि कोई भी अच्छा हिन्दू हो तो वह केवल एक ही लाउडस्पीकर की मांग नहीं करेगा बल्कि ऐसे 20 लाउडस्पीकरों की मांग करेगा। हमें आने वाले समय में हमेशा के लिए यह याद रखना चाहिए कि इस देश के लिए गुरु तेग बहादुर ने कितना बलिदान किया था।

यद्यपि यह घटना नियंत्रण से बाहर हो गई और यह बद से बदतर होती चली गई। कर्फ्यू के बावजूद आगजनी जारी रही। इसकेथोड़ी देर बाद युवक अशोक कुमार जिसकी साईकिल की दुकान

है। और जो जनता पार्टी का व्यक्ति था और हमारे प्रमुख जनता पार्टी के कार्यकर्ता का पुत्र था, कर्फ्यू के दौरान उसने यह आवाज सुनी कि उसकी दुकाने को आग लगाई जा रही है इसलिए वह कुछ अन्य लोगों के साथ आग बुझाने के लिए पानी की बाल्टी लेकर वहां गया। उसी समय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने हस्तक्षेप किया।

उस लड़के को देखा और उसका पीछा शुरू कर दिया। वह लड़का अपने घर में घुस गया। वे भी उसके घर में गये और उसे घर के अन्दर ही गोली मार दी। जब उसकी मां आई तो उन्होंने उसकी माँ को भी पीटा। यह कार्य केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने वहां किया। इससे पटियाला में गंभीर स्थिति पैदा हो गयी। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि गृह मंत्री जी को यह पता ही नहीं है कि वहां क्या हो रहा है। वास्तव में जब तक गृह सचिव श्री चतुर्वेदी हाल ही में पटियाला नहीं गये तब तक पंजाब सरकार का कोई भी कांग्रेस (आई) का मंत्री यह पता करने के लिये वहां नहीं गया कि वहाँ क्या हो रहा है। आज के दिन तक भी मुख्य मंत्री वहां नहीं गये हैं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : कल ही हम वहां गये थे और गृह मंत्री भी वहां गये थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन यह घटना तो वहां 2 मई, को हुई थी जबकि गृह सचिव वहाँ नहीं पहुंचे थे, तब तक वहां कोई नहीं गया था। वास्तव में उन्हें उस स्थान पर पहले पहुंच जाना चाहिए था।

पटियाला की यह स्थिति है जो एक सामान्य स्थिति नहीं कही जा सकती है। समाचार पत्र के अनुसार आज भी वहाँ आग जनी हुई है। जबकि श्री चतुर्वेदी वहां मौजूद थे तब भी वहां कुछ दुकानों को आग लगाई गई थी। कल के "टाइम्स आफ इंडिया" में कर्फ्यू के अधीन रहने वाले लोगों की दुर्दशा का वर्णन किया गया है। दरअसल वहां जल-आपूर्ति और सफाई व्यवस्था का कार्य भी करीब-करीब ठप पड़ा है। जिससे जीवन और स्वास्थ्य को गंभीर खतरा पैदा हो गया है क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया है जिससे कि नगर पालिका कर्मचारी वहां पहुंच सकें और जल- आपूर्ति का कार्य कर सकें। यह वह स्थिति है जिसका श्री सेठी ने अपने वक्तव्य में उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने हमें यह भी आश्वासन नहीं दिया है कि इस प्रकार की चीजें फिर नहीं होंगी।

असली सवाल जो हमें अपने आप से पूछना है वह यह है कि यह देश कहां जा रहा है। एक ज़माना वह था जब हममें से अधिकांश हिन्दू यह कहा करते थे और विदेशों में यह सामान्य तर्क दिया जाता था कि जब भी ये साम्प्रदायिक दंगे हुये हैं वे हिन्दू और मुस्लिम के बीच ही हुए हैं। हिन्दू और इसाइयों में कभी साम्प्रदायिक झगड़े नहीं हुये। हिन्दू और जैन कभी नहीं लड़े और हिन्दू और अन्य सम्प्रदाय आपस में कभी नहीं लड़े। पता नहीं किस तरह से यह धारणा फैला दी गई थी कि मुसलमानों का विश्वासघात ही हिन्दू और मुसलमान के बीच साम्प्रदायिक झगड़े का कारण है। लेकिन आज हम देखते हैं कि कन्याकुमारी में हिन्दू और ईसाई लड़ रहे हैं

और पंजाब में हिन्दू और सिखों में साम्प्रदायिक झगड़ा हो रहा है।

हिन्दू और अन्य साम्प्रदायों के बीच झगड़ा कुछ ऐसी बात है जिस पर हमें गहराई से विचार करना है। यह देश कहां जा रहा है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है ? आखिरकार हिन्दुओं में असुरक्षा की भावना पैदा नहीं हो सकती है क्योंकि वे आबादी का 82% है। इस बात पर हमें विचार करना है। इस सरकार की जिम्मेदारी है कि वह साम्प्रदायिक एकता को बनाए रखे लेकिन हम देखते हैं कि जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है साम्प्रदायिक एकता की स्थिति दिन-पर-दिन खराब होती जा रही है।

जो कुछ पटियाला में हुआ है वह अन्य स्थानों में भी हो सकता है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जो कुछ पटियाला में हुआ है वह एक विशेष मामला है। इस समय सरकार को इस बात पर ध्यान देना अत्यन्त आवश्यक है। यदि सरकार इस बारे में कुछ करने में अशक्त है तो भगवान के लिए सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति दोबारा नहीं पैदा होनी चाहिए। जो कुछ पटियाला में हुआ है वह हमारे इतिहास में अभूतपूर्व घटना है। इसलिए इस सदन को इस मामले पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए।

जो कुछ पंजाब में हो रहा है, उसके लिए सरकार अकालियों को दोष देती है। वह इसे प्रत्यक्ष रूप में नहीं कहती लेकिन वह इन्हीं में ही दोष ढूढ़ती है लेकिन यह दोष ढूढ़ने की पद्धति इस समस्या का हल नहीं है। इस सदन में हमें विचार करना है वह यह है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए। दोष निकालना दो-तरफा पद्धति है। क्या ये लोग दोष-रहित हैं ? क्या उन्होंने अनेकों गलतियां नहीं की हैं ? आज सिख उग्रवाद के लिए कौन जिम्मेदार है ? सिख उग्रवाद को कांग्रेस (आई) के नेताओं का समर्थन रहा है। क्या आप इसके लिए प्रमाण चाहते हैं ? दल खालसा, जिस पर सिख उग्रवाद को दोषारोपण किया गया है कि नींव चंडीगढ़ में कांग्रेस भवन में रखी गई थी।

श्री जगजीत सिंह चौहान और श्री गंगा सिंह ढिल्लो जैसे लोग जो कार्यकर्ता समझे जाते हैं, 1980 में प्रमुख कांग्रेसियों से मिले थे। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन यदि आप चाहते हैं तो मैं उनका नाम भी बता दूंगा। वे इस बात से इन्कार नहीं करेंगे। जब श्री जगजीत सिंह 1980 में दिल्ली आये थे तो वे किससे मिले थे ?

सिख उग्रवाद का मसला श्री भिंडरावाला से सम्बन्धित है। उन्हें अनेकों अवसरों पर महत्व प्रदान किया गया था। जब वह दिल्ली आए और उनके साथ सशस्त्र व्यक्ति थे तो उन्हें 'स्टेट गैस्ट' के रूप में सम्मान दिया गया था और उन्हें छूने तक की हिम्मत नहीं की गई। एक धारणा यह पैदा की गयी थी कि पंजाब में 2 राज्य हैं-एक भिंडरावाला का राज्य और दूसरा पंजाब का राज्य। देश में 2 कानून है - एक भिंडरवाला के लिए और दूसरा अन्य लोगों के लिए।

मैं इन परिस्थितियों में भिंडारवाला को दोष नहीं देता। यदि आप इस तरह से उनके

अहम को बढ़ावा दें, तो वे अपना संतुलन खो सकते हैं और यदि वे उग्रवादी बन जाएं तो इसके लिए आप भी दोषी हैं।

इस प्रकार उन्होंने सिख उदारतावादियों के लिये काम करना करीब-करीब असम्भव बना दिया है। सिख उदारतावादी दबाव में हैं। वे ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे सिख उग्रवादियों के लिए सिख सम्प्रदाय पर नियंत्रण करना आसान हो गया है। एशियाड के दौरान श्री भजन लाल ने यह घोषणा की थी कि वे किसी भी सिख को एशियाड में जाने की अनुमति नहीं देंगे ; और हर सिख को चैक पाइंट पर अकाली मानकर उसे रोक दिया गया था। कई स्थानों पर ट्रकों को जब्त कर लिया गया था।

हर सिख को काफी तंग किया गया था। जब मैं हाल में अमृतसर गया तो सिखों ने हमें बताया कि हम अकाली नहीं हैं, लेकिन श्री भजन लाल की कार्यवाही ने हमें ऐसा सोचने के लिये मजबूर कर दिया है ; हो सकता है कि हम अकाली बन जाएं, हो सकता है कि हम उग्रवादी बन जाएं। यह उनकी सरकार के काम करने का तरीका है। आज सिख उग्रवाद के लिये वे ही जिम्मेदार हैं। मैं सारे का सारा दोष सिर्फ दूसरे पक्ष को ही नहीं देना चाहता। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप कुछ सोचिए और इसके लिये कार्यवाही कीजिए।

इस प्रकार से हिन्दू कट्टरवाद के पीछे कौन है ? इसकी महत्वपूर्ण खोज मैंने अमृतसर में की है। कुछ समय पहले हिन्दुओं द्वारा स्वर्ण मन्दिर की ओर एक जलूस ले जाया गया था और उसमें जो उनका नारा था, वह इस प्रकार था :—

बीड़ी सिग्रेट पीयेंगे,

ऐश आराम करेंगे।

महोदय, आप पंजाबी नहीं समझते, मैं इसे स्पष्ट करूंगा। यह कहता है—हम लोग बीड़ी और सिगरेट पीयेंगे और जिन्दगी का मजा लेंगे।" हिन्दुओं के एक जलूस का यह नारा था क्योंकि सिक्खों ने यह मांग की थी कि स्वर्ण मंदिर के पास कोई शराब की दुकान नहीं होनी चाहिये, वहां न कोई सिगरेट पीये और वहां न कोई बीड़ी पिये। और इस जलूस के लिए कौन उत्तरदायी है। श्री भाटिया यहां उपस्थित है, वह इसके बारे में अच्छी तरह से बता सकेंगे किन्तु अमृतसर में मैंने सुना था कि उनके अनेक मित्र उस जलूस में थे और समचार पत्रों की रिपोर्टें इस बात की पुष्टि करती हैं कि इनके पीछे उनका हाथ था। पटियाला में यह पवन कुमार मौन है।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : यह बिल्कुल गलत है। इसका आयोजन जनसंघ ने किया था और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस (इ) का इसमें कोई हाथ नहीं है।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : यह बिल्कुल निराधार है।

(व्यवधान)

श्री ए० के० राय : (धनबाद) इसे दोनों ने मिलाकर आयोजित किया था।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम लोग केवल मामलों को प्रमुखता दें, राजनीतिक मामलों को नहीं। केवल इन मामलों को ही लें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह मामला है। श्री पवन कुमार शर्मा मौन है? वह हिन्दू सुरक्षा समिति के अध्यक्ष थे, और इंडियन एक्सप्रैस के अनुसार — जिसे न पहले इनकार किया गया और न अब—मैं 7 मई के संस्करण से उद्धत कर रहा हूं किन्तु मेरे पास 8 अप्रैल 1982 का संस्करण भी है, और इसकी जांच मैंने पटियाया में अपने दल के माध्यम से तथा अमृतसर की यात्रा के दौरान करा ली है। यह समझा जाता है कि श्री पवन कुमार को किसी ऊंची हस्ती वाले कांग्रेसी (इ) का संरक्षण प्राप्त है और वास्तव में इस समाचार पत्र के अनुसार :—

"श्री पवन कुमार शर्मा को कांग्रेस (इ) का संरक्षण प्राप्त है और गत वर्ष पंजाब कांग्रेस (इ) के वर्तमान प्रचार मंत्री श्री प्रेम गुप्ता को पटियाला पुलिस ने श्री पवन कुमार तथा अन्य व्यक्तियों को धन देने के आरोप में हिरासत में लिया था। यह आरोप लगाया था। कि कांग्रेस (इ) संसद सदस्या···" मैं उसका नाम नहीं बताना चाहता हू—"श्री दरबारा सिंह भी परेशानी में डालने के लिये श्री गुप्ता के माध्यम से इन लोगों को रुपया देता था।"

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन के समक्ष गृहमंत्री के वक्तव्य का मामला है। यहां सभी प्रकार के राजनैतिक मामलों पर चर्चा होती हैं। यदि राजनीति कोई प्रमुख भूमिका निभाती है तो आपके पास उसका कोई उपाय नहीं है। मुझे बड़ा खेद है।

व्यवधान

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, आप यहां राजनीतिक की चर्चा नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं कि संसद कोई राजनीतिक अखाड़ा नहीं है।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम किसकी चर्चा करेंगे फिल्मी सितारों की।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपको इसका महत्व मालूम है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं नियम पढ़कर सुनाऊँ ।

संसदीय कार्य खेल और निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री बूटासिंह) उपाध्यक्ष महोदय, वह यहां अपने निजी मामलों की चर्चा कर सकते है, हमें कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य के विरुद्ध कहने से भी माननीय सदस्य के विरुद्ध कहने से पूर्व आपकी अनुमति लेनी होगी । आपने अनुमति नहीं दी थी । इसलिये, इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा सकता ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने नाम नहीं बताया ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप विद्वान व्यक्ति है । यहां तक कि बिना अनुमति के···

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पटियाला के सदस्यों से उनका क्या तात्पर्य है ।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या वह इस बात से इनकारे करते है कि श्री पवन कुमार युवा कांग्रेस का सदस्य था ? उन्हें इनकार करने दो और मैं प्रस्तुत करूंगा···

श्री बूटा सिंह : क्या उन्होंने संसद सदस्य का नाम बताने को अनुमति अध्यक्ष से ली है ?

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने नाम तो नहीं किया। **(व्यवधान)** मैंने कोई नाम बताया ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष जी, क्या आपको रेकार्ड दिखा कर पढ़ने की स्वीकृति ली है इन्होंने ? यदि नहीं तो नहीं पढ़ सकते । मुझे आपत्ति है ।

सुब्रह्मण्यम स्वामी : नहीं, नहीं । आपको नये नियम नहीं बनाने हैं ।

श्री के० लक्कप्पा : नियम 193 के अन्तर्गत किस बातों की चर्चा की जा सकती है । वह इस नियम के दायरे से बाहर नहीं जा सकते । उन्हें स्वयं को वहीं तक सीमित रखना चाहिये

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप कार्यवाही नहीं पढ़ सकते हैं । मैंने भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया है । मेंने केवल राजनैतिक समर्थन की बात कही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही पढ़ूंगा । मैंने यह तो नहीं कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा है वह सही है ।

(व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : कल को हम उनके ऊपर आक्षेप करेंगे ।

*अमृतसर में गये थे और प्रेस वालों से मिलकर वहां फतवा दिया कि वह पीड़ाफुल स्थिति है।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : मैंने एक वर्तमान सदस्य के बारे हैं कहा है। वह आ सकते है और अपने बचाव में कह सकते है। (**व्यवधान**) यदि आप चाहें तो मैं नाम बता सकता हूं। मैं कांग्रेस (इ) के संसद सदस्य का नाम बता सकता हूं।

आचार्य भगवान देव : जब आपत्ति उठा रहे हैं तो हमें कहना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रहमण्यम स्वामी, आप कोई भी वक्तव्य दे सकते हैं। किन्तु नियम 353 कहता है :--

"अपमान करने वाला या दोषी ठहराने वाला कोई आरोप नहीं···"

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या यह अपमान सूचक है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दोष लगाने वाला कहा था।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : क्या यह अपमान जनक है ?

श्री बूटा सिंह : वह जिस भाषा का प्रयोग कर रहे है, उसका अर्थ हमें मालूम है। यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जा सकता है।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : जब मैं कोई ऐसी बात कहता हूं जो उनके हित को ही और विरोध दल के हित की न हो तो वे ताली बजाते सकते हैं। किन्तु इस समय वे मेरी बात तक सुनना नहीं चाहते। मैं कहता हूं कि कांग्रेस (इ) के वह संसद सदस्य यहां आकर अपना बचाव कर सकते है। मैं उनका नाम बता सकता हूं।

श्री बूटा सिंह : आप इस प्रकार आरोप नहीं लगा सकते।

श्री सुब्रहमण्यम स्वामी : मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। मैंने केवल इतना कहा था कि श्री पवन कुमार, कांग्रेस (इ) के सदस्य (**व्यवधान**)।

आचार्य भगवान देव : क्या इन्होंने रेकार्ड दिखा कर आपकी स्वीकृति ली है ? यदि नहीं, तो यहां यह नहीं बोल सकते हैं। ऐसा लगता है कि स्वामी जी अपने रास्ते से भटक गये।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : यदि मैं यह कहूं कि श्री पवन कुमार कांग्रेस (इ) के सदस्य है, तो यह कहना असंसदीय होगा (**व्यवधान**)।

श्री के० लकप्पा : वह यहां 'कांग्रेस पार्टी' का नाम नहीं ले सकते। (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, कृपया कोई आरोप और प्रत्यारोप न लगाये

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और वह भी किसी दल के विरुद्ध ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) क्या उन्होंने अपना दल भंग कर दिया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, कृपया अपना वक्तव्य जारी रखें ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (बसीघाट) अपना क्या निर्णय है ? **(व्यवधान)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है कि मैं रिकार्ड देखूंगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : किस लिए ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि उसमें कोई अपमान जनक बात है ···

(व्यवधान)

उन्होंने कहा कि वह आरोप लगा रहे है और मैंने कहा कि मैं रिकार्ड देखुंगा ?

प्रो० मधुदण्डवते : (राजापुर) क्या कांग्रेस पार्टी के बारे में कुछ कहना ही अपमान है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस बात का निर्णय सभापति करेंगे ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) हम लोग इसका निर्णय लें ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । मैं इसका निर्णय करूंगा ।

(व्यवधान)

श्री सुब्रहमण्यम स्वामी : आप रिकार्ड नहीं देख सकते और न उसे निकाल सकते है । आपको नियम बनाने होंगे । यदि आप यह कहते हैं कि काँग्रेस (इ) असंसदीय है और यह कहते है कि किसी को इसका सदस्य कहना आरोप लगाना है···**(व्यवधान)** ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं पीठासीन अधिकारी हूं । कृपया बोलते रहिये ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : वह जो कह रहे हैं, उसे कहने से उन्हें रोकिये ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, यह आम धारणा है कि हिन्दू सुरक्षा समिति के अध्यक्ष श्री पवन कुमार शर्मा, कांग्रेस (ई) के सदस्य हैं । यदि कांग्रेस (ई) का कोई सदस्य उनको अपना साथी होने से इन्कार करता है तो, मुझे यह सुनकर प्रसन्नता होगी क्योंकि मैं जो कुछ कह रहा हूं उसे प्रमाणित करने के लिये मेरे पास पर्याप्त ब्यौरा है । इस बात पर आमतौर पर विश्वास किया जाता है कि हिन्दू सिक्ख में तनाव का वातावरण पैदा करने के प्रति वह उत्तरदायी हैं । आमतौर पर पटियाला और पंजाब की यह एक महत्त्वपूर्ण विशेषता है तथापि अपराधियों को पकड़ने के लिए उनके पास विभिन्न प्रकार की पुलिस तकनीक हैं । उनमें से एक तकनीक प्रशिक्षित पुलिस कुत्तों से

काम लेना भी है – उन्होंने पंजाब में किसी भी काम के लिये पुलिस कुत्तों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। एक पुलिस कर्मचारी ने मुझे इसका कारण यह बताया कि पिछली बार उन्होंने हाशियार बम काण्ड में उसका इस्तेमाल किया था और कपड़ों के कुछ टुकड़े मिले थे तथा पुलिस कुत्ते सीधे कांग्रेस (ई) के मुख्यालय पर पहुंचे थे। इसके बाद से उन्होंने पुलिस कुत्तों का इस्तेमाल बन्द कर दिया है।

श्री के० लकप्पा : इसमें कितनी सच्चाई है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसीलिये पंजाब की पुलिस उनसे काम नहीं लेती। बम्बई में, हम लोग पुलिस कुत्तों से काम लेते हैं और वे बहुत अच्छा काम करते हैं। किन्तु मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि पंजाब में कपड़ा, सिगरेट और ऐसी किसी वस्तु जिसमें गंध पाई जा सकती है, का कहीं प्रचलन नहीं है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : इस मामले में भी मैं रिकार्ड देखना चाहूंगा। किसी के बारे में ऐसा कहना अच्छा नहीं है। मुझे बड़ा खेद है। हम लोगों को सम्मानपूर्ण वाद-विवाद करना चाहिये। मुझे बहुत ही खेद है। हम सभी संसद सदस्य हैं।

(व्यवधान)**

श्री एम० एम० लारेस (इदुक्की) : आपको मंत्रियों को भी सलाह देनी चाहिये थी।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं सभी को सलाह दे रहा हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप और भी अनेक उदाहरण दे सकते हैं। अब, पंजाब के लोग उस समय क्या सोचेंगे जब वे यह सुनेंगे कि पंजाब पर चर्चा करते समय श्री बूटा सिंह ने इस सच्चाई पर प्रकाश डालने की चेष्टा की कि पुलिस अपराधियों को पकड़ने के प्रति गम्भीर नहीं है। अपराधियों का पता लगाने के लिए कुत्तों से कार्य लेना एक महत्वपूर्ण तरीका है। वास्तविकता यह है कि एक बड़ा ही सफल तरीका है। यदि आपको कोई ऐसा कपड़ा या कोई अन्य वस्तु प्राप्त हो जाये जिसमें गंध हो, तो आप अपराधी को तलाश कर सकते है। यहां, मैं आपको इस बात का प्रमाण दूंगा कि पंजाब पुलिस ने पुलिस कुत्तों से काम लेने के आदेश निलम्बित कर दिये और ऐसा इसलिये किया गया कि कुत्तों को कांग्रेस (ई) के मुख्यालय तक जाने की बुरी आदत पड़ गई थी। इसलिये, मैं कहता हूं कि कांग्रेस (ई), एक ओर उग्रवादी सिक्खों और दूसरी ओर उग्रवादी हिंदुओं को, राजनैतिक प्रयोजन के लिए दोनों उग्रवादियों को उत्तेजित करने के लिये उत्तरायी हैं। मेरे विचार में, इस समस्या को सुलझाने का कोई इरादा नहीं है। आप आगे क्यों नहीं आते। वे लोग तीन प्रकार की कहानियों का प्रचार करके पंजाब के समस्त आन्दोलन को निरुत्साहित करने की

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

चोटी करते हैं। एक यह है कि यह खालिस्तान बनाने की भूमिका है। इस सदन में हमें बार-बार यह सुनने को मिला है कि खालिस्तान के लिए स्वर्ण मंदिर एक शरण स्थल है। वास्तव में, कुछ संवाददाताओं ने कमरा सं० 32 में तथाकथित खालिस्तान के तथा कथित महामंत्री से साक्षात्कार लिया। उनका कहना है कि वह इस कमरे को इसके मुख्यालय के रूप में काम ला रहा है। जब मैं अमृतसर गया था तब मैंने श्री लोंगोवाल से कहा था कि यदि आपका यह विचार हो कि और खालिस्तान बनाने के पक्ष में है, तो कोई भी आपका समर्थन नहीं करेगा, कोई भी इस पर विचार करने को तैयार नहीं होगा और देश की अखंडता बनाये रखने के लिये किसी भी प्रकार का बलिदान देने को तैयार है। यदि खून देना आवश्यक हुआ तो हम खून देने को तैयार हैं और देश की अखंडता में कोई परिवर्तन नहीं होने दिया जायेगा। श्री लोंगोवाल ने कहा—'देश की अखंडता के लिये खून देना सिक्खों की परम्परा रही है। हम भारत को एक मानते हैं और भारत को अखंड बनाये रखने के लिये मैं बलिदान हो जाऊंगा।' श्री लोंगोवाल ने ऐसा कहा था। किन्तु आप बार-बार यही कह रहे हैं कि वे यह कर रहे हैं। आप चतुराई के साथ यह कर रहे हैं। आप कहते हैं कि खालिस्तान का मुख्यालय वहाँ है।

कमरा सं० 32 के बारे में क्या है जिसके बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि वह खालिस्तान का मुख्यालय है? उन्होंने कहा कि ठीक है आप कमरा नंबर 32 अथवा जिस कमरे में आप जाना चाहें— नानक निवास का कमरा नम्बर 66—में आप जाइये और देखिये। उन्होंने कहा— "आप अचानक किसी भी कमरे में जा सकते हैं और देख सकते हैं।" मैं कमरा नम्बर 32 में गया था। कमरा नम्बर 32 में मैंने क्या देखा? वहां केवल दो चारपाइयां थीं और कुछ भी नहीं था। वास्तव में, बाद में संवाददाताओं ने बताया कि कमरा नम्बर 32 में उन्होंने श्री संघु से साक्षात्कार लिया था। मैंने कहा—"आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह मुख्यालय है।" एक मुख्यालय को चलाने के लिए उस मुख्यालय में एक टेलीफोन, एक डेस्क, एक फाइलों की अलमारी या और भी कुछ सामान होने चाहिये··· (**व्यवधान**)

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : यह कोई दलील नहीं है। अगर नानक निवास में कोई खालिस्तान की मांग करने वाला प्रैस कान्फ्रेंस करता है और आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो आप भी गद्दारी करते हैं। यह बिल्कुल गद्दारी की बात है। अगर खालिस्तान की माँग के बारे में प्रैस कान्फ्रेंस किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में हो, कोई वहां इंटरव्यू लेने जाए और आप उसको सपोर्ट करें, तो वह देश की गद्दारी है।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : कल श्री संघु 800 रुपये में मौर्य होस्टल में एक कमरा किराये पर ले सकते हैं।

श्री मनी राम बागड़ी : वह मौर्य होटल नहीं है। वह हमारा पवित्र स्थान है। गोल्डन टेम्पल हमारी जिन्दगी है, हमारा धर्म-स्थान है। मौर्य होटल में गुंडागर्दी और बदमाशी हो सकती है, लेकिन दरबार साहब में हम नहीं होने देंगे। (**व्यवधान**)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : या वह श्री बागड़ी की धर्मशाला में जा सकते हैं, वहाँ संवाद-

दाताओं को बुला सकते हैं और साक्षात्कार दे सकते हैं ।

श्री मनी राम बागड़ी : धर्मशाला और गुरुद्वारे में बहुत फर्क है । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब समाप्त करें ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप जानते है कि आप जो कुछ कर रहे है उसका क्या प्रभाव होगा ? यदि आप मुझे नहीं बोलने देंगे तो पंजाब में चारों ओर यह आवाज गूंज जायेगी कि आप कोई चर्चा नहीं करना चाहते । आप उन्हें नियन्त्रित करें ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बागड़ी, आप कृपया बैठ जाये । आपको भी अवसर मिलेगा । आप उनकी बात सुनें और तब आप उनको उत्तर दे सकते है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे तो विरोध करने के लिए हैं । आप यह नहीं कह सकते "आप अब समाप्त करें ।"

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समय का बड़ा पाबंद होता जा रहा हूं । पिछली बार, जब कुछ सदस्यों को बोलने से रोका गया था, तब अध्यक्ष जी को गलत समझा गया था । इसलिए, इस बार मैं बड़ा पाबन्द होने वाला हूं । आपने प्रस्ताव रखा था । इसलिए आपको भी 30 मिनट बोलने दिया गया । अन्य सदस्यों में से किसी को 15 मिनट से अधिक समय नहीं मिलेगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी . मैं 10 मिनट से अधिक नहीं बोला हूं । मेरे बोलने में बार-बार बाधा डाली गई है । आपको सदन को नियन्त्रित करना चाहिए । यह नहीं कहें कि अब समाप्त करो । इसका बड़ा ही विपरीत प्रभाव पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बहस न करें । अब आपको समाप्त करना ही पड़ेगा । मुझे सभी सदस्यों को अवसर देना होगा ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे बोलने दीजीए । अन्यथा पंजाब में यह अफवाह फैल जाएगी कि आपने मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी । ये सारे तथ्य सदन के समक्ष रखने होंगे । आप नहीं जानते कि पंजाब में क्या हो रहा है । देश की अखंडता खतरे में है । आप यहाँ भाषण दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य बोल रहा है, यदि किसी दल को बोलने का अवसर मिला हुआ है, और यदि कोई सदस्य उससे सहमत नहीं है और बीच में व्यवधान डालता है, तो वह और अधिक समय मांगेगा । मैं और समय नहीं दे रहा हूं ।

श्री एम० एम० लारेंस : हम लोग एक बहुत ही नाजुक मामले पर विचार-विमर्श कर रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो ठीक है । हर सदस्य में स्व-अनुशासन की भावना होनी चाहिए ।

श्री बागड़ी, मैं आपको बोलने का अवसर दूंगा । वह जो कुछ कह रहे हैं, आप उसका विरोध कर सकते हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : इसलिए, यस कहना तो एक मोटा सुझाव है कि स्वर्ण मंदिर के अन्दर एक मुख्यालय कार्य कर रहा है । हम लोगों से यह बात कही गई है । हर एक का यह विचार बन गया है कि वहां एक मुख्यालय कार्य कर रहा है । सभी व्यक्ति वहां आते और जाते हैं और केवल इस भाषण से कि एक व्यक्ति एक विशेष स्थान पर साक्षात्कार कर पाता है । पूरे समुदाय को प्रथकतावादी कहकर निन्दा करना गलत है ।

श्री बागड़ी यदि आप श्री भिंडरवाला से मिलते तो वे लोग और भी अधिक चर्चा करते ।

श्री मनी राम बागड़ी : भिंडरावाले इनके दोस्त हैं । जो फिर्कापरस्त हैं, चाहे वे हिन्दू हों, मुसलमान हों, या सिक्ख, मैं उनका मुखालिफ हूं । (व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : दूसरा आरोप यह लगाया जा रहा है कि अपराधी स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी इसी के बारे में है । मैं कहता हूं कि आप एक बार श्री लोंगोवाल को परीक्षण के तौर पर तो देखें । उसे सूची तो दें । ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार ने स्वर्ण मंदिर में छिपे हुए 40 अपराधियों की एक सूची रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी थी । इसका विश्लेषण और नाम अब समाचार-पत्रों में आ चुके हैं । इससे पता चलता है कि उनमें से 18 अपराधी स्वर्ण मंदिर में नहीं हो सकते क्योंकि विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में सरकार के ही वक्तव्य के अनुसार इनमें से 6 अपराधी विदेशों में हैं । उनमें से एक मर चुका है । उनमें से कुछ अपराधियों पर जो आरोप लगाये जाने थे वे उनसे मुक्त हो चुके हैं । लेकिन प्रारम्भिक नजर में, यहां तक कि सरकार अपनी सूचना के अनुसार भी इन 40 व्यक्तियों में से, 18 व्यक्ति मर गए लगते हैं । और यहां श्री दरबारा सिंह जी ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति को रजिस्टर्ड डाक द्वारा पत्र भेजा है जिसमें यह कहा गया है कि ये व्यक्ति यहां छिपे हुए हैं शेष 22 व्यक्ति, ठीक हैं, मैंने श्री लोंगोवाल से कहा था कि आप इस बात की पुष्टि कर लें कि वे यहां छिपे नहीं हैं ।' कुछ संकेत आप भी तो दीजिए । श्री लोंगोवाल ने एक जांच समिति बनाने की घोषणा की है । अब ही सकता है कि जांच समिति हम सबको संतुष्ट न कर पाये । परन्तु यह सदभावना का संकेत है । यह बातचीत के लिए रहने की दिशा में एक कदम है ।

(व्यवधान)

आप खुश हैं कि श्री संधु ने स्वर्ण मंदिर छोड़ दिया, क्योंकि वह यह नहीं चाहता कि धार्मिक स्थानों को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाए । यदि वह चला गया है, तो आपका सतर्कता विभाग क्या कर रहा है ? आपका अनुसंधान और विश्लेषण विभाग (रा) क्या कर रहा है ? आपकी सभी ऐजेन्सियां क्या कर रही हैं ? या, हो सकता है वह आपका एजेन्ट हो । इसीलिए आप उसे पकड़ना नहीं चाहते । इस बात का मुझे नहीं पता । खैर, श्री लोंगोवाल ने कदम उठाया है । जांच समिति की स्थापना करना एक मैत्रीपूर्ण कदम है और सरकार को आगे हाथ बढ़ाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त कीजिए ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप इसकी गम्भीरता पर ध्यान दीजिए ।

यह बहुत गम्भीर स्थिति है ।** (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह हर बात का उत्तर दे रहे हैं। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी हर बात का उत्तर दे रहे हैं । और आप हर बात पर चर्चा कर सकते हैं । इस में बहुत से व्यवधान हैं ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं एक अवैतनिक सरदार हूं, फिर भी आखिरकार अकालियों को बदनाम करने की यह एक कोशिश है । उन्होंने बार-बार बातचीत करने की इच्छा प्रकट की है । इसके बाद हरियाणा में चुनाव थे । उन्होंने इसे टाल दिया इसके बाद नवम्बर में मन्त्रिमण्डलीय उप-समिति गठित की गई थी । वे बातचीत करने ही वाले थे वास्तव में त्रिपक्षीय बातचीत से यह पता चला कि मतभेद बहुत कम थे और डा० एलेक्जेण्डर के कमरे में एक मिला जुला वक्तव्य तेयार किया गया था । इसके बाद अचानक पी० ए० सी० की बैठक बुलाई गई और यह मामला टाल दिया गया । अब निस्संदेह, मैं जानता हूं कि श्रीमती गांधी यह कहती हैं कि मेरे मन्त्रियों को इस बारे में कुछ पता नहीं है । और उनमें अब मत भेद है वे अब बातचीत नहीं कर रहे हैं । लेकिन मैं यह कहता हूं कि इस सब के बावजूद भी उन को बातचीत करनी चाहिए । उनको अपने व्यक्ति-गत सम्मान या दल के हितों को राष्ट्र से ऊंचा नहीं रखना चाहिए । यह समय हैं कि हमें गम्भीरता पूर्वक बैठकर इस पर विचार करना चाहिए । पंजाब सरकार बार-बार निकम्मी साबित हुई है । मैं भ्रष्टाचार के आरोपों को नहीं दोहराऊंगा । जबकि **मेरे पास दिल्ली रिकार्डर** हैं जो कि सूची नं० 8 या 9 है । यह सरकार का काम है कि वह इसकी जांच करें और पता लगाए कि सचाई क्या है, परन्तु मैं यह कहूंगा कि सिख स्वाभिमानी लोग हैं और वे संकट में है उन्हें संकट की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया गया है । कोई भी गलत कदम उनको किसी तरफ भी धकेल सकता है । परन्तु वे बहुत मेहनती है और वह बहुत भावुक व्यक्ति हैं । वे बहुत स्वाभिमानी लोग हैं। ब्रिटेन में वे अपनी दाढ़ी रखने और पगड़ी के लिए हर तरह से लड़े हैं । उनके लिए दाढ़ी कटवा देना या पगड़ी उतार देना बड़ी आसान बात है। परन्तु वे दुनियां के किसे भी हिस्से में वे कतिपय मूल सिद्धान्तों के लिए लड़ते हैं । वे बहुत स्वाभिमानी लोग है । आप यह नहीं समझ सकते कि विदेश में दाढ़ी और पगड़ी रखना बुद्धिमान बात है । वे इसके लिए लड़े हैं, स्कूल में प्रवेश, सेना में भर्ती और बस कंडक्टर के रूप में वे लड़े हैं । वे स्वाभिमानी लोग हैं आपको उनके साथ सावधानी से बातचीत करनी चाहिए । वे सीमाओं पर हैं । वे हमलों का सामना करते हैं । यदि कल, सिख लोग समग्र रूप से अलग कर दिया जाए तो इसका लाभ किसको होगा । इसका लाभ पाकिस्तान को होगा । क्षीज किये गए और कमजोर सिख समुदाय की तुलना में पाकिस्तान के एफ-16 कुछ भी नहीं हैं और वे इन्हें गलत दिशा में ले जा रहे हैं । मैं पंजाब में थोड़ा सा देखने के और अपने दल के साथियों से रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद यह बात गम्भीरता से कहता हूं कि पंजाब की स्थिति बहुत ही नाजुक है । यदि वे कुछ बातों को सामने रखकर और बातचीत करने की इच्छा से इस

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

स्थिति से सावधानी से निपटते हैं तो वे इस स्थिति को सम्भाल सकते हैं। यदि वे पुराने राजनीतिक रंग देने वाले तरीकों का प्रयोग करते हैं तो मुझे डर है कि अब ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूं कि वर्तमान समय में उनकी अपनी बनाई गई समस्या है। वे इससमस्या को इस हद तक वे आए हैं। वे हमेशा बातचीत करने वालों को हतोत्साहित करते रहे हैं मंत्रिमंडलीय उप हद तक ले आए है। वे हमेशा समिति को बातचीत का काम सौपने के बाद आज उन्होंने एक सिविल कर्मचारी को बातचीत करने के लिए भेजा है।

इसलिए, मैं कहता हूं कि इन सब बातों पर विचार करके, सरकार को राष्ट्र के हित में, यह सब प्रचार करना छोड़ देना चाहिए, प्रधान मंत्री को श्री लोंगोवाल को कहना चाहिए कि आप मेरे साथ बैठिये और बातचीत के द्वारा समझौता कीजिए जिसके लिए प्रतिपक्ष भी सहयोग देने के लिए तैयार है।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार (फरीदकोट) : डिप्टी स्पीकर साहब, रूल 193 के तरह होम मिनिस्टर साहब पटियाला के बारे में ता० 4 मई को जो स्टेटमेंट दिया था, उस पर आज हम डिस्कैशन कर रहे हैं, जिसे श्री मधुदण्डवते जी और श्री सुब्रह्मण्य स्वामी ने यहां पर उठाया है। मैं इस डिस्कशन में हिस्सा लेने के लिये खड़ी हुई हूं। असल में पंजाब का खून ही ऐसा है कि जब भी पार्लियामेंट के मेंम्बर बात करते हैं तो उन का खून भी खौल जाता है, बजाय इसके कि वे बैठकर कामली इस सीरियस सिचुएशन को हल करने की कोशिश करें। इस सीरियस मसले पर एक दूसरे को ऐटेक करना, इतना शोर-गुल करना ठीक नहीं है।

मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं—

17.02 (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

बजाय इसके कि आप सारा दोष कांग्रेस (आई) पर डाल दें, कि पटियाला में भी गड़बड़ कराने में इनका हिस्सा है—यह सही नही है···

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : भिंडरान वाले को तो कांग्रेस (आई) ने बताया है।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर ब्रार : बागड़ी जी मैं आपकी स्पीच में नहीं बोलूंगी, आप मेहरबानी करके मेरी स्पीच में नहीं बोलिये। मैं कह रही थी कि बजाय इसके कि सारी बातों में कांग्रेस (आई) को ढकेला जाय, आप सही मसले को हल करने की कोशिश करें, जो इस वक्त की बहस का परपज भी है। पंजाब में आज जो हो रहा है, वहां पर अमन-चैन और शान्ति को लाने की कोशिश करें, क्योंकि वह बार्डर स्टेट है। अभी अपनी स्पीच खत्म करते वक्त आप ने कहा भी था कि इस काम को ठीक तरह से करने से इसका क्रेडिड किस को जाएगा, इसका फायदा किस को होगा—हिन्दुस्तान को होगा। अभी जैसा आप ने कहा, मैं भी सिख कोम के लिये उतनी ही प्राउड हूं। जितनी कुर्बानियां सिख कौम ने दे दी हैं, मेरे ख्याल में किसी ने नहीं दी है और आगे भी देते रहेंगे। आज तक ऐसा सबूत कभी भी नहीं निकला होगा कि सिख कभी भी दगाबाज साबित हुआ

हो। इसलिये आज हमारे सामने यह मसला है कि जो गलत बातें हो रही हैं उन को कैसे ठीक किया जाय—यही मेरी रिक्वैस्ट है।

अभी आपने पटियाला के बारे में बतलाते हुए कहा था कि यह झगड़ा लाउड-स्पीकर की वजह से शुरू हुआ, लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या लाउडस्पीकर को लेकर बात इतनी दूर तक जा सकती है कि अशोक कुमार जैन उस में मर सकता है। हमें देखना चाहिए कि इस के पीछे क्या बात है। बात यह है कि बहुत देर से हमारे कुछ लोग एक-दूसरे को उकसाते आ रहे हैं। हमारे कुछ सिख नौजवान उकसाते आ रहे हैं कि इस तरह से काम करो, दूसरी तरफ हमारे कुछ हिन्दू नौजवान उकसाने की कोशिश करते रहे हैं। मैं आप को एक बात और बतलाऊं—पटियाला पहले एक स्टेट थी और आप ने शायद नोट किया होगा कि हिन्दुस्तान में जितने राज्य थे उनमें कम्यूनल फीलिंग बहुत कम थी, खास कर पटियाला में जो होम मिनिस्टर थे या मिलिट्री सैक्रेट्री थे वे मुसलमान थे, हिन्दू भी वहां बहुत अच्छी-अच्छी फौजीशन्ज पर थे। आप हैरान होंगे—महाराजा पटियाला—महाराजा भूपिन्द्र सिंह—काली देवी की पूजा करते थे। उनके यहां एक खास फंक्शन होता था, वहां एक नदी बहती है, कभी कमार जब नदी में बाढ़ आती थी तो वे देवी की नथ ले कर जाते थे। यह हम सुनते आये हैं, और यह बात सही भी है। तो क्या वजह थी कि उस रोज इतनी जल्दी एक घंटे के अन्दर सारे पटियाला में आग लग गई। जहां पर हिन्दू मेजोरिटी थी, उन्होंने सिखों की दुकानें जलाई और जहां सिख मेजोरिटी थी, उन्होंने हिन्दुओं की दुकानें जलाई और बड़े अफसोस की बात यह हुई कि एक घंटे के अन्दर बगैर किसी रीजन के कितनी ही मौतें हुई और 46 के करीब दुकानें जलाई गई और अशोक कुमार की पुलिस फाइरिंग से डेथ हुई और बहुत से लोगों पर लाठी-चार्ज हुआ। तो यह बड़े अफसोस की बात है। अब मैं आप को सुनाती हूं, जैसा आप ने कहा कि अमृतसर में जुलूस निकला, ऐसे ही पटियाला में त्रिशूल ले कर राम नवमी का जुलूस निकाला। हम ने कभी सुना नहीं कि राम नवमी के दिन त्रिशूल लेकर जुलूस निकालने की जरूरत होती है। उस दिन त्रिशूल लेकर जुलूस निकाला और खासे प्रोवोकेटिव स्लोगन भी दिये गये। उसके दिन बिल्कुल मुकाबले में अकालियों ने जिनमें छोटे-छोटे बच्चे थे, उन्होंने नंगी तलवारें लेकर जुलूस निकाला। अब अगर ऐसी बातें होगीं, तो नतीजा कुछ तो निकलेगा और नतीजा आपके सामने आया लेकिन मैं यह बात कहना चाहती हूं कि पंजाब के लोगों ने आज तक बड़ा कांस्ट्रेन्ट दिखाया है, जिसके कारण पटियाला की जो लड़ाई है, वह पटियाला तक सीमित रही और बाकी सब लोग बिल्कुल अमन-चैन और शान्ति से पंजाब में रह रहे हैं। पंजाब के दूसरे तीन शहर हैं, लुधियाना, जालन्धर और अमृतसर, अगर ऐसी बात इन में हो जाए, तो क्या होगा यह सोचने वाली बात है।

अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि इसको कैसे हल किया जाए। जो कोई गलती है, उसे कैसे दूर किया जाए। अभी आचार्य बाजार में कपड़े की दुकान में आग लगाने की कोशिश की गई यह 4 मई की खबर है और इसी से कुछ थोड़ी देर बाद जब करफयू हटाया गया, तो गुरबीरूश कालोनी में राशन डिपो और क्लाथ शाप में आग लगी और बेन्सडे तक 69 आदमियों को इन्होंने गिरफ्तार किया है और रास्ता रोको आन्दोलन के बारे मेआप ने पढ़ा होगा कि उस में जिन लोगों

की मृत्यु हो गई थी, अकालियों ने उनका अन्तिम संस्कार करके उनकी एशेज को सबमर्ज करने की कोशिश की थी और उसका जो प्रोसेशन था, वह बिल्कुल पीसफुल रहा और कोई गड़बड़ नहीं हुई।

अब 6 मई को क्या होता है ? यही जो श्री सब्रह्मण्यम स्वामी ने बताया कि अरना-बरना चौक में जो साइकिल की दुकान है,

वहां से पुलिस ने फाइरिंग की और अशोक कुमार की गोली लगी सीधी छाती में और उन को जब अस्पताल ले गये, तो वहां पर ही वाज डेक्लेयर्ड डेड और उस की जो मदर थी और उन के साथ एक और थे, जैसा अभी आपने बताया है श्री विद्या सागर, जो जनता पार्टी के प्रेसीडेंट हैं और जो पहले सर्विस कमीशन सलेक्शन बोर्ड के मेंम्बर थे, उन दोनों को लाठी चार्ज से चोटें आई और उनका एक पड़ोसी था, उसको भी चोटें आई अब उनकी कुछ डिमान्ड है कि जूडीशियल इन्क्वायरी हो। जो पुलिस वाले हैं और जो एस०एस० पी सरदारबलजीत सिंह है, उन्होंने जो अपना एकाउन्ट दिया है, उसमें यह कहा है कि 4 पुलिसमेंन इनजर्ड हुए और एस०एस० पी बलजीत सिंह ने यह भी कहा है कि 9 आदमी, जिनमें अशोक कुमार भी शामिल था, वे एक पीपा मिट्टी का तेल और एक चेयर रेप्ड इन क्लोथ लेकर आए। अब ये जो चीजें हैं, ये बिल्कुल क्लियर नहीं हुई बाद में कि पुलिस वालों ने जो एकाउन्ट दिया है, वह ठीक है या दूसरा जो एकाउन्ट है, वह ठीक है जैसे इन्होंने बताया कि घर में जाकर मारा। अभी तक इसके बारे में कोई क्लेरीफिकेशन पब्लिक के सामने नहीं आया है और यह आना चाहिए ताकि लोगों को सही-सही हालात का पता लगे। तो उस रोज करीब 26 लोगों को एरेस्ट किया गया, जिनमें 17 आदमियों पर सब्सटेंटिव चार्ज थे लेकिन बाकियों को प्रीवेंटिव मेजर के एगेन्सट एरेस्ट किया गया और उसमें 2 अकाली एम०एल०ए हैं श्री गुरुदेव सिंह ग्रेवाल और श्री जसदेव सिंह संघू। यह 6 मई की रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि क्या हुआ। अब इस का असर क्या हुआ। पटियाला में तो यह बात हो रही है और पटियाला के एराऊन्ड जो गांव हैं, उनमें क्या हुआ। बहुत से लोग वहां से दूध लेकर पटियाला शहर में आते हैं और पटियाला शहर में दूध नहीं मिलता क्योंकि वहां पर करफ्यू है। इस तरह उन गांव वालों का दूध जाया जाता है और इस का असर एकोनामी पर होता है। बैंक बन्द हो जाते हैं क्योंकि जो बैंक चलाने वाले हैं वे वहां पर नहीं जा पाते।

पटियाला के अराऊंड जो गांव हैं, वहां वे रहते हैं। शहर में वे जा नहीं सकते हैं इसलिए मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जो शहर का असर है, वह गांव वालों पर भी हो सकता है। हालांकि अभी तक यह चीज उन तक नहीं पहुंची है। 80 परसेंट लोग गांवों में रहते हैं। परमात्मा न करे कि यह चीज हो। अगर ऐसी बात गांवों तक फैली तो उसका रिजल्ट क्या होगा ? जब भी कोई चीज शहर में होती है, मंडी में होती है तो अक्सर गांवों में भी वह चीज चली जाया करती है। क्योंकि अक्सर गांवों के लोग शहर में आते हैं। उनकी विलेज इकोनोमी जो है, वह भी ऐसी बातों से अफेक्टिड होती है।

बात क्या थी ? जैसा कि इन्होंने कहा कि दो मार्च को गर्ग साहब के घर में दो क्रूड बम फेंके गये। लेकिन उनसे उनका घर तो बच गया, घर की दीवार को कुछ हुआ। दो बम फेंके गये

कांग्रेस के म्युनिसिपल कमिशनर ओमप्रकाश जी के घर पर। वे लहल कालोनी में रहते हैं। लेकिन वे बम उनके घर में एक्सप्लोड नहीं हुए। एक बेकर साहब के यहां जाकर गिरा और वहां एक्सप्लोड हुआ। उससे कुछ नुकसान भी हुआ। ये बम वैसे ही थे जैसे कि गर्ग साहब के घर पर फेंके गये थे। इसका मतलब यह है कि इसमें भी उन्हीं लोगों का हाथ था जिन्होंने उस वक्त बम फेंके थे। आहिस्ता-आहिस्ता यह बात बढ़ी।

अब ये कहते हैं कि होम मिनिस्टर काबिल नही हैं। अब होम मिनिस्टर साहब ने वहां चतुर्वेदी साहब को भेजा। उनके साथ हमारे सी० बी० आई० के डायरेक्टर साहब भी गये। बी० एस० एफ० और सी० आर० पी० एफ० के सीनियर आफिसर्स गये। इन्टेलिजेंस ब्यौरो के लोग भी गये। आपका यह कहना सही नहीं है कि होम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल फिक्र नहीं है, यह गलत है। उन्होंने अपने आदमी वहां भेजे और इनको अपने सेक्रेटरी से रिपोर्ट भी मिली होगी जिसके बारे में ये अपनी स्पीच में बतायेंगे कि क्या रिजल्ट निकला।

उसके बाद हमारे ला मिनिस्टर साहब जो कि यहां बैठे हुए हैं जो कि पटियाला को बिलोंग करते हैं, भी सण्डे को वहां गये। इन्होंने भी डिस्ट्रिक सिविल और पुलिस आफिसर्स के साथ बातें कीं और वहां की सिचुएशन का पूरा जायजा लिया इन्होंने भी आनदा स्पाट स्टडी की। चीफ मिनिस्टर साहब के बारे में भी मैंने अखबार में पढ़ा है कि उन्होंने भी एक्शन लिया। उन्होंने यह हुकमदिया—टाइटन अपदम मेजर्स अगेंस्ट द ट्रबल शूटर्स। राऊण्ड अप द टाप लीडर्स इरेपेक्टिव आफ द कम्युनिटी टू विच दे बिलांग। उन्होंने यह भी एडमिट किया है कि आज तक शरारती लोग पकड़े नहीं गये हैं।

यह सोचने की बात है कि मण्डे से काम शुरू होता है। क्या सण्डे को जब यह काम शुरू हुआ था तो क्या उसी दिन से यह आर्डर नहीं दिया जा सकता था कि ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी करनी है, लोगों की जानों से खेलने वालों से यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। यहां पर हमारी गल्ती है, उसको हमकोमानना चाहिए। मैं यहां यह भी कहना चाहती हूं कि मेहरबानी करके पंजाब के साथ खेलने की कोई भी कोशिश न करे।

इन्होंने बताया कि नक्सलाइटिस हैं आपको याद होगा कि पंजाब में नक्सलाइटिस की बड़ी भारी प्राबलमहो गयी थी। उस वक्त पुलिस ने आइरन हेण्ड के साथ उस प्राबलम से डील किया था।

अभी भी कुछ लोगों का ख्याल है कि नक्सलाइटस वहां पर छिपे हुए हैं जैसा कि सुब्रह्मण्यम स्वामी जी ने अभी बताया। इन्होंने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी बनी थी और उसने देखा था। आप कैसे कह सकते हैं कि स्क्रीनिंग कमेट्री ने सही देखा या नहीं देखा। यह कहना मुश्किल है जहां तक मेरा ख्याल है कि कहीं हम इस सिचुएशन को यहां तक न ले जाएं कि दोनों संतों को भी कोई न पूछे और लोग सिचुएशन को अपने हाथ में ले लें। जब बात ज्यादा बढ़ जाती है तो यही होता है। ये चीजें बहुत ध्यान देने वाली हैं।

एक बात और कहना चाहती हूं। गोल्डन टैंपल है। इसके चारों ओर सरोवर है। उसके

बाद परिक्रमा है। ये गो मंती साहब, गुरू का लंगर, गुरू रामदास सराय, गुरू नानक निवास, तेजा सिंह समंदरी हाल; गोल्डन टेंपल नहीं हैं।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : गोल्डन टेम्पल कंप्लेक्स हैं।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर बार : कांप्लेक्स आप कह सकते हैं लेकिन वहां कोई जूते उतार कर नहीं जाता।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम जूते उतार कर गए हैं।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर बार : आप गए होंगे। परिक्रमा के बाहर जूते ले जा सकते हैं। पोलिटिकल कान्फ्रेंसेस होती हैं। बड़ी फायरी स्पीचेज वहां पर होती हैं इन सब चीजों को देखने की आवश्यकता है।

हरचन्द सिंह लोगोंवाल ने पटियाला में टीम भेजी। वहां पर एग्रीकल्चर मिनिस्टर सुरजीत सिंह, बलवंत सिंह वगैरह आए। उन्होंने सिचुएशन बताई। हमें इस बात की खुशी है अगर उनको इस बात से तकलीफ है। कम्युनल हारमनी को डिस्टर्ब न करें। हमारी 60 के करीब बहनें वहां गईं। संत लोगोंवाल से मिलीं। उन्होंने उनसे बात की। बहनों का कहना था कि बात करने में वे बड़े मीठे थे। अगर एक्शन में भी मीठे रहें तो बड़ी अच्छी बात होगी। हमें इस बात की खुशी होगी।

एक-दो बातें और कहना चाहती हूं। मैंने सुना है कि 250 आदमी संत भिंडरावाला के जत्थे में हैं। वे चोगा और काली पगड़ी पहनते रहते हैं इससे उनको रिकगनाइज किया जाता है कि ये संत भिण्डरावाला के आदमी हैं। निहंग सिक्ख तो गुरू गोविंद सिंह की फौज के लिए प्रसिद्ध हैं। वे अपने नीले-पीले वस्त्रों में शस्त्र लेकर चलते हैं। इस भेष में कुछ लोग गड़बड़ी कर सकते हैं। इन सब चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है अटवाल साहब की जिस तरह से हत्या की गई, यह बहुत गंभीर बात है। पटियाला में उससे भी ज्यादा गंभीर बात हुई।

अब बहुत कुछ हो चुका है अब मेरी होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना है कि जो फैसला करना है करें। मैंने इस संबंध में हरियाणा वालों से भी बात की थी। हम लोग इकट्ठे होकर जो फैसला करना है करें। मनीराम गागड़ी जी से भी...।

श्री मनीराम बागड़ी : मिलकर जो फैसला कर दिया था, उसको हमने माना था। हरियाणा को क्यों दबाते हैं।

सभापति महोदय : आप बागड़ी जी का नाम क्यों लेती हैं? आप जल्दी समाप्त कीजिए।

श्रीमती गुरबिन्दर कौर बार : बागड़ी जी से मेरे काफी पुराने संबंध रहे हैं। जब इनकी शक्ल देखती हूं तो इनका नाम याद आ जाता है (व्यवधान)

मेरी होम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि डिसकशन काफी हो चुके हैं ट्रिपाटाइट और बाई लेट्रल मीटिंग्स हो चुकी हैं। बहुत कुछ हो चुका है। अब जो भी फैसला करना है जल्दी करें ताकि दोनों के बीच में तफरका पैदा न हो। पंजाब फलता-फूलता रहे। जय जवान जय किसान का नारा यहां लगता है। पंजाब बार्डर स्टेट है। अपोजीशन के लोगों को भी इस बात का बहुत ख्याल है। चन्द्रजीत यादव, सुब्रह्मण्यम स्वामी ने भी कहा। मेरी इन सबसे रिक्वेस्ट है कि कूल हैडिड तरीके से इस बात का फैसला करें। होम मिनिस्टर खुद भी जाएं देखें सुधार करें। लेकिन इस चीज का फैसला जरूर हो जाना चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदय; एक बार फिर हम पंजाब की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। यद्यपि इस प्रस्ताव में पटियाला का उल्लेख है परन्तु पटियाला की घटनाएं अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं। इसलिए, जब हम बोलते हैं तो हमें पंजाब की स्थिति पर चर्चा करनी चाहिए। महोदय, आपको याद होगा कि अपने पहले वाले भाषण में मैंने यह चेतावनी दी थी कि पंजाब की स्थिति साम्प्रदायिक-मोड़ ले रही है और जहां तक मुझे जानकारी है, गृह मंत्री जी चाहें तो इसे ठीक कर सकते हैं कि दोनों सम्प्रदायों के उग्रवादी तत्वों ने बिना लाइसेंस वाले हथियार एकत्र कर लिए हैं और एक ही चिनगारी आग भड़का सकती है। अपने पहले वाले भाषण में मैंने चेतावनी दी थी कि यदि समय पर कार्यवाही नहीं की गई तो स्थिति भयानक मोड़ ले सकती है। दुर्भाग्य से पटियाला में ऐसा ही हुआ है।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि सिख कौम एक बहुत बहादुर कौम है और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पंजाब के लोगों ने बहुत अधिक बलिदान दिया है। पिछले सप्ताह मैं अंडमान में था। मैंने सेलुलर जेल देखी। वहां पर मैंने सिख वीरों पंजाबी वीरों, जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए जानें दीं, की तस्वीरें देखीं। इस बारे में मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। इन वीरों ने अपनी जानें क्यों दीं ? ये वीर राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गये। जब वे मर रहे थे वे खालिस्तान के लिए नहीं मर रहे थे, वे भारत की आजादी के लिये मर रहे थे। उनके दिलों में देश की एकता और अखण्डता की भावना थी। महोदय, यह दुःख की बात है कि उनमें से कुछ लोग आज खालिस्तान की मांग कर रहे है और इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि पंजाब में अलगाववादी ताकतें हैं।

इससे मुझे एक बात याद आती है अमरीका के गृह युद्ध में इब्राहिम लिंकन से पूछा गया :— "क्या यह युद्ध गुलामी समाप्त किये जाने का परिणाम है।" उन्होंने कहा हां; लेकिन इससे महत्त्व-पूर्ण बात यह है कि यह युद्ध पृथकतावादी ताकतों के विरुद्ध है क्योंकि दक्षिण के राज्य संघ से बाहर जाना चाहते हैं। मुझे कहना चाहिये कि यह बात बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत के अन्दर रहने वाले कुछ लोग एक पृथक और आजाद राज्य खालिस्तान की बात करते हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार इसे कैसे सहन कर रही है।

हमारे कुछ मित्रों ने सुझाव दिया है कि इसका कोई हल निकाला जाना चाहिये 'हां, इसका हल होना चाहिये लेकिन मैं सत्तारुढ़ दल से पूछना चाहता हूँ कि आपका योगदान क्या है ? इसमें

कौन बाधक है ? प्रधान मन्त्री की हर बात के लिये विपक्ष को दोषी ठहराने की आदत-सी बन गयी है। कहीं कोई उपद्रव हो जाये तो प्रधान मन्त्री कहेगी कि इसके लिये विपक्ष जिम्मेदार है, उनके सहयोगी जिम्मेदार हैं पर उनका दल जिम्मेवार नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा कि वास्तव में किस दल ने पंजाब की साम्प्रदायिक ताकतों को प्रेरित किया ? श्रीमती गांधी की पार्टी ने। जब अकाली सत्ता में थे, तो आपको यह अच्छा नहीं लगा। आप अकालियों को सत्ता से हटाना चाहते थे। आप रिकार्ड देखें। आप कुछ उग्रवादी तत्त्वों से सम्बन्ध जोड़ रहे थे। यह कोई नई बात नहीं है। इस बारे में हमें अनुभव है। अपने दल का काम देखें। केरल में, जब बहुमत से नम्बुदरीपाद मंत्रीमंडल सत्ता में आया तो आपने मुक्ति संघर्ष शुरू किया और श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थी। आपने मुक्ति संघर्ष के नाम पर प्रजातांत्रिक प्रणाली से चुनी सरकार को गिराया। इतिहास किसी को शुरू नहीं करता, इतिहास कुछ भी नहीं भूलता। पश्चिम बंगाल में जब हम सत्ता में आये, तो आपने हमें विभाजित करने की कोशिश की थी और जब आप ऐसा नहीं कर सके और जब नकसल वादियों ने लोगों को मारना शुरू किया तो आपका ही दल यह सुनिश्चित करने के लिए नकसलवादियों को प्रोत्साहन देता रहा कि मार्कसिस्ट साम्यवादी दल तथा अन्य बामपंथी दल सत्ता में न आयें। आसाम में जब ए. ए. एस. यू. तथा ए. ए. जी. एस. पी. के लड़कों ने आंदोलन शुरू किया तो आपका ही दल उन्हें प्रोत्साहित करता रहा क्योंकि वे रिवालवर तथा कटार के बल पर विद्यार्थी संघों में थे और आपने उन लोगों के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा जो विद्यार्थी संघ तथा बामपंथियों द्वारा नियंत्रित मजदूर संघों पर कब्जा करने के लिए शस्त्रों का उपयोग कर रहे थे।

1980 में, इसी सभा में और आसाम में पृथकतावादी तथा विघटनकारी ताकतों के खतरों के बारे में बोला था। माननीय सदस्यों ने मजाक उड़ाया। आप रिकार्ड देखें। मैंने श्रीमती गांधी से कहा था, "उन्हें अच्छे आचरण के प्रमाणपत्र न दीजिये।" आप हर समय अपनी कार्यवाही तथा ताकत के बारे में सोचती रहती हैं। जो भी तरीका जरूरी समझें, आप उसे अपनाने में संकोच नहीं करतीं।

सभापति महोदय : आप पटियाला से कन्या कुमारी चले जा रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह जरूरी है। यह एक राजनैतिक चर्चा है और उनके सभी कृत्यों के लिये मुझे राजनैतिक रूपों से उन पर हमला करना चाहिये।

व्यवधान

सभापति महोदय : आपको समय सीमा ध्यान में रखनी चाहिये।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : समय सीमा तो है। आप कहते हैं कि आप सबका सहयोग चाहते हैं, तो मेरा प्रश्न है, "क्या आप उन सभी निंदनीय कामों को छोड़ रहे हैं, जो आपने आसाम, पश्चिम बंगाल तथा केरल के बारे में किये हैं।" आप हर जगह विपक्ष को नहीं सह सकते और विपक्ष को हटाने के लिए तथा नष्ट करने के लिए हर प्रकार के तरीके अपनाते हैं।

आप पंजाब में भी ऐसा करते आये हैं। अब मैं गृह मंत्री से एक प्रश्न पूछता हूँ और उन्हें इसका उत्तर देना चाहिए :—"क्या आप नहीं समझते कि पंजाब में एक सरकार काम कर रही है ?" यह ठीक है कि वहां एक सरकार है और एक मुख्य मंत्री है। "आपने अभी तक कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया आप उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं कर सकते ?"

एक माननीय सदस्य : आप उन्हें सहारा दे रहे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या हम उन्हें शह दे रहे हैं ? तो फिर आप अपने अज्ञान को धोखा दे रहे हैं। कोई दिल्ली से ऐसा कर रहा है। आपके दल का विभाजन ही इसके लिए जिम्मेवार है। यह चाहे हिन्दू साम्प्रदायिक ग्रुप हो अथवा सिक्ख उग्रवादी ग्रुप हो, कांग्रेस (आई) के लीडर इन सभी ग्रुपों में मिलेंगे और इसी कारण आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

पंजाब समस्या हल करने के लिये यह जरूरी है कि कांग्रेस की अन्दरूनी लड़ाई बंद हो। आपका दल एक नहीं है। मैं इस बात को कह चुका हूं और मैं इसे फिर कहूंगा क्योंकि इसी कारण आप कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

आपकी स्थिति आपके राजनैतिक रवैये तथा संत भिंडरवाले को प्रोत्साहित किये जाने के कारण यह सच है कि आपने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसमें आन्दोलन ने उग्रवादी रूप धारण कर लिया है। आज आप उन ताकतों को नियन्त्रित नहीं कर सकते जिन्हें आपने रिहा किया था। अब क्या जरूरी है ? यह बहुत ही जरूरी है कि आप उदार सिक्खों से बात करें। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि आप हमेशा चुनाव जीतने की बात सोचते हैं। जब मैं कहता हूं कि आप मेरे विचार में हरियाणा—श्री भजनलाल एक दल बदलु, एक नेता, जो आपके समूचे दल में है, के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने में समर्थ हैं···

सभापति महोदय (श्री चिंतामणि पाणिग्रही) : नाम क्यों लेते हैं ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्होंने क्या किया ?

श्री रघुनंदन लाल भाटिया : सभापति महोदय, पटियाला, हरियाणा नहीं है। सम्भवत: इन्हें मालूम नहीं है। (व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इनका विचार क्या है ? पंजाब में ये हिन्दू वोटों पर निर्भर करते हैं। अब ये अकाली आन्दोलन को तोड़ना चाहते हैं ताकि आंग्रेस (आई) सत्ता में बनी रहे। आपकी कोशिश ऐसा ही करना हैं। श्री सुब्रह्मण्यम ने नाम लिया है। वे हिन्दू साम्प्रदायिक आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी कारण आप पंजाब में उग्रवादियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। वहाँ उग्रवादी हैं और कांग्रेस (आई) उनका उपयोग करने की कोशिश कर रही है। अकाली नेताओं को सारी हिंसा तथा उग्रवाद की निन्दा करनी चाहिये। यह उनका कर्तव्य है। सभी धार्मिक संस्थायें अपराधियों से मुक्त होनी चाहिये। धार्मिक नेताओं का कर्तव्य यह देखना है कि कोई

अपराधी इन संस्थाओं का उपयोग न करें अथवा उनके लिये कोई बुरा नाम न कमायें।

मैं सत्तारूढ़ दल से पूछता हूं कि उसने अकालियों की मुख्य मांगों पर विचार कर लिया है। फिर इस मामले को निपटाने में क्या बाधा है ? आप अकाली नेताओं को बुला क्यों नहीं सकते, आप सामने बैठकर मामले को निपटा क्यों नहीं सकते ? श्री लोंगोवाल कहते आये हैं कि वे निमंत्रण का इंतजार कर रहे हैं; कोई भी निमंत्रण नहीं जा रहा है। इस सभा में, मैंने श्री सेठी से पूछा कि क्या वे श्री लोंगोवाल को तथा अकाली नेताओं को बुला रहे हैं। आप सीधा उत्तर न दे पाये। क्यों ? क्योंकि आपका अपना ही मन साफ नहीं है। आपने अकाली नेताओं को कोई भी निमंत्रण नही दिया है। अकाली नेता कह रहे हैं कि वे वार्ता करने के लिए तैयार है।

मैं उस बात का जिक्र करता हूं, जो कल के इंडियन एक्सप्रेस में छपा था श्री लोंगोवाल, श्री भिंडरावाला तथा श्री संघु से साक्षात्कार। यदि आप सभी मुलाकातों को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि उदार अकाली नेता क्या माँग कर रहे हैं ? वे कह रहे हैं कि वे साम्प्रदायिकता की निंदा करते हैं; उग्रवाद की निंदा करते हैं; वे सभी प्रश्नों को शान्तिपूर्ण तरीकों से हल करना चाहते हैं। जब भी शान्तिपूर्ण समाधान की माँग हुई तो अचानक ही कोई बम का विस्फोट तथा अपराधियों की गतिविधियां हुई। उनके पीछे कौन है, यह देखना आपका काम है।

इस सभा में जब हम कहते थे कि इसके पीछे विदेशी हाथ है तो सामने बैठे हमारे मित्र हंस कर कहते कि साम्यवादी हर जगह बाहरी हाथ देखते हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आखिरकार श्रीमती गांधी ने भी समझदार बनकर यह पता लगा लिया है कि पंजाब में कोई विदेशी हाथ है। वे विदेशी हाथ किसके हैं ? इसके विरुद्ध कौन से देश काम कर रहे हैं ? चूंकि श्रीमती गाँधी ने कहा है कि इसके पीछे विदेशी हाथ है तो यह पता लगाना आपका काम है कि वे विदेशी ताकतें शक्तियां कौन हैं जो वहां तोड़-फोड़ कर रही हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे इसके बारे में संसद को नहीं बतातीं। **(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : उन्हें इस बारे में संसद को बताना चाहिये ये विदेशी हाथ किसके हैं। जब प्रधान मंत्री कहती है कि विदेशी हाथ है, तो यह बहुत गम्भीर बात है, उन बाहरी हाथों का पता लगाना तथा उचित कार्यवाही करना सरकार का कर्तव्य है क्योंकि हम इस बारे में सभा में बार-बार कहते रहेंगे कि विदेशी ताकतें आसाम तथा पंजाब के विघटन में दिलचस्पी रखती हैं।

श्रीमन् पंजाब एक सीमान्त प्रदेश है। मैं राष्ट्रपति जिया-उल-हक द्वारा हाल ही में दिये गये वक्तव्य की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। वे अमरीकी सेनाओं के लिए उपयोग के लिए भूमि मुहैया कर रहे हैं। और अगर यह सही है तो, में नहीं जानता कि सरकार इतनी आत्मसन्तुष्ट क्यों हैं और इस मामले को सुलझाने के लिए शीघ्र कदम क्यों नहीं उठा रही, क्योंकि कार्यवाही अब उसको करनी है, अकाली कह रहे हैं कि वे वार्ता के लिए तैयार हैं, बे वार्ता करना चाहते हैं, वे समझौता करने के लिए तैयार हैं। वे भारत की एकता चाहते हैं। आप वार्ता करके समझौता करें और उन उग्रवादियों और विदेशी ताकतों के खिलाफ कार्यवाही करें जोकि इस प्रकार की सब घटनाओं के पीछे हैं।

श्रीमन्, मैं सरकार से अपील करता हूं। इस संसद का यह अधिवेशन कल समाप्त हो जायेगा। हम इस सदन में नहीं होंगे। लेकिन हम सब गम्भीरता से यह सोच रहे हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। हर वह व्यक्ति, जिसे कि इस भारत, इस देश से प्यार है और जिसके दिल में इस राष्ट्र का हित है, वह खाली नहीं बैठ सकता। हममें मतभेद हो सकते हैं। हमारे रास्ते अलग-अलग हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि, जब देश की एकता और अखंडता की बात आती है, तो हममें कुछ आम सहमति होनी चाहिए। और जब सरकार विपक्षी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित करती है तो उसे उनके विचारों का आदर करना चाहिए। और विपक्षी नेताओं और अकाली नेताओं को सम्मिलित करने से उन्हें इस मामले को सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे मामले के महत्व को देखते हुए आगे आये और इसे सुलझाये। संयमी अकाली नेताओं को बुलाकर उन्हें यह मामला तय करना चाहिए। उग्रवादियों, साम्प्रदायिक ताकतों को अलग रखकर पंजाब में पुःन मेल-मिलाप कायम किया जाये। मैं अब भी यह मानता हूं कि, पंजाब की ज्यादा जनता-यहां तक कि पंजाब के बहुत से लोग-सब यही चाहते हैं कि वहां साम्प्रदायिक सद्भाव पैदा हो। वे एकता चाहते हैं, वे आवणता चाहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वे देशभक्त भी हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

सभापति महोदय : श्री नारायण चन्द पाराशर।

श्री नारायण चन्द पाराशर (हमीरपूर) : सभापति महोदय, मुझे यह जान कर बड़ा खेद हुआ कि उधर बैठे हुए हमारे कुछ मित्रों को हर बुराई कांग्रेस (आई) में नजर आती है और हर अच्छाई अपने आप में नजर आती है। एक दूसरी भूल उनकी यह है कि वे समझते हैं कि इस झगड़े में सिर्फ संत लोंगोवाल और अकाली दल, पंजाब सरकार और भारत सरकार ही पार्टी हैं। ऐसी बात नहीं है। यह झगड़ा इतना आसान नहीं है कि इसको आप एक लाइन से बांध दें। इसमें हरियाणा भी पार्टी है और हिमाचल प्रदेश भी पार्टी है, क्योंकि पहले हम सांझी रहें हैं। केन्द्रीय सरकार तो सब की सांझी है। वह सिर्फ पंजाब की सरकार नहीं है, यह हरियाणा की भी सरकार है और हिमाचल प्रदेश की भी है। उसका यह भी फर्ज है कि वह देखें कि अगर झगड़ा एक भाग में ज्यादा उग्र रूप धारण कर लेता है, तो उससे किसी दूसरे अंग-हरियाणा या हिमाचल प्रदेश-को नुकसान तो नहीं होता है। केन्द्रीय सरकार न्याय के लिए है और उसे न्याय करना होगा।

अकालियों के साथ पहले भी बहुत बार बात-चीत हुई है। जब हिन्दुस्तान आजाद हुआ, तो सच्चर फार्मूला बना। उस वक्त पंजाब इकट्ठा था। भाषा की बात चली। यह फैसला हुआ कि जिस स्कूल में 40 बच्चे या जिस क्लास में 10 बच्चे पंजाबी पढ़ने वाले हों, वहां पंजाबी की शिक्षा का इन्तजाम किया जाए। लाहौल-स्पीती से ले कर गुड़गांव तक यह फार्मूला रायज कर दिया गया, हालाँकि सब की मातृभाषा पंजाबी नहीं थी। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और

हमीरपुर की मातृभाषा पंजाबी नहीं थी, पहाड़ी थी, लेकिन पंजाब को इकट्ठा रखने के लिए यह बात मान ली गई।

1957 में अकालियों ने फिर झंझट खड़ा किया कि यह फामूला काफी नहीं है, इसको और सख्त बनाया जाए। रिजनल फार्मूला बना, जिसमें अकाली दल भी पार्टी था। पंजाब को दो भागों में बाँट दिया गया : एक हिन्दी और पहाड़ी-भाषी और दूसरा पंजाबी-भाषी। वह पंजाब की तकसीम की बुनियाद थी। उसके बाद पंजाब के नान-पंजाबी एरियाज-हरियाणा और हिमाचल-की सांझी हिन्दी क्षेत्रीय समिति ने श्री बलवंतराय तायल की अध्यक्षता में प्रस्ताव पास किया कि यहां पंजाबी लाजमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि भारत सरकार, पंजाब सरकार और सभी ने माना कि यह पंजाबी क्षेत्र नहीं है। उसके बाद हमारे अकाली दोस्त संतुष्ट नहीं हुए, वे ऐसा क्षेत्र चाहते थे जहां पर उनकी मेजारिटी हो और जहाँ वे रूल कर सकें। पंजाबी सूबा बनाने के लिए उन्होंने आन्दोलन किया, सन्त फतह सिंह ने आमरण वृत रखा और आप जानते ही हैं कि एक संसदीय कमेटी बनी, जिसमें 31 मेम्बर थे और लोक सभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह जी जिसके अध्यक्ष थे। उस समिति ने फैसला किया कि एक पंजाबी स्पीकिंग राज्य बनना चाहिए. हिमाचल को पहाड़ी इलाके जाने चाहिए और हरियाणा अलग बनना चाहिए। उसके बाद एक आयोग बना और उसके फैसले के तहत 1 नवम्बर 1966 को पंजाब का पुनर्गठन हुआ। उसमें न तो हरियाणा के साथ न्याय हुआ और न ही हिमाचल के साथ न्याय हुआ। आज हालत यह है कि हिमाचल का सारा पानी पंजाब को बिजली देता है, पंजाब को सैराब करके लहलहाती फसलें देता ज लेकिन अगर हिमाचल में हम ट्यूववेल भी लगाना चाहें तो कहते हैं कि 21 रुपया प्रति क्यूसेक्स, पानी के लिए दिया जाए।

हिमाचल के पानी के लिए हिमाचल की सरकार ही पैसा दे, क्योंकि भाखड़ा व्यास बोर्ड पर पंजाब का प्रभुत्व है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे न हिमाचल के हितों का हनन हो और न हरियाणा के हितों का हनन हो बल्कि सभी को बराबर न्याय मिले।

चण्डीगढ़ की बात की गई। हमारी दावा है कि हर हेडवर्क और हर प्रोजेक्ट में हिमाचल का 7·26 परसेन्ट हिस्सा है और चण्डीगढ़ में भी है। हम चाहते हैं हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए और उसी तरह से हरियाणा के साथ भी इन्साफ किया जाए। बात अकालियों से चलती है, सच्चर फार्मूला बनता है, आयोग बनता है, पंजाबी सूबा बनता है लेकिन आखिर में फिर उनकी नयी डिमांड आती हैं।

अकाली पार्टी का कभी कोई एक स्टैंड नहीं रहा। पटियाला में जो कुछ हुआ उसका हमें बड़ा दुःख है। वह बड़ी दुःखद घटना है क्योंकि इसका असर बड़ा दूरगामी होगा। क्या आज हिमाचल और हरियाणा में या देश के अन्य भागों में सिख नहीं रहते? यह गलत बात है कि अकाली दल को सारे देश के सिखों का नुमाइन्दा समझ लिया जाए। कैसे समझें हम? हमारे यहां

रहने वाले सिख और गुरूद्वारे में पूजा करने वाले या हरियाणा में रहने वाले सिख खालिस्तान नहीं चाहते और सन्त लौंगोवाल को अपना नेता नहीं मानते ।

एक तरफ तो अकाली कहते हैंकि वे सरकारी मदाखलत नहीं चाहते, सरकारी हस्तक्षेप नहीं चाहते अपने मामलों में, लेकिन दूसरी तरफ वे हरियाणा के गुरुद्वारों के लिए, हिमाचल के गुरुद्वारों के लिए तथा देश के अन्य गुरुद्वारों के लिए एक आल इंडिया गुरुद्वारा ऐक्ट चाहते हैं। जब वहाँ के लोग नहीं चाहते तो लौंगोवाल साहब को क्या हक है कि वे हरियाणा, हिमाचल या देश के अन्य भागों के गुरुद्वारों पर उसको इम्पोज करें ?

हमें यह याद रखना होगा कि सिखों की कुल पापुलेशन का 30 प्रतिशत हिस्सा पंजाब से बाहर रहता है। उन सिखों की तरफ कोई ध्यान नहीं रखा है। एक तरफ तो वे चाहते हैं कि उनपर भी इम्पोज कर दें और दूसरी तरफ चाहते हैं कि सरकार उनके मामलों में कोई दखल न दे। हमारा कहना है कि अकाली दल सारे सिखों का प्रतिनिधि नहीं है। हमारे अपोजीशन के भाई और सारा देश इस बात को समझे कि संत लौंगोवाल की, अकालियों की क्या डिमांड है ।

हम मानते हैं कि वे किलिंग्ज को और एक्सट्रिमिज्म को कंडेम करते हैं और खालिस्तान मूवमेन्ट को भी कंडेम करते हैं। खालिस्तान के मूवमेन्ट को और अलाहदगी के मूवमेन्ट को हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के लोग भी कंडेम करते हैं।

जहां तक कुर्बानी की बात है, कुर्बानी हरियाणा ने भी दी है और हिमाचल ने भी दी है। हिमाचल प्रदेश, जिनकी जनसंख्या पंजाब की जनसंख्या के चौथे या पाँचवें हिस्से के बराबर है, वहां के 1049 जवान भारतीय सेनाओं में जाकर शहीद हुए हैं। इससे ज्यादा हरियाणा के जवान शहीद हुए होंगे। इसलिए कुर्बानी न तो हिमाचल की कमी है और न हरियाणा की कम है ।

आज हम एक्सट्रिमिज्म को कंडेम करते हैं, उग्रवादी तत्वों को भी हम कन्डेम करते हैं। पलियाला जैसे इंसीडेन्ट का क्या असर होगा ? हिन्दुओं में भी ऐसी भावना पैदा हो सकतीहै कि अपनी सुरक्षा के लिए पैयार हो जाओ, लठबन्द हो जाओ और आर्म्स इकट्ठे करो। अकालियों में भी यही भावना पैदा होगी। इससे आपस में भिडन्त का वातावरण पैदा होगा जोकि देश के लिए घातक है। इसमें केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सन्त लौंगोवाल से बात करे लेकिन उनसे बात करने का फायदा तभी है जब हरियाणा और हिमाचल को भी एक पार्टी समझे। अगर उनका कहना है कि पंजाबी स्पीकिंग एरियाज कुछ इधर हैं और कुछ उधर है तो हमारा भी क्लेस है कि पहाड़ी स्पीकिंग एरियाज पठानकोट और मुकारियो नंगल और होशियारपुर तहसीलें हमें दिए जायें ।

आप सारे कन्ट्री को अपनी बन्दूक की नोक पर नहीं चला सकते-चाहे भिण्डरावला हों या लौंगोवाल हों, यह देश सभी का है। सिखों के प्रति हमें पूरा आधार है, हमारे यहां भी गुरुद्वारे हैं जिनकी हम रक्षा करते हैं। अगर जरा भी अन्याय होता है तो हम सबसे आगे उनकी रक्षा के

लिए तैयार रहते हैं। इस वक्त जरूरत इस बात की है कि ठंढे दिमाग से सोचा जाए और अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए।

हरियाणा को हरियाणा का शेयर मिले, हिमाचल को हिमाचल का शेअर मिले, पंजाब को उस को शेअर मिले-इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन आज जो वायर्लेस का एटीचूड आ रहा है, वायर्लेस का जो फव्वारा उभर रहा है, आगे-आगे वायरर्लेस की पृष्ठभूमि होती है, उस के आगे सन्त लोंगोवाल अपनी मांगें लेकर चलते हैं और कहते हैं कि मैं क्या करूं, जब द्वार पर पहुंचता हूं, नेगोसियेशन्ज होती हैं, बातचीत होती है तो उधर से उग्रवादी आते हैं और मेरे सारे काम को फेल कर देते हैं। प्रधान मन्त्री जी ने बड़े तहमुल से, बड़े धैर्य से काम लिया, उन को बातचीत के लिये बुलाया। मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब जवाब दें-कितनी बार संत लोंगोवाल और उनके अकाली दल की टीम को बुलाया गया, जिसमें अपजीशन को भी शामिल किया गया, लेकिन हर बार उन का स्टैण्ड बदलता जा रहा है। यह क्या बात हुई —आप एक स्टैण्ड लीजिए और उसपर कायम रहिये।

जहां एक्सट्रीमिस्टस का ताल्लुक है— उनसे लड़ना, उन को ठीक करना भारत सरकार का काम है, सन्त लोंखोवाल का का नहीं है, लेकिन मन्दिरों, गुरूद्वारों और धार्मिक स्थानों पर वायर्लेस और हिंसा का वातावरण नहीं होना चाहिए। सब का सिर शर्म से झुक गया जब श्री अटवाल को वहां शहीद होना पड़ा। उनका कुसूर क्या था ? वे सब की रक्षा के लिए अफसर थे और वहां पूजा के लिये गये थे . हमारे हिमाचल में एक जगह है-रिबालवस जो तीन धर्मों का धार्मिक स्थान है-हिन्दू धर्म, सिख धर्म और बौद्ध धर्म तीनों धर्मों के लोग इक्ट्ठे बैठ कर पूजा करते हैं। सब एक दूसरे की मदद करते हैं। हिमाचल में गुरुद्वारें बनाने में हिमाचल के लोगों का हाथ है। हमारे लोगों ने बनाये हैं और एक ऐसा वातावरण पैदा किया जि में एकता का वातावरण उभरा।

इसलिये, होम मिनिस्टर साहब, आप से गुजारिश है कि आप तुरन्त, बाकी सारी बातों को छोड़ कर, पाटियाला जायें ताकि वहाँ के लोगों का महसूस हो कि भारत के गृह मन्त्री के दिल में भी नौजवान के लिए, उस परिवार के लिए, जो मोत के घाट उतर गया, उस का कोई कुसूर नहीं था, दुख है। इससे एक ऐसा वातावरण उभरे जिससे उन नौजवानों को, जो उस रास्ते पर जाना चाहते है, रोका जा सके। वहां पर जो फलेस-प्वाइन्ट कम्यूनल-वायर्लेस का आ रहा है उस को रोकने के लिये पटियाला जायें और कोशिश करें कि वहां पर जो पायजनस-एटमास्फिअर बन रहा है उसको रोक सकें।

सन्त लोंगोवाल से आखरी बात करें कि उनका स्टैण्ड क्या है और उस पर निर्णय दें। यह जरूरी नहीं है कि लोंगोवाल जी की सारी बातें मान ली जांय और यह भी जरुरी नहीं है कि जो बातें न मानी जाय तो हम साफ तौर से बात न करें। गवर्नमेंट आफ इण्डिया को आप को चलना है, आप को सारे देश की सरकार को चलना है, अगर आप को सारे राष्ट्र का सिर ऊंचा रखना है तो एक-तरफा फैसला दीजिए। अगर उनकी बातें ठीक हैं तो कह दीजिये, अगर गलत

हैं तो भी कहिये कि कहां तक वे ठीक हैं, जहां तक आप जा सकते हैं उनको बतला दीजिये। उस के बार अगर कोई गलत कार्यवाही होती है तो उस की जिम्मेदारी चाहे सन्त लोंगोवाल पर हो, चाहे एक्सट्रीमिस्टस पर हो-हमें उस की चिन्ता नहीं है।

हम हिमाचल, हरियाणा और पंजाब के लोग जो सन्त लोंगोवाल के साथ नहीं हैं, जो उन की लीडरशिप को नहीं मानते हैं, चाहे वे हिन्दू हों, सिख हों, मुसलमान हों, वे भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमें न्याय दीजिये, सन्त की रक्षा कीजिए, ऐसा न हो कि एक हिस्सा, एक जत्थेबद लोग इकट्ठे हो कर ऐसा करें कि वे अपनी टर्म्ज को डिक्टेट करें। यह रास्ता इस देश के लिये घातक सिद्ध होगा। उनके साथ नेगोसियेटेड सेटिलमेन्ट करनी है तो कीजिए, लेकिन अगर सेटिलमेंट नहीं हो सकता तो उन को साफ बतला दीजिये कि यहां तक ठीक है, इस के आगे हम नहीं जासकते हैं। पंजाब का इतिहास बतलाया है कि वे बड़ी वीरता से लड़ते हैं, लेकिन पंजाब के साथ हिमाचल और हरियाणा के लोगभी उतनी ही वीरता से लड़ते हैं, वे कम वीरता से नहीं लड़ते हैं।

इन शब्दों के साथ में आप से इलतजा करुंगा कि आप फारीतौर पर पटियाला जांय और उसके बाद गवर्नमेन्ट की पोजीशन को क्लिअर करें ताकि हिमाचल, हरियाणा और देश के अन्य भागों में जो अनिश्चितता का वातावरण फैला हुआ है, जो कम्यूनल-जहर देश के अन्दर फैल रहा है, उस को खत्म करने में आप के हाथ आगे चलें और प्रधान मन्त्री के हाथ मजबूत हों।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : सभापति जी, पटियाला के सम्बन्ध में गृह मन्त्री जी ने जो वक्तव्य दिया था; उसके बाद पटियाला में कई घटनायें हुई हैं। में उन घटनाओं के विवरण में इसलिये नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि पंजाब से आने वाली माननीय सदस्या ने बड़े विस्तृत रुप से उस के सम्बन्ध में जानकारी दी है। इस से पहले कि मैं पटियाला की घटनाओं पर आऊं, जिन माननीय सदस्य ने आज इस बहस को आरम्भ किया, उन से बड़ा सैक्युलर आज हिन्दुस्तान में कोई नहीं है लेकिन जिस तरह से आछ उन्होंने एक राजनीयिक नजरिया रख कर जिस प्रकार से एक दुकानदार का नाम घसीट कर और मेरे दल से उनका नाम जोड़ कर और गुरुवाणी के सम्बन्ध में यह कह कर कि हिन्दू गुरुवाणी का अपमान करे, और इस प्रकार की चर्चा उन्होंने आरम्भ की, इसका मुझे खेद है।

आज यह केवल पंजाब का प्रश्न नहीं है। आज सारा पंजाब जल रहा है और जो अतिवादी और उग्रवादी लोग हैं आज वे इस समस्या पर हिन्दुओं और सिखों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं अपने स्वार्थों के लिए और उसको इस प्रकार जोडा जाए, इसका मुझे बड़ा खेद हैं।

मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं और चेलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि जिस दुकानदार का नाम लिया, उस दुकानदार के बारे में अगर कहीं यह सिद्ध होता है कि उसने गुरुवाणी के कहे जाने पर आपत्ति की हो, अगर यह सिद्ध होता है कि उसने लाउडस्पीकर के काटने की कोशिश की या उसने उसके तार को काटा हो, तो में चेलेंज के साथ कहना चाहता

हूं । कि मैं संसद से इस्तीफा दे दूंगा ।

इस प्रकार की बातें कह कर वे क्या कहना चाहते हैं । आज हमको इस सारे वातावरण पर गंभीरता से विचार करना चाहिए । केवल प्रश्न यह था कि भई, मुझको डिस्टर्ब करने के लिए मेरे मुंह के सामने लाउडस्पीकर क्यों लगा दिया ? उसकी कोई रिपोर्ट नहीं की गई और अपने आप न जाने कौन से तत्व उस समय झगड़े के लिए खड़े हो गए और उस पर जो झगड़ा हुआ, उस झगड़े की आलोचना हर कोई करेगा लेकिन उस झगड़े से किसी राजनीतिक पार्टी विशेष का सम्बन्ध जोड़ना और उसे कटघरे में खड़ा करना और यह कहना कि वहां पर ये तत्व इस प्रकार का झगड़ा फैला रहे थे, मैं समझता हूं कि यह बड़ दुःख की बात है ।

सभापति जी, पटियाला के अन्दर घटना हुई और बम पटके गये, आग लगाई गई और दुकानें जलाई गई । मैं इस सम्बन्ध में गृह मन्त्री जी से केवल एक बात कहना चाहूंगा और किसी राजनीतिक स्वार्थ के कारण में यह नहीं कहना चाहता । जिस नौजवान अशोक कुमार के बारे में यह कहा गया है कि वह तेल का पीपा लेकर जा रहा था या किसी राजनीतिक दल से उसका सम्बन्ध था, इसलिए मैं कह दूंगा कि वह था, मैं इतने नीचे स्तर तक नहीं जाना चाहता लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि उस बेगुनाह, जो कि दुकान में बैठा हुआ था, को जानकर हत्या की गई और उसको गोली का निशाना बनाया गया, तो आज उसकी मौत पर सरकार को दुःख प्रकट करना चाहिए था, वहां की सरकार को दुःख प्रकट करना चाहिए लेकिन ऐसा न करके सबसे दर्दनाक जो इसका पहलु है ।

वह यह है कि उसके बाप को गिरफ्तार कर लिया गया और उसकी माँ को केवल गिरफ्तार ही नहीं किया गया बल्कि उसकी खोपड़ी को फोड़ डाला गया । क्या इससे अधिक दर्दनाक बात और हो सकती है, क्या इससे ज्यादा शर्मनाक घटना हो सकती है ।

मैं आज यह भी कहना चाहूंगा कि पंजाब को सरकार ने कहा है कि हमने इसके लिए मेजिस्टिरियल इंक्वायरी बैठा दी है । जो मजिस्ट्रेट स्वयं कटघरे में खड़ा हो मुल्जिम के रूप में, जिस पर पटियाला की जनता उंगली उठा रही है अपराधी के रूप में, उसी को जांच दे कर आप यह कहना चाहते हैं कि हमने जांच बैठा दी है और वह भी जूडिशियल इंक्वायरी ।

मैं गृह मत्री जी को सावधान करना चाहता हूं कि किसी छोटे-मोटे व्यक्ति ने नहीं बल्कि 'वीर प्रताप' के सम्पादक श्री वीरेन्द्र ने, जिन को सारा देश जानता है, जो आर्य समाज के बड़े नेता हैं और जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री में मंत्री रहे हैं, चेतावनी दी है कि अगर 15 मई तक हाई कोर्ट के जज के द्वारा जूडीशियल इंक्वायरी न बैठाई गई, तो वे 15 मई से आमरण भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे । मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे इस चेतावनी को साधारण रूप में न लें, इस चेतावनी को साम्प्रदायिक या किसी रूप में न लें, निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि किस प्रकार सारी घटना घटी पटियाला के अन्दर और यह बच्चा किस प्रकार से गोली का शिकार हुआ ? इसके लिए कौन जिम्मेवार है ? इसके लिए केवल हाई कोर्ट की जूडीशियल इंक्वायरी सफीशियेन्ट होगी, दूसरी इंक्वायरी इस को संन्तुष्ट नहीं कर सकती ।

मैं अब इस के दूसरे पहलू पर आता हूं। इस का सम्बन्ध केवल पटियाला से ही नहीं है। अगर पटियाला का ही यह मामला होता, तो शायद लो सभा इस पर चर्चा न करती। यह सारे पंजाब का प्रश्न है और पंजाब ही नहीं, यह सारे देश का प्रश्न है और इसलिए हम इस पर बार-बार चर्चा कर रहे हैं। कितनी बार लोक सभा में इस पर चर्चा हो गई है। इसके बारे में नियम 193 में कई बार बहस हो चुकी है और इस पर कई बार कालिंग एटेंशन हो चुके है।

इस पर इस सदन में कई बार कहा जा चुका है और स्वयं गृह मंत्री जी सुओ मोटो स्टेटमेंट दे चुके हैं कि हमने पंजाब की सरकार को कह दिया है कि किसी प्रकार से भी मन्दिर और अन्य पवित्र स्थानों को अपराधियों का शरण स्थल नहीं बनने दिया जाएगा। ये जो आपनेब ार-बार बातें कही हैं इनका परिणाम क्या निकला?

निरंकारी बाबा की हत्या हुब। इसके बाद हत्याओं का सिलसिला चला। श्री जगतनारायण जी की हत्या की गयी। पूलिस इंस्पेक्टर पर हमला किया गया। डी0 आ ई0 जी0, ए0एस0 अटबाल की हत्या की गयी। हमने इन सब बातों पर यहां चर्चा की है। अिछले वर्ष के अन्दर जिस प्रकार से खालिस्तान की बात चली। श्री चौहान के साथी श्री बलबीर सिह संधू इस हिन्दुस्तान के अन्दर तीन साल से अपना काम कर रहे हैं और उसके बारे मैं भी लोक सभा के अन्दर बात चली हैं। हम आज यह जानना चाहते हैं कि आज तक आपने कितने मुल्जिमों को पकड़ा, कितने मुल्जिम अभी तक फरार हैं और कितने मुल्जिमों के खिलाफ आपने अदालतों में चलान पेश किये? इन सब का परिणाम शुन्य निकलेगा।

क्या आपकों यह पता नहीं था कि पंजाब सरकार निकम्मी सरकार हैं? केन्द्र का जो निदेश जाता हैं आज तक उस पर क्या एक्शन हुआ। आप यहां आश्वासन दे देते हैं हमने पत्र भेज दिये हैं। लेकिन इस का अभी तक क्या परिणाम निकला है? मुझे यह कहने के लिए क्षमा करेगें कि यह सरकार नपुसक हैं। आपने अभी तक क्या किया?

वहां मन्दिर में एक स्क्रीनिंग कमेटी बनी। मैं उसका स्वागत करता हूं। मैं समझता हूं कि हरेक हिन्दुस्तानी को उसका स्वागत करना चाहिए। क्या वहां पर संधु साहब नही थे? वे वहां क्या कर रहे थे? रेस्ट हाउस के रजिस्टर में उनका नाम दर्ज है कि वे वहां ठहरे हुए हैं संधु साहब भी वहां भाग निकले। आपकी इन्टैलिजेंस वहाँ थी। जिनमें वे रहते थे, उन कमरों से रिकार्ड जप्त किये गये हैं। आपने उन्हें वहां से कैसे निकल जाने दिया? आपकी इन्टेलिजेन्स ने यह सब कुछ कैसे हो जाने दिया? आप बार बार यह कहते हैं कि अपराधी वहां पर हैं, वे बार बार मना करते हैं। कौन सच्चा हैं, कौन झुठा हैं। हिन्दुस्तान की जनता किस का विश्वास करेगी वह सिवाय इस के कहने के कि पंजाब की सरकार वहां की जनता को सुरक्षा नही दे सकती हैं और न सुरक्षा का विश्वास दिला सकती हैं, वह सरकार बिल्कुल निकम्मी हैं और कुछ नहीं कह सकती है और न किसी पर विश्वास कर सकती है।

संभापति जी, में अन्त में यह कहना चाहूगा, किसी पर आरोअ प्रत्यारोप नही लगाना चाहुगा कि यह सत्य हैं कि पंजाब के अन्दर काग्रेस आई को अगर कोई पार्टी चेलेंज करती है तों

वह अकाली दल हैं। कांग्रेस आई दल पर समय समय पर आरोप लगाती रही है कि अकाली दल आऊट आफ फ्रस्ट्रेशन चूंकि वह चुनाव में हार गया है, इस लिए राजनीतिक लाभ उठाने के लिए यह सब कर रहा है। जो व्यक्ति आज हिन्दुस्तानान में यह कहता है कि इसमें हमें राजनीतिक लाभ की बात नहीं लानी चाहिए, हमें राजनीति नहीं खेलनी चाहिए, अगर वही व्यक्ति राजनीतिक लाभ की बात करता है तो मैं समझता हूं कि उस से ज्यादा पाखन्डी दूसरा कोई नहीं होगा। अकाली दल के सम्बन्ध में आप कहते है कि वह राजनीति लाभ लेने की बात कर रहा है। मैं एक बात जानता हूं कि आपने अकालियों की धार्मिक मांगे मंजूर कर लीं। क्या बंगला साहिब गुरुद्वारे में जा कर प्रधान मन्त्री द्वारा यह घोषणा करना कि हमने आपकी मांगे स्वीकार कर ली है, क्या यह राजननीतिक लाभ उठाने वाली बात नहीं है ?

क्या यह घोषणा प्रधान मंत्री जी अपने निवास स्थान पर से नहीं कर सकती थी ? अकाली दल पर यह आरोप लगता हैं कि वे राजनीतिक लाभ की बात करते हैं। जो लोग वास्तव में यह चाहते थे कि पंजाब में शांति रहे जो आन्दोलन वहां चल रहा है, वह समाप्त हो, क्या वे अकालियों के साथ बैठ कर उनसे यह नही कह सकते थे कि हम ने आपकी तीन मांगें मान ली हैं बाकी मांगों के सम्बन्ध में हमें विचार करना हैं ? लेकिक राजनीतिक लाभ उठाना था इसलिए बंगला साहिब गुरू द्वारे में जा कर घोषणा की गई । आप इसके बारे में किस को दोष देना चाहते हैं ? चाहे पानी के बंटवारे की बात हो, चाहे इलाको की अदला-बदली की बात हो, सब के लिए राजनीतिक दिन की खोज हो रही हैं जब आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। उनका वोट बैंक आपके हाथ में आ सके। चाहे सारा पंजाब जल जाए, चाहे सार हिन्दुस्तान जल जाए लेकिन आप उस दिन की इंतजार कर रहे हैं।

कौन आपको निर्णय लेने से मना कर रहा है। आप कुछ भी निर्णय लीजिए। निर्णय लेने के बाद अगर झगड़ा होगा तो कम से कम हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का होगा। कम से कम उसमें सांप्रदायिक संघर्ष का रंग तो खत्म होगा। लोंग राजनीति की बात जरूर करते हैं लेकिन खुद अपने को टटोल कर देखें कि राजनीति कौन कर रहा है ?

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि अकाली दल की ओर से मांग आई है कि वे बातचीत के जरिये समस्या के समाधान के लिए तैयार हैं। सरकार प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए। स्वयं प्रधानमन्त्री को उन्हें बुलाकर उनसे बात करनी चाहिए। इसमें प्रतिष्ठा का कोंई सवाल नहीं है। पंजाब के शूरवीरों को कौन भूल सकता है। समस्या का समाधान शीघ्र किया जाना चाहिये।

एक बात और कहना चाहता हूं। दो तरह के लोग आज वहां पर हैं। एक तो उग्रवादी और दूसरे उदारवादी। मेरा कहना है कि उग्रवादियों से सरकार किसी तरह की बातचीत न करे अकाली दल के उदारवादी लोगों को बुलाकर समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। लोंगोंवाल और भिण्डरवाला का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। लोंगोंवाल को बुलाइये, टोहरा

साहब को बुलाइये, बादल को बुलाइये ।उदारवादियों के साथ बैठकर चर्चा कीजिए। उग्रवादियों कों अपराधी करार दीजिए और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कीजिए । यही मेरा कहना है ।

सभापति महोदय : श्री रघुनन्दन भाटिया कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : (अम्रतसर) मैं संक्षेप में कैसे कह सकता हूं । यह एक महत्वपुर्ण चर्चा है । मैं पंजाब का हूं आप उनको इतना अधिक समय दे रहे है जो पंजाब के बारे में कुछ नहीं जानते ।

चेयरमेंन साहब स्वामी साहब ने आज जो भाषण दिया उससे मुझे बहुत हैरानी हुई । इन्होने पंजाब के बारे में चन्द दिन पहले भीचर्चा की श्री । उस दिन के और आज के बयान में बहुत अंतर है । आज के बयान हैं वे अकालियों की वकालात कर रहे थे । उनके बयान को पढ़कर पंजाब के लोगों को दुख होगा । एक दिन में जाकर वे पंजाब की सारी समस्या को जान गए और इस तरह से कैजुअल तरीके से जानकारी प्राप्त करके इस तरह से इस हाउस को बतला रहे हैं जैसे वे पंजाब के एक्सपर्ट हों आज पंजाब के लोग आपको कंडेम करेंगे । आपने वहां जाकर, सरोपा लेकर , लोगो से गुफतगू करके उनकी इस हाउस में वकालत कर दी । यह इस हाउस के लिए शर्म की बात है ।

इनका कहना है कि एक स्क्रीनिंग कमेटी बना दी है । सब जानते हैं कि जब कोई काम नही करना होता तो कमेटी बना दी जाती है । (**व्यवधान**)

क्या लोगोंवाल को मालुम नही है कि अपराधी कहां है । अपराधी उनकी शरण में हैं । उनके साथ रोटियां खाते हैं ।अब कमेटी बनाकर पता लगाएगें कि अपराधी कहां हैं । यह आंखो में धुल झोंकने वाली बात हैं ।

स्वामी साहब ने आज किसी को स्पेयर नहीं किया । न चेयर को किया न पटियाला के एम पी को किया, बल्कि सो मच सो कुत्तों को भी नही छोड़ा ।

बात यह है कि जो कुछ भी पटियाला में हुआ, बड़े दुख की बात है । इससे सदन के सारे सदस्यों को दुख पहुंचा हैं । इसको पोलिटिकल लाइन पर नहीं लेना चाहिये । जो हालात हुए हैं । उन पर दुख प्रकट करना चाहिए । इस तरह के सुझाव देने की कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के वाकयात दुबारा न हों ।

(सीसीसीसी द्वारा जारी)

मैं सबसे पहले होम मिनिस्टर सेठी सहब से अर्ज करता हूं कि कई तरह की वहां से बातें आ रही हैं और सही बात सामने नहीं आ रही है क्योंकि वहां कर्फ्यू है । कोई कुछ कहता है और कोई कुछ । स्वामी जी ने हीअर से सब कुछ कह दिया है, लोगूवाल ने यह कहा, दूसरों ने यह कहा । सबको सबूत मानकर उन्होंने यहां पेश भी कर दिया । हकीकत क्या है इसका जल्दी से जल्दी वहां जाकर पता लगाएं, स्थिति को देखें और उसका हल निकालें । जो कुछ पटियाला में हुआ है बहुत

दुखदायी है । पंजाब में आज तक कभी ऐसी वारदात नहीं हुई है, हिन्दू सिख का फसाद नहीं हुआ है । कितनी देर से मूवमेंट चली आ रही है लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ । मैं अमृतसर से चुन कर आया हूं । मुझे हालात मालूम हैं और किस प्रकार के प्रेशर रहे हैं, दोनों तरफ से किस तरह से वहां के हालात बिगाड़े गये हैं, मैं जानता हूँ । लोगों की दुकानदारी और कारोबार तबाह हो रहे हैं । इतने कत्ल हुए हैं लेकिन उसके बावजूद हिन्दू सिख में कोई फर्क नहीं आया । हमने कोशिश करके पीस कमेटियां बना कर शान्ति कायम रखने की हर कोशिश की है । अभी वह जिक्र कर रहे थे कि हिन्दुओं ने जलूस निकाला । मेरी पहली अर्ज यह है कि हमें हिन्दू सिख का सवाल पैदा नहीं करना चाहिये । इससे हालात बिगड़ते हैं । हिन्दुस्तान की यह सबसे बड़ी जगह है । यहां जो भी बात हम कहते हैं वह सारे हिन्दुस्तान में पब्लिश होती है । उसका असर पड़े बिना नहीं रहता है । हमें बड़ी समझदारी और सूझबूझ से काम लेना चाहिये क्योंकि इसका असर बुरा पड़ता है । वहां जलूस निकला । उसके बाद पीस कमेटी बनाई गई जिसमें अकाली भी शामिल हुए, सभी जमायतों के आदमी शामिल हुए । उसके बाद से अमृतसर में आज तक कुछ नहीं हुआ । खुशी और गौरव की बात है कि अभी जब गुरू तेग बहादुर का जलूस अमृतसर में निकला तो वह बड़ा शान्तिपूर्वक निकला और हिन्दुओं ने उस पर पुष्प वर्षा की । कांग्रेस पार्टी ने कोशिश की है कि किसी तरह दोनों पार्टियां इकट्ठा होकर पीस कमेटी बनाएं और बनाकर इस मसले का हल निकालने की कोशिश करें । इस वास्ते मेरी आप से गुजारिश है कि आप ज़रूर तशरीफ ले जायें ।

पंजाब में स्मगलिंग बहुत है । इस वजह से वहां एंटी सोशल एलीमैंट्स भी बहुत हैं । उसका बोर्डर बहुत लम्बा चौड़ा है । स्मगलर भी बहुत है । स्मगलर्ज को बहुत बेहतरीन मौका आज मिल गया है । कारण यह है कि पुलिस सब जगह पर अमन कायम रखने के लिए डिप्लायड है । इस वास्ते मेरी दूसरी दरख्वास्त यह है कि जितने भी एंटी सोशल एलीमेंट्स है पंजाब में और स्मगलर हैं उन सब को गिरफ्तार करके दफा 3 में आप अन्दर करें । आपने ऐसा किया तो कल से ही पंजाब का वातावरण बदल जाएगा ।

जहां तक पटियाले के इंसीडैंट का सम्बन्ध है मैं मानता हूं कि यह उन हालात का नतीजा है जो पंजाब में पैदा हो गए हैं । इसलिए उन हालात को बदलना जरूरी है । हकीकत यह है कि 1980 में इलैक्शन हुए । उनमें 13 एम. पी. जो जीत कर आए उनमें बारह कांग्रेस आई के थे और अकाली दल का केवल एक था । जो बारह कांग्रेस के जीतकर आए उनमें दस सिख भाई थे जो देशभक्त थे, जिनको लोगों ने देश भक्त माना, जिनको देशभक्त लोगों ने चुनकर भेजा । इसी तरह असम्बली में 117 सीटों में से अकालियों को सिर्फ 37 सीटें मिलीं । मैजोरिटी कांग्रेस आई. को मिली । मैजोरिटी में हमारे देशभक्त जीत कर आए । इसलिए वही वहाँ राज कर रहे हैं । यह कहना कि अकाली पार्टी पंजाब के लोगों की मैजोरिटी को रिप्रिजेंट करती है या सिखों की मैजौरिटी को रिप्रिजेंट करती है बिल्कुल गलत बात है । वह माइनोरिटी पार्टी है । उसकी दिली ख्वाहिश यह है कि पंजाब में उसे हकूमत मिलनी चाहिये । चूंकि अकाली पार्टी एक कम्युनल पार्टी है,—जमीदारों की पार्टी है और धर्म के नाम का इस्तेमाल करके वोट लेना चाहती है इसलिए पंजाब के लोगों ने उसको रिजैक्ट किया है । वह माइनोरिटी में है । इसलिए उसको महत्ता दी जा रही है और उसकी

वकालत भी यहां ये कर रहे हैं। ऐसा ये बिल्कुल न करें। जब भी अकाली पार्टी पावर में नहीं होती है तब वह रावी व्यास का झगड़ा, जबान का झगड़ा, पंजाबी इलाकों का झगड़ा, धर्म की मांग आदि शुरू कर देती है और जब पावर में होती है तो कभी ऐसा सवाल नहीं उठाती है और न उठाया है। आप रिकार्ड देखें। 1967 में पहली बार वह पावर में आई। क्या उस वक्त, आप हिस्ट्री को देखें, कभी किसी ने रावी व्यास के पानी का सवाल उठाया ? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप मुझे जवाब दें। क्या उन्होंने इलाकाई सवाल उठाया ? नहीं। वह यह सवाल तब उठाते हैं जब पावर में नहीं होते हैं और तभी सारी मांगें इकट्ठा करके सामने रखते हैं। 1973 में आनन्दपुर साहब का रिजोल्यूशन पास किया क्योंकि उस वक्त पावर में नहीं थे लेकिन 1977-1980 के बीच जब वह पावर में थे क्या रावी-व्यास का मामला उठा ? वह मोरारजी के पास गये थे तो मोरारजी ने उस कागज को फाड़कर टोकरी में फेंक दिया था। कहने का मतलब यह है कि जब कांग्रेस पार्टी पावर में होती है और अकाली पार्टी नहीं होती है तो यह सारे मसले खड़े कर देते हैं।

कुछ भाइयों ने बड़े जोर से कहा कि अकाली पार्टी चाहती है कि उनसे बात की जाय, लोंगेवाल बहुत सिंसीयर है ऐसा माननीय चक्रवर्ती, गोयल जी और स्वामीजी ने कहा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैंने प्रैस स्टेटमेंट पढ़कर बताया, मैं उनसे बात करके नहीं आया।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : उनका सबसे पहले यह मतलब था कि हमें पंजाबी सूबा दिया जाय और वह इलाका दिया जाय जिसमें वह मैजारिटी में हैं। 1966 में लिंगुयस्टि प्रान्त बनाये गये। तो चंडीगढ़ और पंजाबी दूसरे इलाकों की डिमान्ड क्यों शुरू हो गई ? फिर धार्मिक डिमान्ड्स शुरू हो गई। आप उनकी मानते जाइये, एक के बाद दूसरी उनकी मांगें आती रहेंगी। यह श्रीमती इन्दिरा गांधी ही हैं जिन्होंने उनकी सारी धार्मिक मांगें मानी हैं, और किसी सरकार ने नहीं मानीं। जैसा माननीय स्वामीजी ने कहा कि श्री बादल ने जिक्र किया था कि उनकी कुछ मांगें मानी जायें तो श्री मोरारजी भाई ने उनको फाड़कर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी तो सबकी जायज डिमान्ड्श मानने की कोशिश करती हैं और कर रही हैं। लेकिन एक बात मैं साफ कहे देता हूं, हमने उनकी धार्मिक मांगें मानीं, सरकारिया कमीशन भी अपौईट किया है सेन्टर स्टेट रिशन्स को देखने के लिये, एक, दो और डिमान्डस पर भी गौर कर रहे हैं क्योंकि उनका दूसरी स्टेट्स के साथ सम्बन्ध है, और बातचीत के लिये हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं, उन्हें कोई नहीं रोकता। क्या उनको 3 बार नहीं बुलाया गया ? कभी कहते हैं खत भेजो, टेलीग्राम भेजो, या आदमी भेजो। क्या वह बातें फाइनेलाइज हो गई ? बिल्कुल नहीं। हां तैयार हैं उनको बुलाने के लिये, क्या आप जामिन देते हैं कि वह जो बात कहेंगे उस पर कायम रहेंगे और नई डिमान्ड्स नहीं करेंगे ?

श्री मनीराम बागड़ी : (हिसार) करेंगे वह तो।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : कल को रावी-व्यास का फैसला होता है ट्रिब्युनल से या जैसे

भी हो अगर अकालियों के फेवर में नहीं हुआ तो क्या वह उसको मानेंगे ? आप में से कोई इस बात की जिम्मेदारी ले सकता है ? कोई नहीं जामिन दे सकता है । हमें ज्यादा मालूम है कि उनके मन में क्या है । वह पावर चाहते हैं, उनका निशाना पोलिटिकल पावर है और कुछ नहीं । जब तक वह नहीं मिलेगी यह लड़ाई जारी रखेंगे । इसलिए मैं अपील करता हूं आप बातों को समझें, न उलझिये स्वामीजी की बातों में कि वह संत लोंगोवाल से मिल आये हैं । असली बात पोलिटिकल पावर है । हम तैयार हैं बातचीत करने के लिये, पहले भी उनको हमने सैटिसफाई किया है, बहुत दूर जा कर मानने की कोशिश करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे । लेकिन एक बात साफ कह दूं इस देश में जो भी असेम्बली या पार्लियामेंट में आये वह कांस्टीट्यूशन की बिना पर आयेगा, वोटों पर आयेगा । तलवार या बन्दूक दिखाकर और लोगों को डराकर पावर में नहीं आयेगा । इसके लिये जब तक श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश की लीडर हैं यह डराने वाला तरीका इस्तेमाल नहीं होगा । बातचीत के लिए हम सदा तैयार हैं, और अपोजीशन वाले साथी भी बैठकर कोई तरीका निकालें तो हम उसके लिए भी तैयार हैं । लेकिन इस बात के लिये जिम्मेदारी आपको देनी होगी कि अकाली उस बात पर स्टैंड करें ।

(व्यवधान)

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : उनको कुछ मिलेगा तो श्रीमती इंदिरा गांधी से ही मिलेगा, आप में किसी में देने की शक्ति नही है ।

स्वामी इन्द्रवेश (रोहतक) : सभापति महोदय, पंजाब में जो घटनाएं हुई हैं उससे सारे पंजाब की असली तस्वीर हमारे सामने आती है । पटियाला में जो घटना हुई, उसको यदि हम उपर से देखें और यह मान लें कि ऐसा कई बार हो जाता है, तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल होगी ।

पंजाब की घटनाएं पूरे पंजाब का असली दर्पण है । वहां के लोगों की आज क्या स्थिति है, यह पटियाला से हमको मालूम पड़ता है । पिछले डेढ़ साल से पंजाब में हत्याओं का क्रम शुरू हुआ और 250 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हो गईं । उस हत्या के बाद जब भी हत्या हुई तो हमारे पंजाब के मुख्यमत्री ने बयान दिया कि हत्यारे गुरुद्वारे में घुस गये । हमारे गृहमंत्री ने भी दर्जनों बार यह बयान दिया कि हत्यारे गुरुद्वारे में घुस गये । पंजाब के लोगों ने और सारे देश के लोगों ने यह महसूस करना शुरू किया कि मर्डर करने वाले अपराधी लोग गुरुद्वारे में जाकर छिप जाते हैं । पंजाब का हिन्दू डेढ़ साल से यह देखते-देखते, महसूस करते हुए आज पूरी तरह से लाचार हो गया है और यह देख रहा है कि सरकार जब अपने डी०आई०जी० को नहीं बचा सकती, अपने दूसरे कर्मचारियों को नहीं बचा सकती तो वह हमारी क्या रक्षा करेगी ? मुख्यमंत्री और गृहमंत्री दोनों कह रहे हैं कि डेढ़ साल में आप साथ-साथ यह भी कह रहे हैं कि हम गुरुद्वारे में बिल्कुल नहीं जायेंगे क्योंकि हमारे जाने से गुरुद्वारा अपवित्र हो जायेगा ।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन-सा कानून आपको यह अधिकार देता है कि आप यह घोषणा करें, इस बात को भी स्वीकार करें कि अपराधी वहां पर बैठे हुए हैं और साथ ही

यह भी कहते चले जायें कि हम वहां नहीं जायेंगे, इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है ? इससे बड़ी कर्तव्य की हानि और क्या हो सकती है ? जब सारे देश के सामने आप डेढ़ साल से यह बोलते चले आ रहे हैं कि अपराधी वहाँ बैठे हुए हैं, हम जायेंगे नहीं तो पंजाब के लोग क्या सोचेंगे ? आपके भरोसे पर कैसे जिन्दा रहेंगे ?

आज मैं यह महसूस कर रहा हूं कि हमारी जो सरकार इस देश में काम कर रही है, इसमें कोई संकल्प नहीं है और यह पूरी तरह से संकल्पहीन है। मुझे पंचतन्त्र की बात याद आ रही है :—

शूरोऽसिकृत विद्योऽसि दर्शनीयोऽसिपुत्रकः।

यस्मिन् कुलें त्वं उत्पन्नः गजस्तत्रः न हन्यते ।।

जिस सरकार के अन्दर राष्ट्र रक्षा की भावना न हो, वह सरकार देश को इकट्ठा कैसे रखेगी ? डेढ़ साल पूरा हो गया और वह नाटक कर रही है। मैं समझता हूं कि सरकार को कोई डर नहीं, आज कोतवाल की हत्या हो गई, अशोक कुमार मारे गये, इतनी दुकानें जला दी गई, आज वह शहीद हो गए, यदि थोड़ी सी भी अनुभूति सरकार में होती तो वह कभी नहीं कहती कि हम गुरुद्वारे में नहीं जायेंगे, मंदिर में नहीं जायेंगे क्योंकि परम्परा टूट जाएगी।

मैं पूछना चाहता हूं कि अगर हमारे देश की पुलिस कहीं जाएगी तो वह जगह अपवित्र कैसे हो जाएगी ?

यह कोई चीन या पाकिस्तान की पुलिस नहीं है, यह हमारे देश की पुलिस है, जो अपराधियों को ढूंढने के लिए वहाँ जाती है। सरकार कहती है कि उसके जाने से वह अपवित्र हो जायेगा। इससे बड़ी लानत की बात और कोई नहीं हो सकती। आज पंजाब का बच्चा-बच्चा अपने आप को असहाय समझ रहा है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि पटियाला में किसी पार्टी के वर्कर या किसी व्यक्ति ने कुछ कर दिया। किसी एक व्यक्ति के कुछ करने से सारा पटियाला जलने लग जाए, यह नहीं हो सकता। आज पंजाब पूरी तरह से बारूद बन गया है। किसी छोटी सी घटना से वहाँ भयंकर हालात पैदा हो सकते हैं।

मैं के पंजाब एक-एक नगर मैं जाता हूं और हजारों लोगों से मिलता हूं। मेरा कार्य-क्षेत्र पंजाब है। उस आधार पर कहता हूं कि पंजाब के लोग दहशत और आतंक में फंसे हुए हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि उसकी पुष्टीकरण की नीति से, इस तरह के सज्जन आदमी बनने से कि हम गुरुद्वारे में अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं घुसेंगे, और मामले को लम्बा लटकाने से देश टूट जाएगा।

पुलिस अधिकारी, के अटवाल, को दिन-दहाड़े मार दिया गया, सैकड़ों पुलिस वालों की उपस्थिति में मार दिया गया। कोई देखने वाला नहीं है कि कौन कहाँ भागा। उसके बाद आदरणीय गृहमन्त्री में थोड़ा सा जोश पैदा हुआ और उन्होंने राज्य सभा में कहा कि हम सात दिन के अंदर इस बारे में कोई एक्शन लेंगे। उन्होंने कोई चुनौती या चेतावनी या अल्टीमेटम दिया होगा

अखबारों में यह बात आई। उसके बाद एक नेता ने बयान दिया कि सारी दुनियाँ के सिख मैदान में आ जाएं और गुरुद्वारों की पवित्रता की रक्षा के लिए इकट्ठे हो जाएं। दूसरे संत ने बयान दिया कि सारे शस्त्रबंद गुरु के भक्त इकट्ठे हो जाएं, लड़ाई का आखिरी टाइम आ गया है। एक तीसरे व्यक्ति ने कहा —माननीय सदस्य, डा० स्वामी उसको देखने के लिये गये, लेकिन उन्हें वह दिखाई नहीं दिया—कि सिख हिन्दुस्तान से अपनी आजादी वगैर सशस्त्र लड़ाई के नहीं ले सकते, इस लिए सब सिख हथियार लेकर इकट्ठे हो जाएं।

ये तीन बयान अखबारों में छपे और आदरणीय गृहमंत्री पर अहिंसावाद का दौरा पड़ गया। अगले ही दिन उन्होंने बयान दे दिया कि हम बिल्कुल कोई चेतावनी नहीं दे रहे हैं, हम मंदिर में बिल्कुल नहीं घुसेंगे और उसको अपवित्र नहीं करेंगे। इस स्थिति में यह देश कैसे चलेगा? कैसे लोगों में यह आस्था पैदा होगी कि इस देश में कोई सरकार और कोई व्यवस्था है? इसका परिणाम यह है कि लोग अपने आपको पूरी तरह से असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सैंकड़ों लोगों ने मुझसे कहा कि हम पाकिस्तान से भाग कर आए थे, अब यहां से भागकर हमें कहीं आगे जाना पड़ेगा। इसके बावजूद सरकार यह समझ बैठी है कि किसी वर्कर ने गोली मार दी या आग लगा दी, इसलिए ये घटनायें हो रही हैं। सरकार तो कागजी कार्यवाही कर रही है। इससे देश टूट जाएगा।

पंजाब की समस्या है? पंजाब की कोई समस्या नहीं है। समस्या तो हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश की है। दस पंद्रह सालों से हरियाणा और राजस्थान का पानी वह कर पाकिस्तान में जा रहा हैं। पंजाब के लोग उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। अगर वे उसका उपयोग करें, तो हमें कोई दुख न हो, क्योंकि वे हमारा ही हिस्सा है। वह पानी पाकिस्तान में जाता है, लेकिन हरियाणा और राजस्थान के खेतों में नहीं जाता है। प्रधान मंत्री ने नहर बनाने के लिए पत्थर लगाया। उसको भी एक साल हो गया है। 1976 में फैसला हुआ। 1981 में फैसला हुआ। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री बैठे। प्रधान मंत्री ने हस्ताक्षर कर दिए। अब सरकार किसकी प्रतिक्षा कर रही है कि वह भी हस्ताक्षर करे, तो यह फैसला लागू होगा। वर्ना नहीं होगा।

यह तरीका जो सरकार का है, वह उचित नहीं है। पानी का फैसला पहले 1976 में हुआ और फिर 1981 में हुआ और अब कह रहे हैं कि कोई ट्रिब्यूनल बैठेगा। तीन मुख्यमंत्री है और प्रधान मंत्री हैं लेकिन उनकी बात का कोई महत्त्व नहीं। फिर कोई बोर्ड बैठेगा और अगर वह भी फिट नहीं बैठा तो लड़ाई शुरू हो जायेगी। कानूनी ढंग से भाषा के आधार पर चण्डीगढ़ और अबोहर तहसील हरियाणा को दी गई लेकिन आन्दोलन देखकर सरकार खबरा गई और प्रधान मन्त्री ने राजनीतिक फैसला कर दिया। उसके बाद कितने आदमी मरे, कितनी बसें जलीं और कितने मर्डर हुए। अगर उसी वक्त उसको लागू कर देते तो झंझट खत्म हो जाता। उसके बाद भी आज 12 साल हो गए हैं। आप ही बताइये कि जज का फैसला वे मानने के लिए तैयार नहीं, प्रधानमन्त्री का राजनीतिक फैसला मानने के लिए तैयार नहीं और अब सुनते हैं कि कमीशन बैठेगा तो उसे कमीशन में कौन सी ताकत आ जाएगी कि उसका फैसला लागू हो जाएगा? वास्तव

मैं आप इंसाफ करना नहीं चाहते। कोई तलवार दिखाएगा तो आप झुक जायेंगे। आज हरियाणा के साथ क्यों अन्याय हो रहा है ? राजस्थान के साथ क्यों अन्याय हो रहा है ? इसलिए कि वे तलवार नहीं दिखाते. हिंसा नहीं करते इसलिए उनके लिए कुछ नहीं होगा। आज सारा देश और यह हाउस कर रहा है कि पंजाब की समस्या का हल निकालो लेकिन मैं कहता हूं कि यह समस्या हरियाणा की समस्या है, राजस्थान की समस्या है। राजस्थान में आज भी पशु बिना पानी के मर रहे हैं और वह पानी पाकिस्तान को जा रहा है। हमारे स्वामी जी कह रहे हैं कि अकालियों से बात करो। अकाली ही रुकावट डाल सकते हैं; वह पानी नहीं दे रहे हैं हरियाणा को और यह सारी कमजोरी केन्द्रीय सरकार की है क्योंकि वह कोई फैसला ही नहीं लेना चाहती और अगर कोई फैसला होगा तो उसको लागू नहीं करना चाहती। उसी का हम आज यह परिणाम देख रहे हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि इन हालात को नहीं समझा गया तो उसका नतीजा यह होगा कि दुनिया की कोई भी ताकत खालिस्तान बनने से रोक नहीं सकेगी। खालिस्तान बनने जा रहा रहा है और खालिस्तान आप बना रहे हैं। आप पूरे पंजाब के देशभक्त इलाके को आपस में लड़ाना चाहते हैं। आज वहां के किसान नहीं जानते कि खालिस्तान क्या होता है लेकिन जब एक-एक लाख आदमी यह शपथ लेंगे कि हम कुर्बानी देंगे, खालिस्तान के लिए, मजहब के लिए तो वह कौन सी कुर्बानी होगी ? यही कि वे आपस में लड़ने जा रहे हैं, आपस में खून-खराबा होगा और आप किसी बात पर पाबन्दी नहीं लगा रहे हैं, कोई नियन्त्रण नहीं कर रहे हैं, टाइम खींचे जा रहे हैं। डेढ़ साल से लगातार कहा जा रहा है कि वहां पर अपराधी बैठे हैं और वह कोई विदेशी भाग नहीं है लेकिन हम देखते हैं पंजाब में दो कानून चल रहे हैं एक तो अपना कानून है और गुरुद्वारों के लिए दूसरा कानून है। यह कौन सा तरीका है ? कल मन्दिर वाले भी ऐसा ही करेंगे, परसों मस्जिद वाले भी ऐसा ही करेंगे, धर्मशाले वाले भी यही करेंगे। आप जानते हैं इस देश में कितने मजहब हैं और कितने संगठन हैं, सभी तलवारों के लिए पैसा इकट्ठा करेंगे, चढ़ावा चढ़ेगा और तब यह देश कैसे चलेगा ? इस तरह से देश नहीं चल सकता। पंजाब में जो रास्ता दिखाया जा रहा है उससे दूसरी कौमों में भी झगड़े होंगे और आप समझ सकते हैं कि उसका क्या परिणाम होगा ? मेरी समझ में तो सरकार के दिमाग में यह बात आ गई है कि जो कुछ बचेगा उसी से काम चलायेंगे। एक जंगल में बकरियों का एक रेवड़ जा रहा था, जंगल से एक भेड़िया आया और कुछ भेड़ें उठा ले गया। सारी बकरियां इकट्ठी हुईं और उन्होंने, उनके साथ जो बकरा था, उससे कहा कि हमारे साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, तुमने हमारे लिए कुछ नहीं किया तो उसने कहा कि जो यहां बकरियां हैं उनका मैं मालिक हूं, जो चली गई उनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।

आप जो यह सोचे बैठे हैं कि जो पंजाब रहेगा देखा जाएगा, असम में जो कुछ होगा देखा जाएगा, ऐसे ही लटकते हुए चलना चाहते हैं। मैं समझता हूं—इस तरह से आप देश के साथ बहुत बड़ी कर्तव्यहीनता कर रहे हैं। हमारे मुसलमान भाई थे, इकट्ठे थे, कभी कोई बात नहीं थी और पंजाब में तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन जब मजहब की बात चली तो पंजाब के दो हिस्से हो गये और पाकिस्तान बन गया। वही हालात आज फिर पंजाब में बनते जा रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि सरकार को इन सारी बातों को गम्भीरता के साथ सोचना चाहिये और जो भी ठीक उपाय

हो सकते हैं—मैं किसी वर्ग-विशेष, किसी मजहब विशेष का अपमान नहीं करना चाहता हूं, किसी को मैं देशद्रोही नहीं कर रहा हूं —मेरा एक ही मतलब है कि जिस रास्ते पर पंजाब के हालात बढ़ते जा रहे हैं, वे देश के टूटने के हालात हैं। सरकार की ढीली नीति, तुष्टीकरण की नीति इसके लिए जिम्मेदार है। राजस्थान और हरियाणा के लोग, हिमाचल के लोग, पानी के बिना दुखी हो रहे हैं और पंजाब में नकली हुड़दंगा करके वहां के वातावरण को बिगाड़ा जा रहा है यह सब आप लोगों की जिम्मेदारी है।

सभापति महोदय : आवंटित समय सभा प्रक्रिया। क्या समय एक घण्टा और बढ़ा दिया जाए ?

कोई सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : समय एक घण्टा बढ़ाया जाता है। श्री चन्द्रजीत यादव।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति जी, पटियाला की घटनाओं का जहां तक सम्बन्ध है, जैसा अभी यहां पर कहा गया—यह घटना पंजाब में अपने ढंग की पहली दुखद घटना है। पटियाला स्टेट इस बात के लिये मशहूर था कि वहां खास तौर से हिन्दू, सिख, मुसलमान, सभी मिलकर रहते थे और उनमें एक बहुत बड़ी एकता थी, आंज से नहीं बल्कि अर्सा-ए-दराज से पुराने जमाने से इन वर्गों के लोग आपस में मिलकर रहते थे। उसी पटियाला शहर के अन्दर इस प्रकार जो दुखद घटना हुई उससे सारे पंजाब के रहने वाले चाहे वे सिख हों, हिन्दू हों, मुसलमान हों, सब के दिल दहल गये और सभी को इस बात की चिन्ता है कि अगर पटियाला में यह बात घट सकती है तो दूसरी जगहों पर भी यदि ऐसी घटनायें घटी तो उसका क्या परिणाम निकलेगा, सारा पंजाब जल उठेगा - मैं समझता हूं—जैसा यहां श्रीमती ब्रार ने कहा और अभी स्वामी इन्द्रवेश जी ने भी कहा—क्या वजह थी कि घण्टे भर के अन्दर सारे पटियाला शहर में यह घटना फैल गई ? मैं नहीं कह रहा हूं, श्रीमती ब्रार ने कहा है—जहां सिख बहुमत में थे वहां हिन्दुओं की दुकानें जला दी गई, जहां हिन्दू बहुमत में थे वहां सिखों की दुकानें जला दी गई, सारे शहर में यह घटना हुई—इस का अर्थ यह है कि यह एक सुनियोजित घटना थी और कुछ तत्व ऐसे थे जिन्होंने इस घटना को कराया। उसमें एक नौजवान लड़का मारा गया, वह दुखद बात है लेकिन मैं आज सरकार से जुडीशियल एन्कवायरी की मांग इस लिये करता हूं, यह नहीं कि एक व्यक्ति की मृत्यु हुई बल्कि इस लिये भी करता हूं कि वे कौन से तत्व थे जिन्होंने सुनियोजित ढंग से पटियाला शहर में यह घटना कराई। उन तत्वों के चेहरों पर से पर्दा हटाना चाहिए, ताकि देश को और पंजाब को मालूम हो सके कि वास्तविक अपराधी कौन थे और उन अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। क्योंकि इस प्रकार के तत्व इस प्रकार की घटना करके निकल जाते हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। पटियाला के वे अपराधी जिन्होंने इस प्रकार की घटना कराई है, जिस से सारा शहर एक घन्टे के अन्दर जलने लगा और जिसने सारे पंजाब को सारे देश को चिन्ता की स्थिति में डाल दिया, उन अपराधियों को देश के सामने आपको लाना पड़ेगा, अन्यथा इसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। दूसरों का इससे उत्साह बढ़ेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार एक हाई-पावर्ड जुडीशियल एन्कवयारी करा कर ऐसे अपराधियों को दण्डित करे ताकि ये घटनायें आगे न हो सकें।

श्रीमान्, आज पंजाब में विस्फोटक स्थिति है और लोगों को चिन्ता हो रही है और इस सदन में भी चिन्ता व्यक्त की गई है और बाहर भी कि अगर तीन-चार शहरों में ऐसी घटना और हो जाए, तो सारा पंजाब जलने लगेगा। ऐसा लोगों के मन में डर है और इस सच्चाई पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। यह दुर्भाग्य की बात है कि हिन्दू और सिख, जिनके परम्परागत ऐतिहासिक तरीके से पारीवारिक सम्बन्ध रहे हैं, आज उनमें एक दूसरे के प्रति शक और सुबाह का वातावरण एक भय का वातावरण व्याप्त हो गया है और इसके लिए कुछ लोग जिम्मेवार हैं, कुछ परिस्थितियाँ जिम्मेवार हैं मैं समझता हूं कि इसके ऊपर प्रभावकारी ढंग से कदम उठाने की आवश्यकता है। पटियाला में, मैं नाम नहीं लूंगा वरना नाम के बारे में फिर आप आपत्ति करेंगे, आप पता लगाइए कि हिन्दू सुरक्षा समिति का अध्यक्ष कौन था ? क्या उसने यह नारा नहीं दिया कि सिखों के पास कृपाण है, इसलिए हिन्दुओं को त्रिशूल रखना चाहिए। यह कौन सा नारा था ? कृपाण सिखों के धर्म का एक अंग है, हिन्दुओं की त्रिशूल से रक्षा होती है क्या ? वह कह सकता था कि रिवाल्वर रखिये, बन्दूक रखिये, लाठी रखिये अगर आप पर कोई हमलावर हो और आप इन से अपनी सुरक्षा कीजिए। त्रिशूल के लिए एक दृष्टिकोण से, एक साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से साम्प्रदायिकता की भावना फैलाने के लिए एक व्यक्ति की तरफ से कहा गया, एक संगठन की तरफ से कहा गया वहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर सिख गुरू ग्रन्थ साहब की शपथ खाकर कोई आन्दोलन चला रहे हैं, तो हिन्दुओं को गीता पर हाथ रखकर आगे निकलना चाहिए। कौन तत्व थे, जिन्होंने ऐसा किया। पंजाब की सरकार ने कुछ नहीं किया, यहां से दिल्ली सरकार ने भी कुछ नहीं किया जब पंजाब में ये घटनाएं हुई आप की इंटेलीजेंस, आपकी पुलिस, आपकी मशीनरी उस समय क्या कर रही थी ? ऐसी परिस्थिति देश में हो जाती है और महीनों ये चीजें चलती हैं और वहां के अधिकारी और दूसरे सब लोग बैठे रहते हैं और वहां पर गरीब जनता और दुकानदारों का नुकसान होता है, जनता पीसी जाती है और वातावरण खराब होता है। मेरठ में छः महीने तक यही चीज चलती रही। दो व्यक्तियों ने सारा वातावरण बिगाड़ दिया और छः महीने तक मेरठ में आग लगती रही। यही बात पटियाला में हो रही है और दूसरी जगहों पर भी यह हो सकती है। आप जाइए अमृतसर। अमृतसर हमारा बहुत बड़ा शहर है। मैं अमृतसर में 5 तारीख को गया था। वहां पर व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल, उद्योगपतियों का प्रतिनिधि मंडल और वहां के नागरिक सरकट हाऊस में आकर मुझे से मिले और उन्होंने कहा कि हमारा व्यापार ठप्प हो रहा है। वहां एक रेसा वातावरण बन गया है कि अगर 5 आदमी तलवार लेकर निकल जायेंगे, तो पुलिस तमाशा देखती रहती है। सारी दुकानें बन्द हो जाती हैं और शटर्स गिरा दिये जाते हैं और उन को रोकने के लिए कुछ नहीं होता है। क्यों यह स्थिति वहां पैदा की जा रही है ?

मैं एक बात और कहना चाहता हूं स्वर्ण मन्दिर में पुलिस भेजने से पहले आपको एक हजार बार सोचना चाहिए। किसी भी गुरुद्वारे में, मन्दिर में, मस्जिद में या चर्च में पुलिस को भेजने के लिए आपको ठंडे दिल से सोचना चाहिए और तब तक पुलिस वहां नहीं जानी चाहिए जब तक कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाए कि इसके बगैर कोई चारा ही न रहे। बाजार में इस प्रकार से तलवार लेकर लोग निकल जाएं, इस प्रकार से मीटिंग में प्रचार हो और इस प्रकार से जत्थे निकल जाएं और कोई कार्यवाही न हो सके, यह सरकार की कमजोरी है। मैं यह समझता

हूं कि यह स्थिति जितनी जल्दी बन्द हो सकती है, उतनी जल्दी बन्द करना चाहिए। पंजाब की समस्या को सुलझाने में और विलम्ब होगा, तो स्थिति और भयानक हो जाएगी। इसलिए इसका जल्दी से जल्दी कोई हल निकालना बहुत जरूरी है और सरकार को शीघ्र इस पर निर्णय लेना चाहिए। यह केवल अकाली दल का सवाल नहीं है। यहां वैसा हुआ कौन कह सकता है कि पानी का सवाल आज पंजाब और हरियाणा के बीच में नहीं है, टेरीटरी का सवाल आज पंजाब और हरियाणा के बीच में नहीं है। इस सवाल पर 1970 में प्रधान मंत्री ने एवार्ड दिया। उसके पहले भी एक कमीशन बना और सब बातें हैं लेकिन यह झगड़ा अपनी जगह पर है और इसका हल निकलना चाहिए चाहे वह अकाली दल ने उठाया हो या कोई दूसरा इसको उठाए। यह दूसरी बात है कि अकाली दल एक राजनीतिक पार्टी है और उसने इस सवाल को उठाया है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह नहीं होना चाहिए कि यह अकाली दल द्वारा उठाया गया है, इस लिए यह समस्या हल नहीं होगी। यह समस्या केवल राजनीतिक समस्या है, ऐसी बात नहीं है। हमें वास्तविकता से आखें नहीं मोड़नी चाहिए। सरकार को तय करना होगा कि चंडीगढ़ का क्या होने वाला है, सरकार को तय करना होगा कि फाजिल्का और अबोहर का क्या होने वाला है और सरकार को तय करना पड़ेगा कि हरियाणा और पंजाब में हिन्दी और पंजाबी बोलने वाले गांव किधर जाने वाले हैं। यह समस्या अपनी जगह पर है और पानी के न्यायसगत बंटवार का प्रश्न भी है। मैं यह नहीं कहता कि सरकार इस समस्या को हल नहीं करना चाहती। इस समस्या को हल करने के लिए मैं एक सुझाव यह देना चाहता हूं कि आप या तो पुनः त्रिपक्षीय बैठक बुलाइए और विरोधी दल उसमें शामिल होकर हल निकालने में मदद करेंगे। सरकार ने जनतांत्रिक परम्परा को मानते हुए एक अच्छा काम किया कि त्रिपक्षीय बैठक बुलाई भी। उसने विरोधी दल के सुझाव को माना और आन्दोलन करते हुए अकाली दल के नेताओं को भी बुला करके उसमें बिठाकर के उनसे बातें करना शुरू किया। सरकार ने अच्छा कदम उठाया था। इस बात को सभी मानते हैं और गृह मंत्री ने भी यहां बयान दिया था कि विरोधी दल के नेताओं की मदद से बहुत सी समस्याएं हल हुई। अकाली दल ने भी रचनात्मक रूख अपनाया। राजस्थान के पानी के सवाल को छोड़ दिया, अकाली दल ने हिमाचल प्रदेश की जमीन के सवाल को छोड़ दिया, अकाली दल की कुछ मांगें सरकार ने स्वीकार कर लीं। उनकी रिलीजस मांगों के बारे में सरकार ने घोषणा कर दी। केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध क्या हो, उसके बारे में भी एक आयोग की नियुक्ति कर दी। अब मुख्य समस्या पानी और जमीन की है। मैं समझता हूं कि पानी की समस्या का हल निकल सकता है। हमारे हरियाणा के बहुत से भाई और मित्र यह समझते हैं कि हमें उनके हित का ध्यान नहीं है। किसी भी समस्या का समाधान होगा तो वह हरियाणा और पंजाब दोनों को ध्यान में रखकर होगा और दोनों के हितों का ध्यान रखकर ही समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। (व्यवधान) राजस्थान का हल तो निकल चुका है। उसका अब झगड़ा नहीं है। यह भी उन्होने छोड़ दिया है। सारे विपक्ष के साथ बैठकर के बात हुई है।

अब मैं अपना सुझाव देना चाहता हूं। मेरे सुझाव पर गृह मंत्री जी और सरकार गौर करे। पानी और जमीन की दो समस्याएं हैं।

श्री बन्शी लाल (भिवानी) : पानी के बारे में एग्रीमेंट हुआ था।

श्री चन्द्रजीत यादव : बंशीलाल जी यह ठीक है। मैं आपकी बात मानता हूं। मेरा सुझाव यह है कि हरियाणा को 1981 के मुताबिक जो पानी दिया गया था 3.25 एम० एफ०, उस पूरे पानी का हरियाणा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है और इसलिए नहीं कर पा रहा है कि ए\।० वाई एल. जो नहर बनने वाली थी वह नहीं बनी। त्रिपक्षीय बैठक में अकाली दल की और अन्य सभी की एक राय थी कि एस० वाई० एल० नहर बनने देनी चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बात हरियाणा के पक्ष में जाती है। जब तक नहर नहीं बनेगी, तब तक हरियाणा को अतिरिक्त एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। इसलिए हरियाणा के लिए नहर बनना शुरू हो जाए। इस बात को सबको मान लेना चाहिए।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक आने वाले वाटर ट्रिब्युनल का फैसला नहीं आ जाता तब तक हरियाणा को 1981 का अलोकेटिड वाटर रहे और पंजाब जितना पानी इस्तेमाल कर रहा है वह करता रहे। दोनों बातें ज्यों की त्यों बनी रहनी चाहिए तब तक जब तक कि वाटर टिब्युनल का फैसला नहीं आ जाता।

जहां तक टेरीटरी का सवाल है, चण्डीगढ़ को बांटना बहुत बड़ी भूल होगी। चण्डीगढ़ हमारे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक बड़ा खूबसूरत शहर है उसे बांटना ऐसा ही होगा जैसा कि किसी होनहार बच्चे के दो टुकड़े करना। इसलिए चण्डीगढ़ को नहीं बांटा जाना चाहिए। जहां तक फाजिल्का और अबोहर का सवाल है, मैं समझता हूं कि इसके एवज में सौ गांव के करीब पंजाब के जो कि बार्डर से लगते हों, हरियाणा को दिये जाने चाहिए। पटियाला के··· (**व्यवधान**)

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे (खलीलाबाद) : चण्डीगढ़ न हरियाणा को दिया जाए, न पंजाब को। वह यूनियन टेरीटरी रहना चाहिए।

श्री चन्द्रजीत यादव : इसलिए मैं कह रहा हूं···

श्री मनीराम बागड़ी : आपकी कौन बात मानेगा ? न तीन में, न तेरह में। आप हरियाणा के खिलाफ बात कह रहे हैं। इसको कौन मानेगा ?

सभापति महोदय : (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) के० सी० पाण्डे और बागड़ी जी की बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

(**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं समझता हूं कि एक बुनियादी बात यह है कि राजनीतिक पार्टियां इस देश में अपने ढंग से कुछ मांगों को लेकर आंदोलन करती हैं। यह उनका अधिकार है।

श्री मनीराम बागड़ी : जो राजनीतिक पार्टियां कम्युनल बात करती हैं क्या वे राजनीतिक पार्टियां हैं ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं समझता हूं कि इस देश में यदि कोई पार्टी मजहब को बुनियाद

मानकर राजनीति करती हैं तो वह इस देश को मजबूत नहीं करती। इससे देश कमजोर होता है।

(व्यवधान)**

आज सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि समस्या का हल निकालना है। मेरा कहना है कि चाहे गृह मंत्री हों या कैबिनेट हो, इन लोगों ने समस्या को हल करने की कोशिश की है। विरोधी दल भी जितना सहयोग दे सकते थे उसने नहीं दिया। मैंने संत लोंगोवाल और उनके सहयोगियों से बातचीत किया। अकाली दल का भी काफी रचनात्मक, पोजीटिव रूख था। मैंने उनसे कहा कि बलवीर सिंह संधु गुरुनानक निवास में बैठकर खालिस्तान की वकालत करता है तो इसको कौन स्वीकार करेगा। मुझे खुशी है कि बलवीर सिंह संधु को गुरुनानक निवास से हटने के लिए बाध्य किया गया है। और गलत लोगों को हटाने के लिए एक कमेटी बनी है।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : इसका मतलब है कि जब आप वहां पर गए तो बलवीर सिंह संधु वहां पर था ?

श्री चन्द्रजीत यादव : मैं इस बात को मानता हूं कि वह वहां पर था। अभी स्वामी इंद्रवेश जी ने कहा कि यह स्थिति पैदा हो रही है कि खालिस्तान बनकर रहेगा। मैं कहना चाहता हूं कि भारत की जनता की राजनीतिक चेतना और देश भक्ति ऐसी है कि खालिस्तान नहीं बन सकता। इस बात को सब लोग अच्छी तरह से समझ लें। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : श्री सुब्रह्मयम स्वामी ने नियम 193 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। किसी भी देश के भाग में अगर साम्प्रदायिक दंगा होता है या घटना घटित होती है तो वह दुःख का विषय होता है। पटियाला में जो साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं उससे हमारे देश का गौरव बढ़ा नहीं है बल्कि घटा है। हमें मालूम करना चाहिये कि पटियाला जो सैक्युलर माइंड का था वहां साम्प्रदायिक दंगा क्यों हुआ। कारणों में हमें जाना पड़ेगा। कौन से लोग इस सुनियोजित घटना के लिए जिम्मेदार हैं, इसका हमें पता लगाना होगा। मैं समझता हूं कि इस घटना के लिए हमारी सरकार को ज्यूडिशल इनक्वायरी के लिए तैयार होना चाहिये। पटियाला में जो घटना हुई है इस प्रकार की घटना दूसरी जगह न हो, इसका भी हमें पूरा प्रयास करना चाहिये। अभी भी पटियाला का वातावरण शान्ति का वातावरण नहीं है क्यों कि वहां शान्ति स्थापित करने का प्रयास जरूर किया जा रहा है। गवनमेंट की तरफ से डैलीगेशन भी गया है, श्रीमती अरुणा आसफ अली की अध्यक्षता में जो कमेटी गई है वह भी पूरा प्रयास कर रही है परन्तु अभी तक वहां शान्ति कायम नहीं हुई है। जब तक वहां कर्फ्यू है वहां शान्ति स्थापित हो गई हो ऐसा नहीं माना जा सकता है।

पटियाला या अमृतसर का जो मसला है वह सारे पंजाब की स्थिति का दिग्दर्शन कराता

** कार्यवाही—वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। इस वास्ते हमें इसकी तह में जाना चाहिए। मैंने भी इस पर गौर किया है, विचार किया है और मैं समझता हूं कि जो मांगें अकालियों ने प्रस्तुत की है वे बिल्कुल राजनीतिक मांगें हैं। हमें भी राजनीतिक दृष्टि से इनको देखकर राजनीतिक ढग से इनको हल करना चाहिए। हर पार्टी चाहती है कि राष्ट्र की एकता अक्षुण्ण रहे। राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है। जब सभी राष्ट्र की एकता चाहते हैं, तो हम सब यह भी चाहते हैं कि उग्रवादियों की शक्ति न बढ़े, हम यह भी चाहते हैं कि सिसैशनिस्ट और सैपेरेटिस्ट टैंडेंसीज की शक्ति न बढ़े। इसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी चाहिए। ऐसी शक्तियों का हम मुकाबला करना चाहिए। जिस प्रकार उग्रवादी शक्तियों का हमें मुकाबला करना चाहिए हम ने नहीं किया। अपराधी तत्त्व गोल्डन टैम्पल में अभी भी रह रहे हैं। यह सही बात है। इसमें दो रायें नहीं हैं। अकाली दल का स्टैंड भी सही नहीं है। अगर सही होता तो वे अपराधियों को प्रस्तुत कर देते। चूंकि उन्होंने ऐसा नहीं किया इसलिए उनका स्टैंड सही नहीं है। उन्होंने उग्रवादियों की निन्दा भी नहीं की, जिस प्रकार करनी चाहिए, नहीं की। उनका यह कंडक्ट भी शक पैदा करता है। डी. आई. जी जोकि ईमानदार और योग्य अफसर थे, सिख धर्म में पूर्ण विश्वास रखने वाले थे, उनकी हत्या कर दी गई। जो अपराधी है अगर लोंगोवाला दिल से चाहते तो उसको प्रस्तुत कर सकते थे। एस जी. पी. सी. के अध्यक्ष श्री हरचंद सिंह लोंगोवाला का अगर दिमाग बिल्कुल सही हो तो अपराधी पकड़ा जा सकता है।

जहां तक अकालियों की मांगों का सम्बन्ध है, उनकी जो धार्मिक मांगें थीं उनके बारे में तो निर्णय हो चुका है।

राजनीतिक मांगों के बारे में मैं प्रश्न करना चाहता हूं, विशेष कर राजस्थान के लिए यद्यपि माननीय यादव जी ने कहा है कि रावी-व्यास के पानी के बटवारे के बारे में अकाली प्रैस नहीं करते हैं। परन्तु हमें विश्वास नहीं होता है क्योंकि जब उनकी सरकार थी 1967 के अन्दर तब कोई मांग नहीं थी और सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने हरियाणा के विरुद्ध जरूर रावी-व्यास का मसला उठाया परन्तु राजस्थान के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया और न हमारा कोई डिसप्यूट था। और राजस्थान के कारण ही तो रावी-व्यास-सतलुज का पानी अपने देश को मिला और उसके कारण भारत और पाकिस्तान का ऐग्रीमेंट हुआ, हमारी सरकार ने 100 करोड़ रु० दिया, वर्ल्ड बैंक के प्रेसीडेंट ने भी एरियल सर्वे करके उचित माना कि राजस्थान कैनाल का निर्माण होना चाहिए और पानी मिलना चाहिये। इसमें अगर कोई भी कमी होनी है, जो निर्णय हो चुका है अगर उसको रीओपिन किया जाता है तो राजस्थान कैनाल का निर्माण जैसलमेर क्षेत्र में, जो आगे बढ़ गया है और 2,3 साल में पूरा हो जायगा जिसके कारण बहुत बड़ा क्षेत्र सिंचित हो जायगा और पीने के पानी की समस्या काफी हद तक हल हो जायेगी वह रुक जाएगा। इसलिये हम गृह मन्त्री जी से कहते हैं कि हमारी यह मांग सही है और हम किसी तरीके से भी अकालियों के सामने न झुकें।

अब प्रश्न आता है चंडीगढ़ के बारे में जस्टिस शाह ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दे दिया था। परन्तु हमारी प्रधान मन्त्री ने यह फैसला लिया कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाय और उसके बदले अबोहर और फाजिल्का हरियाणा को दे दिया जा। या तो यह फैसला मन्जूर हो

जाना चाहिए और बारबार मामले को उठायेंगे तो दिक्कत पैदा होगी क्योंकि चंडीगढ़ दिल्ली की तरह ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। मैं तो चाहता हूं कि चंडीगढ़ सेन्ट्रली ऐडमिनिस्टर्ड टेरिटरी हो जाय ताकि कोई झगड़ा ही न हो।

श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : यह पूरे सदन की मांग है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : माननीय पांडे ने जो विचार रखे हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। यही एक हल है जिससे चंडीगढ़ का प्रश्न हल हो सकता है और कोई संघर्ष भी नहीं होगा और सम्बन्ध भी मधुर रहेंगे।

मैं चाहता हूं कि शांतपूर्ण तरीके से इन समस्याओं को हल किया जाय और हमें बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमारी सरकार हमेशा तैयार रही है अपोजीशन के साथ भी बात करने के लिये और अकालियों के साथ भी ताकि इस मसले को अच्छी तरह से हल किया जा सके। पंजाब का मसला अगर हल हो जाता है शांति से और असम का मसला भी हल कर लेते हैं तो हमारी राष्ट्रीय एकता के अन्दर सुदृढ़ता आती है।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : क्या यह उनके दल की औपचारिक नीति है। उनके दल की औपचारिक नीति क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री स्पैरो बोलेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमान्, एक महत्त्वपूर्ण चर्चा चल रही है। हमें उनके दल की औपचारिक नीति की जानकारी चाहिए। मैं बड़े असमंजस्य में हूं कि उनके दल की औपचारिक नीति क्या है ?

श्री सी० एम० स्टीफन : दल की नीति का प्रश्न नहीं है। अगर आप पूर्णतयः भ्रांति में हैं तो ठीक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सत्यसाधन, आपका दिमाग कब स्पष्ट रहा है ? अब भी आप भ्रान्ति में हैं।

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : उपाध्यक्ष महोदय, स्वतन्त्रा प्राप्ति के बाद हम पंजाब में सबसे अन्धकारमय दौर से गुजर रहे हैं। पहली दफा, हमें इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। भारत के इतिहास में हमने सिखवाद के प्रादुर्भाव से लेकर आज तक इस प्रकार तनाव या निर्मित तनाव नहीं देखा है। पर एक बुरी बात है। इसलिए मेरी इस सदन से और सभी नेताओं से निवेदन है कि वे इस मामले को राजनैतिक रंग न दें।

मैंने कुछ भाषणों का रुख देखा है और उन्हें बड़े ध्यान और शान्ति से सुना है। कुछ वक्ताओं ने अपने भाषण में भाषा का जिस तरह से उपयोग किया है उसे स्पष्ट करने के लिए मेरे

पास शब्द नहीं हैं। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि हमें इस प्रकार के प्रलोभन से बचना चाहिए क्योंकि भारत इस प्रकार की बातों को सहन नहीं कर सकता। इस महान देश ने सारे संसार में महत्ता प्राप्त की है, विश्व की दो महान शक्तियों के बीच सौहार्य स्थापित करने का प्रयास किया है। इसका छोटी-छोटी बातों के लिए विघटन नहीं होने देना चाहिए। इस देश के महान नाम पर कलंक लगाने वाली ऐसी किसी भी विचारधारा को काम करने की दिशा में भी अनुमति नहीं देनी चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। लेकिन मैं उनकी एक या दो टिप्पणियों का जिक्र करना चाहूंगा। इस सदन में, राज्य सभा में, सदन के बाहर और प्रैस आदि द्वारा हमने इस समस्या पर कई दफा विस्तार से चर्चा की है। हमने इसके हर पहलू पर विचार किया है। मैं उनके द्वारा की गई कुछ मुख्य टिप्पणियों को खुले में प्रकट करने और उन्हें नंगा करने का जोखिम उठाना चाहूंगा।

इस समस्या में मूल कठिनाई क्या है ? पटियाला में हुई गड़बड़ का मुख्य कारण क्या है ? यह इतने बड़े पैमाने पर कैसे फैला ? मेरे दोस्तों और सहयोगियों ने इस बारे में कुछ कहा है। सबसे पहले हमें इसका मूल कारण जानना होगा। इसका अकाली मोर्चों, आतंकवादियों, प्रतिक्रियावादियों, उग्रवादियों द्वारा की जाने वाली आवर्तक हिंसात्मक कार्यवाहियां ही इसका व्यापक आधार है। इस सन्दर्भ में मेरी प्रथम टिप्पणी यह है। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब पंजाब में अकाली दल की सरकार थी, तो यह केन्द्र की जनता सरकार से कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती रही। उस समय किसी भी अकाली मांगों के लिए जोर नहीं दिया गया, कोई वेदना नहीं थी, कोई तीव्रता नहीं दिखाई गई, न ही आनन्दपुर साहिब के किसी संकल्प की चर्चा की गई, न ही मोर्चों की बात कही गई। इसके विपरीत, वह अपने ढंग से सत्ता और विशेषाधिकारों का प्रयोग करते रहे और केन्द्र में अपने मित्रों के साथ मिलकर कार्य करते रहे। इस बात को हमें ध्यान में रखना चाहिए। फिर यह कैसे हो गया कि विभिन्न लोगों द्वारा सभी प्रकार की मांगों को अचानक ही उठाया जाने लग गया ? किसी ने कहा है कि इसमें कुछ तस्कर भी मिले हुए हैं। ऐसा हो सकता है।

शिरोमणि अकाली दल तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी के लिए मेरे मन में जो आदर है; इसके साथ मैं विशेषकर अकाली उच्च कमान से एक साधारण सा प्रश्न पूछना चाहता हूं :—

इस प्रकार की सारी कार्रवाइयां क्या राजनैतिक सत्ता की भूख से प्रेरित नहीं है ? क्या यह क्रीड़ा अकालियों द्वारा स्वयं चालित नहीं है; ताकि टुकड़ों में बंटे सिक्खों के उग्रवादी गुटों को; जिनके बारे में स्वयं अकाली दल को आशंका है कि कहीं वे गुटों में बंटे दल की नेतागिरी न हथिया लें; मात दे सकें ? क्या अकाली दल के नेतागण जानबूझ कर या अनजाने में अव्यवस्था फैलाने वाले बाहरी या भीतरी प्रतिक्रियावादी ताकतों के यांत्रिक हाथों में तो नहीं खेल रहे; जो शीघ्र विकसित हो रही संसार की इस सुपर ताकत मेरी मातृ-भूमि को योजना-बद्ध ढंग से तोड़ने-

फोड़ने विध्वंस करने तथा जीवच्छेदन करने में लगे हुए हैं ? या कहीं ऐसा तो नहीं कि उपरोक्त तीनों कारकों ने परस्पर मिलकर अकाली दल उच्च कमान को इस प्रकार भ्रमित कर दिया है कि उन्हें इतनी भी सूझ-बूझ नहीं रही कि ठीक क्या है और गलत क्या है ?

पूर्ण श्रद्धा तथा आदर के साथ उनके (अकाली दल) लिए ये मेरी चार निवेदन हैं। इनमें से क्या निष्कर्ष निकला है, यह देखने की बात है ? यह एक मिश्रित किस्म का भ्रम है जिसमें आपके दल के मुख्यालय में यह स्थिति पैदा कर दी है। मुझे डर है कि इस प्रकार के भ्रमजाल में कहीं वे सारी सिख जाति को बिना किसी हास्य के ऐसा धक्का न पहुंचाएं जिसकी क्षतिपूर्ति ही न हो। क्या उन्हें पता नहीं है कि उनके प्रतिबन्धात्मक युद्धप्रिय तथा अधिक सहनशील व्यवहार के निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं :—

(क) हिन्दू/सिक्ख भाईचारे में भ्रातृ-त्वह में दीवार जो इतिहास में न कभी देखने में आई न सुनने में।

(ख) इससे दूसरे प्रान्तो में रह रहे सिक्ख असहाय खतरे तथा हानि में पड़ सकने हैं; और इसके कारण वही होंगे जिनके विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ग) इस प्रकार की घटनायें हमारे महान गुरू के धर्म के फैलाव तथा उन्नति को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं।

लोग इस सुन्दर धर्म को छोड़कर जा रहे हैं। जैसाकि मैंने आपको पहले भी बताया था मैंने अमृतसर की एक प्रमुख संस्था में छात्र के रूप में चौदह वर्ष तक सेवा और कार्य किया है। हर दूसरे तीसरे दिन मुझे स्वर्ण मंदिर में जाने का अवसर मिलता था और हर बार मैं हिन्दू पुरुषों, औरतों तथा बच्चों की प्रधानता देखता था; जो अपना सिर झुकाकर प्रार्थना करते थे, गुरुवाणी का श्रवण करते और फिर हाथ से परिक्रमा को अपने हाथों तथा अपने रूमालों से साफ करते। और जो कहानियां अब मुझे सुनने को मिल रही हैं और जो कुछ देखने को मिलता है उससे ऐसा लग रहा है कि वे गुरू नानक की महान शिक्षाओं से दूर भाग रहे हैं या उनका बहिष्कार कर रहे हैं। क्या वे ये सब घटनाएं जानबूझ कर अनदेखी कर रहे हैं या किसी मतलब या अपनी परिधि में दवाब के कारण ऐसा कर रहे हैं ? इस प्रकार की घटनाएं सिक्खों को एक प्रकार का अलगाव-वादी घोंघा बना कर रख देंगी, और उनमें मेरी यह अपील है कि वे इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण समाप्त करें।

श्री आर० एस० स्पैरो : आप जब भी कहोगे मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा क्योंकि मैं पहले भी बहुत कुछ कह चुका हूं। इससे कोई हानि नहीं हुई, सभी कुछ ठीक-ठाक है। मुझे मेरी पार्टी के नेता ने भी भाषण की इति श्री करने के लिए कहा था और मुझे खुशी है कि जो कुछ मैंने अपनी ओर से कहना था, मुझे उसको कहने का अवसर मिला है, पर अपनी ओर से न कि आपकी ओर से।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : केवल अपना भाषण समाप्त करें।

श्री आर० एस० स्पैरो : मैं कहूंगा कि आपने कुछ अंतराल छोड़ दिए हैं।

(व्यवधान)

मैं जल्दी ही आपकी ओर आने वाला हूं।

डा० सुब्रह्मण्य स्वामी : अच्छा, मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या 'आपकी ओर आने' का तात्पर्य दल बदलने से है।

श्री आर० एस० स्पैरो : मैं सन्दर्भ के अन्तर्गत पटियाला में हिन्दू सिक्ख झड़प के सम्बन्ध में एक शब्द कहूंगा। मैं आपको पहले भी इस बारे में बता चुका हूं। कुछ मौका ही ऐसा बना कि कुछ अरक्षित हिन्दू, जहां वे अल्पमत में थे; गोली के शिकार बने। आप कादियां को जानते हो, हरचोवाल को जानते हो, सुल्तानपुर लोदी को जानते हो। एक सप्ताह पूर्व मै सुल्तानपुर लोदी में थे।

निहत्थे और निरपराध प्रेमचन्द को स्वचालित हथियार से मार गिराया गया। कुछ समय पूर्व उसे एक पत्र भेजा गया था जिसमें लिखा था कि वह (प्रेमचन्द) कुछ गलत बातें कर रहा है। अतएव हम उसको मार डालेंगे, आपका नाम सूची में है। उस आदमी को देखो जिसे लोग जानते हैं कि वह कौन से इलाके का है। उसकी ठिठाई पर भी गौर करो कि गोलियों से मारधाड़ करके उसे सीधे नानक निवास का रास्ता मिल गया, जो स्वर्ण मंदिर अमृतसर की परिधि में है। और दोस्त डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी वहां हो आए हैं। एक ही दिन में इन्होंने पत्रकारिता के अजूबे, तथा पता नहीं क्या-क्या खड़ा कर दिया। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, आप 32 नम्बर कमरे की बात कर रहे थे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने नहीं समाचार पत्रों ने ऐसा कहा है।

श्री आर० एस० स्पैरो : किसी ने कहा है। आप कमरा सं० 32 में गए थे। आपको वहां कोई बलवीर सिंह संधु नहीं मिले और न हीं वहां कोई ऐसा कार्यालय मिला जिसमें सभी सुविधाएं प्राप्त लिपिक आदि काम कर रहे हों जिन्हें किसी ढंग की कृत्रिमता प्राप्त हो। यह एक तथ्य था; और कई दिनों तक यह कहा गया है, और यही कुछ गाया भी गया है कि वहां कोई नहीं है और तब भी डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी निरीक्षण के लिए वहां गए और आप भी यही आशा करते हैं सभी घोड़े दड़बे में आपकी प्रतीक्षा में हों। श्रीमान् जी नहीं, यह बहुत अद्भुत था। आप ही कैसे और क्यों ? श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी; मैं आपकी ओर से बोल रहा हूं। (**व्यवधान**)। हमें इस प्रकार के शक्ति प्रदर्शन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप हारवर्ड के पुराने गुरू हैं। आपको आपके ज्ञान में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए और इसी बोध के सहारे आपका सही क्षेत्र में आना सम्भव हुआ और आप अपने स्थान से टस से मस नहीं हुए, चाहे आपका सम्बन्ध जनता से हो या अकाली भ्रातृयों से जब आप इस प्रकारके निरीक्षणों के लिए जाते हैं तो आपको यह सारी बातें सभी दृष्टियों से देख

लेनी चाहिए बड़े-बड़ों से आपकी क्या वार्ता हुई, यह एक अलग बात है। वह आप और उनके मध्य है। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। यही बात है मेरे···देश में कौन ऐसे राज रख सकता है? कोई राज नहीं रह सकता जब आप कुछ धन लेते हैं तो क्या आप जानते हैं कि कौन दे रहा है, जब तक देने वाला आठ या दस अन्य व्यक्तियों को न बता दे कि मैंने आमुक कार्य के लिए आपको धन दिया है, तब तक वह चैन नहीं लेगा। आप भेद नहीं रख सकते तथा वे अपराधी तथा वे हत्यारे जिन्होंने पुलिस के विरुद्ध भी लड़ाई की, तथा और पता नहीं क्या कुछ किया, उन्हें गुरुद्वारे में शरण मिल गई। कोई व्यक्ति था जो बोला तो लेकिन उसे डर था क्योंकि जो कुछ वह समझ रहा था वह सम्भवत: नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा हुआ। मैं कुत्ते वाले मामले में आपका अपना विवरण कैसे ले सकता हूं क्या मैं यह आपको यह बताने की धृष्टता कर सकता हूं कि मुझे भी तथाकथित वितरण प्राप्त हुआ है। तो ठीक है यह एक धागा है, जो चारों ओर बन्धा है। उसका सहारा मत लीजिए। कांग्रेस (ई) के मुख्यालय में वापस घुसने वाला कोई कुत्ता नहीं है। इस प्रकार के सूत्रों से भ्रमित न हो यदि आप अपने भाषण को थोड़ा सा आकर्षक बना सकें तो वह रुचिकर हो जाएगा। पर यदि आप वास्तविकता को देखें तो यह सन निरर्थक है। यह सब चीजें देखने या सुनने लायक नहीं है, विशेषकर उनके द्वारा जो उच्च स्थानों पर बैठे बड़े कहलाते हैं। हम अपने देश को इस प्रकार से विखंडित नहीं होने देंगे। नहीं श्रीमान जी। इसलिए कृपा करके मेरी बातों का बुरा न मनाएं। मैंने तो अपना दिल खोलकर रखा है क्योंकि आपने कुछ अच्छी बातें कही हैं और आप पारे की तरह बहुत-बहुत गतिशील हैं, और आप प्रश्नों को बहुत जल्दी पकड़ते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या मैं व्यवधान डाल सकता हूं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि खालिस्तान का मुख्यालय कौन से कमरे में है। कम से कम सरकार को इतनी जानकारी तो अवश्य होनी चाहिए।

श्री आर० एस० स्पैरो : आपने जगजीत सिंह चौहान की भी बात की है। मैं एक बार फिर आपको बता देना चाहता हूं कि वह भारत के लिए गुनाहगार है। उसने भारत के विरुद्ध कार्य किया है। और ऐसा उसने ऐसे समय पर किया जबकि हमारे और मेरे लड़के लड़ाइयां लड़ रहे थे। मैंने एक और दिन भी आपको बताया था कि वहां से किराए के विमान में लाहौर आया था। आप यह जानते हैं क्योंकि मैंने यह बात स्पष्ट शब्दों में कही थी।

मैं उससे उस समय भी मिला था, जब आपने उसे यहां बुलाया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन वह 1980 में भी तो आया था।

श्री आर० एस० स्पैरो : वह तो आपके पासपोर्ट पर तथा आपकी आज्ञा से आया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उसे रद्द नहीं कर सकते।

श्री आर० एस० स्पैरो : आपने मुझसे मुख्यालय के बारे में पूछा था। आप यह भली भांति जानते हैं कि अकाली दल के भूतपूर्व महा-सचिव जगजीत सिंह चौहान जो कभी आपके मित्र थे, को भारत आने का निमंत्रण दिया गया था। उसने लन्दन में एक छोटा सा घर ले रखा है, और नहीं उसने खालिस्तान का बढ़िया सा मुख्यालय चला रखा है। यही उसका मुख्यालय है।

यदि बलवीर सिंह संधु के बारे में मुझे कुछ जानकारी है तो यह वास्तव में अच्छा तथा विवेकशील नहीं होगा कि यह जानकारी किसी और को देने से पहले मैं आपको दूँ। आप अपने भेद अपने पास रखते हैं और मैं अपने पास। बलवीर सिंह सन्धु छद्मवेश में न केवल कमरा सं० 32 में रह रहा है बल्कि कई और स्थानों पर भी इसी वेश में रह रहा है। हमें देखना यह है कि हम अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : उन दोनों के पास काफी भेद है।

श्री आर० एस० स्पैरो : मुझे अकाली दल उच्च कमान के अपने मित्रों से एक बात और कहनी है। अतिदीन तथा कमजोर व्यक्तियों को गोलियां मारी जा रही हैं और आप अपनी उंगलिया नहीं उठा रहे हैं और न ही आप इसे रोकने के प्रयत्न कर रहे हैं; और महान गुरुओं के उपदेश क्या हैं ? आप प्रतिदिन अरदास में क्या बोलते हैं ? जब आप प्रार्थना करते हैं तो क्या कहते हैं।

निगतियां दी गत्त

निपतियां दी पत्त

निआसरियां दा आसरा।

हम गिरे हुए, कमजोर तथा निर्धनों के हितों को देखते हैं। अकाली दल उच्च कमान के मेरे मित्रों, आप यह गाना गुरू ग्रंथ साहिब के समक्ष रोज गाते हैं। अब आप उन्हें नीचे गिरते देखना चाहते हैं।

मैं प्रेमचन्द के लोगों से सुल्तानपुर लोदी में मिलना चाहता हूं। यह एक ऐसा स्थान है जहां गुरूनानक देव लम्बे समय तक रहे क्या आप जानते हैं कि बेचारा निर्धन बालक वहां किन परिस्थितियों में रह रहा था ? उस उपनगर में केवल 5% हिन्दू हैं। बहुमत अन्यों का है। उस को गोली से मारने के लिए कोई व्यक्ति आता है उन (अकाली नेताओं) की उंगली तक नहीं उठी। क्या यही है :

निगतियां दी गत्त

निपतियां दी पत्त

निआसरियां दा आसरा।

क्या ये ही आपके विचार हैं ? श्रीमान् जी, नहीं। यह सब बोलकर आप सिक्ख मत को नीचे गिरा रहे हैं। आप हमारे पवित्र धर्म को खाक में मिला रहे हैं यह उचित नहीं है।

मैं एक बार फिर आपको आदरपूर्ण ढंग से कहूंगा तथा सिफारिश करूंगा कि उन पवित्र शिक्षाओं को चारों ओर से मिट्टी में मिलने से बचाएँ। यदि आप में अपने मामले को सिद्ध करने का साहस है तो भारत के संविधान के अनुसार, जिससे कि आप अब भी बाध्य हैं, मेज पर आइए।

भारतीय संविधान के अनुसार आपको मंत्रियों के रूप के केन्द्र में तथा पंजाब में कई बार झंडा फहराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसलिए वही ठीक रास्ता है जिस पर अपने विचार करना है।

मुझे एक मिनट गृह मंत्री जी से एक या दो शब्द कहने हैं। तदोपरांत मैं अपना भाषण समाप्त करूंगा।

अपराधियों का पता लगाने के लिए उन्होंने एक समिति बनाई है। मैं समिति के सभी सदस्यों को जानता हूं। पता लगाना—किस बात का पता लगाना ? मैं तो कहूंगा कि यह एक बहुत ही अच्छा कदम है। मैं इसकी सराहना करता हूं। मैं तो चाहता था कि यह समिति कई मास पूर्व बना दी जानी चाहिए थी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप वहाँ नहीं गये थे।

श्री आर.एस. स्पैरो : मैं आपसे अधिक बार वहां गया हूं। मुझे वैसा मत समझिए। वे सभी मित्रवत और दयालु हैं। मैंने कभी भी किसी पर धोखे से प्रहार नहीं किया है। यह एक भिन्न मामला है कि व्यक्ति-व्यक्ति से कैसे व्यवहार किया जाए। अतः, ऐसी कोई कटु बात कहने का प्रयास न कीजिए जो किसी के काम की न हो।

मैं उनसे यही एक बात पूछना चाहता हूं। ठीक है, आपने इस विशेष जांच निकाय या जांच समिति का गठन किया है। क्या हम यह समझ लें कि यह गृह मंत्री महोदय तथा पंजाब सरकार के भी लाभ के लिए है कि मंत्री साहब, नानक निवास और अन्य अहातों तथा उन क्षेत्रों को मिलाकर जहाँ पर रहने के लिए बहुत-सा स्थान और निवास आदि हैं, मैं स्वर्ण मंदिर के अहातों सहित किसी में भी गुण्ड़ों और अपराधकर्मियों को आने की अनुमति नहीं दी जायेगी। केवल इतना ही नहीं। सम्बद्ध प्राधिकारियों को विश्वास दिलाएं। जिस पोशाक में भी अकाली चाहते हैं, उसी में सिख कार्मिकों, सरकारी कार्मिकों को जांच करने के लिए अन्दर जाने में क्या कठिनाई है ? क्या वे उस बारे में किसी प्रकार का अभ्यास कराना चाहते हैं। हर दूसरे या तीसरे दिन अथवा तात्कालिक आधार पर वे चारों ओर जा सकें और जांच पड़ताल कर सकें ? यह एक ऐसी बात होगी जिससे उन्हें दूसरी ओर से आलोचना की छूट मिलेगी। जहां तक बाह्य जांच-पड़ताल का सम्बन्ध है निश्चय ही यह सब करना पुलिस विभाग का कार्य है।

हमें तो सभी अधिकारियों कार्मिकों को सबक सिखाना चाहिए। यहां बैठी उच्च कमान को मैं यह एक सिफारिश करता हूं। हम इस बारे में बहुत कुछ देख चुके हैं। हमें सभी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए इसमें कोई आपत्ति ही नहीं है। जहां तक भारतीय मातृभूमि का सम्बन्ध है, भारत अब किसी और से अधिक बततमिजी सहन नहीं करेगा, यहाँ तक कि चाहे वे हमारे भाई ही क्यों न हों। उस उद्देश्य के साथ मैं विपक्षी सदस्यों सहित सभी से निवेदन करता हूं कि वे उस दिशा में कार्य करें। इसीलिए, हमें स्थिति को काबू में करना होगा और बिगड़ने से रोकना होगा ?

मैं एक बार फिर विपक्षी सदस्यों से अपील कर रहा हूं कि वे इस मामले में राजनीति को

भूल जाएं। उसे छोड़ दीजिए। एक सिद्धान्त रूप में, आप समस्या का कोई हल ढूंढ़ निकालने के लिए प्राधिकारियों के साथ सहयोग कीजिए। यह हमारे लिए युद्ध थोपे जाने के समान है। यदि आप पर कोई युद्ध थोप दिया गया होता तो आप क्या करते ? आप उस समय सभी मिलकर उस विभाग विशेष के साथ सहयोग करते होते। उन्हीं कारणों के लिए आप एक होकर काम कीजिए।

मैं आपको एक बात का प्रधान मंत्री महोदया की ओर से और गृह मंत्री महोदय की ओर से आश्वासन दे सकता हूं। कोई कह रहा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें विश्वास में नहीं लिया है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। सी०पी०आई० (एम०) के सदस्या श्री हरकिशन सिंह सुरजीत कई बार प्रधानमंत्री महोदया और गृहमंत्री महोदय से मिल चुके है। अब यह कहां की बात है कि विपक्ष में बैठे सदस्यों में से एक कहते हैं, "हमें विश्वास में नहीं लिया गया है।" निस्सार और हल्की-फुल्की बातें न उठाइये। लोगों के कान और आंखें हैं। वे इसका अभिलेख रखते हैं। केवल इसी कारण से मैं कुछ बातों की सिफारिश करना चहता हूं।

आप विगत को भूल जाइये और यह देखिए कि भविष्य में हमारे लिए क्या जमा रखा है। यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें तो मैं कुछेक बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। मैं व्यक्तिगत रूप से प्रथम सिफारिश यह करना चाहता हूं कि गृह मंत्री महोदय का यहां होना और स्थिति का जायजा लेना बिल्कुल सही है क्योंकि सही उत्तर तक पहुंचने के लिए आपको सूचना एकत्र करके मिलानी पड़ेगी। सम्भवतया, यह कहीं अधिक अच्छा होगा कि आप तुरन्त स्वयं पटियाला का दौरा करें और यह देखें और जांच करें कि वहां पर स्थिति कैसी है। आप पुलिस के कुत्तों आदि की बातें भूल जाइये। आप यह भी भूल जाइये कि मैंने क्या कहा है और उन्होंने क्या कहा है। आप स्वयं ही स्थिति का पता लगाइये। हमारा आप पर पूरा विश्वास है क्योंकि आप सदैव न्यायिक बात करते हैं। आप धीर, गम्भीर और शान्त व्यक्ति हैं और आपमें बड़ी सहनशक्ति है। मैं अब तक आप में ये सब गुण देख चुका हूं। ऐसा कहने का मुझे पूरा हक है। आप में बहुत धीरज और सहनशक्ति है। प्रधान मंत्री महोदया और गृह मंत्री महोदय स्थिति से बड़े धैर्य से निपटते रहे हैं।

किसी वर्दी में मशीन गनें आदि लेकर गुरुद्वारों में घुसने के नियमों और विनियमों का उल्लेख किया है। परन्तु किसी अन्य सदस्य ने भी यहां पर ठीक ही कहा था कि किसी परम्परा को तोड़ने से पहले हमें सौ बार नहीं दो सौ बार या यहां तक कि तीन सौ बार सोचना होगा। 1925 के गुरुद्वारा अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि आप किसी अपराधी को पकड़ने के लिए गुरुद्वारे अन्दर नहीं जा सकते हैं। भारत के संविधान में भी ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है कि आप किसी अपराधी को पकड़ने के लिए किसी पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। परन्तु परम्पराएं तो हैं। परन्तु परम्पराओं को तोड़ने के लिए यदि आप और अधिक कठिनाइयां खड़ी करते हैं तो आपको प्रतीक्षा कर सोचना होगा। इस बातों पर विचार करके हमें यथास्थिति सही परिप्रेक्ष्य में कदम उठाना होगा।

मेरी अन्य सिफारिश यह है कि अपनी रुचि और विचारधारा के अनुसार आप सदन में कुछ स्वीकार्य वातावरण बनाकर हमें यह बतायें कि पंजाब की बिगड़ी हुई अशान्त स्थिति को सामान्य

बनाने के लिए आप क्या-क्या उपाय कर रहे हैं या करने जा रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्य स्वामी : यदि कोई है।

श्री आर० एस० स्पेरो : मैं शब्दों पर नहीं जाऊंगा यह मेरी सिफारिश है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मुझे खेद है कि मैंने आपका काफी समय ले लिया है।

उपाध्यक्ष महोदय : हमने समय 7-30 बजे तक बढ़ा दिया है। अब तीन विपक्ष के और तीन सत्तारूढ़ दल के सदस्य बोलेंगे। यदि प्रत्येक माननीय सदस्य 10 मिनट का समय लेता है तो हम समय पर अपनी बात समाप्त कर सकते हैं और मंत्री महोदय भी उत्तर दे सकते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : महोदय पंजाब की स्थिति को विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखना होगा और वास्तव में एक सही परिप्रेक्ष्य में मेरे विचार से पंजाब हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय रूप में स्वीकृत सिद्धान्तों के लिए चुनौती बन गया है। वे सिद्धान्त हैं—धर्म-निरपेक्षता, लोकतन्त्र और राष्ट्रीय अखण्डता। इन अवस्था में, मैं यह सोचता हूं कि पंजाब की गुत्थी से सम्बद्ध समस्याओं के विभिन्न पहलूओं पर मैं विस्तार से नहीं बोल सकूंगा। परन्तु मैं इस सभा और अपने देश-वासियों से यह जोर देकर कहना चाहता हूं कि हमें इस चुनौती को स्वीकार करना होगा और अपने राष्ट्रीय जीवन के प्रमुख सिद्धान्तों को बचाए रखना होगा। हमें यह मानना होगा कि साम्प्रदायिक, उग्रवादिता, अतिवादिता विभिन्न रूपों में पंजाब में जड़ें जमा चुकी हैं। यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें तो मैं कहूंगा कि आज की पंजाब की राजनीति कुछ बहुत ही विकृत और अशान्त रूप धारण कर गई हैं। उन विशेषताओं में प्रमुख हैं; प्रथमत: सिखवाद और हिन्दूवाद के पुनर्जागरण का उन्माद। और दूसरा धर्म को राजनीति से जोड़ना। मेरे विचार से, ये दोनों ही धर्मनिरपेक्ष लोकतन्त्र के लिए असंगत हैं। समस्या गम्भीर खतरे से आप्लावित है क्योंकि उग्रवादिता की यह प्रक्रिया एक ऐसे क्षेत्र में सिर उठा रही हैं जो कि हमारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं के बहुत निकट है और जिसका लाभ वे ताकतें उठा सकती हैं जो कि हमारी दुश्मन हैं और विशेषकर उन परिस्थितियों में जबकि वहाँ पर बाह्य वातावरण अशान्त और क्रुद्ध हैं। अत: इस विचार से, हमें स्थिति से निपटने का रास्ता खोजना चाहिए।

जहां तक पटियाला का सम्बन्ध है मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो कुछ पटियाला में हुआ है वह किसी भी प्रकार से साम्प्रदायिक विस्फोट नहीं था और इस बात को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह उत्तेजना और कुछ नहीं है बल्कि विभिन्न वर्गों के लोगों में लगातार पैदा हो रहे तनाव की एक आग है। यदि सरकार इससे उचित सबक नहीं सीखती है तो मुझे डर है कि जो कुछ पटियाला में हुआ है वह पंजाब के सभी भागों में फैलेगा और केवल पंजाब में ही नहीं बल्कि देश भर में इसके गम्भीर परिणाम हो सकते। अत: इसको उस दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। इस अवसर पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने में बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस (ई) में दल-बदल के तथाकथित दृश्य फिर तेजी से बढ़ रहा है।

मैं इसमें अन्तग्रस्त नहीं होना चाहता हूं। परन्तु मैं जो कुछ कहना चाहूंगा, कि यदि सरकार इसका कोई शान्तिपूर्ण हल ढूंढ़ना चाहती है, तो वह यह है। दल बदलुओं को प्रोत्साहन देने से

विभिन्न मुख्य मंत्रियों के लिए छूट देने का प्रस्ताव करने में कठिन स्थिति पैदा होती है क्योंकि वे महसूस करते हैं कि छूट का प्रस्ताव उनकी तरफ से राजनैतिक कमजोरी मानी जाएगी । अत: क्या मैं आपसे यह निवेदन कर सकता हूं ? ऐसी गम्भीर स्थिति में क्या आप अपने सुनाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्या आप स्वयं अपने उत्तरदायित्व तथा समूचे देश के प्रति उत्तरदायित्व की कम से कम भावना का प्रदर्शन करके काग्रेस (ई) के असन्तुष्ट गुट की गतिविधियों को नहीं रोक सकते ? मैं इस बात का जिक्र ही न करता यदि इसका सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से इस समस्या के समाधान से न होता । मैं महसूस करता हूं कि इन राज्यों के मुख्य मंत्री गुट असंतुष्टता की नई लहर पैदा हो जाने से कोई रियायत का प्रस्ताव करने की स्थिति में नहीं है ताकि स्थिति को संभाला जा सके । क्या आप कृपा करके यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सुनाम या शक्ति का इस्तेमाल करेंगे कि यह प्रवृत्ति समझौते के रास्ते में न आये ।

में उन लोगों में से हूं जो ऐसा महसूस करते हैं कि वार्ता को पुन: शुरू करने की स्थिति पैदा हो गयी है । यद्यपि बहुत से लोगों ने निराशा व्यक्त की है परन्तु मुझे निराशा में आशा की एक किरण नजर आती है । और वह आशा की किरण यह है । पहले तो, अकाली दल के नेता श्री लोंगोवाल ने खुल्लमखुल्ला यह वक्तव्य दिया है कि वे अर्थात् अकाली दल शान्ति, साम्प्रदायिक सद्भावना और राष्ट्रीय अखण्डता के प्रति बचत बृद्ध है। मैं सोचता हूँ कि इस घोषणा के बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए । केवल यही नहीं अकाली दल ने पटियाला विस्फोट की आलोचना करते हुए एक बयान दिया है। अत: इससे एक अच्छी स्थिति बन जाती है जैसा कि आज की हालत है ।

जहां तक स्वर्ण मन्दिर में पुलिस भेजने का सम्बन्ध है, मैं कहता हूँ कि ऐसा निर्णय लेने से पहले आपको कई बार सोचना चाहिए—यहां पर मैं श्री स्पैरो से सहमत हूँ—यद्यपि कानून में इसकी व्यवस्था हो सकती है, परन्तु कुछ भावनायें परिपाटियां, कुछ प्रथायें हैं कुछ मूल्य हैं । और ऐसी कठिन स्थिति में इन मूल्यों और इन भावनाओं को कुचला नहीं जाना चाहिए ।

यह बात सही नहीं हैं कि श्री लोंगोवाल किसी चर्चा में भाग लेने के लिए सहमत नहीं थे । आप कहते हैं कि आप भी वार्ता के माध्यम से एक राजनैतिक दल निकालने के लिए तैयार हैं । परन्तु यदि आप मुझे अनुमतो दें तो मैं कह सकता हूं कि इतनी देर हो जाने के बाद भी आपका प्रति उत्तर पर्याप्त नहीं है मैं महसूस करता हूं कि आपके अन्दर वह राजनयिकता या बुद्धि होनी चाहिए जिससे आप शान्ति तथा साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए पर्याप्त प्रति उत्तर दिखा सके और जितना अधिक शीघ्र सम्भव हो सके समस्या समाधान हो सके ।

पंजाब की स्थिति में एक और महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है । अन्तत: केवल लोक तान्त्रिक तथा धर्म निरपेक्षता की शक्तियां ही इन विघटन कार्य तथा साम्प्रदायिक शक्तियों को हरा सकती है । अब तक हमें ऐसी लोकतान्त्रिक शक्तियां नहीं मिली हैं जो धर्म निरपेक्षता की रक्षा कर सके, प्रजातन्त्र को मजबूत बना सकें और बढ़ती हुई साम्प्रदायिकता से लड़ सके । परन्तु हाल ही में मुझे पता चला है कि कुछ शिक्षा विदों तथा बुद्धि जीवियों ने, जो सभी लोगों द्वारा सम्मानित हैं, आगे आकर स्थिति का सही संदर्श में विश्लेषण किया है और उन्होंने यहां बात बिल्कुल सही कही

हैं कि इसकी पहल ऐसे लोगों, पार्टियों तथा व्यक्तियों के हाथों में जा रही है जो इसके समाधान में कोई रुचि नहीं रखते। क्या आप कृपया इस पर ध्यान देंगे ? ऐसी स्थिति में पहल ऐसे हाथों में जा रही है जो एक मैत्रीपूर्ण समझौते में बिल्कुल रुचि नहीं रखते और इस स्थिति का आपको ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि संदेह, आशंकायें, भय तथा तनाव को फैलाया जा रहा है। शस्त्र एकत्र किये जा रहे हैं। तथा दोनों पक्षों के समझदार तत्त्वों में निस्सहाय की भावना पैदा हो रही है। पंजाब में आज यह वास्तविक स्थिति है।

अत: मैं आपका अधिक समय नहीं लूगा। मैं केवल आपसे यही प्रार्थना करुंगा कि क्या आप इस अवसर को समझाने की कृपा करेंगे। आपने वह अवसर खो दिया है जब इसका समाधान हो सकता था आपने समुचित ढंग से कार्य नहीं किया है। आपने बात को हाथ से निकल जाने दिया अब आप अपनी शक्ति तथा साहस को एकत्र करें तथा बुद्धि से काम लें व समुचित स्थिति का लाभ उठायें जैसी की अब उपस्थित है। और तुरन्त पुन: वार्ता शुरु करें। मैं महसूस करता हूँ कि सरकार को और विशेष रूप से प्रधान मन्त्री को अकाली नेताओं को इस विषय पर मंत्रीपूर्ण समझौते के लिए तुरन्त बातचीत शुरु करने के लिए निमंत्रण देना चाहिए वार्ता वहां से आरम्भ की जानी चाहिए जहां इसे छोड़ा गया था अर्थात जहां पर पिछली विपक्षीय चर्चा के दौरान कुछ निर्णय तथा समझोते किये गये थे। सरकार उसी को क्यों नहीं आगे बढ़ाती और तुरन्त समाधान निकालने के लिए आगे क्यों नही बढ़ती है ? धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद, श्री चित्त बसु। अब आचार्य भगवान देव।

मैं सभी सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जितना सम्भव हो सके संक्षेप में बोले ताकि मन्त्री समय पर उत्तर दे सके।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सिख धर्म के जन्म दाता गुरू नानक देव जी थे। पंजाब को लेकर वह इंसानित का पेगाम देते हुए मक्का मदीना तक पहुचे। बड़े-बड़े राजा महाराजा सुल्तान और बादशाह उनकी प्रेम की वाणी को सुन कर प्रभावित हुए और सिख धर्म संसार में छा गया और प्रेम से छा गया। एक तो वह सन्त थे और दूसरे वह सन्त है जो आजकल स्वर्ण मंदिर में बैठे हुए है और जो शस्त्र ले कर शैतानियत करके शासन करना चाहते हैं। गुरू नानक देव जी के साथ वाला और मर्दाना दोनो गए थे। मैं गृह मंत्री जी को सुनाना चाहता हूं क्योंकि बहुत प्रसिद्ध बात है। उनको शायद मालूम भी होगी। एक शैतानी की नगरी उनको मिली। गुरु नानक ने उनको आशीर्वाद दिया, बसे रहो। जो अच्छे आदमी थे उनको कहा कि उजड़ जाओ। मुझे लगता है गृह मन्त्री ने भी निश्चय कर रखा है कि शैतान स्वर्ण मन्दिर में बसे रहें, वहीं कैद रहें, जेल में रहेंगे तो उनको रोटियल खिलानी पड़ेगी लेकिन मन्दिर में रह कर कड़ाह प्रसाद वहीं का खाते रहे। परन्तु यह बात चलेगी नहीं।

सिन्धी गुरु ग्रन्थ साहब को मानते हैं, गुरुओं को मानते हैं। लेकिन वे दाढ़ी, खंजर नहीं रखते, बाल नहीं रखते : यह प्रसिद्ध कहावत है कि पैसा कई गुरुद्वारों में सिन्धियों का चढ़ता

है और कड़ाह प्रसाद सरदार लोग खाते हैं क्यों कि सिन्धी व्यापारी लोग श्रद्धा से वहां पैसा चढ़ाते हैं। मैं सब सिखों की बात नहीं करता हूं। लेकिन जो वहां बैठे हैं वे इस तरह की शैतानियत कर रहे है, जो उग्रवादी सिख हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूं।

आचार्य भगवान देव : उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। सिन्धी श्रद्धा से देखते है। दूसरी बात यह है कि आज उन लोगों की श्रद्धा गुरुद्वारे के प्रति ऐसे उग्रवादियों के कारण घट गई है, गुरुद्वारों में उन्होंने जाना बन्द कर दिया है। डैपुटेशन गृह मन्त्री, प्रधान मन्त्री तथा राष्ट्रपति जी से मिला भी है और उनसे कहा है उन्होंने कि हमारी श्रद्धा मत तोड़ों। वहां जो इस तरह के चन्द लोग बैठे हैं सिख भाइयों को चाहिए कि वे स्वयं पहल करें और गुरुद्वारे से इस प्रकार के तत्वों को निकालें।

स्वामी जी वहां गये जिन्होंने यह सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा कि लोंगेवाल कहते है कि खालिस्तान हमको नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए ? उपाध्यक्ष जी, 1956 से लेकर आज तक पंजाब की समस्या के साथ में भी जुड़ा हुआ हूं जब मास्टर तारासिंह और फतेह सिंह जी ने पंजाबी सूबा के लिये आन्दोलन चलाया। आर्य समाज की तरफ से भाषा से आधार जो हिन्दुओं की भाषा हिन्दी थी आर्य समाज ने आन्दोलन चलाया जिसमें गिरफ्तार कर के 4 दिन मुझे चंडीगढ़ जेल में रखा गया, उसके बाद साढ़े तीन महीने जालन्धर जेल मे रहा। तब से मैं इस के इतिहास को जानता हूं। परन्तु कुछ लोगों ने जो पंजाब के अन्दर परिस्थिति पैदा कर दी है, हिन्दू और सिख भाई जो सदियों से साथ रहे और हिन्दू धर्म की रक्षा के लिए जो बलिदान किया उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, उस आन्दोलन के आधार पर पंजाब का बंटवारा हो गया। पंजाब गुरुमुखी भाषाभाषी होगा। तो फिर खालिस्तान की कौन सी बात रह गई ?

जहां तक बात करने का सवाल है, यह विशेष घटना जो गतवर्ष 26 अप्रैल को घटी। मरी हुई गाय की गर्दन मन्दिर में रख दी गई, प्रधान मन्त्री उसी दिन तत्कालीन गृह मन्त्री, श्री जैल सिंह को आदेश दिया और उनके साथ हमें भी भेजा, नारायण दत्त तिवारी जी को भेजा, और गिरधारी लाल जी को, जो सनातन धर्म सभा के चैयरमैन हैं, उनको भेजा। हम विशेष प्लेन से वहां गये और उसी दिन रात को 9 बजे पहुंच कर 11 बजे मन्दिर और गुरुद्वारे पर गये वहां जो स्थिति पैदा की सिर्फ अकाली उग्रवादी उसके लिए जवाबदार नहीं हैं, बल्कि दूसरे भी संकीर्ण सामप्रदायिक विचारधारा वाले हैं जो होड़ में लगे हुए हैं। जो वहाँ पर हिन्दुओं के द्वारा जुलूस निकालना चाहते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया होती है जिसका प्रभाव पटियाला में भी पड़ा। और उस दिन जो झगड़ा हुआ, उसमें विस्तार से जाने का समय नहीं है, परन्तु वहां पर हिन्दू और सिख जो विदेशी ताकतों से मिल कर काम कर रहे है, और मेरा आक्षेय है सुब्रह्मण्यम स्वामी जी के ऊपर जो उन्होंने आज यहाँ पर बयान दिया है, उसने पंजाब की आग में घी डालने का काम किया है।

उनकी प्रवृत्तियां पर हमें संदेह हुआ है कि उनकी गतिविधियां देश के लिये खतरनाक

साबित होगी। उनका सम्बन्ध जिन जिन लोगों के साथ है, चाहे गंगा सिंह हो, जगजीत सिंह हो चाहे लाल डेंगा और फौजो का लन्दन वाला गठबन्धन हो और उसके साथ उनकी क्या सांठगांठ चल रही है, वहां यह जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं लोंगेवाल ने फरमान निकाला वहां पर कोई बन्दूक रख सकता। 24 घंटे में ही लोंगेवाल को वह वक्तव्य वापस लेना पड़ा।

क्या चलती है उसकी स्वर्ण मन्दिर में ? कुछ नहीं। वहां लोंगेवाल कुछ कहता है, तलवन्डी कुछ कहता है, बादल कुछ कहता है। किस पर विश्वास किया जाए ? धर्म के स्थान पर शैतानियत का काम हो रहा है। और आप जो बयान दे रहे हैं, मैं बागड़ी जी बधाई देता हूं उन्होंने ने उसी समय उनको टोका, क्योंकि इस तरह

* प्रोत्साहन देना देश के साथ गद्दारी है, देशद्रोह है।

जो पंजाब का बटवारा हुआ, हरियाणा का हुआ, और यह भी बता दूं अकालियों को प्रोत्साहन जनता पार्टी के साथ दिया गया, क्या यह बात सच नही है कि 1977 में जो पंजाब सरकार ने हरियाणा सरकार से आपस में पानी के सम्बन्ध में समझौता किया, और हरियाणा ने पैसा भी दिया, श्री बादल ने उसको स्वीकार भी किया, और आज वही बादल उस नहर को खुदवाने के लिए बाधा खड़ी करना चाहते हैं। इस तरह के शैतानो को प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता। चन्द लोग भारत के भाग्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते।

किसने दरवाजा बन्द किया भारत सरकार से बात करने के लिए ? प्रधान मन्त्री के पास प्रातः काल से ले कर शाम तक प्रतिनिधि मन्डल मिलते रहते हैं। हर बार बुलाया गया है, बात-चीत होती रही है प्रधान मन्त्री की, गृह मन्त्री की...

श्री हरीकेश बहादुर (गोरखपुर) : महोदय श्री बादल के विरुद्ध अपमान जनक शब्दों का प्रयोग किया गया है। उनको — * कहा गया। यह रिकार्ड में सम्मिलत नहीं किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड को पढ़ूंगा।

आचार्य भगवान देव : प्रधान मन्त्री और गृह-मन्त्री ने कभी भी दरवाजा बन्द नही किया हमेशा बात के लिए बुलाया। बात किस बात पर करनी है ? यह ठीक है, कि राजनीति का दाँव पंच खेला जा रहा है, कोई नहर का या जमीन का मामला नही है।

इन्द्रवेश जी ने कहा कि वहां खालिस्तान बनायेंगे। यहाँ भगतसिंह ने जो शहादत दी थी "भारत माता की जय" कहकर, क्या इसलिए कि खालिस्तान बनेगा ? क्या वह सिख नहीं था ? यह अलग बात है कि बाद में वह आर्यसमाजी बन गये और उसके चाचा अजितसिंह सरदार थे, दारासिंह जो उसके चाचा थे। लाला लाजपतराय आर्यसमाजी नेता, हिन्दुओं के नेता ने देश को

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

मिलाकर आजादी प्राप्त की क्या इसलिए कि आगे चलकर ऐसे ** देश का बटवारा करायेंगे ?

तलवन्डी, बादल और जरनैल सिंह दिल्ली की तरफ देखते हैं, शराशत करते हैं, उनका ध्यान कभी रावलपिंडी और नानकाना साहिब की तरफ क्यों नहीं जाता जहां के लिए उनको पास पोर्ट लेना पड़ता ? हिन्दुस्तान की राजगद्दी और बड़े से बड़ा दर्जा ज्ञानी जैल सिंह जी को दिया जो कि सरदार है राष्ट्रपति हैं। इस पार्लियामैंट को चलाने का काम संसदीय कार्य मन्त्री श्री बूटासिंह के पास है जिसके आधार पर यहां कार्य बनता है। रिजर्व बैंक का गवर्नर एक सिख को बना दिया, एयरफोर्स का जनरल एक सिख को बना दिया। हम सारे हिन्दुस्तान का तख्त और ताज सिखों को देना चाहते हैं, उनको जिसमें योग्यता हो, जो देशभक्त हो।

गद्दारों को प्रोत्साहन नहीं मिल सकता। ये कुएं के मेंढक बनना चाहते हैं। ये सावधान हो जाये, हिन्दुओं को झंझोड़ने की कोशिश न करें। एक बात हमारे विरोधी भाई ने कहा कि वीरेन्द्र जी जो पुराने कांग्रेसी हैं, मेरी उनसे बात हुई है। वह मजबूर हो गये हैं कि उन्हें अनशन करना पड़ेगा।

मैं गृह-मंत्री से कहना चाहता हूं कि अगर वीरेन्द्र जी ने अनशन किया तो पंजाब की स्थिति विचित्र बन जायेगी। उस पर ध्यान देना पड़ेगा। मैं इस हाउस के माध्यम से उनसे प्रार्थना करता हूं, वह मेरे दोस्त हैं, 30 साल से साथ काम कर रहे हैं, कि वह इस तरह का कदम न उठायें। आप भी उनको विश्वास दिलाइये कि जो पटियाला में हुआ है, उस कांड पर जो वहां की जनता चाहती है, उसको संतोष देने के लिए आप वहां जाइये। गृह-सचिव वहां गये, उन्होंने अच्छा पार्ट अदा किया है।

मेरी प्रार्थना है कि आप भी जाइये और उनको आश्वासन दीजिये। आर्यसमाजियों को पंजाब में बहुत बड़ी शक्ति है, गांव-गांव में आर्य समाजी हैं, 48 प्रतिशत हिन्दू पंजाब में हैं, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। यदि आर्य समाजी बिगड़ गये तो स्थिति विचित्र बन जायेगी। वह बिगड़ेंगे नहीं, यह हमें विश्वास है, परन्तु वीरेन्द्र जी को आपको आश्वासन देना पड़ेगा कि इस तरह का कोई कदम नहीं उठाइये जिससे हिन्दू और सिख आपस में युद्ध करें, कत्लेआम करें और खून की नदियां बहें, पंजाब की नदियों में हिन्दू और सिक्खों का खून न बहे, इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा।

जहां तक चण्डीगढ़ का सवाल है, उसके बारे में, मैं कहना चाहता हूं कि उसको केन्द्र शासित रहने दिया जाये। आप इसकी स्पष्ट घोषणा कीजिए। यदि आपने कोई कदम उठाया तो हरियाणा में असंतोष पैदा हो जाएगा। हिमाचल को भी तो अधिकार है. पानी का वहां भी झगड़ा है। आपको इसका भी फैसला करना पड़ेगा।

चण्डीगढ़ की प्रजा से आप अभिप्राय मांगिये और लोकशाही से जो अभिप्राय: वह दें उस आधार पर चण्डीगढ़ का आप फैसला कीजिए।

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्य वाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

एक बात अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां जो स्थिति आज है, वह बहुत भयंकर है और विचित्र है। उसको संतोष दिलाने के लिए, आग को बुझाने के लिये एक ही मार्ग मेरी दृष्टि में है। संसद कल समाप्त हो रही है, परसों के बाद कोई भी दिन आप निश्चित कर लें। लोक-सभा के स्पीकर माननीय श्री बलराम जाखड़, जो इस सदन के नेता हैं, जिसमें सब पार्टी के लीडर हैं, उनके नेतृत्व में सारी पार्टी के लीडर हम सब साथ मिलकर चण्डीगढ़ से अमृतसर चलें शांति और अहिंसा का कारवाँ बनाते हुए स्वर्ण मन्दिर में जायें। हम चाहते हैं कि वहां गुरु ग्रन्थ साहब का पाठ सुनें, गुरुवाणि का पाठ सुनें और वहां का कड़ा ही प्रसाद खाकर प्यार का कारवां बनायें।

हिन्दू सिखों के बीच में, जो एक मां-बाप की औलाद हैं, उनमें बंटवारा न हो। उसके लिए हर संभव कोशिश की जाए और मेरी प्रार्थना है कि आप विचार कर निर्णय करें कि लोक-सभा स्पीकर के साथ हम सब पार्टी के लीडर एक जलूस बनाकर पैदल शांति-कूच करते हुए चण्डीगढ़ से अमृतसर पहुंचे। अगर मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्यार के कारवां के सामने उन शैतान के सिर झुक जाएंगे और हिन्दुस्तान अखंड रहेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय मेरे मतानुसार पटियाला की घटना से पंजाब की स्थिति को नया मोड़ मिला है। मैं नया मोड क्यों कहती है, क्योंकि जहां तक हिंसा का सम्बन्ध है। अब तक सारी बात केवल व्यक्तिगत आक्रमणों तक ही केन्द्रित की। वह काफी बुरा था। परन्तु अब पटियाला में स्थिति ऐसी आ गयी है कि वहां पर हिन्दु तथा सिख समुदायों के बीच झगड़ा हुआ है। यह बहुत ही खतरनाक है क्योंकि यदि ऐसा होता रहा तो आसाम जैसी स्थिति पैदा हो जाने की संभावना है। अतः महोदय मैं कहती हूं। कि यह सभी के लिए गम्भीर चिन्ता की स्थिति है, विशेष रूप से सत्ताधारी दल के लिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती गीता मुखर्जी आप पहली वक्ता है जिसने पटियाला के बारे में बोला है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : जी हां! दुर्भाग्य से मुझे पटियाला का पुनः जिक्र करना पड़ेगा।

डा० सुबहमण्यम स्वामी : मैंने पटियाला के बारे में आपको बहुत से ब्यौरे दिए है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या आपने सुना नहीं?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मैंने नहीं सुना।

डा० सुबहमण्यम स्वामी : इसका अर्थ है कि आप सुन नहीं रहे हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय यह सभी सम्बन्धित पक्षों के लिए विशेष रूप से सत्ता-धारी दल के लिए एक चेतावनी है क्योंकि वे देश के ऊपर शासन कर रहे हैं कि समय तेजी से निकल रहा है। उनका उत्तर दायित्व सबसे अधिक है।

महोदय, मेंने देखा कि सभी समाचार पत्रों में यह समाचार था कि

पटियाला में पहले रामनवमी को झांकिया नहीं होती थी। इस वर्ष यह निकाली गयी थी। सभी समाचार पत्रों ने यह नोट किया था। कि पहले पटियाला में केवल गुरु तेग बहादुर का शहीद दिवस ही मनाया जाता था। जन्म दिन नहीं।

प्रेस के द्वारा यह भी नोट किया गया था कि हिन्दू सुरक्षा समिति का नाम एक संगठन है। जिसमें सत्ताधारी दल के सदस्य, गैर कम्युनिस्ट विपक्षी दलों के सदस्य सभी दलों के सभी सदस्य नहीं, परन्तु सभी दलों के कुछ सदस्य है। यह भी नोट किया गया कि जो व्यक्ति हिन्दु सुरक्षा समिति के सचिव हैं। सभी समाचार पत्र-पत्रिकाओं द्वारा भेंटवार्ता की गई परन्तु वह छिपे हुए हैं। और पकड़े नहीं गये।

पहले जब पंजाब पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। सिख अपराधियों के बारे में भी वैसा ही हुआ था। मैंने कहा था कि लाला जगत नरायण के हत्यारे को कैसे नहीं पकड़ा जा सका। ये सिख अपराधी क्यों नहीं पकड़े गये। अब यह आदमी नहीं पकड़ा जा सका क्योंकि उसे कांग्रेस (इ) का संरक्षण प्राप्त है। अब इन सभी गैर-कम्युनिष्ट विपक्षी सदस्यों तथा सत्ताधारी दल को अपने दिल पर हाथ रख का यह स्वीकार करना चाहिए। कि उनकी पार्टी कुछ हद तक साम्प्रदायिकता से बंटी हुई है। सब नहीं यहां पर उन सभी ने बोला है। क्या उन्होने एक ही भाषा बोली है जो कुछ श्री स्पैरों ने कहा है उसका जो श्री भाटिया ने अकाली नेताओं को वार्ताओं के लिए बुलाने के लिए कहा है, उसका सम्बन्ध है जो कुछ श्री जैन ने कहा है क्या उसकी जो कुछ सत्ताधारी दल के सदस्यों ने जो कहा है, उससे पूर्ण सहमति है। यह मैं कह रही हूं।

यह कुछ सत्य है। बड़े दुख के साथ कह रही हूं। यह अच्छी बात नहीं है कि गैर-कम्युनिस्ट विपक्षी दल तथा सतारूढ़ दल अथवा उनके कुछ वर्गो को बड़े पैमाने पर इसमें अन्तग्रस्त किया जा रहा है क्योंकि वह यथावच्छित नहीं है। यह वैसा नहीं है, जैसा होना चाहिए, और जैसा हम चाहते हैं।

लेकिन नम्रतापूर्वक और गर्व से मैं निश्चय ही यह कह सकती हूं कि कम्युनिस्ट दल ऐसा कह सकते हैं कि अत्याधिक खराब परिस्थिति के बावजूद भी उनके संवर्ग इस तरह विभाजित नहीं है। अत: मैं सभी दलों से अनुरोध करती हूं कि वे नम्रतापूर्वक इससे कुछ शिक्षा लें। पंजाब की गंभीर स्थिति का एक कारण संवर्गों का आपसी रूख तथा इन दलों के नेताओं का रवैया है।

अकाली नेता भी अपने तरीके से उग्रपंथियों के हाथों में खेल रहे हैं। लेकिन क्या यह देखना हम सब की जिम्मेदारी नहीं कि आपसी भेद कम हो यहां केवल श्री स्पैरो ने ऐसा कहा है कि उन्हें वार्ता के लिए कहा जाये। लेकिनसतारूढ़ दल के अन्य सदस्यों के वक्तव्य सुनने से मुझे लगता है कि संभवत: बातचीत के लिए आने का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी अन्य सदस्य ने ऐसा नहीं कहा है।

समय समय-समय पर हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहे हैं कि वार्ता होने बाकी है। समझौता होने वाला है। अथवा समझौते का अमुक आधार है। यदि ऐसा ही है तो और अधिक सतर्कता

क्यों बहीं बरती जा रही है ? पटियाला में ऐसे प्रदर्शन करने की अनुमति क्यों दी गई है। ये प्रदर्शन करने की आवश्यकता ही क्या थी जबकि एक दल त्रिशूल लेकर और दूसरा दल कृपाण लेकर आगे बढ़ रहा है और दो सम्प्रदायों के बीच सीधी मुठभेड़ करवा कर एक नया आयाम जोड़ दिया गया है।

क्या इससे बचा नहीं जा सकता था अथवा बचना नहीं चाहिए था ? इसका उत्तर कौन देगा ? क्या पंजाब सरकार और केन्द्र सरकार को भी इसका उत्तर नहीं देना चाहिये ? क्या उन्हें अधिक सतर्क नहीं होना चाहिये ? एक तरफ तो चमचागिरी की जा रही है। दूसरी तरफ ये सब हो रहा है। क्या इस विस्फोट स्थिति से निपटने का यही तरीका है ? नहीं।

मैं समझौते के विस्तार में नहीं जाना चाहती हूं। क्योंकि हमारे पहले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में, इन सब मुद्दों के सम्बन्ध में हमारे दल की स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। तब हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त व्यक्त की थी।

मैं उसे दोहराऊंगी नहीं, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि पहले की गई वार्त्ताओं के दौरान अधिकतर बातें पूरी हो चुकी थी। समझौता बहुत विस्तृत था। उन मुद्दों पर अटल क्यों नहीं रहते ? देखें अब क्या होता है।

श्री लोंगोवाल का कहना है : यदि मुझे निमंत्रण दिया जाता है तो वह आयेंगे। सत्तारूढ दल के सदस्य और मंत्री महोदय कहते हैं : उन्हें वार्ता के लिए आने दीजिए। उन्हें आमंत्रित कीजिए। यदि वह उसे अस्वीकार कर देते हैं तो उन्हीं की पोल खुलेगी। यदि नहीं अर्थात यदि वह उसे स्वीकार कर लेते हैं, तब अन्य बातें, जिनके विपक्षीय वार्ताओं के दौरान पहले ही करीब-करीब समाधान किया चुका है, बातचीत के दौरान पुनः दोहराया जा सकता है।

कठिनाई यह है कि इस पूरे प्रश्न के बारे में सत्तारूढ़ दल विभाजित है। वर्तमान स्थिति का एक कारण यह भी है। अन्यथा उसी दिन—जब अमृतसर जल रहा था, तब हम पंजाब से दिल्ली आते वक्त यह प्रश्न क्यों उठाते कि क्या श्री दरबार सिंह को ही वहां का मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए अथवा कोई अन्य मुख्यमंत्री लाया जाना चाहिए ? इसे प्रोत्साहन किसने दिया ? यह कैसा हुआ ?

यह कहना पर्याप्त नहीं है कि अकाली सत्ता के लिए लड़ रहे हैं। आप भी ऐसा कर रहे हैं। मैं किसी का समर्थन नहीं कर रही हूं ; लेकिन मेरा कहना है कि यह बहुत आवश्यक है कि ऐसी स्थिति बनाई जाये। जिसमें उग्रपंथियों को अकालिओं से पृथक किया जा सके। और उस उद्देश्य के लिए वार्ताएं पुनः करना बहुत महत्वपूर्ण है और यहां आपको अपने वे सभी प्रस्ताव रखने चाहिए, जिन्हें बातचीत के दौरान स्वीकार किए जाने की संभावना है।

यदि वे इसे नहीं सुनते तो, यदि आवश्यक हुआ, तो एक पक्षीय घोषणा कीजिए। ऐसा भी नहीं किया गया है। लेकिन कुछ नहीं किया जायेगा, न तो उन्हें उन मुद्दों के विस्तृत समझौते

के लिए बुलाया जायेगा, जिन पर हम सहमत हो सकते हैं ना ही इन मुद्दों को इसे देश के सिखों और गैर-सिख पंजाबियों और ना ही हरियाणा, राजस्थान के समक्ष रखा जायेगा। हम यहाँ हैं कि पंजाब में अगली बार सत्ता किसके हाथ में आयेगी। कांग्रेस के पास अथवा अकालियों के पास मैं अकाली नेताओं से अनुरोध करती हूं कि वे भी स्थिति के बारे में और अधिक व्यापक दृष्टि कोण अपनाएं। मैं इस बारें में नहीं जानती क्योंकि मैं स्वामी जी की तरह नहीं हूं कि मैं भ षण देती रहूं। यहाँ कई स्वामी है लेकिन ये विचित्र स्वामी डा० सुब्रहमण्यम स्वामी हैं। जैसा कि मैंने कहा हमारा दल वहां काफी विरोध कर रहा है, यह साहसपूर्ण विरोध है। अमृतसर में यहां तक कि वे समाचार पत्रों ने भी जो हमारे समर्थक नहीं है, यह रिपोर्ट दी कि अमृतसर के फकीर कम्युनिस्ट दम्पति ने हिन्दू-सिख एकता के लिए निडर होकर प्रदर्शन किया, जबकि अन्यों ने ऐसा नहीं किया। इसी लिए मैं इस बारे में कह रही हूं। मुझे खालिस्तान के संबंध में इन सब बातों की जानकारी नहीं है। मुझे विश्वास है कि उनमें से अधिकांश लोग पूर्णतया खालिस्तान के विरुद्ध हैं लेकिन साथ ही लोंगोवाल साहिब को यह भी बताना होगा कि श्री जगजीत सिंह चौहान ने प्रेस क्या टिप्पणी की थी। सभी समाचार पत्रों में यह रिपोर्ट दी गई है कि उन्हें संत लोगोंवाल से एक पत्र मिला था कि उन्हें यह मामला या तो संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाना चाहिये अथवा स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ में जाना चाहिए। इसका विरोध नहीं किया गया।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : (बम्बई उत्तर पूर्व) उन्होंने पत्र लिखा ही नहीं।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह संत लोगोंवाल पर निर्भर करता है कि वह इसके विरुद्ध आंदोलन करें। यह कहना अत्यावश्यक है कि ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया था। स्वर्ण मंदिर को अपराधियों से मुक्त करवाना अथवा उस मामले के लिए अन्य मन्दिरों या मस्जिदों को मुक्त कराना राष्ट्र का परम कर्तव्य है।

समय आ गया है जब श्रीमती इन्दिरा गांधी को साहस पूर्ण पहल करनी चाहिए तथा अपने दल को संगठित करना चाहिए। उन्हें केवल मां, मां कहने से तथा उनके चरणों में फूल अर्पित करने से बात नहीं बनती। उन्हें केवल इस प्रश्न के आधार पर अपने दल को संगठित करना चाहिए। जब अकालियों को मित्रतापूर्वक बुलाकर उनके साथ इन सब मुद्दों पर चर्चा करें। यदि अन्य प्रयत्न असफल रहते हैं तो एकपक्षीय घोषणा कर दीजिए।

यदि यह मामला इस सत्र के आरम्भ में उठाया गया होता जबकि हमने पंजाब की स्थिति पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा की थी, तो मुझे विश्वास है कि स्थिति इस समय भिन्न हो सकती थी। यदि आप इस पर चर्चा नहीं करते तो निश्चय ही यह विप्लव यहाँ आ जायेगा और आपको समाप्त कर देगा। यह आपको नहीं छोड़ेगा। मैं आशा करती हूं और मुझे विश्वास है कि यह काम किया जा सकता है। इसके पूरा होने की संभावनाएं हैं।

मैं आपसे निवेदन करती हूं और आपको चेतावनी भी देती हूं यदि इसे शीघ्र न किया गया तो निश्चय ही स्थिति और बिगड़ जायेगी। पंजाब में और पटियाला कांड बनने से रोकने के लिए राजनैतिक दृढ़ इच्छा और प्रत्यक्ष कार्यवाही होनी चाहिए तथा उनके समक्ष उचित प्रस्ताव

रखने के लिए उन्हें बुलाया जाना चाहिए ।

श्री केयर भूषण (रायपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, पटियाला की घटना के सम्बन्ध में जो चर्चा हो रही है उस पर सभी पार्टियों के प्रमुख लोगों के विचार सुनने को मिले और काफी जानकारी हुई । आज इस घटना ने एक साम्प्रदायिक रूप से लिया है। प्रतिदिन सवेरे उठ कर जब हम समाचार-पत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले हर भारतीय का ध्यान पंजाब में क्या हो रहा है, उस ओर जाता है ।

और जिस तरीके से पंजाब की घटनाएं बढ़ते-बढ़ते इस रूप में आई हैं, वह एक साधारण सी चीज नहीं है और इस से लोगों के मन में एक दहशत पैदा हो गई है । क्या यह जो रूप आया है, यह सिर्फ पंजाब के मसले से आया है? यह सोचने की बात है कि क्या यह चंडीगढ़ कहां रहे, इस मसले से आया है या पानी की समस्या से आया है या जमीन इधर से उधर होने के लिए आया है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो स्थिति आई है, यह केवल चडीगढ़ के मामले से नहीं आई है। चडीगढ़ पंजाब में रहे या चंडीगढ़ हरियाणा में रहे या चंडीगढ़ केन्द्र-शासित रहे, यह कोई सवाल नहीं है। इस के देश के बाहर जाने का सवाल नहीं है, यह यहां रहे या वहां रहे । मैं तो ऐसा समझता हूं कि देश के टुकड़े करने के लिए एक षडयंत्र के रूप में आया है यह सामने आया है । जो कुछ भी सामने रखा गया है, आप उन के भाषणों के अन्दर देखिये, ऐसा मालूम पड़ता है और एक साल पहले की बात है गीता मुखर्जी बहन ने उस समय भी यहाँ पर एक सवाल रखा था कि प्रदेशों को स्वायता का अधिकार दिया जाए इस सम्बन्ध में, तो उस समय भी हमारे मन में भाव उठे थे कि प्रदेश की स्वायतता के नाम से आगे-आगे बढ़ते हुए क्या अलगाव की स्थिति आएगी ? यह ठीक है कि प्रदेश के अन्दर विकास के लिए कुछ साधन चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे राष्ट्रीय एकता हमारी खतरे में पड़ जाए । हम लोग जो राष्ट्रीय आन्दोलन से जुड़े हुए हैं, उन के मन के अन्दर एक भयभीत भावना आती है क्योंकि हम यह देख रहे है कि एक प्रदेश में एकाधिकार की बात धीरे-धीरे चलते-चलते खालिस्तान की मांग के रूप में सामने आ गई है, ऐसा हम उस के अन्दर देखते हैं । हमें ऐसा मालूम पड़ता है कि अभी भी वहां के नेता यह कहते हैं कि अगर हम को हमारे अधिकार नहीं मिलेगें, तो हम खालिस्तान का भी समर्थन कर सकते हैं और खुले रूप में वे यह कह रहे हैं । इस लिए यह उन की कौन सी दिशा दिखाई दे रही है । वे यह भी कहते हैं कि हम इस के लिए आन्दोलन आन्तिम दम तक करेंगे, तो यह कौन सा भाव दिखाई दे रहा है । इन छोटी-छोटी समस्याओं के हल हो जाने के बाद क्या यह जो मांग है, वह समाप्त हो जाएगी जब कि यह साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि राष्ट्र के तोड़ने के लिए एक षडयंत्र हो रहा है । हमें इस के सिख समाज और हिन्दू समाज के झगड़े के नाम से देखना चाहिए । यह जो मसला है यह सिखों और हिन्दुओं का मसला नहीं है, यह एक राष्ट्रीय मसला है ।

जहां तक मेरा ज्ञान है, गुरु ग्रन्थ साहब के सम्बन्ध में, वह एक राष्ट्रीय ग्रंथ है औरराष्ट्र को जोड़ने के लिए गुरु ग्रन्थ साहब और सिख समाज ने जितना योग्यदान दिया है, वह एक स्मरणीय

चीज है। गुरु ग्रन्थ साहब के अन्दर सारे देश के, पूरे भारत के जितने संत हैं, उन सब संतों की वाणी, एक जगह एकत्रित हैं चाहे वे गुजरात के संत हों, चाहे बंगाल के संत हों, चाहे राजस्थान के संत हो, हिन्दू हो या मुसलमान हों और चाहे चमार हों या ब्राह्मणहो। सब की वाणी गुरु ग्रन्थ साहब के अन्दर एकत्रित है।

गुरुओं की वाणियों के साथ ही साथ सारे देश के जितने भी संत हैं, उन सभी धर्मों के संतों की वाणियां उस में हैं, इसलिए एक धर्म-निरपेक्ष अगर कोई ग्रन्थ है तो वह गुरु ग्रन्थ साहब है और उस के अनुयायी जो हैं, मैं यह बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि संतों की वाणियों को मानने वाले जो हैं, वे खालिस्तान की मांग कर के देश को विकृत करने जा रहे हैं या वे देश को विकृत करने का प्रयत्न कर रहे है। इसलिए आज हमारी जो लड़ाई है, वह देश-द्रोहियों से लड़ाई है और इसके लिए सारा राष्ट्र एक-तरफ है, सिख, हिंदू, मुसलमान और ईसाई जितने भी इस देश के अन्दर हैं, वे सब एक तरफ हैं और राष्ट्र को तोड़ने वाले एक तरफ हैं और हम सब को उन का मुकाबला करना होगा और मुकाबला केवल शासकीय स्तर पर नहीं बल्कि जन-स्तर पर भी किया जाना चाहिए। हमें राष्ट्र को एक करने के लिए उतनी ही तैयारियां करनी चाहिए, जितनी पंजाब के अन्दर देश को विकृत करने की तैयारियां रही है और हम सब इन बातों पर ज्यादा से ज्याद एक-मत के हों।

आज जिस ढंग से एक दूसरे की यहां आलोचना हुई उससे मुझे ताज्जुब हुआ। हमारी प्रधान मंत्री जो इस चीज को हल करने के लिए आगे आ रही हैं और सब अपोजिशन पार्टीज को आह्वान कर रही है कि वे भी इस राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए एकजुट हों। मैं भी यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम एक दूसरे की आलोचना करने के बजाए यह देखें कि कैसे इस समस्या का हल हो। हम इससे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न न करें। हम चाहे किसी भी पार्टी में हों, हम सभी को राष्ट्रीय आधार पर इस समस्या को देखना है और हल करना है। अगर हम इस राष्ट्रीय खतरे की ओर ध्यान नहीं देंगे और इस राष्ट्रीय समस्या से विचलित होंगे तो ह सभीम को बाद में पछताना होगा।

मुझें अभी तक याद है कि राष्ट्रीय आन्दोलन के समय इसी तरह से धर्म के नाम पर एक आन्दोलन खड़ा हुआ था। उस समय भी हम लोगों ने उस चीज को एक साधारण सी बात समझा था। लेकिन धर्म के नाम पर हुए आन्दोलन के कारण हमारे देश का बंटबारा हुआ। हमारा देश दो हिस्सों में बंट गया। उस समय भी जो धर्म के अच्छे ज्ञाता था, उनकी किसी ने बात नहीं सुनी लेकिन जो धर्म को जानते तक नहीं थे उन्होंने धर्म के नाम पर लोगों को बहुत भड़काया।

ऐसे लोग उस समय देशद्रोही बन गये और उन्होंने देश को तोड़ दिया। उस समय भी हम इस चीज को एक छोटी-सी चीज समझ कर देखते रहे उस समय हमारी छोटी-सी उम्र थी और हम लोगों को हरा झंडा ले कर निकलते हुए देखा करते थे। उन्होंने देश को तोड़ डाला। हालांकि उससे न देश की कोई लाभ हुआ और न उस काम को कोई लाभ हुआ। उस समय

भी सारे देश के लोग थोड़े से लोगों के हाथों में खेलने को तैयार हो गये।

हम उस समय भी उन थोड़े से लोगों का मुकाबला करने को तैयार नहीं हुए। अगर हम अब भी सचेत नहीं हुए तो वही स्थिति फिर आ सकती है। जितने भी हमारे राष्ट्रीय लोग हैं, चाहे वे हिन्दु हों सिख हों मुसलमान हों सब को राष्ट्र कर्त्तव्य के लिए एक साथ खड़े हो जाना चाहिए और इस समस्या का मुकाबला करना चाहिए।

मैं अपने वामपंथी भाइयो से भी निवेदन करूंगा कि आपने उस समय भी गलती की थी, आप अब भी वही गलती न करे। आपने उस समय भी काम के आधार पर, जातीयता के आधार पर देश के बंटवारे का ससर्थन किया था। आज उसी का नतीजा है कि हम आज पछता रहे हैं।

हमारे एक कम्युनिस्ट नेता ने कहा कि यह जो समस्या है इसके पीछे साम्प्रदायिक लोगों का हाथ है, विदेशी ताकतों का हाथ है। दूसरी ओर हमारी वहिन जी ने कहा कि हम राजनीतिक कारणों से आपस में झगड़ रहे हैं, और इसी कारण से वहां यह समस्या विद्यमान है। कहने को वे कुछ भी कहें लेकिन आज इन्दिरा जी की तरफ से सभी लोगों को यह आहवान है कि हमें देश कोबंटने नहीं देना चाहिए।

हमें इस समस्या को आपस में बैठ कर हल करना चाहिए। इस समस्या का समाधान निकालने में हम सभी को प्रधान मंत्री जी के हाथ मजबूत करने चाहिए।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय समस्या को हल करने के लिए जिस तरह से हमारी प्रधान मंत्री जी आगे बढ़ रही हैं, हम सब उनका साथ दें और आपस में मिल बैठ कर इस समस्या को हल करें। हमें साम्प्रदायिकता और साम्राज्यवादी ताकतों के षड्यंत्र को समाप्त करने के लिए अपनी प्रधान मंत्री जी के हाथ मजबूत करने चाहिए और इसके लिए हमसब इकट्ठे हो जाएं।

श्री हरिकेश बाहुदुर (गोरख पुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे सबसे अधिक समय मिलना चाहिए लेकिन में सबसे कम समय लूंगा। (व्यवधान)

मान्यवर भाषण तो बहुत हो चुके हैं। अगर भाषणो से इस समस्या का समाधान होना होता तो गया होता। इस सदन में कई बार बहस हो चुकी हैं। वास्तकिता तो यह हैं कि इस समस्या के समाधान के लिए सरकार में जिस पालिटिकल विल की आवश्यकता है, वह नहीं है। आज पंजाब में जो झगड़े हो रहे हैं उनका मुख्य कारण यही है कि समस्या को ठीक ढंग से हमारी सरकार सुलझना नहीं चाहती। यह बहुत ही दुर्भाभाग्यपूर्ण स्थिति है।

श्री बूटा सिह जी जा रहे हैं। क्योंकि वे इस प्रकार के वाक्य ज्यादा नहीं सुन सकते।

(व्यवधान)

किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक सिंह बहुत ही बुरी बात है। सांप्रदायिक हिंसा की जितनी भी निंदा की जाए वह थोड़ी है। इस सदन में कई बार सांप्रदायिक हिंसा की निंदा हुई है। सारे देश ने इसकी हिंसा की है और इस सदन के माध्यम से राष्ट्र की जनता ने इस प्रकार के साँप्रदायिक तनाव ओर हिंसा की बार-बार निंदा की है।

यह ही बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हैं कि हमेशा निंदा किए जाने के बावजूद सांप्रदायिक सद्भाव बनाने के जितने भी प्रयास किए जाते हैं, उसका असर नहीं हो रहा है।

यह बहुत ही आश्चार्य जनक स्थिति है कि पटियाला में हिन्दू और सिक्ख के बीच में झगड़ा हुआ। हिन्दू और सिक्ख के बीच में झगड़ा होने का प्रश्न मेरे खयाल से उपस्थित नहीं होता।

हिन्दू ही सिक्ख बने थे। हिन्दू संतों की श्रेणी में गुरूनानक देव को महान संत के रूप में माना जाता है। ऐसे और भी बहुत से महान लोग हुए हैं। जिन्होंने हिन्दू और सिक्ख समुदायों के बीच में एकता स्थापित करने और साथ लेकर चलने की कोशिश की। हमेशा से ये समुदाय साथ-साथ चलते रहे हैं। लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। पटियाला में जो कुछ हुआ है वह बहुत ही शर्मनाक घटना है माननीय गृहमंत्री जी को स्वयं वहां पर जाना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से पुराने जमींदार अपने कारिनों की निगाह से स्थिति को देखते थे उसी प्रकार यह सरकार काम कर रही हैं। आज वे जमींदार बराबद हो गए हैं। लगता नहीं है कि सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है।

जाँच करने के लिए जो आदेश दिए गए हैं, उसके बारे में कहना चाहात हूं कि यह जांच कतई निष्पक्ष नहीं हो सकती। हाई पावर ज्यूडिशियल इन्कवरी होनी चाहिए। किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज को इस इन्कवारी के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए। मंत्री महोदय इस बात की घोषणा करें कि घटना की न्यायिक जांच की जाएगी।

आज जो घटनाएं हो रही हैं उनके लिए मैं मुख्य रूप से इस सरकार को दोषी मानता हूं। भारत की आजादी के 36 वर्ष पूरे होने जा रहे और इन 36 वर्षों में 33 वर्ष कांग्रेस पार्टी ने शासन किया है।

आज कहा जाता है कि देश की एकता खतरे में है। जब तक हम थे तब तक कोई खतरा नहीं था। जैसे ही हम लोग हटे तो पंजाब और असम की समस्याएं आ गई। इस लिए मैं कहना चाहता हूं कि मौजूद शासकदल... । (व्यवधान)

वोट बटोरने के लिए कभी शिव सेना के साथ और कभी त्रिपुरा में युवा उपजाति समिति के साथ समझौता कर लेता है जिन के बारे में बराबर यह कहा जाता है कि यह राष्ट्र के हितों के विरुद्ध आचरण करने वाले लोग हैं...

श्री मनी राम बागड़ी : (हिसार) राष्ट्रपति के लिए अकालियों के वोट लिए थे।

श्री हरिकेश बहादुर : इस प्रकार से अगर काम चलता रहा तो मैं नहीं समझता हूं कि किसी भी हालत में सरकार उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है और उस समस्या को हल कर सकती है जो राष्ट्र की समस्या है।

जो विवाद है। उनका वार्ता के द्वारा समाधान खोजा जाना चाहिये। गृह मंत्री को चाहिये सरकार को चाहिये कि पहल करे इस माले में। दिल्ली रिकार्ड में कुछ ऐसे तथ्य छपे हैं जिन से लगता है कि अगर देश की ओर खास कर पंजाब की जो आज स्थिति है उसका समाधान सरकार ने मुस्तैदी के साथ पहल करके नहीं किया तो स्थिति भयंकर रूप धारण कर सकती है। इस में जो छपा है उसको में कोट करना चाहता हूं :

यदि पंजाब से बाहर रहने वाले सिखों को कुछ होता हैं तो पंजाब में रहने वाले हिन्दुओं को भी भुगतान होगा। हम लड़ाई करना नहीं चाहते लेकिन यदि उन्होंने विदेशों में रहने वाले सिखों को तंग किया तो हम यहां के हिन्दुओं को तंग करेगें।

यह भिडारांवाला का वक्तव्य है जो इस में प्रकाशित हुआ है इस प्रकार के वक्तव्य देने से मैं नहीं समझता हूं कि शान्ति और सदभावना का वातावरण बन सकता है।

कुछ दिन पहले कैरट में भी उनकी एक बात प्रकाशित हुई थी जिस में उन्होंने कहा था कि कि यदि स्वर्ण मंदिर में पुलिस घुसी तो खालिस्तान का बनाना लाजिम होगा इस प्रकार का वक्तव्य दिया जाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार के वक्तव्य की निंदा होनी चाहिए। सरकार की से ऐसी कोई बात नही होती।

आप यह भी देखें कि भिडारवाला से मिलने के लिए प्रधान मंत्री चुनाव के समय गई थी। यह भी महत्व पूर्ण बात है

भिडरावाला कहते हैं कि आई एम नाट वान टू बी ए कावर्ड। उनकी इस बात पर इस लिए आश्चर्य होता है कि प्रधान मंत्री 1980 के चुनाव के समय उन से मिलने के लिए गई थीं। आज भी मौका है उन से कुछ बात की जाए। लेकिन वह स्वर्ण मंदिर छोड़ कर बाहर निकलना नहीं चाहते यद्यपि उन्होंने कहा है कि आई एम नाट वार्न टू बी ए कावर्ड और प्रधान मंत्री भी वहां जाना नहीं चाहती हैं उन से बात करने के लिए उनकी हैसियत प्रधान मंत्री को पहले समझनी चाहिए थी जब वह उन से मिलने के लिए गई थी। अगर उन्होंने समझा होता तो वर्तमान पैदा नहीं होती।

अब हालत दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है। इस में एक आर्टिकल है जिस का हैंडिग है।

"दरबार सिंह पंजाब लाइबिलिटी"

रोजाना इस पर वहस होती है पिछली बार वहस के समय भी मैंने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि मुख्य मन्त्री ठीक नहीं या मौजूदा समस्या का समाधान वह नहीं

कर सकता है तो उन्हें वह हटा सकती है। जो झगड़ा हो रहा है इस से सारे देश की तबाह करना उचित नहीं है। हटाना चाहते है तो आप उनको फौरन हटाएं और किसी ऐसे व्यक्ति को वहां रखें जिस के वहां जाने से सद्भाव का वातावरण पैदा हो सके और इस समस्या के समाधान में आसानी हो सके।

अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि पटियाला की घटना की न्यायिक जाँच कराई जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री ए. के. राय बोलेंगे। आप अपना वक्तव्य केवल 5 मिनट में समाप्त करेंगे और आप अंतिम वक्ता है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आज के लिए आधे घंटे की चर्चा करना भी तय किया गया है। उसका क्या होगा ?

श्री ए. के. राय (धनबाद) उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय प्रक्रिया परेशान व्यक्ति को और भ्रम में डालने की कला है। और हम भी बड़ी कुशलता पूर्वक एक दूसरे को भ्रम में डाल रहे हैं।

महोदय, आप की भांति मैं भी दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों तथा कई स्वामी जी के वक्तव्य सुन रहा था, और हमने यह भी सुना कि एक दूसरे को भ्रमित किया जा रहा है।

हमें यहां केवल एक बात पर निर्णय करना है कि क्या पटियाला, कांड एक सांप्रदायिक कांड था क्या यह पंजाब में समूचे आंदोलन से संबद्ध है और पंजाब आंदोलन का लक्षण क्या है ? यह कोई मुद्दा नहीं है कि लोंगोवाल बड़ी नम्रता से बात करते है, भिंडरावाला बहुत ऊंचा बोलते हैं, कुछ उग्रपंथी हैं, कुछ नरम दल हैं, कुछ उदार हैं और कुछ प्रगातिशील संप्रदायिकतावादी हैं। लोगों ने कहा हैं कि वहां बहुत से प्रगतिशील तत्त्व हैं। अब सांप्रदायिकता के प्रति हमारा क्या रूख होना चाहिये ?

इस सरकार को उसकी घोषणा कर देनी चाहिए। हमने बिहार में कई न्यायिक जांच होते देखी हैं। हर छः महीने बाद वहां दंगे होते हैं। हर तीन महीने बाद न्यायिक जांच होती हैं। यहाँ तक कि 1970 में जमशेदपुर में भी हमने वैसा देखा। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से, जो बहुत सम्मान से यहां बैठे हैं, यह पूछना चाहता हूं कि साम्प्रदायिकता के प्रति आपका क्या रूख है ? आपको यहाँ उसे स्पष्ट करना चाहिए।

यदि आप बाजार में काला धन और सफेद धन एक साथ चालू रखते हैं तो काले धन के साथ आप भी समाप्त हो जायेंगे इसी तरह, यदि आप देश में साम्प्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता एक साथ बनाए रखेंगे तो आप पर साम्प्रदायिकता हावी हो जायेगी। साम्प्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता को एक साथ चालू मत रखिए। आइये हम इसका सामना करें। डरिये मत। आप डर क्यों रहे हैं ? डरने से हमारी हार हो सकती है। लेकिन हमें लड़ने के लिए तैयार रहना

चाहिए और हमें यह निर्णय लेना है कि हम साम्प्रदायिकता का सामना करेंगे। यदि अकाली आन्दोलन साम्प्रदायिक आन्दोलन है: तब इसके लिए कोई बातें नहीं की जानी चाहिए। यदि वह लोकतान्त्रिक आन्दोलन है, तो ठीक है।

यह बहुत अच्छी बात है। उन्हें इजराइल से चीन तक अनेकों स्थानों पर आमंत्रित किया जाता है। हमें उनके निमंत्रणों पर कोई ईर्ष्या नहीं है, लेकिन अकालियों को यह बाताना पड़ेगा कि क्या उनका आन्दोलन साम्प्रदायिक है या नहीं? यदि वह साम्प्रदायिक है—लोगोंवाल ने कुछ और ही कहा है: तो हमें इससे समझौता नहीं करना है। हमें उनसे संघर्ष करना है और हम उसका मुकाबला करेंगे।

मैंने बिहार में साम्प्रदायिकता को देखा है। वहां पर इस प्रकार के आन्दोलन रोजाना देखे जा सकते हैं। हम एक ऐसे क्षेत्र के हैं जहां सिक्ख गुरूओं का सम्मान किया जाता है। इस देश में टैगोर और अन्य महान लोग पैदा हुए हैं। हमें थोड़ी बहुत साहित्य की भी जानकारी है। हम उन सभी महान व्यक्तियों का आदर करते हैं। हम सिखों के सभी गुरूओं को जानते हैं। हमें यह देख कर बहुत क्षोभ लगता है कि श्री प्रकाश सिंह बादल "बादल का अभिप्रयाय वर्षा के देवता से है" और अन्य नेता राष्ट्रपति के पास उनका त्यागपत्र मांगने के लिए गए। अखिर क्यों? क्योंकि वे सिख हैं। अगर यह साम्प्रदायिकता नहीं, तो फिर क्या है?

आपने "डिसकवरी आफ इंडिया" पढ़ी है। डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी बहुत विद्वान आदमी हैं। उन्हे "डिस्कवरी आफ इंडिया पढ़नी चाहिए।"

श्री बापू साहिब पारुलेकर : उन्होंने पढ़ी है।

श्री ए. के. राय : उन्हें याद करना चाहिए।

पाकिस्तान आन्दोलन के जमाने में जिन्ना ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के लिए आपत्ति की थी।

वे कहते हैं, "कांग्रेस एक हिन्दू संगठन है।" प० जवाहर लाल नेहरू ने यह लिखते हुए आश्चर्य प्रकट किया था : "जिन्ना या मुस्लिम लीग यह कैसे कह सकती है कि हमारे संगठन में कौन-कौन होना चाहिए या हमारे संगठन का नेता किसको होना चाहिए? उन्होंने उससे समझौता नहीं किया लेकिन जिन्ना ने भी 1940 में अब्दुल कलाम आजाद के त्यागपत्र की मांग नहीं की। इस हद तक तो जिन्ना भी नहीं गए लेकिन अभी तक भी हम यह कहते हैं कि "वे बहुत लोकतान्त्रिक हैं, बहुत उदारवादी हैं और बहुत तर्कसंगत हैं। हमें उनके पास जाना चाहिए। यदि यह पंजाबियों के लिए है तो उन्हें सभी पंजाबियों को साथ लेना चाहिए। वे सिर्फ सिखों की ही बात क्यों करते हैं।

यदि यह एक लोकतान्त्रिक आन्दोंलन है तो इसे सभी पंजाबियों पर लागू किया जाना चाहिए। वे ऐसा क्यों नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूं कि वे सेवा.निवृत्त सिख सैनिकों

का भी आह्वान कर रहे हैं। यह क्या है ? इसका आशय क्या है ? क्या वे गलत कार्य नहीं कर रहे हैं ? हम जानते हैं कि वे गलत कार्य कर रहे हैं।

हम जानते हैं कि सिख बहुत बहादुर लोग हैं। हमने स्वयं भी यह स्वीकार किया है कि 30% सिखों को सेना में लिया जाना चाहिए जो उनकी संख्या को देखते हुए अधिक है लेकिन वे गलत कार्य कर रहे हैं, वे भूतपूर्व सिख सैनिकों को आह्वान कर रहे हैं। वे कहते हैं कि यदि पुलिस स्वर्ण-मन्दिर में घुसती है तो सभी सिख जो सशस्त्र सेनाओं और पुलिस में हैं, उनको भी संघर्ष करना चाहिए और सरकार के विरुद्ध हो जाना चाहिए यह क्या है ? उन्हें सभी पंजाबियों को और सभी शान्तिप्रिय लोगों का आह्वान करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमें अपने दृष्टिकोण से इसका निर्णय करना चाहिए। उन्होंने सभी तीरकों का आह्वान किया है।चाहे उदारवादी हो अथवा प्रगतिवादी हों अथवा अहिंसक। यह कहना बड़ा अजीब लगता है कि वे अहिंसक साम्प्रदायिक हैं। वे असम की बात करते हैं। असम में वे कहते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे हैं। वे सभी अहिंसक थे। क्या कभी कोई अहिंसक साम्प्रदायिकता हुई है ? जिन्ना भी अहिंसक थे। कलकत्ता के विशाल हत्याकांड के बाद उन्होंने गांधी जी से कहा था कि वे हिंसा नहीं चाहते। यह सुहरावर्दो से कार्यकर्ता थे। जिन्होंने ऐसा किया था। यही सिद्धान्त है।

भिंडरावाला एक अपराधी है, दूसरा 'वाला' चोर है। हमें निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिये और यही मैं कहना चाहता हूं संसदीय कार्यवाही देश को भ्रम में डालने की कला बन गयी है। हमें अपने आप को जानबूझकर भ्रमित कर रहे हैं। हमें एक राजनैतिक निष्ठा की जरूरत है। यदि आप में साहस नहीं है जैसा कि आप कहते हैं, "ठीक हैं मैं देश का गृह मन्त्री तो हूं लेकिन मैं डरता हूं।" हम इसे समझ सकते हैं, लेकिन ऐसी छुपाने वाली चीज क्या है ?

इस सरकार ने यह स्वीकार किया है कि हम पुलिस को भेजकर स्वर्ण-मन्दिर की पवित्रता का उल्लंघन नहीं करेंगे। इसका आशय है कि यह बात स्वीकार कर ली गई है कि अपराधियों को उसमें रखना पवित्रता का उल्लंघन नहीं है, लेकिन वहाँ यदि पुलिस पहुंच जाए तो यह पवित्रता का उल्लंघन है। इसका आशय यह है कि पुलिस अपराधियों से ज्यादा अपवित्र है। सरकार यह स्वीकार कर रही है। यदि पुलिस वहाँ जाती है तो मन्दिर अपवित्र हो जाता है लेकिन अपराधी वहाँ रहते हैं तो वह पवित्र रहता है। बड़ा अजीब सिद्धान्त है और इससे इस बात की पुष्टि हो रही है, क्योंकि एक बार जस्टिस मुल्ला ने एक बयान दिया था कि पुलिस देश की सबसे ज्यादा अपराधी ताकते हैं।

वे इस टिप्पणी को हटवाने के लिए उच्चतम न्यायालय में गये लेकिन वे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि पुलिस अपराधियों से भी ज्यादा खराब अपराधी है। यदि वे मन्दिर में जाते हैं तो मन्दिर अपवित्र हो जाता है। अब, आप ही ऐसा कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय, समय पूरा हो गया है।

श्री ए. के. राय : किसके लिए घन्टी बजती है। मैं नहीं जानता। अब प्रश्न यह उठता

है कि कौन अधिक शक्तिशाली है; कौन अधिक अपराधी है; औरकौन अधिक साम्प्रदायिक है?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि मैं घन्टी नही बजाता हूं तो वे कहेंगे कि मैं उससे डरता हूं।

श्री ए. के. राय : आपके द्वारा बजायी गयी घन्टी मुझे और अधिक बोलने के लिए प्रोत्साहित करती है। श्रीमान, वे कहते हैं, कौन अधिक साम्प्रदायिक है? आओ इसकी माप करें।

मैं कहता हूं कि आओ मीट्रिक प्रणाली का अनुसरण करें। हम सेठी और सुब्रह्मण्यम स्वामी को तौलते हैं। जो जितना भारी होगा वही उतना साम्प्रदायिक होगा। हमें कुछ पैमाने बनाने पड़ेंगे अन्यथा निर्णय कैसे होगा।

मैंने कांग्रेस की राजनीति देखी है और मुझे धनबाद जैसी सबसे ज्यादा विवादग्रस्त जगह पर उनसे अकेले ही लड़ने का मौका मिला है। मैं उनके चरित्र से परिचित हूं। वे साम्प्रदायिक हैं। वियतनाम युद्ध के संबंध में एक बार हमने कहा था कि उसमें कुछ पूर्व निर्धारित बढ़ोतरी हुई हैं। वे निश्चित रूप से साम्प्रदायिक हैं, क्यों? वर्ग संबंधी प्रश्न को टालने के लिए वे साम्प्रदायिक हैं, परन्तु वे यह भी नहीं चाहये कि ये चीजें उनके हाथ से निकल जायें। वे भी लड़े थे परन्तु अन्य सामंतीवादी पार्टियाँ, अन्य सत्ताधारी दल और अन्य गैर वामपंथी, गैर साम्यवादी पार्टियों ने तो इतना भी नहीं किया। यही परेशानी है और यही मतभेद है।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगा और यह बड़ा स्पष्ट उदाहरण है। सबसे पहले उनका चुनाव चिह्न "दो बैलों की जोडी था।" उन दिनों की आपको याद होगी।

इस का मतलब क्या है? इसका आशय कड़ी मेहनत और उत्पादन है। "दो बैलों की जोड़ी" का आशय है कि आपको काम करना है और उत्पादन करना है। इसके बाद उनके चुनाव चिन्ह, गाय और बछड़ों" हुए जिसका आशय है उपभोग और आपको काम करने की जरूरत नहीं है। जैसा कि वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमारे देश में प्रदर्शन उपभोग का कोई स्थान नहीं है परन्तु 'गाय बछड़ा' प्रदर्शन उपभोग का प्रतीक है। उत्पादन के वे दिन बीत गये अब तो उपभोग के दिन आ गये हैं। अब उनका चिन्ह है 'हाथ' जिसका आशय है असुरक्षा। जब तक देश में कुछ असुरक्षा नहीं पैदा की जाएगी तो 'हाथ' को लोग क्यों चुनेंगे। इसलिए उन्हें कुछ असुरक्षा और आतंक पैदा करना चाहिए ताकि लोग फिर से 'हाथ' को चुनें।

यह बहुत साधारण चीज है। चाहे यह पटियाला में हो या नेल्ली में। वे कुछ न कुछ असुरक्षा और आतंक की भावना पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग 'हाथ' को फिर चुने।

मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमें इस दफा स्वयं को धोखा नहीं देना है। यह देश

महान है, हमारी जिम्मेदारियां महान हैं। हम विरोधी लोग उनके लिए कोई चुनौती नहीं हैं, लेकिन उनके वक्तव्य एक चुनौती हैं, उनकी परम्परा एक चुनौती है, भारत का त्याग एक चुनौती है, भगतसिंह की विरासत एक चुनौती है। हमें समय के अनुसार कार्य करना है। हम लड़ाई हार सकते हैं, लेकिन हम जरूर जीतेंगे। साम्प्रदायिक के इस महत्वपूर्ण मसले पर किसी समझौते का कोई प्रश्न ही नहीं है। एक बार नेहरू जी ने इस सदन में कहा था : यह संसदीय कार्यवाही में हैं। साम्प्रदायवाद और जातीवाद इस देश में फासिस्टवाद है। हमें इसके साथ कोई समझौता नहीं करना है। डाक्टर के रूप में या सर्जन के रूप में आप बीमारी पहचानते हैं और इसका इलाज करते हैं। हम साम्प्रदायिकता के खिलाफ इस संघर्ष में आपके साथ सहयोग करेंगे आप इसके साथ समझौता करते हैं तो हम आपका जमकर विरोध करेंगे।

गृहमंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : उपाध्यक्ष महोदय, भाषण देने की बजाए यह बेहतर होगा कि मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूं।

सबसे पहले मैं श्री सुब्रनमण्यम स्वामी के प्रश्न का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि सी० आर० पी० एफ० वहाँ उस समय नहीं थी जब श्री अशोक कुमार मारे गये थे। यह पंजाब पुलिस थी। मैं उनके द्वारा व्यक्त किये गये इन विचारों से पूरी तरह सहमत हूं कि साम्प्रदायिक एकता न केवल पटियाला बल्कि पंजाब के अन्य भागों में भी खतरे में है और यह सुनिश्चित करने के उपाय किये जाने चाहिए कि पटियाला में साम्प्रदायिक एकता पुनः कायम हो जाए और साथ ही साथ यह खतरा अन्य स्थानों में न फैले।

इसके बाद उन्होंने कहा है कि कीर्तन, गुरुद्वारे में हो रहा था। इसके बाद में भी कुछ स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। जहां तक मेरी जानकारी है यह कीर्तन की आवाज गुरुद्वारे में से नहीं आ रही थी, बल्कि एक दुकानदार लाउडस्पीकर में एक कैसेट बजा रहा था। इसलिए हिंदुओं ने उस लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर आपत्ति की लेकिन उन्होंने गुरुद्वारे से प्रसारित किए जाने वाले कीर्तन पर कोई आपत्ति नहीं की। गुरुद्वारे के लाउडस्पीकर की आवाज पर समझौता हो चुका था और यह कम कर दी गयी थी। लेकिन उसी दौरान दोनों की तरफ से कुछ लोग आ गए और शुरू झगड़ा कर दिया।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी की तो यह आदत है कि वह भिंडरावाले और दल खालसा के सृजन के लिए कांग्रेस को दोष देते रहे हैं। मैं इस आरोप का खंडन करना चाहता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि दल खालसा चाहे जिसने भी इसे सृजित किया हो अन्ततः कांग्रेस सरकार द्वारा ही प्रतिबन्धित कर दिया गया है और खालिस्तान दल की राष्ट्रीय परिषद पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

इस प्रकार जहां तक भिंडरावाले का सम्बन्ध है, उनकी कुछ मामलों में तलाश है और उनके साथ बातचीत करने का या कोई समझौता करने का कोई प्रश्न ही नही है। वह एस० जो० पी० सी० के नेताओं से श्री संत लोंगोवाल से और साथ ही साथ श्री टोहरा और अन्य लोगों से

बात करने की कोशिश कर रहे हैं।

जहां तक एशियाड के दौरान हुई ज्यादतियों का संबंध है या पंजाब से आ रहे सिखों को हरियाणा में रोके जाने का संबंध है, मैं बार-बार सदन के बाहर और सदन के भीतर भी और साथ ही साथ त्रिपक्षीय वार्ताओं में भी इसके लिए दुख प्रकट कर चुका हूं। और हमने हमेशा ही यह ध्यान रखा है कि किसी भी समुदाय के सदस्यों को होने वाली असुविधा के स्वीकार नहीं किया जायेगा,

परन्तु इसका अनिवार्य रूप से यह आशय नहीं है कि सावधानी न बरती जाये परन्तु सावधानी इतनी भी अधिक न हो जाये कि यह शक्ति केवल कुछ ही हाथों में सीमित रह जाए और वे इसका दुरुपयोग करने लगे और वे इस तरह का दुरुपयोग करते हैं।

जहां तक बीड़ी सिगरेट और अन्य चीजों का सम्बन्ध है मैं यह बताना चाहता हूं कि जो मांगें मान ली गई हैं, उनमें ये बातें भी शामिल हैं कि कुछ निर्धारित क्षेत्रों में से न केवल बीड़ी और सिगरेट बल्कि शराब की दुकानें भी उठा ली गई हैं और यहां तक मांस की दुकानें भी उठाई जा रही हैं। परन्तु प्रस्तावित सीमा निर्धारित के अलावा, जहां तक स्वर्ण मन्दिर के आस-पास के क्षेत्रों का सम्बन्ध है, पंजाब सरकार ने स्वयं ही वहां बीड़ी और सिगरेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

इसी प्रकार उन्होंने मुझसे पंजाब का दौरा करने के लिए कहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि अब तक पंजाब के राजस्व मन्त्री सरदार गुरु दर्शन सिंह और पंजाब के ही खाद्य और नागरिक आपूर्ति मन्त्री श्री भगवान दास तथा दोनों ही स्थानीय संसद सदस्य श्री अमरेन्द्र सिंह और श्रीमती अमरजीत कौर पटियाला का दौरा कर चुके हैं और अब गृह सचिव ने दौरा किया है। और अब यह इच्छा व्यक्त की गई है कि :

मैं भी पटियाला का दौरा करूं। मुख्य मन्त्री ने दौरा कर ही लिया है तथा विधि मन्त्री वहां रविवार को गये थे। जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों को नोट कर लिया है और मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं पटियाला का दौरा करूंगा।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने फिर कहा है कि वहां हिन्दु उग्रवाद भी एक सामान्य सी स्थिति है। मैं उनके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वहां पर हिन्दू रक्षा समिति का जो नेता है वह जनता पार्टी का ही एक नेता है और वह कांग्रेस (इ) के साथ संबधित नहीं है।

श्री राजेश कुमार सिंह : (फिरोजाबाद) अपने किस माध्यम से जानकारी हासिल कर ली कि वे जनता पार्टी के लोग हैं ?

श्री प्रकाश सेठी : समाचार-पत्रों में आया है।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई उसे भी मानने के लिए तयार नहीं है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहाँ तक स्वर्ण मन्दिर में जाने और संत लोंगोवाल से मिलने का सम्बध हैं, मेरा यह कहना है । कि उन्होंने वहां जाने से पूर्व इस बात में मेरे बड़ी शालीनता बरती थी । परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि उनका दौरा-जब वह गुरु नानक निवास में गये, जिन कमरों में वह गये, लगता था कि यह दौरा पूर्व नियोजित दौरा हुआ था ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पार्टी के अपराधियों की क्या स्थिति है ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : पार्टी के अपराधियों के बारे में कुल मिलाकर, जो कुछ अपने कहा है, वह ठीक ही है ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : इसका मतलब है, वहाँ 18 नही हैं ।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : पांच या छः देश से बाहर हैं । एक की मृत्यु हो गई है ।

(व्यवधान)

जहां तक उनकी टिप्पणियो···

उपाध्यक्ष महोदय : डा० स्वामी इन आंकड़ों को कैसे जानते हैं ? उन्होने कुछ आंकड़े दिये और मंत्री जी ने उन्हें मान लिया । वह इसे कैसे जानते हैं ?

श्री प्रकाश चन्द सेठी : यह आंकड़े समाचार पत्रों में छप चुके हैं ।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : मेरा नाम स्वामी है । मैं हर चीज जानता हूं ।

(व्यवधान)

श्री प्रकाश चन्द सेठी : जहां तक जिस जाति का सम्बन्ध है, मैंने हमेशा कहा है कि जिस एक साहसिक जाति है, वे बहादुर लोग हैं वे बहुत उद्यमी हैं, बहुत मेहनती हैं, उन्होंने देश के लिए अनेकों बलिदान दिये हैं,

उन्होने सीमा पर मोर्चे पर दो लड़ाइयां लड़ी है । और इसीलिए किसी ने भी उन्हें विश्वासघाती अथवा राष्ट्र द्रोही नहीं कहा है । जहां तक सारी विश्व जाति का सम्बन्ध है कोई भी उन्हें यह नहीं कहेगा कि वे सभी खालिस्तान के समर्थक है । यहां तक कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के नेतृत्व और संत लोंगोवाल ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि वे खालिस्तान के पक्ष में नहीं है । लेकिन इसका यह आशय नहीं है कि कुछ वर्गों में खालिस्तान की मांग है ही नहीं । यह माँग है और इस मांग का समर्थन कुछ ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है जो देश के बाहर रह रहे हैं, उन्हें यहां से प्रेरणा मिल रही है और अभी गतिविधियों की कभी भी निन्दा नहीं की गयी है ।

जहां तक श्रीमती बराट का सम्बन्ध है उन्होंने मुझसे दो बातों के लिये कहा है । उन्होंने कहा है कि जो स्थिति पंजाब में बनती जा रही है, उससे न केवल देश की साँप्रादायिक एकता ही भंग होगी बल्कि इससे धीरे-धीरे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी नष्ट हो जायेगी । इसलिए, उन्होंने

एक तो यह सुझाव दिया है कि मुझे पटियाला जाना चाहिए और दूसरा यह है कि उन्होंने और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने, जिनका नाम मैं बाद में बताऊंगा, मांग की है कि एक न्यायिक जांच कराई जाये। जहाँ तक न्यायिक जांच का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहूंगा कि मैंने माननीय सदस्यों के विचारों को नोट कर लिया है। मैं स्वयं तो इसकी घोषणा नहीं कर सकता। तथापि मैं इसकी सूचना पंजाब सरकार को जरूर दे दूंगा और मुझे विश्वास है कि पंजाब सरकार इस पर कार्यवाही करेगी···

श्री राजेश कुमार सिंह : आप निश्चित बात बताई कि आप जुडिशल इंक्वायरी करने जा रहे हैं या नहीं ? स्टेट गवर्नमेंट तो आपके कहने पर ही चल रही हैं। (**व्यवधान**) यहां पर बार-2 बहस होती है, हम आपका भाषण सुन लेते हैं और दोबारा उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। (**व्यवधान**)

श्री प्रकाश चन्द सेठी : मैं निश्चित रूप से इस बात को मुख्य मन्त्री और राज्य सरकार के ध्यान में लाऊंगा और मुझे यकीन है कि वह इस मामले में समुचित कार्यवाही जरूर करेंगे।

श्री मनीराम बागडी (हिसार) : मुझे एक बात आपसे कहनी है। आपने राज्य सभा में एक बयान देकर सारे संसार भर में एक मनादी कर दी और उस का नतीजा यह निकला कि पंजाब के सारे लोगों ने हमसे शरण माँगी और कहा कि हम कहां जाएं। एक अविश्वास आप ने वायु-मन्डल में पैदा किया और अगर आज आप से इस बात को कहते हैं कि आप कुछ इस बारे में करें तो आप कुछ इस में कर नहीं सकते। इसके लिए जूडीशियल इन्क्वायरी की मांग हो रही है और श्री वीरेन्द्र ने आमरण भूख हड़ताल का नोटिस दे दिया है। आप यहां पर इस बारें में कोई फैसला कर के नहीं आए हो जबकि आप को पार्लियामेंट को फेस करना था। फिर आपकी बात सुनने का क्या फायदा रह गया है। आप यहां पर पक्की बात कहें कि जूडीशियल इन्क्वायरी हाई कोर्ट के द्वारा होगी वरना मैं तो यह थोथी बात सुनने के हक में नहीं हूं। मैं सदन से वाक आउट करता हूं क्योंकि फिजूल की बात सुनने से कोई फायदा नहीं है।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जो बागड़ी जी को अच्छी न लगे। लेकिन मैं कोई सार्थक बात कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि यह मामला राज्य सरकार के हाथ में है और हम निश्चिय ही ··

श्री मनीराम बागडी : आप पूछ कर क्यों नहीं आये। यह तो आपको निर्णय कर के आना चाहिए था। आपको पार्लियामैंट को फेस करना था।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने प्रश्न कर दिया है और उन्होंने उत्तर दे दिया है···आपको उन्हें उत्तर देने से नहीं रोकना चाहिए। क्या वह उत्तर न दे—

श्री मनीराम बागड़ी : तो हम इस सवाल पर वाक आउट करते हैं। पार्लियामैंट में जवाब देने से पहले आपको पक्का होकर आना चाहिए था। उपाध्यक्ष जी इसलिये हम इस सदन से वाक आउट करते है— (**व्यवधान**)

(इस समय श्री मनीराम बागड़ी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठकर चले गये।)

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप पर निर्भर है। यह कोई तरीका नहीं हैं। आप नियम 193 के अधीन चर्चा चाहते हैं और तब···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ उन्होंने कहा है उसे रिकार्ड न दिया जाये।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने हम पर यह आरोप लगाया है कि हम गैर कांग्रेस (आई) सरकारों को गिरा रहे हैं। अब आप देख ही रहे हैं कि कितनी गैर कांग्रेस (आई) सरकारें हमारे देश में काम कर रही है। तमिलनाडु कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में गैर कांग्रेस (आई) की सरकारें हैं। जब त्रिपुरा में कुछ निगरानी करने के आदेश दिये गये थे तो त्रिपुरा के मुख्य मन्त्री ने यह आशंका व्यक्त की थी कि हम राष्ट्रपति शासन लागू करने जा रहे हैं और वहां चुनाव नही कराना चाहते। मैंने उन्हें साफ साफ यह आश्वासन दिया था कि वहाँ राष्ट्रपति शासन नही लागू किया जायेगा। हम किसी भी गैर कांग्रेस (आई) की सरकार को गिराना नहीं चाहते। हम उनके साथ शांति से रहना चाहते हैं। उनकी कठिनाईयों को दूर करने में हम जितनी भी सहायता कर सकते हैं, करना चाहते हैं···

प्रो० रुपचन्द पाल (हुगली, उन्होंने केरल में 1959 का और पश्चिम बंगाल का उल्लेख किया है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं तो वर्तमान की बात कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : पीछे की बात मत करो आगे की सोचो।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उन्होंने यह भी पूछा है कि इस सम्बन्ध में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैं बताना चाहता हूं कि अब तक 348 मामले पंजीकृत किये गये हैं और 1013 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

मैं चक्रवर्ती की धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने धार्मिक संस्थाओं और धार्मिक नेताओं से अपील की है कि वे धार्मिक संस्थाओं को अपराधियों के लिए शरण-स्थल न बनायें।

जहाँ तक वार्ता के लिये विभाग का सम्बन्ध है अनेकों माननीय सदस्यों ने इस पर विचार व्यक्त किये हैं। अब यह बात सर्व विदित है कि हमने इस मामले में अनेक बार पहल की है। सबसे पहले प्रधान मन्त्री ने उनसे बात की थी। यह वार्ता सफल नहीं हुई। तब उन्होंने एक मंत्री मन्डली समिति का गठन किया। उस समिति ने उनसे अनेकों बार बातचीत की। एक मौके पर उन्होने कहा कि चण्डीगढ़ में बातचीत होनी चाहिए। हमने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बताया हम चण्डीगढ़ दो बार गये और विचार विमर्श किया और अन्ततः यह इच्छा व्यक्त की गई कि त्रिप-

क्षीय वार्तायें होनी चाहिए। हम तत्काल ही इस सुझाव पर सहमत हो गये। हमने त्रिपक्षीय वार्ताये की और मैं विपक्षी दलों के उन नेताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इन त्रिपक्षीय वार्ताओं में भाग लिया। उनका रवैया सहयोग पूर्ण था और उनके हस्तक्षेप के ही कारण बहुत से मतभेद कम हो गये थे। यदि ये वार्तायें जारी रहती है और यदि अकालियों ने यह न कहा होता। अब से वे इन वार्ताओं में शामिल नहीं होंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि कुछ न कुछ हल जरूर निकल आता।

जहां तक अकाली नेतृत्व को वार्ता के लिए आमंत्रित का सम्बन्ध है, मैंने बार-बार यह कहा है कि प्रधानमंत्री और केन्द्रीय सरकार ने हमेशा ही वार्ता द्वारा समझौते प्राथमिकता दी है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं।

लेकिन, में बातचीत इस बार निराशा के वातावरण में नही समाप्त होनी चाहेंगे। इसलिए, हमारा यह उद्देश्य है। कि उन्हें वार्ता के लिए वास्तविक रूप में औपचारिक निमंत्रण भेजने से पूर्व, खास-खास प्रश्नों पर वैचारिक मतभेदों अर्थात् जल-विवाद और क्षेत्रीय विवाद को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाय था, इस रूप में ले आया जाये। जिससे कि अंततः समस्या का समाधान निकल आये।

और जब वे वार्ता के लिए आयेंगे। तो वार्ता इसी प्रश्न के आस-पास रहेगी और असफल नही होगी, क्योंकि उन्हे बुलाने के बाद यदि बातचीत टूटती है तो यह अत्यंत निराशा जनक स्थिति होगी और यह स्थिति वर्तमान स्थिति से कही ज्यादा भयंकर हो जायेगी। इसीलिए जैसा कि मैने पिछली बार बहस होते ही कहा था। कि हम मुख्यमंत्री के अमरीका- से वापस आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। और जैसे ही वह वापस आये थे, हमने हरियाणा और पंजाब दोनों के ही मुख्यमंत्रियों को बुलाकर बात की।

कुछ संकायें समाप्त हो गई और अकाली नेतृत्व को कुछ फार्मूले भी भेजे गये। उसे कल तक उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाने की आशा है। इसलिए हम इस बारे में कार्यवाही कर रहे हैं। हमारे इस मामले को कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाया है और हम इस प्रश्न को शांतीपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं ताकि इस समस्या का कोई अंतिम हल निकल सके।

महोदय, प्रो० पाराशर ने भी पटियाला दौरे में के बारे में एक प्रश्न किया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार को पहल करनी चाहिए। तथा सन्त लोगोंवाल को आमंत्रित करना चाहिए। उन समस्याओं एवं अशंकाओं के बारे में जो उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बारे में बताई है. यह कहना है कि वार्ता के दौरान, अकाली नेतृत्व इस बात पर सहमत हो गया है, कि जहां तक हिमाचल प्रदेश पर अर्थक्षेत्रीय दावों का सम्बन्ध है, वे अपने दावे छोड़ देंगे। इसलिए, जहां तक हिमाचल प्रदेश के हियों को किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है और इसलिए, इन्हें इस वजह से डरने को जरूरत नहीं है।

प्रो० नरायण चन्द्र पाराशर (हमीरपुर) : मेरा सीधा सा प्रश्न यह है कि चण्डीगढ़ में

हमारा हिस्सा 7.2 प्रतिशत है। हम चण्डीगढ़ में कोई भी क्षेत्र नहीं चाहते, लेकिन हिमाचल प्रदेश को नकद क्षतिपूर्ण तो हो जानी चाहिये।

जब यह संयुक्त पंजाब था तब हिमाचल प्रदेश के लोगों ने इस राजधानी के निर्माण में योगदान दिया था। और यह पंजाब हरियाणा और पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों की संयुक्त राजधानी था। इसलिए, भारत सरकार को हिमाचल का उचित हिस्सा दिया जाना चाहिये।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक श्री के० के० गोयल का सम्बन्ध है, उन्होंने हम पर आरोप लगाये हैं। कि हम कमजोर हैं। और उन्होंने कहा है कि हम किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने में अक्षम हैं ·· (**व्यवधान**)

जहां तक इस युवक की मृत्यु का सम्बन्ध है, मुझे यकीन है कि सही तथ्य जरूर मालूम हो जायेंगे। मैंने न्यायिक जांच के बारे में कहा है।
श्री हरिकेश बहादुर, श्री के० के० गोयल और कई अन्य सदस्यों तथा मैंने भी इसके बारे में कहा है। हम निश्चित ही यह जांच करायेंगे। मैंने यह भी आशा व्यक्त की है कि पंजाब मुख्यमंत्री इस मामले में समुचित निर्णय करेंगे। इसलिए, मैं नहीं समझ पाता कि श्री बागड़ी ने यही मौका वाक-आऊट के लिए चुना। यह प्रतीत होता है कि वह शुरू से ही डा० सुब्रहमण्यम स्वामी ने टकरा रहे थे और इसलिए वह यहां आराम से नहीं बैठ पा रहे थे।

डा० सुब्रहमण्यम स्वामी : उनका कोई कार्यक्रम था।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : श्री आर० एल० भाटिया ने कहा था कि उनके द्वारा नियुक्त की गई जांच समिति केवल एक धोखा है। हमें यह मानकर चलना चाहिये कि जो कुछ वह कह रहे हैं सभी है और इसलिए, हमें यह नहीं कहना चाहिए कि यह एक धोखा है। हम उनमें थोड़ा परिवर्तन देख रहे हैं। और इस सीमा तक हम इसका स्वागत करते हैं। मुझे आशा है कि यह वास्तव में ही जांच समिति होगी और उन अपराधियों का पता लगायेगी जो वहां रह रहे हैं।

स्वामी इंद्रवेश ने यह आशंका व्यर्थ की है। कि पंजाब एक ज्वालामुखी बन चुका है। यह वास्तव में ही तनावपूर्ण है लेकिन मैं इसे ज्वालामुखी मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

पंजाब में हिन्दू और सिख लोग सदियों से भाई-भाई की तरह मिल-जुल कर रहे हैं और मैं नहीं समझता कि वे एक ऐसे मोड़ पर आ चुके हैं जहां हिन्दू और सिख का सवाल पैदा हो गया है वे शांति से रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि खालिस्तान के निर्माण को कोई रोक नहीं सकता। कोई भी सच्चा भारतीय चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का, खालिस्तान के निर्माण का विरोध ही करेगा और इसलिए खालिस्तान के निर्माण का डर किसी के भी दिमाग में नहीं होना चाहिए। श्री मणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के नेतृत्व और संत लोंगोवाल के विचारों से अब मुझे आशा है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि अधिकांश सिखों के विचारों से यह स्पष्ट है कि वे लोग खालिस्तान नहीं चाहते।

श्री चन्द्रजीत यादव ने न्यायिक जांच को प्रश्न पर पुनः जोर दिया है जिसका मैंने उत्तर

दे ही दिया है। जहां तक पंजाब के प्रश्न को हल करने का सम्बन्ध है, मैंने बता दिया है कि हमने विगत में क्या कदम उठाए थे और हम अब क्या कदम उठा रहे हैं और भविष्य में किन कदमों के उठाए जाने की सम्भावना है। श्री वृद्धि चन्द्र जैन चाहते हैं कि हम उग्रवादियों से लड़ें। उन्होंने रावी-व्यास का प्रश्न भी उठाया है।

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक राजस्थान के हितों का सम्बन्ध है, मूलत: अपनी मांगों में राजस्थान के हितों के लिए दावा किया जा रहा था लेकिन त्रिपक्षीय वार्ता के दौरान वे अंतत: इस बात पर तैयार हो गए हैं कि 1955 को पुराने करार में, जिसमें राजस्थान को रावी-व्यास जल का उपयोग करने का अधिकार दिया गया था, कोई संशोधन नहीं किया जाएगा और 1981 तथा 1876 की शर्तों पर ही पुन: विचार होगा और उनके बारे में पुन: निर्णय लिया जाएगा।

इसलिए जहां तक राजस्थान का पानी के दावों मे सम्बन्धित प्रश्न है उस सीमा तक उसके हितों पर कोई आंच नहीं आएगी।

महोदय, मैं श्री स्पेरों को उनकी बेहतरीन वक्तव्य और उनके अच्छे सुझावों के लिए धन्यवाद देता हू। उन्होंने मुझे पटियाले का दौरा करने की भी सलाह दी है। वह यह भी जानना चाहते हैं कि हमने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किये हैं। जहां तक पटियाले की स्थिति का सम्बन्ध है। मैं यह बताना चाहता हूं कि अशांत क्षेत्रों से स्थानीय पुलिस को हटा लिया गया है। और सी० आर० पी० एफ० को तैनात कर दिया गया है। हम यह कोशिश कर रहेहैं कि पटियाला से शीघ्र से शीघ्र साम्प्रदायिक एकता पुन: कायम हो जाए और मेरी जानकारी के अनुसार जहां तक कर्फ्यू का सम्बन्ध है, हमने आज सुबह कुछ घण्टों की अर्थात् सुबह 8-30 बजे से 11-00 बजे तक की ओर फिर शाम 3.00 बजे से 6-00 बजे तक की ढील दी गई है और कर्फ्यू उठाए जाने के दौरान किसी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। इसलिए, धीरे-धीरे उपाय किये जा रहे हैं और गृह सचिव के दौरे के बाद शान्ति समितियों को भी आमंत्रित किया गया था और उन्होंने कार्य करना शुरू भी कर दिया है।

महोदय, श्री चित्त बसु जी ने हमे सलाह दी है कि गुरूद्वारो में पुलिस भेजने से पहले हमें इस पर कई बार सोच लेना चाहिए।

श्री चित्त बसु : मैं आपको कोई सलाह नही दी, मैंने तो अपने विचार व्यक्त किये हैं।

प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय इस संबंध में. सबसे पहले यह कहूगा कि राज्य सभा में कुछ दिन पहले दिये गये मेरे वक्तव्य को गलत उदतधृ किया गया हैं। यदि आप मेरा वक्तव्य पढे तो मैं इसमें अल्टीमेटम शब्द का प्रयोग कभी नही किया। यह मेरा सबसे अधिक मैत्रीपूर्ण वक्तव्य था और हम हमेशा यह कहते हैं यधपि कानून हमें गुरूद्वारो में घुसने से नहीं रोंकता, परन्तु परमपरा ऐसी है।

कि हम गुरुद्वारो में घुसते नही है। फिर भी मैं यह अपील करूंगां। और मैं शिरोमाणी गुरु

द्वारा प्रबंधक समिति के नेताओं और संत लोगोंवाला सेयह अपील करता रहगा कि यदि गुरूद्वा में कोई वास्तविक अपराधी हैं। जिससे वे इनकार कर रहे हैं। तब उन्होने कानून और व्यवस्था प्राधिकारियों के साथ सहयोग करना चाहिए और अपराधियों को उन्हें सौप देना चाहिये उनकी कानून और व्यवस्था बनाये रखने की साख और उनके हिसा की निन्दा करने की बात राष्ट्र के समय अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए।

आचार्य भगवान देव चाहते थे कि मैं दुबारा पटियाला जाऊ। महोदय, श्रीमती गीता मुखर्जी ने पूछा है कि लाला जगतनारायण के हत्यारों का क्या हुआ। इस मामले के बारे में मैं पहले बता चुका हूं और मैं ही बात फिर कहूंगा कि नच्छत्तर सिह और स्वर्णसिह को गिरफ्तार कर लिया गया था और उनका चलान कर दिया गया हैं

उन्होने एक और प्रश्न यह पूछा हैं कि ऐसी स्थिति थी तो फिर जलुस निकालने की अनुमति दी गई। महोदय हमारी जानकारी के अनुसार जलुस इस लिए निकालने की अनुमति त दी गई दोनो जलुसों के नेताओं ने स्थानीय प्राधिकारियो कों यह आश्वासन दिया था कि जलुस शांतिपूर्ण होंगी और कोई अप्रिय घटना नही होगी।

श्री केयूर भूषण ने ठीक ही कहा है कि हमें इस समस्या को सिख और हिन्दु समस्या नही समझाना चाहिए यह वास्तव में एक राष्ट्रीय समस्या है और इसका समाधान करने के लिये उदार रवया अपना कर किया जाना चाहिए। उनके इस विचार के लिए में उनका धन्यवाद करता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर ने सही कहा हैं कि केवल भाषण देने से समस्या हल नही हो जायेगी यही बात हैं उनसे कहूगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होने यह बात भाषण के माध्यम से कही हैं।

श्री प्रकाश चन्द सेठी : वे यह कहते हैं कि इसके लिए सरकार की राजनैतिक इच्छा की जरूरत हैं अब जहां तक सरकार का संबंध हैं मैंने पहले जो कुछ कहा हैं उसके बारे में संक्षेप में बता दिया है। मैंने यह भी बता दिया है कि अब क्या हो रहा है मैने यह भी कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है इस समय हम बहुत उत्सुक है कि हम उन्हे बातचीत के लिए आमन्त्रित करे तो बात चीत का परिणाम अवश्य निकालना चाहिए और उसे समाधान भी यह निकालना चाहिए इसलिए उनको बुलाने से पहले हम संघर्षरत दलों के बीच कुछ हल निकालने का प्रयास कर रहे है

उन्होंने भिंडरांवाला के कुछ बयान पढ़े है जहा तक भिंडरां वाला के कुछ बयानों या अन्य बयानों का संबंध है जिनसे स्थिति भड़कती है उनके बारे में मैं यह कहूंगा कि उनको कोई भी पसंद नही करता और प्रत्येक व्यक्ति ने उनकी निन्दा की है। सरकार ने भी उनकी निन्दा की है श्री ए० के० राय ने -

श्री बापूसाहिब परुलेकर (रत्नागिरि) अब आप भ्रम दूर कर दीजिये।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं यह कहूंगा कि श्री ए० के० राय ने और भ्रम पैदा कर दिया है।

श्री बापू साहिब परुलेकर : यह क्यों नही कहते कि उन्होंने इस भ्रम को व्यग में बदल दिया है

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसे व्यगात्मक रुप से उलझा दिया हैं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं इस ढ़ग का वास्तव में सम्मान करता हू इस समय नहीं, परन्तु कई बार जब वे बोलते हैं जिसमें वे गम्भीर समस्या के बहुत ही मजाकिया ढ़ग से पेश करते है

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : उस समय इस मजाक की बहुत जरूरत थी ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : महोदय जहां तक सम्प्रदायिकता में विश्वास करने या न करने संबंधी इस प्रश्न का संबंध हैं, मैं यह कहुंगा कि जहां तक कांग्रेस का संबंध है हम हमेशा साम्प्रदायिक्ता के खिलाप रहें है। हम धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते है हम सभी प्रकार की साम्प्रदायिकता के खिलाफ है हम न केवल धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते है बल्कि हम शान्ति और प्रेम में विश्वास करते है मैं नहीं समझता कि इस आनदोलन ने ऐसा मोड़ ले लिया है कि···

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र पाँडे : चड़ीगढ़ वाले सवाल पर आपने कुछ नही कहा । कई सदस्यों ने कहा कि इसको केन्द्र शासित रखा जाए ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : चंड़ीगढ़ का सवाल अलग से नही है वह जुड़ा हुआ हैं पंजाब की समस्या से ।

इसलिए, मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हू जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है

सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री महोदय के मैत्रीपूर्ण उत्तर के लिए मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए ।

———

आधे घण्टे की चर्चा

कारों के मूल्यों में वृद्धि

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर आते हैं । श्री के० लकप्पा ।

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : यह चर्चा देश में कारों के मूल्य में वृद्धि सम्बन्धी प्रश्न संख्या 355 के उत्तर में पैदा हुए प्रश्नों पर आधारित है। इस समय जो उत्तर दिया गया था वह पूरा नहीं था इसलिए, दोनों ओर के सदस्यों ने इच्छा प्रकट की है कि इस मामले पर गहन रूप से चर्चा होनी चाहिए । इसीलिए यह चर्चा हो रही है ।

उस दिन भी माननीय मन्त्री जी ने कारों के मूल्यों में वृद्धि सम्बन्धी मेरे प्रश्न का उत्तर दिया । हाल ही में दिये गए वक्तव्य में उन्होंने अपने विचार स्पष्ट रूप से प्रकट किए है। उन्होंने कहा है कि कार के मूल्य बहुत अधिक हैं । उनके हाल ही के वक्तव्य में, माननीय मन्त्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कार के मूल्य न्यायसंगत नहीं है । सदन के लाभ के लिए मैं इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहूंगा रिपोर्ट में कहा गया है ।

"उद्योग मंत्री जी नारायण दत्त तिवारी ने यहां आज कहां कि वह मोटर गाडियों के मूल्यो में अत्यधिक वृद्धि का कोई औचित्य नहीं देखते,,

माननीय मंत्री महोदय आखिल भारतीय आटोमोबाइल और सहायक उद्योग संघ की बाईसवीं वार्षिक आम बैठक का उदघाटन कर रहे थे रिपोर्ट में यह भी कहा गया है।

उद्योग मंत्री जी ने भारतीय आटोमोबाइल उधोग की अपने उत्पादों को आधुनिक बनाने और उन्नत बनाने कीं रूचि या प्रेरणा की कमी के लिए उपयोग की आलोचना की उन्होने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में मारुती उद्योग द्वारा जापान के सहयोग से मोटर गाड़ियो के प्रस्तावित निर्माण को देखते हुए सहायक इकाइयों को तत्काल जरूरत"

कारों के मूल्य ढ़ाँचे पर कई बार इस सदन में चर्चा हो चुकी है 1977 और 1980 के बीच करों के मूल्यों में 33% से भी अधिक वद्धि हुई है हम इस प्रश्न का विश्लेषण करते है लागत और मूल्य ब्यूरो ने इस प्रश्न पर कई बार विचार किया है।

13 सितम्बर, 1981 के हिन्दुस्तान स्टैडर्ड में निम्नलिखित बनाया गया है :

"हाल ही में सरकार को प्रस्तुत की गई मोटर कारो के ढ़ाँचे संबंधी एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि गत दो वर्षों के दोरान कार काफी लाभ कमा रहे है। आगे यह कहा बताया है कि

1976 से जब से उच्चतम न्यायालय ने कारों पर से नियंत्रण हटाने का आदेश दिया था तब से कारों के मुल्यों में 130 प्रतिशत की वद्धि हुई है।

यह मामला उच्चतम न्यायालय ने निपटया था क्योंकि इन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। जहां तक इन कम्पनियों का संबंध है, भारत सरकार का कारों की विवरण प्रणाली, कारों का मूल्य, शुल्क और कारों के निर्माण संबंधी गुणवत्ता पद्धति पर कोई नियंत्रण नहीं है। भारतीय लागत और मूल्यों ब्यूरों द्वारा कार के मूल्यों की छानबीन करने के बाद सुझाव दिये गये हैं। परन्तु प्रीमीयर पद्मिनी, के कार निर्माण कम्पनी ने फिर भी इसके मूल्य में वृद्धि कर दी है। इस देश में कारों के मूल्य बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। लोगों द्वार कार का उपयोग करना विलासिता नहीं है बल्कि यह एक जरूरत है। इसलिए भारतु, संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने पर भी केवल यहां दो कम्पनियाँ ही कारें बना रही है और ये कारें पुरानी भी हैं।

अब, मैं आपको उस समय दी गई कामूनी सलाह के बारे में बताऊंगा। इस समाचारपत्र में यह भी वताया गया है :

"सरकार की ओर से कारों पर मूल्य थोपने और विवरण नियंत्रण लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यह सरकार को दी गई कानूनी सलाह के कारण है जिसमें यह कहा गया है कि सरकार के लिए न्यायालयों में मूल्य और वितरण नियंत्रणों को प्रतिवाद करना कठिन होगा।"

यदि भारत सरकार के लिए यह कारण है कि इसे न्यायालयों में इसका कैसे प्रतिवाद किया

जा , यदि इस देश के लोगों को परिवहन प्रणाली प्रदान करने का यही मूल सिद्धान्त है, यदि निर्माताओं के लिए मूल्य निर्धारित करने, जिनकी भारतीय लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा जांच कर ली गई है, यही कारण है रिपोर्ट के अनुसार यह कारण उचित नहीं है । संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर 10 वर्ष की अवधि के भीतर कार के मूल्य 130 प्रतिशत से भी अधिक बढ़े हों । देश के बाहर ये कारें 18,000/-रु० में मिल जाती हैं ।

जो कार माडल ये 30 वर्ष से दे रहे हैं वह बहुत पुराना है । उन्होंने आटोमोबाइल में कोई ढांचीय परिवर्तनों में कोई सुधार नहीं किया है । गुणवत्ता बिलकुल ही सुनिश्चित नहीं की गई है । उन्होंने उन्होंने माडल में सुधार करने के लिए दिए गए सुझावों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है ।

इस रिपोर्ट में आगे कहा गया है—

"एम्बेसडर ने अपने इंजन में मुख्य परिवर्तन 1959 में किए थे और, फीयेट ने 1965 में अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार उनकी ईंधन की खपत ज्यादा है । शुल्क समिति ने 1968 में चेतावनी दी थी कि कराधान की ऊंची दरों और अलग बाजार के कारण, निर्माताओं की आधुनिकीकरण करने की न तो रुचि है और न ही उनकी क्षमता है कार निर्माता स्वयं ही उत्पादनकर में रियायत देने और विदेशी प्रौद्योगिकी आसानी से प्राप्त करने की मांग करते रहे हैं सरकार ने इन सभी सुझावों को और प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया है और उद्योग को इतने समय तक तकनीकी रूप से पिछड़ा हुआ रहा है और उनकी खपत कम को कम किया है ।"

यहां तक कि कर प्रणाली पर आधारित मूल्य वृद्धि—यह आय कर हो सकती है; यह बिक्री कर हो सकता है और ये राज्य के अन्य कर हो सकते हैं, जहां तक इनका संबंध है, इन्हें, युक्तिसंगत नहीं बनाया गया है; और इसके ढ़ांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था ।

यह अच्छा होगा यदि हम सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहें कि हम कारों को आधुनिक कैसे बना सकते हैं ताकि देश में उनकी कीमतें कम हो सकें तथा हम उनकी अच्छी किस्म भी सुनिश्चित करें ।

30 वर्षों में इस देश ने काफी तरक्की की है तथा नवीनतम विज्ञान और प्रोद्योगिकी का विकास किया गया है जिसके परिणामों को मोटर कार उद्योग में नहीं आजमाया गया है । जहां तक मोटर कार उद्योग का सम्बन्ध है । विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुए विकासों ने इसे प्रभावित नहीं किया है । इसलिए हम पूछ रहे हैं कि मोटर कार उद्योग आधुनिक क्यों नहीं हुआ है । हम कार निर्माताओं को भी दोषी नहीं कह सकते क्योंकि निर्माता लोगों व्यापारी होने के नाते उन्हें लाभ मिलता है ।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों को अच्छी किस्म की कारें मिले और सरकार का इस पर कुछ नियंत्रण भी अवश्य होना चाहिए । इस आधुनिक विश्व में, कार एक

आवश्यक वस्तु बन गई है क्योंकि विकासशील देश में वाहन बहुत जरूरी है। इसलिए व्यवस्था में कुछ परिवर्तन अवश्य होना चाहिए क्योंकि ऐसा अभी तक नहीं किया गया है। अच्छी किस्म की कारें उपलब्ध कराने के अतिरिक्त निर्माताओं को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कारें बाजार में उचित मूल्य पर उपलब्ध हों। ऐसा नहीं कि निर्माताओं को समाप्त किया जाना चाहिए। कारों के निर्माताओं को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। किन्तु उन्हें यह भी देखना चाहिए कि वे आधुनिक विश्व के अनुरूप हों, वे सभी विकासशील देशों के विकास के अनुरूप हैं। और उन्हें इस देश के लोगों की मांगों को भी पूरा करना चाहिए।

महोदय, मारुति कार भी, जो कि अब आने वाली है, इस क्षेत्र के विकास के अनुरूप नहीं है। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या इस क्षेत्र के निर्माताओं में स्वस्थ प्रतियोगिता तथा सहायता की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए कोई संगठन बनाने पर विचार किया गया है। क्या किसी सहयोग की अनुमति दी गई है यदि हां तो कार के माडल के चयन में तथा ढांचों में परिवर्तन करने का इस सहयोग से क्या प्रभाव पड़ा है? कार निर्माता काफी अधिक लाभ कमा रहे हैं; किन्तु उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें देश में अच्छी किस्म की कारें बनानी चाहिए। निर्मित कारों में मैं जहां तक किस्म का सवाल है, लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। घटिया किस्म की कारों के कारण लोगों को तथा उपभोक्ताओं को कठिनाइयां हो रही हैं।

आज देश में 'अम्बैसडर' और 'फिएट' कारें अच्छी किस्म की नहीं बन रही हैं। वे पैट्रोल बहुत अधिक खाती हैं तथा इनमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का भी उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए यह भारत सरकार तथा मंत्रालय को देखना है कि ढांचों में परिवर्तन बहुत जरूरी हो गया है।

बी. आई. सी. पी. ने शुल्क ढांचे को युक्तियुक्त बनाने की सिफारिश की थी। आज कार निर्माता यह दलील देते हैं कि चूंकि भारी मात्रा में शुल्क, भारी कर तथा विभिन्न प्रकार के अन्य करों के कारण वे कठिनाई में हैं। अतः उन्होंने कारों के मूल्य बढ़ाने को उचित बताया है। ढांचे में परिवर्तन तथा मूल्य का अध्ययन किया जाना चाहिए और बी. आई. सी. पी. के सुझावानुसार उन्हें युक्तियुक्त बनाया जाना चाहिये। यहा तक कि इन सब वर्षों तक कारों की सप्लाई भी उचित ढंग से नहीं की गई है।

इस प्रणाली में कई बार परिवर्तन किया गया है। कार लेने के लिए हमें पंजीकरण हेतु प्रिमियम देना होता है। आज यह 10,000 अथवा 6000 रु० है। उपभोक्ता को कार के लिए नाम रजिस्टर कराने के लिए भी डीलर के पास कुछ रुपया जमा कराना पड़ता है। यह बहुत अनुचित है और आज इनका कोई औचित्य नहीं है। हमारे पास तकनीक है और जब हम परिवर्तनों में से गुजर रहे हैं और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में काफी सुधार हो रहे हैं तो हमारे औद्योगिक विकास मत्रालय को इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि भारत में कार उद्योग भी आधुनिक हो।

जब हम देश से बाहर जाते हैं और वहां कारें देखते हैं तथा वहां का ट्रैफिक देखते हैं और जब हम यहां वापिस आकर कारें देखते हैं और उनकी निर्धारित कीमत देखते हैं तो जान पड़ता

है कि विदेशी कारों की किस्म की कोई तुलना नहीं है इसलिए, लोगों और उपभोक्ताओं के तथा कार निर्माताओं के हितों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कारों के मूल्य और टैरिफ ढांचे का निर्धारण करते समय उद्योग मंत्रालय तथा तकनीकी व्यक्तियों द्वारा दिए गए विदेशों पर पूरा ध्यान दिया जाए। शुल्क प्रणाली, किस्म माडलिंग और इस उद्योग के आधुनिकीमरण के लिए मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। माननीय मंत्री द्वारा दिया गया उत्तर सन्तोषजनक है कि कीमतें युक्तियुक्त नहीं है। मंत्री की हाल ही की यह टिप्पणी भी सन्तोषजनक है और उन्होंने बड़े बड़े शब्दों में कहा है कि इस देश में कारों के मूल्य युक्तियुक्त नहीं है और बहुत अधिक हैं। इसलिए कार उद्योग को आधुनिक बनाया जाना बहुत जरूरी है तथा उपभोक्ताओं को कारें और अधिक उचित मूल्य पर उपलब्ध करायी जायें।

कार निर्माताओं को सड़क गारंटी तथा कार की किस्म सुनिश्चित करनी चाहिए। उनकी प्रतियोगिता लाभप्रद होनी चाहिए, यदि जरूरी है तो, विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाये। इसलिए आपको यह अवश्य देखना चाहिए कि उपभोक्ताओं के लिए कारों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, कारों की कोई चोर बाजारी न हो, जहां तक उपभोक्ता का सम्बन्ध है कोई नियंत्रण एवं प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए।

यह भी देखना चाहिए कि मोटर कार उद्योग भी अन्य उद्योगों के साथ-साथ आधुनिक बने। मैंने यह मुद्दा उठाया है और मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह सदन को आश्वासन दें और हमें यह भी बतायें कि मोटर कार उद्योग को आधुनिक बनाने के लिए क्या कार्यक्रम और नीति है। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरे द्वारा उठाये गए सभी मुद्दों पर मंत्रालय में विचार हो। इन शब्दों के साथ मैं बहस समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

उद्योग मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : सबसे पहले में अपने माननीय मित्र और सहयोगी श्री लकप्पा की प्रशंसा करता हू कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है और में समझता हूं कि उन्होंने हमारी मूल नीति, अर्थात अपने देश में मोटर कार उद्योग का आधुनिकीकरण, का जोरदार समर्थन किया है। उन्हें तथा उनके माध्यम से माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हुं कि जो कुछ श्री लकप्पा ने कहा है वह हमारी नीति का मूल है।

मोटरकार उद्योग के क्षेत्र में हमारी मोटर कार नीति की मुख्य विशेषता आधुनिकीकरण, अधिक उत्पादन तथा उपयुक्त मूल्यों पर अच्छी मिल को उत्पादन के लिए लाभप्रद आधार बनाना है। हमारी नई मोटरकार नीति का सम्पूर्ण आधार यही है और यही कारण है कि जैसा कि आप जानते हैं, छोटी कारों के उत्पादन के लिए मारूति को आरम्भ करना हमारी नीति के क्रियान्वयन की एक प्रमुख विशेषता है। जैसे ही मारूति आयेगी, इसका प्रभाव पहले ही पड़ा है। इस हमारे मोटर कार उद्योग पर अतिकारी प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। दोप प्रमुख कार निर्माता—प्रिमियर आटोमोबाइल और हिन्दुस्तान मोटर्ज नए स्टाइल के साथ कारों से के नए माडल बनाने में लगे हुए हैं। फिएट, फिएट-124 नामक तथा माडल बनाने जा

हैं और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि प्रिमियर आटोमोबाइल की वार्षिक आम बैठक में प्रीमियर आटोमोबाइल के चेयरमैन ने विस्तार से बताया है कि नई डाई कार आरम्भ की है और उन्होंने अपने सदस्यों को आश्वासन दिया है कि नया फिएट माडल शीघ्र ही आ जायेगा।

हिन्दुस्तान मोटर्स भी नया "वाक्सहाल वी एस" माडल बनाने जा रहे हैं और वे हमारे अधिकारियों से भी मिले हैं और उन्हें बताया कि वे नए "वाक्सहाल वी. एस" माडल को यथा-शीघ्र बाजार में लाने का प्रयास करेंगे। हिन्दुस्तान मोटर्स ने जापान की मैसर्स इसूजू मोटर कम्पनी से सहयोग के प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए हैं। वे उनके सहयोग में अपनी कारों के लिए इसुजू इन्जिन तथा "ट्रांसमिशन फार फिट मैंट" बनायेंगे। यह बताया गया है कि इसुजू इंजन 1600 सी. मी. की क्यूबिक क्षमता के साथ ईंधन की बचत वाला है। मुझे बताया गया है कि प्रीमियर आटोमोबाइल भी एक नए इंजन माडल के लिए वार्ता कर रहे हैं। यही मारूति का प्रभाव है जो अन्य निर्माताओं और उत्पादकों पर पड़ा।

मैं मानता हूं कि किस्म भी सही नहीं है। डिजाइन और माडल पुराने हैं। यही कुछ अब हो रहा है एक व दो वर्ष बाद क्या होगा जब नए माडल भी आ जायेंगे व मारूति भी बाजार में होगी। जैसी कि हमें आशा है द्विपहिया स्कूटरों के बाजार में भारी परिवर्तन हुआ है। इसी प्रकार, मुझे उम्मीद है कि हमारे देश में कारों के बाजार में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा।

जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, मैं सारांश में सवारी कारों के मूल्यों का इतिहास बताना चाहता हूं। मूलत: 1956 से, मूल्यों का निर्धारण उचित पूछताछ करने के बाद टैरिक आयोग में एक मुख्य लेखा अधिकारी होता है जो कम्पनियों द्वारा निर्माण लागतों के दावों की जाँच करता है। तत्पश्चात आयोग उचित बिक्री मूल्य निर्धारित करता है। अगस्त, 1968 में, जबकि टैरिक आयोग की रिपोर्ट विचाराधीन थी तीन निर्माताओं ने मूल्य बढ़ा दिए। इसके बाद सरकार के पास औद्योगिक (विकास और विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत उचित बिक्री मूल्य निर्धारिक करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सवारी कारों के निर्माता उच्चत्तम न्याया-लय में चले गए तथा न्यायालय ने सरकारी आदेशों को गैरकानूनी करार दे दिया। उच्चत्तम स्वयं कुछ आधारभूत सिद्धांत बनाये जिनके द्वारा उचित बिक्री मूल्य निर्धारण किया जाता है।

अत: वर्ष 1975 तक उच्चत्तम न्यायलय के निर्देश तथा मार्गदर्शी सिध्दान्तों के अनुसार सरकार द्वारा कार फेह मूल्य निर्धारित किये जाते थे। 1 जनवरी 1975 को कार उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कारों के नियत्रण मूल्य को बता दिया गया था ताकि कार आसानी से उपलब्ध। हो सके। अत : उस समय यह निश्चय किया गया था कि कोई मूल्य नियंत्रण न रखा जाये मैं इससे सहमत हूं कि तभी से कार के मूल्यों में वृद्धि हुई हैं

श्री के० लक्कप्पा : 130 प्रतिशत तक

श्री नारायण दत्त तिवारी: पिछले तीन वर्षों में कारों के मूल्यों में लगभग 20,000 रू० की वृद्धि हुई है मैं इसकी स्थिति को स्पष्ट करने तथा की गई वृद्धि का ब्योरा बताता हूं उदाहरण के

तौर पर प्रीमियर पदमनी को लेते हैं शोरूम के मूल्य में फैक्टरी द्वारा मूल्य विक्रय विक्रेता मूल्य 63 प्रतिशत उत्पादन शुल्क 16.8। प्रतिशत केन्द्रीय बिक्री कर 33 प्रतिशत विक्रेता बाकी 3-9 प्रतिशत तक सड़क द्वारा लाने का परिवहन खर्च 2-8 प्रतिशत दिल्ली टर्मिनल टैक्स 0.16 प्रतिशत मैं दिल्ली के मूल्यों के बारे में बता रहा है दिल्ली बिक्री कर 10 प्रतिशत में पुर्जो गोषसमान तथा फालतु पुर्जों पर कर सम्मिलित है अत : शोरूम मुल्य में जो कर ढ़ाचा दिखाया जाता है उस अथवा कम्पनियों को पुर्जों पर तथा कच्चे माल पर कर देना पड़ता हैं जेसा कि माननीय सदस्य जानते है पिछले तीन महीनों में उत्पादन शुल्क में वृद्धि हुई हैं मेरे पास उत्पादन शुल्क में हुई वृद्धि के सन्बन्ध पुरा ब्यौरा मोजूदा हैं जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं इसके बारे में बजट भाषण में बताया गया हैं वास्तव में माननीय सदस्य द्वारा उत्पादन शुल्क की यूक्तिकरण के बारे में कहा गया है यद एक ऐसा मुददा है जिस पर वित्त मंत्री के साथ बातचीत की जा सकती है और मैं उनसे इस विषय पर अवश्य ही बात चीत करूगां कि उत्पादन शुल्क ढाचे को हम किस हद तक फ्क्रिरूनत बना सकते है । लेकिन हमारे वितरण प्यवस्यर के अन्तर्गनत हमारे उत्पादन राजस्व में यह एक महत्वपूर्णतत्व है । मैं इस बात से सहमत हू कि इसे युक्ति संगत होनी चाहिए तथा कारों मोटर वादनों अथवा दो पसिलो वाले बाहनों पर हमारा कारधान अत्यधिक नहा होना चाहिए लेकिन इसके आवाज यह हमारी समुचित वित्तीय नीति का एक अंग भी है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि श्री लकप्पा द्वारा जो कुछ कहा गया है, उसमें एक मुददा यह है कि कारों के मूल्य को असाधारण रूप से न बढ़ाया जाय, और हमारा भीं यही प्रयास रहा है।

उद्योग (विकास तथा विनियम) अधिनियम के अन्तर्गत मूल्यों को नियंत्रित न करते हुए ट्रक कार निर्माताओं से यह कहते रहे हैं कि मूल्यों को न बढ़ाया जाये और मैंने माननीय सदस्य तारांकित प्रश्न का कुछ समय पहले उत्तर देते हुये ली उल्लेख किया था, और मैंने यह बताया था कि मैंने अगस्त, 1981 में अपना कार्यभार संभालते हीं—मैंने 9 अगस्त को कार्यभार संभाला था और जैसे ही मैंने समाचार पत्रों में पढा —मैं समाचार पत्र पढ़ता रहता हूं, जानता हूं कि कार मूल्यों वृद्धि हुई है—मैंने सभी आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चर्स की एक बैठक बुलाई थी और उनको स्पष्ट रूप से बताया था कि यद्यपि कोई मूल्य नियंत्रण आदेश लागू नहीं है।

फिर भी वे बिना किसी संदर्भ के तथा मूल्य ढांचें में वृद्धि कार के मूल्यों में वृद्धि न होने दें । उन्होंने मेरी बात की ओर ध्यान दिया, और अब तक—मैंने वह बैठक अगस्त 1981 में बुलाई थी—हिन्दुस्तान एम्लेरुडर द्वारा अपना मूल्य नहीं बढ़ाया गया है "दी प्रीमियर पदमिनी" द्वारा अपना मूल्य 3000 रु० तक बढ़ा दिया गया है, और मैंने भी उनसे मुलाकात की है, हमारे अधिकारियों द्वारों उनसे मिले हैं, और हमने उनसे यही कहा है कि समूचे मूल्य ढांजे पर पुनर्विचार किया जाये ।

मैं सभी आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स की एक और बैठक दोबारा बुलाने का प्रस्ताव कर रहा हूं जिसमें किस्म, आधुनिकिकरण, मूल्य आदि सभी मुददों पर विचार किया जायेगा लेकिन बी. आई. सी. पी. के प्रतिवेदन में यह सिफारिश नहीं की गई है—यह बात बहुत ही प्रासंगिक नहीं है, आमतौर से बी. आई. सी. पी. की सिफारिशों को बताना उचित नहीं है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि बी. आई. सी. पी. की ताजा प्रतिवेदन में, जिसमें यइ सुझाव नहीं दिया गया

है कि कार के मूल्यों में कोई कटौती की जाये, लेकिन इसमें यह कहा गया है :—

'कार के बाजार की बारीकी से समीक्षा रहनी चाहिए ताकि उचित समय पर मारुति सुजूकी कार को बाजार में लाने में सुविधा रहे। इसी बीच "दी प्रीमियर" तथा "हिन्दुस्तान मोटर्स" को इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि वे मारुति सुजुकी कार के उत्पादन के पश्चात् संभावित कठोर स्पर्धा का मुकाबला कर सकें।

अन्त में प्रीमियर आटोमोबाईल तथा हिन्दुस्तान मोटर्स को आने वाले वर्षों मे बहुत विशिष्ट पूंजी निवेश करना पड़ेगा, यदि वे यह चाहते हैं कि मारुति सुजुकी कार के बाजार में आने के उपरान्त भी उनकी कारों की बिक्री हो।"

अत: इस स्थिति में हमें प्रीमियर आटोमोबाइल तथा हिन्दुस्तान मोटर्स दोनों को ही कुछ सीमा तक छूट देनी पड़ी है, ताकि वे उस धन को नये माडलों को तैयार करने के लिए अपने संयंत्र तथा उपकरणों को युक्ति संगत बनाने में लगा सके। अत: हमें उनको कुछ सीमा तक उचित छूट देनी पड़ी है ताकि वे स्पर्धा कर सकें और बी. आई. सी. पी. की तह एक मूल सिफारिश है।

इसके अलावा उन्होंने शुल्क में कोई कटौती करने का सुझाव नहीं दिया है। उन्होंने कहा है। जिस तरह मूल में कोई कटौती करने का प्रस्ताव नहीं है इसी तरह यात्री कारों पर सचित शुल्क चार को कम करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं हैं। उत्पादन में कोई वृद्धि किये बिना शुल्क में किसी प्रकार की कटौती करने से विचौलियों को करमुक्त लाभ में वृद्धि होगी, अथवा उपभोक्ताओं को कुछ लाभ होगा।"

यह बी. आई. सी. पी. की सिफारिश नहीं है क्योंकि उनका कहना है मेरे द्वारा जो कारण बताये गये हैं कि उत्पादन में वृद्धि किये बिना हम शुल्कों में कटौती नहीं कर सकते हैं। अत: बी. आई. सी. पी. द्वारा शुल्क में किसी कटौती की कोई सिफारिश नहीं की गई है।

लेकिन जैसा कि मैंने बताया है कि शुल्क को युक्ति संगत बनाने का एक ऐसा पहलू है, जिससे हमारा सम्बन्ध है और मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री द्वारा इस संदर्भ में वित्तीय प्रस्ताव तैयार करते समय इस मुददे पर विचार किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि मैंने बताया है इस संदर्भ में हमारे प्रस्ताव अवश्य प्रतिलक्षित होंगे··· (व्यवधान)

मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रोमियर आटो-मोबाइल्स को 1977-78 तक घाटा होता रहा और केवल वर्ष 1978-79 से ही लाभ होना प्रारम्भ हुआ। हिन्दुस्तान मोटर्स को 1979-80 तक घाटा हुआ। यह स्थिति हमें दी गई सूचना के अनुसार है। अब उन्होंने यह वायदा किया है कि उन्हें जो कुछ भी लाभ प्राप्त होगा उसकी वे सुरक्षित निधि बनायेंगे और इस प्रकार सुरक्षित रखेंगे ताकि वे आधुनीकीकरण कर सकें। इस पहलू को भी ध्यान में रखना होगा।

हम स्थिति से पूरी तरह से अवगत है, हम आधुनीकीकरण चाहते हैं। हम किस्म नियंत्रण करना चाहते हैं, हम मूल्य वृद्धि संगत बनाना चाहते है। मुझे पूरा विश्वास है कि निकट भविष्य

में जब मैं, आटोमोबाइल मैन्यूफैक्चरर्स की एक बैठक बुलाऊंगा, तो वे इन सभी बातों को भली भांति ध्यान में रखेंगे। संसद में जो कुछ चर्चा की गई है, सुझाव दिये गये हैं, वे उनका समुचित ध्यान रखेंगे।

मैं भी उनको यह बता दूंगा कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं। तब हमारे पास कोई विकल्प नहीं रह जाता है सिवाय इसके कि मूल्यों के बारे में निगरानी करने का उपाय किया जाये। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सदन में आज की हुई इस चर्चा का अच्छा प्रभाव पड़ेगा और किसी प्रकार के कानूनी उपाय करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे विचार से यह वाद-विवाद बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है।

मैं, एक बार फिर अपने माननीय मित्र तथा साथी की प्रशंसा करता हूं। मुझे विश्वास है कि यह वाद-विवाद पूर्णतः कारगर सिद्ध होगी और हम वांछित उद्देश्य प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद ?

श्री हरीश कुमार (पीलीभीत : उपाध्यक्ष जी, देहात में जीप और सड़क पर कार। माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जितने हमारे फार्मस है जो कि शहर से दूर जहां सड़के नही है वहां हमारे देश के लिए अन्न पैदा कर रहे है। वे जीप के नहीं आ जा सकते हैं। जिन स्थानों पर सड़के नहीं है वहां से वे बगैर जीप के नहीं आ सकते हैं।

अभी चार महीने पहले एक सरदार जी ने बताया कि उन्होंने 88 हजार रूपये की जीप खरीदी है। इस जीप के इतने पैसे क्यों बढ़े ? ये जीप केवल इलेक्शन के मतलब की ही नहीं हैं। देहातों में जो लोग फार्म बना कर बैठे है और अन्न पैदा कर रहे है, जिनको कि आप आज तक सडक नहीं दे पाये है, उनके पास सिवाय जीप के कोई दूसरा व्हिकल नहीं हैं जिससे कि वे काम ले सके।

श्रीमान गाड़ियो की बीस-बीस हजार रुपये प्राइस बढ़ गयी। यह बात नहीं है कि यह चुनाव के बाद बढ़ी हो। ये प्राइस बढ़ती तो चुनावों से पहले ही शुरू हो गयी थी लेकिन बीस-बीस हजार रूपये जो प्राइस बढ़ी वे चुनावो के बाद ही बढ़ी। आप इन कारो की हालत देखिये अदमनी की जो बाडी है वह ऐसी हैं, अगर उस पर आप एक घूसा मारो तो उसमें गडढा पड़ जाए जब हम उस गाड़ी में चलते है तो सोच कर चलते है कि इसे साइकिल वाले से भी बचा कर चलना है। अगर साइकिल वाले से उसकी टक्कर हो गयी तो साइकिल वाले कि साइकिल का तो कुछ नही बिगड़ेगा: कार से डेंट पड़ जाएगा।

यही नहीं, इस बात की रिसर्च होनी चाहिए कि पट्रोल की इतनी कीमत बढ़ गयी हैं लेकिन इन कारों का एवरेज कंजम्पशन वही 10-13 किलो मीटर है किसी भी गाड़ी को ले लीजिए। एम्बेसडर का या पदमिनी किसी का भी ले लीजिए। इन लोगों ने इतने दिनों में इतना पैसा वसूल कर लिया लेकिन कंजम्पशन के मामले में इतना पैसा वसूल करने के बाद भी रिजल्ट ठीक नही हो सका। 15 -20 किलोमीटर तक भी हम कंजम्पशन को नही ले जा सके।

जहां तक घाटे के बारे में मंत्री जी ने कहां हैं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हू। घाटा जान बुझकर दिखाया जाता हैं। मुझे मालूम है और मंत्री जी भी जानते होगें कि जे के सिथेटिक्स

कीटा में थे। उन्होने अपनी कंपनी में 3000 मजदुरो कीं छटनी यह कह कर कर दी कि घाटा हो रहा हैं। उसी वर्ष बेलेस शीट में प्राफिट दिखाकर आर्मी ग्रुप इश्योंरेस से करोड़ों रूपए का कर्जा ले लिया। कार बनाने वाले को कहीं घाटा होता हैं।

प्रीमियर पदमिनी की हालत क्या हैं। मई 1981 मैं 500 रूपया जमा कराया था अब जाकर पूछा तो बताया कि अभी तीन साल और लगेंगें। 5-6 साल तक नंबर आता है। इतना रश जहां हो वहा घाटा कैसे हो सकता है। कीमतें वढ़ती जा रही है। 1974-75 में 20-25 हजार कीमत थी जो अब 76 हजार हो गई हैं। एबेंसेडर की 80 हजार है। जीप 88 हजार की है। इसके लिए कुछ करना चाहिए। केवल उनके यह कहने से कि घाटा हो रहा है बात को नहीं मान लेना चाहिए। घाटा तो हर आदमी दिखा देता है।

मंत्री महोदय गन्ने के मंत्री भी रहे है। बरेली, पीली भीत में गन्ने की फैक्ट्री के मालिक रिपेयर के नाम से पैसा लेते हैं। 10 लाख रुपया लिया 150 हजार खर्च किए और नैनीताल में जाकर रंगरोलिया मनाई जाती हैं घाटा दिखा दिया जाता है गन्ने की फैक्ट्री में कभी घाटा हो सकता है ? मोटर कंपनी में जहां लाइन लगी हुंई हो, कभी घाटा हो सकता हैं ? फर्जी घाटा बताया जाता हैं।

अंत में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करता हू। मारूति लिमिटेड द्वारा कार के उत्पादन से बड़ा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मंत्री महोदय ने कहा है। आज मुझे मारूति कार देखने का अवसर मिला। सदस्यों को दिखाने के लिए प्रदर्शनी लगाई गई थी 14-5 नमूने दिखाए गए। पदमनी में तो घूसा मारने पर गडडा पड़ेगा इसमें अगर 12 साल का बच्चा जोर से मुटठी मार दे तो दो इंच का घाव बन जाएगा। आपका लक्ष्य इस मारूति से पूरा होने वाला नहीं हैं यह बिल्कुल बेकार गाड़ी है मुझे शंका है कि कही कोई गड़बड़ तो नहीं है बड़ें बड़े गाड़ी बनाने वाले बिड़ला और प्रीमियर पदमनी वालों ने कही कोई घोटाला तो नहीं कर दिया है

एंजिन इतना कंजेस्टेड है कि सफाई करने की जगह ही नहीं है में उसको देखकर हैरान हो गया। जग प्रीमियर पदमनी को हमें सायकिला के डर से रोकना पड़ जाता हैं तो मारूति का क्या होगा। इसमें बैठी हुई मां रोती रहेगी। मैं आपको जज बनाता हूं कल फिर प्रदर्शन होगा। आप स्वय जाकर देख लीजिए कही बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपके लक्ष्य को पूरा नहीं होने देना चाहते ऐसी बात तो नही है

अंत में मैं एक बार फिर मंत्री महोदय से कहता हू कि आप मारूति का नमुना ठीक करिए उसकी बाडी ठीक बनाइए हमारे यहां रफ रोड्स है मारूति साउथ दिल्ली में भले ही चल सकती है, कनाट प्लेस में भले ही चल सकती है लेकिन जिस दिन चांदनी चौक चली गई उसी दिन उल्टी हो जाएगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे थे कि बचेगा नहीं और साथ ही वह यह कह रहे थे कि उन लोगों को बहुत आनन्द आएगा जो इस कार को फेल करने में लगे हुए हैं, जिन को कारें बिकनी बन्द होगी और जो इस में लगे हुए हैं।

प्राइसिस कम करने की बात भी उन्होंने कही। यह भी कहा कि मारुति का नमूना सुधारा जाए। लोगों की जो आशाएं हैं वे पूरी इससे नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक जो मैंने देखा उस हिसाब से फिर इंडस्ट्रिलिस्ट अपनी गाड़ियों को आगे ले आएंगे और हमारी मारुति पीछे पड़ जाएगी। में सम्मानित सहयोगी गंगवार जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस बहस में भाग लिया और सुझाव दिए।

मैं बताना चाहता हूं कि मैं जो भी यहां पर तथ्य पेश कर रहा हूं वे मेरे नहीं हैं। अधिकृत सूत्रों से शासन को जो कम्पनियों के द्वारा प्राप्त होते हैं वही मैं पेश कर सकता हूं। अन्ततोगत्वा उनके जो बैलेंस शीट हैं को आधार मान कर चलना पड़ता है। बहुत से आंकड़े पांच छः या दस साल पुराने होते हैं। उन आंकड़ों को यहां प्रस्तुत करना होता है। जैसे अब तक उनको मानते रहे हैं, उस हिसाब से उनको मान्यता देनी पड़ती है। उनका यह कहना भी सत्य है कि डिप्रिशिएशन फंड कितना होना चाहिए और कितना नहीं होना चाहिए।

यह विवादास्पद हो सकता है - अगर मैं उन से सहमत भी होऊं तो भी मुझे वही आँकड़े देने होंगे जो कम्पनियों ने दर्ज किए हुए हैं। डिप्रिशिएशन और रिसर्च में ज्यादा ध्यान रखना चाहिए था। यह सही हो सकता है। हिन्दुस्तान मोटर, प्रीमियर आटोमोबाइल्ज, स्टैंडर्ड मोटर्ज जो भी कम्पनियां थीं उन्होंने रिसर्च में धन कम लगाया, वे नए माडल नहीं लाई, उनके डिजाइन बहुत पुराने रहे। इस तरह की जो बातें उन्होंने कहीं ठीक थीं।

कम्पनियों से बात करें तो वे अपनी राम कहानी सुनाती हैं। कहती है पैसा था ही नहीं, आपने कंट्रोल लगा दिया था, हम घाटे में चल रहे थे। प्राइस कंट्रोल खत्म हुआ तो थोड़ी उनको छूट मिली और उन्होंने कीमत बढ़ाई। इस तरह की राम कहानी वे सुनाती हैं। सहमत नहीं हूं मैं भी इससे। लेकिन आज के हालात की मैं बात करना चाहता हूं, कहानी नहीं वास्तविकता चाहता हूं। वे नए माडल ला रही है, बाक्साल के नाम पर या फिएट 124 के नाम पर और आपको बताना कहती हैं कि ये माडल जल्दी मार्किट में आ जाएंगे। अगले साल के प्रारम्भ में आ जाएंगे। उनके मुताबिक ये माडल जल्दी आ जाएंगे।

माननीय सदस्य ने कहा कि भारत के आधार पर मोटर गाड़ी होनी चाहिए, इतनी नाजुक नहीं होनी चाहिए कि साइकिल उससे टच कर जाए तो निशान पर जाए। मुश्किल यह हैं कि ऐसी कारें आज संसार में चल रही है जो लाईट मैटीरियल की बनी होती है।

माननीय सदस्य बाहर गए होंगे दूसरे देशों में और उन्होंने वहां देखा होगा कि आज लाइट मैटीरियल की कारें सारे संसार में चल रही हैं, हल्की कारें, और हल्की कारें बन रही है। खास कर छोटी कारें इस मैटीरियल से बन रही है। कार्बन फाइबर का नया मैटीरियल निकला है जो बहुत सस्त भी होता है और हल्का भी। वह बहुत मजबूत होता है। स्टील और एल्यूमिनियम का भी इस्तेमाल होता है जो हल्का मैटीरियल होता है।

इन सब बातों को हम को टैक्नीशियनों पर छोड़ना चाहिए कि किस प्रकार का मैटीरियल यूज किया जाए। कोई भी कार हो, मारुति हो, एम्बेसेडर हो, प्रीमियर हो, फिएट हो वह यहां

के हालात और आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। जिस को छोटी कार चाहिए वह मारुति खरीद सकता है, जो फैमिली कार चाहता है और जिस की बड़ी फैमिली है जिस में आठ आदमी बैठ सकते हैं वह एम्बेसेडर खरीद सकता है। अलग अलग डिजाइन की अलग-अलग होती हैं। जीप में चाहे तो जीप में बैठ सकता है। जीप की कीमत जो आपने बताई है। वह भी ठीक है। लेकिन जीप कार से भिन्न है।

उसके बारे में आज प्रश्न नहीं था। लेकिन हर कार ठीक हो, उसकी कीमत वाजित हो। लेकिन कंट्रोल लगाने से कभी कभी ब्लैक बढ़ जाती है और दूसरे प्रकार की बातें सामने आ जाती हैं। इसलिए कंट्रोल ही हर चीज में कर देना कोई दवा नहीं है। वह एक अंतिम अस्त्र है और जरूरत हुआ तो लगायेंगे। प्राइस कंट्रोल इस पर भी सोच सकते हैं, लेकिन अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। क्योंकि कम्पटीशन आ जाने से, प्रोडक्शन बढ़ जाने से, 1 लाख 80 हजार कारों की 3, 4 साल में देश में जरूरत होगी, ऐसा हमारा फोरकास्ट है।

हमारे माननीय गंगवार जी ने बताया कि 1980 में उन्होंने 500 रु० जमा किये थे और उनको बताया गया कि अभी 3 साल लगेंगे उन्हें कार देने में। मैं समझता हूं पार्लियामेंट के मेम्बर को वैसे भी कार जल्दी मिलनी चाहिये, मुझे आश्चर्य है क्यों नहीं प्रीमियर आटोमोबाइल्स ने उनको कार दी। मुझे बताया गया है कि एम० पी० जे० को कारें पद्मिनी वाले जल्दी दिया करते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : मैंने तो रेफरेंस में दिया, मुझे अभी कार की जरूरत नहीं है, लेकिन जो जमा किया उसमें 5 साल मुझे बता रहे थे। जब मेरा यह हाल है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुझे तो अभी कार की जरूरत नहीं है।

श्री नारायण तिवारी : इस समय प्रीमियर पद्मिनी की 1 लाख 50 हजार की मांग बाकी है। अब प्रोडक्शन उन्होंने बढ़ाया है, आंकड़ों के मुताबिक जो उनकी उत्पादन क्षमता है उसकी तुलना मे प्रीमियर पद्मिनी का अब बढ़ा है। जैसे उन्होंने 18,000 कैपेसिटी को बढ़ा कर 20,778 कारों का उत्पादन किया 1982-83 में। 1979-80 में 15,000 था। फिर उनके यहां स्ट्राइक हो गई जिसके कारण 1980-81 में 9,301 प्रोडक्शन रहा। 1981-82 में 19,764 कारों का प्रोडक्शन हुआ, और 1982-83 में 20,778 किया। और जब मारुति कार आ जायगी ऐम्बेडर का नया माडल आ जायगा तो कारों की संख्या बढ़ेगी और वेटिंग लिस्ट कम हो जायगी।

यह बात बिलकुल ठीक है कि डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में सतर्कता बरतनी चाहिए, और मैं आटोमोबाइल्स मैनुफोक्चरर्स तक माननीय सदस्यों के विचार पहुंचा दूंगा ताकि कारों की वितरण प्रणाली सुनियोजित हो और ग्राहकों को कम से कम शिकायत होनी चाहिये।

एक बात और है, कार की कीमत बढ़ने का एक कारण यह भी होता है कि टियर्स के दाम

बढ़ गये हैं और यह इसलिये होता है क्योंकि नेचुरल रबर और सिन्थटिक रबर, कम्पोनेंट्स और ऐंसीलरीज के दाम बढ़ जाते हैं। मैं इस अवसर पर ऐंसीलरीज और टायर वालों से कहना चाहता हूं कि वह मनमाने ढंग से दाम न बढ़ायें। आज अखबारों में आना है कि टियर्स की कीमत 10 प्रतिशत बढ़ाने की बात चल रही है। जब पूछा गया कि क्यों दाम बढ़ाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा केरल में नैचुरल रबर के दाम बढ़ रहे हैं। हम कंट्रोल नहीं करना चाहते, लेकिन कीमत एक तरफ से बढ़ती है तो उसका असर पड़ता है। तो कम्पोनेंट्स और टायर्स उत्पादकों से मैं कहूंगा कि वह टायरों की कीमत इस तरह से न बढायें। और उनकी कोई बात हो तो उस पर अवश्य विचार होगा। तो कार कम्पोनेंट्स के दाम न बढ़ें इसको जरूर देखेंगे, और नैचुरल रबर की कीमत कितनी बढ़ी है यह भी देखेंगे। हम बी० आई० सी० पी० से कहेंगे, और मंत्रालयों से बातचीत करेंगे और पता करेंगे क्यों और कहां तक उनका कहना ठीक है। फिर कार वालों को रोकना मुश्किल हो जाता है क्योंकि कम्पोनेंट्स के यदि दाम बढ़ जाते हैं तो कीमतें और बढ़ जाती हैं।

मारुति कार के बारे में माननीय गंगवार ने कहा। वह एक छोटी कार है, उसकी कीमत इसीलिये कम रखी जा रही है ताकि मध्यम दर्जे के परिवार के लोग उसको खरीद सकें। है ही वह छोटी कार। लेकिन यह बात ठीक है कि इंडियन कडीशन्स में चलने लायक हो, इसका प्रयास शुरू से किया गया है।

प्रोजेक्ट में भी लिखा गया है कि यह कार इंडियन कंडीशन के मुताबिक डिजाइन की जाये। मुझे विश्वास है कि जो मारुति कार मार्केट में आयेगी वह भारत की स्थिति के मुताबिक आयेगी। लेकिन लाइट मैटिरियल का इस्तेमाल हम नहीं रोक सकते, क्योंकि वह भारी कार होगी।

श्री हरीश कुमार गंगावार : इसकी बाडी चाहे आप अन-ब्रेकेबल बना दें, लेकिन इस समय जो टिन इसमें लगा हुआ है, वह बहुत पतला लगा हुआ हैं। आप उसको निकाल दीजिये और चाहे जो लगा दीजिये। दोनों तरफ जो बम्पर हैं वह भी ठीक नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : अगर घूंसे से कार टूट जायेगी, तो घूंसा वह बहुत शक्तिशाली होगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : कल मैं आपको इन्वाइट करता हूं, 14 साल के लड़के से उसमें घूंसा लगवा दूंगा। आप आइये और देखिये, उसमें गड्ढा न पड़ जाये तो मेरी बात गलत मानिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी : आज तो रुस्तमे हिन्द है; जो चलती हुई कार को रोकते हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : हंसी में ले जाने की बात नहीं है, मैं कायदे की बात कर

रहा हूं। हम एक कार मार्केट में ला रहे हैं, दूसरों से इसका कम्पीटीशन भी होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं तो घूंसे की शक्ति की तारीफ कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 म० पू० पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

10·02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 10 मई, 1983/20 वैशाख, 1905 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्रबन्धक, आर० आर० गुप्ता प्रेस, 472, रामचन्द्र देहलवी मार्ग, दिल्ली-110006